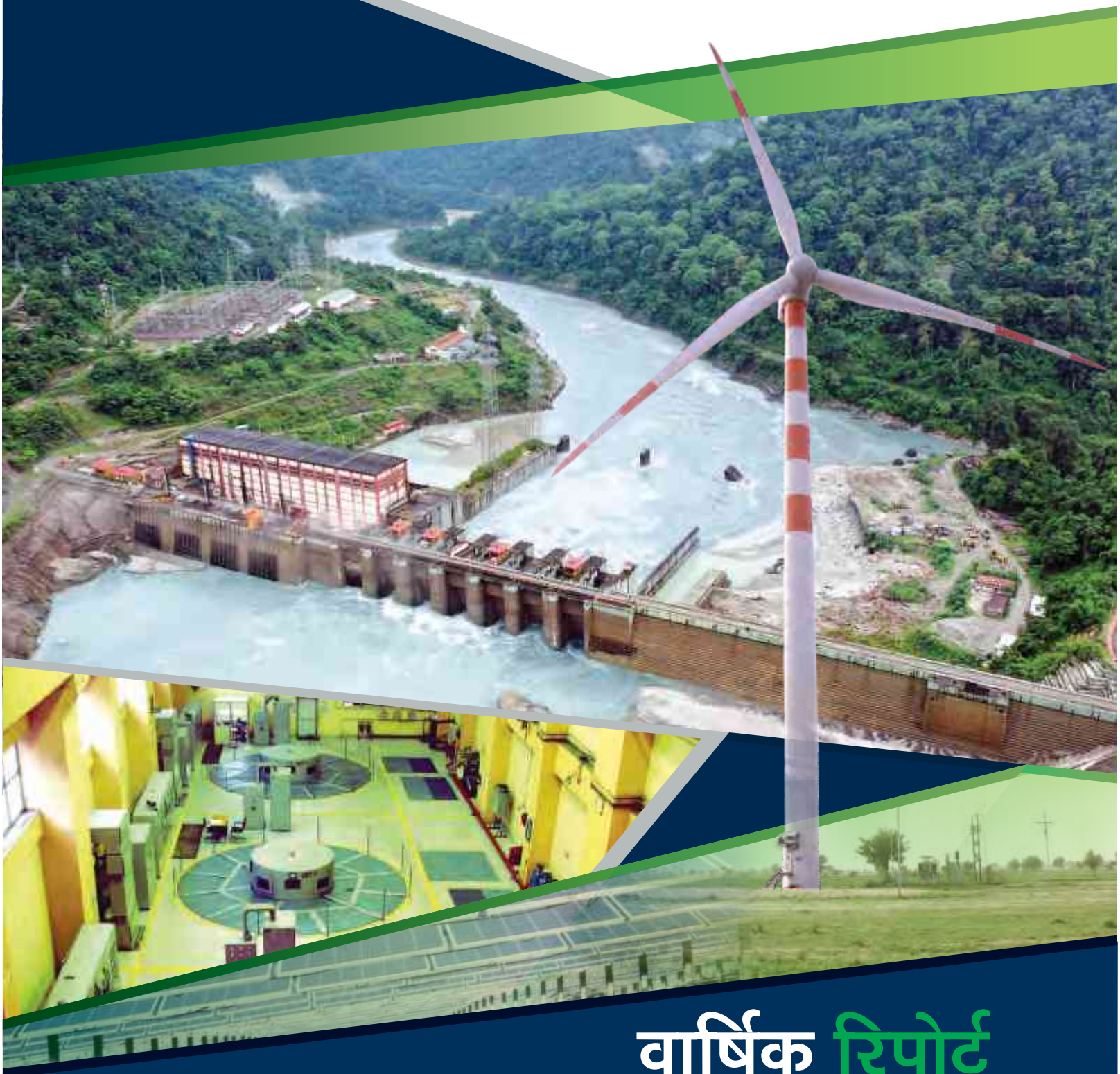
एन एच पी सी
NHPC



वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

निगम का दृष्टिकोण

दक्ष, उत्तरदायी और उन्नत मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के संधारणीय विकास हेतु एक वैश्विक अग्रणी संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- ✓ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वच्छ विद्युत के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- ✓ पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक–आर्थिक तौर पर उत्तरदायी तरीके से कुशल और दक्ष अनुबंध प्रबंधन और उन्नत अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से परियोजनाओं को निष्पादित और प्रचालित करना।
- ✓ मानव पूंजी की पूर्ण संभाव्यता का लाभ लेने के लिए उसे विकसित, पोषित तथा सशक्त बनाना।
- ✓ एक सशक्त कारपोरेट पहचान बनाने के लिए कारपोरेट अभिशासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और दक्ष मूल्य आधारित प्रबंधन को अपनाना तथा कर्मचारियों, ग्राहकों, पर्यावरण तथा समाज के लिए अधिक सरोकार रखना।
- ✓ प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से नवाचारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।



श्री ए. के. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, लाभांश भुगतान एडवाइस को श्री आर. के. सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री (विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा), भारत सरकार को सौंपते हुए। साथ में श्री आलोक कुमार, सचिव (विद्युत), भारत सरकार, श्री एस.के.जी. रहाटे, अपर सचिव (विद्युत), भारत सरकार, श्री तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय और श्री एन.के. जैन, निदेशक (कार्मिक), श्री आर.पी. गोयल, निदेशक (वित्त) और श्री बिश्वजीत बासु, निदेशक (परियोजनाएं), एनएचपीसी उपस्थित हैं।

विषय–सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल 2

संदर्भ सूचना 3

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का सार (पांच वर्ष) 5

शेयरधारकों को पत्र 7

निदेशकों का प्रोफाइल 12

पावर मानचित्र 16

निदेशकों की रिपोर्ट 17

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट 37

कारपोरेट अभिशासन से संबंधित अनुपालन प्रमाण–पत्र 74

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 75

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय 97

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 100

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट 113

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट 148

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 154

वित्तीय विवरण 167

समेकित

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 306

वित्तीय विवरण 317

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 471

निदेशक मंडल

(27 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार)



श्री अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री निखिल कुमार जैन
निदेशक (कार्मिक)



श्री यमुना कुमार चौबे
निदेशक (तकनीकी)



श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)



श्री बिश्वजीत बासु
निदेशक (परियोजनाएं)



श्री तन्मय कुमार
सरकारी नामिती निदेशक

संदर्भ सूचना

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर–33, फरीदाबाद हरियाणा–121003
टेलीफोन : +91 129 2588500, + 91 129 2588110
फैक्स : +91 129 2278018
वेबसाइट: www.nhpcindia.com
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

कंपनी सचिव

श्री सौरभ चक्रवर्ती

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
चैतन्य काम्प्लेक्स, प्रेम भवन,
रेजीडेंसी रोड, जम्मू तवी – 180001
जम्मू एवं कश्मीर

मैसर्स के. जी. सोमानी एंड एलएलपी
सनदी लेखाकार,
3/15, चौथा तल, आसफ अली रोड,
निकट डिलाइट सिनेमा, नई दिल्ली – 110002

मैसर्स लोधा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
14, गर्वमेंट प्लेस ईस्ट,
कोलकाता – 700069

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स
सी–40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन शाहदरा,
नई दिल्ली –110032

मैसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स
103, अग्रवाल टावर, एच–6, नेताजी सुभाष प्लेस,
पीतमपुरा, दिल्ली–110034

मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कं.
16, कुतुब व्यू अपार्टमेंट्स,
कुतुब क्लेरियन होटल के सामने,
शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016

मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी
फ्लैट नं 260, पॉकेट – ए,
सरिता विहार, नई दिल्ली–110076

मैसर्स के. जी गोयल एंड कं.
प्लॉट नं. 8, चित्रगुप्त नगर प्रथम, ज्योति नगर,
रेलवे क्रासिंग, जयपुर, राजस्थान–302005

मैसर्स एजेएस एंड एसोसिएट्स
5, बंगाली मुहल्ला, करनपुर
देहरादून, उत्तराखंड–248001

मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी
126–डी, सत्येन रॉय रोड कोलकाता,
पश्चिम बंगाल –700034

मैसर्स वाई एस ठाकर एंड कंपनी
नीमा कॉलोनी, स्टेशन रोड
बराकर, आसनसोल, जिला बर्दवान
आसनसोल, पश्चिम बंगाल–713324

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
डी–427, दूसरा तल, पालम एक्सटेंशन,
रामफल चौक, सेक्टर–7,
द्वारका, नई दिल्ली – 110075

आंतरिक लेखापरीक्षक

श्री कुप्पिले लक्ष्मणन आचार्युलु,
महाप्रबंधक (वित्त)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लि.
जम्मू एंड कश्मीर बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बडौदा
ड्युश बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कोटक महिन्द्रा बैंक
येस बैंक
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
केनरा बैंक
आईडीएफसी बैंक लि.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
फेडरल बैंक
आरबीएल बैंक
आईडीबीआई बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों हेतु:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली – 110055, भारत
दूरभाष: 011 4254 1234, 011 4254 1951
फैक्स: 011 4254 1201, 011 2355 2001
ई–मेल आईडी: alankit.nhpc@alankit.com
टोल फ्री नंबर: 1860 121 2155

कर मुक्त बॉण्ड हेतु:

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
सेलेनियम टावर बी, प्लाट सं. 31–32,
गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद
रंगारेड्डी, तेलंगाना– 500032
दूरभाष नं.: 040 6716 2222 फैक्स: 0402300 1153
टोल फ्री नंबर: 1800 345 4001
ई–मेल : einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट : www.kfintech.com

अन्य बांड हेतु:

आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
बी–25/1, प्रथम तल,
ओखला फेज–II
नई दिल्ली – 110020
दूरभाष सं.: 011–26387320
ई–मेल : investor.services@rcmcdelhi.com

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री अनुज कपूर,
महाप्रबंधक (वित्त)

प्रतिभूतियों का सूचीकरण

शेयर और कर मुक्त बांड :

बीएसई लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

निजी स्थापन पर जारी अन्य बांड (थोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत):

'वाई1', 'एए' 'एए1' 'एबी'और 'एसी' श्रृंखला बाण्ड – बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
'वी', 'वी2' 'डब्ल्यू1' और 'डब्ल्यू2' श्रृंखला बाण्ड – बीएसई लिमिटेड
अन्य सभी बाण्ड – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपोजिरीज

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

डिबेंचर ट्रस्टी

9 % पी श्रृंखला बाण्ड, 9.25 % क्यू श्रृंखला बाण्ड, कर मुक्त बाण्ड एनएचपीसी 2013 (8.18 % 1एश्रृंखला, 8.43 % 1बी श्रृंखला, 8.54 % 2ए श्रृंखला, 8.79 % 2बी श्रृंखला, 8.67 % 3ए श्रृंखला और 8.92 % 3बी श्रृंखला), 8.49 % एस1 श्रृंखला बाण्ड, 8.54 % एस2 श्रृंखला बाण्ड, 8.50 % टी श्रृंखला बाण्ड, 6.84 % वी श्रृंखला बाण्ड, 7.52 % वी2 श्रृंखला बाण्ड, 6.91 % डब्ल्यू1 श्रृंखला बाण्ड, 7.35 % डब्ल्यू2 श्रृंखला बाण्ड, 8.65 % एक्स श्रृंखला बाण्ड और 8.12 % भारत सरकार पूर्णत: सेवित बाण्ड, 7.50 % वाई श्रृंखला बाण्ड, 7.38 % वाई1 श्रृंखला बाण्ड, 7.13 % एए श्रृंखला बाण्ड, 6.89 % एए1 श्रृंखला बाण्ड, 6.80 % एबी श्रृंखला बाण्ड।

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भूतल,
17, आर, कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,
मुंबई–400001
टेलीफोन :+91 22 40807000
ई–मेल : itsl@idbitrustee.com

8.70 % आर1 श्रृंखला बाण्ड, 8.85 % आर2 श्रृंखला बाण्ड 8.78 % आर3 श्रृंखला बाण्ड 8.24 % यू श्रृंखला बाण्ड 8.17 % 1 श्रृंखला बाण्ड 6.86 % एसी श्रृंखला बाण्ड

एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लि.
एपीजे हाउस, 6ठां तल, 3
दिनशा वाचा मार्ग, चर्चगेट,
मुंबई–400020
टेलीफोन :
+91 22 43025553/55/56
ई–मेल :
helpdesk@sbicaptrustee.com

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा सार (एकल लेखा)

(करोड़ रुपए में)

	वित्तीय	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
ए	ऊर्जा की बिक्री	8,094.06	8,301.03	8,095.13	6,868.64	7,139.46
बी	अन्य प्रचालनरत आय और संविदाओं, विद्युत के व्यापार से राजस्व, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	412.52	434.12	66.05	65.39	131.71
सी	अन्य आय	1,150.81	1,036.44	924.78	1,491.00	1,458.67
डी	**कुल आय (ए)+(बी)+(सी)**	**9,657.39**	**9,771.59**	**9,085.96**	**8,425.03**	**8,729.84**
ई	व्यापार के लिए विद्युत की खरीद	212.37	234.13	12.68	-	-
एफ	उत्पादन व्यय	854.37	901.67	796.85	716.39	773.67
जी	कर्मचारी हितलाभ व्यय	1,409.26	1,515.52	1,704.65	1,585.33	1,574.92
एच	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,234.50	1,545.34	1,589.99	1,405.89	1,388.40
आई	वित्त लागत	649.59	795.42	894.88	922.32	1,073.22
जे	अन्य व्यय	1,425.89	1,514.95	1,165.53	989.18	1,159.02
के	**कुल व्यय (ई) + (एफ) + (जी) +(एच) +(आई) + (जे)**	**5,785.98**	**6,507.03**	**6,164.58**	**5,619.11**	**5,969.23**
के1	अपवादात्मक मदें	**185.00**	-	-	-	-
एल	**कर पूर्व लाभ और दर विनियमित आय (डी)–(के)–(के1)**	**3,686.41**	**3,264.56**	**2,921.38**	**2,805.92**	**2,760.61**
एम	वित्त लागत के कारण दर विनियमित आय	78.10	157.61	76.78	331.39	365.32
एन	अन्य के कारण दर विनियमित आय	148.99	186.00	746.62	388.43	348.67
ओ	**कुल दर विनियमित आय (एम) +(एन)**	**227.09**	**343.61**	**823.40**	**719.82**	**713.99**
पी	**कर पूर्व लाभ (एल) +(ओ)**	**3,913.50**	**3,608.17**	**3,744.78**	**3,525.74**	**3,474.60**
क्यू	आयकर व्यय	680.13	601.00	1,114.23	767.09	679.01
आर	**कर पश्चात लाभ (पी)– (क्यू)**	**3,233.37**	**3,007.17**	**2,630.55**	**2,758.65**	**2,795.59**
एस	**अन्य व्यापक आय**	**7.20**	**(0.62)**	**(12.41)**	**5.88**	**7.67**
टी	**कुल व्यापक आय (आर) + (एस)**	**3,240.57**	**3,006.55**	**2,618.14**	**2,764.53**	**2,803.26**
यू	प्राधिकृत शेयर पूंजी	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
वी	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,259.32	10,259.32
डब्ल्यू	अन्य इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष)	21,602.28	19,938.78	19,169.70	18,068.83	16,682.81
एक्स	पट्टा दायित्व सहित दीर्घावधि/ गैर–वर्तमान ऋण	21,241.22	20,889.74	17,044.63	16,728.20	17,245.64
वाई	अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	4,117.32	4,169.54	3,910.44	1,688.94	1,985.03
जेड	आस्थगित कर देयताएं	3,589.36	3,641.19	3,610.63	1,076.64	938.49
एए	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, निवेश संपत्ति और उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	20,924.54	23,295.52	23,851.84	19,994.31	20,977.21
एबी	चल रहे पूंजीगत कार्य	17,754.48	16,097.65	14,898.11	18,813.96	17,350.13
एसी	निवेश (गैर–वर्तमान)	3,921.68	3,400.74	2,361.66	2,209.56	2,100.32
एडी	अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9,421.25	7,408.87	6,428.38	3,882.86	3,424.21
एई	विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	7,063.31	6,836.22	6,492.61	3,600.46	2,904.32
एएफ	कार्यशील पूंजी	1,509.95	1,645.28	(252.17)	(679.22)	355.10
एजी	**सकल नियोजित पूंजी (एए)+(एबी+(एसी)+(एडी)+(एई)+(एफ)**	**60,595.21**	**58,684.28**	**53,780.43**	**47,821.93**	**47,111.29**
एएच	पट्टा दायित्वों सहित दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	1,395.53	1,619.78	1,605.16	1,593.91	1,678.59
एआई	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय राशि	2,017.20	2,017.20	2,017.20	-	-
एजे	**निवल मूल्य (वी)+(डब्ल्यू)**	**31,647.31**	**29,983.81**	**29,214.73**	**28,328.15**	**26,942.13**
एके	**अदा किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) (टिप्पणी 1 देखें)**	**1,577.07**	**1,938.69**	**1,000.46**	**1,251.65**	**2,524.13**
एएल	**मूल्य अभिवृद्धि(टिप्पणी 2देखें)**	**7,111.93**	**7,267.65**	**7,835.07**	**7,016.23**	**7,046.12**
	वितरणः–					
	i) कर्मचारियों को (टिप्पणी 3 देखें)	1,393.91	1,479.92	1,683.97	1,500.52	1,482.18

ii) पूंजी प्रदाताओं को					
- वित्त लागत **(टिप्पणी 3 देखें)**	571.49	637.81	818.10	590.93	707.90
- लाभांश (भुगतान के आधार पर) **(टिप्पणी 1 देखें)**	1,577.07	1,938.69	1,000.46	1,251.65	2,524.13
iii) सरकार को–आयकर और लाभांश कर(टिप्पणी 4 देखें)	680.13	899.78	1,262.80	893.95	1,151.23
iv) व्यापार में प्रतिधारित					
- मूल्यह्रास **(टिप्पणी 3 देखें)**	1,233.03	1,541.75	1,588.22	1,399.04	1,381.44
- प्रतिधारित आय	1,656.30	769.70	1,481.52	1,380.14	(200.76)
अनुपात	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**
नियोजित पूंजी पर आय [(पी)+(आई)–(एम)]/(एजी) **(टिप्पणी 5 देखें)**	7.40%	7.24%	8.48%	8.61%	8.88%
निवल मूल्य पर आय (आर)/(एजे) **(टिप्पणी 6 देखें)**	10.22%	10.03%	9.00%	9.74%	10.38%
प्रचालनरत लाभ अनुपात **(टिप्पणी 6ए देखें)**	42.19%	37.49%	40.12%	47.23%	45.04%
निवल लाभ अनुपात (आर)/(डी) **(टिप्पणी 7 देखें)**	33.48%	30.77%	28.95%	32.74%	32.02%
प्रति शेयर बही मूल्य **(टिप्पणी 8 देखें)**	31.51	29.85	29.08	27.61	26.26
प्रति शेयर अर्जन **(टिप्पणी 9 देखें)**	3.22	2.99	2.57	2.69	2.53
प्रति शेयर लाभांश (अंतरिम + वर्ष के लिए प्रस्तावित)	1.60	1.50	1.46	1.40	1.80
ऋण इक्विटी अनुपात (एक्स)+(एच)+(एआई)/(एजे) **(टिप्पणी 10 देखें)**	0.78	0.82	0.71	0.65	0.70
वर्तमान अनुपात **(टिप्पणी 11 देखें)**	1.26	1.28	0.96	0.88	1.07
अर्जन अनुपात की कीमत **(टिप्पणी 12 देखें)**	7.59	6.67	9.63	10.24	12.67
ईबीआईटीडीए **(टिप्पणी 13 देखें)**	5,718.02	5,787.73	6,151.10	5,515.71	5,563.94
ऋण सेवा कवरेज अनुपात **(टिप्पणी 14 देखें)**	3.62	3.41	3.35	3.75	2.38
ब्याज सेवा कवरेज अनुपात **(टिप्पणी 15 देखें)**	8.03	7.53	7.68	9.76	8.19
प्रचालनरत कार्य–निष्पादन	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**
उत्पादन (एमयू)	24,471.00	26,121.00	24,193.00	22,625.00	23,948.00
क्षमता (मेगावाट में)	5,551.20	5,551.20	5,551.20	5,551.20	5,171.20
संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	84.87	84.04	84.97	85.32	83.41
जनशक्ति (संख्या)	5,569	6,131	6,753	7,351	8,009

टिप्पणी:–1 क्रम संख्या–"एके" पर लाभांश वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक लाभांश है।

टिप्पणी:–2 मूल्य अभिवृद्धि = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास और परिशोधन + कर्मचारी हित लाभ व्यय। इसके अतिरिक्त, वित्त लागत, मूल्यह्रास और कर्मचारी हित लाभ व्यय को आरडीए संचलन का निवल माना गया है।

टिप्पणी:–3 मूल्य अभिवृद्धि के वितरण में, वित्त लागत, मूल्यह्रास और परिशोधन तथा कर्मचारी हित लाभ व्यय के निमित्त वितरण को आरडीए संचलन का निवल माना गया है।

टिप्पणी:–4 मूल्य अभिवृद्धि के वितरण में, सरकार के निमित्त वितरण में आयकर व्यय और लाभांश वितरण कर शामिल हैं। लाभांश वितरण कर वित्तीय वर्ष 2019–20 तक लागू है। इसके बाद लाभांश प्राप्तकर्ता के हस्तगत कर योग्य है।

टिप्पणी:–5 नियोजित पूंजी पर आय = (कर पूर्व लाभ + वित्त लागत – वित्त लागत के आरडीए में संचलन)/कुल परिसंपत्तियां–वर्तमान देयताएं)

टिप्पणी:–6 निवल मूल्य पर आय = कर पश्चात लाभ/(इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी)

टिप्पणी:–6ए प्रचालनरत लाभ अनुपात = प्रचालनरत लाभ/प्रचालनों से राजस्व

टिप्पणी:–7 निवल लाभ अनुपात = कर पश्चात लाभ/कुल आय

टिप्पणी:–8 प्रतिशेयर बही मूल्य = (इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी)/इक्विटी शेयरों की संख्या

टिप्पणी:–9 प्रति शेयर अर्जन = कर पश्चात लाभ/इक्विटी शेयरों की संख्या। कर पश्चात लाभ में आरडीए में संचलन शामिल है।

टिप्पणी:–10 ऋण इक्विटी अनुपात = कुल ऋण/(इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी)। कुल ऋणों में भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित वित्तबांडों के लिए पट्टों और देय राशियों सहित दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वताएं शामिल हैं।

टिप्पणी:–11 वर्तमान अनुपात = वर्तमान परिसंपत्तियां/वर्तमान देयताएं

टिप्पणी:–12 आय अनुपात की कीमत = वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर की बाजार कीमत/प्रतिशेयर आय

टिप्पणी:–13 ईबीआईटीडीए = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास – वित्त लागत और मूल्यह्रास के लिए आरडीए संचलन

टिप्पणी:–14 ऋण सेवा कवरेज अनुपात = ब्याज पूर्व लाभ, मूल्यह्रास और ब्याज एवं मूल्यह्रास के आरडीए एक निवल कर (पुट विकल्प के तहत भुगतान को छोड़कर मूलधन का पुनर्भुगतान + ब्याज भाग के आरडीए का निवल ब्याज)।

टिप्पणी:–15 ब्याज सेवा कवरेज अनुपात = ब्याज पूर्व लाभ, मूल्यह्रास और ब्याज एवं मूल्यह्रास के आरडीए का निवलकर/ब्याज भाग के आरडीए का निवल ब्याज।

टिप्पणी:–16 वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के लिए आंकड़े संबंधित वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं।

शेयरधारकों को पत्र



हम स्वच्छ और संधारणीय विद्युत के विकास के लिए हर उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने की आकांक्षा रखते हैं।

प्रिय शेयरधारकों,

पिछले डेढ वर्ष किसी भी मापदंड से असामान्य रूप से कठिन रहे हैं। इस अवधि के दौरान हमने एक वैश्विक महामारी, वैश्विक मंदी और अभूतपूर्व सरकारी कार्यवाही जैसे लाकॅडाउन देखे हैं। हम में से प्रत्येक ने मुश्किल वैयक्तिक चुनौतियों का सामना किया है और हम में से अनेक ने अपने प्रियजनों को खोया। मेरी संवेदना प्रत्येक के लिए है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं परिवार के सदस्यों के दुख और दर्द को महूसस करता हूं क्योंकि एनएचपीसी परिवार ने भी अपने अनेक अति उत्तम सदस्यों को खोया है।

यह कठिन अवधि समाप्त नहीं हुई है लेकिन मुझे आशा है कि महामारी का प्रभाव निकट भविष्य में क्रमिक रूप से कम होगा क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप टीका लगवाएं, अन्य लोगों को प्रेरित करें तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए सतर्क रहें। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही अनुशासन, ध्यान और धैर्य के साथ इस महामारी पर विजय पाएंगे। हम अपने बहुत ही प्रतिभावान दल के साथ अपने हितधारकों के लिए अधिक मूल्य सृजित करने के लिए इस परिवर्तन को अपना रहे हैं। हम राजकोषीय वर्ष 2021 को एक बदलाव के रूप में देखते हैं – हम अब संकट से नहीं गुजर रहे हैं – हम एक नई वास्तविकता का सामना कर रहे हैं और हम तैयार हैं।

महामारी से लड़ना

चूंकि महामारी का प्रकोप पूरे वर्ष रहा, अतः हमारा ध्यान उत्सुकता से इस पर केन्द्रित है कि हम एक कंपनी के रूप में समाज की बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं इस प्रतिक्रिया से, जो हमारी कंपनी और हमारे हजारों कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से उपलब्धि हासिल की, उस पर मुझे गर्व है।

आपकी कंपनी ने देश भर में अपने विभिन्न पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में ऑक्सीजन सपोर्ट सुविधाओं और संबंधित सुविधाओं के साथ कोविड–केयर केन्द्रों की स्थापना की। अपने अस्पतालों/औषधालयों के द्वारा हमने अपने स्थानों के पास रह रही स्थानीय जनसंख्या को 24X7 ओपीडी सेवाएं उपलब्ध कराई है। आपकी कंपनी मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित आपूर्ति प्रचालन तंत्र को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर्स

की खरीद के लिए सहायता उपलब्ध कराने के अलावा विभिन्न सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए निधि भी प्रदान कर रही है।

टीकाकरण इस महामारी के विरुद्ध हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण कवच है और यह इसको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आपकी कंपनी ने टीकाकरण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया है और लगभग सभी पात्र कर्मचारियों ने टीका लगवा लिया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों में कार्यरत ठेकेदारों के सभी कर्मचारियों को टीका लगाने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

दृष्टिकोण और कार्य–निष्पादन

इस महामारी के परिणामस्वरूप वैश्विक आर्थिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, भारत का सकल घरेलू उत्पाद संकुचित होकर 7.3 प्रतिशत हो गया जो आजादी के बाद सबसे अधिक गंभीर संकुचन था। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और उपाय किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 9.5 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास का अनुमान लगाया है और मुझे आशा है कि भारत सरकार की पहल लक्षित विकास को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित बल देगी।

अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद और सभी कठिनाइयों के बीच, आपकी कंपनी ने दक्षतापूर्वक अपने पावर स्टेशनों को चलाकर राष्ट्र की सेवा करना जारी रखा। हमने मजबूत वित्तीय परिणामों के साथ अपने शेयरधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं पूरा करना जारी रखा है। मुझे सूचित करते हुए खुशी होती है कि आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आश्चर्यजनक परिणाम दिए हैं। आप इस बात की सराहना करेंगे कि एनएचपीसी ने वर्ष–दर–वर्ष 7.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 3,233.37 करोड़ रुपए का उच्चतम कर पश्चात लाभ हासिल किया है। ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख प्रचालन क्षेत्र में, एनएचपीसी ने वर्ष के दौरान 24,471 मिलियन यूनिट (एमयू) का उत्पादन किया। विद्युत व्यापार और परामर्श के गौण प्रचालन क्षेत्र में, एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 218.60 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 505.2 मिलियन यूनिट का व्यापार किया है और 45.55 करोड़ रु. की परामर्शी सेवाएं दी है।

वित्तीय 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी की कुल आय 9,657.39 करोड़ रु. थी जो 2019–20 के आंकड़ों की तुलना में 1.17 प्रतिशत कम है, तथापि वित्तीय वर्ष 2018–19 की कुल आय की तुलना में यह 6.29 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी की कुल व्यापक आय वर्ष दर वर्ष 7.78 प्रंतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 3,240.57 करोड़ रु. थी। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी का प्रचालनों से राजस्व 8,506.58 करोड़ रु. था और यह 10,114 करोड़ रु. वसूल कर पाया जिसमें पिछले वर्षों की देय बकाया राशि शामिल है। यह किसी एक वित्तीय वर्ष में आपकी कंपनी द्वारा सबसे अधिक वसूली है।

अर्जित लाभ और सतत् नकदी सृजन पर विचार करते हुए, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम सभा में आपके अनुमोदन के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 0.35 रु. प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल लाभांश 1.60 रु. प्रति शेयर है जिसमें मार्च, 2021 में भुगतान किया गया 1.25 रु. प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश शामिल है। अनुमोदन प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल लाभांश भुगतान 1,607.21 करोड़ रु. होगा जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कर पश्चात लाभ का 50 प्रतिशत होगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी का प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य–निष्पादन का ब्यौरा निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुबंधों में दिया गया है। यद्यपि, हम उससे खुश हैं जो हमने अभी तक हासिल किया है, फिर भी हम समझते हैं कि हमें अपनी कंपनी की संभाव्यता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए काफी आगे जाना है। तथापि हम महसूस करते हैं कि हम विश्व इतिहास में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण समय में भी सही मार्ग पर हैं, हम मजबूत होकर उभरे हैं। हम और अधिक टिकाऊ नींव और एक रोमांचक भविष्य के साथ राजकोषीय वर्ष 2021 में प्रवेश करते हैं।

आकांक्षाएं

महामारी की अवधि में समाज में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका ने लोगों को एक साथ लाने, कंपनियों और व्यक्तियों को अपने सपने पूरा करने में सक्षम बनाने और मुश्किल समयों में ताकत का एक स्रोत बनने के लिए इसकी संभाव्यता को विशेष रूप से दर्शाया है। स्वच्छ विद्युत की आवश्यकता पूरे विश्व में महसूस की जा रही है और यह आपकी कंपनी को विकास करने के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। जल विद्युत को नीति निर्माताओं के द्वारा अपार समर्थन मिल रहा है और इस क्षेत्र के बारे में सकारात्मक अनुभूति होती है। हम स्वच्छ और संधारणीय विद्युत के विकास के लिए प्रत्येक उपलब्ध अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। आपकी कंपनी दूरदृष्टि के साथ भविष्य के लिए तैयार होने और अपने प्रमुख व्यापार को मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रही है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की प्रमुख विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं:

क. जम्मू और कश्मीर संघ शासित राज्य क्षेत्र में चिनाब रिवर बेसिन में रतले जलविद्युत परियोजना (850 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए, 1 जून, 2021 को 'रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड' (एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू और काश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लि. (जेकेएसपीडीसीएल) की संयुक्त उद्यम कंपनी की क्रमशः 51:49 की इक्विटी भागीदारी) का निगमन।

ख. सिक्किम में रंगित–IV जलविद्युत परियोजना (120 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड का मार्च, 2021 में कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण।

ग. जम्मू और कश्मीर संघ शासित राज्य क्षेत्र में सवालकोट (1,856 मेगावाट), उड़ी–I (चरण–II) (240 मेगावाट), दुलहस्ती (चरण–II) (258 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाओं (एनएचपीसी द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए) और किरथई–II जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट) (अब एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए) के निष्पादन के लिए 3 जनवरी, 2021 को जेकेएसपीडीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना। ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हमारी कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगी तथा इसे आने वाले वर्षों के लिए विकसित करने की स्थिति में लाएंगी।

घ. बिहार के सुपौल जिले में डागमारा जलविद्युत परियोजना (130.1 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए 14 जून, 2021 को बिहार स्टेट हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएसएचपीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

ङ. हिमाचल प्रदेश में पार्बती–II जलविद्युत परियोजना (800 मेगावाट) और असम/अरूणाचल प्रदेश में सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) में क्रमशः मार्च, 2023 और अगस्त, 2023 तक इन परियोजनाओं को शुरु करने के लिए निर्माण क्रियाकलापों पर बल देना।

एनएचपीसी अपनी सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ वर्तमान में 5,894 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता के साथ 7 जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगा हुआ है। इन जलविद्युत परियोजनाओं में से, 2,800 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता के साथ पार्बती–II और सुबनसिरी लोअर का कार्यान्वयन एकल आधार पर किया जा रहा है और शेष परियोजनाओं का कार्यान्वयन सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है।

आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा भूदृश्य में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए आक्रामक रूप से आगे बढ़ रही है। हमने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए 8 जनवरी, 2021 को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क (यूएमआरईपीपी) योजना के अंतर्गत आपकी कंपनी ने ओडिशा (500 मेगावाट), राजस्थान (600 मेगावाट) और केरल (50 मेगावाट) राज्यों में 1,150 मेगावाट की समग्र क्षमता की सौर परियोजनाओं के लिए विकास प्रक्रिया शुरू की है। एनएचपीसी एमएनआरई की यूएमआरईपीपी योजना के अंतर्गत विभिन्न अन्य राज्यों में सोलर पार्कों के विकास के लिए संभावनाएं भी तलाश रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयास शीघ्र ही फल देंगे और एनएचपीसी की स्वच्छ ऊर्जा पोर्ट–फोलियो में वृद्धि करेगा।

हमारी निरंतर सफलता का आधार हमारे लोग हैं। वे लोग हैं जो परियोजनाओं का निर्माण करते हैं, निर्णय लेते हैं, जोखिम का प्रबंधन करते हैं और नई खोज को आगे बढ़ाते हैं। आपके प्रबंधन का यह मत है कि लोगों, जो पेशेवर उत्कृष्टता के लिए अपने आप को समर्पित करते समय व्यक्तिगत रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में कार्य कर सकते हैं, का एक बड़ा दल होना यह सुनिश्चित करता है कि हमारी प्रगति अब हो रही है और भविष्य में होगी। हम प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने दल की क्षमता निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

सामाजिक दायित्व और अभिशासन

हम समझते हैं कि अपने समुदाय का बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना योगदान करना नैतिक तथा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा, दोनों है, जो अपने समुदायों में सकारात्मक अंतर लाने में विश्वास करता है। हमारा विश्वास है कि समाज के प्रति जिम्मेदार होना दायित्व नहीं है बल्कि समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। आपकी कंपनी ने समग्र रूप से समाज पर विशेष रूप से अपने प्रचालन स्थानों के पास समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सीएसआर पहलें करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, विभिन्न सीएसआर क्रियाकलाप जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरण एवं महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्र में किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर और एसडी क्रियाकलापों पर व्यय 79.63 करोड़ रु. था जिसमें पीएम केयर्स फंड में 15 करोड़ रु. का अंशदान शामिल है।

आपका प्रबंधन कारपोरेट अभिशासन मापदंडों और कार्य–पद्धतियों का पालन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महत्व और आवश्यकता को मान्यता देता है और तद्नुसार कंपनी के सभी प्रचालन और प्रक्रियाएं की जाती हैं। आपकी कंपनी सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सीपीएसई के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करती है, ये अनुपालन कंपनी की परिधि में आता है। वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी के ''कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा निर्देशों'' के अनुपालन को डीपीई द्वारा निर्धारित 'कारपोरेट अभिशासन ग्रेडिंग प्रणाली' के अनुसार 'उत्कृष्ट' के रूप में माना गया है।

पुरस्कार और सम्मान

आपकी कंपनी के प्रयासों को विभिन्न मंचों पर पुरस्कार और प्रशंसा के रूप में पहचान मिली थी। कंपनी ने वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं:

1. आईसीएआई द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की श्रेणी में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण के लिए 2019–20 के लिए वित्तीय संसूचन में उत्कृष्टता हेतु प्रतिष्ठित 'सिल्वर शील्ड' पुरस्कार;
2. प्रकाशमय 13वीं इनर्शिया अवार्ड 2020 में जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 'उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम' अवार्ड;
3. कोविड महामारी–19 के दौरान एनएचपीसी द्वारा सीएसआर पहल और सीएसआर में सर्वश्रेष्ठ कार्य–पद्धतियों की पहचान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सीएसआर अवार्ड; और
4. वर्ष 2019–20 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत तीन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार।

भावी अभिज्ञता

भारत को स्वच्छ ऊर्जा में 90 बिलियन यूएस डॉलर के महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए जी–20 देशों की सूची में छठा स्थान दिया गया है और यह जी–20 देशों में एकमात्र देश है जो पेरिस करार के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुमानों के अनुसार, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के हिस्से में 2029–30 तक 18 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। बढ़ते हुए विद्युतीकरण और प्रति व्यक्ति उपयोग के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या से विद्युत खपत के लिए अत्यधिक बल देने की संभावना है। विद्युत खपत 2022 में 1,894.7 टीडब्ल्यूएच पहुंचने का अनुमान है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी), 2021 जारी की है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में सभी घरों को विद्युत उपलब्ध कराना और उचित दरों पर दक्षतापूर्ण तरीके से निर्दिष्ट मापदंडों की विश्वसनीय और गुणवत्ता पूर्ण विद्युत की आपूर्ति करना है। एनईपी ने अन्य बातों के साथ–साथ प्रारूप नीति विवरण में प्रमुख केन्द्रित क्षेत्रों के रूप में विद्युत की गुणवत्ता, माइक्रो ग्रिड, पंप हाइड्रो स्टोरेज, रीयल टाइम पावर बाजारों की शुरुआत की है। अंतिम रूप दिए जाने पर, एनईपी देश के विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़े कदम के रूप में साबित हो सकती है।

पहलों, नीतिगत फैसलों और कारकों जैसे जनसंख्या में वृद्धि के साथ विद्युत की बढ़ी हुई खपत, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, विद्युतीकरण के लिए योजनाओं (डीडीयूजीजेवाई), पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए योजनाएं (आईपीडीएस), डिस्कॉमों के वित्तीय और प्रचालन संबंधी सर्वांगीण सुधार के लिए योजना (उदय), ऊर्जा क्षेत्र में पूंजी व्यय के बढ़े हुए कैपेक्स निवेश आदि का मिश्रण देश के विद्युत क्षेत्र के भविष्य को उज्ज्वल और संतोषजनक बनाएगा। हमारा विश्वास है कि एनएचपीसी आने वाले समय के दौरान विद्युत क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने में एक अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा।

समाप्त करने से पूर्व, मैं अपने बोर्ड के सदस्यों की उनके मार्गदर्शन के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा। मैं अपने सभी हितधारकों, व्यवसाय भागीदारों, ग्राहकों, सीईआरसी, राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर विद्युत मंत्रालय को हमारे प्रयासों में दृढ़ विश्वास और समर्थन करने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। मैं एनएचपीसी के समग्र परिवार को हमारे देश के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उनके अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं सभी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और अन्य लोगों जो इस महामारी पर हमारी विजय सुनिश्चित करने के लिए अथक रूप से कार्य करते रहे हैं, के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हम इस महामारी पर विजय पाएंगे और बेहतर भविष्य के लिए अधिक उमंग और उत्साह से आगे बढ़ेंगे।

अंत में, एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड की ओर से मैं आपको अत्यधिक विश्वास, समर्थन और अत्मविश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ।

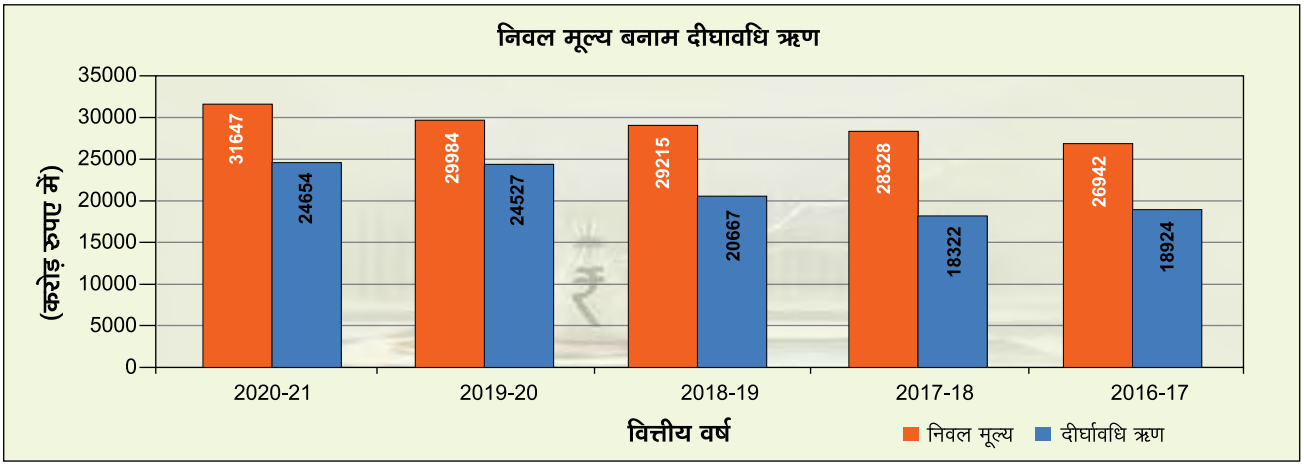
जय हिंद।

सादर,

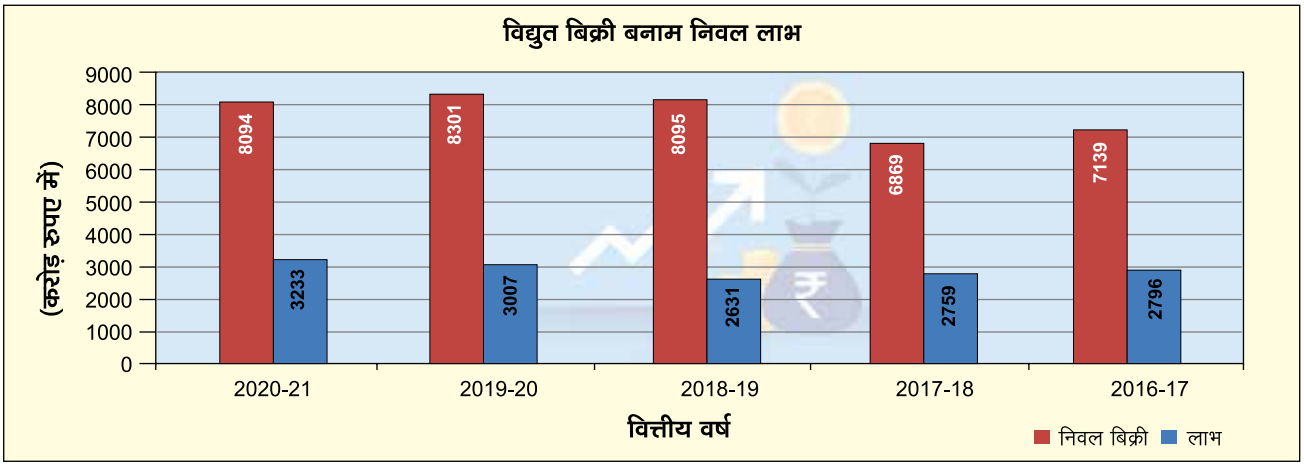
(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

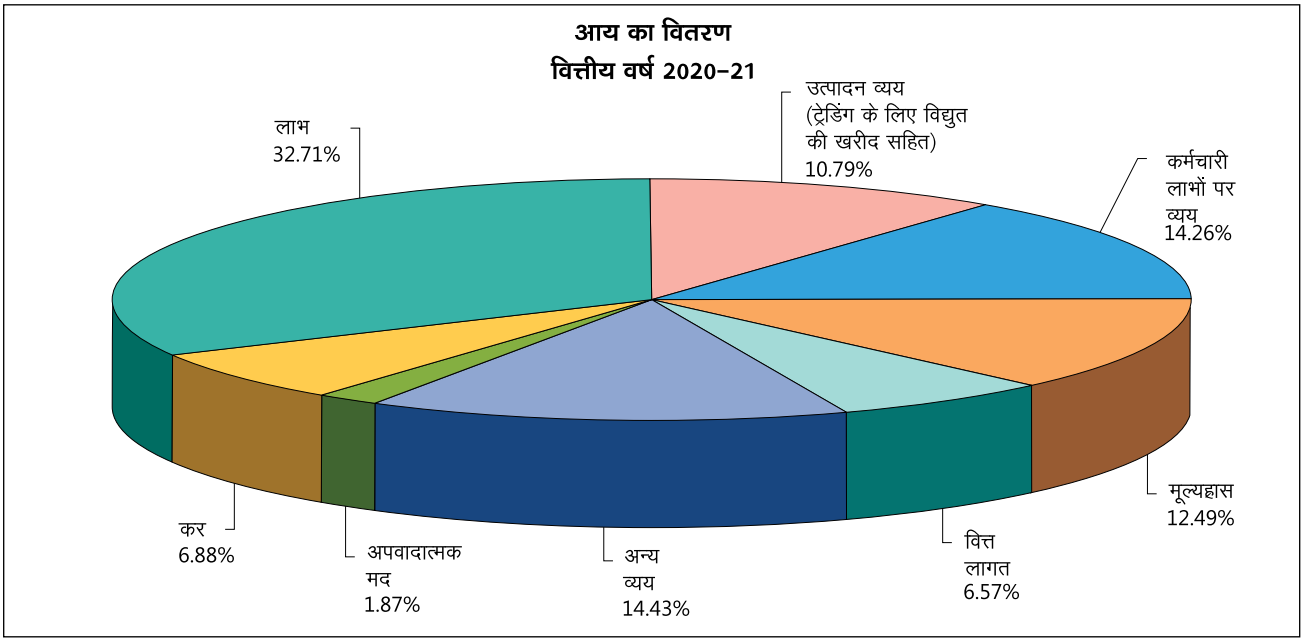
दिनांकः 27 अगस्त, 2021
स्थानः फरीदाबाद

एनएचपीसी का कार्य-निष्पादन



दीर्घावधिक उधारों में उनकी वर्तमान परिपक्वताएं, उनकी वर्तमान परिपक्वताओं सहित पट्टे की बाध्यताएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय राशि शामिल हैं।





निदेशकों का प्रोफाइल



श्री अभय कुमार सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन:08646003

अभय कुमार सिंह (59 वर्ष) एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे एनएचडीसी लिमिटेड और लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्टिक कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं।

श्री अभय कुमार सिंह रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर (अब एनआईटी) से 1983 बैच के सिविल इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा उन्हें जल–विज्ञान क्षेत्र में 36 वर्ष का व्यापक अनुभव है। श्री सिंह ने 1985 में एनएचपीसी में परिवीक्षा कार्यपालक के रूप में अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत की। सफलता पाने के जुनून और अपेक्षित प्रतिभा रखने के कारण, श्री सिंह ने लगातार वरिष्ठ पद प्राप्त किए और इस अवधि के दौरान वे कई सफल परियोजनाओं से जुड़े रहे जिन्होंने देश में प्रमुख जलविद्युत विकासकर्ता के रूप में एनएचपीसी के दर्जे को विशिष्ट रूप से दर्शाया। उन्होंने टनकपुर, धौलीगंगा, तीस्ता लो डैम स्टेज–IV, पार्बती–II, पार्बती–III और किशनगंगा जैसी परियोजनाओं के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख के रूप में, उन्होंने सौर और पवन क्षेत्रों में विविधीकरण लाने के प्रयासों में एनएचपीसी के प्रयासों को गति दी।

एनएचपीसी के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान, श्री सिंह ने उल्लेखनीय योगदान देते हुए संगठन की सेवा की है। श्री सिंह जल–विद्युत विकास के सभी पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने परियोजना निर्माण के अपने विशेषज्ञता क्षेत्र के अलावा अनेक अन्य समकक्ष क्षेत्रों में भी कार्य किया है जैसे परियोजना निगरानी और आयोजना, व्यवसाय विकास आदि। उन्होंने हमेशा संगठन की परियोजना निष्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर दिया है।

एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालने के समय से, श्री सिंह ने एनएचपीसी के व्यापार पोर्ट–फोलियो को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया है। 3414 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ नई जलविद्युत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए डिस्कॉम के साथ बहुत अधिक अनुसरण पर भी बल दिया है, जिसके फलस्वरूप उच्चतम वार्षिक राजस्व वसूली हुई है।

श्री अभय कुमार सिंह ने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा टीम के दृष्टिकोण और मजबूत टीमों के विकास पर जोर दिया है। वे सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्था में अपनाने और अभिनव पहल के कार्यान्वयन में दृढ़ विश्वास रखते हैं। श्री सिंह के पास तकनीकी और लोक प्रबंधन कौशल का एक उत्कृष्ट मिश्रण है तथा वे त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने के लिए कर्मचारियों को सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं।

श्री सिंह जल विद्युत विकास और इन परियोजनाओं द्वारा परियोजना क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभाने के प्रति बेहद गंभीर है।



श्री निखिल कुमार जैन

निदेशक (कार्मिक)

डीआईएन: 05332456

श्री निखिल कुमार जैन (59 वर्ष) आईआईटी रुड़की से औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री धारक हैं।

एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री जैन एअर इंडिया लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत थे। श्री जैन का सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में लगभग तीन दशक से अधिक का व्यापक तथा प्रचुर अनुभव है। उन्होंने भारतीय रेलवे में वर्ष 1988 में भारतीय रेल कार्मिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने रेलवे में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है तथा वह रेल मंत्रालय में कार्यपालक निदेशक (संयुक्त सचिव) के पद पर भी रहे हैं।

श्री निखिल कुमार जैन ने 7 फरवरी, 2017 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।



श्री यमुना कुमार चौबे

निदेशक (तकनीकी)

डीआईएनः 08492346

श्री यमुना कुमार चौबे (58 वर्ष) आईआईटी, खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और एनएचपीसी लिमिटेड में परिवीक्षा कार्यपालक (सिविल) के रूप में 540 मेगावाट के चमेरा हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वर्तमान में चमेरा–I पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए और तब से लेकर अब तक वे अपने कैरियर में निरंतर आगे बढ़ते रहे तथा आज वर्तमान स्तर पर पहुंच गए हैं।

एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक मंडल (तकनीकी) के रूप में शामिल होने से पूर्व श्री चौबे 1 अप्रैल, 2020 से एनएचपीसी लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक थे तथा वे कारपोरेट कार्यालय के सिविल संविदा विभाग और ई एंड एम संविदा विभाग के प्रभारी थे। वह 25 जून, 2019 से बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के बोर्ड में भी नामिती निदेशक के रूप में हैं।

एनएचपीसी के विभिन्न विभागों जैसे संविदा, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं में 34 से अधिक वर्षों तक कार्य करते हुए उनके पास जल–विद्युत के विकास के सभी पहलुओं में अवधारणा से लेकर स्थापना तक का अगाध अनुभव है और उन्होंने एनएचपीसी लिमिटेड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, वे कार्यपालक निदेशक (संविदा) के पद पर थे। वह प्रमुख संविदाओं अर्थात सिविल, हाइड्रो–मैकेनिकल, इलेक्ट्रो–मैकेनिकल, सोलर आदि को अंतिम रूप देने और उनका कार्य प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे जिसमें कार्य प्रदान किए जाने के पूर्व और बाद के चरणों से संबंधित संविदात्मक मुद्दों का निपटान भी शामिल था।

उनके कैरियर के 25 से अधिक वर्ष डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग में कार्य करते हुए बीते हैं जहां उन्होंने पीएफआर/एफआर/डीपीआर के लिए आयोजना एवं लेआउट इंजीनियरिंग और हाइड्रो–इलैक्ट्रिक/रिवर वैली परियोजनाओं के निर्माण के लेआउट इंजीनियरिंग में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें अनेक प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की डिजाइनिंग और आयोजना का श्रेय प्राप्त है, जैसे 540 मेगावाट की चमेरा–I परियोजना, हिमाचल प्रदेश, 60 मेगावाट की कुरिचू परियोजना, भूटान, 231 मेगावाट की चमेरा–III परियोजना, हिमाचल प्रदेश, 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर परियोजना, अरूणाचल प्रदेश, 2880 मेगावाट की दिबांग बहु–उद्देश्यीय परियोजना, अरूणाचल प्रदेश।

उन्होंने एनएचपीसी की दो प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निर्माण में भी अपनी सेवाएं दी हैं अर्थात् 540 मेगावाट की चमेरा–I परियोजना, हिमाचल प्रदेश जिसे कनाडा के एसएनसी/एसीआरईएस के सहयोग से निष्पादित किया गया और 480 मेगावाट की उड़ी एचई परियोजना, जम्मू और कश्मीर जिसे उड़ी सिविल – स्वीडिश कंसोर्टियम द्वारा टर्नकी आधार पर निष्पादित किया गया।

उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में वर्ष 2014 में बीजिंग, चीन में आयोजित तीसरी चीन–भारत रणनीति आर्थिक वार्ता के लिए नामित कार्य–दल के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में भी अपना योगदान दिया। पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के अनुरोध पर, उन्होंने 2017 में कॉफर बांध की वैकल्पिक व्यवस्था वाली पोलावरम बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए एनएचपीसी विशेषज्ञ दल का नेतृत्व किया।

वह वर्ष 1993 में प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के तहत स्टॉकहोम, स्वीडन गए। उन्होंने सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित आईसीओएलडी–2004 और जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीओएलडी–2016 में भाग लिया।



श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल

निदेशक (वित्त)

डीआईएनः 08645380

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल (56 वर्ष) ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 को एनएचपीसी लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री गोयल ने दिनांक 18 नवंबर, 1988 को वरिष्ठ लेखाकार के रूप में एनएचपीसी में अपनी सेवा की शुरुआत की। उन्होंने आरंभ में सलाल परियोजना में कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद विभिन्न पदों पर चमेरा–I परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू और कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में कार्य किया। श्री गोयल सेवाएं विभाग, कारपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू में वित्त प्रमुख रहे थे।

निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य–भार ग्रहण करने से पूर्व वे मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्य कर रहे थे और कारपोरेट लेखा एवं नीति, कराधान, बैंकिंग, स्थापना और निवेशक संबंध अनुभाग के प्रमुख थे।

श्री गोयल लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. (एलडीएचसीएल), चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड (सीवीपीपीएल), रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनिया) के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। श्री गोयल स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप), नई दिल्ली के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में भी चुने गए हैं।

श्री गोयल को नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनपीटीआई), फरीदाबाद के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

श्री गोयल भारतीय लागत लेखा संस्थान के एक एसोसिएट्स सदस्य हैं और इनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से वाणिज्य में परा–स्नातक की डिग्री भी है। श्री गोयल को निर्माण तथा हाइड्रो परियोजनाओं के प्रचालनों में निहित वित्तीय, संविदागत और विनियामक मुद्दों की गहरी समझ और विस्तृत ज्ञान के साथ वित्त के मुख्य क्षेत्रों में एनएचपीसी लिमिटेड में 32 वर्षों से अधिक का विशाल अनुभव है। उनके नेतृत्व गुणों, अवधारणात्मक स्पष्टता और पेशेवर तरीके से कार्य करने की क्षमता उत्कृष्ट है।

एनएचपीसी में अपनी सेवा के दौरान, श्री गोयल ने कंपनी में जिम्मेदारी, नैतिकता और समर्पण की अत्यधिक भावना के बल पर पेशेगत सोपान तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने आप को एक उत्कृष्ट पेशेवर के रूप में साबित किया है और एनएचपीसी के निरंतर विकास में अपना स्थान बनाया है।



श्री बिश्वजीत बासु

निदेशक (परियोजनाएं)

डीआईएनः 09003080

श्री बिश्वजीत बासु (57 वर्ष) ने दिनांक 1 जनवरी, 2020 को एनएचपीसी के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने वर्ष 1986 में वैद्युत अभियांत्रिकी में त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज (अब एनआईटी अगरतला) से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इन्हें जलविद्युत के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है।

श्री बिश्वजीत बासु, 1987 से एनएचपीसी लिमिटेड से जुड़े हुए हैं और ये धीरे–धीरे जिम्मेदारी, नैतिकता और समर्पण की अत्यधिक भावना के साथ वर्तमान पद के पेशेगत सोपान तक पहुंचे हैं। निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में अपने वर्तमान कार्य भार में, श्री बासु एनएचपीसी की सभी परियेाजनाओं, जो निर्माणाधीन हैं और निर्माण के पूर्व के चरणों में है, के प्रभारी हैं। इसमें हाइड्रो तथा नवीकरणीय परियोजनाएं शामिल हैं। कारपोरेट कार्यालय के मुख्य कार्य अर्थात परियोजना मॉनिटरिंग एवं समर्थन समूह (पीएमएसजी), आईटीएंडसी, निर्माण उपकरण योजना (सीईपी), मध्यस्थता, नवीकरणीय ऊर्जा और सीएसआर भी उनके कार्य–क्षेत्र में आते हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, श्री बासु ने एनएचपीसी में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और निर्माण तथा ओएंडएम चरण के दौरान एनएचपीसी की अधिकांश परियोजनाओं में योगदान किया है। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं चुटक पावर स्टेशन, लोकतक पावर स्टेशन, दिबांग बहु–उद्देशीय परियोजना और धौलीगंगा पावर स्टेशन के परियोजना प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) के सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। टीएलडीपी–III पावर स्टेशन को चालू किए जाने के दौरान, वे चालू करने वाले दल के प्रभारी थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

श्री बासु एक उत्साही खिलाड़ी हैं और वे अखिल भारतीय विद्युत क्षेत्र फुटबाल टूर्नामेंट में लोकतक पावर स्टेशन में अपने कार्यकाल (1988–1994) के दौरान एनएचपीसी फुटबाल टीम के कप्तान थे।

वर्तमान में श्री बासु लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) और जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बोर्ड में नामिती निदेशक – अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही वे बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीएनईडीए के साथ एनएचपीसी संयुक्त उद्यम कंपनी) के बोर्ड में नामिती निदेशक हैं।



श्री तन्मय कुमार,

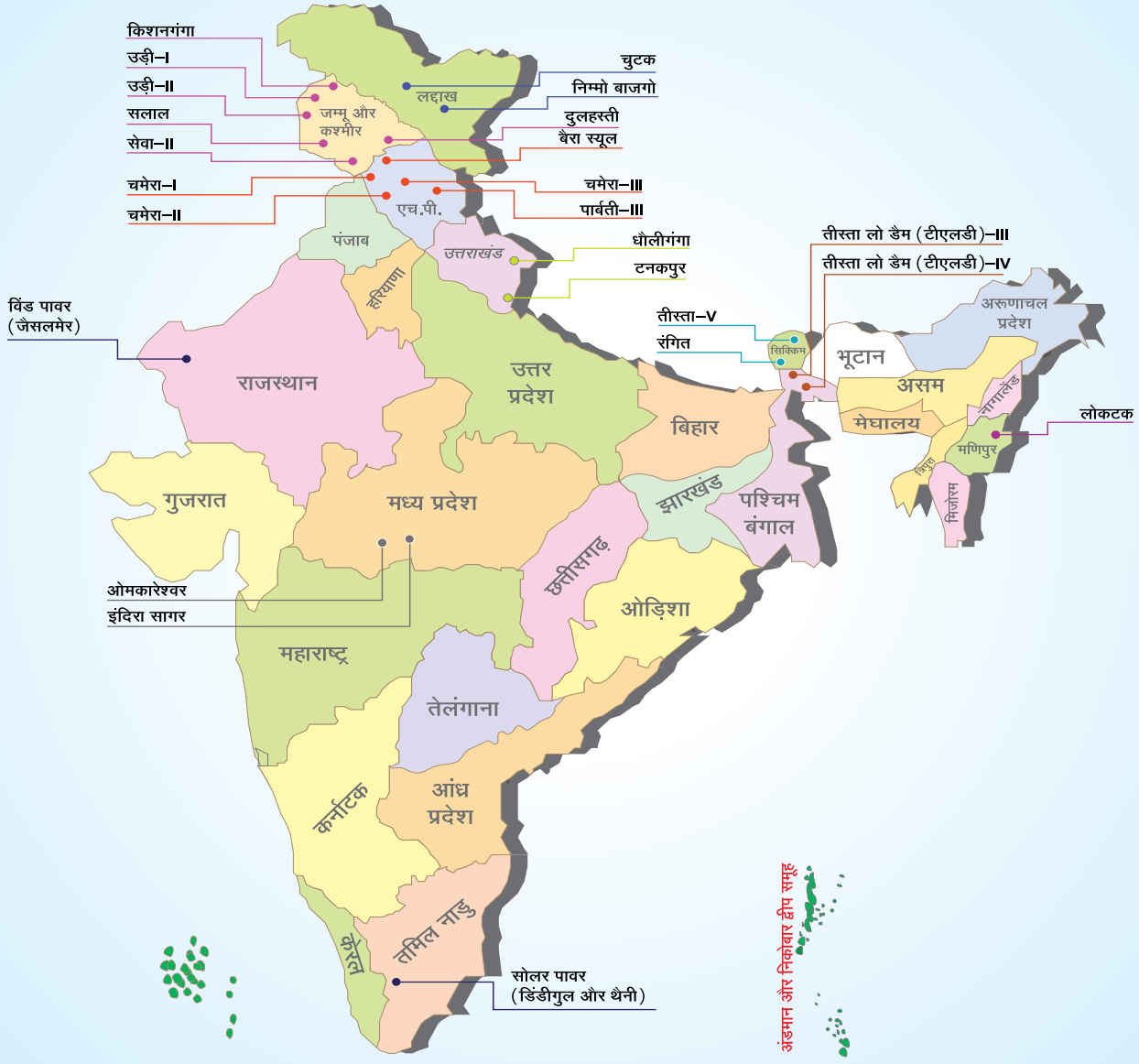
सरकारी नामिती निदेशक

डीआईएनः 02574098

श्री तन्मय कुमार (54 वर्ष), आईएएस, 1993 (राजस्थान) बैच आईआईटी, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक हैं और आईआईटी, दिल्ली से सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में एम.टेक हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और वितरण, हाइड्रो और प्रशासन का कार्य देख रहे हैं। उन्होंने लगभग 27 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 6 से अधिक वर्षों तक भरतपुर, अलवर और कोटा के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वप्रथम 3 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री के उप सचिव, विशेष सचिव और सचिव के रूप में तथा बाद में 5 वर्षों (2013–2018) के लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में राजस्थान सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। सार्वजनिक सेवा में अपने लंबे केरियर के दौरान, उन्होंने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया है तथा वे अपने कार्य के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। वह प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने और मौजूदा प्रणाली में निरंतर सुधार/नवाचार किए जाते रहने के साथ–साथ व्यापार प्रक्रिया की रीइंजीनियरिंग/सरकारी प्रक्रिया की रीइंजीनियरिंग में विश्वास रखते हैं। उन्होंने 5 वर्षों के लिए राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम (आरआरईसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उनके पास राजस्थान के मुंख्यमंत्री, जो ऊर्जा मंत्री भी रहे थे, के साथ कार्य करते हुए विद्युत क्षेत्र का व्यापक और विविध अनुभव है।

उन्हें बोर्ड में 11 जून, 2020 से सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

एनएचपीसी के पावर स्टेशन



राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
जम्मू व कश्मीर	सलाल	690	1987/1995
	उड़ी–I	480	1997–98
	दुलहस्ती	390	2007–08
	सेवा–II	120	2010–11
	उड़ी–II	240	2013–14
	किशनगंगा	330	2017–18
लद्दाख	निम्मो बाजगो	45	2013–14
	चुटक	44	2013–14
हिमाचल प्रदेश	बैरा स्यूल	180	1981–82
	चमेरा–I	540	1994–95
	चेमरा–II	300	2004–05
	चमेरा–III	231	2012–13
	पार्बती–III	520	2014–15

राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
उत्तराखंड	टनकपुर	94.2	1992–93
	धौलीगंगा	280	2005–06
सिक्किम	रंगित	60	1999–2000
	तीस्ता–V	510	2008–09
पश्चिम बंगाल	टीएलडी–III	132	2013–14
	टीएलडी–IV	160	2015–16
मणिपुर	लोकतक	105	1983–84
कुल हाइड्रो (एकल)		**5451.2**	
मध्य प्रदेश	इंदिरा सागर	1000	2005–06
	ओंकारेश्वर	520	2007–08
कुल हाइड्रो (सहायक कंपनियों सहित)		**6971.2**	
राजस्थान	पवन विद्युत	50	2016–17
तमिलनाडु	सौर विद्युत	50	2017–18
कुल योग		**7071.2**	

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक बोर्ड लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी, उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय विवरणी की समीक्षा के साथ–साथ आपकी कंपनी के विकास और प्रगति को विशेष रूप से दर्शाते हुए 45वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

पिछले रिपोर्ट से आपकी कंपनी की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- एनएचपीसी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3,007.17 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में एकल आधार पर 3,233.37 करोड़ रुपए का उच्चतम निवल लाभ (कर पश्चात) अर्जित किया है। समेकित निवल लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में 3,344.91 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3,582.13 करोड़ रुपए हो गया।
- प्रचालन से कुल आय और राजस्व वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान क्रमशः 9,657.39 करोड़ रुपए और 8,506.58 करोड़ रुपए (निवल) था। कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय क्रमशः 3,240.57 करोड़ रुपए और 7.20 करोड़ रुपए थी।
- एनएचपीसी पावर स्टेशनों ने चालू कोविड–19 महामारी के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 24,471 मिलियन यूनिट (एमयू) के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया।
- 1,118.90 करोड़ रुपए का नकद अंशदान वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लाभांश के द्वारा भारत सरकार के राजकोष में किया गया था।
- एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू व कश्मीर स्टेट पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड को जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में चिनाब रिवर बेसिन में रतले जलविद्युत परियोजना (850 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 51:49 की इक्विटी साझेदारी के साथ 1 जून, 2021 को निगमित किया गया है।
- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती एनएचपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी (49 प्रतिशत), जेकेएसपीडीसीएल (49 प्रतिशत) और पीटीसी (2 प्रतिशत) जून, 2021 में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा सीवीपीपीपीएल में पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) की 2 प्रतिशत इक्विटी का अधिग्रहण करने के फलस्वरूप एनएचपीसी की सहायक कंपनी बन गई है।
- जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के द्वारा एनएचपीसी द्वारा इसका अधिग्रहण किए जाने के फलस्वरूप 31 मार्च, 2021 को एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हो गई है। एनएचपीसी ने अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में प्रतिफल राशि के रूप में जेपीसीएल ने 165 करोड़ रुपए का इक्विटी डाला है। जेपीसीएल सिक्किम में रंगित–IV जलविद्युत परियोजना (120 मेगावाट) का कार्यान्वयन कर रहा है।
- एनएचपीसी ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र में सावलकोट (1856 मेगावाट), उड़ी–1 (चरण–II) (240 मेगावाट), दुलहस्ती (चरण–II) (258 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाओं (एनएचपीसी द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली) और किरथाई–II एच.ई. परियोजना (930 मेगावाट) (सीवीपीपीपीएल द्वारा कार्यान्वित की जानी है) के निष्पादन के लिए 3 जनवरी, 2021 को जेकेएसपीडीसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एनएचपीसी ने बिहार के सुपौल जिले में डगमारा जलविद्युत परियोजना (130.1 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए 14 जून, 2021 को बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएसएचपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एनएचपीसी ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा में एनएचपीसी के पदचिह्न को बढ़ाने के उद्देश्य से 8 जनवरी, 2021 को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

1. वित्तीय कार्य-निष्पादन

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय विशिष्टताएं तालिका–1 में दी गई हैं।

तालिका–1: वित्तीय विशिष्टताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2020–21	2019–20
प्रचालनों से राजस्व	8,506.58	8,735.15
मूल्यह्रास, ब्याज, अपवादात्मक मदें, दर विनियमित आय और कर–पूर्व लाभ	5,755.50	5,605.32
मूल्यह्रास	1,234.50	1,545.34
मूल्यह्रास पश्चात लेकिन अपवादात्मक मदें, दर विनियमित आय, ब्याज और कर पूर्व लाभ	4,521.00	4,059.98
ब्याज एवं वित्त प्रभार	649.59	795.42
मूल्यह्रास और ब्याज पश्चात परन्तु अपवादात्मक मदों, दर विनियमित आय और कर पूर्व लाभ	3,871.41	3,264.56
अपवादात्मक मदें	(185.00)	0.00

दर विनियमित आय	227.09	343.61
कर	680.13	601.00
मूल्यह्रास, ब्याज, अपवादात्मक मदों, दर विनियमित आय और कर पश्चात लाभ	**3,233.37**	**3,007.17**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	7.20	(0.62)
कुल व्यापक आय (टीसीआई)	**3,240.57**	**3,006.55**
पूर्ववर्ती वर्षों के लाभ एवं हानि लेखे के विवरण से अधिशेष (अन्य व्यापक आय सहित)	6,009.97	4,995.92
बांड विमोचन आरक्षित से अंतरण	306.43	244.97
उप जोड़	**9,556.97**	**8,247.44**
घटाएं: विनियोजन		
लाभांश और कारपोरेट लाभांश कर (सीडीटी)	1,577.07	2,237.47
अन्य व्यापक आय सहित प्रतिधारित अर्जन का अंतिम शेष	**7,979.90**	**6,009.97**

1.1 राजस्व

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 9,657.39 करोड़ रुपए की कुल आय प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कुल आय 9,771.59 करोड़ रुपए थी.

1.2 व्यय

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल व्यय पिछले वित्तीय वर्ष में 6,507.03 करोड़ रुपए की तुलना में घटकर 5,785.98 करोड़ रुपए हो गया था।

1.3 कुल व्यापक आय

आपकी कंपनी की कुल व्यापक आय पिछले वित्तीय वर्ष में 3,006. 55 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 3,240.57 करोड़ रुपए हो गई थी।

1.4 निवल मूल्य

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की निवल पूंजी पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 29983.81 करोड़ रुपए की तुलना में 31,647.31 करोड़ रुपए थी।

1.5 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 10,045.03 करोड़ रुपए थी जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अपरिवर्तित रही।

2. लाभांश

आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रैक रिकार्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 0.35 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसकी राशि 351.58 करोड़ रूपये होती है। उपर्युक्त लाभांश मार्च, 2021 में अदा किए गए 1,255.63 करोड़ रुपए कर राशि का 1.25 रूपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल लाभांश 1,607. 21 करोड़ रुपए का राशि का 1.60 रूपये प्रति इक्विटी शेयर होता है। आपकी कंपनी की एक लाभांश वितरण नीति है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार, व्यापक रुप से लाभांश का भुगतान कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत अथवा निवल पूंजी का 5 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधि क हो, होगा। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल लाभांश भुगतान (कंपनी के सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश का अनुमोदन दिए जाने के अध्यधीन) 1.60 रूपये प्रति शेयर की दर से 1,607.21 करोड़ रूपये होगा जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कर पश्चात लाभ का 50 प्रतिशत और 31 मार्च, 2021 को निवल पूंजी का 5.08 प्रतिशत होगा और यह वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कर पश्चात लाभ 50 प्रतिशत और पिछले वर्ष में 31 मार्च, 2020 को निवल पूंजी का 5.03 प्रतिशत को दर्शाता है।

3. प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 26,121 एमयू के उत्पादन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 24,471 एमयू विद्युत का उत्पादन किया है। आपके निदेशकों को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि एनएचपीसी पावर स्टेशनों ने उल्लेखनीय निष्पादन किया है और कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान भी प्रचालन करता रहा। सभी एनएचपीसी पावर स्टेशन केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड–19 दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचालित किये गए थे। चुटक पावर स्टेशन एनएचपीसी का पहला पावर स्टेशन बन गया जिसका प्रमाणन 30 मार्च, 2021 को यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के अंतर्गत किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी के दस पावर स्टेशनों अर्थात लोकतक, सलाल, टनकपुर, चमेरा–I, उड़ी, दुलहस्ती, धौलीगंगा, तीस्ता–V, उड़ी–II और टीएलडीपी–IV ने अपनी अलग–अलग वार्षिक डिजाइन ऊर्जा प्राप्त की है। आपकी कंपनी के पावर स्टेशनों ने पिछले वित्तीय वर्ष में 84.04: की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 84.87 प्रतिशत समग्र संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) प्राप्त किया है। छह पावर स्टेशनों अर्थात दुलहस्ती, तीस्ता–V, चमेरा–ण्प्, टीएलडीपी–IV, उड़ी–II और किशनगंगा ने उच्चतम संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त किया है। पावर स्टेशन–वार उत्पादन और पीएएफ **तालिका 2** में दिए गए हैं।

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पावर स्टेशन वार उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ)

विद्युत स्टेशन का नाम	उत्पादन लक्ष्य*(एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	वास्तविक पीएएफ (%)
लोकतक (105 मेगावाट)	532	622	90.52
चमेरा–I (540 मेगावाट)	2471	2265	97.37
रंगित (60 मेगावाट)	326	289	86.73
चमेरा–II[1] (300 मेगावाट)	1391	685	59.11
धौलीगंगा (280 मेगावाट)	1110	1153	96.05
दुलहस्ती (390 मेगावाट)	2238	2330	101.44
तीस्ता–V (510 मेगावाट)	2662	2830	99.33
सेवा–II[1] (120 मेगावाट)	534	376	53.39
चमेरा–III (231 मेगावाट)	1075	996	97.40
टीएलडीपी–III (132 मेगावाट)	562	541	93.14
टीएलडीपी–IV (160 मेगावाट)	691	719	94.46
बैरास्यूल (180 मेगावाट)	437	458	52.74
सलाल (690 मेगावाट)	3654	3632	94.04
टनकपुर (94.2 मेगावाट)	461	473	73.90
उड़ी (480 मेगावाट)	2970	2986	91.29
चुटक (44 मेगावाट)	195	158	46.99
निम्मो बाजगो (45 मेगावाट)	218	218	72.70
उड़ी–II (240 मेगावाट)	1587	1626	100.71
पार्बती–III (520 मेगावाट)	721	617	56.08
किशनगंगा (330 मेगावाट)	1647	1111	61.72
पार्बती–II[2] (800 मेगावाट)	320	235	–
कुल (हाइड्रो)	**25802**	**24320**	**84.87**
पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर (50 मेगावाट)	100	61	–
सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु (50 मेगावाट)	98	90	–
कुल (एनएचपीसी)	**26000**	**24471**	**84.87**

* दर्शाए गए लक्ष्य भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार 'बहुत अच्छा' रेटिंग के लिए हैं।

टिप्पणी:

1. पीएएफ मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण कम है:
   (क) जेनरेटर में आग की घटना के कारण 7 अगस्त, 2019 से चमेरा–II पावर स्टेशन की यूनिट–I और II का लम्बा आउटेज। यूनिट–I और II क्रमशः 19 अक्तूबर, 2020 और 6 नवंबर, 2020 को फिर से चालू किए गए; और
   (ख) हेड रेस टनल (एचआरटी) के क्षतिग्रस्त होने के कारण 25 सितंबर, 2020 से सेवा–II पावर स्टेशन को पूर्ण रूप से बंद करना।
2. दर्शाया गया वार्षिक उत्पादन अस्थिर विद्युत है।

आपकी कंपनी ने कुशल प्रचालन और ग्रिड फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के संबंध में समय पर प्रतिक्रिया करने के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 154 करोड़ रुपए (लगभग) का निवल विचलन शुल्क अर्जित किया है।

एनएचपीसी दो पावर स्टेशनों अर्थात बैरास्यूल पावर स्टेशन (180 मेगावाट) और लोकतक पावर स्टेशन (105 मेगावाट) के जीवनकाल विस्तार के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएमएलई) कर रहा है। बैरास्यूल पावर स्टेशन (3x60 मेगावाट) ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में अपने वाणिज्यिक प्रचालन के 35 वर्ष पूरे कर लिए। बैरास्यूल पावर स्टेशन की दो यूनिटों अर्थात यूनिट–I और II का आरएंडएमएलई पहले ही पूरा कर लिया गया था। यूनिट–III का आरएंडएमएलई 27 नवंबर, 2020 से प्रगति के अध्यधीन था और उसे भी अगस्त, 2021 में पूरा कर लिया गया है। लोकतक पावर स्टेशन (3x35 मेगावाट) ने वित्तीय

वर्ष 2018–19 में वाणिज्यिक प्रचालन के अपने 35 वर्ष पूरे कर लिए हैं। लोकटक पावर स्टेशन का आरएंडएमएलई 2021–2024 के दौरान निर्धारित है।

एनएचपीसी ने अपने दो पुराने पावर स्टेशनों अर्थात टनकपुर और रंगित में स्काडा प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इन पावर स्टेशनों को क्रमशः वर्ष 1993 और 2000 के दौरान चालू किया गया था।

4. वाणिज्यिक कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी का प्रचालन से राजस्व वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 8,507 करोड़ रुपए था। आपके निदेशक को यह सूचित करने में खुशी होती है कि एनएचपीसी वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 10,114 करोड़ रुपए की राशि वसूलने में सक्षम रही है जो आज की तिथि तक किसी एक वित्तीय वर्ष में उच्चतम वसूली है। एनएचपीसी ने कोविड–19 महामारी के बाद विद्युत मंत्रालय के निदेशों के अनुरूप लाभार्थी डिस्कॉमों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए लॉकडाउन की अवधि अर्थात 25 मार्च, 2020 से 17 मई, 2020 के दौरान बनाए गए बिलों पर लाभार्थी डिस्कॉमों को 185 करोड़ रुपए की एकबारगी छूट दी है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, मुख्य बिलों के निमित्त देय बकाया राशि (45 दिनों से अधिक से लंबित) 1,470 करोड़ रुपए थी जो मुख्य रूप से विद्युत विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर (1,117 करोड़ रुपए) और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (108 करोड़ रुपए) से संबंधित है। विलंबित भुगतान अधिभार के निमित्त कुल देय बकाया राशि 122 करोड़ रुपए है। आपकी कंपनी लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर देय बकाया राशि को चुकाने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है।

5. निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति

आपकी कंपनी अपनी सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ वर्तमान में सात जलविद्युत परियोजनाओं अर्थात् पार्बती–II (800 मेगावाट), सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावाट), तीस्ता–VI (500 मेगावाट), रंगित–IV (120 मेगावाट), रतले (850 मेगावाट), पाकल दुल (1000 मेगावाट) और किरू (624 मेगावाट) और दो सौर परियोजनाओं अर्थात गंजम (40 मेगावाट) और कालपी (65 मेगावाट) के निर्माण में 5,999 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ लगी हुई है।

उपर्युक्त में से, 2,800 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली दो जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात पार्बती–II और सुबनसिरी लोअर का कार्यान्वयन एनएचपीसी द्वारा एकल आधार पर किया जा रहा है और शेष परियोजनाओं को सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है। निर्माणाधीन सौर परियोजनाओं की स्थिति पैरा 8 'नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं' में दी गई है।

5.1 पार्बती–II एच. ई. परियोजना – 800 मेगावाट (4 x 200 मेगावाट), हिमाचल प्रदेशः

पार्बती–II जलविद्युत परियोजना का निर्माण आपकी कंपनी द्वारा पार्बती नदी के निचले किनारे के जल–क्षमता का दोहन करने के लिए रन ऑफ रिवर योजना के रूप में किया जा रहा है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इस परियोजना से अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 90ः विश्वसनीय वर्ष में 3,124 एमयू है।

83.7 मीटर ऊंचाई के कंक्रीट ग्रेविटी डैम का निर्माण पार्बती घाटी के गांव पुल्गा में 31.52 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल (एचआरटी) के माध्यम से नदी के जल को विपथित करने के लिए किया गया है। 800 मेगावाट (4X200 मेगावाट) क्षमता का एक भूमिगत पावर हाउस का निर्माण 863 मीटर के सकल शीर्ष का उपयोग करते हुए सैंज घाटी के ग्राम सुइंड में किया गया है। पार्बती नदी की विपथित जल निकासी को एचआरटी संयोजन के किनारे आने वाले विभिन्न नालों अर्थात जीवा, हरला, पंचा और मनिहार की जल निकासी को विपथित कर आगे बढ़ाया गया है।

इस परियोजना के डैम इंटेक स्ट्रक्चर, डिसिल्टिंग चैंबर, प्रेशर शाफ्ट, सर्ज शाफ्ट, पावर हाउस के प्रमुख सिविल कार्यों, जीवा और हरला नाला के कार्य को पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना का इलेक्ट्रो–मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य भी पूरा कर लिया गया है और वर्तमान में विद्युत का सीमित उत्पादन (अस्थिर विद्युत) जीवा और हरला नाले से पानी की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है।

बहुत निम्न चट्टानों की स्थितियों के बावजूद, 95ः एचआरटी उत्खनन जून, 2021 तक पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में, दोनों मुहानों (मुहाना–3 और मुहाना–4) से एचआरटी उत्खनन ड्रिल और ब्लास्ट पद्धति (डीबीएम) टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। इस परियोजना को मार्च, 2023 तक आरंभ किए जाने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को पार्बती–II परियोजना से उत्पादित विद्युत से लाभ प्राप्त होगा।

5.2 सुबनसिरी लोअर एच.ई. परियोजना – 2,000 मेगावाट (8 x 250 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेशः

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना भारत में कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई अब तक सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है और यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी सुबनसिरी नदी पर रन ऑफ रिवर परियोजना है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर गेरुकामुख/कोलाप्टुकर में स्थित है।

इस परियोजना के प्रमुख संघटकों में 116 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम, 7102 मीटर की कुल लंबाई वाले 8 एचआरटी, 8 सर्ज टनल, 8 प्रेशर शाफ्ट, 250 मेगावाट की क्षमता वाली प्रत्येक 8 यूनिटों के साथ सरफेस पावर हाउस शामिल हैं। अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 90% विश्वसनीय वर्ष में 7,422 एमयू है।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2019 के आदेश के माध्यम से मंजूरी दिए जाने के बाद, निर्माण कार्य सभी मोर्चों पर बहुत तेजी से चल रहा है और जून, 2021 तक 72% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। असम सरकार के साथ करार ज्ञापन और अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ पीपीए पर अगस्त, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना अगस्त, 2023 तक आरंभ किए जाने के लिए निर्धारित है। तथापि, अगस्त, 2022 तक दो यूनिटों को चालू करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं।

सुबनसिरी लोअर परियोजना, उन परिवारों जो इस परियोजना के कारण प्रभावित हुए हैं, की आजीविका के स्तर को ऊपर उठाने और सुरक्षा के लिए डाउनस्ट्रीम संरक्षण निर्माण कार्य और डाउनस्ट्रीम विकासात्मक निर्माण कार्य को भी कार्यान्वित कर रही है। असम/अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय जनता के कल्याण के लिए विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है।

सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम), छह उत्तरी राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली) और पांच पश्चिमी राज्यों (गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा) को सुबनसिरी लोअर एचई से उत्पादित विद्युत से लाभ प्राप्त होगा।

5.3 तीस्ता–VI एच.ई. परियोजना–500 मेगावाट (4 x 125 मेगावाट), सिक्किम

तीस्ता–VI एच.ई. परियोजना को लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) द्वारा विकसित किया जा रहा है। एलटीएचपीएल का अधिग्रहण एनएचपीसी द्वारा 09 अक्टूबर, 2019 को सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। तीस्ता–VI जलविद्युत परियोजना एक कैस्केड तरीके से तीस्ता नदी बेसिन की विद्युत संभाव्यता का उपयोग करने के लिए सिक्किम के सिरवानी गांव में एक रन ऑफ रिवर योजना है। इस परियोजना के प्रमुख संघटकों में 26.5 मीटर ऊंचा बैराज और प्रत्येक 125 मेगावाट वाली 4 यूनिटों के भूमिगत पावर हाउस शामिल हैं। इस परियोजना का 90% विश्वसनीय वर्ष में अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 2400 एमयू है।

सिविल वर्क पैकेज (लॉट–I), हाइड्रो मैकेनिकल वर्क्स पैकेज (लॉट–III) और आठ ईएंडएम वर्क्स पैकेजों में से छह का कार्य आवंटित कर दिया गया है। अन्य निर्माण कार्यों की निविदा निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। एचआरटी के विभिन्न मुहानों की खुदाई, हेड रेगुलेटर क्षेत्र में ड्रिलिंग, कंक्रीट कटिंग, हेड रेगुलेटर से गाद हटाने और डिसिल्टिंग बेसिन, अपस्ट्रीम कॉफर डाइक को भरने का कार्य प्रगति पर है। एचएम और ईएंडएम पैकेजों के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना को मार्च, 2024 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

5.4 रंगित–IV एच.ई. परियोजना–120 मेगावाट (3 x 40 मेगावाट), सिक्किम

रंगित–IV जलविद्युत परियोजना को जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) द्वारा विकसित किया जा रहा है। जेपीसीएल का अधिग्रहण एनएचपीसी द्वारा 31 मार्च, 2021 को सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। यह परियोजना पश्चिम सिक्किम के ऋषि गांव के पास रंगित नदी पर स्थित है।

इस परियोजना के प्रमुख संघटकों में 44 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध, 6.40 मीटर व्यास का 6488 मीटर लंबा एचआरटी और प्रत्येक 40 मेगावाट की 3 यूनिटों वाला एक सरफेस पावर हाउस शामिल है। इस परियोजना का 90% विश्वसनीय वर्ष में अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 513 एमयू है।

इस परियोजना के सिविल और ईएंडएम वर्क पैकेज निविदा निकाले जाने के चरण के अध्यधीन हैं। एचएम वर्क्स पैकेज का कार्य आबंटित कर दिया गया है।

5.5 रतले एच.ई. परियोजना–850 मेगावाट (4 X 205 मेगावाट +1 X 30 मेगावाट), जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

इस परियोजना को एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी रतले जलविद्युत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसीएल के बीच प्रमोटर करार पर हस्ताक्षर 13 अप्रैल, 2021 को किए गए थे और संयुक्त उद्यम कंपनी को 01 जून, 2021 को निगमित किया गया था। रतले जलविद्युत परियोजना (850 मेगावाट), चिनाब नदी पर एक रन–ऑफ–रिवर योजना है और यह जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में स्थित है।

इस परियोजना के प्रमुख संघटकों में 133 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध और प्रत्येक 205 मेगावाट की 4 यूनिटों वाला एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसकी परिकल्पना है कि 30 मेगावाट की एक यूनिट पर्यावरणीय प्रवाहों के निर्धारित निरंतर रिलीज का उपयोग करेगी। इस परियोजना का 90% विश्वसनीय वर्ष अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन में 3,137 एमयू है। इस परियोजना के लिए ईपीसी अनुबंध को संभवतः दिसंबर, 2021 तक कार्य आवंटित कर दिया जाएगा।

5.6 पाकलदुल एच.ई. परियोजना – 1,000 मेगावाट (4 X 250 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

इस परियोजना का कार्यान्वयन एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी सीवीपीपीपीएल द्वारा किया जा रहा है। पाकल दुल जलविद्युत परियोजना को मारुसुदर नदी, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में चिनाब की एक सहायक नदी पर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की योजना एक भंडारण योजना के रूप में बनाई गई है और यह 0.1 एमएएफ के भंडारण के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत अनुमत्य भंडारण का उपयोग करेगी। इस योजना में एक भूमिगत पावर हाउस को प्रत्येक

9.6 किलोमीटर लंबाई के दो एचआरटी के माध्यम से जल का भंडारण करने और उसे ले जाने के लिए 167 मीटर ऊंचे कंक्रीट–फेस रॉकफिल बांध (भारत में सबसे ऊंचा) के निर्माण की परिकल्पना है और उसके द्वारा प्रत्येक 250 मेगावाट की 4 यूनिटों के माध्यम से सालाना 3,330 एमयू ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए 97.30 मीटर के नेट रेटेड हेड का उपयोग किया जाएगा। सभी संविदा पैकेजों का कार्य आवंटित कर दिया गया है। पावर हाउस का काम, बांध का काम और एचआरटी–डीबीएम का कार्य प्रगति पर है। एचएम और ईएंडएम संघटक की विस्तृत इंजीनियरिंग प्रगति पर है। नदी का डायवर्जन अक्टूबर, 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

5.7 किरू एच.ई. परियोजना–624 मेगावाट (4x156 मेगावाट), जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

इस परियोजना का निष्पादन एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी सीवीपीपीपीएल द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को चिनाब नदी पर एक रन–ऑफ–रिवर योजना के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा यह जम्मू और कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले के गांव किरू/पथरनक्की में स्थित है। इस परियोजना के प्रमुख संघटकों में 135 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध, 4 (5.5 मीटर व्यास) प्रेशर शाफ्ट/पेनस्टॉक और प्रत्येक 156 की 4 यूनिटों वाला एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है। इस परियोजना का 90: विश्वसनीय वर्ष में अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 2,272 एमयू है। सभी अनुबंध पैकेज प्रदान किए गए हैं। सिविल कार्य शुरू हो चुके हैं और प्रगति पर हैं। एचएम और ईएंडएम संघटक की विस्तृत इंजीनियरिंग प्रगति पर है। डीटी हेडिंग उत्खनन में सफलता 01 मार्च, 2021 को मिल गई थी। नदी का डायवर्जन अक्तूबर, 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

6. स्वीकृति/अनुमोदन के अधीन परियोजनाएं:

स्वीकृति/अनुमोदन के विभिन्न चरणों के अधीन सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों सहित परियोजनाओं की स्थिति तालिका–3 में दी गई है।

तालिका 3: स्वीकृति/अनुमोदन चरण के तहत परियोजनाएं:

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
क. एकल आधार पर			
(क) जल विद्युत परियोजनाएं			
i.	गौरीगंगा–IIIए	उत्तराखंड	150
ii.	कोटली भेल–ए[1]		195
iii.	तीस्ता–IV	सिक्किम	520
iv.	दिबांग	अरूणाचल प्रदेश	2,880
v.	तवांग–I[2]		600
vi.	तवांग–II[3]		800
vii.	बरसर	जम्मू एवं कश्मीर	800
viii.	सावलकोट		1,856
ix.	दुगर	हिमाचल प्रदेश	500
x.	डगमारा	बिहार	130.1
उप–जोड़ (क)			**8,431.1**
(ख) सौर विद्युत परियोजनाएं			
i.	फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट	पश्चिम कल्लड, केरल	50
उप–जोड़ (ख)			**50**
कुल क (क+ख)			**8,481.1**
ख. सहायक कंपनियों के माध्यम से			
(क) जल विद्युत परियोजनाएं (भारत में)			
i.	लोकटक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार के साथ संयुक्त उद्यम) द्वारा लोकटक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना	मणिपुर	
ii.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल का एक संयुक्त उद्यम) के माध्यम से क्वार	जम्मू एवं कश्मीर	
iii.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल का एक संयुक्त उद्यम) के माध्यम से किरथई–II		

iv.	चमखरचू–I[4] (ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन, भूटान के साथ संयुक्त उद्यम – अभी निगमित की जानी है)		770
उप–जोड़ (ख)			**2,306**
कुल जोड़ (क+ख)			**10,787.1**

[1] इस परियोजना के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) (23 अक्टूबर, 2013 को दी गई) का अनुमोदन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति के अध्यधीन है। इस परियोजना के निर्माण क्रियाकलाप माननीय उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति और सरकार द्वारा संस्वीकृत किए जाने के बाद शुरू होंगे। एनएचपीसी इस परियोजना का अनुसरण नहीं करने का प्रस्ताव कर रहा है।

[2] इस परियोजना को स्थानीय विरोध के कारण रोक दिया गया है।

[3] इस परियोजना की सभी सांविधिक स्वीकृतियां अर्थात टीईसी, वन मंजूरी (चरण–I), पर्यावरणीय मंजूरी और रक्षा मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं। तथापि, वन मंजूरी (चरण–II) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुपालन के अभाव में लंबित है।

[4] ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन ने इस परियोजना के लिए सहमति देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। एनएचपीसी इस परियोजना का अनुसरण नहीं करने का प्रस्ताव कर रहा है।

7. सर्वेक्षण और जांच (एसएंडआई) के अधीन परियोजनाएं

एनएचपीसी वर्तमान में 1,130 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच में लगा हुई है। सर्वेक्षण और जांच के अधीन परियोजनाओं की स्थिति तालिका 4 में दी गई है।

तालिका 4: एसएंडआई चरण के तहत परियोजनाएं:

क्रम सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थपित क्षमता (मेगावाट)
1	गरबा तवाघाट	उत्तराखंड	630
2	उड़ी–I चरण–II	जम्मू व कश्मीर	240
3	दुलहस्ती स्टेज–II		260
कुल			**1,130**

8. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने व्यापक रूप में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजना विकास का कार्य शुरू किया है और इसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा 2030 तक निर्धारित 450 गीगावॉट के लक्ष्य में योगदान कर भारत की नवीकरणीय ऊर्जा विकास कहानी का हिस्सा बनना है। पूरे विश्व में, विभिन्न नए और उन्नत प्रौद्योगिकियों की तलाश पारेषण से निवल शून्य कार्बन भविष्य में किया जा रहा है और आपकी कंपनी आक्रामक रूप से इस दिशा में आगे बढ़ने के प्रति आशावान है। आपकी कंपनी नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकासों और परिवर्तनों के अनुरूप, अब फ्लोटिंग सौर और पम्पड भंडारण परियोजनाओं को पूरा करने के क्षेत्र में इस परियोजना में गति लाने के लिए रोड मैप और कार्यनीतियों की तलाश कर रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा के बहुत अधिक अंतर्प्रवाह के कारण आपूर्ति में परिवर्तनीयता को पूरा करने के लिए, जलविद्युत और पम्पड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसे प्राकृतिक बैटरी भंडारण भी कहा जाता है। पीएसपी विद्युत के भंडारण और उसका वितरण करने के सस्ते साधन उपलब्ध कराते हैं और वर्तमान में भारत में पीएसपी की अभिज्ञात योजनाओं को विकसित करने के लिए बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। आपकी कंपनी आरई विकास के लिए ऊर्जा भंडारण समाधान उपलब्ध कराने के वास्ते तकनीकी–वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम पीएसपी विकसित करने के लिए आशावान है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को हाइड्रो पावर और पीएसपी जैसी परंपरागत परियोजनाओं के साथ एकीकृत करने के नए तरीकों की भी खोज ग्रिड को विद्युत की चौबीस घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। लचीलेदार विद्युत आपूर्ति विकल्पों को इश्टतम प्रशुल्क पर विद्युत की आपूर्ति करने की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप रखने के लिए तैयार किया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने मेगा स्केल सौर परियोजनाओं की पहचान की है जो योजना और विकास विशेष रूप से केरल और ओडिशा में विभिन्न चरणों के अध्यधीन हैं। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संबंधी पेशकश विद्युत के उत्पादन का एक नया तरीका होता है और उसके द्वारा विकास और पट्टे पर बहुत अधिक लागत की बचत होती है। आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसे पवन, सौर परियोजनाओं के माध्यम से क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हुए अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में वृद्धि करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए कंपनी के प्रयास निम्नानुसार हैं:

8.1 सौर विद्युत परियोजनाएं

8.1.1 एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क (यूएमआरईपीपी) योजना के तहत परिकल्पित परियोजनाएं

आपकी कंपनी विभिन्न राज्यों जैसे ओडिशा, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में यूएमआरईपीपी के विकास के लिए संभावनाओं की तलाश कर रही है। यूएमआरईपीपी परियोजनाओं के विकास की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) ओडिशा में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना

आपकी कंपनी ने ओडिशा राज्य में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और अन्य ऐसी विद्युत परियोजनाओं की तलाश करने और उसे विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना करने हेतु जुलाई, 2020 में ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं को जेवीसी द्वारा चरणबद्ध रूप में विकसित किया जाएगा। जेवीसी के निर्माण के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया प्रगतिधीन है। एमएनआरई ने प्रस्तावित जेवीसी के माध्यम से सौर पार्क योजना के यूएमआरईपीपी मोड के तहत 100 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए पहले ही सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ii) राजस्थान में 600 मेगावाट सौर परियोजना (सौर पार्क के विकास सहित):

आपकी कंपनी ने खुली निविदा के आधार पर रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आमंत्रण के माध्यम से राजस्थान के जैसलमेर जिले में पट्टा आधार पर ली जाने वाली लगभग 2,800 एकड़ भूमि की पहचान की है। अभिज्ञात भूमि 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए उपयुक्त है। सबसे निकट आईएसटीएस सब–स्टेशन के माध्यम से विद्युत निकासी व्यवस्था सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) के माध्यम से तैयार की जा रही है। अभिज्ञात भूमि पर सोलर पार्क के विकास और सौर संयंत्र की स्थापना के लिए आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(iii) केरल में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना

एमएनआरई ने सौर पार्क योजना के यूएमआरईपीपी मोड के तहत एनएचपीसी द्वारा पश्चिम कल्लड़, केरल में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। इस परियोजना की डीपीआर एमएनआरई को प्रस्तुत कर दी गई है। एनएचपीसी को जल निकाय/भूमि के अंतरण की प्रक्रिया चल रही है। ईपीसी अनुबंध के लिए भी निविदा प्रक्रियाधीन है।

(iv) अन्य स्थानों पर खोज

अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि में भी यूएमआरईपीपी के विकास की खोज की जा रही है।

8.1.2 यूटिलिटी सौर विद्युत परियोजनाएं

(i) ओडिशा में 140 मेगावाट एनएचपीसी सौर पार्क

एमएनआरई ने एनएचपीसी को ओडिशा में सौर पार्क क्षमता में वृद्धि (100 मेगावाट से 140 मेगावाट तक) के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन संसूचित कर दिया है, जिसमें गंजम जिले में 40 मेगावाट परियोजना और देवगढ़ जिले में 100 मेगावाट परियोजना के विकास की परिकल्पना है। दोनों परियोजनाओं के लिए राज्य तकनीकी समिति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और इन दोनों परियोजनाओं के विकास के लिए आवश्यक भूमि की पहचान कर ली गई है। अभिज्ञात 175 एकड़ भूमि एनएचपीसी को ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईडीसीओ) द्वारा आवंटित कर दी गई है। 10 वर्ष के व्यापक ओ एंड एम के साथ 40 मेगावाट परियोजना के लिए ईपीसी अनुबंध मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, मुंबई को 24 मई, 2021 को जारी की गई है जिसमें आरंभ करने के लिए निर्धारित अवधि 12 माह दी गई है। देवगढ़ जिले में 100 मेगावाट परियोजना के लिए अभिज्ञात भूमि को आईडीसीओ द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया है। परियोजना के विकास के लिए भूमि के अंतरण, पीपीए पर हस्ताक्षर और अन्य क्रियाकलाप प्रगति पर हैं।

(ii) अन्य यूटिलिटी स्केल सौर परियोजनाएं

कंपनी विभिन्न राज्यों जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में अन्य यूटिलिटी स्केल सौर परियोजनाओं की संभावनाओं की तलाश कर रही है।

(iii) डेवलपर मोड में सौर परियोजनाओं का विकास (एक मध्यवर्ती खरीदार के रूप में):

एनएचपीसी ने एक 'मध्यवर्ती खरीददार' के रूप में चयनित पांच विकासकर्ताओं को सौर विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी 2,000 मेगावाट आईएसटीएस की समग्र क्षमता आवंटित की है। राज्य डिस्कॉम के साथ विद्युत बिक्री करार (पीएसए) और चयनित विकासकर्ताओं के साथ विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर 25 वर्षों की परियोजनाओं की जीवनकाल अवधि के लिए किए गए हैं। विकास संबंधी क्रियाकलाप चयनित विकासकर्ताओं द्वारा प्रगति पर हैं। अवार्ड की गई परियोजनाएं फरवरी, 2022 से अप्रैल, 2022 तक आरंभ किया जाना निर्धारित है।

(iv) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) के माध्यम से सौर परियोजना का विकास:

बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी) कालपी सौर ऊर्जा परियोजना (65 मेगावाट) को कार्यान्वित कर रही है। परियोजना के लिए ईपीसी अनुबंध 12 माह के आरंभ करने की निर्धारित अवधि के साथ 10 वर्षों के लिए व्यापक ओएंडएम के साथ 17 मार्च, 2021 को आवंटित किया गया है।

8.2 पवन विद्युत परियोजनाएं

केरल पवन विद्युत परियोजना (72 मेगावाट)

केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) की सहमति के अनुसार, एनएचपीसी केरल के पलक्कड़ जिले के अगली गांव में 72 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना के विकास की संभावना तलाशने की प्रक्रिया में है। भूमि की पहचान और विद्युत निकासी व्यवस्था प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के विकास के लिए क्रियाकलाप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी (एनआईडब्ल्यूई) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पवन संसाधन के मूल्यांकन के बाद शुरू किये जाएंगे।

9. विद्युत व्यापार लाइसेंस और विद्युत व्यवसाय करना

आपकी कंपनी, के व्यवसाय विस्तार और विविधीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में, पावर ट्रेडिंग व्यवसाय शुरू किया है। कंपनी के पावर ट्रेडिंग व्यवसाय का प्रयास अपने ग्राहकों अर्थात खरीदार/

डिस्कॉम, उत्पादक/विक्रेता, यूटिलिटियों आदि को दक्ष और स्मार्ट व्यापार समाधान उपलब्ध कराना है। एनएचपीसी ने पूरे भारत में विद्युत के अंतर–राज्यीय व्यापार के लिए सीईआरसी से श्रेणी–I लाइसेंस पहले ही प्राप्त कर लिया है और वह डीईईपी (दक्ष विद्युत कीमत का पता लगाना) ई–बोली पोर्टल पर पंजीकृत है। एनएचपीसी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) में व्यापारी सदस्यता भी प्राप्त की है।

अप्रैल, 2018 में श्रेणी–I व्यापार लाइसेंस जारी किए जाने के बाद, एनएचपीसी ने बहुत कम समय में अपने आप को भारत में प्रतिष्ठित और विश्वसनीय व्यापारी के रूप में स्थापित कर लिया है। 218.60 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ लगभग 505.2 एमयू की ऊर्जा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ट्रेड की गई है।

एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विद्युत की बिक्री करने के लिए विभिन्न पक्षकारों के साथ 2,000 मेगावाट के लिए विद्युत बिक्री करार (पीएसए) पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी ने 2,000 मेगावाट विद्युत की खरीद के लिए सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं (एसपीडी) के साथ बैक–टू–बैक आधार पर विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

10. सहायक कंपनियों और एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियों के ब्यौरे

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की निम्नलिखित सहायक कंपनियां और एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं:

कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम भागीदारों (इक्विटी सहभागिता) के ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी का कार्य–निष्पादन
	सहायक कंपनियां	
एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचडीसी)	एनएचपीसी (51.08 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (48.92 प्रतिशत)। मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) के हिस्से में मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित 23% हिस्सेदारी शामिल है।	एनएचडीसी मध्य प्रदेश में दो विद्युत स्टेशनों अर्थात इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट) का प्रचालन कर रही है। वर्ष 2020–21 के दौरान, एनएचडीसी ने अपने पावर स्टेशनों से 4,236.12 एमयू अर्थात इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन से 2,793.56 एमयू तथा ओमकारेश्वर विद्युत स्टेशन से 1,442.56 एमयू का उत्पादन किया।
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	एनएचपीसी (74.92 प्रतिशत) और मणिपुर सरकार (25.08 प्रतिशत)	एलडीएचसीएल वर्तमान में मणिपुर के नोनी जिले में लोकटक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (66 मेगावाट) का कार्यान्वयन कर रही है। परियोजना के लिए सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं और मणिपुर सरकार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किये गए हैं। ईपीसी पैकेजों हेतु निविदा की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना की सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा स्वीकृति प्रतीक्षित है।
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	एनएचपीसी (74 प्रतिशत) और यूपीएनईडीए (26 प्रतिशत)	बीएसयूएल को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की कालपी तहसील में एक 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे सौंपी जाने वाली अन्य कोई परंपरागत अथवा गैर–परंपरागत विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निगमित किया गया था। कालपी एसपीपी (65 मेगावाट) के निर्माण की स्थिति रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में दी गई है। बीएसयूएल कार्यान्वयन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 1,500 मेगावाट से अधिक सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया में है। ईपीसी मोड में सौर परियोजना का विकास और उसके बाद डेवलेपर मोड में संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। दो परियोजनाओं अर्थात मिर्जापुर एसपीपी (100 मेगावाट) और माधोगढ़ एसपीपी (45 मेगावाट) की

		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदित कर दी गई है। मिर्जापुर एसपीपी के ईपीसी कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) मार्च, 2021 में निकाली गई है। प्रतापगढ़ एसपीपी (100 मेगावाट) के लिए भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। यूएमआरईपीपी के तहत 1,200 मेगावाट सौर पार्क के लिए परियोजना रिपोर्ट एसईसीआई को सौंप दी गई है।
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एचटीएचपीएल)	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलटीएचपीएल का अधिग्रहण एनएचपीसी द्वारा अक्तूबर, 2019 में सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था और अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार प्रतिफल राशि के रूप में 897.50 करोड़ रुपए की इक्विटी डाली गई थी। एलटीएचपीएल सिक्किम में 500 मेगावाट की तीस्ता VI जलविद्युत परियोजना का निश्पादन कर रहा है। तीस्ता VI जलविद्युत परियोजना के निर्माण की स्थिति रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 में दी गई है।
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	जेपीसीएल का अधिग्रहण एनएचपीसी द्वारा 31 मार्च, 2021 को सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था और समाधान योजना के अनुसार प्रतिफल राशि के रूप में 165 करोड़ रुपए की इक्विटी डाली गई थी। जेपीसीएल सिक्किम में रंगित–IV एचईपी (120 मेगावाट) का निश्पादन कर रहा है। निवेश के लिए भारत सरकार (जीओआई) का अनुमोदन 30 मार्च, 2021 को अक्तूबर, 2019 के कीमत स्तर पर 938.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रंगित–IV जलविद्युत परियोजना के शेष निर्माण कार्यों के अधिग्रहण और निष्पादन के लिए संसूचित किया गया था। इस परियोजना का शेष कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के जारी होने की तिथि से 38 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। रंगित–IV जलविद्युत परियोजना के निर्माण की स्थिति इस रिपोर्ट के पैरा 5 में दी गई है।
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	एनएचपीसी लिमिटेड (51.9 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (47.9 प्रतिशत) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (0.2 प्रतिशत)	सीवीपीपीपीएल जम्मू और कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र में चार जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात पाकल दुल जलविद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट), किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट), क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) और किरथाई–II जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट) विकसित कर रहा है। पाकल दुल जलविद्युत परियोजना एवं किरू जलविद्युत परियोजना के निर्माण की स्थिति रिपोर्ट के पैरा 5 में दी गई है। क्वार एचईपी के लिए निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है जबकि किरथाई–II जलविद्युत परियोजना स्वीकृति के चरण में है।
एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनी		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (प्रत्येक की शेयरधारिता 20 प्रतिशत है)	एनएचपीटीएल की स्थापना देश में शॉर्ट सर्किट जांच सुविधा के लिए एक ऑन लाइन हाई पावर जांच प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए की गई थी। 400 केवी स्तर और 765 केवी स्तर पर उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एचवीटीआर) हेतु प्रयोगशाला पहले से ही बीना, मध्य प्रदेश में प्रचालनात्मक है। मीडियम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) हेतु प्रयोगशाला आज की तारीख तक शुरु नहीं की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। इसके अतिरिक्त, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) 31 मार्च, 2021 को अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों समान मात्रा में अंशदान, जो अपेक्षित था, नहीं किए जाने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रथम परंतुक के अनुसार सहायक कंपनियों और एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को अंतर्विष्ट करता एक विवरण तथा वर्ष के दौरान कंपनी के समग्र निष्पादन में इन कंपनियों के व्यक्तिगत योगदान का विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के तहत दिया गया है।

सहायक कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार उक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई शेयरधारक कम्पनी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर देख सकता है।

11. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

आपकी कंपनी एक सुदृढ़ पर्यावरण–संबंधी विवेक के साथ अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सतत विकास, सुरक्षित कार्यस्थल और अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध बनाना सुनिश्चित करता है। यह पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति अपने दायित्व से भली–भांति अवगत है। जांच के स्तर के दौरान, परियोजनाओं को निष्पादित करते समय पर्यावरण पर संभावित प्रभाव का आकलन और पहचान की जाती है। परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक उपाय करते हुए पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) प्रस्तावित और कार्यान्वित की जाती है। उपरोक्त के अलावा, भवनों का निर्माण उन्हें पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

आपकी कंपनी के अधिकतर पावर स्टेशन आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएएस–18001:2007/आईएसओ 450001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं, इस प्रकार यह अपने कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध बनाना और सतत विकास सुनिश्चित करता है। सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

12. परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी मुख्य रूप से देश और उसके पड़ोसी देशों में अपनी पहुंच और उपस्थिति को बढ़ाने के लिए परामर्श कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में जल–विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जल विद्युत क्षेत्र में अपने साथी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। सर्वोत्तम ओएंडएम प्रक्रियाएं, जिन्होंने एनएचपीसी को सर्वोत्तम संयंत्र उपलब्धता हासिल करने में समर्थ बनाया है, इसकी दक्षता बढ़ाई है और इसके विभिन्न पावर स्टे ानों में संयंत्र/उपकरण के जीवन–काल में वृद्धि की है, परामर्श के माध्यम से भी साझा की जाती हैं। एनएचपीसी को हाल ही में रोहतांग में अटल सुरंग से दूर सेरी नाले के विपथन के लिए डीपीआर तैयार करने का प्रतिष्ठित परामर्श देने संबंधी कार्य सौंपा गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एनएचपीसी द्वारा अपने विभिन्न ग्राहकों को दी गई परामर्श सेवाओं के लिए 45.55 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ है।

13. नई परियोजनाओं का वित्तपोषण

कंपनी के आंतरिक उपार्जन नई/चालू परियोजनाओं के इक्विटी संघटक को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। एनएचपीसी सीईआरसी मानदंडों के अनुसार, इसके निम्न गियर्ड पूंजीगत ढांचे तथा दृढ़ क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में बेहतर स्थिति में है। एनएचपीसी योजनागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने हेतु बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा दी गई विदेशी विकास सहायता सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण विकल्पों की तलाश कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने घरेलू स्रोतों से उधारियों के विभिन्न विकल्पों के माध्यम से 2,315.31 करोड़ रुपए जुटाए हैं अर्थात निजी प्लेसमेंट के आधार पर कारपोरेट बॉन्ड्स के माध्यम से 2,250 करोड़ रुपए और भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण के माध्यम से 65.31 करोड़ रुपए।

14. क्रेडिट रेटिंग

- **घरेलू रेटिंग**

एनएचपीसी के पास इसके सूचीबद्ध बॉन्डों के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात आईसीआरए, सीएआरई और इंडिया रेटिंग्स द्वारा निर्दिष्ट दृष्टिकोण के साथ 'एएए' की उच्चतम घरेलू क्रेडिट रेटिंग है जो निवेशकों के लिए कम क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है।

- **अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग**

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने अक्तूबर, 2020 में एनएचपीसी पर अपने दृष्टिकोण में नकारात्मक से स्थिर के रूप में संशोधन किया है और कंपनी की 'बीबीबी' दीर्घकालिक जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग बनाए रखी है।

15. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

आपकी कंपनी समग्र उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यापार में सतत विकास को प्राप्त करने वास्ते एक कार्यनीतिक औजार के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी को मानती है। सुदूर स्थित पावर स्टेशनों/परियोजनाओं सहित कंपनी के विभिन्न स्थल एमपीएलएस–वीपीएन/आईएलएल/वीसैट–केयू बैंड/आईएसएटी फोन का उपयोग करते हुए मल्टीमोड संचार संपर्कों के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों से

जुड़े हुए हैं। इन मल्टीमोड लिंकों को एक सफलता से सुरक्षित तरीके से कार्य करने के लिए एसडीडब्ल्यूएएन (सॉफ़्टवेयर डिफ़ाइंड वाइड एरिया नेटवर्क) प्रौद्योगिकी के माध्यम से एकीकृत किया गया है।

आपकी कंपनी ने अपने विभिन्न व्यापारिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करते हुए अपने सभी स्थानों पर उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) अनुप्रयोग लागू किया है। कंपनी व्यापारिक प्रक्रियाओं को और मजबूत करने तथा व्यापार सूचना को शामिल करने के लिए ईआरपी को उन्नत करने की प्रक्रिया में है। ईआरपी के अलावा, आपकी कंपनी ने दैनिंदिनी व्यापार आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए अनेक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों/मोबाइल ऐपों को लागू किया है। एनएचपीसी की द्विभाषी वेबसाइट और एकीकृत इंट्रानेट बाहरी/आंतरिक सूचना की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए शक्तिशाली सूचना संप्रेषण प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, ई–प्रोक्योरमेंट, सरकारी ई–मार्केट (जेम), विक्रेता भुगतान पोर्टल और ई–रिवर्स बोली प्रणाली कंपनी में प्रचालनात्मक हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, कार्यालय का कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों/टूल्स अर्थात ई–ऑफिस, ई–आईओएम, ईआरपी/ईएसएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई–मेल आदि के माध्यम से दक्ष कार्यचालन के माध्यम से कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान अबाधित रहा।

सर्वर, डेटा स्टोरेज, संचार उपकरण आदि सहित महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना सुरक्षित स्थानों पर संस्थापित की गई है और उनका प्रबंधन आंतरिक संसाधनों द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के इष्टतम और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा नीति लागू है। आपकी कंपनी को कॉर्पोरेट कार्यालय में आईएसएमएस 27001:2013 प्रमाणन दिया गया है जो सूचना परिसंपत्तियों की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता आश्वस्त करता है। वीएपीटी लेखापरीक्षा भी बहुमूल्य सूचना और महत्वपूर्ण अवसंरचना को सुरक्षित रखने के लिए उत्पादन करने वाले सभी पावर स्टेशनों पर की जा रही है। एक केंद्रीकृत अंतिम बिंदु सुरक्षा सॉफ्टवेयर समाधान भी साइबर खतरों के विरुद्ध सर्वरों/डेस्कटॉप को संरक्षित करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

आपकी कंपनी को संघटक सदस्य संगठनों में साइबर सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने और उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय सीईआरटी अर्थात सीईआरटी–हाइड्रो के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, तक आपकी कंपनी के पास 5,569 कर्मचारियों का एक मजबूत और समर्पित कार्यबल है, जिसमें 3,281 अधिकारी और 2,288 गैर–कार्यपालक शामिल थे। उपरोक्त कार्यबल में 590 महिला कर्मचारी भी शामिल हैं।

आपकी कंपनी दृढ़तापूर्वक अपने कर्मचारियों की जीवनभर ज्ञान और सक्षमता के विकास के प्रति उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाकर और संगठनात्मक क्षमताओं में वृद्धि कर उनकी समग्र क्षमता का निर्माण करने पर केंद्रित है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक फैकल्टी तथा बाहरी एजेंसियों के माध्यम से आसान बनाया जाता है। एनएचपीसी के सलाल पावर स्टेशन, टनकपुर पावर स्टेशन, चमेरा–I पावर स्टेशन और उड़ी–I पावर स्टेशन में स्थित चार क्षेत्रीय जलविद्युत प्रशिक्षण केंद्र हैं। एनएचपीसी ने प्रमुख प्रबंधन और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे आईआईएम, आईआईटी आदि के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आजोयित किए हैं ताकि कौशल और दक्षताओं में वृद्धि हो सके और उन्हें प्रचालनों के संबंधित क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आपकी कंपनी वरिष्ठ और उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नियुक्त करती है ताकि वे नवीनतम सूचना से अपने आप को अवगत रख सकें और जलविद्युत के क्षेत्र में वैश्विक परिदृश्य को समझ सकें। एनएचपीसी अपने अधिकारियों को अपनी उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए उच्चतर योग्यता और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रायोजित भी करती है। कोविड–19 महामारी के दौरान, आपकी कंपनी ने वेबिनार के माध्यम से ज्ञान साझा करने संबंधी सत्रों के अलावा अपने कर्मचारियों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्चुअल कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है।

कंपनी में औद्योगिक संबंध वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे हैं। कर्मचारियों ने कंपनी के विकास में सक्रिय रुप से योगदान दिया।

आपकी कंपनी समावेशी विकास के संवर्द्धन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) उम्मीदवारों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में आरक्षण के बारे में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती है। नियमावली के अनुसार आवश्यक रियायतें/छूट भर्ती में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दी जाती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

17. पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरएण्डआर)

आपकी कंपनी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान विस्थापित लोगों की कठिनाइयों को समझती है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजनाओं को "उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक संधारणीयता उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। एनएचपीसी ने परियोजना प्रभावित परिवारों और इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के निकट निवास कर रहे स्थानीय लोगों हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यों के कुछ प्रकार को आरक्षित करने हेतु एक नीति बनाई है।

18. सतर्कता

कंपनी उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार को अपनाकर अपने मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने में विश्वास करती है। आपकी कंपनी का अपने प्रचालनों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्णय लेने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता वाला एक सर्तकता विभाग है। सतर्कता शिकायतों तथा अनुशासनात्मक मामलों की निगरानी करने तथा उससे निपटने के लिए प्रणालियां प्रलेखित हैं।

सतर्कता विभाग, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेशण ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करता है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों के खिलाफ कदाचार और आय से अधिक संपत्ति से संबंधित दो सतर्कता मामले अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत थे।

निवारात्मक सतर्कता के भाग के रूप में, समय–समय पर किए गए विभिन्न निरीक्षणों/गहन परीक्षणों के आधार पर नियमित रूप से परिपत्र तथा दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और पारद ि ता के संवर्द्धन के लिए कंपनी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह और अन्य सतर्कता जागरूकता कार्यकमों का भी नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

19. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी के पास इसके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया है और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई सूचित किए जाने योग्य वास्तविक कमी नहीं पाई गई थी।

20. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी यह मानती है कि व्यापार से जुड़े जोखिमों का एक प्रभावी प्रबंधन इसकी निरंतर लाभप्रदता और दीर्घावधि संधारणीयता के लिए एक आधारभूत आव यकता है। आपकी कंपनी की जोखिमों के प्रति एक ढांचाबद्ध तथा अनुशासित दृश्टिकोण के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिम प्रबंधन नीति का विकास और कार्यान्वयन प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में भामिल किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

21. सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति अधिसूचित की है ताकि एमएसई द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विपणन में सहायता दी जा सके। इस नीति के अनुपालन में, एमएसई से खरीद की जाने वाली वस्तुओं सहित वार्षिक खरीद योजना को एमएसई के लाभ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर अपलोड किया गया है।

एमएसई को प्रोत्साहित करने के लिए निविदा शुल्क और बयाना राशि जमा, खरीद प्राथमिकता, विलंबित भुगतान पर ब्याज और पूर्व अनुभव – पूर्व टर्नओवर मानदण्ड से छूट जैसे लाभ इन एमएसई को बढ़ावा वेने के लिए दिए हैं जोकि गुणवत्ता तथा तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा करने के अध्यधीन है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत के अधिदेश की तुलना में कुल वार्षिक खरीद मूल्य के 61.78 प्रतिशत की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद एमएसई से की है। वर्ष के दौरान, 1981 एमएसई लाभान्वित हुए है जिनमें से 48 एमएसई और 118 एमएसई का स्वामित्व क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का था।

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) प्लेटफार्म एमएसएमई के बीजकों को पृथक करने को सुविधाजनक बनाता है जो उनके नियमित व्यापार प्रचालनों हेतु कार्यशील पूंजी के सृजन को सुकर करता है। एनएचपीसी भी एमएसएमई के लाभ के लिए इस प्लेटफार्म पर पंजीकृत है।

22. राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुरूप दैनिक कार्यों में अपने विभिन्न स्थानों पर राजभाषा 'हिंदी' के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020–21 के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें पूरी कंपनी में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से आयोजित की गई थीं।

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे हिंदी पखवाड़ा, हिंदी प्रतियोगिताएं, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हिंदी कवि सम्मेलन, मासिक विभागीय बैठकें आदि आयोजित कीं। आंतरिक पत्रिकाओं के लिए लेखों/लेखन के लिए योगदान देकर, हिंदी पुस्तकों को पढ़कर, हिंदी में टिप्पण और प्रारूपण आदि के द्वारा कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए चलाई गई हैं।

23. खेल और अन्य क्रियाकलाप

वर्ष 2020–21 के दौरान, एनएचपीसी ने पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित सात अंतर–सीपीएसयू टूर्नामेंटों में भाग लिया। ये टूर्नामेंट कोविड–19 महामारी के कारण फरवरी, 2021 में शुरू हुए। एनएचपीसी की टीमों ने अंतर–सीपीएसयू बैडमिंटन, कैरम और ब्रिज टूर्नामेंट में पोडियम स्थान प्राप्त किया।

एनएचपीसी ने 29 जुलाई, 2020 को अपनी 'होनहार खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना' के तहत दूसरे बैच की खेल छात्रवृत्ति की घोषणा की, जिसमें अगले तीन वर्षों के लिए कबड्डी, फुटबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती और पैरा स्पोर्ट्स के विभिन्न खेल क्षेत्रों को शामिल करते हुए दस होनहार प्रतिभावान खिलाड़ियों को 52.64 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

आपकी कंपनी ने पावर कप 2021, एक टी–20 क्रिकेट टूर्नामेंट भी आयोजित किया, जिसमें विद्युत मंत्रालय और दिल्ली एनसीआर

में स्थित विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में भाग लिया। यह टूर्नामेंट फरवरी–मार्च, 2021 में आयोजित किया गया था। आपकी कंपनी ने 13 फरवरी, 2021 को एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में पूरे जोश और उत्साह से वसंत उत्सव 2021 आयोजित किया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों जैसे जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उत्तराखंड, असम आदि से स्थानीय हस्तशिल्प, पोशाक सामग्री, खाद्य व्यंजनों आदि को बढ़ावा देने वाले स्टॉल लगाए गए थे। एनएचपीसी ने एनएचपीसी के कार्मिकों को प्रेरित करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने एवं गौरव और अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए एनएचपीसी एंथम (प्रसिद्ध पार्श्व गायक पद्म श्री पुरस्कार विजेता श्री कैलाश खेर द्वारा रचित एवं गाया गया) भी जारी किया है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए विभिन्न वर्चुअल राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

24. पुरस्कार एवं सम्मान

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित पुरस्कार को गर्व से प्राप्त किया है:

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत तीन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार एनएचपीसी को दिए हैं। इन पुरस्कारों को राजभाषा को कार्यान्वित करने और उसका संवर्धन करने में उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किया गया है।

एनएचपीसी को 2019–20 के लिए वित्तीय संसूचन में उत्कृष्टता के वास्ते प्रतिष्ठित आईसीएआई पुरस्कार में 'सिल्वर शील्ड' दिया गया था। एनएचपीसी को यह पुरस्कार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इसकी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त हुआ है।

हरियाणा सरकार ने कोविड–19 महामारी के दौरान एनएचपीसी द्वारा सीएसआर में सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों और सीएसआर पहलों को मान्यता दी है और एनएचपीसी को 26 जनवरी, 2021 को सीएसआर पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है।

एनएचपीसी को 23 दिसंबर, 2020 को प्रकाशमय 13वीं एनर्शिया अवार्ड्स 2020 में हाइड्रो पावर और नवीकरणीय क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 'बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसई' पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार आरईपीए (नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन संघ) और एनर्शिया फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है।

25. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित किया गया है। कंपनी ने एक वरिष्ठ स्तर के कार्यपालक को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। कंपनी ने एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और एक पारदर्शिता अधिकारी भी नामित किया है। ये अधिकारी कॉर्पोरेट ऑफिस में कार्यरत हैं। उपरोक्त के अलावा, विभिन्न यूनिटों/कार्यालयों में 33 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किए गए हैं। सभी नामित अधिकारियों, तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि का विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है। कंपनी का ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रारंभ किए गए पोर्टल के अनुरुप है। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों/अपीलों पर तदनुसार कार्रवाई/निपटान किया जाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत 465 आवेदन और 50 प्रथम चरण अपीलें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 458 (98.50 प्रतिशत) आवेदनों और 50 प्रथम चरण अपीलों (100 प्रतिशत) का उत्तर दिया गया/निपटान किया गया था। आवेदकों द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष 2 द्वितीय चरण अपीलें दायर की गई थीं जिनका निपटान भी एनएचपीसी के पक्ष में कर दिया गया था।

26. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से लगी हुई है, जिसका उद्देश्य हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और कल्याण संबंधी चिंताओं को दूर करके बड़े पैमाने पर समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालना है। कंपनी की सीएसआर पहल में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल–कूद का संवर्धन करने, कला और संस्कृति आदि का संवर्धन करने और उसे संरक्षित करने संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। सीएसआर और संधारणीयता योजनाओं का चयन करते समय, यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

आपकी कंपनी देश के विभिन्न भागों में इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई की स्थापना में स्थानीय सरकार की सहायता कर रही है। एनएचपीसी ने कोविड–19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में देश को सहयोग देने के लिए 'पीएम केयर्स फंड' में अपनी सीएसआर निधियों से 15 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। आपकी कंपनी ने कंपनी के स्थानों के पास चिकित्सा अवसंरचना का उन्नयन कर, कोल्ड चेन उपकरण की खरीद कर, कंपनी के औषधालयों में क्वारंटीन सेंटरों को बनाकर, आवश्यक खाद्य मदों, दवाओं, हाईजीन किट्स का वितरण कर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स उपलब्ध कराकर, स्वच्छता अभियान में सहयोग प्रदान कर कोविड–19 महामारी के विरुद्ध लड़ने में स्थानीय प्रशासन को सहायता दी है।

आपकी कंपनी संसाधनों, समन्वय, विशेषज्ञता आदि का इष्टतम उपयोग तथा किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में सामाजिक–आर्थिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव का अधिकतम उपयोग कर मेगा–परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में केंद्रीय क्षेत्र की अन्य सीपीएसई के साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयार है। आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए सीएसआर क्रियाकलापों पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अलग अनुबंध में दी गई है।

27. सम्बन्धित पक्षकारों के साथ संविदाएं तथा व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कंपनी ने अपने किसी संबंधित पक्षकार के साथ कोई वास्तविक लेन–देन नहीं किया है। कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्षकार लेन–देन इसकी सहायक कंपनी तथा एसोसिएट कंपनियों के साथ परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने, सम्पत्तियों को पट्टे पर देने तथा जनशक्ति सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए होते हैं। संबंधित पक्षकारों के साथ की गईं सभी संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेन–देन परस्पर सहमति आधार पर थे जो कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत यथापेक्षित संबंधित पक्षकार लेन–देन का फार्म एओसी–2 में प्रकटन किया जाना लागू नहीं होता है।

वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 8 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता हैं जो इंड एएस–24 के अनुसार संबंधित पक्षकार प्रकटनों को निर्धारित करता है।

28. सतर्कता तंत्र – व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति

आपकी कंपनी ने एक 'व्हिसल ब्लोअर नीति' तैयार की है जिसमें कंपनी के निदेशक, कर्मचारी, ठेकेदार और विक्रेता लागू विधियों, नियमों, विनियमों अथवा कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन में किए गए किसी भी ऐसे अनैतिक व्यवहारों की सूचना देने के लिए स्वतंत्र हैं, जो कंपनी के प्रचालन, व्यवसाय प्रदर्शन और/या प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यह नीति लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की भी अनुमति देती है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर नीति से संबंधित मुद्दों पर लेखापरीक्षा समिति (इसकी मौजूदगी के दौरान) तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया था।

व्हिसल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखा जाता है ताकि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सके। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और नीति के अंतर्गत सूचित शिकायतों से निपटने के लिए समन्वयक के रुप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

आपकी कंपनी ने धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने, उसका पता लगाने और उसके त्वरित निपटान को समर्थ बनाने के लिए धोखाधड़ी निवारण और पहचान नीति तैयार की है। नीति के तहत स्थापित किए गए तंत्र का संगठन के भीतर सभी स्तरों पर उचित रूप से प्रचार–प्रसार किया जाता है और उसे कंपनी के इंट्रानेट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

29. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण

आपकी कंपनी मानती है कि कार्यस्थल पर विविधता लाना वचनबद्धता, संरेखण, नवाचार और उच्च निष्पादन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है और सभी को समान उचित सम्मान दिया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी एक नीति तैयार की गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत के निवारण के लिए कंपनी के विभिन्न स्थानों पर 'आंतरिक शिकायत समितियों' का गठन किया गया है। कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद की समिति का नेतृत्व एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है और इसमें एक सदस्य के रूप में गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आपकी कंपनी ने 'एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली' के तहत इसे कदाचार के रूप में शामिल करके महिलाओं के यौन उत्पीड़न को भी प्रतिबंधित कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में किए गए प्रकट निम्नानुसार हैं:

क.	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
ख.	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	1
ग.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
घ.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1*

* शिकायत की जांच आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की जा रही है।

30. डिबेंचर ट्रस्टी

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियामवली, 2015 (सेबी एलओडीआर) की अपेक्षाओं के अनुपालन में, कंपनी द्वारा जारी बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखला हेतु इसके द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट की संदर्भ सूचना में दिया गया है।

31. कोविड–19

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों, उनके आश्रितों और अन्य हितधारकों के बीच कोविड–19 महामारी के दौरान सुरक्षा उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। कोविड–19 के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया संबंधी अभियानः कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए अभियान एनएचपीसी के सभी स्थानों पर आरंभ किया गया था। आपकी कंपनी ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की खरीद के लिए सहायता उपलब्ध कराने के अलावा सरकार के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए निधि प्रदान करके मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित आपूर्ति पक्ष की व्यवस्थाओं में वृद्धि करते हुए एनएचपीसी के विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन सहयोग सुविधाओं के साथ कोविड केयर केंद्रों की स्थापना कर कोविड–19 महामारी के कारण सामना की जा रही चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

आपकी कंपनी ने पूरे देश में अपने स्थानों पर विभिन्न पहलों के माध्यम से कोविड–19 महामारी के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने एनएचपीसी को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न सीपीएसयू द्वारा शुरू किए गए कोविड–19 संबंधी क्रियाकलापों की दैनिक रिपोर्ट संकलित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोविड–19 के संबंध में लघु वीडियो क्लिप और इन्फोग्राफिक्स, लघु प्रस्तुतियां लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किए गए थे और उन्हें एनएचपीसी के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देने के लिए किए गए थे।

टीकाकरण कोविड–19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय/एमएनआरई के अधीन विभिन्न संगठनों और पीएसयू के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के टीकाकरण के लिए अनेक शिविर आयोजित किए हैं। कोविड–19 के विरुद्ध टीकाकरण अभियान में वृद्धि करने के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने विभिन्न कोल्ड चैन उपस्कर जैसे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वॉक–इन कूलर और वॉक–इन–फ्रीजर तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर को अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत खरीदा और उन्हें सौंपा। एनएचपीसी ने जेम पोर्टल के माध्यम से 2.72 करोड़ रुपए की राशि के कुल 281 कोल्ड चेन उपस्कर खरीदे और उन्हें संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों को सौंपा। महामारी के कारण उत्पन्न सभी चुनौतियों के बीच, आपकी कंपनी ने अपने पावर स्टेशनों को दक्षतापूर्वक चलाकर राष्ट्र की सेवा करना जारी रखा है।

32. सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर, सीपीएसई हेतु निगमित अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित सूचना इस रिपोर्ट में निम्नानुसार संलग्न हैः

विवरण	अनुबंध
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	I
कारपोरेट अभिशासन की शर्तो के अनुपालन के संबंध में वर्तमान कंपनी सचिव से प्रमाण–पत्र	II
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	III
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय	IV
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	V
सीएसआर कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	VI

33. वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति तथा वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन अथवा लंबित किसी भी कार्यवाही का विवरण

कोई भी आवेदन वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत नहीं किया गया था अथवा एनएचपीसी लिमिटेड के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। तथापि, एनएचपीसी ने एक ऋणग्रस्त कंपनी 'जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड' जो है, का अधिग्रहण किया है और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 31 मार्च, 2021 को सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से सिक्किम राज्य में रंगित स्टेज–IV एच.ई. परियोजना (120 मेगावाट) का कार्यान्वयन किया है। जेपीसीएल की सीआईआरपी प्रक्रिया माननीय एनसीएलटी, हैदराबाद बेंच के आदेश द्वारा 9 अप्रैल, 2019 शुरू की गई थी।

जेपीसीएल के अधिग्रहण के लिए एनएचपीसी की समाधान योजना का अनुमोदन माननीय एनसीएलटी, हैदराबाद बेंच द्वारा उनके दिनांक 24 दिसंबर, 2020 के आदेश द्वारा किया गया था। दो ऋणदाताओं अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक वाले प्रतिभूति प्राप्त वित्तीय ऋणदाता सूचीबद्ध थे। माननीय एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित परियोजना की अवार्ड लागत 165 करोड़ रुपए थी।

34. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

34.1 सचिवालयी लेखापरीक्षा

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा के करने के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस, कंपनी सचिव, दिल्ली को नियुक्त किया है। सचिवालयी लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां दी हैं। सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर **अनुबंध–VII** में दिए गए है।

सेबी एलओडीआर के विनियम 24क के अनुपालन में, एनएचडीसी लिमिटेड, जो एनएचपीसी लिमिटेड की एक वास्तविक गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी है, की सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी **अनुबंध–VIII** में दी गई है।

34.2 सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निम्नलिखित संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है:

1. मैसर्स अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी, जम्मू
2. मैसर्स के. जी. सोमानी एंड कंपनी, नई दिल्ली
3. मैसर्स लोधा एण्ड कंपनी, कोलकाता

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने असंशोधित रिपोर्ट दी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 201 की धारा 143(12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों और उस पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुबंध–IX में दी गई है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुबंध–X में दी गई है।

34.3 सीएण्डएजी द्वारा लेखाओं की समीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के पश्चात 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर भून्य टिप्पणी दी है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के एकल तथा समेकित वित्तीय विवरणों दोनों पर की गईं सीएंडएजी की टिप्पणियां अनुबंध–XI में दी गई हैं।

34.4 लागत लेखापरीक्षा

कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यथाउल्लिखित अपेक्षा के अनुसार कंपनी लागत रिकार्डों का रख–रखाव करती है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार, आपके बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु पावर स्टेशनों के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखाकारों की निम्नलिखित फर्मों को नियुक्त किया गया है:

फर्म का नाम	पावर स्टेशन
मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली (प्रमुख लागत लेखापरीक्षक)	चुटक और निम्मो बाजगो
मैसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, गुड़गांव	चमेरा–I, सेवा–II और पार्बती–III
मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, दिल्ली	उड़ी–I, उड़ी–II और किशनगंगा
मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, दिल्ली	बैरास्यूल, चमेरा–II और चमेरा–III
मैसर्स के. जी. गोयल एंड कंपनी, जयपुर	दुलहस्ती, सलाल और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर
मैसर्स एजेएस एंड एसोसिएट्स, देहरादून	टनकपुर और धौलीगंगा
मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता	रंगित, तीस्ता–V और सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु
मैसर्स वाई.एस. ठाकर एंड कंपनी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल	लोकटक, टीएलडीपी–III और टीएलडीपी–IV

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एक्सबीआरएल प्रारूप में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को 24 सितंबर, 2020 को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

35. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) और धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट http://www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm पर उपलब्ध है।

36. ऋणों, निवेशों और कारपोरेट गारंटियों के विवरण

दिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गईं प्रतिभूतियों के संबंध में एनएचपीसी के लिए अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के व्यापार में लगे होने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (उप–धारा 1 को छोड़कर) लागू नहीं है।

37. कर्मचारियों का ब्यौरा

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की प्रकटन अपेक्षाओं से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

कंपनी के कर्मचारियों के पारिश्रमिक, वेतन ढांचे, भत्ते और अन्य लाभों संबंधी नीति प्रासंगिक डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है। कंपनी का वेतन ढांचा और भत्ते वेबसाइट http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/RTI%20Corner%20Wages%20Updation ENG CAA 201905 1.pdf पर भी उपलब्ध हैं।

38. बोर्ड तथा बोर्ड की समितियां

निदेशक मंडल की वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ग्यारह बैठकें हुईं। बोर्ड की बैठकों और उसमें उपस्थिति का ब्यौरा निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग बनता है।

बोर्ड की अनिवार्य समितियां अर्थात लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता समिति का विधिवत गठन 7 सितंबर, 2020 तक अर्थात एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के शेष दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल तक किया गया था। प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किए जाने को देखते हुए, निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और निगमित अभिशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से अनुपालन करने के लिए उपलब्ध गैर–स्वतंत्र निदेशकों के साथ अपनी अनिवार्य समितियों (नामांकन और पारिश्रमिक समिति को छोड़कर) अर्थात लेखापरीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति और निगमित अभिशासन संबंधी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता समिति का पुनर्गठन किया है। बोर्ड की विभिन्न समितियों, उनकी बैठकों और और संरचना का ब्यौरा निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था जहां बोर्ड ने उसकी किसी समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जो बाध्यकारी रूप से अपेक्षित होती है।

39. बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

आपकी कंपनी ने सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अपनी दिनांक 11 फरवरी, 2021 को आयोजित बैठक में किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों ने जून, 2019 में आयोजित अपनी पृथक बैठक में कार्यात्मक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि उनके निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है।

40. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) की अपेक्षाओं के अनुरूप, निदेशक उत्तरदायित्व के विवरण के संबंध में, यह पुष्टि की जाती है कि:

क. वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानदंडों का अनुसरण किया गया है और महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें निरंतर लागू किया था और ऐसे निर्णय लिए थे और अनुमान लगाए थे, जो इतने तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;

ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए थे;

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को अनवरत अवधारणा के आधार पर तैयार किया था

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रों को स्थापित किया था और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे; और

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थीं और ये ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

41. सचिवालयी मानक

आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित लागू सचिवालयी मानकों अनुपालन किया है।

42. सामान्य

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटन अथवा सूचना अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन मदों के संबंध में कोई लेन–देन नहीं किए थे:

1. लाभांश, मतदान या अन्यथा के संबंध में विभेदी अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों के मुद्दे।
2. किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वीट इक्विटी शेयरों सहित)।
3. विनियामकों अथवा अदालतों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक आदेश जो कम्पनी की अनवरत

अवधारणा स्थिति अथवा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करे।

4. वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक ऐसा कोई वास्तविक परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धता का होना जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

5. अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत भामिल किए गए सार्वजनिक जमा से संबंधित ब्यौरे।

6. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर तथा उसके कारणों सहित, के ब्यौरे।

43. कंपनी की विभिन्न नीतियों हेतु वेबसाइट लिंक

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर आदि के अनुसार कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर प्रदर्शित किए जाने हेतु अपेक्षित सूचना के लिए वेबसाइट लिंक निम्नानुसार है:

विवरण	वेबसाइट लिंक
संबंधित पक्ष लेन–देन संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयतानीति	www.nhpcindia.comè csr-policy.htm
वास्तविक सहायक कंपनियों संबंधी नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf
व्हीसल ब्लोअर नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp.pdf
निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Details%20of%20Director%20Training_FY2019-20%20-%20English.pdf
लाभांश वितरण नीति	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Dividend-Policy-21062017.pdf
वार्षिक उद्धरण	http://www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm

44. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

निदेशक मंडल की संरचना और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में अंतिम वार्षिक रिपोर्ट के समय से निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. श्री जुगल किशोर महापात्रा और श्री भागवत प्रसाद 7 सितंबर, 2020 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

2. श्री महेश कुमार मित्तल 30 सितंबर, 2020 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नहीं रहे।

3. श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल की नियुक्ति 1 अक्तूबर, 2020 से कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में की गई थी।

4. श्री रतीश कुमार 31 दिसंबर, 2020 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक (परियोजनाएं) नहीं रहे।

5. श्री बिश्वजीत बासु को 1 जनवरी, 2021 से कंपनी के निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया गया।

6. स्वर्गीय (श्री) विजय गुप्ता के दुखद निधन के कारण 16 जनवरी, 2021 को कंपनी के कंपनी सचिव नहीं रहे।

7. श्री सौरभ चक्रवर्ती की नियुक्ति 11 फरवरी, 2021 से कंपनी के कंपनी सचिव के रूप में की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक और बैठक शुल्क का ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

शेष दो स्वतंत्र निदेशकों अर्थात श्री जुगल किशोर महापात्रा और श्री भागवत प्रसाद का कार्यकाल 7 सितंबर, 2020 को पूरा होने के बाद से 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के लिए स्वतंत्रता का मानदंड और अन्य मामलों से संबंधित ब्यौरा निदेशक की रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।

श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) और श्री यमुना कुमार चौबे, निदेशक (तकनीकी) क्रमानुसार सेवानिवृत्ति के लिए पात्र हैं और पात्र होने के कारण उन्हें आगामी वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। आगामी एजीएम में नियुक्त/पुनः नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल एजीएम बैठक की सूचना में दिया गया है।

45. अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल भारत सरकार को, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामक और सांविधिक प्राधिकरण ों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समय–समय पर अत्यधिक सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है।

बोर्ड सभी हितधारकों जिसमें बैंकर, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, परामर्शदाता, ठेकेदार, विक्रेता आदि शामिल हैं, को भी उनके निरंतर विश्वास, लगातार समर्थन और कंपनी में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड सीएंडएजी कार्यालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालीय लेखापरीक्षक और लागत लेखापरीक्षकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों को भी स्वीकार करता है।

बोर्ड श्री रतीश कुमार, श्री महेश कुमार मित्तल, श्री जुगल किशोर महापात्रा और श्री भागवत प्रसाद द्वारा कंपनी के बोर्ड में अपने–अपने कार्यकाल के दौरान विशेषज्ञता, उत्साह, निर्देशों और किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपनी प्रशंसा रिकॉर्ड पर रखना चाहता है।

बोर्ड वर्ष के दौरान कंपनी के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए सभी स्तरों पर एनएचपीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित और सच्चे प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता है।

बोर्ड सरकार में सभी अधिकारियों और कार्मिकों, डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों, ट्रांसपोर्टरों, पुलिस, कानून कार्यान्वित करने वाली और अन्य एजेंसियों, जो कोविड–19 महामारी से हमारे देश को सुरक्षित रखने और आवश्यक सेवाओं को चालू रखने, टीकाकरण अभियान में पंजीकृत करने और उसे चलाने में सहायता करते हुए महामारी के विरुद्ध लड़ने में सबसे आगे थे, के समर्पण, धैर्य, संकल्प, साहस और अथक प्रयासों के लिए सलाम करता है। एनएचपीसी को गर्व है कि इसके कर्मचारियों विशेषकर पावर स्टेशन और परियोजनाओं में पदस्थापित कर्मचारियों, जो इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान राष्ट्र की सेवा में योगदान कर रहे हैं, ने निरंतर और कठोर परिश्रम किया है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

तारीखः 27 अगस्त, 2021
स्थानः फरीदाबाद

अनुबंध-I

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. कारपोरेट अभिशासन पर कंपनी का दर्शनः

आपकी कंपनी इस बात में विश्वास करती है कि प्रभावी कारपोरेट अभिशासन की कार्यपद्धतियां वाणिज्यिक उपक्रम के सफल प्रचालन के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करने हेतु आवश्यक हैं। कारपोरेट अभिशासन के संबंध में कंपनी का दर्शन सभी हितधारकों, जिसमें विनियामक, कर्मचारी, ग्राहक, विक्रेता, निवेशक और बड़े पैमाने पर समाज शामिल है, को पारदर्शिता, जिम्मेदारी, नैतिक कॉर्पोरेट व्यवहार और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

आपकी कंपनी, कंपनी के लिए लागू सभी विनियामक प्रावधानों जैसे कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट अभिशासन कार्यपद्धतियों को कार्यान्वित करती है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कारपोरेट अभिशासन और प्रकटन अपेक्षाओं के साथ अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट नीचे दी गई हैः

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक भूमिका नीतिगत पर्यवेक्षण के माध्यम से शेयरधारकों की संपत्ति को अधिकतम करना है। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करता है, निदेश देता है और उपयुक्त नियंत्रण रखता है कि कंपनी अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़े। सभी सांविधिक और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री सूचना बोर्ड के समक्ष इसके दायित्वों के प्रभावी और कुशल निर्वहन के लिए रखी जाती है।

आपकी कंपनी का बोर्ड निरंतर रूप से आपकी कंपनी के विजन और मिशन के अनुरूप नए लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास करता है।

(i) बोर्ड का आकार और संयोजनः

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिए ान के संदर्भ में, बोर्ड में न्यूनतम चार और अधिकतम पंद्रह निदेशक होंगे। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में छः निदेशक थे, जिनमें से पांच कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित) थे और एक सरकारी नामिती निदेशक थे।

एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है और यह विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिए ान के अनुसार, कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति/उनका नामांकन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तदनुसार, निदेशकों, जिन्हें बोर्ड में लिया जाना है, के कौशल, विशेषज्ञता और क्षमताओं का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

कंपनी के बोर्ड में वर्तमान निदेशक इंजीनियरिंग, वित्त, लेखा, बैंकिंग, मानव संसाधन, सामान्य कॉर्पोरेट प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में प्रचुर ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव वाले विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं होने की स्थिति में, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और कारपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। कंपनी ने अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए विद्युत मंत्रालय/लोक उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर भारत सरकार से अनुरोध किया है।

(ii) निदेशकों की कार्य अवधिः

अध्यक्ष और प्रबंध निदे ाक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा भारत सरकार के अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सामान्यतः तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। सरकारी नामिती निदेशक नामांकन प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा नामांकन प्राधिकारी के अधिकारी रहने तक बोर्ड में बने रहते हैं।

(iii) नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का जीवन–वृतः

आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे निदेशकों का संक्षिप्त जीवन–वृत वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है।

(iv) बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल की ग्यारह बैठकें हुई। वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और उसमें उपस्थिति का ब्यौरा नीचे **तालिका–1** में दिया गया है।

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड की जन ाक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या		बोर्ड बैठक की उपस्थिति का प्रतिशत ′
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	434	06 मई, 2020	8	5	3	100
2.	435	28 मई, 2020	8	6	2	100
3.	436	27 जून, 2020	8	2	6	100
4.	437	11 अगस्त 2020	8	2	5	87.50
5.	438	31 अगस्त, 2020	8	3	4	87.50
6.	439	20 अक्टूबर, 2020	6	4	2	100
7.	440	11 नवंबर, 2020	6	2	4	100
8.	441	16 दिसंबर, 2020	6	6	0	100
9.	442	30 दिसंबर, 2020	6	5	1	100
10.	443	11 फरवरी, 2021	6	5	1	100
11.	444	21 मार्च, 2021	6	5	1	100

बोर्ड की किन्हीं दो बैठकों के बीच समय का अधिकतम अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं था। 07 सितंबर, 2020 के बाद आयोजित बोर्ड की बैठकों के लिए आवश्यक कोरम स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण उपस्थित नहीं थी। निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ सामान्यतः रखी गई कार्यसूची मदों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- वार्षिक प्रचालनरत योजनाएं, बजट तथा उससे संबंधित अद्यतन सूचना।
- पूंजीगत बजट और उससे संबंधित अद्यतन सूचना।
- कंपनी और समूह के तिमाही वित्तीय परिणाम और वार्षिक वित्तीय विवरणी।
- बोर्ड स्तर की समितियों का गठन/पुनर्गठन।
- बोर्ड स्तर की समितियों के विचारार्थ मुद्दे
- निदेशकों की रिपोर्ट
- प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (बोर्ड से एक स्तर कम) अर्थात कार्यपालक निदेशक के स्तर पर पदोन्नति।
- बोर्ड स्तर की विभिन्न समितियों की बैठकें के कार्यवृत्त।
- सहायक कंपनियों के निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त।
- विभिन्न स्थलों/यूनिटों पर घातक अथवा गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई वास्तविक उत्सर्जन अथवा प्रदूषण संबंधी समस्याएं।
- वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण कारण बताओं, मांग, अभियोजन नोटिस तथा अर्थदंड नोटिस।
- प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटन।
- स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा।

- निर्माणाधीन परियोजनाओं, ओएण्डएम पावर स्टेशनों और निवेश–पूर्व चरण के तहत परियोजनाओं की स्थिति।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव या वृहद मूल्य वाली संविदाओं को अवार्ड करना।
- बोर्ड द्वारा वांछित मामलों संबंधी की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा कार्यपद्धतियों में परिवर्तन तथा उनके कारण।
- बोर्ड को आवधिक रिपोर्टें, जैसे कि:
  - सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन–देनों तथा व्यवस्थाओं का तिमाही विवरण।
  - नामांकन आधार पर की गई खरीद/कार्य/संविदाओं के संबंध में तिमाही सूचना।
  - विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
  - निवेशक शिकायतों की तिमाही स्थिति।
  - कार्यात्मक निदेशकों तथा कर्मचारियों की विदेश यात्रा संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
  - अल्पावधि जमा तथा निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
  - शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के पुनर्मिलान संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
  - कारपोरेट अभिशासन मानदण्डों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
  - माध्यस्थम मामलों की तिमाही स्थिति।
- सेबी एलओडीआर और अन्य संगत संविधियों के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष उसकी समीक्षा/सूचना के लिए रखे जाने वाले अपेक्षित सभी अन्य मामले।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, निदेशकों, बोर्ड की बैठकों/अंतिम एजीएम में उनकी उपस्थिति, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या, अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में उनके निदेशक की पदधारिता और अन्य कंपनियों के निदेशक की पदधारिता की संख्या तथा बोर्ड स्तर की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या **तालिका 2** में दी गई है।

तालिका 2

निदेशक का नाम (श्री)	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित और भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम (29 जून, 2020) में उपस्थिति	कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या'	अन्य कंपनियों में धारित समिति सदस्यता की संख्या'		अन्य सूचीबद्ध निकायों में निदेशक का पद (निदेशक पद की श्रेणी)
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप मे	
कार्यात्मक निदेशक							
अभय कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	11/11 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक सहित)	हाँ	16,425	2	शून्य	शून्य	शून्य
निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक)	11/11 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांच बैठकों सहित)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
यमुना कुमार चौबे, निदेशक (तकनीकी)[1]	11/11	हाँ	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य
राजेंद्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त)[2]	6/6	उ.न.	17,488	2	1	शून्य	शून्य
बिश्वजीत बासु, निदेशक (परियोजनाएं)[3]	2/2	उ.न.	8,625	3	शून्य	शून्य	शून्य

महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त)[4]	5/5 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो बैठकों सहित)	हाँ	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं)[5]	9/9 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार बैठकों सहित)	हाँ	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
सरकारी नामिती निदेशक							
तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय[6]	7/9 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छः बैठकों सहित)	नहीं	शून्य	3	1	1	1. एसजेवीएन लिमिटेड (नामिती निदेशक) 2. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नामिती निदेशक) 3. आरईसी लिमिटेड (नामिती निदेशक)
अनिरूद्ध कुमार, संयुक्त सचित (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय[7]	2/2 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक सहित)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
स्वतंत्र निदेशक							
भागवत प्रसाद[8]	5/5 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांच बैठकों सहित)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
जुगल किशोर महापात्रा[8]	5/5 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांच बैठकों सहित)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

* भारतीय कंपनियों में धारित निदेशक पद पर विचार किया गया है।

** अन्य कंपनियों में लेखापरीक्षा समिति तथा हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

1. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में 01.04.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
2. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में 01.10.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
3. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में 01.01.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
4. अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के बोर्ड में 30.09.2020 से निदेशक नहीं रहे।
5. अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के बोर्ड में 31.12.2020 से निदेशक नहीं रहे।
6. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में 11.06.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
7. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में 29.05.2020 से निदेशक नहीं रहे।
8. दिनांक 07.09.2020 को कार्यकाल के समाप्त हो जाने पर कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

टिप्पणियां:

क) कंपनी के निदेशकों में से कोई भी निदे ाक एक समय में सात (7) सूचीबद्ध कंपनियों सहित दस (10) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं है।

ख) कंपनी के निदेशकों में से कोई भी निदे ाक सभी कंपनियों, जिसमें वह एक निदेशक है, में दस से अधिक (10) समितियों में सदस्य अथवा पांच से अधिक (5) बोर्ड स्तर की समितियों का अध्यक्ष नहीं है। बोर्ड स्तरीय समितियों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता अथवा सदस्यता पर ही विचार किया गया है।

ग) कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों में से कोई भी पूर्णकालिक निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

घ) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहा था।

ङ) कंपनी के निदेशकों का आपस में परस्पर संबंध नहीं है।

च) एनएचपीसी ने अद्यतन तिथि तक कोई परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किया है, अतः किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक ने ऐसा कोई दस्तावेज धारित नहीं किया है।

(v) बोर्ड की स्वतंत्रता

कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन की प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार, कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्त/नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव के संबंध में विचार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में शेष स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री जुगल किशोर महापात्रा और श्री भागवत प्रसाद दिनांक 7 सितंबर, 2020 को अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर कंपनी के निदेशक नहीं रहे। कंपनी के अपने बोर्ड में 8 सितंबर, 2020 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कंपनी से इस्तीफा नहीं दिया है।

(vi) निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रमः

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के संबंध में एक नीति कार्यान्वित की है, जिसमें कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य सभी निदेशक शामिल हैं। कंपनी के निदेशकों को समय–समय पर लोक उद्यम विभाग, स्कोप और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा कारपोरेट अभिशासन, निदेशकों की भूमिका और उत्तरदायित्व तथा अन्य उद्योग से संबंधित मामलों पर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है। इससे वे अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी और दक्ष निर्वहन के लिए ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में सक्षम होते हैं।

निदेशकों द्वारा भाग लिए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Familirisation%20Programme-English_IFA_202104_2.pdf

(vii) कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी कंपनियों को बोर्ड, इसकी समितियों, स्वयं निदेशकों के प्रभावी कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के लिए तरीके का उल्लेख करने, इसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करने से छूट दी थी। उक्त अधिसूचना में तरीके जिसमें बोर्ड, इसकी समितियों और अलग–अलग निदेशकों का वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन किया गया है, यदि निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा हो, के बारे में निदेशक की रिपोर्ट सूचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के सभी शीर्ष प्रबंधन पदधारियों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु निर्धारित तंत्र के अनुसार, कंपनी के सभी कार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नामिती निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन भी नामिती प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, कंपनी के बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन के लिए, "बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति" बनाई गई है। नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा निम्नानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है:

क. नामांकन और पारिश्रमिक समिति प्रत्येक निदेशक से बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन की रेटिंग पूर्व–निर्धारित मापदंडों के आधार पर करने का अनुरोध करती है। यह रेटिंग निम्नलिखित पैमाने पर दी जाती है:

पैमाना	निष्पादन
5	अत्यधिक अच्छा
4	अच्छा
3	संतोषजनक
2	सुधार की आवश्यकता है
1	अस्वीकार्य

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सील बंद लिफाफे में मूल्यांकन फार्म प्राप्त करने और रेटिंग का सारांश तैयार करने का कार्य करती है। सारांशीकृत रेटिंगों के आधार पर, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते है। वे स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता होने पर व्यक्तिगत निदेशक के साथ चर्चा कर सकते हैं।

ग. रिपोर्ट नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचार हेतु रखी जाती है। समिति रिपोर्टं की समीक्षा करती है और बोर्ड द्वारा विचार किए जाने हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है।

घ. बोर्ड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात आवश्यक निर्देश जारी करता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड स्तरीय समितियों एवं स्वतंत्र निदेशकों का कार्य– निष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2020–21 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किया जाएगा। नामांकन और पारिश्रमिक समिति सामान्यतः कंपनी सचिव को बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन कर रेटिंग करने के लिए निदेशकों से अनुरोध करने हेतु प्राधिकृत करती है, मूल्यांकन फॉर्म प्राप्त करती है और रेटिंग को सारांशीकृत करती है ताकि अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकें।

3. बोर्ड की समितियां:

बोर्ड की समितियां कंपनी की अभिशासन संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और बोर्ड को विशिष्ट क्षेत्रों/क्रियाकलापों पर तार्किक निर्णय लेने में सहायता करती हैं। उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मामलों पर समितियों की सिफारिशें बोर्ड के समक्ष सूचना/अनुमोदन के लिए रखी जाती हैं। निम्नलिखित अनिवार्य समितियां 7 सितंबर, 2020 तक कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित संरचना संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार) में मौजूद थीं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति

आपकी कंपनी के शेष दो स्वतंत्र निदेशकों का 7 सितंबर, 2020 को कार्यकाल पूरा होने के कारण 8 सितंबर, 2020 से इसके बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से अनुपालन करने के लिए, उपर्युक्त अनिवार्य समितियों (नामांकन और पारिश्रमिक समिति को छोड़कर) का पुनर्गठन उपलब्ध गैर–स्वतंत्र निदेशकों के साथ निदेशक मंडल द्वारा किया गया था। पुनर्गठन के बाद, जोखिम प्रबंधन समिति को छोड़कर अनिवार्य समितियों की संरचना सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के साथ ही संगत सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा।

संकेंद्रित और प्रभावी निर्णय लेना सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित गैर–अनिवार्य समितियां भी कंपनी में मौजूद हैं:

1. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात क्रियाकलापों से संबंधित निदेशकों की समिति
2. निदेशकों की समिति – अपीलीय प्राधिकरण (7 सितंबर, 2020 को शेष स्वतंत्र निदेशकों के नहीं रहने के उपरांत, बोर्ड द्वारा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था)।

कंपनी सचिव, समितियों के सचिव के रूप में कार्य करते है। जहां–कहीं समितियों द्वारा अपेक्षित हो, समितियों के समक्ष रखे गए मामलों पर आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। बोर्ड ने बोर्ड की समिति (समितियों) की उन सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिनका अनिवार्य रूप से समिति (समितियों) द्वारा उसके अनुमोदन के लिए सिफारिश किया जाना आवश्यक है।

अनिवार्य और गैर–अनिवार्य समितियों के सदस्यों, आयोजित बैठकों, विचारार्थ मुद्दों आदि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

3.1 लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

i)	श्री तन्मय कुमार	सरकार नामिती निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
iii)	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में पदेन आमंत्रिती होते है। मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की उन बैठकों में आमंत्रित किया गया था जिनमें क्रमशः वित्तीय विवरणों तथा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की गई थी।

विचारार्थ मुद्दे:

समिति के विचारार्थ मुद्दे नीचे दिए गए हैं:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
2. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ उसकी समीक्षा करना:
   क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
   ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
   ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों में शामिल प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
   घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कारण सृजित वित्तीय विवरणों में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन;
   ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन;
   च) किसी संबंधित पक्षकार लेन–देन का प्रकटन; और
   छ) प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत।
5. तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ उसकी समीक्षा करना।
6. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य–निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ उसकी समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, उसमें कर्मचारियों की संख्या और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना और आंतरिक लेखापरीक्षा की कवरेज और फ्रीक्वेंसी सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

8. किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।
9. ऐसे मामलों, जिनमें संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या वास्तविक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता का संदेह हो, में आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और मामले की सूचना बोर्ड को देना।
10. कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में विचार–विमर्श करना तथा लेखापरीक्षा के पश्चात विचार–विमर्श करना ताकि किसी महत्त्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों की अदायगी न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।
12. व्हीसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।
13. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा (सीएंडएजी) की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संप्रेषण के लिए एक मुक्त आयाम उपलब्ध कराना।
16. सम्बन्धित पक्षकारों के साथ कम्पनी के लेन–देनों का अनुमोदन अथवा तत्पश्चात उसमें कोई संशोधन करना।
17. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की समीक्षा करना।
18. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करनाः
    - कम्पयूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आतंरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
    - प्रबंधन के उत्तरों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें
19. निम्नलिखित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करनाः
    - पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
    - लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें क्रियाकलापों के क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिबंध अथवा अपेक्षित आवश्यक सूचना तक पहुंच शामिल है।
20. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा कार्य–निष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा और मॉनीटरिंग करना।
21. अंतर कारपोरेट ऋणों तथा निवेश की जाँच।
22. जहां भी अपेक्षित हो, कंपनी की वचनबद्धताओं अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।
23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
24. प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइटस इश्यू, अधिमानी इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में उल्लिखित किए गए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों के विवरण और किसी पब्लिक अथवा राइटस इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग की मॉनीटरिंग करने वाली मॉनीटरिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना और इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
25. बोर्ड को कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
26. निम्नलिखित की समीक्षाः
    क) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थितियों तथा प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण।
    ख) प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण कमियों के पत्र।
    ग) आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
27. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की समीक्षा तथा उन्हें हटाना।

28. सहायक कंपनी में 100 करोड़ रूपये से अधिक अथवा सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक के कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों और/अथवा अग्रिमों/निवेश के उपयोग की समीक्षा।

29. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना।

30. इसका सत्यापन करना कि सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 मे दी गई अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनरत हैं।

31. कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसरण में लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों की शर्तो में यथा उल्लिखित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें और उपस्थितिः

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें हुई। बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा **तालिका 3** में दिया गया है।

तालिका–3: लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.सं.	बैठक की तिथि	श्री अनिरुद्ध कुमार[1]	श्री तन्मय कुमार[2]	श्री भागवती प्रसाद[3]	श्री जुगल किशोर महापात्रा[3]	श्री निखिल कुमार जैन[4]	श्री यमुना कुमार चौबे[4]
1.	06 मई, 2020	🖳	उपलब्ध नहीं	🖳	🖳	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	27 जून, 2020	उपलब्ध नहीं	👤	🖳	🖳	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	29 जुलाई, 2020	उपलब्ध नहीं	👤	🖳	🖳	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	31 अगस्त, 2020	उपलब्ध नहीं	👤	🖳	🖳	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		1	3	4	4	0	0
भाग ली गई बैठकें		1	0	4	4	0	0
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	0	100	100	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

[1] दिनांक 29.05.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

[2] दिनांक 17.06.2020 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई और दिनांक 08.09.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे। उसके बाद, दिनांक 21.03.2021 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई।

[3] दिनांक 08.09.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

[4] दिनांक 21.03.2021 से समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई।

👤 अनुपस्थिति की अनुमति 🖳 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

श्री जुगल किशोर महापात्रा, स्वतंत्र निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता की। यह समिति स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन नहीं किए जाने के कारण 08 सितंबर, 2020 से 20 मार्च, 2021 तक अस्तित्व में नहीं थी। तदनुसार, उपर्युक्त अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर के प्रावधानों और कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों का बहुत अधिक अनुपालन करते हुए बोर्ड ने उपलब्ध गैर–स्वतंत्र निदेशकों के साथ 21 मार्च, 2021 से लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया था।

लेखापरीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष 29 सितंबर, 2020 को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वे 7 सितंबर, 2020 को कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

3.2 हितधारक संबंध समिति

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

(i)	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष
(ii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
(iii)	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
(iv)	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य

कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के प्रतिनिधि को आरटीए द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी देने के लिए समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था।

विचारार्थ विषय

समिति की विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों को हल करना जिनमें शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करने, सामान्य बैठकों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

(ii) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी उपयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं की संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।

(iv) अदावाकृत लाभांशों की मात्रा को कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों तथा पहलों की समीक्षा और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिसों की समय से प्राप्ति सुनिश्चित करना।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति ने एक बैठक की। बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा **तालिका 4** में दिया गया है।

तालिका 4: हितधारक संबंध समिति बैठक

क्र.सं.	बैठक की तिथि	श्री भागवत प्रसाद[1]	श्री जुगल किशोर महापात्रा[1]	श्री महेश कुमार मित्तल[1]	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल[2]	श्री निखिल कुमार जैन[2]	श्री यमुना कुमार चौबे	श्री बिश्वजीत बासु[2]
1.	03 सितंबर, 2020	🖵	🖵	👤	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		1	1	1	0	0	0	0
भाग ली गई बैठकें		1	1	0	0	0	0	0
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

[1] दिनांक 08.09.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

[2] दिनांक 21.03.2021 से समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

👤 अनुपस्थिति की अनुमति 🖵 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

श्री सौरभ चक्रवर्ती, कंपनी सचिव की नियुक्ति दिनांक 16 जनवरी, 2021 को श्री विजय गुप्ता, भूतपूर्व कंपनी सचिव की दुखद मृत्यु के बाद दिनांक 11 फरवरी, 2021 से सेबी एलओडीआर के विनियम 6 के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में की गई थी।

शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतें:

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतों पर, विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों को छोड़कर, तेजी से कार्रवाई की गई थी। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा **तालिका–5** में दिया गया है।

तालिका 5: शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतें:

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभिक शेष	31,मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त	31, मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गईं	31, मार्च 2021 को लंबित
क. इक्विटी शेयर				
प्रतिदेय आदेश प्राप्त न होना	-	-	-	-
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	-	3,119	3,119	-
सेबी स्कोर्स पर प्राप्त शिकायतें	-	17	17	-
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	-	4	4	-
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	2	-	-	2
वकील के नोटिस	-	-	-	-
कुल (क)	**2**	**3,140**	**3,140**	**2**
ख. बाण्ड				
प्रतिदेय आदेश प्राप्त न होना	-	-	-	-
टीडीएस प्रमाण–पत्र प्राप्त न होना	-	-	-	-
इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	-	-	-	-
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	-	138	138	-
बाण्ड/प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	-	10	10	-
कुल (ख)	**-**	**148**	**148**	**-**
सकल जोड़ (क + ख)	**2**	**3,288**	**3,288**	**2**

सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) – सूचीबद्ध कंपनियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सेबी की ऑनलाइन पोर्टल

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास एक वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली 'स्कोर्स' है, जो शेयरधारक (शेयरधारकों)/बॉन्डधारक (बांडधारकों) को कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायतें करने में सक्षम बनाती है। शिकायत के पंजीकरण पर, एक विशिष्ट शिकायत पंजीकरण संख्या भविष्य के संदर्भ और ट्रैकिंग के लिए आवंटित की जाती है। दायर की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति को भी ऑनलाइन जाना जा सकता है और और शेयरधारक/बांडधारक अपनी शिकायत के लिए अनुस्मारक भेज सकता हैं। कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करें और शिकायत का निपटारा सेबी द्वारा उस स्थिति में किया जाता है, जब यह संतुष्ट हो कि शिकायत का समुचित रूप से निवारण कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई और रजिस्ट्रार और इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट स्कोर्स के माध्यम से सेबी को प्रस्तुत की गई हैं।

कोई भी निवेशक, जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा उसके पास स्कोर्स तक पहुंच नहीं है, लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

3.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देश में प्रावधान है कि पारिश्रमिक समिति वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल का निर्णय करेगी और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों एवं गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करेगी।

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के कारण, एनएचपीसी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को बोर्ड तथा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। सरकारी नामिती निदेशक को कंपनी द्वारा किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया है, क्योंकि समिति में गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे और दिनांक 7 सितंबर, 2020 को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के नहीं रहने के उपरांत, कंपनी के पास इसके बोर्ड में केवल एक गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकारी नामिती निदेशक) हैं। समिति का पुनर्गठन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद किया जाएगा।

7 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार समिति का संयोजन नीचे दिया गया है:

i)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री तन्मय कुमार	सरकारी नामिति निदेशक	सदस्य

निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त) समिति की बैठकों में पदेन आमंत्रिती थे।

समिति के विचारार्थ विषय:

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड निरूपित करना।
2. वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए नीति की सिफारिश करना।
3. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड का निरूपण।
4. बोर्ड की विविधता पर एक नीति बनाना।
5. निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा उन्हें हटाने की सिफारिश करना।
6. अन्य भत्तों और परिलब्धियों आदि की जांच करना और अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
7. बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को, किसी भी रूप में, देय सभी पारिश्रमिकों की सिफारिश करना।
8. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचियन करार/सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन दिशा–निर्देशों के प्रवाधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें और उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक और इसमें सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा **तालिका 6** में दिया गया है।

तालिका 6: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक

क्र. सं.	बैठक की तिथि	श्री अनिरुद्ध कुमार[1]	श्री तन्मय कुमार[2]	श्री जुगल किशोर महापात्रा[3]	श्री भागवत प्रसाद[3]
1.	06 अगस्त, 2020	उपलब्ध नहीं	👤	🖵	🖵
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		0	1	1	1
भाग ली गई बैठकें		0	0	1	1
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		उपलब्ध नहीं	0	100	100

[1] दिनांक 29.05.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

[2] दिनांक 17.06.2020 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये और दिनांक 08.09.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

[3] दिनांक 08.09.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

👤 अनुपस्थिति की अनुमति 🖵 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी समिति

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

(i)	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य और अध्यक्ष
(ii)	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
(iii)	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य

बैठकें और उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें हुई। बैठकों और उसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे **तालिका 7** में दिए गए है।

तालिका 7: कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी समिति की बैठकें

क्र. स.	बैठक की तिथि	श्री भागवत प्रसाद[1]	श्री महेश कुमार मित्तल[1]	श्री रतीश कुमार[1]	श्री निखिल कुमार जैन[1]	श्री यमुना कुमार चौबे[2]	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल[3]	श्री बिश्वजीत बासु[3]
1.	24 अप्रैल, 2020	🖳	🖳	🖳	🕴		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	10 जुलाई, 2020	🖳	🖳	🖳	🕺		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		2	2	2	2	2	0	0
भाग ली गई बैठकें		2	2	2	1	2	0	0
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100	50	100	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: श्री जनार्दन चौधरी, भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी) दिनांक 31.03.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

[1] दिनांक 08.09.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

[2] दिनांक 08.09.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे और दिनांक 21.03.2021 समिति के पदेन सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

[3] दिनांक 21.03.2021 से समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

🕺 अनुपस्थिति की अनुमतिए 🕴 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 🖳 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी एलओडीआर की अपेक्षाओं के अनुसार, तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के समापन पर बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित किए गए अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियां (05.05.2021 से, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियां) एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेंगी। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित की गई शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में एनएचपीसी शामिल थी।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

(i)	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य और अध्यक्ष
(ii)	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
(iii)	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य

विचारार्थ विषयः

1. प्रचालनात्मक, कार्यनीतिक और बाहरी परिवेश जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशमन से संबंधित उत्तरदायित्वों की निगरानी करके कारपोरेट अभिशासन में बोर्ड की सहायता करना।
2. कंपनी की जोखिम नीतियों/योजनाओं तथा संबंधित व्यवहारों को बनाना, उनकी समीक्षा तथा मॉनीटरिंग करना।
3. किसी सार्वजनिक दस्तावेजों अथवा प्रकटनों में जोखिम प्रकटन विवरण का अनुमोदन तथा समीक्षा करना।
4. कंपनी अधिनियम, 2013, सूचियन करार/सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन दिशा–निर्देशों के प्रवाधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कोई कार्य करना।

बैठकें तथा उपस्थितिः

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक हुई। बैठक और इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे **तालिका 8** में दिए गए हैं।

तालिका 8 – जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें

क्र. सं.	बैठक की तिथि	श्री जुगल किशोर महापात्रा[1]	श्री भागवत प्रसाद[1]	श्री रतीश कुमार[1]	श्री यमुना कुमार चौबे[2]	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल[2]	श्री बिश्वजीत बासु[2]
1.	25 फरवरी, 2021	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	👤	👤	👤
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		0	0	0	1	1	1
भाग ली गई बैठकें		0	0	0	1	1	1
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत'		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	100	100	100

टिप्पणीः श्री जनार्दन चौधरी, भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी) दिनांक 31.03.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

[1] दिनांक 08.09.2020 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

[2] दिनांक 13.01.2021 से समिति के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

3.6 एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन–पश्चात क्रियाकलापों के लिए निदेशकों की समिति

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः

i)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य (अध्यक्ष)
ii)	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
iii)	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य

समिति के विचारार्थ विषयः

1. प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना;
2 प्रतिभूतियों का अंतरण और ट्रांसमिशन;
3 प्रतिभूतियों को री–मेटीरियलाइजेशन;
4 प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना; और
5 एचएचपीसी प्रतिभूतियों का समेकन/पृथक्करण।

बैठकें और उपस्थितिः

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक हुई। बैठकों और उसमें सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे **तालिका 9** में दिया गया है।

तालिका 9: एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन– पश्चात कियाकलापों के लिए निदेशकों की समिति की बैठक

क्र.सं.	बैठक की तिथि	श्री रतीश कुमार[2]	श्री महेश कुमार मित्तल[1]	श्री निखिल कुमार जैन	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल[1]	श्री बिश्वजीत बासु[2]
1.	17 नवंबर, 2020	●	उपलब्ध नहीं	○	○	उपलब्ध नहीं
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		1	0	1	1	0
भाग ली गई बैठकें		0	0	1	1	0
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		0	उपलब्ध नहीं	100	100	उपलब्ध नहीं

[1] निदेशक (वित्त) समिति के पदेन सदस्य हैं। तद्नुसार, श्री महेश कुमार मित्तल, भूतपूर्व निदेशक (वित्त) के दिनांक 30.09.2020 से नहीं रहने के उपरांत, श्री आरपी गोयल, निदेशक (वित्त) दिनांक 01.10.2020 से समिति के सदस्य बन गए।

[2] निदेशक (परियोजनाएं) समिति के पदेन सदस्य हैं। तद्नुसार, श्री रतीश कुमार, भूतपूर्व निदेशक (परियोजनाएं) के दिनांक 31.12.2020 से नहीं रहने के उपरांत, श्री बिश्वजीत बासु, निदेशक (परियोजनाएं) दिनांक 01.01.2021 से समिति के सदस्य बन गए।

● अनुपस्थिति की अनुमतिए ○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

3.7 निदेशकों की समिति – अपीलीय प्राधिकरण

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल ने 8 सितंबर, 2020 से अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण निदेशकों की समिति– अपीलीय प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं किया है। 7 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार, समिति की संरचना नीचे दी गई है:

i)	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री भागवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य

विचारार्थ विषय:

समिति आचरण, अनुशासन और अपीलीय नियमों के अनुसार इसके समक्ष प्रस्तुत मामलों हेतु एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी।

बैठकें और उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई है।

4. बोर्ड/समिति बैठकों हेतु कार्यपद्धति:

(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया:

कंपनी अपने कार्यों के व्यावसायीकरण के लिए निदेश मंडल/इसकी समितियों की बैठकों हेतु सर्वोत्तम उद्योग परिपाटियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया जाना सुनिश्चित करती है। इससे बोर्ड तथा इसकी समितियों की बैठकों में एक सूचित तथा दक्ष निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

(ख) बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त मदों का निर्धारण और चयन:

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से उपयुक्त नोटिस जारी करके बोर्ड/निदेशकों की समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्यसूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा कार्यसूची नोटिस पटल पर रखी जाती है अथवा सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी असाधारण परिस्थितियों अथवा गोपनीयता बनाए रखने के चलते कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यावहारिक न हो, तो ऐसे दस्तावेज बैठक में पटल पर प्रस्तुत किये जाते हैं।

- हरित पहल के एक भाग के रूप में, बैठकों के लिए कार्यसूची इलेक्ट्रिानिक माध्यम से एन्क्रिपशन तथा पासवर्ड प्रोटेक्शन सुनिश्चित करते हुए भेजी जाती है।
- कार्यसूची दस्तावेज अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के पश्चात परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन सामान्यतः फरीदाबाद स्थित कंपनी के कार्यालय में किया जाता है।
- बोर्ड/समिति के समक्ष रखे गए मुद्दों की बेहतर समझ के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड/निदेशक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जाता है।
- बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी से संबंधित सूचना तक पूरी पहुंच है। निदेशक किसी भी मुद्दे की सिफारिश करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, जिसे वे कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।
- बोर्ड/निदेशक समिति द्वारा चर्चा किए जा रहे मामलों पर अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए, जब भी आवश्यक हो, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठकों के दौरान बुलाया जाता है।
- बोर्ड/समितियों के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) बोर्ड/निदेशकों की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों के प्रारूप कार्यवृत्त को बैठक समाप्ति के 15 दिन के भीतर उनकी टिप्पणियों हेतु सभी सदस्यों को विधिवत परिचालित किया जाता है। निदेशक प्रारूप कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणियां उसके परिचालन की तारीख से सात दिनों के भीतर संप्रेषित करते हैं। निदेशकों से प्राप्त टिप्पणियों का विवरण संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक की कार्यवाहियों के अनुमोदित कार्यवृत्त को बैठक की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर कार्यवृत्त में विधिवत दर्ज किया जाता है और सदस्यों को उनकी सूचना के लिए परिचालित भी किया जाता है।

(घ) अनुवर्तन तंत्र:

कंपनी की अभिशासन प्रक्रिया में एक प्रभावी बैठक–पुनस्च अनुवर्तन शामिल है। तदनुसार, बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट संकलित की जाती है और बोर्ड/संबंधित समिति के समक्ष इसकी आगामी बैठक में सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है। यह प्रभावी अनुवर्तन रिपोर्टिंग और निर्णयों की समीक्षा में सहायता करता है।

(ङ) कानूनों का अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों, सेबी विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों और विभिन्न कानूनों के तहत अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हमेशा कंपनी के सभी कार्यों में एक केंद्र बिंदु रहा है। कम्पनी ने स्थल/राज्य विशिष्ट कानूनों सहित सभी लागू कानूनों के अनुपालन/गैर–अनुपालन की आनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक तंत्र विकसित किया है। लागू कानूनों के अनुपालन की रिपोर्ट आवधिक रूप से सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाती है।

कंपनी ने सभी लागू सेबी विनियमों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/दिशा–निर्देशों के अनुपालन के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टाक एक्सचेंजों को एक वार्षिक सचिवालयी अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 28 दिसंबर, 2012 कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012–जीएम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और सेबी एलओडीआर की अपेक्षाओं के अनुसरण में, गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आयोजित की जानी आवश्यक है। कंपनी में दिनांक 8 सितंबर, 2020 से इसके बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की कोई अलग बैठक वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित नहीं की जा सकी है।

6. आचार संहिता:

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सभी संबंधितों द्वारा बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता का अनुपालन किया गया था।

सेबी एलओडीआर और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के तहत घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु क्रमशः व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

हस्ता/–
(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

तारीखः 14 जून, 2021
स्थानः फरीदाबाद

7. धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने संबंधी नीति

कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने की नीति प्रभावी है। यह नीति धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम, उसकी रिपोर्टिंग (यदि पता चला है या संदिग्ध है) और धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित मामलों पर निष्पक्ष व्यवहार के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराती है जिसमें कर्मचारियों के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं, या एनएचपीसी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे किसी अन्य पक्षकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की सभी रिपोर्टों की अत्यधिक प्राथमिकता के साथ जांच की जाती है

परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों के प्रमुख और कारपोरेट कार्यालय में विभाग प्रमुख (आंतरिक लेखापरीक्षा) को संबंधित स्थलों हेतु नीति के अंतर्गत नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।

8. एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने हेतु संहिता

समय–समय पर यथासंशोधित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, कंपनी ने "इनसाइडर्स द्वारा व्यापार के नियंत्रण, निगरानी तथा सूचना हेतु आचार संहिता" और "आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए उचित प्रकटन परिपाटियों की संहिता" तैयार और कार्यान्वित की है।

यह संहिता निम्नानुसार परिभाषित नामित व्यक्तियों पर लागू होती हैः

क) कंपनी के सभी निदेशक, केएमपी एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी;

ख) कंपनी के महाप्रबंधक तथा उससे उच्च स्तर के सभी कार्यपालक और कारपोरेट कार्यालय में वित्त विभाग, कंपनी सचिवालय और निदेशकों के सचिवालय में कार्य कर रहे सभी कार्यपालक;

ग) कंपनी की वास्तविक सहायक कंपनियों के निदेशक, केएमपी तथा कर्मचारी (प्रमुख/मुख्य अभियंता तथा उससे उच्च स्तर के कार्यपालक); और

घ) कंपनी के ऐसे अन्य कर्मचारी जिनमें वास्तविक सहायक कंपनियां, निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर नामित अस्थायी/तदर्थ कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर व्यापारिक प्रतिबंध लागू होंगे।

एनएचपीसी की प्रतिभूतियों में व्यापार हेतु ट्रेडिंग विंडो नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल निकटतम संबंधियों के लिए बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदनशील सूचना के रखे जाने के प्रस्तावित/प्रत्याशित होने के समय बंद रहती है। उपरोक्त के अलावा, ट्रेडिंग विंडो प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय परिणामों पर विचार करने के बाद 48 घंटे तक बंद रहती है।

इस संहिता के अंतर्गत कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। भेदिया व्यापार संहिता कपंनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैः

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Revised%20Insider%20Code%20dated%2007092020.pdf

9. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सरकारी नामिति निदेशकों को कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और समय–समय पर जारी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा के भीतर स्वंतत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।

बोर्ड ने बोर्ड अथवा उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क के रूप में 20,000/– रुपए प्रति बैठक की राशि निर्धारित की है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा तालिका 10 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बोर्ड/ समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का ब्यौरा तालिका 11 में दिया गया है।

तालिका 10: वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन+	लाभ'	कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	कुल
श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	40,58,520	16,70,108	21,28,274	78,56,902
श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)	40,55,247	16,18,104	25,06,962	81,80,313
श्री यमुना कुमार चौबे[1]	निदेशक (तकनीकी)	48,22,926	6,99,229	20,81,748	76,03,903
श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल[2]	निदेशक (वित्त)	22,07,886	3,51,573	0	25,59,459
श्री बिश्वजीत बासु[3]	निदेशक (परियोजनाएं)	19,58,705	22,27,592	0	41,86,297
श्री रतीश कुमार[4]	भूतपूर्व निदेशक (परियोजनाएं)	32,82,930	73,27,468	13,96,785	1,20,07,183
श्री महेश कुमार मित्तल[5]	भूतपूर्व निदेशक (वित्त)	25,72,922	56,73,305	14,48,043	96,94,270
श्री जनार्दन चौधरी[6]	भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी)	1,36,163	33,81,820	7,02,850	42,20,833

* लाभों में परिलब्धियां, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान अंशदान), छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी, नववर्ष का उपहार आदि, जिन्हें वेतन में शामिल नहीं किया गया था, शामिल हैं।

[1] दिनांक 01.04.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

[2] दिनांक 01.10.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

[3] दिनांक 01.01.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

[4] दिनांक 31.12.2020 से निदेशक नहीं रहे।

[5] दिनांक 30.09.2020 से निदेशक नहीं रहे।

[6] दिनांक 31.03.2020 से निदेशक नहीं रहे।

टिप्पणी:

1. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, सूचना अवधि और विच्छेद शुल्क, यदि कोई हो, सहित कार्यात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार शासित होती हैं।
2. उपरोक्त के अलावा, कंपनी के लागू नियमों के अनुसार कार्यात्मक निदेशक भी चिकित्सा लाभ हेतु पात्र हैं।

तालिका 11 – वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित बैठकों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क के ब्यौरे

(राशि रूपए में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क'		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री जुगल किशोर महापात्रा	1,00,000	1,20,000	2,20,000
श्री भागवत प्रसाद	1,00,000	1,60,000	2,60,000

* बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन /आवास/वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। बैठक शुल्क की राशि में कंपनी द्वारा पूर्ण वापसी प्रभार तंत्र के अंतर्गत बैठक शुल्क पर अदा किए गए कर की राशि शामिल नहीं है।

ऊपर यथा–उल्लिखित को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/TnC-Apptmt-20Independent-Directors.pdf पर उपलब्ध हैं।

10. सहायक कम्पनियां

(i) **एनएचडीसी लिमिटेड:** एनएचडीसी लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड और मध्य प्रदेश सरकार के बीच क्रमशः 51% और 49% (नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित 23% इक्विटी शेयरों सहित) की इक्विटी शेयरधारिता के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

सेबी एलओडीआर के विनियम 24 और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएचडीसी लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड की एक वास्तविक गैर–सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशक श्री जुगल किशोर मोहापात्रा की नियुक्ति 7 सितंबर, 2020 को उनका कार्यकाल पूरा होने तक एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में की गई थी।

(ii) **लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल):** एलडीएचसीएल, एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार (जीओएम) के बीच क्रमशः 74% और 26% की इक्विटी शेयरधारिता के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार, यह कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी है।

(iii) **बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल):** बीएसयूएल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की तहसील कालपी में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य पारंपरिक और गैर–पारंपरिक विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। वर्तमान में, बीएसयूएल कार्यान्वयन के विभिन्न तरीकों से उत्तर प्रदेश राज्य में 1,500 मेगावाट से अधिक की सौर पावर परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया में है।

प्रमोटर समझौते के अनुसार, एनएचपीसी की इक्विटी प्रतिभागिता 74 प्रतिशत से कम नहीं होगी। यूपीएनईडीए कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 26: तक इक्विटी में प्रतिभागिता कर सकता है।

सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार, यह कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी है।

(iv) **लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल):** एलटीएचपीएल, एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और वह सिक्किम में तीस्ता नदी पर तीस्ता–VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट) का निष्पादन कर रही है।

यह कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की गैर–सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी है।

(v) **जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल):** एनएचपीसी ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को सीआईआरपी के माध्यम से ऋणग्रस्त जेपीसीएल का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण के बाद, जेपीसीएल एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है और सिक्किम में रंगित नदी पर रंगित–IV जलविद्युत परियोजना (120 मेगावाट) का निष्पादन कर रही है।

यह कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी है।

(vi) **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल):** सीवीपीपीपीएल एनएचपीसी लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (पूर्ववर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य) में अपने सभी दृष्टिकोणों से चिनाब नदी बेसिन में पाकल दुल जलविद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट), किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) और क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) के एकीकृत और दक्ष विकास की योजना बनाता है, उसका संवर्धन करता है और उसे व्यवस्थित करता है। प्रमोटर करार के अनुसार, एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी की इक्विटी भागीदारी प्रत्येक की 49% होगी और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी भागीदारी 2% होगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, सीवीपीपीपीएल में एनएचपीसी की हिस्सेदारी अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों से इक्विटी में समान अंशदान प्राप्त न होने के कारण बढ़कर 50% से अधिक हो गई, जिसके कारण यह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई। तथापि, सीवीपीपीपीएल में नियंत्रण संयुक्त उद्यम करार के अनुसरण में एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। एनएचपीसी ने जून, 2021 में सीवीपीपीपीएल में पीटीसी इंडिया लिमिटेड की 2% इक्विटी का अधिग्रहण किया है।

यह कंपनी सेबी एलओडीआर के विनियम 24 के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी है।

वर्ष के दौरान, सहायक कंपनियों की बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त और सहायक कंपनियों द्वारा किए गए करारों और बहुत अधिक कारोबार का ब्यौरा एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष इसकी सूचना के लिए रखे गए थे। वित्तीय विवरणी, विशेष रूप से, इन सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने सहायक कंपनियों में किसी शेयर या परिसंपत्ति का निपटान नहीं किया है। सहायक कंपनियों के संबंध में और अधिक सूचना निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

11. सामान्य बैठकें:

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीख, समय और स्थान तथा उनमें पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा तालिका 12 में दिया गया है।

तालिका 12: वार्षिक आम बैठकें:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2019–20	29 सितम्बर, 2020	अपराह्न 03:00 बजे	वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों से आयोजित बैठक	शून्य
2018–19	23 सितम्बर, 2019	प्रातः 11:00 बजे	जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003	क) प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल (डीआईएन 06944916) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना। ख) श्री सत्य प्रकाश मंगल (डीआईएन 01052952) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना। ग) प्रो. अरूण कुमार (डीआईएन 07346292) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना।
2017–18	27 सितम्बर, 2018	प्रातः 11:00 बजे	जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003	क) निजी व्यवस्था के माध्यम से 3,300 करोड़ रूपये तक की कुल राशि के प्रतिभूतित / अप्रतिभूतित, मोचनयोग्य, गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर / बॉण्ड जारी करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना। ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मे परिवर्तन करना।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान डाक मत–पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान डाक मत–पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

12. प्रकटन:

(i) संबंधित पक्षकार लेन–देन:

कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियम 23 के अनुपालन में संबंधित पक्षकार लेनदेन संबंधी नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेन–देन को निष्पक्ष आधार पर किया गया था और उसका उद्देश्य कंपनी के हितों को बढ़ाना था। कोई वास्तविक रूप से बहुत अधिक संबंधित पक्षकार लेन–देन नहीं हुआ था जिसमें व्यापक रूप से कंपनी के हित के साथ टकराव संभावित हो।

बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित पक्षकार लेन–देन संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Related-Party-Transaction.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

(ii) सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं:

कंपनी ने विनियम 17 से 27 तक (विनियम 17(1), 17(2क), 18, 19, 20, 21 और 25 को छोड़कर) और सेबी एलओडीआर के विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) सहित सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों और दिशा–निर्देशों की सभी सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों (अध्याय 3, 4 और 5 के कुछ खंडों को छोड़कर) की सभी अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण गैर–अनुपालन था।

क) स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों अथवा सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर शास्तियां, प्रतिबंध:

पिछले तीन वर्षों के दौरान, किसी स्टाक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले अथवा सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संबंध में कंपनी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई और/अथवा कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था।

तथापि, वर्ष 2018–19, 2019–20 और रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को स्टाक एक्सचेंजों यथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा **तालिका 13** में दिया गया है।

तालिका 13: स्टाक एक्सचेंजों से प्राप्त नोटिसों का ब्यौरा

क्रम सं.	जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम	जुर्माने की राशि	गैर–अनुपालन की प्रकृति	गैर–अनुपालन हेतु कारण/औचित्य
1.	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	05 नवम्बर, 2018 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति न किए जाने के कारण सेबी एलओडीआर के विनियम 17(1) की अपेक्षाओं का गैर–अनुपालन।	31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तक कुल संचित जुर्माना निम्नानुसार है: बीएसई: 41,00,500/– (जीएसटी सहित) एनएसई: 46,37,400/– (जीएसटी सहित)	दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 34 के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति के संबंध में मामले को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित रूप से उठाया जा रहा है।
		दिनांक 8 सितंबर, 2020 से प्रत्येक तिमाही में आयोजित बोर्ड की बैठकों के कोरम से संबंधित सेबी एलओडीआर के विनियम 17(2क) की अपेक्षाओं का गैर–अनुपालन।	31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तक कुल संचित जुर्माना निम्नानुसार है: बीएसई: 70,800/– (जीएसटी सहित) एनएसई: 70,800/– (जीएसटी सहित)	दिनांक 8 सितंबर, 2020 से आयोजित बोर्ड की बैठकों के कोरम के लिए कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता को दिनांक 7 सितंबर, 2020 को शेष दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल समाप्त होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

			31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तक कुल संचित जुर्माना निम्नानुसार है: बीएसई: 7,83,520/– (जीएसटी सहित) एनएसई: 9,01,520/– (जीएसटी सहित)	बोर्ड स्तरीय सभी समितियों का विधिवत गठन निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 07.09.2020 तक उपलब्ध स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) के साथ किया गया था। तथापि, दिनांक 07.09.2020 को शेष दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप, निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण सेबी एलओडीआर और कंपनी अधिनियम, 2013 संगत प्रावधानों के अनुसार, अपनी अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन नहीं कर सका था और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद सभी अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने आगे यह निर्देश दिया कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामले को विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित रूप से उठाया जाए। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लंबित रहने तक, निदेशक मंडल ने दिनांक 13.01.2021 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया है। निदेशक मंडल ने दिनांक 21.03.2021 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी एलओडीआर और कंपनी अधिनियम, 2013 के पर्याप्त अनुपालन के लिए मौजूदा गैर–स्वतंत्र निदेशकों के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति को छोड़कर अपनी अन्य अनिवार्य समितियों का भी पुनर्गठन किया है।
2.	बीएसई लिमिटेड *(वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जारी)	"भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड" और "बाहरी वाणिज्यक ऋण (ईसीबी)" को जारी किए जाने के माध्यम से निधियों को जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 15 मार्च, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के संबंध में पूर्व सूचना प्रस्तुत करने में विलंब।	10,000/– रूपए (जीएसटी को छोड़कर)	(i) "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड" के माध्यम से निधियों को जुटाने हेतु निदेश विद्युत मंत्रालय से 12 मार्च, 2019 को प्राप्त हुए थे। बॉण्ड मार्च, 2019 के अंत तक जुटाए जाने थे। तदनुसार, 13 मार्च, 2019 को प्रबंधन ने प्रस्ताव को पहले से निर्धारित दिनांक 15 मार्च, 2020 की बोर्ड की बैठक में रखने का निर्णय लिया था। इस संबंध में सूचना स्टाक एक्सचेंजों को एक साथ 13 मार्च, 2019 को दी गई थी।

				(ii) "बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबसी)" के तहत एमयूएफजी बैंक से निधियों को जुटाने हेतु प्रस्ताव 7 मार्च, 2019 को प्राप्त हुआ था। औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के पश्चात, प्रबंधन ने निधियों की तत्काल आवश्यकयताओं को देखते हुए 12 मार्च, 2019 को (देर शाम को) को इस विषय के संबंध में कार्यसूची को बोर्ड की दिनांक 15 मार्च, 2019 को पहले ही निर्धारित बैठक में रखने का निर्णय लिया। उक्त को 13 मार्च, 2019 को स्टाक एक्सचेंजों को सूचित किया गया था।

* इसी प्रकार का जुर्माना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाया गया था, जिसे कंपनी द्वारा दिए गए औचित्यों के मद्देनजर जनवरी, 2020 में माफ कर दिया गया था।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्य को देखते हुए उपर्युक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है। बीएसई लिमिटेड ने दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही तक लगाई जुर्माना राशि (सेबी एलओडीआर के विनियम 21 के गैर–अनुपालन के लिए लगाए गए जुर्माने को छोड़कर) को माफ कर दिया है। जुर्माने को माफ करने के संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

आवधिक परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रकाशित की जाती हैं।

ख) घटना अथवा सूचना का प्रकटन

बोर्ड ने निदेशक (वित्त) को सेबी एलओडीआर के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंजों को प्रकटन किए जाने के प्रयोजन हेतु किसी घटना अथवा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया है। स्टाक एक्सचेंज को प्रकट किए जाने हेतु किसी घटना अथवा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और ये कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं।

ग) राष्ट्रपति के निदेश

पिछले तीन वर्षों के दौरान, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर–यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के 01.01.2017 से वेतन संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति के निदेश प्राप्त हुए हैं। निदेशों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से कार्यान्वित किया गया था।

घ) लेखांकन व्यवहारः

प्रबंधन के मत में, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है।

ङ) व्हीसल ब्लोअर नीतिः

कंपनी ने अनैतिक/अनुचित आचरण की घटनाओं की सूचना देने और जांच एवं सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक व्हिसल ब्लोअर नीति कार्यान्वित की है। इस नीति में कर्मचारियों, जो सूचना देते हैं, का उत्पीड़न करने के विरुद्ध समुचित सुरक्षात्मक उपाय का प्रावधान है। किसी भी कार्मिक को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच से इंकार नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत सूचित नहीं की गई थी।

च) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटनः

कंपनी में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मचारी के लिए सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराना प्रबंधन का हमेशा से एक प्रयास रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए, कंपनी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को "एनएचपीसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली" के अंतर्गत कदाचार के रूप में शामिल किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो जांचाधीन है।

छ) लेखा बहियों में डेबिट की गईं व्यय की कोई मदें नहीं थीं, जो व्यापार के प्रयोजन हेतु नही थीं।

ज) निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति के कोई व्यय नहीं किए गए थे।

झ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालय व्ययों की तुलना में वित्तीय व्यय के ब्यौरे और इसमें वृद्धि के कारणः

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2019–20	2018–19	वृद्धि के कारण
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	19.08	20.09	प्रशासनिक व्ययों में भिन्नता का मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सुबनसिरी लोअर परियोजना में वित्तीय लागत के पूरे वर्ष के पूंजीकरण के कारण बीमा व्ययों में वृद्धि, बीमा दावों के प्रावधान और उनसे हानियां और वित्तीय खर्चों में भिन्नता है।
वित्तीय व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	156.05	178.91	

ञ) वस्तु मूल्य जोखिम अथवा विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग क्रियाकलाप

कंपनी वस्तुओं का कारोबार नहीं करती है और इसलिए 15 नवंबर, 2018 के सेबी के परिपत्र के अनुसार प्रकटन दिया जाना अपेक्षित नहीं है। निदेशक मंडल ने 15 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 423वीं बैठक में कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित किया था, जिसमें विदेशी मुद्रा में कंपनी के कुल जोखिम और अंतर्ग्रस्त जोखिम पर विचार किया गया था। कंपनी के लाभ पर विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं हुआ था क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019–24 के दौरान टैरिफ के माध्यम से वसूल किया जाता है।

ट) सूचीबद्ध कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और उस नेटवर्क फर्म/नेटवर्क कंपनी की सभी कंपनियों को, जिनका सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग है, को सभी सेवाओं हेतु अदा किया गया कुल शुल्कः

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 29 में दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लेखापरीक्षकों को समेकित आधार पर अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे निम्नानुसार थे:

विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
i) सांविधिक लेखापरीक्षक	
लेखापरीक्षक के रूप में	
लेखापरीक्षा शुल्क	0.90
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.23
अन्य क्षमता में	
कराधान मामले	0.01
अन्य मामले/सेवाएं	0.68
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.08
ii) लागत लेखापरीक्षक	
लेखापरीक्षा शुल्क	0.22
व्ययों की प्रतिपूर्ति	–
iii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लेखापरीक्षक	
लेखापरीक्षा शुल्क	0.10
कुल लेखापरीक्षा व्यय	**2.22**

ठ) वास्तविक सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीतिः

कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियम 16(1)(ग) के अनुसार वास्तविक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति बनाई गई है। यह नीति वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैः

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Imagesèpdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf

ड) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 32(7क) के अंतर्गत यथानिर्धारित अधिमानी आवंटन अथवा अर्हक संस्थान नियोजन के माध्यम से कोई निधियां नहीं जुटाई है।

ढ) अन्य प्रकटन

i. 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए श्री राकेश कुमार जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से प्रतिबंधित अथवा अनर्हक नहीं किया गया है और वह अनुबंध–क में संलग्न है।

ii. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी की किसी प्रतिभूति को व्यापार करने से निलंबित नहीं किया गया था।

iii. सेबी एलओडीआर के अंतर्गत यथाविहित गैर–बाध्यकारी आवश्यकताओं को अपनाए जाने के संबंध में सूचना अनुबंध–ख में दी गई है।

13. सीईओ/सीएफओ अनुपालन प्रमाणनः

सेबी एलओडीआर के विनियम 17(8) के अनुसार, श्री अभय कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा श्री राजेंन्द्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र इसकी 10 जून, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यह **अनुबंध–ग** के रूप में निगमित अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम सेबी एलओडीआर में निर्दिष्ट समय–सीमा अथवा समय–समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट ऐसी विस्तारित समय सीमा के भीतर घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम कम्पनी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं और राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी के शेयरधारकों को तिमाही आधार पर ई–मेल के माध्यम से कंपनी के निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों तथा क्रियाकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों को कंपनी की वेबसाइट पर तथा सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से हितधारकों को भी उपलब्ध करवाया जाता है। संस्थागत निवेशकों और/अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतिकरण दिए जाते हैं जो कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

निगमित अभिशासन के तहत कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न प्रकटनों को शेयरधारकों द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर समर्पित "निवेशक कार्नर" भाग के तहत प्राप्त कर सकते हैं।

कम्पनी के लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन का ब्यौरा तालिका 14 में दिया गया है।

तालिका 14: लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

समाचार पत्र	निम्नलिखित को समाप्त अवधि के लिए परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30 जून, 2020	30 सितम्बर, 2020	31 दिसम्बर, 2020	31 मार्च, 2021*
बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) – सभी संस्करण	–	–	–	11 जून, 2021
बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) – नई दिल्ली	–	–	–	11 जून, 2021
द फाइनेन्शियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) – सभी संस्करण	01 सितंबर, 2020	12 नवंबर, 2020	13 फरवरी, 2021	–
जनसत्ता (हिंदी) – नई दिल्ली	01 सितंबर, 2020	12 नवंबर, 2020	13 फरवरी, 2021	–

* व्यापक परिचालन के लिए परिणाम अन्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे।

15. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक का ब्यौरा

दिनांकः बुधवार, 29 सितम्बर, 2021

समयः अपराह्नः 03:00 बजे (भारतीय मानक समय)

देश में कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 05.05.2020 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 13.01.2021 के परिपत्र और सेबी द्वारा दिनांक 12.05.2020 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 15.01.2021 के परिपत्र द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से किया जाएगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक आम बैठक में प्रतिभागिता के संबंध में आवश्यक विवरण/अनुदेशों के लिए वार्षिक आम बैठक का नोटिस देखें।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020–20 के लिए वित्तीय कलैंडरः

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। वित्तीय परिणामों को बोर्ड की बैठक के समापन से निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए चौथी तिमाही के परिणाम/वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक 30 मई, 2022 को या उससे पूर्व आयोजित की जाएगी। वित्तीय परिणामों को बोर्ड की बैठक के समापन से निध. ारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।
एजीएम – 2022	अगस्त/ सितम्बर, 2022 (संभावित)

(iii) बही का बंद किया जाना

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बहियों को शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) लाभांश का भुगतान

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 1.25/– रूपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान मार्च, 2021 में किया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 0.35 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यदि शेयरधारकों द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश को अनुमोदित किया जाता है तो वर्ष के लिए कुल लाभांश 1.60/– रुपए प्रति इक्विटी शेयर होता है।

वे सदस्य लाभांश प्राप्ति के पात्र होंगे जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभग्राही स्वामियों की सूची में **शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 (रिकार्ड तिथि)** की स्थिति के अनुसार दर्ज होंगे। वार्षिक आम सभा में घोषणा किए जाने की स्थिति में अंतिम लाभांश का भुगतान कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कर दिया जाएगा।

(v) लाभांश इतिहास

सूचीकरण से लेकर कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांश का ब्यौरा तालिका 15 में दिया गया है।

तालिका 15: लाभांश इतिहास

वित्तीय वर्ष	घांषित लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक/ बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	भुगतान की तिथि
2009–10	676.54	22 सितम्बर, 2010	01 अक्तूबर, 2010
2010–11	738.04	19 सितम्बर, 2011	28 सितम्बर, 2011
2011–12	861.05	17 सितम्बर, 2012	26 सितम्बर, 2012
2012–13	738.04	16 सितम्बर, 2013	25 सितम्बर, 2013
2013–14	332.13	26 सितम्बर, 2014	07 अक्तूबर, 2014

2014–15	664.27 (221.43 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	16 जनवरी, 2015 और 23 सितम्बर, 2015	12 फरवरी, 2015 और 03 अक्तूबर, 2015
2015–16	1660.60 (1,018.50 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	10 फरवरी, 2016 और 22 सितम्बर, 2016	2 मार्च, 2016 और 3 अक्तूबर, 2016
2016–17	1984.62 (1,882.02 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 जनवरी, 2017 और 27 सितम्बर, 2017	27 जनवरी, 2017 और 5 अक्तूबर, 2017
2017–18	1436.31 (1,149.05 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 फरवरी, 2018 और 27 सितम्बर, 2018	8 मार्च, 2018 और 22 अक्तूबर, 2018
2018–19	1466.58 (713.20 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	8 फरवरी, 2019 और 23 सितम्बर, 2019	5 मार्च, 2019 और 18 अक्तूबर, 2019
2019–20	1506.75 (1,185.31 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश सहित)	7 फरवरी, 2020 और 29 सितम्बर, 2020	3 मार्च, 2020 और 22 अक्तूबर, 2020
2020–21	1,255.63 (अंतरिम लाभांश)	11 फरवरी, 2021	05 मार्च, 2021

(vi) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

एनएचपीसी के इक्विटी शेयरों निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
पता: फिरोजी जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001 स्क्रिप कोड: 533098 ISIN% INE848E01016	पता: एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लाक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई – 400051 स्क्रिप कोड: NHPCEQ ISIN : INE848E01016

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड को देय तिथियों के भीतर किया गया है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक कस्टोडियन शुल्क भी दोनों डिपोजिटरियों अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड को अदा किया जा चुका है।

(vii) बाजार मूल्य डाटा और सूचकांक की तुलना में निष्पादन

एनएचपीसी शेयर मूल्य की बीएसई सूचकांक और एनएसई निफ्टी के साथ तुलना क्रमश तालिका 16 और तालिका 17 दी गई है।

तालिका 16: बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य

सेंसेक्स			
माह	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-20	33,887.25	27,500.79	33,717.62
मई-20	32,845.48	29,968.45	32,424.10
जून-20	35,706.55	32,348.10	34,915.80
जुलाई-20	38,617.03	34,927.20	37,606.89
अगस्त-20	40,010.17	36,911.23	38,628.29
सितम्बर-20	39,359.51	36,495.98	38,067.93
अक्तूबर-20	41,048.05	38,410.20	39,614.07
नवम्बर-20	44,825.37	39,334.92	44,149.72
दिसम्बर-20	47,896.97	44,118.10	47,751.33
जनवरी-21	50,184.01	46,160.46	46,285.77
फरवरी-21	52,516.76	46,433.65	49,099.99
मार्च-21	51,821.84	48,236.35	49,509.15

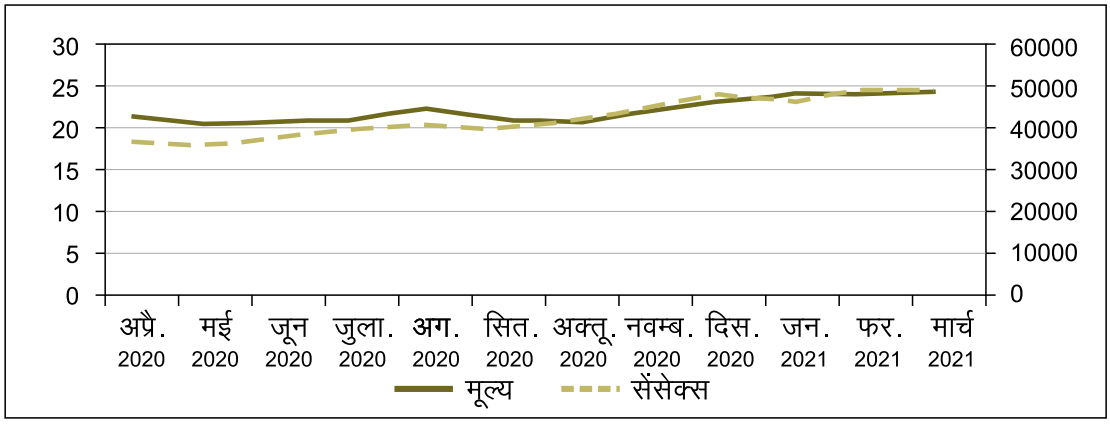
बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)
अप्रैल-20	23.60	19.25	20.90
मई-20	20.90	19.40	19.65
जून-20	21.20	19.50	20.00
जुलाई-20	20.90	19.80	20.35
अगस्त-20	24.45	20.00	21.70
सितम्बर-20	22.30	19.65	20.20
अक्तूबर-20	20.55	19.70	19.90
नवम्बर-20	22.15	19.75	21.45
दिसम्बर-20	23.70	21.15	22.75
जनवरी-21	25.50	22.55	24.05
फरवरी-21	26.20	23.10	24.15
मार्च-21	26.65	23.10	24.45

तालिका 17: एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य

सेंसेक्स			
माह	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-20	9,889.05	8,055.80	9,859.90
मई-20	9,598.85	8,806.75	9,580.30
जून-20	10,553.15	9,544.35	10,302.10
जुलाई-20	11,341.40	10,299.60	11,073.45
अगस्त-20	11,794.25	10,882.25	11,387.50
सितम्बर-20	11,618.10	10,790.20	11,247.55
अक्तूबर-20	12,025.45	11,347.05	11,642.40
नवम्बर-20	13,145.85	11,557.40	12,968.95
दिसम्बर-20	14,024.85	12,962.80	13,981.75
जनवरी-21	14,753.55	13,596.75	13,634.60
फरवरी-21	15,431.75	13,661.75	14,529.15
मार्च-21	15,336.30	14,264.40	14,690.70

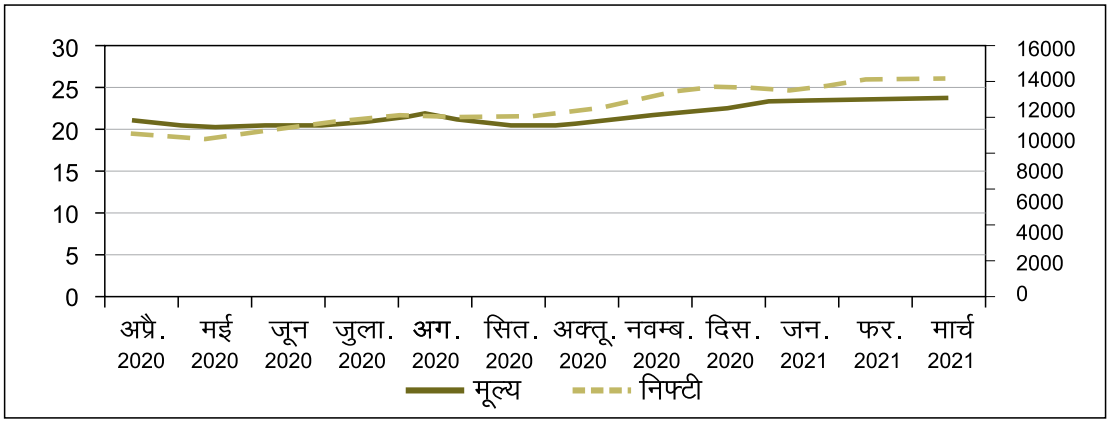
बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)
अप्रैल-20	23.55	19.05	20.80
मई-20	20.70	19.40	19.60
जून-20	21.25	19.40	20.00
जुलाई-20	20.90	19.85	20.30
अगस्त-20	24.50	20.00	21.65
सितम्बर-20	22.20	19.80	20.20
अक्तूबर-20	20.60	19.70	19.85
नवम्बर-20	22.15	19.70	21.45
दिसम्बर-20	23.75	21.20	22.65
जनवरी-21	25.60	22.65	24.00
फरवरी-21	26.20	23.05	24.15
मार्च-21	26.65	23.05	24.45

(viii) सूचकांकों की तुलना में निष्पादन



टिप्पणी: ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है।

एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य



टिप्पणी: ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है।

(ix) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों हेत	कर मुक्त बॉण्ड हेतु
मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055, भारत दूरभाषः 011 4254 1234, 011 4254 1951 फैक्सः 011 4254 1201, 011 2355 2001 ई–मेल आईडी:Alankit.nhpc@alankit.com टोल फ्री नंबरः 1860 121 2155 (मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 30 अप्रैल, 2021 तक कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट था)	मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड), सेलेनियम टावर बी, प्लाट 31–32, गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली हैदराबाद रंगारेड्डी, तेलंगाना– 500032 दूरभाष नं.: 040 6716 2222 फैक्सः 040 2300 1153 टोल फ्री नंबरः 1860 345 4001 ई–मेलः einward.ris@kfintech.com
अन्य बांडों हेतु	
मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बी–25/1, प्रथम तल, ओखला फेज –।। नई दिल्ली – 110020 दूरभाष सं.: 011–26387320 ई–मेलः investorservices@rcmcdelhi.com	

(x) क्रेडिट रेटिंग

कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	रेटिंग एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग	ऋण जिनके संबंध में रेटिंग्स प्राप्त की गई है
घरेलू			
1	इंडिया रेटिंग	इंड एएए/ स्थिर	पी, क्यू, आर, कर मुक्त, एस, टी, यू, वी, एक्स, वाई, वाई–1, एए और एए–1, एबी और एसी श्रृंखला, भारत सरकार बाण्ड और दीर्घावधि बैंक सुविधाएं/ एफआईएस
		इंड ए1 +	अल्पावधि कार्यशील पूंजी सीमा
2	आईसीआरए	(आईसीआरए) एएए (स्थिर)	क्यू, आर, डब्ल्यू वाई वाई 1 और कर मुक्त बाण्ड
3	केयर	केयर एएएः स्थिर	क्यू, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, कर मुक्त, एक्स, एए, एए–1, एबी, एसी श्रृंखला और भारत सरकार बाण्ड
अंतर्राष्ट्रीय			
1	एस एण्ड पी	बीबीबी – परिदृश्यः नकारात्मक'	–

'एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने अक्टूबर, 2020 में एनएचपीसी पर अपने दृष्टिकोण को संशोधित कर 'स्थिर' से 'नकारात्मक' कर दिया है और कंपनी की 'बीबीबी–' दीर्घकालिक जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग बनाए रखी है।

(xi) शेयर अंतरण प्रणाली

निदेशक मंडल ने आरटीए को वास्तविक शेयर वाले शेयरधारकों से शेयरों के अंतरण/ ट्रांसमिशन के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया था। शेयरों के रि–मैटीरियलाइजेशन, समेकन और डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्राप्त अनुरोधों की निगरानी एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा आवंटन–पश्च क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा की जाती है। सेबी ने 01.04.2019 से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के वास्तविक अंतरण को प्रतिबंधित किया है और केवल डीमैट रूप में ही अंतरण के लिए अधिदेशित किया है। तथापि, निवेशकों के लिए वास्तविक रूप से शेयर धारित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आरटीए द्वारा वास्तविक रूप में धारित शेयरों के अंतरण के लिए किसी अनुरोध की प्रक्रिया नहीं की गई थी। सेबी ने 7 सितंबर, 2020 के परिपत्र के माध्यम से 31 मार्च, 2021 को उन अंतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित किया था, जो 01.04.2019 से पूर्व दायर किए गए थे, लेकिन उस समय कुछ दस्तावेजों अथवा अन्य के अभाव में प्रक्रिया नहीं की जा सकी तथा उनके लिए यह निर्धारित किया है कि ऐसे हस्तांतरित शेयर केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे। इसलिए, 31 मार्च, 2021 के बाद कंपनी द्वारा शेयर अंतरण अनुरोधों के पुनः दायर करने पर विचार नहीं किया जाएगा और शेयरों का अंतरण केवल डी–मैट रूप (ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन के मामले को छोड़कर) में होगा।

सेबी एलओडीआर के विनियम 40 के अनुसरण में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से छमाही आधार पर यह पुष्टि करते हुए कि सभी प्रमाण–पत्र अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, अथवा आमंत्रण/आवंटन राशि के पृष्ठांकन हेतु निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए गए हैं, के आशय का प्रमाण–पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया था।

(xii) शेयरों और अदा न किए गए/अदावाकृत राशियों का निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए भुगतान न किए गए/दावा न किए गए कुल 1,33,06,286/– रुपए का लाभांश और तद्नुरुपी 4,68,875 शेयर जिसके लिए लाभांश पात्रता लगातार सात वर्षों अथवा उससे अधिक के लिए भुगतान नहीं की गई/दावा न की गई रही, उन्हें कंपनी द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, अक्तूबर, 2013 में कर–मुक्त बांडों के आवंटन के लिए प्राप्त अनुप्रयोग राशि और कुल 63,000/– रुपए की प्रतिदेय राशि तथा कुल 7,150.15/– रुपए के प्रतिदेय के लिए बकाया ऐसी अनुप्रयोग राशि पर उपार्जित ब्याज कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है। आईईपीएफ में उपरोक्त हस्तांतरण सांविधिक रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिए गए थे।

आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण को प्रभावी रूप देने से पूर्व कंपनी ने ऐसे सभी सदस्यों को पत्र और समाचार–पत्र में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं।

आईईपीएफ में अंतरित अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश और तद्नुरुपी शेयर, कंपनी के पास पड़े हुए अदा न किए गए तथा अदावाकृत राशियों का ब्यौरा और आईईपीएफ प्राधिकारी से लाभांश तथा शेयरों का दावा करने हेतु कार्यपद्धति कंपनी की वेबसाइट में http://www.nhpcindia.com/IEPF.htm लिंक पर और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात www.iepf.gov.in पर भी उपलब्ध है। शेयरधारक वित्तीय 2013–14 सहित पूर्व वर्षों के अपने अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश एवं तद्नुरुपी शेयरों का दावा निर्धारित फार्म अर्थात आईईपीएफ–5 में आवेदन कर आईईपीएफ प्राधिकरण से कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2013–14 से संबंधित अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश और तद्नुरुपी शेयर वर्ष 2021–22 के दौरान आईईपीएफ में अंतरित किये जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान घोषित और शेष अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि 26 अक्तूबर, 2021 है। सदस्य अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश हेतु अपने दावे कंपनी के आरटीए को आईईपीएफ में अंतरित किए जाने से पूर्व कर सकते हैं। इस प्रकार अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के प्रति कोई दावा नहीं बनेगा।

(xiii) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर क्रमशः तालिका 18 तथा तालिका 19 में दिए गए हैं:

(क) तालिका 18: 31 मार्च, 2021 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	कुल शेयर	शेयरों का %
1–5,000	4,62,683	65.82	9,07,88,000	0.90
5,001–10,000	1,59,753	22.73	12,06,83,848	1.20
10,001–20,000	42,666	6.07	6,40,52,834	0.64

20,001–30,000	13,741	1.95	3,50,64,566	0.35
30,001–40,000	5,889	0.84	2,11,30,251	0.21
40,001–50,000	5,021	0.71	2,38,29,232	0.24
50,001–1,00,000	7,518	1.07	5,55,04,566	0.55
1,00,001 और उससे अधिक	5,725	0.81	9,63,39,81,508	95.91
कुल	7,02,996	100.00	10,04,50,34,805	100.00

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

ख) तालिका 19: 31 मार्च, 2021 को श्रेणी–वार शेयर धारिता पैटर्न

श्रेणी	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2021 को			परिवर्तन: वृद्धि / (कमी)'
	शेयरधारकों की सं.	कुल शेयर	शेयरधारिता का %*	शेयरधारकों की सं.	कुल शेयर	शेयरधारिता का %*	
भारत सरकार	1	7,12,67,72,676	70.95	1	7,12,67,72,676	70.95	0.00
म्युचुअल फंड्स	53	58,67,17,209	5.84	35	65,97,51,528	6.57	0.73
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	157	46,83,19,256	4.66	136	40,57,12,886	4.04	(0.62)
वित्तीय संस्थान / बैंक	19	6,37,09,606	0.63	11	6,13,76,706	0.61	(0.02)
बीमा कंपनियां	14	77,17,48,175	7.68	14	77,44,25,487	7.71	0.03
निवासी व्यक्ति / एचयूएफ	6,68,972	53,74,77,879	5.35	6,95,807	56,80,15,830	5.65	0.30
प्रवासी भारतीय	4,723	1,47,20,526	0.15	5,083	1,38,40,972	0.14	(0.01)
समाशोधन सदस्य	275	77,36,531	0.08	362	94,28,369	0.09	0.01
आईईपीएफ	1	24,28,917	0.02	1	28,93,782	0.03	0.01
कारपोरेट निकाय	1,766	45,21,06,009	4.50	1,483	41,70,81,676	4.15	(0.35)
न्यास	43	26,97,489	0.03	47	16,74,433	0.02	(0.01)
अन्य (एनबीएफसी, विदेशी नागरिक, विदेशी कारपोरेट निकाय, वैकल्पिक निवेश निधि, अर्ह संस्थागत खरीददार, विदेशी संस्थागत निवेशक)	20	1,06,00,532	0.11	16	40,60,460	0.04	(0.07)
कुल	6,76,044	10,04,50,34,805	100	7,02,996	10,04,50,34,805	100	

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

ग) 31 मार्च, 2021 को शीर्ष दस शेयरधारक

31 मार्च, 2021 को एनएचपीसी लिमिटेड के शीर्ष दस शेयरधारकों का विवरण तालिका 20 में दिया गया है:

तालिका 20: 31 मार्च, 2021 के अनुसार शीर्ष दस शेयरधारक

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	7,12,67,72,676	70.95
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	73,93,09,259	7.36
3.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	21,44,73,240	2.14
4.	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम (सीपीएसई ईटीएफ)	18,17,49,535	1.81
5.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी बैलेन्सड एडवान्टेज फंड	17,80,21,100	1.77
6.	आरईसी लिमिटेड	17,53,02,206	1.75
7.	एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड	15,58,62,866	1.55
8.	एफआईएच प्राइवेट इंवेस्टमेंट्स लि.	3,84,30,000	0.38
9.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरीज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड	3,19,85,425	0.32
10.	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	3,17,54,315	0.32
कुल		**8,87,36,60,622**	**88.35**

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

(xiv) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों डिपोजिटरीज अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का पुनर्मिलान यह पुष्टि करते हुए किया गया है कि कंपनी की कुल जारी पूंजी वास्तविक रूप में धारित शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है तथा एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में रखे गए शेयरों की कुल संख्या को तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा गया है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति स्टाक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की जाती है।

31 मार्च, 2021 के अनुसार डीमैटिरियलाइज्ड और वास्तविक रूप में धारित शेयरों की संख्या

विवरण	कुल शेयर	इक्विटी का:'
एनएसडीएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	9,63,81,62,257	95.95
सीडीएसएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	40,68,01,497	4.05
वास्तविक रूप	71,051	0.00
कुल	**10,04,50,34,805**	**100.00**

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

डिपोजिटरीज के नाम और पते निम्नानुसार हैं:

1. **नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड**
   ट्रेड वर्ल्ड, ए–विंग, चौथा तल,
   कमला मिल्स कम्पाउन्ड,
   लोअर परेल, मुंबई–400013

2. **सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड**
   मैराथन फ्यूचरेक्स, ए–विंग,
   25वां तल, एन एम जोशी मार्ग,
   लोअर पारेल, मुंबई – 400 013

(xv) डीमैट उचिन्त खाता

31 मार्च, 2021 को उचिन्त खाते में शेयरों के ब्यौरे तालिका 21 में दिए गए हैं।

तालिका 21: उचिन्त खाते में शेयर

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	4	1,048
उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	—	—
उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से अंतरित किए गए	—	—
उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान आईईपीएफ खाते से अंतरित किए गए	—	—
वर्ष के अंत में उचिन्त खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	4	1,048

टिप्पणी: इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि ये शेयर उचिन्त खाते में है। इसके अतिरिक्त, इन शेयरों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्धारित समय के भीतर आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

(xvi) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय दस्तावेज, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव:

एनएचपीसी ने ऐसे जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किए हैं, जिनका इक्विटी पर प्रभाव पड़ता हो।

(xvii) एनएचपीसी संयत्रों के स्थल:

1.	बैरा स्यूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला–चंबा, हिमाचल प्रदेश–176 317
2.	लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर–लोकटक, कोमकेरेप, मणिपुर–795 124
3.	सलाल	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, जिला रियासी, जम्मू एवं कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र–182 312
4.	टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बनबसा, जिला चम्पावत, उत्तराखंड– 262 310
5.	चमेरा-I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176 325
6.	उड़ी-I	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर–मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र–193 122
7.	रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर–रंगित, दक्षिण सिक्किम–737 111
8.	चमेरा-II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला–चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176 310
9.	धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला–पिथौरागढ़, उत्तराखंड–262 545
10.	दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चिनाब नगर, सेक्टर–II, किश्तवाड़, जम्मू–कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र–182 206
11.	तीस्ता-V	एनएचपीसी लि., डाकघर–सिंगताम, पूर्वी सिक्किम– 737 134
12.	सेवा-II	एनएचपीसी लि., माश्का, ज़िला कठुआ, जम्मू–कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र – 176 325
13.	चमेरा-III	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, पी.ओ.–9, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176311
14.	चूटक	एनएचपीसी लि., पीओ–मिंजी, जिला कारगिल लद्दाख संघ–राज्य क्षेत्र –194103
15.	तीस्ता लो डैम-III	एनएचपीसी लि., रम्बी बाजार, पीओ–रियांग, जिला–दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल–734321
16.	निम्मो बाजगो	एनएचपीसी लिमिटेड, अलची, जिला – लेह, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र – 194101
17.	उड़ी-II	एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपुरा, उड़ी, जिला – बारामुला, जम्मू एवं कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र– 193122

18.	पार्बती-III	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव बहाली, पी.ओ. लारजी, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश–175122
19.	तीस्ता लो डैम-IV	एनएचपीसी लि., कलीझोरा, डाकघर कलीझोरा बाजार, जिला–दार्जलिंग पश्चिम बंगाल–734320
20.	किशनगंगा	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय और आवासीय परिसर, करालपोरा, जिला बांदीपुरा, जम्मू एवं कश्मीर संघ–राज्य क्षेत्र–193 502
21.	जैसलमेर पवन विद्युत परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव लखमाना, जिला जैसलमेर, राजस्थान
22.	तमिलनाडु सौर विद्युत परियोजना	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव रेंगनाथापुरम, ए. वाडीपाटी रोड, पेरियाकुलम तालुक, जिला थेनी, तमिलनाडु–625 602

(xviii) कारपोरेट अभिशासन में हरित पहलें

वैश्विक कोविड–19 महामारी के कारण एमसीए और सेबी द्वारा दी गई छूटों के अनुरूप और "हरित पहल" को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी ने एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को वितरित किया है जिनके ई–मेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत थे। वार्षिक आम बैठक के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर भी रखा गया है।

(xix) पत्राचार के लिए पताः

श्री सौरभ चक्रवर्ती,
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी,
पांचवां तल, नीर शक्ति सदन, एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर–33, फरीदाबाद
हरियाणा – 121 003
ई–मेलः companysecretary@nhpc.nic.in

पत्राचार हेतु दूरभाष संख्या तथा ई–मेल पता नीचे दिया गया हैः

	दूरभाष संख्या	फैक्स नम्बर
पंजीकृत कार्यालय	0129.2588110	0129.2278018
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ	0129.2250437	
ई–मेल आईडी	investorcell@nhpc.nic.in	
श्री अनुज कपूर, मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी	0129.2270603	
ई–मेल आईडी	anujkapoor@nhpc.nic.in	

सेबी के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार, निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई–मेल आईडीः companysecretary@nhpc.nic.in है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

तारीखः 27 अगस्त, 2021
स्थानः फरीदाबाद

अनुबंध–क

निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण–पत्र

(सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और
अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसरण में)

सेवा में,
एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्य
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33,
फरीदाबाद–121003

हमने एनएचपीसी लिमिटेड जिसका सीआईएन एल40101एचआर1975जीओआई032564 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003 (जिसके यहां आगे 'कंपनी' कहा गया है) के निदेशकों से प्राप्त संगत रजिस्टरों, रिकॉर्डों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटनों की जांच की है, जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा–ग उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसरण में, प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

हमारी मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) के अनुसार, आवश्यक समझे गये और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे उल्लिखितानुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	डीआईएन
1	श्री अभय कुमार सिंह	08646003
2	श्री निखिल जैन	05332456
3	श्री यमुना कुमार चौबे	08492346
4	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	08645380
5	श्री बिश्वजीत बासु	09003080
6	श्री तन्मय कुमार	02574098

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/जारी रखने की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे अपने सत्यापन के आधार पर इन पर मत व्यक्त करना है। यह प्रमाण–पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

हस्ता/–
(राकेश कुमार जैन)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस 2162, सीपी2334
यूडीआईएन – एफ002162सी000122865

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 19 अप्रैल, 2021

अनुबंध–ख

गैर अधिदेशित अपेक्षाएं: पूर्व पृष्ठों में उल्लिखित अधिदेशित अपेक्षाओं के अलावा, सेबी एलओडीआर की गैर–अधिदेशित अपेक्षाओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्नलिखित हैः–

1) बोर्डः कंपनी की अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जा रही है।

2) शेयरधारकों के अधिकारः पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध–वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, आवधिक वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं और इस रिपोर्ट में ''संचार के साधन'' शीर्ष के अंतर्गत यथाउल्लिखित प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी के शेयरधारकों को ई–मेल के माध्यम से तिमाही आधार पर कंपनी के वित्तीय निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।

3) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मतः कंपनी का प्रयास सदा ही गैर–अर्हक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।

4) अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पृथक पदः

   कंपनी में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से नियुक्त एक ही व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है।

5) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंगः श्री कुप्पिले लक्ष्मणन आचार्युलु, महाप्रबंधक (वित्त) कम्पनी के मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक हैं। कंपनी के संगठन ढांचे के अनुसार, श्री आचार्युलु कंपनी के निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

अनुबंध–ग

सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का अनुपालन प्रमाण–पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं किः

1. इन विवरणों में वास्तविक दृष्टि से कोई असत्य विवरण नहीं है या किसी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।

2. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के प्रचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की सूचना लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में सूचना दी है:

(i) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, जिनका प्रकटन वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी किया गया है; और

(iii) धोखाधड़ी के महत्त्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमे प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/–
(आर. पी. गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08645380

हस्ता/–
(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

स्थानः फरीदाबाद
तारीखः 09 जून, 2021

अनुबंध-II

कारपोरेट अभिशासन संबंधी प्रमाण–पत्र

सदस्यगण,

एनएचपीसी लिमिटेड,

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (''कंपनी'') द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच, सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (जिसे इसके बाद ''सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015'' कहा गया है) के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची V के पैरा ग तथा घ और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु कारपोरेट अभिशासन संबधी दिशा–निर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार की है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच उक्त खंड तथा दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यान्वयन के तरीकों की समीक्षा तक ही सीमित रही है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर मत की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, निम्नलिखित को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची V के पैरा ग तथा घ और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार किया है:

1. *भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसार तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार, निदेशक मंडल की संरचना में 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक तथा महिला निदेशक शामिल नहीं थी।*
2. *भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसार, कम्पनी में वित्तीय वर्ष 01.04.2020 से 31.03.2021 के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर–कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी तथा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 01.04.2020 से 31.03.2021 के लिए कार्यात्मक निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक जनशक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।*
3. *भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख), डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में 01.04.2020 से 07.09.2020 तक की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी तथा 08.09.2020 से 31.03.2021 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, दिनांक 08.09.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान परिणामी गैर–अनुपालन हुआ।*
4. *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, 177 और 178, सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 18, 19, 20 और 21 और डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 और 5 के अनुसार, कंपनी में दिनांक 08.09.2020 से 20.03.2021 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा दिनांक 08.09.2020 से 12.01.2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति और दिनांक 08.09.2020 से 31.03.2021 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं है।*
5. *सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 25 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक नहीं हुई।*

हम आगे सूचित करते हैं कि नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17, 18, 19, 20 और 21 के गैर–अनुपालन हेतु मौद्रिक जुर्माने लगाए हैं जिनके विरूद्ध कंपनी ने छूट हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। बीएसई लिमिटेड ने 24 सितंबर, 2020 और 19 अप्रैल 2021 के ई–मेल के माध्यम से क्रमशः 30 जून, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 (विनियम 21 को छोड़कर) को समाप्त तिमाही तक जुर्माने की छूट की सूचना दी है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता अथवा प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोडः पी2003डीईओ49100
समकक्ष समीक्षा प्रमाण–पत्र संख्याः 626/2019

हस्ता./–
सी एस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस संः 5774
सीपी संः 5910

दिनांकः 4 अगस्त, 2021
स्थानः नई दिल्ली
यूडीआईएनः एफ005774सी00033655

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग ढांचा और विकास

वैश्विक विद्युत क्षेत्र नए ऊर्जा स्रोतों के साथ बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और नई कंपनियां विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाओं को देख रहा है और इसका ऊर्जा के हरित स्रोतों की ओर झुकाव बढ़ रहा है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ गई है। वर्ष 2020 विश्व के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक का साक्षी बना। कोविड–19 महामारी ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और विद्युत क्षेत्र कोई अपवाद नहीं था। देश में विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली छमाही में 9.12% घटकर 598.93 बिलियन यूनिट (बीयू) हो गया, क्योंकि देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां मंद रहीं, लेकिन लॉकडाउन उपायों में ढील देने से वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में इसमें गति आई है[1]। भारत की बढ़ती शहरी आबादी, बड़ी आबादी का टीकाकरण होने के पश्चात आने वाली तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत और सस्ती, स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत की अंवेषण से विद्युत की मांग में निरंतर वृद्धि के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।

विद्युत क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए गति प्रदान करता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्पादन, पारेषण और वितरण यूटिलिटी शामिल हैं जो भारत के बुनियादी ढांचे के आधार का एक महत्वपूर्ण घटक है। आईईए, स्टेटिस्टा जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत अभी भी बहुत कम है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि, 100% विद्युतीकरण, सभी के लिए आवास और विद्युत वाहनों की शुरूआत होने से, देश में ऊर्जा की मांग में जबरदस्त वृद्धि होने से विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के लिए अवसर सृजित होने की संभावना है। जल, पवन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के माध्यम से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना भारत की कार्यनीति है। नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव, अधिक पर्यावरणीय चुनौतियों आदि से ऊर्जा उद्योग का भविष्य बदल गया है। उपरोक्त उद्योग परिदृश्य दर्शाता है कि मांग में वृद्धि के साथ आने वाले समय में जल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यवसाय के निरंतर विकास के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

जल प्रकृति का एक अमूल्य नवीकरणीय उपहार है जिसका उपयोग कम लागत की विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जल विद्युत ऊर्जा के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले स्रोतों में से एक है। हमारे देश में जलविद्युत की विशाल क्षमता उपलब्ध है और व्यवहार्य जल विद्युत क्षमता हेतु विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है, जिनमें से अधिकांश का दोहन किया जाना बाकी है। आपकी कंपनी को देश की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने में प्रमुख भूमिका निभानी है और देश भर में पहले से ही बीस जल विद्युत परियोजनाएं विकसित कर चुकी हैं।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, भारत के पावर स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 3,82,151.23 मेगावाट[2] थी, जिसमें ताप, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान क्रमशः 2,34,728.22 मेगावाट[2], 46,209.22 मेगावाट, 6,780 मेगावाट और 94,433.79 मेगावाट था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पारंपरिक स्रोतों से देश का कुल विद्युत उत्पादन 1234.44 बीयू था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1250.78 बीयू की तुलना में 1.29%[3] की कमी पंजीकृत की गई थी। देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति (मांग/उपलब्धता) ने 2020–21 के दौरान 12,75,534 एमयू की ऊर्जा मांग पंजीकृत की गई, जबकि आपूर्ति की गई विद्युत 12,70,663 एमयू थी अर्थात 0.4%[4] की कमी हुई है।

2. भारत में जल विद्युत संभाव्यताः

देश की जल विद्युत संभाव्यता के पुनःआंकलन अध्ययन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1987 में पूरा किया गया था। अध्ययन के अनुसार, संस्थापित क्षमता के रूप में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत योजनाओं से 1,45,320 मेगावाट संभाव्यता शामिल हैं। अतः भारत के औद्योगिक उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि और सभी को 24x7 विद्युत उपलब्ध करवाने की भारत सरकार के लक्ष्य को देखते हुए जल विद्युत उत्पादन का परिदृश्य काफी अच्छा दिखता है।

[1, 2, 4] स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
[3] स्रोतः विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट

3. जल विद्युत क्षेत्र को बढावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायः

भारत सरकार ने सभी को स्वच्छ और सस्ती विद्युत देने हेतु विद्युत क्षेत्र में समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें से एक नई जल विद्युत नीति पहल है। भारत सरकार ने कई उपायों को मंजूरी प्रदान की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (एलएचपी) अर्थात 25 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली परियोजनाएं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषणा शामिल है। विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) के प्रावधानों को गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) में एक अलग इकाई के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे जीवाश्म ईंधन आदि पर निर्भरता कम करके वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) से नियत राशि की जलविद्युत का क्रय करने की अपेक्षा की गई है।

जनवरी, 2021 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने गैर–सौर आरपीओ के भीतर एक अलग इकाई के रूप में एचपीओ के साथ आरपीओ ट्रजेक्टरी अधिसूचित किया है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसारः

- आरपीओ की गणना जल स्रोतों (एलएचपी) से खपत की पूर्ति को छोड़कर विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा निबंधन में की जाएगी।
- सौर आरपीओ को सौर ऊर्जा संयंत्रों–सौर फोटो वोल्टाइक या सौर ताप से उत्पादित विद्युत से पूरा किया जा सकता है।
- अन्य गैर–सौर आरपीओ (एचपीओ को छोड़कर) को सौर और एलएचपी के अलावा किसी भी नवीकरणीय स्रोत से पूरा किया जा सकता है।
- एचपीओ लाभों को 08 मार्च, 2019 को या उसके बाद चालू लिए गए पात्र एलएचपी से क्रय की गई विद्युत से प्राप्त किया जा सकता हैं और 31 मार्च, 2030 तक परियोजना चालू होने की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के लिए कुल उत्पादित क्षमता का 70% के संबंध में प्राप्त किया जा सकता हैं। राज्य सरकार के साथ समझौते के अनुसार निशुल्क विद्युत प्रदान की जानी है और जो स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के लिए प्रदान किया गया है, उसे कुल उत्पन्न क्षमता के 70: की इस सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।
- यदि राज्य/डिस्कॉम के भीतर उपभोग किया जाता है तो एलएडीएफ के लिए योगदान को छोड़कर, राज्य/डिस्कॉम की एचपीओ देयता उस समय के समझौते के अनुसार 08 मार्च, 2019 को या उसके बाद चालू एलएचपी से राज्य को प्रदान की जा रही निशुल्क विद्युत से पूरी की जा सकती है। निशुल्क विद्युत (स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए योगदान नहीं) केवल राज्य/डिस्कॉम की एचपीओ देयता की सीमा तक एचपीओ लाभों के लिए पात्रता होगी।
- यदि ऊपर दी गई निशुल्क विद्युत, एचपीओ दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तब राज्य को अपने एचपीओ दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जल विद्युत क्रय करना होगा या गैर–सौर जलविद्युत नवीकरणीय दायित्व पूरा करने के लिए जलविद्युत ऊर्जा प्रमाणपत्र की अनुरूप मात्रा क्रय करना पड़ सकता है।
- एचपीओ दायित्व के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सीईआरसी द्वारा बनाए जाने वाले विनियम के तहत 08 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2021 तक जलविद्युत ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र में जल विद्युत ऊर्जा की अधिकतम सीमा 5.50 रु./यूनिट होगी तत्पश्चात एचपीओ अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 5% की दर पर वार्षिक वृद्धि के साथ होगी।
- एचपीओ ट्रजेक्टरी को जलविद्युत परियोजनाओं की संशोधित कमीशनिंग समय–सूची के अनुसार वार्षिक आधार पर सही किया जाएगा। 2030–31 और 2039–40 के बीच की अवधि के लिए एचपीओ ट्रजेक्टरी को बाद में अधिसूचित किया जाएगा।
- भारत के बाहर से आयातित जल विद्युत पर एचपीओ की पूर्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 85% और उससे अधिक की सीमा तक सौर आरपीओ अनुपालन की उपलब्धियों पर, शेष कमी, यदि कोई हो, उस विशेष वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट गैर–सौर आरपीओ से अधिक गैर–सौर ऊर्जा की खपत से पूरी की जा सकती है। इसी तरह, 85% और उससे अधिक की सीमा तक अन्य गैर–सौर आरपीओ अनुपालन की उपलब्धि पर, शेष राशि की कमी, यदि कोई हो, उस विशेष वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट सौर आरपीओ या एचपीओ से अधिक खपत की गई अतिरिक्त सौर या पात्र जलविद्युत द्वारा पूरी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, 85% और उससे अधिक की सीमा तक एचपीओ अनुपालन की उपलब्धि पर, शेष कमी, यदि कोई हो, उस विशेष वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट सौर आरपीओ या अन्य गैर–सौर आरपीओ से अधिक खपत सौर या अन्य गैर–सौर ऊर्जा से पूरी की जा सकती है।
- पोसोको आरपीओ के अनुपालन से संबंधित डेटा को बनाएगा।
- एसईआरसी उपरोक्त आरपीओ ट्रजेक्टरी के अनुरूप अपने संबंधित राज्यों के लिए एचपीओ सहित आरपीओ ट्रजेक्टरी को अधिसूचित करने पर विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी एचपीओ की पूर्ति की सुविधा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) तंत्र के समान उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकता है।

हाल ही में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2021 पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। अन्य सभी सीपीएसई सहित आपकी कंपनी ने नीति में संशोधन के विचार व्यक्त किए है, जिससे भारत में जल विद्युत क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी।

जलविद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपायों को भी अधिसूचित किया गया है जो जलविद्युत विकासकर्ताओं को परियोजना के जीवन काल को 40 वर्ष तक बढ़ाने, ऋण चुकौती अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाने और 2% की बढ़ती टैरिफ शुरू करने के पश्चात टैरिफ की बैक लोडिंग द्वारा टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति देता है। जलविद्युत परियोजना के उपयोगी जीवन काल पर लेविलाइज़ टैरिफ की गणना सीईआरसी विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर की जा सकती है। विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर विनिर्दिष्ट वर्षों से कम नहीं, की अवधि के लिए जलविद्युत क्रय हेतु दीर्घकालिक पीपीए के लिए उनकी व्यवहार्यता के अनुसार वर्षवार टैरिफ का निर्धारण विकासकर्ताओं और डिस्कामों पर छोड़ दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जलविद्युत परियोजनाओं के समय और लागत आधिक्य को कम करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अनुपालन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें समापन तिथि, समय–निर्धारण, विवाद समाधान, डेलीगेशन बढ़ाए जाने, अंतर्राष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों का उपयोग करने, दावों को समय पर निपटान करने और परियोजना के मापदंड समय पर प्राप्त करने के लिए श्रमिक प्रोत्साहन शामिल हैं।

4. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिस्कामों को विद्युत की आपूर्ति करने वाले अंतर्राज्यीय उत्पादकों के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए उपाय

भुगतान सुरक्षा तंत्र व्यवस्था के अंतर्गत डिस्कामों से उत्पादन कम्पनियों को साख पत्र (एलसी) देने की अपेक्षा के प्रावधान की व्यवस्था विद्युत क्रय करार (पीपीए) में की गई है। तथापि, अधिक बकाया देयताओं वाले डिस्काम एलसी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 जून, 2019 के आदेश के माध्यम से भुगतान तंत्र व्यवस्था के लिए पर्याप्त एलसी की आवश्यकता पर पुनः बल दिया है। राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) को ये निदेश दिए गए थे कि डिस्कामों को विद्युत की आपूर्ति केवल उत्पादन कम्पनियों (जेनको) से इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर ही करें कि विद्युत की अपेक्षित मात्रा के अनुरूप एलसी की आवश्यकता की पूर्ति डिस्काम द्वारा कर दी गई है। अल्पकाल अर्थात एक सप्ताह/पखवाड़ा की एलसी के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है। किसी प्रकार की स्थिति के लिए इलैक्ट्रानिक माध्यम से एक दिन के लिए विद्युत क्रय का अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी दी गई है। उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप 1 अगस्त, 2019 के पश्चात से उत्पादक कंपनियों को डिस्कामों से विद्युत का समय पर भुगतान प्राप्त होने का सुनिश्चित किया जा सका है।

मार्च, 2021 में विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने सख्त अनुपालन के लिए पुनः निर्देश जारी किए हैं। एमओपी के निर्देशों के अनुसार, डिस्कामों को 01 फरवरी, 2021 के बाद वर्तमान बकाया राशि को समय पर चुकाना होगा और यदि डिस्कामों निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने वर्तमान बकाया का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो एलसी को उत्पादक कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से भुनाना होगा। इसके अतिरिक्त, 01 फरवरी, 2021 से पहले की अवधि के संचित बकाया के मामले में, डिस्कामों और उत्पादक कंपनियों को बकाया राशि समाप्त करने के लिए एक किस्त योजना पर कार्य करना होगा और डिस्कामों की ओर से किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप विद्युत की आपूर्ति का नियमन और/या त्रिपक्षीय समझौता आमन्त्रण करना होगा।

उपरोक्त उपायों से यह सुनिश्चित किया है कि डिस्कॉम फरवरी, 2021 से आहरित विद्युत के लिए भुगतान समय पर जारी करें। प्रचलित कम ब्याज व्यवस्था और डिस्कॉमों द्वारा उच्च विलंबित भुगतान अधिभार दर के मुद्दे को ध्यान रखते हुए, एमओपी ने 22 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस)) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार 5 प्रतिशत का लाभ देते हुए विलंब भुगतान अधिभार की दर को वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) के लिए 18% प्रति वर्ष से घटाकर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020–21 की शेष अवधि के लिए प्रति वर्ष 12.75% का अधिभार है। इसके अतिरिक्त, चूक के लगातार महीनों के लिए विलंब भुगतान अधिभार की दर प्रत्येक महीने की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी बशर्ते कि एलपीएस किसी भी समय आधार दर से 3 प्रतिशत से अधिक न हो। साथ ही, यह निर्देश दिया गया है कि डिस्कॉम से सभी भुगतानों को पहले एलपीएस में समायोजित किया जाएगा और उसके बाद, सबसे लंबे समय से अतिदेय बिलों से शुरू होकर मासिक शुल्क के लिए समायोजित किया जाएगा।

5. सीईआरसी (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019

सीईआरसी ने मार्च, 2019 में सीईआरसी (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 जारी किए हैं जो 2019–24 की अवधि हेतु लागू है। उपरोक्त विनियम के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं के कुछ लाभ निम्नानुसार हैं:

- निर्धारण तिथि अब वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के कैलेंडर माह के अंत से 36 माह की मानी जाएगी।
- परियोजना हेतु सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब (सिवाय जहां विलंब परियोजना डेवलपर के कारण है) को ''बाध्यकारी घटना'' की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- दण्डात्मक ब्याज को लगाए जाने हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण में वृद्धि 5 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है (अर्थात लाभग्राहियों को अतिरिक्त एएफसी की प्रतिपूर्ति हेतु बैंक दर का 1.2 गुना और लाभग्राहियों से एफसी की वसूली हेतु बैंक दर का एक गुना)।
- भूमि अधिग्रहण (सिवाय जहां विलंब उत्पादक कंपनी के कारण है)को लागत तथा समय आधिक्य के विश्लेषण हेतु एक ''अनियंत्रणीय कारक'' माना जाएगा।

- पुराने संयंत्रों हेतु ओ एण्ड एम व्यय – पुराने विद्युत स्टेशनों हेतु अनुमेय ओएण्डएम व्ययों में मजदूरी संशोधन, न्यूनतम मजदूरी और जीएसटी का प्रभाव शामिल नहीं है जिसकी अनुमति अलग से दी जाएगी।

सीईआरसी ने फरवरी, 2021 में सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 में दूसरा संशोधन भी अधिसूचित किया है, जिसमें कहा गया है कि लाभार्थी डिस्कॉम द्वारा देय प्रभारों को बकाया प्रभारों पर विलंब भुगतान प्रभारों के लिए पहले समायोजित किया जाएगा और उसके बाद, सबसे लंबे समय से अतिदेय बिल से शुरू करते हुए उत्पादन कंपनी द्वारा बिल किए जाने वाले मासिक शुल्क के लिए समायोजित किया जाएगा।

6. स्वॉट विश्लेषण

(i) क्षमताएं:

- **जल विद्युत परियोनाओं के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता में स्थापित ट्रैक रिकार्ड :**

  एनएचपीसी के पास जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव एवं विशेषज्ञता है। एनएचपीसी के पास सक्षम और प्रतिबद्ध कर्मिकों का दल है जिसके पास जल विद्युत परियोजनाओं की अवधारणा, निर्माण, कमीशनिंग और संचालन में क्षमताओं एवं विशेषज्ञता के साथ उद्योग में गहन अनुभव है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन–अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में अग्रणी रहने में मदद मिलती है।

- **आंतरिक डिजाइन और अभियांत्रिकी तथा भू–तकनीकी अध्ययन सहित अवधारणा से चालू किए जाने की क्षमताएं:**

  एनएचपीसी के पास अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक के लिए जल विद्युत क्षेत्र में 45 वर्षों से अधिक का अनुभव है। जलविद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव से युक्त एनएचपीसी का डिजाइन विभाग अपनी विभिन्न परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों की डिजाइन और इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। जलविद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव वाली इन–हाउस डिजाइन टीम एनएचपीसी को अन्य जलविद्युत कंपनियों से अग्रणी स्थान बनाए रखने मदद करती है। एनएचपीसी के पास अनुभवी भूवैज्ञानिकों, भूभौतिकीविदों और अनुसंधान कर्मियों से युक्त एक विशेष समूह है जो जलविद्युत परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक और भू–तकनीकी समाधान प्रदान करने में सक्षम है। एनएचपीसी डेटा प्रस्तुतीकरण और इन–हाउस रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइट पर नवीनतम भू–भौतिक अन्वेषण तकनीकों का उपयोग कर रहा है। एनएचपीसी भारत में एकमात्र जलविद्युत कंपनी है जिसके पास सुरंग भूकंपीय भविष्यवाणी, भूकंपीय टोमोग्राफी और उच्च रिजोलुशन रेजिस्टिविटी इमेजिंग जैसी तकनीक में विशेषज्ञता है जो एक प्रभावी और आर्थिक तरीके से उप–सतह जानकारी प्रदान करती है। एनएचपीसी ने उन्नत 12–चैनल प्रतिरोधकता इमेजिंग प्रणाली और नवीनतम उत्पादन की रेजिस्टिविटी हाइड्रोफोन श्रृंखलाएं भी अर्जित की हैं। आपकी कंपनी ने मान्यता प्राप्त रॉक मैकेनिक्स, हाई इंड टेस्टिंग इन्स्ट्रुमेंटस वाली निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला और एक परिष्कृत रिमोट सेंसिंग प्रयोगशाला भी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) की सहायता से इन–हाउस विकसित किया है। पिछले एक वर्ष में, एनएचपीसी ने भूवैज्ञानिक अन्वेषणों के क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) क्षमताओं को भी विकसित किया है। विभिन्न भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में इन तकनीकों के प्रभावी उपयोग की दिशा में आईआईटी के सहयोग से कुछ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। एनएचपीसी के पास सभी आवश्यक पैमाने पर स्थलाकृतिक मानचित्रों को विकसित करने के लिए अत्यंत सटीकता वाले नवीनतम सुसंगत सॉफ्टवेयर का कुशल तरीके से उपयोग करके, नवीनतम अत्याधुनिक उपस्करों जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, डिफरेंशियल जीपीएस (डीजीपीएस) और 3डी लेजर स्कैनर आदि का उपयोग करके विस्तृत स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और अन्य सर्वेक्षण कार्यों को करने की आंतरिक क्षमता है। इन–हाउस सर्वे टीम (40,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के साथ लगभग 40 परियोजनाओं का सर्वेक्षण कर रही है) ने भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) पर निर्भरता को कम करके अधिक समय और लागत बचाने में बहुत योगदान दिया है।

- **जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में व्यापक अनुभव**

  एनएचपीसी के पास कई भू–तकनीकी चुनौतियों से निपटते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जटिल भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में व्यापक अनुभव एवं विशेषज्ञता है। इसने अगम्यता, खराब लॉजिस्टिक्स, प्रतिकूल जलवायु एवं प्रौद्योगिकीय बाधाओं जैसी विभिन्न चुनौतियों वाले सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सक्षम, कुशल और अनुभवी पेशेवरों की अपनी मजबूत टीम से, एनएचपीसी सभी प्रकार और आकारों की जलविद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्षम है। एनएचपीसी के पास विशेष रूप से गाद प्रवण हिमालयी क्षेत्र में विद्युत स्टेशनों के प्रभावी प्रचालन में प्रमाणित अनुभव है। वर्तमान में एनएचपीसी 44 मेगावाट से 690 मेगावाट की विभिन्न संस्थापित क्षमताओं के 20 जल विद्युत स्टेशनों का सफलतापूर्वक प्रचालन कर रहा है।

- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति**

  31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी के पास 10,045.03 करोड़ रुपए की प्रदत्त शेयर पूंजी और 66,302 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आधार है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान आपकी कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ 31.71% के निवल लाभ मार्जिन के साथ 2887.14 करोड़ रुपए है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान आपकी कंपनी का औसत ईबीआईटीडीए मार्जिन 61.41% है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की निवल संपत्ति 31,647.31 करोड़ रुपए और दीर्घावधि ऋण 21,241.22 करोड़ रुपए है। एनएचपीसी के पास अपने सूचीबद्ध बांडों के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात आईसीआरए, केयर और इंडिया रेटिंग द्वारा नियत स्थिर दृष्टिकोण के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग अर्थात 'एएए' रेटिंग है। आपकी कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात 0.78, ब्याज सेवा कवरेज अनुपात 8.03 और ऋण सेवा कवरेज अनुपात 3.62 है। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और उच्चतम ऋण साख आपकी कंपनी को प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण के साथ पूंजी प्रधान बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए सशक्त बनाती है।

- **सुदृढ़ प्रचालनात्मक निष्पादन**

  एनएचपीसी 7071 मेगावाट की क्षमता वाली 22 जल विद्युत परियोजनाओं (इसकी अनुषंगी कंपनी अर्थात एनएचडीसी के माध्यम से दो सहित), जिसमें एक सौर विद्युत परियोजना और एक पवन विद्युत परियोजना शामिल है,को विकसित तथा कार्यान्वित करने में सफल रहा है। अपने विद्युत स्टेशनों के समूह के साथ एनएचपीसी भारत में जल विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है।

- **भूकंपीय संरक्षा आकलन**

  एनएचपीसी अपने पावर स्टेशनों की भूकंपीय संरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसने अपने सभी पावर स्टेशनों की ऑनलाइन भूकंपीय निगरानी के लिए अपने निगम मुख्यालय में विशिष्ट प्रकार का एक अत्याधुनिक केंद्रीकृत रियल टाइम भूकंपीय डेटा केंद्र विकसित किया है। डेटा सेंटर संबंधित पावर स्टेशनों के आसपास किसी भी भूकंप की घटना का रिकॉर्ड करके त्वरित आकलन प्रदान करता है। हिमालय क्षेत्र के लिए क्षीणन (अटेन्यूएशन) संबंध के विकास के लिए आईआईटी रुड़की के सहयोग से क्षीणन संबंध पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना भी शुरू की गई है। यह जोखिम आकलन उपायों की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसके प्रत्येक पावर स्टेशन के लिए बांध सुरक्षा समीक्षा को सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, परियोजना क्षेत्र के भूकंपीय डेटा का पूर्व–संलग्न नमूना एकत्र करने, विशेष भूकंपीय अध्ययन जैसे सूक्ष्म भूकंप (एमईक्यू) को भूकंपीय गतिविधि का रिकॉर्ड करने और निगरानी करने के लिए अपेक्षित परियोजनाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा हैं।

(ii) अवसरः

- **दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता**

  भारत में अत्यधिक जल विद्युत संभाव्यता उपलब्ध है। खराब होते जलीय–तापीय मिश्रण, अधिकतम मांग में वृद्धि और आवृत्ति में उतार–चढ़ाव ने नीति निर्माताओं का ध्यान जल विद्युत के विकास के प्रति आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है। भारत की दोहन न की गई व्यापक जल विद्युत संभाव्यता, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जल विद्युत विकास हेतु अवसर उपलब्ध करवाती है। आपकी कंपनी के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी मौजूदगी तथा इसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता में दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता अभिवृद्धि का एक अवसर है।

- **जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की एनएचपीसी की सतत क्षमता**

  पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं को जहां अधिकांश अन्य कंपनियां आमतौर पर पूरा करने विफल हो रही हैं, उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया गया है, जो जल विद्युत क्षेत्र में आशा की एक किरण जगाती है। जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में एनएचपीसी की विशिष्टता से इसके लिए विकास के नए द्वार खुल रहे है। एनएचपीसी को देश के आर्थिक विकास में योगदान के लिए सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से ऋण ग्रस्त जलविद्युत कम्पनियों का अधिग्रहण करके बंद पड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने का अवसर मिला है। एनएचपीसी ने पहले ही सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (सिक्किम में तीस्ता–VI जलविद्युत परियोजना का विकास) और जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सिक्किम में रंगित–IV जलविद्युत परियोजना का विकास) का अधिग्रहण कर लिया है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा**

  भारत सरकार देश भर में संभावित सौर समृद्ध राज्यों में सौर ऊर्जा के त्वरित विकास पर जोर दे रही है। भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा की 175 गीगावाट क्षमता जिसमें 100 गीगावाट सौर, 60 गीगावाट पवन, 5 गीगावाट लघु जलविद्युत और 10 गीगावाट बायोमास और अन्य[1] शामिल हैं, से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता तक बढ़ा दिया

[1] प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

गया है जैसा कि यू. एन. क्लाइमेट एक्शन समिट में भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित किया गया था। सौर ऊर्जा क्षेत्र में कई उपायों जैसे सौर पार्क नीति, सीपीएसयू योजना, ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर संयंत्रों के संयोजन के साथ सौर पैनल लागत में तेज गिरावट ने सौर ऊर्जा व्यवसाय में निवेश को अत्यधिक आकर्षक बना दिया है। एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए नए अवसरों का पता लगाने के लिए प्रयास कर रही है। एमएनआरई ने हाल ही में केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के समर्थन से बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए मौजूदा सौर पार्क योजना के तहत अल्ट्रा मेगा नवीकरण ीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) मोड शुरू किया है। एनएचपीसी भारत सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न संभावित समृद्ध राज्यों जैसे ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान आदि में सीपीएसयू योजना के तहत सौर पार्कों/फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं (50 मेगावाट) और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सभी संभावित अवसरों की खोज कर रहा है। वर्तमान परिदृश्य में, एनएचपीसी के पास देश की दोहन न की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास/दोहन के अवसर हैं।

- **ग्रिड संतुलन अपेक्षा**

  ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में जलविद्युत परियोजनाएं अधि ाक मांग को पूरा करने के लिए उपयोगी हैं। ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में इन्हें तेजी से चालू और बंद किया जा सकता है। यह ग्रिड को सौर और पवन से अनिरंतर आपूर्ति के कारण होने वाले उतार–चढ़ाव को वहन में मदद करता है। चूंकि भारत आने वाले वर्षों में व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अभिवृद्धि की योजना बना रहा है, जिसमें ग्रिड को स्थिर करने के लिए जल विद्युत परियोजनाएं महत्वपूर्ण होंगी। एनएचपीसी स्वच्छ, हरित और सतत जल विद्युत उत्पन्न करती है जो विद्युत की अधिकतम मांग को पूरा करने में उपयोगी है। वर्तमान परिदृश्य में एनएचपीसी के लिए जल विद्युत विकसित करने के अवसर सृजित होगे।

(iii) खतरे/चुनौतियां/चिंताएं

- **समय तथा लागत आधिक्य**

  समय तथा लागत आधिक्य जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित हैं जो भू–स्खलन, पहाड़ के ढलान के टूट जाने, मार्ग अवरूद्ध होने, बाढ़, बादल फटने आदि जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के कहर का शिकार बनती हैं। ये आपदाएं निर्माण कार्यक्रम में गंभीर अवरोध उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक सर्वेक्षण तथा जांच के बावजूद भू–वैज्ञानिक अनिश्चितताओं विशेष रूप से हेड रेस टनल जैसी लंबी सुरंगों, से निपटना पड़ता है। एनएचपीसी ने अपने समृद्ध अनुभव एवं विशेषज्ञता और साथ में उन्नत प्रौद्योगिकी से विगत में कई बार ऐसे भू–वैज्ञानिक अनिश्चितताओं पर विजय प्राप्त की है। तथापि, ये असामान्य और अनुमान न लगाई जा सकने वाली भू–वैज्ञानिक अनिश्चितताएं समय तथा लागत आधिक्य में परिणत हो सकती हैं।

- **अधिक समय लगने वाली स्वीकृति प्रक्रिया**

  किसी जल विद्युत परियोजना में कार्यान्वयन से पूर्व कई एजेंसियों से विभिन्न सांविधिक तथा साथ ही साथ गैर–सांविधिक स्वीकृतियां अपेक्षित होती है। आमतौर पर कई संगठन और राज्य स्वीकृति प्रक्रिया में शामिल होते है। अतः अपेक्षित स्वीकृतियों को प्राप्त करना जटिल, कठिन और समय लगने वाली प्रक्रिया बन चुका है जो कई बार परियोजना कार्यान्वयन में असमान्य विलंब में परिणत होता है। कई परियोजनाएं एक से अधिक संगठनों, राज्यों आदि के शामिल होने के चलते लंबी स्वीकृति प्रक्रियाओं के कारण अवरूद्ध हो जाती है।

- **विद्युत क्रय करार (पीपीए) को करने में कठिनाइयां**

  वर्तमान समय के विद्युत व्यापार परिदृश्य में उच्च टैरिफ वाली परियोजनाओं से ऊर्जा की बिक्री करने में कठिनाई हो रही है। लाभार्थी लंबी अवधि/मध्यम अवधि के पीपीए को चुनने के बजाय अपनी अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता को पावर एक्सचेंज या ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से खरीदना पसंद करते हैं। चूंकि जलविद्युत परियोजनाओं की साइट विशिष्ट होती हैं और इसका टैरिफ स्थान/डिजाइन मानकों और उच्च प्रारंभिक निवेश पर निर्भर करता है। नई जलविद्युत परियोजनाओं का टैरिफ अपेक्षाकृत अधिक होता है। उपरोक्त कारणों से, जलविद्युत परियोजनाओं को दीर्घावधि के पीपीए के माध्यम से नई परियोजनाओं से विद्युत के प्रेषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह आशा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा मार्च, 2019 में अधिसूचित जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय लागू होने से आगामी परियोजनाओं में इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा।

- **उच्च प्रारंभिक लागत/टैरिफ**

  जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में लम्बी पूर्णता अवधि शामिल होती है तथा इनके लिए व्यापक प्रारंभिक निवेश आवश्यक होता है जो उच्च प्रारंभिक टैरिफ में परिणत होता है। जल विद्युत परियोजनाओं के नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणाम समय–समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियमों के अनुसार अंतर के अधीन भी होते हैं। यह आशा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा मार्च, 2019 में अधिसूचित जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय लागू होने से आगामी परियोजनाओं में इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा।

- **जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध**

  भारत में जल विद्युत परियोजनाओं को कुछ दबाव डालने वाले समूहों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है जिसने जल विद्युत विकासकर्ताओं के मध्य यह आशंका

उत्पन्न कर दी है कि इसके चलते उनकी परियोजनाओं में विलंब होगा और यह समय तथा लागत आधिक्य में परिणत होगा।

- **पीएसयू के प्रवेश को बाधित करने वाली राज्य की जल विद्युत नीतियां**

  कई राज्य सरकारों की अपनी जल विद्युत नीतियां है जिसमें डेवलपरों को जल विद्युत परियोजना के आवंटन हेतु एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान, अपेक्षित निःशुल्क विद्युत या इससे अधिक निःशुल्क विद्युत आदि का प्रावधान किया गया है। सीपीएसयू को जल विद्युत परियोजनाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें भारत सरकार के मानदण्डों का अनुपालन करना अपेक्षित हैं।

- **कुछ संविदाकारों पर निर्भरता**

  जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जनशक्ति मशीनरी तथा अधिक धन निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में इस क्षेत्र का अनुभव वाले कुछ ही संविदाकार हैं, जो विशेष रूप से सुदूर और कठिन कार्यस्थलों पर जहां पहुंच मार्ग एक प्रमुख मुद्दा है, में कार्य करने के इच्छुक है। इस क्षेत्र में निष्पादन में समर्थ होने वाले संविदाकारों की एक सीमित श्रृंखला से हमारी निर्भरता केवल कुछ ही संविदाकारों पर बढ़ जाती है।

7. जोखिम और चिंताएं

कंपनी के जोखिम प्रबंधन हेतु समग्र संरचना उपलब्ध कराने के लिए आपकी कंपनी की एक सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के व्यापार में बाधक हो सकने वाले प्रमुख जोखिमों की पहचान उनके प्रशमन उपायों के साथ की गई है और उन्हें जोखिम रजिस्टर में दर्ज किया गया है। प्रत्येक जोखिम हेतु जोखिम समन्वयक की पहचान की गई है, जो इन जोखिमों के प्रबंधन हेतु समय पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख जोखिमों के प्रबंधन में सहायता करने और साथ ही साथ वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए संगठन के प्रचालनों के साथ सामरिक उद्देश्यों का संरेखण करने के लिए एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है। जोखिम प्रबंधन समिति आगे यह सुनिश्चित करती है कि चिन्हित जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित प्रणालियां मौजूद हों ताकि संगठन की परिसंपत्तियों का उचित रूप से बचाव किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन समिति की सहायता जोखिम आकलन समिति द्वारा की जाती है जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी और प्रमुख विभागों/क्षेत्रों के अन्य प्रमुख शामिल होते हैं। जोखिम आकलन समिति मुख्य जोखिमों की पहचान करने, प्रशमन उपायों को सुझाने, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी/पर्यवेक्षण करने का कार्य करती है। विभाग/क्षेत्र/परियोजना/पावर स्टेशन के प्रमुख चिन्हित जोखिमों तथा उसके प्रशमन उपायों पर जोखिम आकलन समिति द्वारा जारी किए गए निदेशों का कार्यान्वयन तथा समीक्षा करते हैं।

8. परिदृश्य

आपकी कंपनी भारत की अग्रणी जलविद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है और देश की तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए सस्ती और विश्वसनीय विद्युत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में, आपकी कंपनी कुल संस्थापित क्षमता 5,894 मेगावाट की सात जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं भी शामिल हैं। उपरोक्त में से, 2,800 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली दो जलविद्युत परियोजनाएं एनएचपीसी द्वारा एकल आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 10,787.1 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं समेकित आधार पर मंजूरी/अनुमोदन के चरण में हैं। एनएचपीसी विद्युत व्यापार व्यवसाय में निवेश करने के अलावा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधीकरण कर रही है। एनएचपीसी ने पवन और सौर ऊर्जा की एक–एक परियोजना को पहले ही चालू कर दिया है। स्वीकृति/अनुमोदन चरण की परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तृत विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

आपकी कंपनी ने अपनी सतत वृद्धि के लिए अभियांत्रिकी के क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकियों को अपनाकर प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित करने की पहलें की है। एनएचपीसी ने निर्माण समय विलंब तथा साथ ही साथ लागत आधिक्य को कम करने के लिए आधुनिक कार्य प्रणाली को भी लागू किया है। वर्तमान में कपंनी के सभी विद्युत स्टेशनों के प्रचालन या तो अर्ध अथवा पूर्ण रूप से स्वचालित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्माण पर्यवेक्षण, चालू किए जाने के पश्चात निगरानी और बाधामुक्त प्रचालन को सुनिश्चित किया जाता है। तथा इसमें वृद्धि की जाती है। कई विद्युत स्टेशन स्काडा प्रणालियों के साथ उन्नत वितरित नियंत्रण प्रणालियों से लैस हैं। एनएचपीसी अपने कुछ विद्युत स्टेशनों के सुदूर प्रचालन को भी लागू करने जा रहा है।

9. खंड–वार अथवा उत्पाद–वार कार्य–निष्पादन

विद्युत उत्पादन कम्पनी का प्रमुख व्यापार है। अन्य प्रचालन अर्थात विद्युत व्यापार, संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्श ''प्रचालनशील सेगमेंट'' संबंधी इंड एएस–108 के अनुसार एक सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं। कम्पनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर अवस्थित हैं।

10. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी के पास सुदृढ़ आंतरिक व्यवस्था है। एनएचपीसी के पास अपने व्यवसाय की व्यवस्थित, नैतिक और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रूप से सुदृढ़ संगठनात्मक संरचना, नियमावली और मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन ऊपर

से नीचे के स्तर के अधिकरियों लिए किया गया है जो निर्णय निर्धारण में सहायक होता है तथा इसकी आवधिक समीक्षा करके इसका संरेखण बदलते हुए व्यावसायिक परिवेश के साथ और निर्णय निर्धारण में तीव्रता लाने के उद्देश्य से किया जाता है।

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिकारी होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुपालन में, बोर्ड ने श्री के.एल. आचार्युलु, महाप्रबंधक (वित्त) को कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में आवधिक और विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए कार्यदक्ष तथा अनुभवी कार्यबल मौजूद है।

लेखापरीक्षा विभाग अभिमतों का एक सार और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों को लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जा रहा है और इसकी सिफारिशों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुपालन में मैसर्स अरूण के. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउंटेड, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कार्यान्वयन के संबंध में स्वतंत्र आश्वासन उपलब्ध करवाने के लिए नियुक्त किया गया था। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी में मौजूद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता को स्वीकार किया है।

11. वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

लाभ और हानि संबंधी मदें

वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का एक विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार हैं :

आय

तालिका: 1

(करोड़ रुपए में)

	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020
उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (मिलियन यूनिट में)	24,235	26,113
आय		
(i) ऊर्जा की बिक्री	7,010.44	7,430.81
(ii) वित्त पट्टे से आय	371.62	203.65
(iii) प्रचालन पट्टे से आय	712.00	666.57
(iv) संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व	38.52	27.88
(v) विद्युत व्यापार से राजस्व –	216.48	239.47
(vi) अन्य प्रचालनशील आय	157.52	166.77
प्रचालनों से राजस्व (i) से (vi) का जोड़,	**8,506.58**	**8,735.15**
जोड़े : अन्य आय	1,150.81	1,036.44
कुल आय	**9,657.39**	**9,771.59**

वित्तीय वर्ष 2021 में कुल आय 1.17: घटकर 9,657.39 करोड़ रूपये हो गई, जो कि वित्तीय वर्ष 2020 में 9,771.59 करोड़ रूपये थी, यह मुख्य रूप से वित्तीय 2021 में विद्युत उत्पादन में कमी, विद्युत से राजस्व में कमी को परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों से राजस्व में वृद्धि, पट्टा आय में वृद्धि और अन्य आय में वृद्धि से आंशिक रूप से समायोजन के कारण हुआ है।

ऊर्जा की बिक्री

कंपनी की आय का मूल स्रोत बल्क उपभोक्ताओं को विद्युत बेचना है जिसमें दीर्घावधि विद्युत क्रय समझौतों के अनुपालन में मुख्यतः राज्य सरकारों/निजी वितरण कम्पनियों के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटीज शामिल होती हैं। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विद्युत की दर का निर्धारण पावर स्टेशन–वार किया जाता है। सीईआरसी द्वारा अपनी अधिसूचना सं. एल–1/236/2018/सीईआरसी दिनांक 07 मार्च, 2019 के माध्यम से टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए मूल्यसूची विनियमों तथा समय–समय पर अनुवर्ती संशोधन जारी किए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2019–24 की अवधि हेतु टैरिफ का अनुमोदन लम्बित होने के कारण, उक्त अवधि हेतु विद्युत स्टेशनों के संबंध में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार बिक्री को अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है और ऐसा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019–24 के अनुरूप विद्युत स्टेशनों की पूंजी लागत को दुरूस्त(ट्रइंग अप) करने के प्रति प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

तीस्ता लो डैम–III पावर स्टेशन के मामले में, कंपनी ने वर्ष के दौरान अर्थात 01 अप्रैल, 2019 से पारस्परिक रूप से सहमत टैरिफ पर 35 वर्ष के शेष उपयोगी जीवन के लिए टीएलडीपी–III पावर स्टेशन द्वारा उत्पन्न संपूर्ण विद्युत की कुल खरीद के लिए मैसर्स डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के साथ पूरक पीपीए किया है। सीईआरसी द्वारा लंबित अनुमोदन, पूरक पीपीए में सहमत दरों पर बिक्री को मान्यता दी गई है।

उक्त विनियमों में अन्य बातों के साथ–साथ टैरिफ याचिका दायर करने के उद्देश्य से इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), जो टैरिफ का एक घटक है, को संबधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए सकल रूप दिया जाना होता है। बिक्री को मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्रभावी कर दर का उपयोग करते हुए आरओई को सकल रूप प्रदान किया गया है।

टैरिफ विनियमों में प्रोत्साहन भी उपलब्ध होते हैं, जिसमें सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन, संयंत्र की डिजाइन ऊर्जा (सेकेंडरी ऊर्जा) से अधिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के साथ–साथ ऐसे व्यतिक्रम प्रभारों के रूप में भी

प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं जहां कंपनी का पावर स्टेशन ग्रिड की स्थिरता बनाने में अपना योगदान देता है।

बिक्री में विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर (एफईआरवी) के कारण प्रतिपूर्ति और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित विद्युत स्टेशनों के संबंध में जल उपकर के कारण प्रतिपूर्ति भी शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 5551 मेगावाट से 24235 मिलियन यूनिट विद्युत (वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पार्बती–II जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित 236 एमयू अपुष्ट विद्युत के अतिरिक्त) का उत्पादन किया जबकि वित्तीय वर्ष 2020 में कम्पनी ने 5551 मेगावाट की संस्थापित क्षमता से 26113 मिलियन यूनिट (वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पार्बती–II जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित 190 एमयू अपुष्ट विद्युत के अतिरिक्त) विद्युत का उत्पादन किया था। तदनुसार, उत्पादित यूनिटों की संख्या में 7.19 प्रतिशत की कमी हुई थी। वित्तीय वर्ष 2021 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटकों और गृह राज्य को निशुल्क विद्युत को समायोजित करने के पश्चात) बिक्री की गई 21,274 मिलियन यूनिटों हेतु 3.67 रुपए प्रति यूनिट रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2020 में यह बिक्री की गई 22,916 मिलियन यूनिटों हेतु 3.53 रुपए प्रति यूनिट था। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी ने प्रोत्साहन के प्रति 762.90 करोड़ रूपए अर्जित किए जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में यह 810.00 करोड़ रूपए था।

ऊर्जा की बिक्री वित्तीय वर्ष 2020 में 7430.81 करोड़ रूपये से 5.44 प्रतिशत कम हो कर वित्तीय वर्ष 2021 में 7010.44 करोड़ हो गई जो मुख्यतः विद्युत स्टेशनों से कम विद्युत उत्पादन के कारण हुआ। कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) वित्तीय वर्ष 2020 में 84.04 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में 84.87 प्रतिशत था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आय में पिछले वर्षों से संबंधित बिक्री भी शामिल होती है जिसे चालू वर्ष में हिसाब में लिया गया है और उन पांच विद्युत स्टेशनों के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री शामिल नहीं है जिनकी बिक्री को अब इंड–एएस प्रावधानों के अनुरूप प्रचालन/वित्तीय पट्टा माना गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, ऋण पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार–चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी पावर स्टेशन/विद्युत इकाइयों के हिसाब में लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनिमय दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ–हानि विवरणी लेखे में समायोजित करने की बजाय लेखे में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है। वर्ष दर वर्ष तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री के प्रभाव को ऊर्जा की बिक्री में शामिल नहीं किया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस प्रकार के समायोजन के पश्चात ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:

तालिका : 2

(करोड़ रुपए में)

	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020
निवल बिक्री (पट्टा आय सहित)	8,094.06	8,301.03
घटाएं : पिछले वर्ष की बिक्री	290.99	220.50
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	7,803.07	8,080.53

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में निर्माण संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी संविदाओं से संबंधित कार्य से प्राप्त राजस्व शामिल होता है। इन कार्यों में मुख्यतः चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड, और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में परामर्शी कार्य शामिल हैं। संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य से आय वित्तीय वर्ष 2020 में 27.88 करोड़ रूपये से 38.16 प्रतिशत बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2021 में 38.52 करोड़ रूपये हो गई है जो वित्तीय वर्ष 2021 में अधिक क्रियाकलापों के कारण है।

विद्युत व्यापार से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में विद्युत व्यापार क्रियाकलाप से प्राप्त राजस्व शामिल होता है जिसे वित्तीय वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया है। विद्युत व्यापार से राजस्व वित्तीय वर्ष 2020 में 239.47 करोड़ रूपये से घट कर वित्तीय वर्ष 2021 में 216. 487 करोड़ रूपए हो गया जो वित्तीय वर्ष 2021 में कम हुए क्रियाकलापों के कारण है।

अन्य प्रचालनात्मक आय

वित्तीय वर्ष 2020 में अन्य प्रचालन आय 166.77 करोड़ रूपये से 5.55 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2021 में 157.52 करोड़ रूपये थी। अन्य प्रचालन आय के घटक नीचे दिए गए अनुसार है:

तालिका 3

(करोड़ रुपए में)

अन्य प्रचालन आय	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020
स्व उत्पन्न वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	1.92	1.76
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	2.96	2.53
लाभार्थी राज्यों से ब्याज	152.64	162.48
कुल	**157.52**	**166.77**

अन्य आय

वित्तीय वर्ष 2021 में एनएचपीसी की अन्य आय 11.03 प्रतिशत की वृद्धि होकर 1150.81 करोड़ थी जबकि यह वित्तीय वर्ष 2020 में 1036.44 करोड़ रूपए थी। अन्य आय के मुख्य घटक तथा उन पर चर्चा नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 4 :

(करोड़ रुपए में)

अन्य आय	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020
अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज	60.82	55.80
सावधि जमा राशियों/निवेश पर ब्याज	53.36	59.66
लाभांश (मुख्यतः एक सहायक कंपनी एनएचडीसी से)	292.68	489.97
विलंब भुगतान अधिभार	532.81	259.34
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनी वाली देयताएं/प्रावधान	21.82	5.22
बीमा दावे से आय	65.05	29.33
अन्य विविध आय	124.27	137.12
कुल	**1150.81**	**1036.44**

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 259.34 करोड़ रूपये के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार के रूप में 532.81 करोड़ रूपये अर्जित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2021 में मुख्यतः सहायक कंपनी (एनएचडीसी लिमिटेड) में निवेश के रूप में 292.68 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त किया गया जबकि 2020 में यह 489.97 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ है।

व्यय

तालिका: 5

(करोड़ रुपए में)

व्यय	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020
विद्युत की खरीद – व्यापार	212.37	234.13
उत्पादन व्यय	854.37	901.67
कर्मचारी लाभ व्यय	1,409.26	1,515.52
वित्त लागत	649.59	795.42
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	1,234.50	1,545.34
अन्य व्यय	1,425.89	1,514.95
कुल व्यय	**5,785.98**	**6,507.03**

कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2020 में 6507.03 करोड़ रूपये से 11.08 प्रतिशत घटकर वित्तीय वर्ष 2021 में 5785.98 करोड़ रूपये हो गया जो मुख्यतः विद्युत की खरीद – व्यापार में 21.76 करोड़ रूपए की कमी, उत्पादन व्ययों में 47.30 करोड़ रूपये की कमी, अन्य व्ययों में 89.06 करोड़ रूपये की कमी, वित्त लागत में 145.83 करोड़ रूपए की कमी, कर्मचारी लाभ व्यय में 106.26 करोड़ रूपये की कमी तथा मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में 310.84 करोड़ रूपये की कमी के कारण हुआ था। वर्ष 2020 में 66.59 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में कुल आय के प्रतिशत के तौर पर हमारा कुल व्यय 59.91 प्रतिशत था।

विद्युत व्यापार हेतु खरीद

विद्युत व्यापार हेतु खरीद में व्यापार के लिए विद्युत की खरीद से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2021 में कुल व्यय का लगभग 3.67 प्रतिशत हैं।

उत्पादन व्यय

उत्पादन व्यय में जल उपकर तथा भंडार एवं कलपुर्जों के उपभोग पर व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2021 में कुल व्यय का लगभग 14.77 प्रतिशत थे जबकि वित्तीय वर्ष 2020 में यह कुल व्यय का लगभग 13.86 प्रतिशत था। वास्तविक रूप में ये व्यय वित्तीय वर्ष 2020 में 901.67 करोड़ रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में 854.37 करोड़ रूपये हो गए थे। उत्पादन व्यय में 47.30करोड़ रूपये की कमी मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर स्थित कुछ विद्युत स्टेशनों में कम विद्युत उत्पादन के कारण कम जल उपकर के कारण हुई है।

कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय में वेतन व मजदूरी, भत्ते, प्रोत्साहन, भविष्य निधि में योगदान, कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवार्षता योजना में अंशदान, वेतन संशोधन का प्रभाव और अन्य कर्मचारी कल्याण निधियों से संबंधित व्यय शामिल हैं। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2020 में 23.29 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में हमारे कुल व्यय का 24.36 प्रतिशत हैं। कर्मचारी लागत वित्तीय वर्ष 2020 में 1515.52 करोड़ रूपए से कम होकर वित्तीय वर्ष 2021 में 1409.26 करोड़ रूपये हो गई है अर्थात वित्तीय वर्ष 2021 में 106.26 करोड़ रूपए की कमी हुई है। यह कमी मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2021 और 2020 के दौरान 562 कर्मचारियों की सेवानिवृति के कारण हुई है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी की वेतनपंजी में 5569 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या 6131थी। इनमें से वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2020 में क्रमशः 3508 और 3501 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे।

वित्त लागत

''वित्त लागत'' में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्चे शामिल हैं। लेखा बहियों में कंपनी के ऋणों को रुपए में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा (जापानी येन) के उधार भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त लागत में विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर खर्च की गई कुछ राशि शामिल होती है।

वित्त लागत वित्तीय वर्ष 2021 में कुल व्यय का 11.23 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में यह कुल व्यय का 12.22 प्रतिशत था। वित्त लागत वित्तीय वर्ष 2020 में 795.42 करोड़ रूपये से 18.33 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2021 में 649.59 करोड़ रूपये हो गई थी। वित्त लागत में कमी मुख्य रूप से वित्तीय 2021 में सुबनसिरी लोअर परियोजना की वित्त लागत के पूरे वर्ष के पूंजीकरण (लॉकडाउन अवधि यानी 23.03.2020 से 23.04.2020 को छोड़कर), जबकि वित्तीय 2020 में पहली दो तिमाही में लाभ और हानि के लिए प्रभारित किया गया है और उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021 में पूंजीकृत, ऋणों की चुकौती और भारित औसत ब्याज दर में परिवर्तन के कारण हुई है।

मूल्यह्रास और परिशोधन

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है, इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 07.03.2019 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और प्रविधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की लागत के 95 प्रतिशत तक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विहित दरों या प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

मूल्यह्रास की लागत में वित्तीय वर्ष 2020 में 1,545.34 करोड़ रूपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में 20.11 प्रतिशत कम होकर 1,545 करोड़ रूपए हो गई है। मूल्यह्रास व्यय में कमी मुख्य रूप से दुलहस्ती पावर स्टेशन के जीवनकाल के 12 वर्ष पूरे होने और टीएलडी–III पीएस में मूल्यह्रास के समायोजन के कारण है, जिसे वित्तीय वर्ष 2021 में वित्त पट्टे के रूप में शामिल किया गया है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय वित्तीय वर्ष 2020 में 23.75 प्रतिशत से कम होकर वित्तीय वर्ष 2021 में 21.34 प्रतिशत हो गया है।

अन्य व्यय

अन्य व्ययों में मुख्यतः भवनों तथा संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, विद्युत प्रभार, सीएसआर, अन्य प्रशासनिक ऊपरी खर्चे, प्रावधान आदि शामिल है। ये व्यय वित्तीय वर्ष 2020 में कुल व्यय के 23.28 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 24.64 प्रतिशत को दर्शाते हैं। पूर्ण रूप में ये व्यय वित्तीय वर्ष 2020 में 1514.95 करोड़ रूपये से लगभग 5.88 प्रतिशत कम होकर वित्तीय वर्ष 2021 में 1425.89 करोड़ रूपये हो गए हैं। अन्य खर्चों में 89.06 करोड़ रूपये की कमी मुख्य रूप से सीएसआर व्यय में कमी, लाभार्थी राज्यों को ब्याज, विनिमय दर भिन्नता, यात्रा और वाहन व्यय, सुरक्षा व्यय, आर एंड एम व्यय आंशिक रूप से बीमा व्यय में वृद्धि, बीमा दावों से हानि से आंशिक रूप से समायोजन करने और एक संविदाकार आदि के विरोध के अंतर्गत जमा की गई राशि के प्रति पार्बती–III पावर स्टेशन में प्रावधान किया गया, जो वित्तीय 2021 में अधिक है, के कारण है।

असाधारण मद

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 और 16 मई, 2020 के निर्देशों के अनुसार, कोविड 19 सर्वव्यापी महामारी के कारण कंपनी ने अंतिम उपभोक्ताओं के किए डिस्कामों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत विभागों को 185 करोड़ रुपए की एकमुश्त छूट दी है। उक्त छूट को वित्तीय विवरणों में "असाधारण मद" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन (विनियामक आय)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ''दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन ''संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एएस 114–विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ''विनियामक परिसंपत्तियां'' को सृजित किया गया है और तदनुरूपी ''विनियामक आय'' के रूप में 227.9 करोड़ रूपये को मान्यता दी गई है। इसमें किशनगंगा पावर स्टेशन 195.51 करोड़ रूपये, मौद्रिक मदों के प्रति विनिमय अंतर 1.70 करोड़ रूपये, 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन (–)75.46 करोड़ रूपये और टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन 6.28 करोड़ रूपये, विनियामक कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान उधार लेने की लागत और अन्य लागतों के प्रति मान्यता प्राप्त संपत्ति 99.06 करोड़ रूपये की राशि है जिसे प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार लाभ और हानि का विवरण प्रभारित किया गया है, के संबंध में टैरिफ के समायोजन के कारण मूल्यह्रास शामिल है। दर नियंत्रित आय को वित्तीय वर्ष 2021 में नीचे उल्लिखित चार कारकों के चलते लेखा बहियों में मान्यता प्रदान की गई है:

(i) किशनगंगा विद्युत स्टेशन के टैरिफ को मन्द किए जाने के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष

कंपनी ने किशनगंगा विद्युत स्टेशन के टैरिफ के एक घटक के रूप में मूल्यह्रास को मन्द किया है ताकि टैरिफ को बिक्री योग्य बनाया जा सके जिसकी सीईआरसी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। यह कंपनी को विद्युत स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल में प्रचालन के पहले 10 वर्षों के दौरान टैरिफ में शामिल किए गए निम्नतर मूल्यह्रास की वसूली के लिए पात्र बनाता है। तदनुसार, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार बहियों में प्रभारित मूल्यह्रास के मध्य अंतर की वसूली का अधिकार है और वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 195.51 करोड़ रूपये (वित्तीय वर्ष 2020 में 195.62 करोड़ रूपये) की टैरिफ राशि के माध्यम से वसूलीयोग्य राशि को नियामक आय के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष

लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किए गए की सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर और जो आगे सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लभार्थियों से वसूली योग्य है अथवा उन्हें देय है, उन्हें 1 अप्रैल, 2016 से ''विनियामक आस्थगित लेखा शेष'' के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) के पश्चात लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हों।

तदनुसार, कंपनी ने भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 1.70 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2020 में 0.99 करोड़ रूपये) की विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और तदनुरूपी नियामक आय को मान्यता प्रदान की है।

(iii) आस्थगित कर देयताओं के प्रति प्राप्ति योग्य विलंबित कर/विलंबित कर समायोजन के पुनर्वर्गीकरण के कारण देय विनियामक आस्थगित लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए उत्पादक आय से उत्पन्न होने वाले विलंबित कर को वर्ष में लाभग्राहियों से वसूला जाना होता है और यह वर्तमान कर के रूप में मूर्तरूप में आता है। टैरिफ अवधि 2014–19 और 2019–24 हेतु विलंबित कर अदा किए गए वास्तविक कर पर आधारित प्रभावी कर दर द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देकर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक भविष्य के वर्षों में लाभग्राहियों से वसूली योग्य विलंबित कर को विलंबित कर देयता का एक समायोजन माना गया था।

इस व्यवहार की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (आईसीएआई की एईसी) के मत के आधार पर की गई है। ऐसा विलंबित लेखा शेष जो आईसीएआई की एईसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जो इंड एएस 12 – आयकर के अंतर्गत विलंबित कर परिसंपत्ति में परिणत होता हो बल्कि इंड एएस 114 – नियामक विलंबित लेखे के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा को पूरा करता हो।

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान बहियों में मान्यता प्राप्त विनियमित परिसंपत्तियों (+)/देयता (–) निम्नानुसार हैः

टैरिफ अवधि 2009 तक के लिए प्राप्य के आस्थगित कर के संबंध में 75.46 करोड़ रूपए का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान किया गया है (वित्तीय वर्ष 2020 – 125.71 करोड़ रूपए) तथा आस्थगित कर देयताओं (टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित) 6.28 करोड़ रूपए की स्वीकृति विनियामक आय के रूप में वित्तीय वर्ष 2021 (वित्तीय वर्ष 2020 – 69.46 करोड़ रूपए) के तौर पर की गई है।

(iv) कोविड–19 लॉक डाउन अवधि के दौरान उधार और अन्य लागतों के कारण नियामक आस्थगित लेखा शेष

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, गृह मंत्रालय ने 24 मार्च, 2020 के आदेश द्वारा देश में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया, जिसे समय–समय पर बढ़ाया गया।

लॉकडाउन की प्रारंभिक अवधि के दौरान, 23 मार्च, 2020 से 22 अप्रैल, 2020 तक पार्बती–II परियोजना में और 23 मार्च, 2020 से 23 अप्रैल, 2020 तक सुबनसिरी लोअर परियोजना में प्रमुख निर्माण गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक दी गई थी।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम अप्रत्याशित घटनाओं सहित अनियंत्रित कारकों के कारण उधार लेने और अन्य श्रोतजन्य लागतों के पूंजीकरण की अनुमति देता है। तदनुसार, कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के कारण अस्थायी रूप से रोके कार्य की अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर किए गए उधार और अन्य प्रशासनिक लागतों को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया गया है और आगे इसे नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में इस प्रकार मान्यता दी गई है।

तालिका 6 :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	राशि
पार्बती–II जल विद्युत परियोजना	47.59
सुबनसिरी जल विद्युत लोअर परियोजना	51.47
कुल	**99.06**

कर–पूर्व लाभ (दर विनियमित आय सहित)

ऊपर दिए गए कारणों के चलते हमारा कर पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2020 में 3608.17 करोड़ रूपये से 8.46 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 3913.50 करोड़ रूपये हो गया है।

कर व्यय

वित्तीय वर्ष 2021 में हमने कर व्ययों हेतु 680.13 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाए थे जबकि वित्तीय वर्ष 2020 में यह राशि 601.00 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2021 में कर व्ययों में बढ़ोत्तरी 132. 90 करोड़ रूपये के वर्तमान वर्ष के करों में बढ़ोत्तरी के कारण है जो 21.13 करोड़ रूपये के पहले के वर्ष के कर समायोजनों में वृद्धि और आस्थगित कर व्यय में 32.64 करोड़ रूपये की कमी के चलते आंशिक रूप से समायोजित हुई है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) जिसमें निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन और इक्विटी तथा ऋण लिखत में उचित मूल्य लाभ/हानि शामिल है, वित्तीय वर्ष 2020 में (–)0.62 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2021 में 7.20 करोड़ रूपये थे।

कुल व्यापक आय (टीसीआई)

कुल व्यापक आय (टीसीआई) अर्थात ओसीआई सहित कुल लाभ वित्तीय वर्ष 2021 में 7.78 प्रतिशत की वृद्धि होकर 3,240. 57. करोड़ रूपये था जबकि यह वित्तीय वर्ष 2020 में 3,006.55 करोड़ रूपये थी।

नकदी तथा पूंजी संसाधन

नकदी के आंतरिक तथा बाहरी दोनों स्रोतों का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकता और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। सामान्यतः दीर्घावधि ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण अथवा भारतीय रूपये या विदेशी मुद्रा में बॉण्ड जारी करके जुटाए जाते हैं। 31 मार्च, 2021 तथा 2020 की स्थिति के अनुसार नकदी तथा बैंक शेष क्रमशः 145.57 करोड़ रूपये और 8.87 करोड़ रूपये थे।

नकदी प्रवाह

तालिका 7:

(करोड़ रुपए में)

	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020
प्रचालन गतिविधियों से निवल नक़दी अन्तर–प्रवाह/(बाह्य–प्रवाह)	4,509.80	2,214.11
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी अंतर प्रवाह/(बाह्य–प्रवाह)	(1,507.34)	(2,896.98)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नक़दी अंतर प्रवाह/(बाह्य– प्रवाह)	(2,865.76)	679.70

प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2021 में, प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 4509.80 करोड़ रूपये और कर पूर्व तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ 3686.41 करोड़ रूपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1234.50 करोड़ रूपये के मूल्यह्रास, 649.59 करोड़ रूपये के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 220.40 करोड़ रूपये, एफईआरवी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 50.03 करोड़ रूपये, परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/पश्चलेखन किए गए दावों के प्रति 8.69 करोड़ रूपए, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 48.38 करोड़ रूपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 21.82 करोड़ रूपये, लाभांश आय के कारण 292.98 करोड़ रूपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर–प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 680.14 करोड़ रूपये जैसी गैर–नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयाताओं में परिवर्तन का नकदी अंतर प्रवाह पर 350.37 करोड़ रूपये का प्रभाव हुआ है जो माल–सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य देयों, वित्तीय देयताएं और प्रावधानों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

वित्तीय वर्ष 2020 में प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी 2214.11 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2020 में हमारा कर पूर्व तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ 3264.56 करोड़ रूपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1545.34 करोड़ रूपये के मूल्यह्रास, 795.42 करोड़ रूपये के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 155.17 करोड़ रूपये, एफईआरवी के खाता पर बिक्री समायोजनों के प्रति 42.94 करोड़ रूपये, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 44.72 करोड़ रूपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 5.22 करोड़ रूपये, लाभांश आय के कारण 489.97 करोड़ रूपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर–प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 421.50 करोड़ रूपये जैसी गैर–नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयाताओं में परिवर्तन का नकदी अंतरवाह पर 2016.96 करोड़ रूपये का प्रभाव हुआ है जो माल–सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य देयों, वित्तीय देयताएं और प्रावधानों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2021 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 1507.34 करोड़ रूपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयत्र और उपस्कर, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों तथा निर्माण परियोजनाओं पर 1763.89 करोड़ रूपये के व्यय, संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 500.00 करोड़ रूपये और सहायक कंपनियों में निवेश के प्रति 280.41 करोड़ रूपए के व्यय को दर्शाता है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 743.63 करोड़ रूपये की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 292.68 करोड़ रूपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 2896.98 करोड़ रूपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयत्र और उपस्कर, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों तथा निर्माण परियोजनाओं पर 2708.71 करोड़ रूपये के व्यय और संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 140.45 करोड़ रूपये के व्यय को दर्शाता है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 386.39 करोड़ रूपये की ब्याज आय और लाभांश आय के प्रति 489.97 करोड़ रूपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2021 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी प्रवाह 2865.76 करोड़ रूपये थी। हमने भारत सरकार से प्राप्त बांडों और अधीनस्थ ऋणों के निर्गमन से 2,327.03 करोड़ रूपये जुटाए है। 2,116.14 करोड़ का ऋण का भुगतान किया गया। पट्टा देयता के पुनर्भुगतान के कारण हमारा नकद बहिर्वाह 3.86 करोड़ रूपये था। ब्याज भुगतान से संबंधित राशि 1,495.72 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2021 में कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) 1,577.07 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020 में वित्त–पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी बाहिर प्रवाह 679.70 करोड़ रूपये था। हमने नए घरेलू सावधि ऋणों तथा बाण्डों से 5967.71 करोड़ रूपये जुटाए। 1715.05 करोड़ रूपये के ऋणों की चुकौती की गई थी। ब्याज सर्विसिंग से संबंधित राशि 1332.22 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2020 में भुगतान किया गया कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) 2237.47 करोड़ रूपये था।

तुलन पत्र की मदें

तुलन पत्र की मुख्य बातें

परिसंपत्तियां

तालिका 8:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च को	
	2021	2020
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य, परिसंपत्ति उपयोग अधिकार, निवेश परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति	38,679.02	39,393.17
गैर–वर्तमान निवेश	3,921.68	3,400.74
दीर्घावधि ऋण	943.27	798.65
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,917.27	3,435.91
गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	0.00	138.90
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	3,560.71	3,035.41
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	**52,021.95**	**50,202.78**
चालू परिसंपत्तियां		
मालसूची	124.42	118.24
प्राप्य व्यापार	3,206.02	3,585.12
नकदी और बैंक शेष	913.96	389.12
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	48.44	46.03
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,386.12	2,932.96
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	165.73	127.14
अन्य चालू परिसंपत्तियां	372.08	375.91
कुल चालू परिसंपत्तियां	**7,216.77**	**7,574.52**
नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	7,063.31	6,836.22
कुल परिसंपत्तियां और नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	**66,302.03**	**64,613.52**

इक्विटी और देयताएं

तालिका 9:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च को	
	2021	2020
इक्विटी		
इक्विटी शेयर पूंजी	10,045.03	10,045.03
अन्य इक्विटी	21,602.28	19,938.78
गैर–वर्तमान देयताएं		
दीर्घावधि ऋण	21,241.22	20,889.74
अन्य वित्तीय देयताएं	2,054.34	2,059.23
दीर्घावधि प्रावधान	28.38	27.66
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	3,589.36	3,641.19
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	2,034.60	2,082.65
वर्तमान देयताएं	726.03	714.31
अल्पावधि ऋण	201.34	304.26
देय व्यापार	2,925.62	2,880.07
अन्य वित्तीय देयताएं	565.85	802.44
अन्य वर्तमान देयताएं	1,252.98	1,228.16
अल्पावधि प्रावधान	35.00	0.00
कुल इक्विटी और देयताएं	**66,302.03**	**64,613.52**

वित्तीय स्थिति

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई), प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), परिसंपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू), निवेश परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति

मूल्यह्रास के बाद, हमारे पीपीई जिसमें भूमि, बांध, सुरंग, पावर हाउस भवन, निर्माण उपस्कर, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपस्कर, कंप्यूटर सहित भवन शामिल हैं, के लिए 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 19,163.61 करोड़ रूपये और 21,463.33 करोड़ रूपये थे।

प्रगतिशील पूंजीगत कार्य जिसमें हाइड्रोलिक कार्य, हमारी विद्युत परियोजनाओं में विद्युत गृह भवन, निर्माण उपस्कर, संयंत्र और मशीनरी और एस एंड आई कार्यों सहित भवन शामिल है, के लिए 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 17,754.48 करोड़ रूपये और 16,097.65 करोड़ रूपये थे।

उपयोग अधिकार के तहत वन भूमि सहित उपयोग अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) और अन्य पट्टे की संपत्ति 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 1,752.92 करोड़ रूपये और 1,826.98 करोड़ रूपये थी।

निवेश संपत्ति में बंगलौर में भूमि का एक टुकड़ा शामिल है जिसकी राशि 4.49 करोड़ रूपये है।

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त संपत्ति क्रमशः 3.52 करोड़ रूपये और 0.72 करोड़ रूपये थी।

निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर वहन किया जाता है जिसमें सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों, सरकारी प्रतिभूतियों और बॉण्ड में इक्विटी निवेश शामिल होता है। 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को हमारा निवेश क्रमशः 3,921..68 करोड़ रुपए और 3400.74 करोड़ रुपए था।

निवेश में वृद्धि सहायक कंपनियों और हमारी संयुक्त उद्यम कंपनियों में से एक में निवेश में वृद्धि और इक्विटी में निवेश के उचित मूल्य में वृद्धि का निवल प्रभाव है जो द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हुई है।

ऋण (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

ऋणों में हमारे कर्मचारियों को और अरूणाचल प्रदेश सरकार एवं नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी लिमिटेड (एनएचपीटीएल) को प्रदान किए गए ऋण ब्याज सहित शामिल हैं। 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ऋण क्रमशः 991.71 करोड़ रूपये और 844.68 करोड़ रूपये थे अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसमें 17.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः 31 मार्च, 2021 के दौरान अरूणाचल प्रदेश सरकार, एनएचपीटीएल और कर्मचारी के ऋणों में वृद्धि के कारण है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 7303.39 करोड़ रूपये है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 6368. 87 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष के आकड़ों से 14.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के कारण प्राप्य राशि, प्राप्य पट्टा किराया, बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्य दावा, शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन, संयुक्त उद्यम कंपनी को दी गई शेयर आवेदन राशि, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व से प्राप्य शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2020 के आकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में 14.67 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः प्राप्य लीज रेंट में वृद्धि, शेयर एप्लीकेशन राशि लम्बित आवंटन, विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावा आंशिक रूप से बिल न किए गए राजस्व और विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य में कमी से समायोजन के कारण हुई है।

कर परिसंपत्तियां (वर्तमान एवं गैर–वर्तमान)

31 मार्च, 2021 तथा 2020 के अनुसार कर परिसंपत्तियां क्रमशः 165.73 करोड़ रूपये तथा 226.04 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों से 37.70प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कर परिसपंत्तियों में अग्रिम आयकर,स्रोत पर कटौती किया गया कर और वित्तीय वर्ष 2019–20 तक वर्तमान कर के लिए उपरोक्त प्रावधान शामिल है।

अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां, अग्रिम(पूंजी के साथ–साथ पूंजी के अलावा अन्य) और माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार के अग्रिम शामिल हैं। 31 मार्च, 2021 तथा 2020 के अनुसार हमारी अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 3560.71 करोड़ रूपये तथा 3035.41 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2020 के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में 17.31 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार को अग्रिम पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिमों में वृद्धि आंशिक रूप से आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव वाली परिसंपत्तियों में कमी से समायोजन के कारण हुई है।

माल–सूची

माल–सूचियों का मूल्यांकन लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, में से जो भी कम हो, उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को किये गये मूल्यांकन में माल–सूचियों का मूल्य क्रमशः 124.42 करोड़ रुपए और 118. 24 करोड़ रुपए आंका गया था।

प्राप्य व्यापार (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

इसके मुख्यतः विद्युत की बिक्री और बिल न किए गए राजस्व वाली प्राप्तियाँ शाामिल हैं। इसमें बिल 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को प्राप्य व्यापार (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निवल) क्रमशः 3206.02 करोड़ रुपए और 3585.12करोड़ रुपए थे। वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में व्यापार प्राप्य में 10.57 प्रतिशत की कमी हुई है जो लाभार्थियों से बकाया देयों की कम वसूली के चलते है।

नकद और बैंक शेष

तुलन–पत्र की तिथि को नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा ग्रामीण सड़कों के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि शामिल है।

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को कंपनी के पास नकद और बैंक शेष के रूप में क्रमशः 145.57 करोड़ रुपए और 8.87 करोड़ रुपए थे। वित्तीय वर्ष 2021 में इसमें 136.70 करोड़ रुपए की वृद्धि निवेश क्रियाकलापों में 4509.80 करोड़ रूपए के नकदी बाह्य प्रवाह के कारण हुई है जिसे प्रचालन तथा वित्त–पोषण क्रियाकलापों के कारण क्रमशः 1507.34 करोड़ रूपए और 2865.76 करोड़ रूपए के नकदी अंतर प्रवाह से समायोजित किया गया है।

नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को क्रमशः 768.39 करोड़ रूपए और 380. 25 करोड़ रुपए थे।

हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 155.81 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 268.78 करोड़ रुपए) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 112.58 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 111.43 करोड़ रुपए) का अदा न किया गया लाभांश तथा ब्याज शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त जमा तथा अग्रिम, पूर्व प्रदत्त व्यय और विलंबित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां शामिल है। 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 को हमारी अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 372.08 करोड़ रुपए और 375.91 करोड़ रुपए की थी, यानी वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में इन परिसंपत्तियों में 1.02 प्रतिशत की कमी हुई है।

विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ''दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन'' संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एएस 114–विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ''विनियामक परिसंपत्तियां'' को सृजित किया गया है और तदनुरूपी ''विनियामक आय'' को मान्यता दी गई है।

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 की यथास्थिति अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष निम्नवत थेः

तालिका 10

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष	3,470.59	3,470.59
तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	631.90	631.90
किशनगंगा विद्युत स्टेशन के संबंध में टैरिफ को मंद किए जाने के कारण विभेदीय मूल्यह्रास	563.11	367.60
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	1.72	0.02
2009 तक की अवधि के लिए वसूलीयोग्य विलंबित कर के प्रति समायोजन	1,453.56	1,529.02
टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	843.37	837.09
पार्बती–II और सुबनसिरी लोअर परियोजना में कोविड–19 लॉक डाउन अवधि के दौरान किए गए उधार और अन्य लागत	99.06	0.00
कुल	**7,063.31**	**6,836.22**

निवल मूल्य

वित्तीय वर्ष 2021 के अंत में कंपनी का निवल मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के 29,983.81 करोड़ रूपये से 5.55 प्रतिशत बढ़कर 31,647. 31 करोड़ रूपये हो गया है जो मुख्यतः कर पश्चात लाभ में कमी और प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण है।

दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 15679.99 करोड़ रुपए, 316.00 करोड़ रुपए और 5235.00 करोड़ रुपए के क्रमशः बांड, सुरक्षित सावधि ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण सहित असुरक्षित ऋण शामिल हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2020 में ये क्रमशः 14532.79 करोड़ रुपए, 974.00 करोड़ रुपए और 5371.87 करोड़ रुपए थे। सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ–साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बॉन्ड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रति सुरक्षित हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1.68 प्रतिशत की सीमा तक दीर्घावधि ऋण में वृद्धि मुख्यतः 'एबी', और 'एसी' सिरीज के बॉण्ड को जारी किए जाने के चलते हैं जिसे आंशिक रूप से बॉण्डों के मोचन तथा ऋण की चुकौती से समायोजित किया गया है।

अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान और गैर–वर्तमान)

अन्य वित्तीय देयताएं में सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांडों, भारत के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता, अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं, ईएमडी/प्रतिधारण राशि, आदि के लिए देय राशि शामिल है। 31 मार्च, 2021 को अन्य वित्तीय देयताएं 4979.96 करोड़ रूपये थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में यह 4939.30 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों पर 0.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रावधान (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान)

प्रावधानों में निष्पादन संबंधी वेतन, अधिवर्षिता/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ के प्रति प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन), वेतन संशोधन हेतु प्रावधान – तीसरी वेतन संशोधन समिति, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान तथा अन्य प्रावधान आदि के लिए किए गए प्रावधान शामिल है। कुल प्रावधान 31 मार्च, 2021 को 1281.36 करोड़ रूपये के थे जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष हेतु यह 1255.82 करोड़ रूपये थे अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 2.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

आस्थगित कर देयताएं

31 मार्च, 2021 स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयताएं 3,589.36 करोड़ रूपये थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 3641.19 करोड़ रूपये की थी।

अन्य गैर–वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य गैर–वर्तमान देयताएं 2,034.60 करोड़ रूपये थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 2,082.65 करोड़ रूपये की थी। अन्य गैर–वर्तमान देयताओं में अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) और सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

अल्पावधि ऋण

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि ऋण 726.03 करोड़ रूपये हैं जबकि यह पिछले वित्तीय वर्ष में 714.31 करोड़ रूपये था। अल्पावधि ऋणों में व्यापार प्राप्तियों के विरुद्ध छूट वाले बिलों के कारण लाभार्थियों द्वारा बैंकों को देय राशि शामिल है।

देय व्यापार

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार देय व्यापार 201.34. करोड़ रूपये है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष हेतु यह 304.26 करोड़ रूपये थे अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 33.83 प्रतिशत की कमी हुई है।

अन्य वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अन्य वर्तमान देयताएं 565.85 करोड़ रूपये थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में यह 802.44 करोड़ रूपये थी अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 29.48 प्रतिशत की कमी हुई है।

वर्तमान कर देयताएं

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वर्तमान कर देयताएं 35.00 करोड़ रूपये थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 'शून्य' रूपये थी। यह वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अग्रिम आयकर और टीडीएस से अधिक वर्तमान कर के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है।

तुलन–पत्र से इतर मद
आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय वर्ष 2021 और 2020 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं:

तालिका:11

(करोड़ रूपए में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूंजीगत कार्य	9,480.36	10,069.32*
भूमि मुआवजे के मामले	235.04	137.04
विवादित आयकर मामले और अन्य मदें	1,325.22	1,308.75*
कुल	**11,040.62**	**11,515.11**

* वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 74.78 करोड़ की आकस्मिक देयता को "पूंजीगत कार्यों" से "अन्य" में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 11,15.11 करोड़ रूपये की आकस्मिक देयताओं में 4.12 प्रतिशत की कमी होकर यह 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 11,040.62 करोड़ रूपये हो गई थी।

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों की व्यावसायिक एवं वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड (51.08%) और मध्य प्रदेश सरकार (48.92%) का एक संयुक्त उद्यम के रूप में 01.08.2000 को अधिनिगमित किया गया था और इसकी प्राधिकृत पूंजी 3,000 करोड़ रुपए की है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) को चालू किया है। 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड की कुल आय क्रमशः 1,348.42 करोड़ रुपए और 1494.57 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड का कर पश्चात लाभ क्रमशः 664.63 करोड़ रुपए और 940.16 करोड़ रुपए था। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1962.58 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 1002.42 करोड़ रूपए है।

लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74%) और मणिपुर सरकार (26%) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी से की गयी थी। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 132.00 करोड़ रूपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 98.90 करोड़ रूपए है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया हैं।

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को 02.02.2015 को एनएचपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में अधिनिगमित किया गया था जिसमें एनएचपीसी की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत से कम नहीं थी। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100.00 करोड़ रूपये है। कम्पनी की शेयर पूंजी 21.98 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 16.26 करोड़ रूपये (74.00%) है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया हैं।

लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल):

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, एनएचपीसी ने ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के तहत लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड का अधिग्रहण अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया है। अधिग्रहण एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना के अनुसार किया गया था और राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी

की अधिकृत शेयर पूंजी 1500.00 करोड़ रूपए है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 970.50 करोड़ रूपए है, जिसमें एनएचपीसी द्वारा 100 प्रतिशत अंशदान किया गया है। कंपनी तीस्ता–VI जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में रत है और अभी परिचालन प्रारंभ नहीं किया हैं।

जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)

एनएचपीसी ने 31.03.2021 को 165.00 करोड़ रुपए में दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया है और यह कंपनी उक्त तारीख से एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार अधिग्रहण किया गया था और इसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 200.00 रुपए करोड़ है। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल इक्विटी 188.15 करोड़ रुपए (शेयर आवेदन राशि 165.00 करोड़ रुपए सहित) है। कंपनी 120 मेगावाट रंगित–IV जलविद्युत परियोजना के निर्माण में रत है और अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठन 13.06.2011 को 3,500 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49 प्रतिशत शेयर पूंजी), जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत शेयर पूंजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत शेयर पूंजी) ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य चिनाब नदी बेसिन में 2164 मेगावाट क्षमता की पाकल दुल, किरु और क्वार जल–विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था। कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी 2479.78 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 1287.85 करोड़ रूपये है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया हैं।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को प्रत्येक की 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) का संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट–सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन–लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है तथा इसकी प्राधिकृत पूंजी 153 करोड़ रूपए है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 152.00 करोड़ रूपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 30.40 करोड़ रूपये है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ कर दिया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने 19.23 करोड़ रूपए की हानि वहन की है जबकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष 2020 के लिए हानि 21.37 करोड़ रूपए थी।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण:

समेकित वित्तीय विवरण इंड–एस 110 – 'समेकित वित्तीय विवरण' और इंड–एएस 28 – 'एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किये गये हैं जो इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित आधार पर नीचे दिया गया है:

तालिका: 12

(करोड़ रुपए में)

ब्यौरा	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020
कुल आय	10,705.04	10,776.64
कर पश्चात लाभ	4,483.11	3,265.51
कर पश्चात लाभ (अनियंत्रित कर समायोजित करने के पश्चात)	3,257.00	2,884.92

समेकित तुलन पत्र की मुख्य विशेषताएं

तालिका: 13

(करोड़ रुपए में)

ब्यौरा	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020
गैर वर्तमान परिसंपत्ति	56,423.41	54,570.49
वर्तमान परिसंपत्ति	9,369.71	9,561.41
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	7,363.93	7,136.85
कुल	**73,157.05**	**71,268.75**
कुल इक्विटी	35,918.69	34,154.68
गैर वर्तमान देयताएं	30,277.49	30,066.34
वर्तमान देयताएं	6,203.21	6,299.81
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	757.66	747.92
जमा शेष	**73,157.05**	**71,268.75**

तालिका 14 : प्रमुख वित्तीय अनुपात (एकल आधार)

क्र. सं.	अनुपात	राजकोषीय वर्ष 2021	राजकोषीय वर्ष 2020	अंतर प्रतिशत
1.	देनदार टर्नओवर अनुपात (कुल बिक्री /औसत देनदार)	1.65	1.83	(-) 9.84%
2.	मालसूची टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	–

3.	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर) # (ब्याज, मूल्यह्रास और कर/ब्याज पूर्व लाभ)	8.03	7.53	6.64%
4.	वर्तमान सेवा कवरेज अनुपात डीएससीआर) # (ब्याज, मूल्यह्रास और कर/मूलधन चुकौती और ब्याज पूर्व लाभ)	3.62	3.41	6.16%
5.	वर्तमान अनुपात (वर्तमान संपत्तियां वर्तमान दायित्व)	1.26	1.28	(-) 1.56%
6.	ऋण इक्विटी अनुपात(ऋण/निवल मूल्य)	0.78	0.82	(-) 4.88%
7.	प्रचालन लाभ अंतर (प्रचालन लाभ/शुद्ध बिक्री)	42.19%	37.49%	12.54%
8.	शुद्ध लाभ अंतर (निवल लाभ/कुल आय)	33.48%	30.77%	8.81%
9	पीई अनुपात (बाजार मूल्य प्रति शेयर*/प्रति शेयर आय)	7.59	6.67	13.79%
10	ईबीआईटीडीए (करोड़ रुपए में)	5,718.02	5,787.73	(-) 1.20%
11	ईबीआईटीडीए मार्जिन (ईबीआईटीडीए/कुल आय)	59.21%	59.23%	(-) 0.03%

आईएससीआर और डीएससीआर की गणना के लिए, परिचालन परियोजनाओं के ऋण के प्रति ब्याज की राशि और मूलधन की चुकौती पर विचार किया गया है।

* बाजार मूल्य प्रति शेयर के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समापन मूल्य पर विचार किया गया है।

निवल मूल्य पर प्रतिफल (पीएटी/निवल मूल्य)

कंपनी के निवल मूल्य पर प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष 2020 में 10.03 प्रतिशत से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2021 में 10.22 प्रतिशत हो गया था और इस प्रकार इसने 1.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो मुख्यतः कर पश्चात लाभ में कमी और प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण था।

12. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध मोर्चे पर उल्लेखनीय विकास

आपकी कंपनी के पास प्रतिबद्ध पेशेवरों की एक अत्यधिक प्रतिभाशाली टीम है और यह कंपनी सर्वोत्तम प्रतिभा को शामिल करने, इसे विकसित करने और धारित रखने में सक्षम है। एनएचपीसी देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह उनके ज्ञान और कौशल में सुधार के अवसर प्रदान करके प्रतिभा को पोषित करने और इसे धारित रखने की दिशा में कार्य कर रहा है। पूरे संगठन में जॉब रोटेशन और इंटर–लोकेशन ट्रांसफर करियर के नियोजित विकास की सुविधा प्रदान करता है और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। कर्मचारियों के साथ सूचना साझा करने, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग मांगने के माध्यम से कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

(i) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि उनके व्यवहार एवं प्रबंधकीय कौशलों और कोर दक्षताओं में सुधार हो सके। कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम या तो आंतरिक रूप से आयोजित किए जाते है या प्रमुख प्रबंधन या अभियांत्रिकी संस्थानों के माध्यम से। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को अपने प्रचालन के क्षेत्रों में नवीनतम घटनाओं से अवगत रखने में सहायता करते है। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी नियमित रूप से अपने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी प्रायोजित कर रही है जिससे उनकी उत्पादकता तथा दक्षता में सुधार हो।

(ii) कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार कंपनी की कर्मचारी संख्या 5,569(3,281 कार्यपालक, 196 पर्यवेक्षक और 2,092 कामगार) थी।

(iii) महिला कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी उपाय

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत **तालिका 15** में दिया गया है:

तालिका 15 : महिला कर्मचारियों का ब्यौरा

31.03.2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र महिला कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत
5,569	590	10.6

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाये गए कदमः

- महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है।
- 18 वर्ष तक के 2 बच्चों (न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं) की देखभाल अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी उनकी किसी आवश्यकता को देखने के लिए को 730 दिवस का वेतन सहित ''चाइल्ड केयर लीव'' यानी बच्चों की देखरेख के लिए छुट्टी के लिए महिला कर्मचारी पात्र है।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता–पिता/सास–ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प दिया गया है।
- महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया है।
- कर्मचारियों की पदोन्नति/भर्ती के लिए गठित चयन बोर्ड/समिति में महिला प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।
- महिला कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार मातृत्व छुट्टी का लाभ ले सकती हैं।
- एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय,फरीदाबाद में शिशु गृह सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट दी गई है।
- कारपोरेट कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याणकारी उपाय और आरक्षण

आपकी कंपनी डीओपीटी द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण और छूट प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार करते समय छूट मानक और आरक्षण भी लागू होता है। प्रबंधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ समय–समय पर बैठकें करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग से संपर्क अधिकारियों की अध्यक्षता में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को **तालिका 16** में दिया गया है:

तालिका 16 : अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का ब्यौराः

31.03.2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
	अजा	%	अजजा	%	अपिव	%
5,569	816	14.65	359	6.45	853	15.32

(v दिव्यांग कर्मचारियों का कल्याणः

दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तालिका 17 में दिया गया है।

31.03.2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या	दिव्यांग कर्मचारी			दिव्यांग कर्मचारी का प्रतिशत	
	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
5,569	12	3	101	116	2.08

दृ.बा. = दृष्टि बाधित, श्र.बा. : श्रवण बाधित, अ.वि. = अस्थि विकलांग।

दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं:–

- दिव्यांग कर्मचारियों तथा साथ ही ऐसे कर्मचारी जो किसी आश्रित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उन्हें चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त है और स्थानांतरण/पदोन्नति के समय उन्हें तैनाती के स्थान की प्राथमिकता दी जाती है।
- शारीरिक दिव्यांग हुए व्यक्तियों (जो सेवा काल में हुए हो) को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों/ उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत प्रतिपूर्ति कर कर दी जाती है।
- कर्मचारियों/उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है

- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में आश्रित मानते समय आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।
- सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के संबंध वाली एक या अधिक 40 प्रतिशत दिव्यांग या उससे अधिक होने वाले मानसिक या शारीरिक रूप से आश्रित बच्चों को एनएचपीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जीवन पर्यन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

13. पर्यावरण बचाव एवं सरंक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा बचत

(i) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण

आपकी कंपनी की एक ''कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी)'' है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर–परंपरागत स्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिंताओं पर ध्यान देना है। सीईपी की मुख्य विशेषताएं पर्यावरणीय विचारों को परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा प्रचालन में एकीकृत करना, निर्माण–पश्च प्रभाव आंकलन अध्ययनों को करना और सांविधिक बाध्यताओं से परे अनूठी स्वैच्छिक पहलों को लेना है। एनएचपीसी एक ऐसे परिवेश को बनाने के लिए सभी प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को लम्बे समय में भी बनाए रखा जा सके। एनएचपीसी परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) को अन्वेषण चरण के दौरान पर्यावरण पर सम्भाव्य प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ईआईए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी)को परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रस्तावित तथा क्रियान्वित प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, जैव विविधता संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मतस्यिकी प्रबंधन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास सहित डंपिंग और खदान स्थलों के पुनरूद्धार आदि जैसे उपायों को अपना कर किया जाता है। पर्यावरण और विविधता प्रबंधन प्रभाग की स्थापना कारपोरेट कार्यालय में सभी परियोजनाओं के पर्यावरणीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन पहलों की निगरानी तथा उन्हें सुकर बनाने के लिए की गई है।

कारपोरेट पर्यावरण नीति के अंतर्गत अनुपालनः

आपकी कंपनी की सभी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु की गई है। कई एनएचपीसी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों पर स्वैच्छिक प्रयासों के अंतर्गत अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु कई उपाय किए गए हैं। मार्च, 2020 तथा सितम्बर, 2020 को समाप्त अवधि हेतु विभिन्न परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के लिए छमाही मासिक प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की गई थी। इन रिपोर्टों का कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nhpcindia.com पर भी अपलोड किया गया था। कंपनी परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण पश्च पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययनों का भी आयोजन करती है।

आपकी कंपनी ने आंतरिक और बाहरी एजेंसियों दोनों के माध्यम से विभिन्न पावर स्टेशनों अर्थात उडी (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर), रंगित (सिक्किम), धौलीगंगा (उत्तराखंड) और तीस्ता–V (सिक्किम) के संबंध में निर्माण पश्चात ईआईए अध्ययन किया है। निर्माण पश्चात बाहरी एजेंसी के माध्यम से लोकटक पावर स्टेशन (मणिपुर) और उडी–II पावर स्टेशन (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर) का ईआईए अध्ययन प्रक्रियाधीन है। एनएचपीसी ने प्रचालन परियोजनाओं के लिए इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन (आईएचए) के सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रोटोकॉल के माध्यम से तीस्ता–V पावर स्टेशन, सिक्किम का सस्टेनेबिलिटी आकलन भी किया है। मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार, 20 मापदंडों में से, जिन पर तीस्ता–V पावर स्टेशन का मूल्यांकन किया गया था, यह सभी मापदंडों पर मूल कार्य प्रणाली को पूरा करता है, 6 मापदंडों पर सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को पूरा करता है और 9 मापदंडों पर मूल अच्छे कार्य प्रणाली से अधिक है।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा घटनाक्रमः

आपकी कंपनी सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तलाशने के लिए अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बचतः

आपकी कंपनी भारत सरकार की ''मेक इन इंडिया'' नीति को बढ़ावा देने के लिए बोली प्रक्रिया में स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। स्थानीय फर्मों के साथ–साथ लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिभागिता मोटे तौर पर भारतीय उद्योग की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा बचत में सहायता करेगा।

(iv) प्रौद्योगिकी को अपनाना :

प्रौद्योगिकी को अपनाने के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध–IV में दी गई है।

14. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

15. सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं।

पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से



(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

तारीख : 27 अगस्त, 2021
स्थान : फरीदाबाद

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित अपेक्षित प्रकटन

क. ऊर्जा का संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण अथवा उस पर प्रभाव हेतु किए गए उपाय

- जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि जैसे विद्युत उपस्करों की दक्षता का आकलन करने और ऊर्जा बचत उपायों की सिफारिश करने के लिए विगत में अठारह विद्युत स्टेशनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा की गई है। तेरह विद्युत स्टेशनों में लेखापरीक्षा की सिफारिशों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया था।
- आपकी कंपनी ऊर्जा संरक्षण उपायों के रूप में विभिन्न प्रकार की पारंपरिक लाइट फिटिंग सीएफएल, एफटीएल, पारंपरिक इनडोर लाइट फिटिंग के स्थान पर उच्च प्रभावकारिता/लुमेन स्तर और कम वाट क्षमता वाली एलईडी लाइट फिटिंग से प्रतिस्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त, पुराने/अन–स्टार उपस्करों को अधिकतम उपलब्ध स्टार रेटिंग वाले ऊर्जा दक्षता उपस्करों से बदल दिया गया है।

(ii) कम्पनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम

- कंपनी के विभिन्न स्थानों पर 2679.7 केडब्ल्यूपी की कुल क्षमता के रूफ–टॉप सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के विभिन्न स्थानों पर 1504 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपस्कर पर पूंजीगत निवेश

309.55 लाख रूपए।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(i) वित्तीय समावेशन के लिए किए गए प्रयास

क) वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

- एनएचपीसी ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से तीस्ता–प्ट जलविद्युत परियोजना के लिए सुदूर संवेदन आधारित अवसादन अध्ययन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। तीस्ता–IV जलविद्युत परियोजना जलग्रहण क्षेत्र में तलछट भार का आकलन करने के लिए बहु–अस्थायी उपग्रह डेटा का उपयोग करके भूवैज्ञानिक मापदंडों, भूमि उपयोग, मिट्टी और स्थलाकृति पर स्थानिक परतों को उत्पन्न करने के लिए अध्ययन किया गया है। यह कार्य जनवरी, 2017 में शुरू किया गया था और जनवरी, 2021 में पूरा किया गया है। एनआरएससी, हैदराबाद द्वारा अंतिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- एनएचपीसी ने "रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांधों में उपयोग के लिए भारत में उपलब्ध फ्लाई ऐश स्रोतों की उपयुक्तता की जांच" पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से आईएस कोड 3812 (भाग 1) में विनिर्दिष्ट विभिन्न सुपर थर्मल पावर स्टेशनों से एकत्र किए गए फ्लाई ऐश के नमूनों से भौतिक और रासायनिक आवश्यकताओं और शुद्धता के मानदंडों की पहचान करने में मदद मिली है।
- एनएचपीसी ने फ्लाई ऐश के लिए उपयुक्त विकल्प की पहचान पर एक अध्ययन किया है ताकि रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांधों के लिए उस पर विचार किया जा सके। इस अध्ययन से सेल इंडिया–बोकारो स्टील प्लांट, सेल इंडिया– दुर्गापुर स्टील प्लांट, सेल इंडिया– इस्को स्टील प्लांट और टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर से एकत्रित ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग (जीजीबीएफएस) के नमूने से आईएस कोड 12089:1987 में विनिर्दिष्ट भौतिक और रासायनिक आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद मिली है। इस अध्ययन में जीजीबीएफ़एस के उपयोग की सिफारिश की गई है।
- चमेरा–II पावर स्टेशन के जीएसयू ट्रांसफॉर्मर में माइनर ऑयल लीकेज की मरम्मत के लिए किसी विद्युत उत्पादन हानि के बिना तेज और प्रभावी "इन–फील्ड" लीक मरम्मत करने के लिए पावर पैच लीक रिपेयर सिस्टम किया गया है।
- विद्युत क्षमता अध्ययन के लिए सॉफ्टवेयर का विकास कार्य पूरा कर लिया गया है। विकसित सॉफ्टवेयर विद्युत क्षमता अध्ययन (पीपीएस) करने और नियोजित जलविद्युत परियोजना के महत्वपूर्ण मानकों को अंतिम रूप देने के लिए एक समान मंच प्रदान करता है। यह मंजूरी प्रदाता प्राधिकारियों (सीईए, सीडब्ल्यूसी आदि) के लिए भी सहायक होगा और मैन्युअल जांच में लगने वाले समय की बचत करेगा जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र अनुमोदन प्राप्त होगा।

ख) जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

- एनएचपीसी कई इरोडेड हाइड्रोलिक संरचना घटकों जैसे स्पिलवे पियर्स, सीएफआरडी के फेस स्लैब और टनल लाइनिंग आदि की मरम्मत के लिए ईएन1504–3 केएल क्लास आर4 के अनुसार मरम्मत मोर्टार के घर्षण प्रतिरोध के मूल्यांकन हेतु अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम), बल्लभगढ़ (एनसीसीबीएम), बल्लभगढ़ के माध्यम से किया जा रहा है।
- एनएचपीसी स्पिलवे प्रोफाइल को न्यूनतम क्षति के लिए प्रवाह विशेषताओं और कैवीटेशन प्रोफाइल को समझने हेतु अध्ययन कर रहा हैं। हाइड्रोलिक अध्ययनों में केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे के साथ सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के लिए गणनात्मक द्रव्य डाइनामिक्स (सीएफडी) सॉफ्टवेयर फ्लो3डी द्वारा हाइ हेड स्पिलवे में कैविटेशन से संबंधित हाइड्रोलिक अध्ययन शामिल हैं।
- एनएचपीसी ने मेसर्स जीई पावर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से तीस्ता–V पावर स्टेशन में ऑनलाइन कैविटेशन मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित किया है। यह माप हाइड्रो टर्बाइन के पानी के नीचे के घटक में कैविटेशन की निगरानी में मदद कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन इकाइयों के डाउन टाइम में कमी आती है।
- एनएचपीसी जल विद्युत संयंत्र के इष्टतम प्रचालन के लिए हाइड्रो अपघर्षक क्षरण और छोड़े गए अवसाद और दक्षता कमी की निगरानी के लिए अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन बैरा–स्यूल पावर स्टेशन में आईआईटी रुड़की के माध्यम से किया जा रहा है।
- एनएचपीसी केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे के सहयोग से ''जलाशय परिचालन तकनीकों के माध्यम से तलछट प्रबंधन द्व ारा हाइड्रो–इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में डी–सिल्टिंग बेसिन के उन्मूलन के लिए संख्यात्मक और भौतिक मॉडल अध्ययन'' कर रहा है।
- हिमालय क्षेत्र के लिए स्थल विशिष्ट पीक ग्राउंड गतिवर्धन को कम करने के विकास के लिए एनएचपीसी पावर स्टेशन में रिकार्ड किए गए सुदृढ़ मोशन एक्सेलोग्राफ डेटा के विश्लेषण के लिए अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी–रुड़की के माध्यम से किया जा रहा है जो इस परियोजना के लिए डेटा हैंडलिंग और कैटलॉग तैयार करने से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है।
- प्रतिरोधकता इमेजिंग तकनीक द्वारा अर्थमैट डिजाइन का इष्टतमीकरण किया जा रहा है, जिसकी आर्थिक डिजाइन और भूमि के संबंध में वांछित अर्थमैट प्रतिरोध प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- जल विद्युत परियोजनाओं में भूवैज्ञानिक अनिश्चितताओं के अनुकूलन के लिए प्रतिरोधकता इमेजिंग और ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार में उभरती भूभौतिकीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से लक्षित समाधान और भूकंपीय टोमोग्राफी में उभरती भूभौतिकीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से लक्षित समाधान किया जा रहा है।
- रंगित जलविद्युत परियोजना, सिक्किम का परियोजना निर्माण के पश्चात पर्यावरण मूल्यांकन और सेवा–II जलविद्युत परियोजना, जम्मू–कश्मीर के सामाजिक–आर्थिक संबंधी मूल्यांकन रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जा रहा है।
- हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर निर्मित चमेरा–I पावर स्टेशन के जलाशय से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का मापन किया जा रहा है।
- चमेरा–III पावर स्टेशन के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की जा रही है। यह परामर्श कार्य आईआईटी रुड़की को सौंपा गया है।

(ii) प्राप्त किए गए लाभ जैसे कि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन

चूंकि प्रौद्योगिकी आत्मसात किए जाने के प्रति अन्य सभी प्रयास प्रारभिक चरणों में है, लाभ अध्ययनों के पूर्ण होने और वास्तविक कार्यान्वयन के पश्चात प्राप्त होने के संभावना है।

(iii) वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

कोई नहीं।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 9.24 करोड़ रूपए है जिसमें स्थापना व्यय के प्रति 7.15 करोड़ रूपए शामिल है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	26.50	25.29
	ii) अन्य विविध मामले	5.26	81.28
ख)*	प्रचालन इकाइयों में कार्य में लाए गए हिस्से–पुर्जों और घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	i) स्वदेशी	19.78	18.74

*प्रोदभवन आधार

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

तारीख : 27 अगस्त, 2021
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध-V

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

एल40101एचआर1975जीओआई1032564

2. कम्पनी का नाम

एनएचपीसी लिमिटेड

3. पंजीकृत पता

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 (भारत)

4. वेबसाइट

www.nhpc.india.com

5. ईमेल आईडी

brr@nhpc.nic.in

6. रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष

2020–21

7. क्षेत्र, (क्षेत्रों) जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप (कोड–वार)

'समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन
'राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार।			

8. तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी विनिर्माण करती है/उपलब्ध कराती है (तुलन पत्र के अनुसार)

(i) ऊर्जा (जल विद्युत, पवन विद्युत और सौर विद्युत)

(ii) परामर्शी सेवाएं

(iii) विद्युत व्यापार व्यवसाय

9. उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है

9.1 अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 प्रमुख स्थानों का ब्यौरा दें)

- एनएचपीसी की भूटान में व्यापार मौजूदगी है जहां इसने मांगदेछु जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण (एमएचपीए) को मांगदेछु जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) की अभियांत्रिकी तथा डिजाइन हेतु परामर्शी सेवाएं प्रदान कीं। यह कार्य जून, 2020 में सफलतापूर्वक में पूरा हो गया है।
- एनएचपीसी ने एचआईडीसीएल (हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड – नेपाल सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी) के साथ काठमांडू, नेपाल में नवंबर 2019 में आयोजित ''पावर समिट 2019'' के दौरान नेपाल में जलविद्युत के विकास पर संयुक्त सहयोग के लिए ''लेटर ऑफ इंटेंट'' का आदान–प्रदान किया। तत्पश्चात, एनएचपीसी और एचआईडीसीएल ने दिनांक 22.06.2020 को नेपाल में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए एक व्यापक आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दिनांक 20.12.2021 तक वैध है। एनएचपीसी नेपाल सरकार के पास उपलब्ध जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन के लिए एचआईडीसीएल का अनुसरण कर रहा है।

9.2 राष्ट्रीय स्थलों की संख्या

हमारे पूरे देश में 10 राज्यों/संघ–राज्य क्षेत्रों में 22 विद्युत स्टेशन और 2 निर्माण परियोजनाएं हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थल/जिला	
	प्रचालनाधीन	निर्माणाधीन
जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला(2), कठुआ, रियासी, किश्तवाड़, बांदीपुरा	–
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	कारगिल, लेह	–
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4) और कुल्लू	कुल्लू
उत्तराखण्ड	चम्पावत, पिथौरागढ़	–
पश्चिम बंगाल	दाजर्लिंग (2)	–
अरूणाचल प्रदेश	–	लोअर सुबनसिरी/धेमाजी (असम)
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	–
मणिपुर	बिशनुपुर	–
राजस्थान	जैसलमेर	–
तमिलनाडु	डिंडीगुल	–

10. कम्पनी द्वारा सेवित बाजार– स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय

एनएचपीसी भारत में जलविद्युत का प्रमुख उत्पादक है। एनएचपीसी के विभिन्न विद्युत संयंत्रों के माध्यम से उत्पादित विद्युत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभग्राही डिस्कामों को बेची जाती है। एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में विद्युत व्यापार व्यवसाय की भी शुरूआत की है तथा अन्य उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत विभिन्न डिस्कामों को बेची है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचपीसी द्वारा सेवाएं दी गई हैं:

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	राजस्थान	असम
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	छत्तीसगढ़	अरूणाचल प्रदेश
चण्डीगढ़	ओडिशा	मिजोरम
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	त्रिपुरा
हरियाणा	बिहार	नागालैण्ड
दिल्ली	झारखण्ड	तमिलनाडु
आंध्र प्रदेश		

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय की महाकाली संधि के अंतर्गत टनकपुर विद्युत स्टेशन से नेपाल को 14 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाती है।

खण्ड ख : कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपए में)

10045.03 करोड़ रुपए (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)

2. कुल कारोबार (भारतीय रुपए में)

8506.58 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान)

3. कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपए में)

3233.37करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान)

4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एनएचपीसी ने सीएसआर पर 79.63 करोड़ रूपये का व्यय किया है, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.68 प्रतिशत (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार) है।

5. उन कियाकलापों की सूची, जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है।

- शिक्षा और कौशल विकास
- स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता (स्वच्छ भारत कियाकलापों अभियान सहित)
- ग्रामीण विकास
- पर्यावरण और संधारणीयता
- महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक
- क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा अन्य पहलें
- आपदा प्रबंधन

खण्ड ग : अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है?

जी, हां। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड की छः सहायक कम्पनियां हैं, नामतः

(i) एनएचडीसी लिमिटेड

(ii) लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

(iii) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड

(iv) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

(v) लैंको तीस्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड

(vi) जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड

2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनियों की संख्या बतायें?

जी, नहीं। सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी की किसी भी व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग नहीं लेती हैं।

3. क्या कोई अन्य कंपनी/कंपनियां (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्त्ताओं, वितरकों आदि), जिनके साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी की व्यावसयिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी कंपनी/कंपनियों की संख्या बताएं? 30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक

कोई भी कंपनी, जिसके साथ कंपनी व्यापार करती है, उसकी व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेती है।

खण्ड घ : व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

1.1 व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

- डीआईएन : 08645380
- नाम : श्री आर. पी. गोयल
- पदनाम : निदेशक (वित्त)

1.2 व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्यौरा

- डीआईएन : लागू नहीं
- नाम : श्री तपस सिन्हा
- पदनाम : महाप्रबंधक–स्वतंत्र प्रभार (आयोजना)
- दूरभाष संख्या : (0129) 2278022
- ईमेल आईडी : tapassinha@nhpc.nic.in

2. सिद्धान्त–वार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां:–

(क) अनुपालन के ब्यौरे (हां/नहीं में उत्तर दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है? यदि हां, तो उल्लेख करें? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुरूप के अलावा, एनवीजी दिशानिर्देशों पर आधारित हैं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इस पर एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/ अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑन–लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं?'	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से सभी संगत आंतरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण तन्त्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यकरण की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

* संगत नीतियों को ऑनलाइन देखने के लिए वेबलिंक इस प्रकार है:

नीति		वेबलिंक
सीएसआर और संधारणीयता विकास नीति	:	www.nhpcindia.com/csr-policy.htm
धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने संबंधी नीति	:	www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/NHPCFraudPrevention-Detectionpolicy-may16.pdf
पुनर्वास और पुनःस्थापना पहलें	:	www.nhpcindia.com/r-and-r-initiative.htm
व्हीसल ब्लोअर नीति	:	www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp. pdf
व्यापार व्यवहार प्रतिबंधित करने के लिए नीति	:	www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/Guidelines-BanningofBusinessDealings-Revised.pdf
कारपोरेट अभिशासन अनुपालन	:	www.nhpcindia.com/corporate-governance.htm
सत्यनिष्ठा समझौता	:	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/ ip_ip_program.pdf
व्यापार आचार संहिता और नैतिकता	:	http://www.nhpcindia.com/code-of-conduct.htm

कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति	:	http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/EnvironmentPolicy-16.pdf
एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र (आईएसओ 9001:2015)	:	www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/ISO- 9001-2020-2023.pdf
एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र (आईएसओ 14001:2015)	:	www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/ISO- 14001-2020-2023.pdf
एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र (आईएसओ 45001:2018)	:	www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/ISO- 45001-2020-2023.pdf

उपरोक्त के अलावा, सामाजिक जवाबदेही नीति (एसए 8000) और एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं।

ख) यदि किसी सिद्धान्त के प्रति क्रम संख्या 2क) के प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कम्पनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो।									
3	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए उपलब्ध वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं है।									
4	अगले 6 महीने में ऐसा करने की योजना है									
5	अगले 1 वर्ष में ऐसा करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध अभिशासन

क) निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कम्पनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है।

कम्पनी के व्यावसायिक कार्य–निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जाता है।

ख) क्या कम्पनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या संधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है?

यह व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 का एक भाग है। इस रिपोर्ट को www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm पर देखा जा सकता है।

खण्ड ड : सिद्धान्त–वार कार्यनिष्पादन

सिद्धान्त 1

1. क्या आचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में केवल कम्पनी ही शामिल हैं? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है?

कम्पनी कार्पोरेट अभिशासन को अच्छे प्रबंधन का अभिन्न भाग मानती है। कम्पनी की व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता है, जो इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर एनएचपीसी के दिनांक 20.11.2014 के परिपत्र माध्यम से जारी संहिता के अनुसार लागू है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी रोकथाम एवं पता लगाने संबंधी नीति है। यह नीति किसी भी ऐसी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में लागू होती है जिसमें एनएचपीसी लिमिटेड के कर्मचारी (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक या तदर्थ/अस्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी) के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों अथवा एनएचपीसी लिमिटेड के साथ किसी प्रकार व्यवसाय व्यवहार करने वाली किसी भी बाहरी एजेंसी (एजेंसियों) का कोई व्यक्ति शामिल हो।

एनएचपीसी लिमिटेड ने व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई है, जो कंपनी के सभी कर्मचारियों, निदेशकों और ठेकेदारों के साथ–साथ एनएचपीसी लिमिटेड के साथ अंतःक्रिया करने वाले विक्रेताओं पर भी लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 1 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्यों, 15 लाख या इससे अधिक मूल्य की सेवाओं के प्रापण और 7 लाख रूपए या उससे अधिक के मूल्य की वस्तुओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन–देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है। यह केवल एनएचपीसी लिमिटेड पर ही लागू होती है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया? यदि हां, तो उसके ब्यौरे लगभग 50 शब्दों में दें।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राप्त शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई है:

क) कारपोरेट अभिशासन मानक और व्यापार आचरण और आचार संहिता

शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

विवरण	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2020–21 के दौरान समाधान की गईं	31.03.2021 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	0	0	0
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	3119	3119	0
सेबी शिकायतें	0	17	17	0
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	0	4	4	0
उपभोक्ता फोरम/ अदालती मामले	2	0	0	2
अधिवक्ता के नोटिस	0	0	0	0
कुल	**2**	**3140**	**3140**	**2**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की 100% शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया था।

ख) बाण्डधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

विवरण	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2020–21 के दौरान समाधान की गईं	31.03.2021 को लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	0	0	0
टीडीएस प्रमाण–पत्र प्राप्त न होना	0	0	0	0
इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	0	0	0	0
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	0	138	138	0
बॉण्ड/ प्रतिभूति प्राप्त न होना	0	10	10	0
कुल	**0**	**148**	**148**	**0**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त बांडधारकों की 100% शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया।

ग) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एनएचपीसी व्हीसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या
0	0	0

घ) इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बोलीदाता/ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता के संबंध में व्यापार करने से संबंधित प्रतिबंध लगाने के लिए दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकृत धोखाधड़ी परिपाटियों/मिथ्या कथन/ खराब निष्पादन आदि के 20 (बीस) मामलों का प्रेक्षण किया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

i) मैसर्स मिथिला मल्लेबल्स प्रा. लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 29.06.2017 से 05 (पांच) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

ii) मैसर्स एग्रो ऑटो ग्राइंड इंजीनियर्स (प्रा.) लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 03.04.2018 से 03 (तीन) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

iii) मैसर्स सी डी वैक्यूम इक्विपमेंट प्रा. लिमिटेड पर कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 19.04.2018 से 03 (तीन) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

iv) मैसर्स एलकम टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड पर कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 05.12.2018 से 03 (तीन) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

v) मैसर्स जियो मैक्स पोजिशनिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पर कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 05.12.2018 से 03 (तीन) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

vi) मैसर्स मेनफ्रेम एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 15.02.2019 से 02 (दो) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

vii) मैसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 19.08.2019 से 05 (पांच) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

viii) मैसर्स एम.एस. सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के लिए 08.07.2019 से 02 (दो) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

ix) मैसर्स पंवार कंस्ट्रक्शन कंपनी पर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के लिए 02.08.2019 से 01 (एक) वर्ष तक प्रतिबंध लगाया गया है।

x) मैसर्स अरिहंत एनालिटिकल लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड पर कारपोरेट कार्यालय के लिए 23.08.2019 से 03 (तीन) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xi) मैसर्स एडीएस एन्टरप्राइजेज पर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के लिए 4.11.2019 से 2 (दो) वर्ष तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xii) मैसर्स गोदावरी फार्म्स एंड सर्विसेज पर कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 29.11.2019 से 2 (दो) वर्ष तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xiii) मैसर्स अपार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 16.12.2019 से 5 (पांच) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xiv) मैसर्स हैल्पलाइन फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा पर कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 16.12.2019 से 3 (तीन) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xv) मैसर्स महिन्द्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 9.3.2020 से 6 (छः) माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xvi) मैसर्स यैल्लो 2जेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 9.3.2020 से 6 (छः) माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xvii) मैसर्स राजा परवेज खान पर उड़ी–II स्टेशन के लिए 18.04.2020 से 6 (छः) माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xviii) मैसर्स दिलीप कुमार पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 15.06.2020 से 02 (दो) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xix) मैसर्स आर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 15.06.2020 से 6 (छः) माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।

xx) मैसर्स टेक टूल्स इंजीनियर्स पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 01.03.2021 से 02 (दो) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

सिद्धान्त 2

1. अपने अधिकतम 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।

जलविद्युत उत्पादन।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद वैकल्पिक के प्रति यूनिट (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में ब्यौरा दें।

जल के गैर–उपभोग उपयोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जलविद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है।

3. क्या कंपनी के पास संधारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? यदि हां, तो आपके कितने प्रतिशत आदानों को संधारणीय रूप से प्राप्त किया गया था? साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा प्रदान करें।

कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी वृद्धि की गाथा में शामिल करती है। कम्पनी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन में शामिल करती है। कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) को अपनाती है। तकनीकी–वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी परिपाटियों, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षित

कार्य स्थितियों, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन, पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता परिपाटियों के अनुरुप जांच की जाती है। सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के तहत भारत सरकार के निर्देशों का नवीनतम संशोधनों के साथ अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परस्पर बातचीत करते हैं।

तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए कुल आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है।

4. **क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस–पास समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं की अधि प्राप्ति के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?**

जलविद्युत उत्पादन के लिए केवल इनपुट के रूप में पानी के गैर–उपभोग्य उपयोग की आवश्यकता होती है। तथापि, वाहन किराये पर लेने, सामग्री की सार–संभाल, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट की सार–संभाल तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस–पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं। इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस–पास उद्यम विकास हुआ है और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कार्यों और सेवाओं की खरीद में बोली लगाने तथा कार्य को दिए जाने में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) और स्थानीय लोगों के लिए कार्यों तथा सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध करवाया गया है और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिमानी प्रावधान भी मौजूद हैं जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

5. **क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का तन्त्र उपलब्ध है? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (<5%, 5-10% >10% के रुप में अलग–अलग)**

जलविद्युत विद्युत उत्पादन कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करता है। विद्युत, जो जलविद्युत संयंत्रों का उत्पाद है, पानी के गैर–उपभोग्य उपयोग द्वारा उत्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त, हमारी परियोजनाओं के लिए सुरक्षित और टिकाऊ संरचनाओं के निर्माण हेतु सुदृढ़ और इष्टतम डिजाइन परिपाटियों का पालन किया जा रहा है।

सिद्धान्त 3

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएं।**

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों की कुल संख्या 5569 है।

2. **कृपया अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है।

3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बतायें।**

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, स्थाई महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 590 है।

4. **कृपया स्थाई दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या बतायें।**

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 116 है।

5. **क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?**

कारपोरेशन के किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

6. **स्थाई कर्मचारी का कितना प्रतिशत आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?**

लागू नहीं।

7. **कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें कीं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं?**

वर्ष 2020–21 में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2020–21 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है।
2020–21 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2020–21 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में एक शिकायत प्राप्त हुई और एक शिकायत लम्बित है।
2020–21 में विभेदकारी रोजगार से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2020–21 के अन्त लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

8. निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

वर्ष 2020–21 के दौरान सुरक्षा प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत नीचे दिया गया हैः

(क) स्थायी कर्मचारी	–	92 प्रतिशत
(ख) स्थायी महिला कर्मचारी	–	7 प्रतिशत
(ग) आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी	–	शून्य
(घ) दिव्यांग कर्मचारी	–	1 प्रतिशत

सिद्धान्त 4

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है? हां/नहीं।

हां, हमने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों सहित बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है। हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय, समुदाय, आपूर्तिकर्त्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं।

2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों की पहचान की है?

हमारे वंचित तथा सुभेद्य हितधारकों में दिव्यांग कर्मचारी, बालिकाएं/महिलाएं, अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/परियोजनाओं में और उनके आस–पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं।

3. क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहलें की हैं? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें?

- दिव्यांग कर्मचारीः कम्पनी का प्रयास एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास है जो दिव्यांग कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियों के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों को उनके लाभ के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों, मंचों और प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से आत्मविश्वासी बनाना है।
- बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदायः कम्पनी परियोजनाओं के स्थल के आस–पास के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है।

सिद्धान्त 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है?

कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में, "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली" केवल हमारे कर्मचारियों पर लागू होती है, तथापि हम अपने हितधारकों से इसमें निहित मानकों का पालन करने और बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली" किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियम से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया?

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार हैः

01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2020–21 के दौरान समाधान की गई	31.03.2021 को अंतिम शेष
05	27	24	08

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त 88.89% शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया था।

विद्युत मंत्रालय के साथ संयोजित "केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली" के अनुसार लोक शिकायत की संख्या इस प्रकार हैः

01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2020–21 के दौरान समाधान की गई	31.03.2021 को अंतिम शेष
05	99	97	07

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राप्त विद्युत मंत्रालय से जुड़ी ''केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली'' के अनुसार 97.98% लोक शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया था।

सिद्धान्त 6

1. **क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/संविदाकारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है?**

   एनएचपीसी के पास एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र है जो अपने कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को शामिल करता है।

2. **क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां/पहलें हैं? हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

   जी हां, कम्पनी जल विद्युत, सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन के कार्य में लगी है, जो स्वच्छ विद्युत उत्पादित करती है तथा विद्युत उत्पादन की अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। जल–विद्युत जहां कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना हो, उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है।

   इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 45001:2018 (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की अपेक्षाओं को पूरा करती है। आईएमएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है।

   एनएचपीसी ने अपनी कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी) भी बनाई है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परम्परागत तथा गैर–परम्परागत स्रोतों के संधारणीय विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिन्ताओं का समाधान करना है। अनुमोदित पर्यावरण योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, स्वैच्छिक पहलों के अंतर्गत विभिन्न पर्यावरणीय संरक्षण तथा बचाव उपाय भी किए जाते हैं जिसमें स्वैच्छिक वनीकरण, अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण शामिल हैं। सीईपी के अंतर्गत, परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों पर पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

   पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैः

   i जल ग्रहण क्षेत्र सुधार (सीएटी)

   ii प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण

   iii हरित पट्टी विकास व लैंडस्केपिंग

   iv जलाशय रिम शोधन

   v मक डम्पिंग और खान स्थलों का पुनरुद्धार

   vi जैव विविधता संरक्षण

   vii मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन

   viii निर्माण उपरान्त प्रभाव मूल्यांकन

   इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा www.nhpcindia.com/key-areas.htm पर उपलब्ध है।

3. **क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करती है? हां/नहीं।**

   हां, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत् उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

4. **क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तन्त्र से सम्बद्ध कोई परियोजना है? यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालना रिपोर्ट दायर की गई है?**

   जी, हां, एनएचपीसी की लद्दाख संघ–राज्य क्षेत्र में स्थित दो जल–विद्युत परियोजनाएं नामतः निम्मो बाजगो और चूटक जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के स्वच्छ विकास तन्त्र (सीडीएम) के तहत पंजीकृत थीं। यूएनएफसीसीसी के सीडीएम दिशानिर्देशों के अनुपालन के बाद, चूटक पावर स्टेशन के लिए सीडीएम पंजीकरण प्रशासक, यूएनएफसीसीसी द्वारा प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) जारी किए गए हैं। निम्मो बाजगो के लिए सीईआर जारी करने की प्रक्रिया सीडीएम सचिवालय, यूएनएफसीसीसी में चल रही है।

5. **क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं? हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

   जल विद्युत उत्पादन स्वयं में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है। तथापि, कंपनी ने पवन और सौर विद्युत विकास में अतिरिक्त पहलें की हैं। 50 मेगावाट की पवन और सौर

ऊर्जा परियोजनाएं क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु में पहले ही चालू की जा चुकी हैं।

एनएचपीसी ने जिला गंजम, ओडिशा में 40 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के विकास के लिए ईपीसी अनुबंध हेतु लैटर ऑफ अवार्ड जारी किया है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के विभिन्न स्थलों पर कुल 2.58 मेगावाट क्षमता वाली रूफ टॉप सौर परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। विभिन्न एनएचपीसी स्थानों पर कुल 1.50 मेगावाट क्षमता के अतिरिक्त रूफ टॉप सौर संयंत्र भी संस्थापित किए जा रहे हैं।

एक मध्यस्थ खरीदार के रूप में एनएचपीसी ने चयनित 5 विकासकर्ताओं को आईएसटीएस से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं 2000 मेगावाट की कुल क्षमता अवार्ड की है। राज्य डिस्कॉमों के साथ विद्युत बिक्री करार (पीएसए) और चयनित विकासकर्ताओं के साथ विद्युत क्रय करारों पर 25 साल की परियोजना जीवनकाल अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। चयनित विकासकर्ताओं द्वारा विकासात्मक गतिविधियां प्रगति पर हैं।

एनएचपीसी विभिन्न संभावनाओं से समृद्ध राज्यों, यथा केरल (सौर पार्क स्कीम के यूएमआरईपीपी मोड के अंतर्गत 50 मेगावाट फ्लोटिंग सौर, 72 मेगावाट पवन), ओडिशा (सौर पार्क स्कीम के यूएमआरईपीपी मोड के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी जीईडीसीओएल के साथ संयुक्त उद्यम मोड में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सौर, सौर पार्क स्कीम के तहत ईपीसी मोड में 140 मेगावाट यूटिलिटी सौर परियोजना), राजस्थान (सौर पार्क स्कीम के यूएमआरईपीपी मोड के अंतर्गत 600 मेगावाट सौर पार्क), तेलंगाना (सौर पार्क स्कीम के यूएमआरईपीपी मोड के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी टीएसआरईडीसीओ के साथ संयुक्त उद्यम मोड में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सौर) इत्यादि में सौर/पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। राज्य प्राधिकरणों के साथ पीपीए, कनेक्टिविटी और भूमि मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है।

6. सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है?

जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिस्राव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई सन्दूषण नहीं हुआ है। तथापि, विद्युत उत्पादन के बाद, नदी जल की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन के लिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर होने के लिए किया जाता है।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)

वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति पर ऐसे कोई नोटिस लम्बित नहीं थे।

सिद्धान्त 7

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन्हीं प्रमुख कंपनियों के नाम बताएं जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है।

एनएचपीसी स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप) का सदस्य है। स्कोप का मूल उद्देश्य "सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहित योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी" को बढ़ाना है।

2. क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है/उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लाबिंग की है? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्राप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल खाद्य सुरक्षा, संधारणीय व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)

हम जनता की बेहतरी के लिए अभिशासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

सिद्धान्त 8

1. क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से संबंधित नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहलें/ परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।

जी, हाँ। एनएचपीसी स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, महिला सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में अपने ढांचाबद्ध सीएसआर प्रयासों तथा परियोजनाओं के माध्यम से सतत रूप से अपने निकटवर्ती समुदायों तथा व्यापक तौर पर समाज के संधारणीय विकास हेतु प्रयासरत है और इसके द्वारा ऐसा विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्रों में किया जा रहा है।

ये कार्यक्रम स्वास्थ्य देख–रेख, शिक्षा, पर्यावरणीय प्रबंधन और सीमांत तथा वंचित तबकों/ समुदायों के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं?

कम्पनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाएं आंतरिक दलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/जिला प्रशासन/प्राधिकरणों की भागीदारी से/उनके द्वारा कार्यान्वित किए जाते है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में, 22 जनवरी, 2021 को या उसके बाद शुरू की गई या पूरी की गई सीएसआर परियोजनाओं के आकलन किये जाने हैं। प्रभाव आकलन करने के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्षकार के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पात्र परियोजनाओं की रिपोर्ट अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध और अपलोड की जाएगी।

एक सुशासन परिपाटी के रूप में, एनएचपीसी पूर्व में भी स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से अपनी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन करता रहा है, जिसे वेबसाइट http://www.nhpcindia.com/Impact-Assessment-Reports.htm पर प्रकट किया गया है:

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है – धनराशि भारतीय रुपए में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा?

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर कुल अंशदान 79.63 करोड़ रूपए था। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परियोजना		वर्ष 2020–21 के लिए धनराशि (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)
i.	शिक्षा और कौशल विकास	38.09 करोड़ रूपए
ii.	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता	17.43 करोड़ रूपए
iii.	ग्रामीण विकास	3.39 करोड़ रूपए
iv.	पर्यावरण और संधारणीयता	0.92 करोड़ रूपए
v.	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.09 करोड़ रूपए
vi.	पीएम केयर्स	15.00 करोड़ रूपए
vii.	आपदा प्रबंधन	0.86 करोड़ रूपए
viii.	सीएसआर क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला एवं संस्कृति और अन्य पहलें	3.85 करोड़ रूपए
	कुल व्यय	79.63 करोड़ रूपए

वर्ष के दौरान ली गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. शिक्षा और कौशल विकास

क) कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ख) देश के विभिन्न भागों में आईटीआई/स्कूलों का सुधार/उन्नयन।

ग) स्कूल भवनों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन तथा स्कूलों में अवसंरचना उपलब्ध कराना।

घ) उच्चतर शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।

ङ) सरकार द्वारा चिन्हित महत्वाकांक्षी जिलों में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के माध्यम से दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) के आजीविका उन्नयन हेतु रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण।

च) कंप्यूटर लैब तथा सहायक उपस्करों सहित डिजिटल स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना।

2. स्वास्थ्य देख–रेख और स्वच्छता

क) विभिन्न स्वास्थ्य सेवा केंद्रों जैसे पीएचसी/सीएचसी और उप जिला अस्पतालों में मशीनरी/उपस्कर यथा – यूएसजी कलर डॉपलर, एक्स–रे मशीन, यूरिन एनालाइजर, कार्डिएक मॉनिटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जेनरेटर सेट, सीआर सिस्टम, डेंटल चेन आदि उपलब्ध कराना।

ख) जिला अस्पतालों में सी–एआरएम कम्पेटिबल हाइड्रोलिक ओ टेबल इमरजेंसी ट्रॉली सक्शन मशीन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।

ग) परियोजनाओं/विद्युत स्टेशन के आस–पास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चिकित्सा शिविरों, नेत्र सर्जरी शिविरों आदि का आयोजन करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवाओं का वितरण।

घ) भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को इमदाद तथा सहायक उपस्कर उपलब्ध कराना।

ङ) सरकारी अस्पतालों, प्रसूति केन्द्रों के उन्नयन के माध्यम से समुदायों की समग्र स्वास्थ्य स्थितियों के सुधार हेतु सहायता उपलब्ध कराना।

च) बोरवेल के साथ स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिल्ट्रेशन, सामुदायिक केन्द्र आदि।

छ) आरओ संयंत्र के साथ सामुदायिक पेयजल सुविधा।

ज) विद्यालयों/सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण/स्थापन।

झ) गांवों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/स्थापन तथा साफ–सफाई।

ञ) विद्यालयों हेतु जलापूर्ति प्रणाली।

ट) कचरे के डिब्बों को लगाना, विकास क्रियाकलाप करने के लिए सार्वजनिक स्थानों को अपनाना, क्षेत्र का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन आदि।

ठ) कोविड–19 के अंतर्गत खाद्य और स्वास्थ्य वस्तुओं (मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर) का वितरण, आइसोलेशन/क्वारंटीन केंद्रों का निर्माण, आपातकालीन चिकित्सा मदों का वितरण, चिकित्सा उपस्करों (पीपीई) इत्यादि की एयरलिफ्टिंग।

3. ग्रामीण विकास

क) सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइनों, नालों, सड़कों/पथों, सिंचाई नहरों आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं के संवर्धन हेतु ग्रामीण विकास।

ख) दाह संस्कार शेड, वर्षा आश्रय यात्री शेड, बहु–उद्देशीय हॉल आदि के निर्माण क्रियाकलाप।

ग) आदर्श गांव के विकास के लिए सहायता।

घ) पेयजल उपलब्ध कराना।

ङ) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य अवसंरचना और सामुदायिक विकास।

4. पर्यावरण और संधारणीयता

क) पेड़ों का वृक्षारोपण और हर्बल पार्कों का विकास।

ख) सौर स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना।

5. महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक

क) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

ख) स्थानीय स्व–सहायता समूहों को सिलाई, बुनाई, फास्ट फूड बनाने की कला के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था।

ग) समाज के वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और आजीविका कार्यक्रम परियोजना ''पैड वुमन'' के लिए अनुदान सहायता हेतु परियोजना प्रस्ताव का अनुरोध।

घ) सैनिटरी पैड विनिर्माण इकाइयों की स्थापना।

6. खेल–कूद, कला और संस्कृति/अन्य पहलें

क) ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण।

ख) स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा।

7. आपदा प्रबंधन

क) पीएम केयर्स फंड में अंशदान

ख) स्थानीय लोगों की जरुरत और आवश्यकता के अनुसार कोविड–19 के लिए कई आकस्मिक क्रियाकलाप।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

जी, हां। एनएचपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए, एनएचपीसी समुदाय के किसी भी सीएसआर क्रियाकलाप को प्रारंभ करने के लिए बाटम अप एप्रोच का उपयोग करती है। यह इस तथ्य की विशेषता है कि हितधारक आवश्यकता पहचान/मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। किसी सामुदायिक विकास पहल को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आंतरिक टीम द्वारा आधारभूत डाटा एकत्र करके विश्लेषण किया जाता है। किसी भी सीएसआर क्रियाकलाप के प्रारंभ से पूर्व व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है। निगरानी के लिए संस्थागत तंत्रव्यवस्था संगठन में मौजूद है और यह कार्यान्वयन के दौरान उचित अंतराल पर उचित स्तर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हमारी पहलों के संबंध में लाभार्थियों की प्रतिक्रिया भी भविष्य की योजना के उद्देश्य से एकत्र की जाती है।

सिद्धान्त 9

1. वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित हैं।

विद्युत एक विनियमित क्षेत्र है। विद्युत एक अमूर्त उत्पाद/सेवा है और विभिन्न लाभार्थी डिस्कॉमों को आपूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कोई ग्राहक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 से कोई मामला लम्बित नहीं है।

2. क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)

विद्युत क्षेत्र एक विनियमित क्षेत्र है। एनएचपीसी विद्युत

स्टेशन (स्टेशनों) का टैरिफ माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों द्वारा शासित होता है। टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के समय, विद्युत स्टेशन के एएफसी के ब्यौरे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी में और एक स्थानीय भाषा में, में प्रकाशित किये जाते हैं।

3. **क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी–रोधी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है?**

लाभार्थी डिस्कॉमों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार परिपाटियों, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धी–रोधी व्यवहार के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

4. **क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था?**

एनएचपीसी अपने लाभार्थियों से नियमित फीडबैक ले रहा है जिससे हमें अपने ग्राहकों को बेहतर और अधिक प्रभावी तरीके से सेवा प्रदान करने में मदद मिलती है। एनएचपीसी अपने लाभग्राहियों से नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त कर रहा है और अधिकांश फीडबैक संतोषजनक होते है। एनएचपीसी क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) के माध्यम से लाभग्राही राज्यों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। यह हितधारकों की परस्पर चर्चा और बाकी मुद्दों के समाधान हेतु एक सामान्य मंच है। एनएचपीसी ने लंबित मुद्दों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए अपने लाभग्राहियों से आवधिक उपभोक्ता बैठके भी की है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08646003

तारीख : 27 अगस्त, 2021
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध-II

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप रेखा

प्रस्तावनाः

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर संबंधी आम परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली के अनुरूप एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संधारणीयता नीति निरूपित की है।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि, जो वर्तमान में तत्काल पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान सीएसआर एवं संधारणीय विकास कार्यों हेतु वार्षिक बजट के रूप में रखी जाती है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- एनएचपीसी की परियोजनाओं के आस–पास स्थानीय क्षेत्रों को बजट राशि के कम से कम 80 प्रतिशत को आवंटित करके प्राथमिकता दी गई है। तथापि, आवश्यकताओं के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं तथा अभियान के संबंध में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अन्य स्थानों का चयन किया जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के वृहतर लाभ हेतु सीएसआर बजट के 20 प्रतिशत से अधिक की राशि का व्यय किया जा सकता है।
- सीएसआर पहलों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार शिक्षा तथा कौशल विकास का संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति आदि संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूची VII के अनुरूप न होने वाले किसी भी क्रियाकलाप पर व्यय को सीएसआर के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है।
- सीएसआर और संधारणीय योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हेतु भी योगदान दे।
- आपकी कम्पनी संसाधनों के इष्टतम उपयोग, सामाजिक–आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के परस्पर संतुलन हेतु मेगा परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग में अन्य सीपीएसई के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है।

सीएसआर के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमः

चूंकि आपकी कंपनी के पावर स्टेशन/ परियोजनाएं अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में पूरे भारत में स्थित हैं, अतः सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पहचान की गई है और किसी विशेष स्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं और आवश्यकता के आधार पर तैयार किया गया है। इस आशय के लिए, सभी गतिविधियों की पहचान की गई है, जो काफी सीमा तक पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में और उसके आसपास शुरू की गई हैं। इन गतिविधियों को नीचे दर्शाया गया है:

I. शिक्षा और कौशल विकासः

शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करने, विशेषकर समाज के गरीब तथा वंचित तबकों को, के मामलों में आपकी कंपनी अग्रणी है और स्कूलों में अवसंरचना के सुधार, डिजिटल स्मार्ट कक्षाओं/पुस्तकालयों की स्थापना आदि हेतु सहयोग उपलब्ध करवा रही है।

आपकी कंपनी ने सरकार द्वारा चिन्हित महत्वकांक्षी जिलों नामतः बारामूला (जम्मू और कश्मीर) और चंबा (हिमाचल प्रदेश) के साथ–साथ कुछ अन्य स्थलों नामतः जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर), मण्डी (हिमाचल प्रदेश), सिलीगुडी (पश्चिम बंगाल) में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के माध्यम से लगभग 1000 विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की आजीविका बढ़ाने के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। इस सीएसआर पहल में उम्मीदवारों की पहचान की सिरे से सिरे तक व्यवस्था शामिल है जिसमें उन्हें सिलाई मशीन ऑपरेटर, हाथ से कड़ाई, स्व–नियोजित दर्जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगरबत्ती बनाना और बांस की टोकरी बनाना आदि जैसे ट्रेडों में उनकी क्षमता के अनुसार रोजगारोन्मुखी कौशल सैटों में उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है और उन्हें नियोजन या भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के सहयोगियों के माध्यम से स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए आसान ऋण दिया जाता है।

II. स्वास्थ्यः

स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है जिसे आपकी कंपनी अत्यधिक गम्भीरता से लेती है। आपकी कंपनी ने परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के समीवर्ती क्षेत्रों में कई चिकित्सा शिविर, नेत्र सर्जरी शिविर लगाए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवा वितरित की है। आपकी कंपनी निशक्त लोगों को इमदाद तथा सहायक उपस्करों का वितरण भी कर रही है। आपकी कंपनी सरकारी अस्पतालों को उच्च स्तरीय चिकित्सा उपस्करा और अन्य अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध करवा रही है और वर्ष भर स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

आपकी कंपनी सरकारी अस्पतालों, प्रसूति केंद्रों के उन्नयन के माध्यम से समुदायों की समग्र स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है।

वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिमको) के माध्यम से पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) में चयनित लाभार्थियों को लाभार्थियों की पहचान करने और कृत्रिम अंगों, क्लच, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर आदि के वितरण के लिए मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया।

इस महामारी की स्थिति में, आपकी कंपनी ने खाद्य और स्वास्थ्य सामग्री (मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर), आपातकालीन चिकित्सा वस्तुओं का वितरण करके एक आवश्यक कदम उठाया है।

III. स्वच्छ भारत अभियानः

आपकी कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्चच्छता क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित पेय जल सुविधाएं, आरओ प्लांट के साथ सामुदायिक पेय जल सुविधा, बाजार/सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं/स्वच्छता सुविधाएं, गांवों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/संस्थापन तथा साफ–सफाई, स्कूल/सार्वजनिक स्थानों में शौचालयों का निर्माण, स्कूलों हेतु जलापूर्ति प्रणाली, कचरे के डिब्बों को लगाना, विकासात्मक क्रियाकलाप करने के लिए सार्वजनिक स्थानों को अपनाना, क्षेत्र का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं।

IV. ग्रामीण विकासः

एनएचपीसी ने बड़े वंचित और सीमांत ग्रामीण समुदायों की आवश्यकता और अपेक्षाओं के अनुसार सामुदायिक केंद्रों, जल आपूर्ति लाइनों, नालियों, सड़कों/रास्तों आदि के निर्माण जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। आपकी कंपनी ने वर्षा आश्रय, यात्री शेड, दाह संस्कार शेड आदि का निर्माण कार्य भी किया है।

V. पर्यावरणीय संधारणीयताः

आपकी कंपनी पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति तथा जीव जन्तु के बचाव, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वायु, जल तथा मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय संधारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए कई क्रियाकलाप किए गए हैं जिसमें ''प्रदूषण कम करने वाले पौधों के अभियान'' के अंतर्गत वृक्षारोपण, सौर स्ट्रीट लाइटों का संस्थापन, हर्बल पार्कों का विकास, पार्कों का पुनरूद्धार आदि शामिल हैं।

VI. महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकः

आपकी कंपनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधाओं के सृजन के लिए बनाए गए विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों के प्रति योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने महिलाओं के लिए स्व–रोजगार के संवर्धन हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता की है। आपकी कंपनी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के बारे में गहन जागरूकता सत्र और परामर्श प्रदान कर रही है और पैड वुमन परियोजना के तहत कम लागत वाले सेनेटरी नैपकिन प्रदान किए हैं। महत्वकांक्षी जिले मेवात में महिला सशक्तिकरण और आजीविका वृद्धि के लिए सेनेटरी नैपकिन यूनिट की स्थापना की गई है तथा आय सृजन और आत्म–निर्भरता के निर्माण के लिए सिलाई मशीनों का वितरण भी किया।

VII. सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य क्रियाकलापः

आपकी कंपनी ने ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी योगदान दिया है। सीएसआर कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता का पता लगाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा प्रभाव आकलन/ मूल्यांकन अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

VIII. आपदा प्रबंधनः

कोविड–19 महामारी के इस संकट काल में, आपकी कम्पनी ने ''प्रधान मंत्री केयर फंड'' में 15 करोड़ रूपए की राशि का अंशदान किया है। एनएचपीसी ने इस महामारी से लड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन को अनिवार्य खाद्य मदों, दवाओं, स्वच्छता किटों का वितरण करके, सेनिटेशन ड्राइव में सहायता करके इत्यादि के माध्यम से सहायता की है। एनएचपीसी के अनेक स्थलों पर स्थित औषधालयों में क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की तैयारी की गई।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें में भाग लिया	31.03.2021 के अनुसार स्थिति (सक्रिय/समाप्त)
1.	श्री भगवत प्रसाद	समिति के अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)	2	2	समाप्त
2.	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)		2	समाप्त
3.	श्री एन. के. जैन	निदेशक (कार्मिक)		1	समाप्त
4.	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त)		2	समाप्त
5.	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)		2	सक्रिय

निदेशक मंडल ने 21.03.2021 को आयोजित अपनी 444वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों के साथ सीएसआर और संधारणीयता संबंधी समिति का पुनर्गठन किया हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें में भाग लिया	31.03.2021 के अनुसार स्थिति (सक्रिय/समाप्त)
1.	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी) – पदेन सदस्य (अध्यक्ष)	0	0	सक्रिय
2.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)– पदेन सदस्य		0	सक्रिय
3.	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)– पदेन सदस्य		0	सक्रिय

3. कृपया वेब–लिंक उपलब्ध कराएं जहां कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को दर्शाया गया हैः

कंपनी की वेबसाइट पर वेब–लिंक, जहां सीएसआर समिति की संरचना दर्शाई गई हैः

www.nhpcindia.com/Default.aspx?id=335&lg=eng&

कंपनी की वेबसाइट पर वेब–लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति दर्शाई गई हैः

www.nhpcindia.com/csr-policy.htm

कंपनी की वेबसाइट पर वेब–लिंक जहां सीएसआर परियोजनाएं दर्शाई गई हैंः

http://www.nhpcindia.com/Default.aspx?id=286&lg=eng&

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें), के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में, 22 जनवरी, 2021 को या उसके बाद शुरू की गई या पूरी की गई सीएसआर परियोजनाओं का आकलन किया जाना है। प्रभाव आकलन करने के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्षकार का चयन शुरू कर दिया गया है और पात्र परियोजनाओं की रिपोर्ट अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध और अपलोड करा दी जाएगी।

एक सुशासन परिपाटी के रूप में, एनएचपीसी पूर्व में भी स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करता रहा है। सीएसआर परियोजनाओं की प्रभाव आकलन रिपोर्टें वेबसाइट http://www.nhpcindia.com/Impact-Assessment-Reports.htm पर उपलब्ध कराई/दर्शाई जाती हैं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का ब्यौरा।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रुपए में)
1	2020–21	0.00	0.00
कुल		0.00	0.00

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभः 2971.43 करोड़ रु.

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशतः 59.43 करोड़ रु.

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेषः 0.00 रु.

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन किए जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई होः 0.00 रु.

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व (7क+7ख–7ग): 59.43 करोड़ रु.

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (करोड़ में)	खर्च न की गई राशि (रुपए में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
79.63	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के निमित्त खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरेः संलग्न अनुबंध–क के अनुसार

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरेः संलग्न अनुबंध–ख के अनुसार

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशिः 3.7252 करोड़ रु.

(ङ) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो, पर खर्च की गई राशिः 0.0 करोड़ रु.

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): 79.63 करोड़ रु.

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	राशि (करोड रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	59.43
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	79.63
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	20.20
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)],	20.20

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि के ब्यौरेः

क्रम सं.	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपए में)	संसूचित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपए में)
				निधि का नाम	राशि (रुपए में)	अंतरण की तारीख	
1.	2019–20	0.00	126.43	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	2018–19	0.00	17.58	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	2017–18	0.00	38.55	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल			182.56				

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) में चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरेः

संलग्न अनुबंध–ग के अनुसार

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिग्रहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरे **(परिसंपत्ति–वार ब्यौरे)** दें।

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण की तारीख – शून्य

(ख) पूंजीगत संपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि – शून्य

(ग) कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि – शून्य

(घ) सृजित अथवा अधिग्रहीत (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं – शून्य

11. उन कारणों का उल्लेख करें, जिनके कारण कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है। – उपलब्ध नहीं।

हस्ता./–
(ए.के.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
एनएचपीसी लिमिटेड
डीआईएन : 08646003

हस्ता./–
(यमुना कुमार चौबे)
निदेशक (तकनीकी) और अध्यक्ष, सीएसआर समिति
एनएचपीसी लिमिटेड
डीआईएन : 08492346

तारीख : 21 अगस्त, 2021

अनुबंध–क

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे (सीएसआर रिपोर्ट की क्रम संख्या 8ख देखें)

राशि लाख रुपए में

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	त्रिन्था, बक्कल, कुंद्रा, खेरल, चिंखा, पोनी, रियासी के शैक्षिक क्षेत्रों में मौजूदा भवनों का सुधार और सरकारी स्कूलों में चारदीवारी, सुरक्षा दीवार, अन्य सुविधाओं का निर्माण।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	रियासी	12	36.50	36.41	–	हाँ	एनएचपीसी	–
2	चिकित्सा शिविर आयोजित करना	स्वास्थ्य एव स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	रियासी	9	2.79	2.78	–	हाँ	एनएचपीसी	–
3	जिला रियासी के ग्राम बिड्डा को सलाल विद्युत स्टेशन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से आदर्श गांव के रूप में अपनाना।	ग्रामीण विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	रियासी	21	87.96	19.73	–			
	क) आरसीसी सरफेस वाटर टैंक									हाँ	एनएचपीसी	–
	ख) बिड्डा रोड की रिटेनिंग वॉल और ब्लैक टॉपिंग का निर्माण।									हाँ	एनएचपीसी	–
4	अनुमोदित डीपीआर, समझौता ज्ञापन और जिला प्राधिकरण से सहयोगी रूप से सभी मंजूरियों के अध्यधीन ग्रेविटी के माध्यम से जिला रियासी के गांव कोटला और थेरू (रांसू) जिले में सुधार/विस्तार एवं जलापूर्ति उपलब्ध कराना।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	रियासी	18	16.67	16.50	–	नहीं	डीसी कार्यालय रियासी के माध्यम से	–
5	अनुमोदित डीपीआर, जिला प्राधिकरण से सभी मंजूरियों और जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के अध्यधीन सरकारी मिडिल स्कूल, बगवां मोहल्ला, किश्तवाड़ के परिसर की दीवार और फर्श की मरम्मत।	शिक्षा	हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	22	6.10	0.67	–	नहीं	सहायक आयुक्त विकास, किश्तवाड़, ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार	–
6	गवर्नमेंट गर्ल्स हाईस्कूल, संग्रामभाटा, किश्तवाड़ के भवन का रखरखाव/मरम्मत/नवीनीकरण।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	24	6.84	3.14	–	नहीं	सहायक आयुक्त विकास, किश्तवाड़, ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
7	जिला अस्पताल किश्तवाड़ को सी–एआरएम कम्पे. टिबल हाइड्रोलिक ओ टेबल इमरजेंसी ट्रॉली सक्शन मशीन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	11	6.88	6.88	–	हाँ	एनएचपीसी	–
8	जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से क्षय रोग केंद्र, किश्तवाड़ में शौचालय परिसर का निर्माण		हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	22	3.59	0.00	–	नहीं	सहायक आयुक्त विकास, किश्तवाड़, ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार	–
9	कोविड–19 के लिए भोजन और स्वास्थ्य सामग्री का वितरण।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	3	3.12	3.10	–	हाँ	एनएचपीसी	–
10	जिला प्रशासन के साथ सहयोगी रूप से समझौता ज्ञापन के माध्यम से ब्लॉक मारवा में बरसर एचईपी स्थान के नोआपाची में पर्यावरण संधारणीयता के लिए वृक्षारोपण के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य देखभाल और विकासशील क्षेत्र के लिए हर्बल पार्क का विकास।	पर्यावरण	हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	21	6.93	0.00	–	नहीं	सहायक आयुक्त विकास, किश्तवाड़, ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार	–
11	जिला प्रशासन/नगर निगम, किश्तवाड़ के साथ एमओयू के माध्यम से चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ को अपनाना और विकास का रख–रखाव तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्रियाकलाप करना।	स्वच्छ भारत अभियान	हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	21	1.03	0.00	–	नहीं	नगरपालिका परिषद, किश्तवाड़	–
12	जिला–बारामूला (जम्मू व कश्मीर) में जिलों के विभिन्न स्वास्थ्य सेवा केंद्रों (जैसे पीएचसी/सीएचसी और उप जिला अस्पतालों) में मशीनरी उपस्कर यथा यूएसजी कलर डॉपलर, एक्स–रे मशीन, यूरिन एनालाइजर, कार्डिएक मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जेनरेटर सेट, सीआर सिस्टम, डेंटल चेन उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	18	697.08	555.58	–	नहीं	डीसी, बारामूला	–
13	स्वास्थ्य सेवा केंद्र, सोपोर, जिला–बारामूला (जम्मू व कश्मीर) के लिए सिविल कार्य और मशीनरी उपस्कर।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	सोपोर	22	103.30	100.05	–	नहीं	डीसी, बारामूला	–
14	2005 में भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए पुराने भवन के स्थान पर जिगल हाईस्कूल में आधारभूत संरचना का उन्नयन–स्कूल भवन का निर्माण।	शिक्षा	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	24	8.42	8.41	–	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
15	गवर्नमेंट हाई स्कूल जिंगल में अवसंरचना का उन्नयन–आंशिक रूप से निर्मित स्कूल भवन का शेष कार्य।	शिक्षा	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	8	1.33	0.97	–	हाँ	एनएचपीसी	–
16	सरकारी हाई विद्यालय ढाणी सैयदान में अवसंरचना का उन्नयन– आंशिक रूप से निर्मित स्कूल भवन का शेष कार्य।	शिक्षा	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	12	8.62	7.86	–	हाँ	एनएचपीसी	–
17	ख्वाजा बाग, बारामूला और बाघी सुंदरी सोपोर (क्षमता वृद्धि के लिए) में बागवानी नर्सरियों का आधुनिकीकरण।	ग्रामीण विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला व सोपोर	18	43.00	43.00	–	नहीं	डीसी, बारामूला	–
18	लगमा के ग्रामीणों के लिए मौजूदा जल स्रोत का नवीनीकरण और वाश क्षेत्र का निर्माण।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	12	0.28	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
19	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से उरी अस्पताल के लिए डिजिटल एक्स रे प्लांट।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	5	17.86	17.80	–	हाँ	एनएचपीसी	–
20	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से उरी अस्पताल के लिए कलर डॉपलर सहित अल्ट्रा साउंड।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	5	6.94	6.92	–	हाँ	एनएचपीसी	–
21	स्कूलों में शौचालय का निर्माण।	स्वच्छ विद्यालय	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	74	2.36	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
22	सलामाबाद गांव में कब्रगाह के लिए बाड़ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	32	1.50	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
23	मिडिल स्कूल जबला के पास पुल के जोड़ का सुदृढ़ीकरण एवं फुटपाथ का निर्माण।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	18	4.00	1.27	–	हाँ	एनएचपीसी	–
24	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सलामाबाद गांव का ग्रामीण विकास और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल., सलामाबाद का उन्नयन और मरम्मत।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	24	5.00	2.74	–	हाँ	एनएचपीसी	–
25	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से जबला गांव में शमशान घाट का निर्माण और शमशान घाट तक पहुंच।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	9	7.43	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
26	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ एमओयू के माध्यम से बगराटू दाची गांव तक फुटपाथ का निर्माण।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	12	3.70	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
27	जियारत–सैयद वहाब उद्दीन बुखारी में बस स्टैंड उरी के पास शौचालय, वॉश एरिया और टाइल्स कार्य का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	18	0.00	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
28	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से एचएस वानपोरा, गुरेज में कंप्यूटर लैब और सहायक उपस्कर सहित डिजिटल स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना।	शिक्षा	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	17	11.84	11.84	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
29	बांदीपुरा और गुरेज स्थानों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	21	10.17	0.00	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
30	अनुरक्षण एवं संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से जिला अस्पताल बांदीपोरा एवं उप जिला अस्पताल, गुरेज को चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराना।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	17	10.59	10.59	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
31	जिला प्रशासन को कोविड–19 सहायता।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	15	2.00	0.00	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
32	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन/जेकेईडीए के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से गुरेज़ (4x40 वाट) के लिए पांच (05) वर्षों के रखरखाव के साथ 10 हाई मस्ट सौर लाइटों की संस्थापना।	ग्रामीण विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	12	12.30	12.30	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
33	चेक गांव, बांदीपोरा (जम्मू व कश्मीर) में 2/3 पुलियों का निर्माण और जलापूर्ति लाइन की मरम्मत/विस्तार।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	36	7.60	0.00	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
34	सीएसआर संधारणीयता और सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन के लिए एमओयू के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से आसपास के गांवों–करालपोरा, चेक, मंत्रीग्राम, चंदाजी और गुरेज के लिए कुलों, पुलियों और फुटपाथों की मरम्मत, पुनरुद्धार और सफाई।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	29	6.78	1.60	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
35	रख–रखाव और संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से आसपास के गांवों में कुलों की मरम्मत और रखरखाव।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	26	16.95	12.20	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
36	संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ एमओयू के माध्यम से आसपास के गांवों जैसे करालपोरा, मंत्रीगाम, चंदाजी में स्थानीय जल आपूर्ति लाइन की मरम्मत और रख–रखाव।	ग्रामीण विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	20	12.71	0.00	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
37	5 वर्षों के लिए रखरखाव और अनुरक्षण सहायता के लिए जेकेईडीए के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से परियोजना की ओर जाने वाली पहुँच सड़कों की सोलर स्ट्रीट लाइटिंग।	पर्यावरण	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	48	34.67	0.00	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
38	चेक गांव, बांदीपोरा में सोलर स्ट्रीट लाइट।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	29	8.20	0.00	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
39	जिला वन विभाग के माध्यम से सीएसआर संधारणीयता के लिए एमओयू पर जिला प्रशासन के माध्यम से "प्रदूषण उपशमन संयंत्र अभियान (पीएपीए)" के तहत वृक्षारोपण।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	20	5.00	0.00	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
40	बांदीपोरा में गुलशन चौक का विकास।	स्वच्छ भारत अभियान	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	39	55.53	55.53	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
41	जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से बांदीपुरा निशात उद्यान का विकास।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	39	110.90	110.90	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
42	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय खेल–कूद, कला और संस्कृति के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से सुदृढ़ीकरण और सामग्री।	खेल–कूद	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	20	2.54	2.15	–	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
43	सर्दी के मौसम में टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास	हाँ	लद्दाख	कारगिल	14	1.15	1.13	–	हाँ	एनएचपीसी	–
44	पंचायत एवं जिला प्रशासन के साथ संधारणीयता योजना सहित समझौता ज्ञापन के माध्यम से खाल्टसे गांव में बोरवेल के जरिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना और पाइपलाइन बिछाना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	लद्दाख	लेह	22	2.00	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
45	सहयोगी रूप से रखरखाव और अनुरक्षण के लिए सीएसआर संधारणीयता हेतु समझौता ज्ञापन के माध्यम से खादी पंचायत में एक नए सामुदायिक केंद्र परिसर (शौचालय सहित) का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	कठुआ	9	5.10	5.10	–	हाँ	एनएचपीसी	–
46	सहयोगी रूप से संधारणीयता, रख–रखाव के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से बानी और सरोगा (वार्ड 2) ड्रामान पंचायत में चंदिया में वर्षा आश्रय एवं बस स्टॉप का निर्माण।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	कठुआ	8	5.00	4.15	–	हाँ	एनएचपीसी	–
47	सहयोगी रूप से भावी रखरखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से पावर हाउस के पास एक छोटे से जल निकाय की सफाई और ग्रामीणों की पीने और घरेलू जरूरतों के लिए आसपास के स्टोरेज वाटर टैंक की मरम्मत।	पर्यावरण	हाँ	जम्मू व कश्मीर	कठुआ	10	2.00	1.74	–	हाँ	एनएचपीसी	–
48	सहयोगी रूप से भावी सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से बानी में बाढ़ से तबाह मांझीरी पार्क का पुनर्निर्माण और मरम्मत।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	कठुआ	10	7.60	7.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
49	चंबा जिला के 12 विद्यालयों में खेल–कूद गतिविधियों में सुधार के लिए आदर्श खेल विद्यालय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	शिक्षा	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	3	2.45	2.44	–	हाँ	एनएचपीसी	–
50	सरकारी प्राथमिक विद्यालय सरोवा, पोस्ट–लेसुई, तह–चुराह, जिला–चंबा (हि.प्र.) में शौचालय का निर्माण।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	6	3.50	2.86	–	हाँ	एनएचपीसी	–
51	भावी रख–रखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सरकारी प्राथमिक विद्यालय, भंडार में दो कमरों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	16	6.51	4.52	–	हाँ	एनएचपीसी	–
52	भावी रख–रखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सरकारी प्राथमिक विद्यालय, भंडार में क्लासरूम का नवीकरण।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	6	3.50	2.66	–	हाँ	एनएचपीसी	–
53	भावी रख–रखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सुरंगानी बस स्टैंड का पुनर्निर्माण।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	6	15.00	9.06	–	हाँ	एनएचपीसी	–
54	कोविड–19 से लड़ने के लिए निधि	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	7	5.00	4.97	–	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
55	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम रूपानी (थडी), ग्राम पंचायत रूपानी, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।	पर्यावरण	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	4	5.64	5.63	–	हाँ	एनएचपीसी	–
56	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम मेल, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	4			–	हाँ	एनएचपीसी	–
57	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम राजनगर, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	4			–	हाँ	एनएचपीसी	–
58	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम सिमनी, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	4			–	हाँ	एनएचपीसी	–
59	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम भनोटा, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	4			–	हाँ	एनएचपीसी	–
60	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सिमनी, जिला–चंबा में शौचालयों का नवीकरण।	स्वच्छ भारत अभियान	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	7	1.30	1.29	–	हाँ	एनएचपीसी	–
61	1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	18	0.00		–	नहीं	जिला प्रशासन, चंबा	–
62	8 वर्षों के लिए सीएमसी सहित 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराना।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	18	0.00		–	नहीं	जिला प्रशासन, चंबा	–
63	सरकारी मिडिल स्कूल, कसकरा, चंबा की अभिवृद्धि एवं परिवर्तन।	शिक्षा	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	6	0.40	0.38	–	हाँ	एनएचपीसी	–
64	जोनल अस्पताल चंबा से सटे ऐतिहासिक चोगन के लिए संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य।	कला एवं संस्कृति	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	18	14.74	9.50	–	हाँ	एनएचपीसी	–
65	राज्य जनजातीय बालिका छात्रावास, भरमौर में रसोई और भोजन कक्ष का नवीकरण।	शिक्षा	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	4	5.00	4.81	–	हाँ	एनएचपीसी	–
66	जिला समन्वय के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से छतड़ी गांव में स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना।	ग्रामीण विकास	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	6	4.50	4.34	–	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
67	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट की रिसाइकिलिंग सहित डेग नंबर 1/9 खुदीथीबी क्षेत्र के तहत निंगथौखोंग गारबेस पार्क में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सुधार।	ग्रामीण विकास	हाँ	मणिपुर	बिष्णुपुर	12	10.67	10.66	–	हाँ	एनएचपीसी	–
68	इथाई बैराज क्षेत्र और लाईखोंग में शौचालय और ग्राम जल निकासी से जुड़े प्रतीक्षालय का निर्माण।		हाँ	मणिपुर	बिष्णुपुर	4	0.20	0.19	–	हाँ	एनएचपीसी	–
69	निंगथोखोंग में सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण।		हाँ	मणिपुर	बिष्णुपुर	28	1.10	0.04	–	हाँ	एनएचपीसी	–
70	दीर्घकालिक संधारणीयता योजना के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ओल्ड मनाली जिला कार्य कार्यान्वयन के तहत राज्य लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश के जरिए आदर्श गांव के विकास के लिए सीएसआर सहायता (श्री राम स्वरूप शर्मा, संसद सदस्य लोकसभा द्वारा अनुशंसित)।	ग्रामीण विकास	हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	18	28.70	27.60	–	नहीं	एचपीपीडब्ल्यूडी, आईएंडपीएच, बीडीओ, कुल्लू	–
71	जीएचएस, सारी में बालिका शौचालय का निर्माण।	शिक्षा और कौशल विकास	हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	12	2.33	1.40	–	नहीं	एसएमसी, सारी	–
72	डेस्क–बैंच, विभिन्न खेल–कूद मदें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वाटर प्यूरीफायर उपलब्ध कराना। सरकारी प्राथमिक विद्यालय, रोपा, जीएसएसएस सैंज में वाटर टैंक, कंप्यूटर, प्रिंटर, इनसिनिरेटर, सैनिटी नैपकिन वेंडिंग और डिस्पोजल सिस्टम, परियोजना प्रभावित गांवों में चल रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों के लिए सिलाई मशीनें आदि।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	5	0.75	0.74	–	हाँ	एनएचपीसी	–
73	जीपीएस और जीएचएस कानोन में खेल के मैदान के लिए सुरक्षा रेलिंग।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	11	1.88	1.81	–	नहीं	एसएमसी, कानोन	–
74	जीएसएसएस, सैंज में शौचालयों का निर्माण, मरम्मत।	स्वास्थ्य	हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	6	1.60	1.35	–	नहीं	एसएमसी, सैंज	–
75	कोविड–19 से संबंधित सीएसआर गतिविधियाँ।	स्वास्थ्य स्वच्छता	हाँ	उत्तराखंड	गढ़वाल	12	5.00	5.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
76	बांध स्थल के पास सरकारी इंटर कॉलेज, खेत में ऑडिटोरियम का निर्माण।	शिक्षा	हाँ	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	17	6.09	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
77	सायरी ग्राम, खेला में वाटर टैंक एवं 300 मीटर जलापूर्ति लाईन उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य स्वच्छता	हाँ	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	6	0.00	–0.01	–	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
78	टोक–चेतकला, ग्राम खेला में अम्बेडकर भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	6	8.87	8.80	–	हाँ	एनएचपीसी	–
79	सहयोगी रूप से दीर्घकालिक रखरखाव के सीएसआर संधारणीयता हेतु जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से गांव – दुगटू, स्यानकुरी, ईशू, रांथी और कालिका में सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	स्वच्छ भारत अभियान	हाँ	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	4	3.27	3.27	–	हाँ	एनएचपीसी	–
80	सीएसआर संधारणीयता के लिए स्कूल प्रबंधन से सभी मंजूरियों और एमओयू के माध्यम से सही उत्तम चंद सरस्वती विद्या मंदिर सरकारी स्कूल बनबसा को कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशाला उपस्कर सहित डिजिटल सहायता।	शिक्षा	हाँ	उत्तराखंड	चंपावत	24	2.30	0.09	–	हाँ	एनएचपीसी	–
81	मनिहाटीगोठ, सरकारी स्कूल टनकपुर में 2 कम्प्यूटर उपलब्ध कराना।		हाँ	उत्तराखंड	चंपावत	24	1.00	0.09	–	हाँ	एनएचपीसी	–
82	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से और सरकारी वित्त पोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिनीगोठ में 02 शौचालयों का निर्माण।	स्वच्छ भारत अभियान	हाँ	उत्तराखंड	चंपावत	15	5.00	3.99	–	हाँ	एनएचपीसी	–
83	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से और सरकारी वित्त पोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए सरकारी कॉलेज टनकपुर में 02 महिला शौचालयों का निर्माण और नवीकरण कार्य।		हाँ	उत्तराखंड	चंपावत	15		0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
84	स्कूलों के लिए कंप्यूटर की खरीद हेतु।	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	8	3.37	2.86	–	हाँ	एनएचपीसी	–
85	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ एमओयू के माध्यम से धारगांव प्राइमरी स्कूल, साउथ सिक्किम के क्लास रूम और खेल के मैदान का रखरखाव और उन्नयन।	शिक्षा	हाँ	सिक्किम	साउथ सिक्किम	10	5.76	5.66	–	हाँ	एनएचपीसी	–
86	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ एमओयू के माध्यम से गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल, दलेप–क्यूजिंग, वेस्ट वेस्ट के बहु–उद्देश्यीय एक्टिविटी हॉल का निर्माण और स्कूल में मैदान का विस्तार और फेंसिंग।		हाँ	सिक्किम	साउथ सिक्किम	9	20.67	19.87	–	हाँ	एनएचपीसी	–
87	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से जारोंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारोंग, वेस्ट वेस्ट में स्कूल गैलरी के लिए शेड का निर्माण।		हाँ	सिक्किम	साउथ सिक्किम	12	10.14	9.39	–	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
88	नए व्यापार की शुरूआत और आईटीआई, गेजिंग वेस्ट सिक्किम में टूल्स और उपस्करों का प्रावधान।	शिक्षा	हाँ	सिक्किम	वेस्ट सिक्किम	13	31.00	29.12	–	हाँ	एनएचपीसी	–
89	'एनएचपीसी छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना' के तहत उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना		हाँ	सिक्किम	वेस्ट सिक्किम	12	0.96	0.48	–	हाँ	एनएचपीसी	–
90	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से और सरकारी वित्त पोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए क्षेत्र में अपनी अवसंरचनात्मक सुविधा में सुधार करने के लिए जिला अस्पताल, वेस्ट सिक्किम में चिकित्सा उपस्करों के साथ अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल के उन्नयन के लिए सहायता।	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	सिक्किम	वेस्ट सिक्किम	15	1.00	1.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
91	दीर्घकालिक संधारणीयता योजना सहित जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से लेग शिप में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	सिक्किम	साउथ सिक्किम	11	11.75	11.75	–	हाँ	एनएचपीसी	–
92	रालेप, पूर्व सिक्किम में स्थित क्लब सूर्य दया जन कल्याण समिति को आयोजन के लिए संगीत उपस्कर उपलब्ध कराना।	शिक्षा	हाँ	सिक्किम	राजेप, ईस्ट सिक्किम	7	1.00	0.92	–	हाँ	एनएचपीसी	–
93	चंडे में आईटीआई का निर्माण।		हाँ	सिक्किम	चंडे, नॉर्थ सिक्किम	90	15.50	15.50	–	हाँ	एनएचपीसी	–
94	सीएसआर संधारणीयता के लिए शिक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से लुम गांव, नॉर्थ सिक्किम के शेडा (मैनस्टिक) स्कूल भवन का निर्माण और आश्रम की मरम्मत/पेंटिंग।	ग्रामीण विकास	हाँ	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	7	3.38	3.36	–	हाँ	एनएचपीसी	–
95	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से तीस्ता–V टाउनशिप में और उसके आसपास सार्वजनिक निजी भागीदारी में संधारणीय मोड के साथ 10 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण।		हाँ	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	7	2.58	2.34	–	हाँ	एनएचपीसी	–
96	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण।		हाँ	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	7	2.08	1.83	–	हाँ	एनएचपीसी	–
97	जिला प्रशासन के सहयोग से आजीविका सृजन एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं वितरण के दौरान सिलाई, बुनाई, फास्ट फूड बनाने एवं कच्चा माल, मशीन एवं सहायक उपस्कर आदि उपलब्ध कराने के संबंध में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण की व्यवस्था	महिला सशक्तिकरण एवं वरिष्ठ नागरिक	हाँ	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	2		–0.03	–	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
98	जिला प्रशासन के सहयोग से आजीविका सृजन एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं वितरण के दौरान सिलाई, बुनाई, फास्ट फूड बनाने एवं कच्चा माल, मशीन एवं सहायक उपस्कर आदि उपलब्ध कराने के संबंध में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण की व्यवस्था	महिला सशक्तिकरण एवं वरिष्ठ नागरिक	हाँ	सिक्किम	सिंगबेल एसएचजी, ईस्ट सिक्किम	6	1.40	1.33	–	हाँ	एनएचपीसी	–
99	सीएसआर संधारणीयता के लिए, सहयोगी रूप से रखरखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से और सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, सामुदायिक स्थानों, स्कूलों आदि में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छ भारत अभियान	हाँ	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	17	8.59	8.58	–	हाँ	एनएचपीसी	–
100	तकदाह में इंजीनियरिंग कॉलेज	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	124	100.00	100.00	–	नहीं	गोरखालैंड टेरिटोरियल प्रशासन (जीटीए)	–
101	74 धूटा, मुमगपू में रसोई एवं शौचालय के साथ–साथ सामुदायिक हॉल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	21	1.15	0.58	–	हाँ	एनएचपीसी	–
102	सीएसआर संधारणीयता के लिए एवं सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से देवराली, तीस्ता घाटी में शौचालय और रसोई घर के साथ सामुदायिक हॉल का निर्माण		हाँ	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	6	19.50	19.50	–	हाँ	एनएचपीसी	–
103	तकदाह में इंजीनियरिंग कॉलेज	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	124	100.00	100.00	–	नहीं	गोरखालैंड टेरिटोरियल प्रशासन (जीटीए)	–
104	सीएसआर संधारणीयता के लिए एवं सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से शेपखोला गांव में सामुदायिक हॉल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	कलिमपोंग	15	12.41	11.71	–	हाँ	एनएचपीसी	–
105	सार्वजनिक क्षेत्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि में बोरवेल के साथ सुरक्षित पेयजल सुविधाएं, स्थल की आवश्यकता के अनुसार फिल्टरेशन।	स्वच्छ भारत अभियान	हाँ	असम	धेमाजी/लखीमपुर/मजूली/नारायणपुर	72	25.00	24.89	–	नहीं	स्थानीय पंचायत/नामघर/विद्यालय/जन प्रतिनिधि समिति	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
106	स्कूल प्रबंधन समिति/जिला प्राधिकरण के साथ संधारणीयता योजना के लिए समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्कूलों/सार्वजनिक स्थानों में 143 शौचालयों के अनुमोदित निर्माण का शेष वित्तपोषण।	स्वच्छ भारत अभियान	हाँ	असम/अरुणाचल प्रदेश	धेमाजी/कामले	52	2.00	0.45	–	नहीं	स्थानीय पंचायत/नामघर/विद्यालय/जन प्रतिनिधि समिति	–
107	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से 10 आरओ तथा स्वच्छता परिसर।		हाँ	असम/अरुणाचल प्रदेश	धेमाजी/लखीमपुर/मजूली/नारायणपुर/कामले	72	25.00	24.76	–	नहीं	स्थानीय पंचायत/नामघर/विद्यालय/जन प्रतिनिधि समिति	–
108	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निष्पादित स्थानीय प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से कौशल विकास का सीएसआर कार्य।	कौशल विकास	हाँ	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	42	120.27	100.99	–	नहीं	i) कौशल विकास एवं उद्यम निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार। ii) एनईपीईडीएस, गुवाहाटी, iii) आई–वॉच सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेज, प्रा. लिमिटेड, iv) राष्ट्रीय युवा परियोजना, ईटानगर, v) डॉन बास्को युवा केंद्र, ईटानगर, vi) आईएल एंड एफएस स्किल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी।	–
109	ब्लॉक शाहपुर, आरा (जिला भोजपुर) के विभिन्न गांवों में पीसीसी रोड का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	बिहार	भोजपुर (आरा)	39	80.00	32.03	–	हाँ	एनएचपीसी	–
	ब्लॉक शाहपुर, आरा (जिला भोजपुर) के विभिन्न गांवों में सामुदायिक केंद्र, शौचालय के साथ दो कमरे, छठ घाट, वेंटेड क्रॉसवे, शेड के साथ चबूतरा और एक शौचालय का निर्माण।		हाँ	बिहार	भोजपुर (आरा)	42	47.00	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
	ब्लॉक शाहपुर, जिला भोजपुर (बिहार) के विभिन्न गांवों में शिक्षा उन्नयन, ग्रामीण अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, स्वच्छता, आजीविका आदि में आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण के बाद आधारभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना।		हाँ	बिहार	भोजपुर (आरा)	42	4.00	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
110	राज्य प्रशासन के माध्यम से जीएसएस और अन्य ग्रामीण विकास परियोजनाओं में जलापूर्ति योजना।	शिक्षा	हाँ	केरल	कोल्लम	15	7.01	7.01	–	नहीं	जिला प्रशासन, कोल्लम	–
111	एकल विद्यालय, हिमाचल प्रदेश भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से शिक्षा।	शिक्षा	नहीं	हिमाचल प्रदेश	बंजार, मनाली, मंडी, चंपावत, ऊधम नगर,	52	20.00	20.00	–	नहीं	मैसर्स भारत लोक शिक्षा परिषद आजादपुर, नई दिल्ली	–
112	'विकास, नवीनीकरण और उन्नति योजना' के तहत मुंडेरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्नूर में 6 क्लास रूम का निर्माण।		नहीं	केरल	कन्नूर	24	126.00	126.00	–	नहीं	मैसर्स सेक्रेटरी, जिला पंचायत कन्नूर, केरल.	–
113	टी एंड एचआरडी, सीओ – बैलेंस पेमेंट्स (2018–19) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय (एनएसडीसी और अन्य एसडीटी के माध्यम से) द्वारा 3000 युवाओं के लिए अनुमोदित अन्य स्थानों हेतु रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण।	कौशल विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	52	4.60	0.00	–	नहीं	एनएसडीसी	–
114	दिव्यांगों और अन्य की आजीविका बढ़ाने (बैलेंस पेमेंट्स 2018–19) के लिए 3000 को एनएसडीसी के माध्यम से और 1000 को अन्य कौशल विकास एजेंसी अर्थात एनएचएफडीसी/केवीआईसी के माध्यम से परियोजना परिधि से परे रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण (25 किलोमीटर तक)		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	36	129.12	129.12	–	नहीं	एनएचएफडीसी/केवीआईसी	–
115	सीपीएसयू–अलिमको के माध्यम से बारामूला जिले (जम्मू व कश्मीर) में चयनित लाभार्थियों को कृत्रिम अंगों, क्लच और व्हील चेयर के निःशुल्क वितरण के लिए ऑर्थोपेडिक शिविर।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	36	25.00	0.00	–	नहीं	अलिमको	–
116	अलीमको के माध्यम से चंबा जिले में दिव्यांगों को सहायता और उपस्करों के वितरण के लिए एनएचपीसी की सीएसआर पहल के तहत परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	32	22.45	0.00	–	नहीं	अलिमको	–
117	ईईएसएल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 2 सेट पीवीसी कूड़ेदानों की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण।	स्वच्छ भारत अभियान	नहीं	हिमाचल प्रदेश	शिमला व कांगड़ा	18	138.00	137.71	–	नहीं	मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल), दिल्ली–110003	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
118	ईईएसएल (बैलेंस पेमेंट) के माध्यम से जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश के बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी आधारित सोलर पब्लिक लाइटिंग (हाई मस्ट) और सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन।	ग्रामीण विकास	नहीं	उत्तर प्रदेश	कानपुर	78	55.34	53.94	–	नहीं	मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल), दिल्ली–110003	–
119	जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में भारतीय सहकारी ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण (श्री हरीश द्विवेदी, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित)।		नहीं	उत्तर प्रदेश	बस्ती	18	15.00	13.50	–	नहीं	मैसर्स भारतीय सहकारी ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	–
120	नूतन प्रयत्न के माध्यम से हरियाणा के मेवात क्षेत्र में समाज के वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए "पैड वुमन" मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और आजीविका कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान के लिए परियोजना प्रस्ताव अनुरोध (नीति आयोग/डीपीई द्वारा अभिचिन्हित महत्वाकांक्षी जिले में से एक)	महिला सशक्तिकरण एवं वरिष्ठ नागरिक	नहीं	हरियाणा	मेवात	30	5.74	3.50	–	नहीं	नूतन प्रयाटन, मुकुंदपुर, दिल्ली–110042	–
121	एसपीवाईएम के साथ परियोजना संधारणीयता के लिए एमओयू के माध्यम से सहयोगी मोड के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और आजीविका वृद्धि हेतु 115 आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग योजना के तहत हथिनी ब्लॉक (मेवात, हरियाणा) में 01 सेनेटरी नैपकिन यूनिट की स्थापना।		नहीं	हरियाणा	मेवात	17	2.00	1.96	–	नहीं	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मैसेस	–
122	फरीदाबाद जिले (हरियाणा) के विभिन्न ग्रामीण गांवों में 12 वाट एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना – सीएसआर संधारणीयता के लिए और मैसर्स ईईएसएल के माध्यम से सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से 450 अनुमोदित डीपीआर और समझौता ज्ञापन	पर्यावरण	हाँ	हरियाणा	फरीदाबाद	12	48.00	47.96	–	नहीं	मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल), दिल्ली–110003	–
123	सीपीएसयू, मैसर्स आरईआईएल के माध्यम से बिजनौर संसदीय क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट (12 वाट) उपलब्ध कराना (श्री कुंवर भारतेंद्र सिंह, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित)।		नहीं	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	32	1.02	0.94	–	नहीं	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	–
124	उत्तर प्रदेश राज्य उपक्रम, यूपीएसआईसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में सोलर हाई मास्ट लाइट (4x18 वाट) उपलब्ध कराने का अनुरोध (श्रीमती अनुप्रिया पटेल, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित)		नहीं	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	30	45.00	12.22	–	नहीं	यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि., प्रयागराज–211002	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातों में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
125	सीपीएसयू, मैसर्स आरईआईएल के माध्यम से बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट (12 वाट) की संस्थापना का प्रस्ताव (श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित)।	पर्यावरण	नहीं	राजस्थान	बीकानेर	18	1.02	0.94	–	नहीं	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	–
126	सीएसआर के तहत यूपीएसआईसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में 500 सोलर लाइट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।		नहीं	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	12	50.00	0.00	–	नहीं	यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि., प्रयागराज–211002	–
127	सीएसआर से संबंधित वार्षिक रिपोर्टों, नीतियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकाशन।	क्षमता निर्माण	हाँ	हरियाणा	फरीदाबाद	3	1.50	0.00	–	हाँ	एनएचपीसी	–
128	हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांग छात्रों की आवाजाही के लिए बस सेवा प्रदान करने हेतु सहयोगी रूप में सीएसआर सहायता।	शिक्षा	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	3	10.00	9.00	–	नहीं	हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	–
	कुल जोड़						2928.45	2280.21				

अनुबंध–ख

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे (सीएसआर रिपोर्ट की क्रम संख्या 8ग देखें)

राशि लाख रुपए में

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	सीसीई (कोल्ड चेन उपस्कर) की अवसंरचना आदि के कोविड–19 संवर्धन के लिए।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर	21.00	हाँ	एनएचपीसी	–
2	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हाँ	जम्मू व कश्मीर	रियासी	259.19	हाँ	एनएचपीसी	–
3	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	रियासी	7.99	हाँ	एनएचपीसी	–
4	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	जम्मू व कश्मीर	रियासी	1.00	हाँ	एनएचपीसी	–
5	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा–केवी/स्कूल	हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	307.52	हाँ	एनएचपीसी	–
6	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	17.31	हाँ	एनएचपीसी	–
7	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	जम्मू व कश्मीर	किश्तवाड़	0.88	हाँ	एनएचपीसी	–
8	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	उरी एवं उसके आस–पास के क्षेत्र	1.92	हाँ	एनएचपीसी	–
9	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	116.69	हाँ	एनएचपीसी	–
10	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	1.61	हाँ	एनएचपीसी	–
11	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	11.69	हाँ	एनएचपीसी	–
12	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	117.17	हाँ	एनएचपीसी	–
13	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	1.00	हाँ	एनएचपीसी	–
14	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।		हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	3.00	नहीं	जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा	–
15	सीजीआई शीट और कंबल की खरीद के लिए बांदीपोरा जिले के अग्नि प्रभावित परिवारों को सीएसआर सहायता।	आपदा प्रबंधन	हाँ	जम्मू व कश्मीर	बांदीपोरा	2.22	हाँ	एनएचपीसी	–
16	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	लद्दाख	कारगिल	12.45	हाँ	एनएचपीसी	–
17	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	लद्दाख	कारगिल	0.97	हाँ	एनएचपीसी	–
18	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	लद्दाख	लेह	15.60	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
19	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	लद्दाख	लेह	0.97	हाँ	एनएचपीसी	–
20	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	16.96	हाँ	एनएचपीसी	–
21	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	4.98	हाँ	एनएचपीसी	–
22	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	जम्मू व कश्मीर	कठुआ	6.48	हाँ	एनएचपीसी	–
23	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	जम्मू व कश्मीर	कठुआ	0.99	हाँ	एनएचपीसी	–
24	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	39.86	हाँ	एनएचपीसी	–
25	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	1.00	हाँ	एनएचपीसी	–
26	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	26.06	हाँ	एनएचपीसी	–
27	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	136.58	हाँ	एनएचपीसी	–
28	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	0.99	हाँ	एनएचपीसी	–
29	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	23.59	हाँ	एनएचपीसी	–
30	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	208.02	हाँ	एनएचपीसी	–
31	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	0.91	हाँ	एनएचपीसी	–
32	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	22.25	हाँ	एनएचपीसी	–
33	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	हिमाचल प्रदेश	चंबा	0.97	हाँ	एनएचपीसी	–
34	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	मणिपुर	चुराचंदपुर व बिष्णुपुर	277.71	हाँ	एनएचपीसी	–
35	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	मणिपुर	चुराचंदपुर व बिष्णुपुर	82.43	हाँ	एनएचपीसी	–
36	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	मणिपुर	चुराचंदपुर व बिष्णुपुर	1.49	हाँ	एनएचपीसी	–
37	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	280.96	हाँ	एनएचपीसी	–
38	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू/मंडी	0.49	हाँ	एनएचपीसी	–
39	सीसीई (कोल्ड चेन उपस्कर) की अवंसरचना आदि के कोविड–19 संवर्धन के लिए।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	शिमला सोलन, कांगड़ा, चंबा, ऊना	81.78	हाँ	एनएचपीसी	–
40	निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर (सर्जिकल)		हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	0.54	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
41	कोविड–19 से लड़ने के लिए जोनल अस्पताल, कुल्लू को सहायता।	आपदा प्रबंधन	हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	10.00	हाँ	एनएचपीसी	–
42	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।		हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू/मंडी	4.88	हाँ	एनएचपीसी	–
43	"एनएचपीसी छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना" के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति	शिक्षा और कौशल विकास	हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	5.28	हाँ	एनएचपीसी	–
44	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य	हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	3.93	हाँ	एनएचपीसी	–
45	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	0.78	हाँ	एनएचपीसी	–
46	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।		हाँ	उत्तराखंड	गढ़वाल	0.93	हाँ	एनएचपीसी	–
47	सफाई कर्मचारी एमसी देहरादून को पीपीई किट का वितरण		हाँ	उत्तराखंड	गढ़वाल	1.62	हाँ	एनएचपीसी	–
48	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	226.44	हाँ	एनएचपीसी	–
49	विद्युत स्टेशन के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन।	स्वास्थ्य और स्वच्छता	हाँ	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	3.47	हाँ	एनएचपीसी	–
50	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर		हाँ	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	4.41	हाँ	एनएचपीसी	–
51	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	1.49	हाँ	एनएचपीसी	–
52	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	उत्तराखंड	चंपावत	271.60	हाँ	एनएचपीसी	–
53	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	उत्तराखंड	चंपावत	0.20	हाँ	एनएचपीसी	–
54	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	उत्तराखंड	चंपावत	1.50	हाँ	एनएचपीसी	–
55	खाद्य पैकेटों का वितरण।	आपदा प्रबंधन	हाँ	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	3.30	हाँ	एनएचपीसी	–
56	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	सिक्किम	साउथ सिक्किम	279.99	हाँ	एनएचपीसी	–
57	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	सिक्किम	साउथ सिक्किम	31.76	हाँ	एनएचपीसी	–
58	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	सिक्किम	साउथ व वेस्ट सिक्किम	3.80	हाँ	एनएचपीसी	–
59	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	सिक्किम	ईस्ट व साउथ सिक्किम	249.42	हाँ	एनएचपीसी	–
60	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	सिक्किम	ईस्ट व साउथ सिक्किम	61.06	हाँ	एनएचपीसी	–
61	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	1.98	हाँ	एनएचपीसी	–
62	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	139.54	हाँ	एनएचपीसी	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
63	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	12.10	हाँ	एनएचपीसी	–
64	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	4.35	हाँ	एनएचपीसी	–
65	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	पश्चिम बंगाल	कलिमपोंग और दार्जिलिंग	2.95	हाँ	एनएचपीसी	–
66	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	सिक्किम	नॉर्थ सिक्किम	0.45	हाँ	एनएचपीसी	–
67	बाहरी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय–सीएसआर।	शिक्षा	हाँ	असम/अरुणाचल प्रदेश	धेमाजी/कामले	167.22	हाँ	एनएचपीसी	–
68	धेमाजी और लखीमपुर जिलों (असम) और कामले जिले (अरुणाचल प्रदेश) में स्वास्थ्य सुविधा के उन्नयन के लिए पीएचसी/सीएचसी में चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	असम/अरुणाचल प्रदेश	धेमाजी/कामले/लखीमपुर	18.83	हाँ	एनएचपीसी	–
69	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर		हाँ	असम/अरुणाचल प्रदेश	धेमाजी/कामले	88.66	हाँ	एनएचपीसी	–
70	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	असम/अरुणाचल प्रदेश	धेमाजी/कामले/लखीमपुर	15.98	हाँ	एनएचपीसी	–
71	बाहरी लोगों के लिए एनएचपीसी अस्पताल/औषधालय में चिकित्सा व्यय–सीएसआर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	अरुणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग वैली	11.09	हाँ	एनएचपीसी	–
72	सीसीई (कोल्ड चेन उपस्कर) की अवंसरचना आदि के कोविड–19 संवर्धन के लिए।		नहीं	अरुणाचल प्रदेश	पपुमपारे	8.26	नहीं	परिवार कल्याण निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार, नाहरलगुन	–
73	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।	आपदा प्रबंधन	हाँ	अरुणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग वैली	0.20	हाँ	एनएचपीसी	–
74	जिला मजिस्ट्रेट, आरा के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (एनएचपीसी का हिस्सा) द्वारा सदर अस्पताल, आरा (बिहार) को उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए अंशदान।		हाँ	बिहार	भोजपुर (आरा)	4.27	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, आरा	–
75	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।		हाँ	राजस्थान	जैसलमेर	0.99	हाँ	एनएचपीसी	–
76	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।		हाँ	तमिलनाडु	डिंडीगुल	0.96	हाँ	एनएचपीसी	–
77	कोविड–19 और अन्य के लिए आकस्मिक क्रियाकलाप।		हाँ	केरल	कोल्लम	1.00	नहीं	वेस्ट कल्लड़ ग्राम पंचायत, जिला कोल्लम	–
78	सरकारी स्कूल के उत्तीर्ण प्रतिशत में सुधार के लिए "शिक्षित हरियाणा" परियोजना को संस्थागत बनाने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता।	शिक्षा	हाँ	हरियाणा	फरीदाबाद	4.00	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद, हरियाणा	–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
79	कक्षा 6 के छात्रों के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक सेट की खरीद के लिए प्रकाश दीप ट्रस्ट को सीएसआर सहायता।	शिक्षा	हाँ	हरियाणा	फरीदाबाद	0.25	नहीं	मैसर्स प्रकाश दीप ट्रस्ट, फरीदाबाद.	–
80	ड्राइंग और पेंटिंग लैब में सुधार के लिए अनुश्रुति अकादमी फॉर द डीफ (एएडी), आईआईटी रुड़की को वित्तीय सहायता।		नहीं	उत्तराखंड	रुड़की	3.40	नहीं	दि डीन ऑफ रिसोर्सेस एंड एल्युमिनी अफेयर्स, आईआईटी, रुड़की	–
81	सरकारी मेडिकल कॉलेज, पेरियाराम और कन्नूर में कोविड–19 मामलों के परीक्षण और उपचार के लिए तत्काल सुविधाओं/उपस्करों की खरीद की व्यवस्था करना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	नहीं	केरल	कन्नूर	9.85	नहीं	द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कन्नूर, केरल.	–
82	कोविड केयर सेंटर, देवरिया के लिए एक 125 केवीए जेनरेटर सेट की खरीद और संस्थापना के लिए। (डीएम देवरिया के माध्यम से)।		नहीं	उत्तर प्रदेश	देवरिया	11.05	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया, उत्तर प्रदेश	–
83	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (हरियाणा राज्य शाखा फरीदाबाद) में 250 एलपीएच की क्षमता वाले एक आरओ सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापना और चालू करने के लिए सीएसआर सहायता		हाँ	हरियाणा	फरीदाबाद	1.00	नहीं	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, राज्य शाखा फरीदाबाद	–
84	शिरडी साईं बाबा मंदिर सोसायटी, फरीदाबाद को महिलाओं/लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए 10 औद्योगिक सिलाई मशीनें उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर सहायता	महिला सशक्तिकरण एवं वरिष्ठ नागरिक	हाँ	हरियाणा	फरीदाबाद	2.04	नहीं	शिरडी साईं बाबा मंदिर सोसायटी, साईं धाम	–
85	विधानसभा, सरोजिनी नगर जिला लखनऊ में 100 हाई मास्ट सोलर लाइट की संस्थापना हेतु सीएसआर सहायता।	पर्यावरण	नहीं	उत्तर प्रदेश	सरोजिनी नगर	12.00	नहीं	भारतीय को–ऑपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लि., लखनऊ	–
86	परिक्रमा मार्ग, गिरिराज तलहटी, गोवर्धन, मथुरा में पौधारोपण एवं 200 वृक्षों के 5 वर्षों के रखरखाव के लिए अंशदान		नहीं	उत्तर प्रदेश	मथुरा	4.38	नहीं	वंशीवट आश्रम, गोवर्धन, मथुरा	–
87	रेड क्रॉस सोसाइटी, फरीदाबाद को कोविड–19 के लिए सहायता	आपदा प्रबंधन	हाँ	हरियाणा	फरीदाबाद	2.00	नहीं	रेड क्रॉस सोसाइटी, फरीदाबाद	–
88	पीएम केयर्स फंड में अंशदान		हाँ	दिल्ली	दिल्ली	1500.00	हाँ	एनएचपीसी	–
	कुल जोड़					5309.87			

अनुबंध–ग

पूर्व वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे (सीएसआर रिपोर्ट की क्रम संख्या 9ख देखें)

राशि लाख रुपए में

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
1	1904103001	त्रिन्था, बक्कल, कुंद्रा, खेरल, चिंखा, पोनी, रियासी के शैक्षिक क्षेत्रों में मौजूदा भवनों का सुधार और सरकारी स्कूलों में चारदीवारी, सुरक्षा दीवार, अन्य सुविधाओं का निर्माण।	2019–20	12	51.20	36.41	51.11	कार्य पूर्ण किया गया।
2	1903103001	चिकित्सा शिविर आयोजित करना (संधारणीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए नियमित अंतराल पर एक या दो केंद्रित स्थानों में न्यूनतम 2–3 शिविर अथवा चिकित्सा आवश्यकताओं के अनुसार)	2019–20	9	3.72	2.78	3.71	कार्य पूर्ण किया गया।
3	1912103002	जिला रियासी के ग्राम बिड्डा को सलाल विद्युत स्टेशन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से आदर्श गांव के रूप में अपनाना।	2019–20	21	99.11	19.73	30.88	
		क) आरसीसी सरफेस वाटर टैंक						कार्य पूर्ण किया गया।
		ख) बिड्डा रोड की रिटेनिंग वॉल और ब्लैक टॉपिंग का निर्माण।						जारी है।
4	1912103003	अनुमोदित डीपीआर, समझौता ज्ञापन और जिला प्राधिकरण से सहयोगी रूप से सभी मंजूरियों के अध्यधीन ग्रेविटी के माध्यम से जिला रियासी के गांव कोटला और थेरू (रांसू) जिले में सुधार/विस्तार एवं जलापूर्ति उपलब्ध कराना।	2019–20	18	39.67	16.50	39.50	जारी है।
5	1904109003	अनुमोदित डीपीआर, जिला प्राधिकरण से सभी मंजूरियों और जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के अध्यधीन सरकारी मिडिल स्कूल, बगवां मोहल्ला, किश्तवाड़ के परिसर की दीवार और फर्श की मरम्मत।	2019–20	22	6.60	0.67	1.17	जारी है।
6	1904109002	गवर्नमेंट गर्ल्स हाईस्कूल, संग्रामभाटा, किश्तवाड़ के भवन का रखरखाव/मरम्मत/नवीनीकरण।	2019–20	24	7.40	3.14	3.70	जारी है।
7	1903109003	जिला अस्पताल किश्तवाड़ को सी–एआरएम कम्पेटिबल हाइड्रोलिक ओ टेबल इमरजेंसी ट्रॉली सक्शन मशीन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।	2019–20	11	6.88	6.88	6.88	कार्य पूर्ण किया गया।
8	1903109002	जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से क्षय रोग केंद्र, किश्तवाड़ में शौचालय परिसर का निर्माण	2019–20	22	7.43	0.00	3.84	जारी है।
9	1903109004	कोविड–19 के लिए भोजन और स्वास्थ्य सामग्री का वितरण।	2019–20	3	3.12	3.10	3.10	कार्य पूर्ण किया गया।
10	1906109001	जिला प्रशासन के साथ सहयोगी रूप से समझौता ज्ञापन के माध्यम से ब्लॉक मारवा में बरसर एचईपी स्थान के नोआपाची में पर्यावरण संधारणीयता के लिए वृक्षारोपण के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य देखभाल और विकासशील क्षेत्र के लिए हर्बल पार्क का विकास।	2019–20	21	8.07	0.00	1.14	जारी है।
11	1915109001	जिला प्रशासन/नगर निगम, किश्तवाड़ के साथ एमओयू के माध्यम से चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ को अपनाना और विकास का रख–रखाव तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्रियाकलाप करना।	2019–20	21	6.99	0.00	5.96	जारी है।

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
12	1903106002	जिलों के विभिन्न स्वास्थ्य सेवा केंद्रों (जैसे पीएचसी/सीएचसी और उप जिला अस्पतालों) में मशीनरी उपस्कर यथा यूएसजी कलर डॉपलर, एक्स–रे मशीन, यूरिन एनालाइजर, कार्डिएक मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जेनरेटर सेट, सीआर सिस्टम, जिला–बारामूला (जम्मू व कश्मीर) में डेंटल चेन उपलब्ध कराना।	2019–20	18	697.08	555.58	555.58	जारी है।
13	1903106003	स्वास्थ्य सेवा केंद्र, सोपोर, जिला–बारामूला (जम्मू व कश्मीर) के लिए सिविल कार्य और मशीनरी उपस्कर।	2019–20	22	103.30	100.05	100.05	जारी है।
14	1804106001	आधारभूत संरचना का उन्नयन – 2005 में भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए पुराने भवन के स्थान पर जिंगल हाई स्कूल में स्कूल भवन का निर्माण।	2019–20	24	14.94	8.41	14.93	जारी है।
15	1804106002	अवसंरचना का उन्नयन–सरकारी हाई स्कूल जिंगल में आंशिक रूप से निर्मित स्कूल भवन का शेष कार्य।	2019–20	8	10.36	0.97	10.00	कार्य पूर्ण किया गया।
16	1804106003	अवसंरचना का उन्नयन – सरकारी हाई विद्यालय ढाणी सैयदान में आंशिक रूप से निर्मित स्कूल भवन का शेष कार्य।	2019–20	12	16.01	7.86	15.25	कार्य पूर्ण किया गया।
17	1912106001	ख्वाजा बाग, बारामूला और बाघी सुंदरी सोपोर (क्षमता वृद्धि के लिए) में बागवानी नर्सरियों का आधुनिकीकरण।	2019–20	18	43.00	43.00	43.00	जारी है।
18	1803116002	लगमा के ग्रामीणों के लिए मौजूदा जल स्रोत का नवीनीकरण और वाश क्षेत्र का निर्माण।	2018–19	12	0.71	0.00	0.43	कार्य पूर्ण किया गया।
19	1803116004	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से उरी अस्पताल के लिए डिजिटल एक्स रे प्लांट।	2019–20	5	17.86	17.80	17.80	कार्य पूर्ण किया गया।
20	1803116005	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से उरी अस्पताल के लिए कलर डॉपलर सहित अल्ट्रा साउंड।	2019–20	5	6.94	6.92	6.92	कार्य पूर्ण किया गया।
21	1614116001	स्कूलों में शौचालय का निर्माण।	2016–17	74	5.15	0.00	2.79	कार्य पूर्ण किया गया।
22	1812116003	सलामाबाद गांव में कब्रगाह के लिए बाड़ का निर्माण।	2018–19	32	5.08	0.00	3.58	कार्य पूर्ण किया गया।
23	1812116004	मिडिल स्कूल जबला के पास पुल के जोड़ का सुदृढ़ीकरण एवं फुटपाथ का निर्माण।	2018–19	18	4.00	1.27	1.27	जारी है।
24	1812116008	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सलामाबाद गांव का ग्रामीण विकास और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल., सलामाबाद का उन्नयन और मरम्मत।	2019–20	24	5.00	2.74	2.74	जारी है।
25	1812116012	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से जबला गांव में शमशान घाट का निर्माण और शमशान घाट तक पहुंच।	2018–19	9	21.13	0.00	13.70	कार्य पूर्ण किया गया।
26	1812116013	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ एमओयू के माध्यम से बगराटू दाची गांव तक फुटपाथ का निर्माण।	2018–19	12	13.95	0.00	10.25	जारी है।
27	1915116001	जियारत–सैयद वहाब उद्दीन बुखारी में बस स्टैंड उरी के पास शौचालय, वॉश एरिया और टाइल्स कार्य का निर्माण।	2019–20	18	0.00	0.00	0.00	जारी है।

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
28	1804120001	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से एचएस वानपोरा, गुरेज में कंप्यूटर लैब और सहायक उपस्कर सहित डिजिटल स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना।	2018–19	17	13.09	11.84	13.09	कार्य पूर्ण किया गया।
29	1903120001	बांदीपुरा और गुरेज स्थानों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन।	2019–20	21	13.91	0.00	3.74	कार्य पूर्ण किया गया।
30	1903120002	अनुरक्षण एवं संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से जिला अस्पताल बांदीपोरा एवं उप जिला अस्पताल, गुरेज को चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराना।	2019–20	17	13.86	10.59	13.86	कार्य पूर्ण किया गया।
31	1903120003	जिला प्रशासन को कोविड–19 सहायता।	2019–20	15	2.00	0.00	0.00	जारी है।
32	1812120003	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन/ जेकेईडीए के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से गुरेज़ (4x40 वाट) के लिए पांच (05) वर्षों के रखरखाव के साथ 10 हाई मस्ट सौर लाइटों की संस्थापना।	2018–19	12	13.60	12.30	13.60	कार्य पूर्ण किया गया।
33	1812120001	चेक गांव, बांदीपोरा (जम्मू व कश्मीर) में 2/3 पुलियों का निर्माण और जलापूर्ति लाइन की मरम्मत/विस्तार।	2018–19	36	13.96	0.00	6.36	जारी है।
34	1812120002	सीएसआर संधारणीयता और सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन के लिए एमओयू के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से आसपास के गांवों–करालपोरा, चेक, मंत्रीग्राम, चंदाजी और गुरेज के लिए कुलों, पुलियों और फुटपाथों की मरम्मत, पुनरुद्धार और सफाई।	2019–20	29	7.02	1.60	1.84	जारी है।
35	1912120001	रख–रखाव और संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से आसपास के गांवों में कुलों की मरम्मत और रखरखाव।	2019–20	26	23.85	12.20	19.10	जारी है।
36	1912120002	संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ एमओयू के माध्यम से आसपास के गांवों जैसे करालपोरा, मंत्रीगाम, चंदाजी में स्थानीय जल आपूर्ति लाइन की मरम्मत और रख–रखाव।	2019–20	20	13.17	0.00	0.46	जारी है।
37	1706120001	5 वर्षों के लिए रखरखाव और अनुरक्षण सहायता के लिए जेकेईडीए के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से परियोजना की ओर जाने वाली पहुँच सड़कों की सोलर स्ट्रीट लाइटिंग।	2017–18	48	58.71	0.00	24.04	जारी है।
38	1806120001	चेक गांव, बांदीपोरा में सोलर स्ट्रीट लाइट।	2019–20	29	9.68	0.00	1.48	जारी है।
39	1906120001	जिला वन विभाग के माध्यम से सीएसआर संधारणीयता के लिए एमओयू पर जिला प्रशासन के माध्यम से "प्रदूषण उपशमन संयंत्र अभियान (पीएपीए)" के तहत वृक्षारोपण।	2019–20	20	5.00	0.00	0.00	जारी है।
40	1715120001	बांदीपोरा में गुलशन चौक का विकास।	2017–18	39	84.93	55.53	84.93	कार्य पूर्ण किया गया।
41	1715120002	जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से बांदीपुरा निशात उद्यान का विकास।	2017–18	39	125.90	110.90	125.90	कार्य पूर्ण किया गया।
42	1909120001	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय खेल–कूद, कला और संस्कृति के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से सुदृढ़ीकरण और सामग्री।	2019–20	20	5.00	2.15	4.61	कार्य पूर्ण किया गया।

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
43	1912122001	सर्दी के मौसम में टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना।	2019–20	14	8.63	1.13	8.61	कार्य पूर्ण किया गया।
44	1903121002	पंचायत एवं जिला प्रशासन के साथ संधारणीयता योजना सहित समझौता ज्ञापन के माध्यम से खाल्टसे गांव में बोरवेल के जरिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना और पाइपलाइन बिछाना।	2019–20	22	20.00	0.00	18.00	जारी है।
45	1912113003	सहयोगी रूप से रखरखाव और अनुरक्षण के लिए सीएसआर संधारणीयता हेतु समझौता ज्ञापन के माध्यम से खादी पंचायत में एक नए सामुदायिक केंद्र परिसर (शौचालय सहित) का निर्माण।	2019–20	9	5.10	5.10	5.10	कार्य पूर्ण किया गया।
46	1912113004	सहयोगी रूप से संधारणीयता, रख–रखाव के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से बानी और सरोगा (वार्ड 2) ड्रामान पंचायत में चंदिया में वर्षा आश्रय एवं बस स्टॉप का निर्माण।	2019–20	8	5.86	4.15	5.01	कार्य पूर्ण किया गया।
47	1906113001	सहयोगी रूप से भावी रखरखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से विद्युतगृह के पास एक छोटे से जल निकाय की सफाई और ग्रामीणों को पानी पीने और घरेलू जरूरतों के लिए आसपास के स्टोरेज वाटर टैंक की मरम्मत।	2019–20	10	2.27	1.74	2.01	कार्य पूर्ण किया गया।
48	1906113002	सहयोगी रूप से भावी सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से बानी में बाढ़ से तबाह मांझीरी पार्क का पुनर्निर्माण और मरम्मत।	2019–20	10	8.19	7.00	7.59	कार्य पूर्ण किया गया।
49	1904101003	चंबा जिला के 12 विद्यालयों में खेल–कूद गतिविधियों में सुधार के लिए आदर्श खेल विद्यालय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	2019–20	3	2.45	2.44	2.44	कार्य पूर्ण किया गया।
50	1915101001	सरकारी प्राथमिक विद्यालय सरोवा, पोस्ट–लेसुई, तह–चुराह, जिला–चंबा (हि.प्र.) में शौचालय का निर्माण।	2019–20	6	3.50	2.86	2.86	कार्य पूर्ण किया गया।
51	1912101004	भावी रख–रखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सरकारी प्राथमिक विद्यालय, भंडार में दो कमरों का निर्माण।	2019–20	16	6.51	4.52	4.52	जारी है।
52	1912101005	भावी रख–रखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सरकारी प्राथमिक विद्यालय, भंडार में क्लासरूम का नवीनीकरण।	2019–20	6	3.50	2.66	2.66	कार्य पूर्ण किया गया।
53	1912101001	भावी रख–रखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सुरंगानी बस स्टैंड का पुनर्निर्माण।	2019–20	6	15.00	9.06	9.06	जारी है।
54	1903105002	कोविड–19 से लड़ने के लिए निधि	2019–20	7	5.00	4.97	4.97	कार्य पूर्ण किया गया।
55	1906105001	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम रूपानी (थडी), ग्राम पंचायत रूपानी, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।	2019–20	4	5.64	5.63	5.63	कार्य पूर्ण किया गया।
56	1906105002	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम मेल, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।	2019–20	4				

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
57	1906105003	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम राजनगर, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।	2019–20	4				
58	1906105005	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम सिमनी, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।	2019–20	4	5.64	5.63	5.63	कार्य पूर्ण किया गया।
59	1906105006	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ग्राम भनोटा, जिला–चंबा (हिमाचल प्रदेश) में सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना।	2019–20	4				
60	1915105002	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सिमनी, जिला–चंबा में शौचालयों का नवीनीकरण।	2019–20	7	1.30	1.29	1.29	कार्य पूर्ण किया गया।
61	1903108002	1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन उपलब्ध कराना।	2019–20	18	300.00	0.00	300.00	जारी है।
62	1903108003	8 वर्षों के लिए सीएमसी सहित 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराना।	2019–20	18	600.00	0.00	600.00	जारी है।
63	1904108004	सरकारी मिडिल स्कूल, कसकरा, चंबा की अभिवृद्धि एवं परिवर्तन।	2019–20	6	2.97	0.38	2.95	कार्य पूर्ण किया गया।
64	1907108001	जोनल अस्पताल चंबा से सटे ऐतिहासिक चोगन के लिए संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य।	2019–20	18	17.26	9.50	12.02	जारी है।
65	1904117001	राज्य जनजातीय बालिका छात्रावास, भरमौर में रसोई और भोजन कक्ष का नवीनीकरण।	2019–20	4	5.00	4.81	4.81	कार्य पूर्ण किया गया।
66	1912117002	जिला समन्वय के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से छतड़ी गांव में स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना।	2019–20	6	4.50	4.34	4.34	कार्य पूर्ण किया गया।
67	1912102002	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट की रिसाइकिलिंग सहित डेग नंबर 1/9 खुदीथीबी क्षेत्र के तहत निंगथौखोंग गारबेस पार्क में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सुधार।	2019–20	12	12.03	10.66	12.02	कार्य पूर्ण किया गया।
68	1912102003	इथाई बैराज क्षेत्र और लाईखोंग में शौचालय और ग्राम जल निकासी से जुड़े प्रतीक्षालय का निर्माण।	2019–20	4	7.45	0.19	7.44	कार्य पूर्ण किया गया।
69	1704102003	निंगथोखोंग में सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण।	2017–18	28	4.17	0.04	3.11	कार्य पूर्ण किया गया।
70	1912112001	दीर्घकालिक संधारणीयता योजना के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से ओल्ड मनाली जिला कार्य कार्यान्वयन के तहत राज्य लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश के जरिए आदर्श गांव के विकास के लिए सीएसआर सहायता (श्री राम स्वरूप शर्मा, संसद सदस्य लोकसभा द्वारा अनुशंसित)।	2019–20	18	43.80	27.60	42.70	कार्य पूर्ण किया गया।
71	1904119002	जीएचएस, सारी में बालिका शौचालय का निर्माण।	2019–20	12	3.50	1.40	2.57	जारी है।
72	1904119003	डेस्क–बैंच, विभिन्न खेल–कूद मदें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वाटर प्यूरीफायर उपलब्ध कराना। सरकारी प्राथमिक विद्यालय, रोपा, जीएसएसएस सैंज में वाटर टैंक, कंप्यूटर, प्रिंटर, इनसिनिरेटर, सैनिटी नैपकिन वेंडिंग और डिस्पोजल सिस्टम, परियोजना प्रभावित गांवों में चल रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों के लिए सिलाई मशीनें आदि।	2019–20	5	0.75	0.74	0.74	कार्य पूर्ण किया गया।
73	1904119004	जीपीएस और जीएचएस कानोन में खेल के मैदान के लिए सुरक्षा रेलिंग।	2019–20	11	3.08	1.81	3.01	कार्य पूर्ण किया गया।

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
74	1903119002	जीएसएसएस, सैंज में शौचालयों का निर्माण, मरम्मत।	2019–20	6	2.50	1.35	2.25	कार्य पूर्ण किया गया।
75	1903125002	कोविड–19 से संबंधित सीएसआर गतिविधियाँ।	2019–20	12	5.00	5.00	5.00	कार्य पूर्ण किया गया।
76	1904110001	बांध स्थल के पास सरकारी इंटर कॉलेज, खेत में ऑडिटोरियम का निर्माण।	2019–20	17	9.59	0.00	3.50	जारी है।
77	1903110002	सायरी ग्राम, खेला में वाटर टैंक एवं 300 मीटर जलापूर्ति लाईन उपलब्ध कराना।	2019–20	6	4.74	–0.01	4.73	कार्य पूर्ण किया गया।
78	1912110001	टोक–चेतकला, ग्राम खेला में अम्बेडकर भवन का निर्माण।	2019–20	6	15.50	8.80	15.43	कार्य पूर्ण किया गया।
79	1915110001	सहयोगी रूप से दीर्घकालिक रखरखाव के सीएसआर संधारणीयता हेतु जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से गांव – दुगटू, स्यानकुरी, ईशू, रांथी और कालिका में सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	2019–20	4	16.86	3.27	16.86	कार्य पूर्ण किया गया।
80	1904104001	सीएसआर संधारणीयता के लिए स्कूल प्रबंधन से सभी मंजूरियों और एमओयू के माध्यम से सही उत्तम चंद सरस्वती विद्या मंदिर सरकारी स्कूल बनबसा को कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशाला उपस्कर सहित डिजिटल सहायता।	2019–20	24	2.30	0.09	0.09	जारी है।
81	1904104004	मनिहाटीगोठ, सरकारी स्कूल टनकपुर में 2 कम्प्यूटर उपलब्ध कराना।	2019–20	24	1.00	0.09	0.09	जारी है।
82	1815104002	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से और सरकारी वित्त पोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिनीगोठ में 02 शौचालयों का निर्माण।	2019–20	15	5.00	3.99	3.99	जारी है।
83	1815104003	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से और सरकारी वित्त पोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए सरकारी कॉलेज टनकपुर में 02 महिला शौचालयों का निर्माण और नवीनीकरण कार्य।	2019–20	15		0.00	1.97	जारी है।
84	1904153001	स्कूलों के लिए कंप्यूटर की खरीद हेतु।	2019–20	8	3.37	2.86	2.86	कार्य पूर्ण किया गया।
85	1904107002	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ एमओयू के माध्यम से धारगांव प्राइमरी स्कूल, साउथ सिक्किम के क्लास रूम और खेल के मैदान का रखरखाव और उन्नयन।	2019–20	10	6.70	5.66	6.60	कार्य पूर्ण किया गया।
86	1904107003	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ एमओयू के माध्यम से गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल, दलेप–क्यूजिंग, सिक्किम वेस्ट के बहु–उद्देश्यीय एक्टिविटी हॉल का निर्माण और स्कूल में मैदान का विस्तार और फेंसिंग।	2019–20	9	20.67	19.87	19.87	कार्य पूर्ण किया गया।
87	1904107005	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से जारोंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारोंग, सिक्किम वेस्ट में स्कूल गैलरी के लिए शेड का निर्माण।	2019–20	12	10.14	9.39	9.39	कार्य पूर्ण किया गया।
88	1904107006	नए व्यापार की शुरूआत और आईटीआई, गेजिंग वेस्ट सिक्किम में टूल्स और उपस्करों का प्रावधान।	2019–20	13	53.00	29.12	51.12	कार्य पूर्ण किया गया।

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
89	1904107001	'एनएचपीसी छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना' के तहत उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना	2019–20	12	1.44	0.48	0.96	कार्य पूर्ण किया गया।
90	1803107004	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से और सरकारी वित्त पोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए क्षेत्र में अपनी अवसंरचनात्मक सुविधा में सुधार करने के लिए जिला अस्पताल, वेस्ट सिक्किम में चिकित्सा उपस्करों के साथ अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल के उन्नयन के लिए सहायता।	2019–20	15	6.50	1.00	6.50	कार्य पूर्ण किया गया।
91	1712107001	दीर्घकालिक संधारणीयता योजना सहित जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से लेग शिप पर बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण।	2019–20	11	15.75	11.75	15.75	कार्य पूर्ण किया गया।
92	1904111003	रालेप, पूर्व सिक्किम में स्थित क्लब सूर्य दया जन कल्याण समिति को आयोजन के लिए संगीत उपस्कर उपलब्ध कराना।	2019–20	7	1.00	0.92	0.92	कार्य पूर्ण किया गया।
93	1604111002	चंडे में आईटीआई का निर्माण।	2014–15	90	315.50	15.50	315.50	जारी है।
94	1712111002	सीएसआर संधारणीयता के लिए शिक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से लुम गांव, नॉर्थ सिक्किम के शेडा (मैनस्टिक) स्कूल भवन का निर्माण और आश्रम की मरम्मत/पेंटिंग।	2017–18	7	20.17	3.36	20.15	कार्य पूर्ण किया गया।
95	1812111001	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से तीस्ता–V टाउनशिप में और उसके आसपास सार्वजनिक निजी भागीदारी में संधारणीय मोड के साथ 10 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण।	2018–19	7	2.58	2.34	2.34	कार्य पूर्ण किया गया।
96	1812111002	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण।	2018–19	7	5.58	1.83	5.33	कार्य पूर्ण किया गया।
97	1905111001	जिला प्रशासन के सहयोग से आजीविका सृजन एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं वितरण के दौरान सिलाई, बुनाई, फास्ट फूड बनाने एवं कच्चा माल, मशीन एवं सहायक उपस्कर आदि उपलब्ध कराने के संबंध में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण की व्यवस्था	2019–20	2	1.52	–0.03	1.49	कार्य पूर्ण किया गया।
98	1905111001	जिला प्रशासन के सहयोग से आजीविका सृजन एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं वितरण के दौरान सिलाई, बुनाई, फास्ट फूड बनाने एवं कच्चा माल, मशीन एवं सहायक उपस्कर आदि उपलब्ध कराने के संबंध में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण की व्यवस्था	2019–20	6	5.88	1.33	5.81	कार्य पूर्ण किया गया।
99	1815111001	सीएसआर संधारणीयता के लिए, सहयोगी रूप से रखरखाव और अनुरक्षण के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से और सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, सामुदायिक स्थानों, स्कूलों आदि में शौचालयों का निर्माण	2018–19	17	21.45	8.58	21.44	कार्य पूर्ण किया गया।
100	1604114001	तकदाह में इंजीनियरिंग कॉलेज	2016–17	124	350.00	100.00	350.00	जारी है।
101	1612114003	74 धूटा, मुमगपू में रसोई एवं शौचालय के साथ–साथ सामुदायिक हॉल का निर्माण।	2016–17	21	23.43	0.58	22.86	कार्य पूर्ण किया गया।

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
102	1812114003	सीएसआर संधारणीयता के लिए एवं सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से देवराली, तीस्ता घाटी में शौचालय और रसोई घर के साथ सामुदायिक हॉल का निर्माण	2018–19	6	24.06	19.50	24.06	कार्य पूर्ण किया गया।
103	1604118003	तकदाह में इंजीनियरिंग कॉलेज	2016–17	124	350.00	100.00	350.00	जारी है।
104	1812118007	सीएसआर संधारणीयता के लिए एवं सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से शेपखोला गांव में सामुदायिक हॉल का निर्माण।	2018–19	15	12.41	11.71	11.71	कार्य पूर्ण किया गया।
105	1615115003	सार्वजनिक क्षेत्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि में बोरवेल के साथ सुरक्षित पेयजल सुविधाएं, स्थल की आवश्यकता के अनुसार फिल्टरेशन।	2016–17	72	1264.28	24.89	1264.17	जारी है।
106	1614115002	स्कूल प्रबंधन समिति/जिला प्राधिकरण के साथ संधारणीयता योजना के लिए समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्कूलों/सार्वजनिक स्थानों में 143 शौचालयों के अनुमोदित निर्माण का शेष वित्तपोषण।	2016–17	52	404.38	0.45	402.83	जारी है।
107	1915115001	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से 10 आरओ तथा स्वच्छता परिसर।	2019–20	72	59.99	24.76	59.75	जारी है।
108	1704147001	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निष्पादित स्थानीय प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से कौशल विकास का सीएसआर कार्य।	2017–18	42	120.27	100.99	100.99	कार्य पूर्ण किया गया।
109	1712508001	ब्लॉक शाहपुर, आरा (जिला भोजपुर) के विभिन्न गांवों में पीसीसी रोड का निर्माण।	2017–18	39	354.78	32.03	306.81	जारी है।
		ब्लॉक शाहपुर, आरा (जिला भोजपुर) के विभिन्न गांवों में सामुदायिक केंद्र, शौचालय के साथ दो कमरे, छठ घाट, वेंटेड क्रॉसवे, शेड के साथ चबूतरा और एक शौचालय का निर्माण।	2017–18	42	47.00	0.00	0.00	जारी है।
		ब्लॉक शाहपुर, जिला भोजपुर (बिहार) के विभिन्न गांवों में शिक्षा उन्नयन, ग्रामीण अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, स्वच्छता, आजीविका आदि में आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण के बाद आधारभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना।	2017–18	42	211.19	0.00	207.19	जारी है।
110	1804100006	राज्य प्रशासन के माध्यम से जीएसएस और अन्य ग्रामीण विकास परियोजनाओं में जलापूर्ति योजना।	2018–19	15	7.01	7.01	7.01	कार्य पूर्ण किया गया।
111	1704100003	एकल विद्यालय, हिमाचल प्रदेश भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से शिक्षा।	2017–18	24	20.00	20.00	20.00	कार्य पूर्ण किया गया।
112	1904100003	'विकास, नवीनीकरण और उन्नति योजना' के तहत मुंडेरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्नूर में 6 क्लास रूम का निर्माण।	2019–20	24	126.00	126.00	126.00	जारी है।
113	1604100002	टी एंड एचआरडी, सीओ – बैलेंस पेमेंट्स (2018–19) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय (एनएसडीसी और अन्य एसडीटी के माध्यम से) द्वारा अनुमोदित 3000 युवाओं के लिए अन्य स्थानों हेतु रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण।	2016–17	52	149.65	0.00	145.05	जारी है।
114	1804100005	दिव्यांगों और अन्य की आजीविका बढ़ाने (बैलेंस पेमेंट्स 2018–19) के लिए 3000 को एनएसडीसी के माध्यम से और 1000 को अन्य कौशल विकास एजेंसी अर्थात एनएचएफडीसी/केवीआईसी के माध्यम से परियोजना परिधि से परे रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण (25 किलोमीटर तक)	2018–19	36	702.94	129.12	702.94	जारी है।

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
115	1803100001	सीपीएसयू–अलिमको के माध्यम से बारामूला जिले (जम्मू व कश्मीर) में चयनित लाभार्थियों को कृत्रिम अंगों, क्लच और व्हील चेयर के निःशुल्क वितरण के लिए ऑर्थोपेडिक शिविर।	2018–19	36	25.00	0.00	0.00	जारी है।
116	1803100004	अलीमको के माध्यम से चंबा जिले में दिव्यांगों को सहायता और उपस्करों के वितरण के लिए एनएचपीसी की सीएसआर पहल के तहत परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव।	2018–19	32	22.45	0.00	0.00	जारी है।
117	1615100007	ईईएसएल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 2 सेट पीवीसी कूड़ेदानों की आपूर्ति, संस्थापना और अनुरक्षण।	2018–19	18	576.00	137.71	575.71	कार्य पूर्ण किया गया।
118	1612100004	ईईएसएल (बैलेंस पेमेंट) के माध्यम से जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश के बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी आधारित सोलर पब्लिक लाइटिंग (हाई मस्ट) और सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन।	2016–17	78	253.15	53.94	251.75	जारी है।
119	1812100003	जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में भारतीय सहकारी ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण (श्री हरीश द्विवेदी, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित)।	2018–19	18	55.50	13.50	54.00	कार्य पूर्ण किया गया।
120	1805100002	नूतन प्रयत्न के माध्यम से हरियाणा के मेवात क्षेत्र में समाज के वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए "पैड वुमन" मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और आजीविका कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान के लिए परियोजना प्रस्ताव अनुरोध (नीति आयोग/डीपीई द्वारा अभिचिन्हित महत्वाकांक्षी जिले में से एक)	2018–19	30	14.00	3.50	11.76	जारी है।
121	1805100003	एसपीवाईएम के साथ परियोजना संधारणीयता के लिए एमओयू के माध्यम से सहयोगी मोड के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और आजीविका वृद्धि हेतु 115 आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग योजना के तहत हथिनी ब्लॉक (मेवात, हरियाणा) में 01 सेनेटरी नैपकिन यूनिट की स्थापना।	2018–19	17	14.00	1.96	13.96	कार्य पूर्ण किया गया।
122	1806100001	फरीदाबाद जिले (हरियाणा) के विभिन्न ग्रामीण गांवों में 12 वाट एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना – सीएसआर संधारणीयता के लिए और मैसर्स ईईएसएल के माध्यम से सरकारी वित्तपोषण के अतिव्यापन से बचने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से 450 अनुमोदित डीपीआर और समझौता ज्ञापन	2018–19	12	78.72	47.96	78.68	कार्य पूर्ण किया गया।
123	1806100003	सीपीएसयू, मैसर्स आरईआईएल के माध्यम से बिजनौर संसदीय क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट (12 वाट) उपलब्ध कराना (श्री कुंवर भारतेंद्र सिंह, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित)।	2018–19	32	42.51	0.94	42.43	जारी है।
124	1806100004	उत्तर प्रदेश राज्य उपक्रम, यूपीएसआईसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में सोलर हाई मास्ट लाइट (4x18 वाट) उपलब्ध कराने का अनुरोध (श्रीमती अनुप्रिया पटेल, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित)	2018–19	30	45.00	12.22	12.22	जारी है।
125	1806100005	सीपीएसयू, मैसर्स आरईआईएल के माध्यम से बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट (12 वाट) की संस्थापना का प्रस्ताव (श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित)।	2018–19	18	42.51	0.94	42.43	जारी है।

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	संसूचित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण/चल रही परियोजना की स्थिति
126	1906100001	सीएसआर के तहत यूपीएसआईसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में 500 सोलर लाइट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।	2019–20	12	50.00	0.00	0.00	जारी है।
127	1813100001	सीएसआर से संबंधित वार्षिक रिपोर्टों, नीतियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकाशन।	2018–19	3	2.40	0.00	0.90	कार्य पूर्ण किया गया।
128	1904100001	हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांग छात्रों की आवाजाही के लिए बस सेवा प्रदान करने के लिए सहयोगी रूप में सीएसआर सहायता।	2019–20	3	10.00	9.00	9.00	जारी है।
		कुल जोड़			9182.75	2280.21	8070.40	

अनुबंध-VII

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड,

हमने **एनएचपीसी लिमिटेड**, (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया था।

सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश –

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का इश्यू तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(ङ) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014।

(vi) कंपनी पर लागू होने वाले अन्य विशिष्ट लागू कानूनों के अंतर्गत अनुपालन/प्रक्रिया/प्रणाली पर कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत आवधिक प्रमाण–पत्र के आधार पर विश्वास किया जा रहा है।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी समय–समय पर यथासंशोधित सचिवालयी मानक – सामान्यतः अनुपालन किया गया है।

(ii) सूचीकरण समझौता और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015)।

(iii) सीपीएसई हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित अभिमत के अधीन है:

क्रम सं.	अर्हता/अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
1.	*भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार, निदेशक मंडल की संरचना में वित्तीय वर्ष 01.04.2020 से 31.03.2021 के लिए महिला स्वतंत्र निदेशक तथा महिला निदेशक शामिल नहीं थी।*	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 34 के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति से संबंधित मामले का प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय से नियमित रूप से अनुवर्तन किया जा रहा है।
2.	*भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसार, कम्पनी के निदेशक मंडल में वित्तीय वर्ष 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक जनशक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।*	
3.	*भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख), लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, 01.04.2020 से 07.09.2020 की अवधि के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी और 08.09.2020 से 31.03.2021 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, 08.09.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान परिणामी गैर–अनुपालना हुई।*	
4.	*कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, 177 और 178, सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 18, 19, 20 और 21 और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अध्याय 4 और 5 के अनुसार, कंपनी में 08.09.2020 से 20.03.2021 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और 08.09.2020 से 12.01.2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति और 08.09.2020 से 31.03.2021 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं है।*	निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण उल्लिखित अवधि के दौरान अपनी अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन नहीं किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लंबित होने के कारण, निदेशक मंडल ने दिनांक 13.01.2021 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से अपनी जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया है। निदेशक मंडल ने दिनांक 21.03.2021 को आयोजित अपनी बैठक में निगमित अभिशासन के लिए सेबी एलओडीआर, कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के पर्याप्त अनुपालन हेतु मौजूदा गैर–स्वतंत्र निदेशकों के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति को छोड़कर अपनी अन्य अनिवार्य समितियों का भी पुनर्गठन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यकारी निदेशक, गैर–कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित नहीं था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सामान्यतः सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले पर्याप्त रूप से भेजे जाते है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

सामान्यतः बोर्ड/समिति बैठकों में सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की एकमत सहमति से लिए गए थे।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग तथा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर व्यापक प्रभाव होने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई है।

हम आगे सूचित करते हैं कि नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17, 18, 19, 20 और 21 के तहत गैर–अनुपालन हेतु मौद्रिक जुर्माने लगाए हैं जिनके विरुद्ध कंपनी ने प्रत्युत्तर और छूट अनुरोध दायर किए हैं। बीएसई लिमिटेड ने दिनांक 24 सितंबर, 2020 और 19 अप्रैल 2021 के ई–मेल द्वारा क्रमशः 30 जून, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 (विनियम 21 को छोड़कर) को समाप्त तिमाही तक जुर्माने की छूट की सूचना दी है।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड : पी2003डीई049100
समकक्ष समीक्षा प्रमाण–पत्र सं.: 626/2019

हस्ता./–
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.07.2021
यूडीआईएन : एफ005774सी000624513

टिप्पणीः इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो ''अनुबंध–क'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुबंध–क

सेवा में,
सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड,

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयी रिकार्ड का रख–रखाव कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे समक्ष लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, इन सचिवालयी अभिलेखों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवालयी रिकार्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा परिपाटियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयी रिकार्डों में सही तथ्यों को दर्शाया जा सके। हम मानते है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा परिपाटियों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखाबहियों की सटीकता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले शामिल किए गए अभिमतों/ टिप्पणियों/कमजोरियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहां–कहीं अपेक्षित हो हमनें कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. कारपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रियाओं तथा अनुपालन तंत्र के मौजूद होने या न होने पर अपना मत व्यक्त करने तक सीमित थी।

6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

7. लॉकडाउन/आवागमन पर प्रतिबंध और कोविड–19 के कारण देश में मौजूदा परिस्थितियों ने कंपनी के अभिलेखों/दस्तावेजों के वास्तविक सत्यापन को प्रभावित किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड : पी2003डीई049100
समकक्ष समीक्षा प्रमाण–पत्र सं.: 626/2019

हस्ता./–
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.07.2021

अनुबंध-VIII

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचडीसी लिमिटेड,
सीआईएन : U31200MP2000GOI014337
एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोका,
श्यामला हिल्स, भोपाल – 462013 (मध्य प्रदेश)।

महोदय,

हमने एनएचडीसी लिमिटेड, (जिसे इसके बाद "कंपनी" कहा गया है), एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने मुझे कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया था।

सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर, हम एतदद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार, और वर्ष 2020–21 हेतु वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अध्यधीन, कम्पनी ने 31 मार्च, 2021 (लेखापरीक्षा अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करने वाली अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

i) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;

iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित विनियम और दिशा–निर्देश (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

v) हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस–1) और सामान्य बैठकें (एसएस–2) से संबंधित सचिवालयी मानक।

I. स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

II. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया हैं।

जांच करने के बाद हम आगे सूचित करते हैं कि निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर ली गई विभाग प्रमुखों तथा कंपनी सचिव की त्रैमासिक रिपोर्टों और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इस पर लागू होने वाले सभी केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय कानूनों/नियमों/विनियमों का अनुपालन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि :–

- एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है और सभी निदेशक संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल का महिला निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों के साथ विधिवत गठन किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले पर्याप्त रूप से भेजे जाते है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

- बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और उन्हें निदेशक मंडल और बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृतों, जैसा भी मामला हो, में दर्ज किया जाता है, और विमत वाले सदस्य के मत कार्यवृत के भाग के रूप में दर्ज किए जा सकते है, भले ही समीक्षाधीन अवधि में ऐसा कोई अवसर नहीं था।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य नियमों और विनियमों/दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न नीतियां बनाई हैं और इन्हें अपनाया है जो निम्नानुसार हैः

- संबंधित पक्षकार नीति;
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति;
- सतर्कता तंत्र नीति;
- जोखिम प्रबंधन नीति; तथा
- निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता और जहाँ भी आवश्यकता हो, उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर रखा गया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इस संबंध में परियोजनाओं पर सभी परियोजना प्रमुखों और कारपोरेट स्तर पर विभागों के प्रमुखों से त्रैमासिक/वार्षिक अनुपालन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक प्रणाली विकसित की गई है। हमें यह भी सूचना दी गई है कि एनएचडीसी के वित्त प्रभाग ने सेबी के दिनांक 18.12.2019 के परिपत्र के संगत खंड (खंडों) की प्रयोज्यता के संबंध में एनएचडीसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित किया है।

कृते **एम. एम. चावला एण्ड एसोसिएटस**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड : पी2003डीईओ49100
समकक्ष समीक्षा प्रमाण–पत्र सं.: 626/2019

हस्ता./–
एम. एम. चावला
भागीदार
एफसीएस सं. : 67
सीपी सं. : 716
पीआर : 552/2017
यूडीआईएन : एफ000067सी000495331

स्थान : भोपाल
दिनांक : 22.06.2021

अनुबंध-IX

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यगण,

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

मत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल है, और यह उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य विवरणात्मक टिप्पणियां (जिसे एतद्पश्चात ''वित्तीय विवरण'' कहा गया है) सहित है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षानुसार सूचना को दर्शाते है और 31 मार्च, 2021 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति, और उसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण की हमारे लेखापरीक्षा के लिए संगत नैतिक अपेक्षाओं सहित हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरण की हमारी समग्र लेखापरीक्षा और उन पर हमारा मत बनाने के संदर्भ में हल किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग मत प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों हेतु नीचे उल्लिखित मामलों का निर्धारण किया है।

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
1.	**विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेषों और टैरिफ अधिसूचना लंबित होने पर राजस्व का प्रोद्भवन** वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 14 में दिए गए अनुसार, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 7063.31 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 तक 6836.22 करोड़ रुपए) विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेषों में हैं। इसमें सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में टिप्पणी 34(22क) में निर्दिष्ट किए अनुसार कार्य रोके जाने की तिथि अर्थात 16.12.2011 से 30.09.2019 तक की अवधि तक के लिए इससे संबंधित ब्याज लागत और अन्य आरोप्य व्ययों के कारण कुल 3470.59 करोड़ रूपए के प्रोद्भवन शामिल हैं।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के मूल्य के वहन करने की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैः** • आय के प्रोद्भवन और उनके प्रति वसूली योग्य राशियों के निर्धारण हेतु प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन तथा प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता को समझना तथा उनका परीक्षण करना। • सीईआरसी विनियमों के अनुरूप वसूली योग्य राशि को प्राप्त करना तथा समझना और ऐसे आकलनों हेतु प्रबंधन द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के मद्देनजर तत्संबंधी आकलन, परीक्षण और तर्कसंगतता का मूल्यांकन।

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
	कंपनी के प्रचालनरत क्रियाकलाप सेवा विनियमों की लागत के अध्यधीन हैं जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु प्रभारित टैरिफ अनुमेय पूंजी तथा अन्य लागत एवं व्ययों और उसके प्रति निर्धारित प्रतिफल पर आधारित होता है। विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेष लागू विनियामक ढांचे के तहत विनियामक की वास्तविक अथवा अपेक्षित कार्रवाई के परिणामस्वरूप कंपनी के भावी आर्थिक लाभ की संभावना के संबंध में अनुमानों और अवधारणाओं के आधार पर बिना छूट के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं और इसलिए इनकी वसूली टैरिफ विनियमों और संबंधित अनुमोदनों एवं अधिसूचनाओं पर निर्भर है। उपरोक्तानुसार किए गए प्रोदभवन उस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण और प्रोपराइटरी है जिसमें कंपनी प्रचालनरत है। विशिष्ट अधिसूचना और दर–निर्धारण के अभाव में, ये प्रबंधन की मान्यताओं तथा अनुमानों पर आधारित हैं जो सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने और परियोजनाओं के प्रचालनों के प्रारंभ होने के अध्यधीन हैं।	• उक्त में सीईआरसी दिशा–निर्देशों का मूल्यांकन और विगत में कंपनी द्वारा किए गए दावे की स्वीकृति तथा विभिन्न कारणों से वि–अनुमेय किए जाने की प्रवृत्ति और प्रबंधन द्वारा तत्संबंधी पालन और अनुपालन तथा दी गई स्थिति और व्यापार परिवेश में ली गई मान्यताओं हेतु तर्क शामिल है। • सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के मामले में नकदी उत्पादक यूनिट टिप्पणी 34(18) के मूल्य पर पहुंचने के लिए प्रबंधन द्वारा मानी गई विभिन्न मान्यताओं तथा प्रगतिधीन परियोजना और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों के वहनीय मूल्य के संबंध में तत्संबंधी पर्याप्तता का मूल्यांकन। • भारतीय लेखा मानक 114 के प्रावधानों के अनुप्रयोग का मूल्यांकन, विनियामक आस्थगन शेषों की मान्यता के लिए आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित गतिविधियों के लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी। • कंपनी द्वारा अपनाई गई मान्यता प्राप्त राशियों और मापन नीतियों की पर्याप्तता एवं तर्कसंगतता और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसके संबंध में किए गए प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
2	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) की वहनीय राशि का क्षति आकलन** प्रत्येक जल विद्युत उत्पादन संयंत्र को कंपनी की नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) के रूप में माना गया है और उसके हानि संकेतकों एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन टिप्पणी 34(18) में दिए गए अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) और पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंध में किया गया है। यह आकलन किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और विधिक परिवेश, जिसमें कंपनी प्रचालनरत है, में कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, अथवा निकट भविष्य में उसके होने की कोई प्रत्याशा नहीं है। आकलन के आधार पर, कपंनी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्ष 2020–21 के दौरान क्षति हेतु परीक्षण में कंपनी के सीजीयू के संबंध में कोई बड़ी क्षति का संकेतक या क्षति विद्यमान नहीं है। उक्त आकलन के आधार पर, पीपीई अथवा सीडब्ल्यूआईपी के निमित्त क्षति हेतु कोई प्रावधान कंपनी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम क्षति परीक्षण के आधार पर किसी सीजीयू का प्रावधान न किए जाने की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • इंड एएस 38 के अनुरूप कंपनी को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारकों और क्षति के संकेतकों (अथवा तत्संबंधी प्रत्यावर्तन) का महत्वपूर्ण मूल्यांकन; • इस संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं के विश्लेषण द्वारा वसूली योग्य राशि के निर्धारण हेतु सीजीयू के संबंध में प्रयुक्त क्षति मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा में निम्नलिखित शामिल है: - मूल्यांकन को निकालने हेतु पूर्वानुमान के संबंध में सततता और किसी अंतर के संभाव्य प्रभाव का आकलन करना; - मॉडलों में प्रयुक्त मूल्य अवधारणाएं; - नकदी प्रवाह प्रक्षेपण अथवा छूट दर में सीजीयू में निहित जोखिम का पता लगाना। - पूंजी की धारित औसत लागत की मान्यता/अनुमान और प्रयोग में होने वाले मूल्य को निकालने हेतु छूट की दर।

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
	किया गया क्षति व्यवहार जो उपरोक्त के अनुसार निश्चित परिसंपत्तियों की वहनीय राशि को औचित्यपूर्ण बताता है, जिसमें उपरोक्त पैरा 1(क) के अंतर्गत ली गई सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित विनियामक आस्थगन लेखा शेष शामिल हैं, कंपनी के प्रचालनों हेतु महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। क्षति के मूल्यांकन में नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) के उपयोग में मूल्य का आकलन शामिल होता है और इसमें भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमानों, उत्पादन पूर्वानुमान, मात्रा पूर्वानुमान, मूल्य और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय तथा अवधारणाएं आवश्यक होती हैं।	• परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु सरकार की नीति तथा अनुमोदन, बोर्ड के निर्णय और इस संबंध में किए गए प्रयासों तथा उठाए गए कदमों की समीक्षा। • निर्माण की समयावधि, उत्पादन की मात्रा और उनके प्रति प्रत्याशित टैरिफ पर आधारित परिणामी राजस्व के लिए प्रबंधन प्रक्षेपणों पर विश्वास किया गया हैं।
3.	**आकस्मिक देयताएं – संविदाकारों से दावे के प्रति (टिप्पणी 34.1(क)(i))** पूंजीगत कार्यों के प्रति संविदाकारों द्वारा 9893.27 करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न दावे दर्ज किए गए हैं जिसमें 412.91 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए प्रदान की गई है, 9480.36 करोड़ रुपए शेष बचे हैं जिनका प्रकटन आकस्मिक देयता के तहत किया गया है। इसमें माध्यस्थम कार्यवाही और/अथवा न्यायालय के समक्ष मामले शामिल हैं जिनमें निर्णय कंपनी के विरूद्ध आया है, जिसमें से 2709.13 करोड़ रूपए की राशियों को नीति आयोग के निदेशों या अदालती निर्णयों के अनुसार अदा/जमा किया गया है। कंपनी के विरूद्ध किए गए दावे काफी हैं। ये माध्यस्थम अथवा अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है और इसके परिणामी तथा संभावित प्रभाव हैं। प्रावधान/ प्रकटन दायित्व के होने की संभाव्यता के प्रबंधन के आकलन के आधार पर अपेक्षित है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है :** • विधि विभाग से मामले की स्थिति प्राप्त की गई और मामले पर उनका मत जाना; • संविदात्मक निबंधन एवं शर्तों और अभी तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता हेतु प्रबंधन के तर्क तथा कंपनी के प्रति की गई मांगों के एवज में उपलब्ध न करवाई गई शेष राशि का मूल्यांकन किया गया; • प्रबंधन के साथ चर्चा और पत्राचार, ज्ञापनों तथा संबंधित मामलों पर टिप्पणियों का अनुवर्तन करना/उनकी समीक्षा करना। • समान मामलों पर विधिक मतों तथा निर्णयों और अंतिम निर्णय/फैसला लंबित होने तक प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान और उससे उत्पन्न होने वाली देयताओं की संभाव्यता पर विश्वास किया गया है; • इंड एएस 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटन और प्रावधान की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता की समीक्षा।
4.	**31.3.2021 तक सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं और उनके अंतर्गत निर्माण–पूर्व चरण पर किया गया व्यय** टिप्पणी 2.2.2 में दिए गए अनुसार परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने पर 1192.72 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है। इसमें इन परियोजनाओं पर आरोप्य ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागतें शामिल हैं। इसमें से परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति, अनुमोदन के संबंध में अनिश्चितता के कारण 954.58 करोड़ रूपए (वर्ष के दौरान 144.63 करोड़ रूपए सहित) उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 238.14 करोड़ रूपए शेष बचते हैं जिन्हें चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणित किया गया है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम सर्वेक्षण तथा अन्वेषण परियोजनाओं पर किए गए व्यय की राशि को वहन करने के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है :** • प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए सर्वेक्षण और जांच चरण के तहत परियोजनाओं की स्थिति और उन्हें स्थगित रखने का कारण प्राप्त किया। • 238.14 करोड़ रुपए लीविंग करते हुए सर्वेक्षण और जांच परियोजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रकृति को देखते हुए इस तरह के खर्चों के लिए प्रावधान करने/बट्टे खाते में डालने के लिए अपनाई जाने वाली नीति के लिए, (क) खर्चों के लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझना और परीक्षण करना।

	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को हल करना
	इसके अतिरिक्त, चल रहे पूंजीगत कार्य में ऐसी परियोजनाएं भी शामिल है जहां निर्माण क्रियाकलापों को अभी लिया जाना है। ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परियोजनाओं को छोड़ नहीं दिया जाता है, तथापि, ऐसे मामलों में यहां ऊपर दिए गए अनुसार प्रावधान किए जाते हैं, जहां प्रबंधन की दृष्टि से शुरू की गई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में अनिश्चितताएं होती हैं। संबंधित परियोजनाओं को न लिए जाने की स्थिति में, सर्वेक्षण तथा जांच पर किए गए व्यय और तत्संबंधी निर्माण से पूर्व किए गए/आवंटित व्यय, चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।	• अनिश्चितताओं और भविष्य में उसके कार्यान्वयन तथा उसके संभावित आर्थिक प्रयोग विलंब के बावजूद पूंजीगत कार्य के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्रगति पर जारी रखने के संबंध में प्रबंधन के औचित्य का मूल्यांकन करना। • किसी परियोजना का निर्माण से पूर्व अथवा निर्माणाधीन चरण की समयावधि तथा संबंधित परियोजना के प्रत्येक मामले में उसके लिए दिए गए स्थल, आकार एवं प्रकृति के लिए अपेक्षित सामान्य अवधि के प्रबंधन के तर्क का मूल्यांकन करना • व्यवसाय की प्रकृति, जिसमें कंपनी प्रचालनरत है, के तकनीकी और प्रोपराइटरी होने के कारण, मामले पर प्रबंधन के तर्क और प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया गया है।
5.	**आस्थगित कर की मान्यता एवं उसके तत्संबंधी उपयोग का मूल्यांकन।** 2382.61 करोड़ रूपए की एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त पड़ा है जिसे मान्यता नहीं दी गई है। यह दी गई संभाव्य अवधि में कर योग्य लाभ के प्रबंधन के अनुमान और मूल्यांकन के आधार पर है जो ऐसे क्रेडिट के उपयोग किए जाने के प्रति वि वासपरक साक्ष्यों पर आधारित है। इसमें क्षमता विस्तार के लिए भविष्य के पूंजीगत व्यय सहित पूर्वानुमान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय अंतर्ग्रस्त है जो मूर्त रूप दिए जाने पर काफी भिन्न हो सकते है।	• **हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम अप्रयुक्त एमएटी क्रेडिट को मान्यता नहीं दिए जाने के औचित्य के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • कराधान से संबंधित कंपनी के नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता को समझना और उसकी जांच करना और आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहनीय राशि का मूल्यांकन करना। • अप्रयुक्त एमएटी क्रेडिट से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में कम्पनी की लेखांकन नीति और ऐसी नीति में अपेक्षित बदलाव के लिए चालू वर्ष के घटनाक्रम, यदि कोई हो, तथा इनके प्रति प्रबंधन विचार की समीक्षा करना। • कंपनी द्वारा तैयार आंतरिक पूर्वानुमान और भावी कर योग्य आय पूर्वानुमानों के आधार पर कंपनी को विधिक रूप में उपलब्ध कर क्रेडिट पात्रता का मूल्यांकन करना। • आस्थगित कर परिसंपत्तियों के उपयोग की संभाव्यता की औचित्यपरक स्थिति के निर्धारण के उद्देश्य से लगाए गए अनुमानों की संगतता एवं व्याप्त अनिश्चितता तथा विवेक के उपयोग की समीक्षा करना। • विनियामक व्यवस्था, जिसके तहत कंपनी संचालित होती है, से संबंधित निहितार्थ तथा वर्तमान विनियामक प्रावधानों के तहत एमएटी क्रेडिट के संभावित उपयोग और वित्तीय विवरण पर प्रभाव जिससे ऐसी संपत्तियों के सृजन से विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेष का समायोजन/प्रत्यावर्तन हो जाता है, की समीक्षा करना। • वित्तीय विवरण में किए गए प्रकटन की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

अन्य सूचना के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर उल्लिखित अन्य सूचना हमें इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाए जाने की प्रत्याशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना को भाामिल नहीं करता है और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते है।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर ऊपर अभिचिन्हित अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरण के साथ या लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए गए हमारे ज्ञान से वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर उल्लिखित अन्य सूचना पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई वास्तविक मिथ्या कथन है, तो हमें प्रशासन के प्रभार होने वालों को संप्रेषित करना और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्रवाइयों का वर्णन करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कार्यों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ अथवा हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पाादन), कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने हेतु इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और वास्तविक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, गोइंग कन्सर्न से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटन करने और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उसके उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि लेखांकन संबंधी मानक (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वास्तविक मिथ्याकथन का पता लगाएगी। मिथ्याकथन .धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और तब वास्तविक मानी जाती है, जब वे, यदि, पृथक रूप से या कुल मिलाकर, इन एकल वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकते हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों की वास्तविक मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति प्रत्युत्तर वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक मिथ्याकथन विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्याकथन, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद होने तथा उन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या स्थितियों से संबंधित वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो गोइंग कन्सर्न के रूप में बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होता है या, यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कन्सार्न बने रहना प्रभावित हो सकता है; और
- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो निष्पक्ष प्रकटन देते हो, का मूल्यांकन करना।

वास्तविकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो पृथक रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन; और (2) एकल वित्तीय विवरणों में अभिचिन्हित किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र और समय और हमारे द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अभिचिन्हित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध मत संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें ऐसे सभी संबंध तथा अन्य मामलों की सूचना देते है जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों पर प्रभाव डाल सकते हो।

शासन के प्रभारी होने वालों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को रोकते हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से तर्कसंगत रूप से अधिक होंगे।

अन्य मामले

i. चल रही कोविड–19 महामारी और हाल ही में प्रभावित मामलों की संख्या में वृद्धि और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, प्रबंधन द्वारा डिजिटल माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए लेखाबहियों/अभिलेखों और आवश्यक दस्तावेजों/सूचनाओं की सुदूर पहुँच के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यविधि की गई थीं। तदनुसार, संगत और समर्थक दस्तावेज यद्यपि ई–फॉर्म में उपलब्ध हैं, तथापि इन्हें प्राथमिक और मूल रूप में हमारे द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

ii. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी के तत्कालीन संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। उनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी और उन्होंने 27 जून, 2020 की अपनी रिपोर्ट द्वारा एक अपरिवर्तित मत व्यक्त किया था। इन वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के लिए शामिल किए गए आंकड़ों और अन्य सूचनाओं पर विश्वास किया गया है।

उपरोक्त पैरा i और ii में उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

i. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संबंध में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा यथाअपेक्षित, हम आदेश, लागू सीमा तक, के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित मामलों के संबंध में ''अनुबंध–क'' में विवरण देते हैं।

ii. कंपनी की लेखाबहियों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क्रम सं.	निदेश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ लेखे की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, सभी लेखांकन लेनदेन कंपनी द्वारा कार्यान्वित ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। अवधि के अंत में वित्तीय विवरण ईआरपी प्रणाली से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफ़लाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमने अपनी लेख परीक्षा प्रक्रिया के दौरान ऐसे किसी भी लेखांकन लेनदेन को पाया हैं, जिसके वित्तीय प्रभाव के साथ लेखाओं की अखंडता पर प्रभाव होते हो, जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए हैं।
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/ कर्ज/ ब्याज इत्यादि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित रुप से पता लगाया जाता है?	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण की किसी पुर्नगठन अथवा ऋण/कर्ज/ ब्याज इत्यादि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि)/प्राप्य को उनके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रुप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी ने स्कीम की निबंधन और शर्तों के अनुसार केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का लेखांकन और उपयोग किया है।

iii. उपर्युक्त पैराग्राफ में संदर्भित हमारी टिप्पणियों तथा अनुबंध के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित बहियां रखी गई है, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में, वर्णित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और कंपनी की इक्विटी में किसी परिवर्तन का विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते है।

(घ) हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

(ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के संदर्भ में, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

(च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में ''अनुबंध ख'' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता पर एक असं ोधित मत व्यक्त करती है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम अपनी राय तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रस्तुत करते हैं कि:

i) कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है – एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 1 देखें;

ii) कंपनी को व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं के निमित्त कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है और इससे इस संबंध में प्रावधान करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

iv) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	कृते के. जी. सोमानी एंड कं.	कृते लोधा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.: 009487एन	फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.: 006591एन	फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं.: 301051ई
सीए नरेन्द्र मलिक	सीए भुवनेश महेश्वरी	सीए आर.पी.सिंह
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438
यूडीआईएन : 21097008एएएएबीवाई5911	यूडीआईएन : 21088155एएएएएवी3062	यूडीआईएन : 21052438एएएएबीडब्ल्यू9921
स्थान : लुधियाना	स्थान : नई दिल्ली	स्थान : कोलकाता
दिनांक : 10 जून, 2021	दिनांक : 10 जून, 2021	दिनांक : 10 जून, 2021

समसंख्यक तिथि की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''क''

i) (क) कम्पनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कुछ यूनिटों में भूमि को छोड़कर मूर्त स्थिर परिसंपत्तियों को प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से वास्तविक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। कुछ मामलों में बही रिकॉर्ड के साथ वास्तविक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों का मिलान प्रगति पर है। वास्तविक सत्यापन और परिणामी समायोजन में पाई गई विसंगतियों को मिलान के पूरा होने पर सही किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, वे वास्तविक नहीं हैं।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा देखे गए रिकॉर्ड और हमें उपलब्ध करवाए गए स्वामित्व/पट्टा विलेखों के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि स्वामित्व/पट्टा विलेख, जिसमें भूमि और भवन की सभी फ्रीहोल्ड/लीज़होल्ड अचल संपत्तियां शामिल हैं, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर निम्नलिखित को छोड़कर, धारित हैं, जहां कंपनी के पास स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है:

प्रकृति	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	31.3.2021 के अनुसार सकल ब्लाक (करोड़ रूपए में)	31.3.2021 के अनुसार निवल ब्लाक (करोड़ रूपए में)
फ्रीहोल्ड भूमि	190-48	31.60	31.60
उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों सहित पट्टाधारी भूमि	397.21	165.35	145.18
पट्टाधीन भवन	–	–	–

ii) सूचित किए गए अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा माल–सूची, मार्गस्थ माल–सूची को छोड़कर, का वास्तविक सत्यापन किया गया है। यहां तक कि यद्यपि हम इस संबंध में सत्यापन के लिए हमारे द्वारा लागू वैकल्पिक प्रक्रियाओं के आधार पर, मौजूदा स्थिति के कारण आवागमन प्रतिबंधों के कारण सत्यापन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थे, तथापि हमारे मत में और सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पश्टीकरणों के अनुसार, ऐसे प्रमाणीकरण की अपनाई गई प्रकियाएं और आवृत्ति तर्कसंगत हैं। बही रिकार्डों की तुलना में ऐसी माल–सूची के वास्तविक सत्यापन पर पाई गई कमियां वास्तविक नहीं थी और उक्त के साथ लेखाबही में उचित व्यवहार किया गया है।

iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम कंपनी, जो अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल है, में से एक को 12.40 करोड़ रुपए का अप्रतिभूतित ऋण दिया है।

क) हमारे मतानुसार ऐसे ऋण को दिए जाने के निबंधन और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के विपरीत नहीं हैं।

ख) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ऋण के संबंध में, मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों में दिए गए 6 करोड़ रुपए के अप्रतिभूतित ऋण की चुकौती समय–सीमा को और बढ़ा दिया है जो वर्ष के दौरान चुकौती के लिए थी। उपर्युक्त के मद्देनजर, मूल धन तथा ऋण की चुकौती नियमित है।

ग) कंपनी को दिए गए ऐसे ऋण के संबंध में कोई अतिदेय राशि नहीं है

iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी, और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य किसी संगत प्रावधान के अभिप्राय में कोई जमा रा ि ा स्वीकार नहीं की है। अतिदेय अर्जित राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा के संबंध में, प्रबंधन का यह विचार है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु

संविदाओं के निष्पादन के लिए प्रतिधारण राशि की प्रकृति में आपूर्तिकारों/संविदाकारों की अतिदेय अर्जित राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा बहियों में दर्शाए गए हैं और तद्नुसार, उन्हें कंपनी (जमा को स्वीकार करना) संशोधन नियमावली, 2016 के नियम 2, उप नियम (1), खंड (ग) में संशोधन के चलते मानद जमा नहीं माना जाना चाहिए।

vi) हमने ये नियम लागू होने वाले कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रख–रखाव के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबहियों की व्यापक रुप से समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया विहित रिकार्ड को अनुरक्षित रखा गया है। हालांकि हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से उक्त अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही हैं या पूर्ण हैं।

vii) क. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा इन पर यथालागू अन्य वास्तविक सांविधिक देय शामिल है, को सामान्यतः नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है।

ख. 31 मार्च, 2021 को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर, यदि कोई हो, के विवादित बकाया का विवरण इस प्रकार है:

संविधि का नाम	शुल्कों की प्रकृति	राशि (करोड़ रूपए में)	जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है	अभ्यापत्ति के अधीन जमा (करोड़ रूपए में)	फोरम जहां मामला लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.01	2010-11	0	आईटीओ, श्रीनगर
		159.45	2016-17	0	मूल्यांकन अधिकारी, आय कर
बिक्री कर अधिनियम/ वैट अधिनियम	बिक्री कर/ वैट	2.74	2012-13	0	जेसी, सिलीगुड़ी प्रभार
		16.60	2012-13	0	अपीलीय अधिकरण
		16.69	2004-05 से 2011-12	15.29	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी मंडल
		40.24	2013-14 से 2014-15 व 2016-17 से 2017-18	0	अपीलीय अधिकरण
		41.95	2015-16	0	अपील दायर की जानी है।
		215.21	1994-95	0	राज्य कर अधिकारी, जम्मू व कश्मीर
वित्त अधिनियम, 1996	सेवा कर	18.62	2004-05 से 2009-10	1.70	सेसटेट, चण्डीगढ़
		28.58	2008-09 से 2016-17	27.25	सेवा कर अधिकरण, कोलकाता
		101.00	2013-14 से 2017-18	0	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	25.15	2019-20	0	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग

viii) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण–पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

ix) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई राशि नहीं जुटाई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण दस्तावेजों को जारी करके राशि जुटाई है। हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऋण दस्तावेजों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

x) भारत में सामान्य स्वीकृत लेखापरीक्षा परिपाटियों के अनुसार वर्ष के दौरान की गई लेखाबहियों की हमारी जांच के दौरान, हमें न तो कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी वास्तविक धोखाधड़ी की घटना का पता चला है और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

xi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी के एक सरकारी कंपनी होने के चलते प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और अतः आदेश के पैरा 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के प्रावधानों, जहां लागू हों, के अनुपालन में है, और ऐसे लेन–देनों के ब्यौरों को लागू लेखांकन मानक द्वारा यथापेक्षित एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश का खंड 3(xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xv) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इससे संबंधित निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया है। अतः आदेश का पैरा 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) कपंनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 009487एन	कृते के. जी. सोमानी एंड कं. सनदी लेखाकार फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 006591एन	कृते लोधा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 301051ई
सीए नरेन्द्र मलिक भागीदार सदस्यता सं. 097008 यूडीआईएन : 21097008एएएएबीवाई5911	सीए भुवनेश महेश्वरी भागीदार सदस्यता सं. 088155 यूडीआईएन : 21088155एएएएएवी3062	सीए आर.पी.सिंह भागीदार सदस्यता सं. 052438 यूडीआईएन : 21052438एएएएबीडब्ल्यू9921
स्थान : लुधियाना दिनांक : 10 जून, 2021	स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 10 जून, 2021	स्थान : कोलकाता दिनांक : 10 जून, 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''ख''

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ (च) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च, 2021 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में उल्लिखित किए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग ("परामर्शी नोट") के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखापरीक्षा संबंधी मानक माना गया है। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी वास्तविक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई वास्तविक दोष विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गईं प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के इस निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें एकल वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

किसी कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए लेन–देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) एकल वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों से ऊपर सांठ–गांठ या अनुचित प्रबधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वास्तविक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नही भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की स्थिति खराब हो सकती है।

मत

हमारे मत में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी वास्तविक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और यह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा थी, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

अन्य मामले

चल रही कोविड–19 महामारी और हाल ही में प्रभावित मामलों की संख्या में वृद्धि और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, प्रबंधन द्वारा डिजिटल माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए लेखाबहियों/अभिलेखों और आवश्यक दस्तावेजों/सूचनाओं की सुदूर पहुँच के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रक्रम और कार्यविधि की गई थीं। तदनुसार, संगत और समर्थक दस्तावेज यद्यपि ई–फॉर्म में उपलब्ध हैं, तथापि इन्हें प्राथमिक और मूल रूप में हमारे द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

उपरोक्त पैरा i उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 009487एन	कृते के. जी. सोमानी एंड कं. सनदी लेखाकार फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 006591एन	कृते लोधा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म की आईसीएआई पंजीकरण सं. : 301051ई
सीए नरेन्द्र मलिक भागीदार सदस्यता सं. 097008 यूडीआईएन : 21097008एएएएबीवाई5911	सीए भुवनेश महेश्वरी भागीदार सदस्यता सं. 088155 यूडीआईएन : 21088155एएएएएवी3062	सीए आर.पी.सिंह भागीदार सदस्यता सं. 052438 यूडीआईएन : 21052438एएएएबीडब्ल्यू9921
स्थान : लुधियाना दिनांक : 10 जून, 2021	स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 10 जून, 2021	स्थान : कोलकाता दिनांक : 10 जून, 2021

31 मार्च, 2021 के अनुसार एकल तुलन–पत्र

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	01 अप्रैल, 2019 को
परिसंपत्तियां				
(1) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां				
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	2.1	19,163.61	21,463.33	22,940.69
ख) चल रहे पूंजीगत कार्य	2.2	17,754.48	16,097.65	14,898.11
ग) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	2.3	1,752.92	1,826.98	-
घ) निवेश संपत्ति	2.4	4.49	4.49	4.49
ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	3.52	0.72	906.66
च) वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) निवेश	3.1	3,921.68	3,400.74	2,361.66
ii) ऋण	3.2	943.27	798.65	746.41
iii) अन्य	3.3	4,917.27	3,435.91	3,528.67
छ) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	-	138.90	131.95
ज) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	3,560.71	3,035.41	2,028.84
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		**52,021.95**	**50,202.78**	**47,547.48**
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां				
क) माल–सूची	6	124.42	118.24	117.14
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) व्यापार प्राप्य	7	3,206.02	3,585.12	2,326.40
ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8	145.57	8.87	12.04
iii) नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	768.39	380.25	378.59
iv) ऋण	10	48.44	46.03	45.18
v) अन्य	11	2,386.12	2,932.96	2,280.95
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	165.73	127.14	101.41
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	372.08	375.91	307.57
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**7,216.77**	**7,574.52**	**5,569.28**
(3) विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष	14	7,063.31	6,836.22	6,492.61
कुल परिसंपत्तियां और विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष		**66,302.03**	**64,613.52**	**59,609.37**
इक्विटी तथा देयताएं				
(1) इक्विटी				
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,045.03	10,045.03
ख) अन्य इक्विटी	15.2	21,602.28	19,938.78	19,169.70
कुल इक्विटी		**31,647.31**	**29,983.81**	**29,214.73**

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	01 अप्रैल, 2019 को
(2)	**देयताएं**				
	गैर–वर्तमान देयताएं				
क)	**वित्तीय देयताएं**				
	i) ऋण	16.1	21,241.22	20,889.74	17,044.63
	ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	2,054.34	2,059.23	2,058.64
ख)	प्रावधान	17	28.38	27.66	26.82
ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	3,589.36	3,641.19	3,610.63
घ)	अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	19	2,034.60	2,082.65	1,824.98
	कुल गैर–वर्तमान देयताएं		**28,947.90**	**28,700.47**	**24,565.70**
(3)	**वर्तमान देयताएं**				
क)	**वित्तीय देयताएं**				
	i) ऋण	20.1	726.03	714.31	406.00
	ii) व्यापार देय	20.2			
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि		30.94	18.85	15.74
	सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया राशि		170.40	285.41	164.44
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	2,925.62	2,880.07	2,847.26
ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	21	565.85	802.44	1,066.13
ग)	प्रावधान	22	1,252.98	1,228.16	1,329.37
घ)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	35.00	-	-
	कुल वर्तमान देयताएं		**5,706.82**	**5,929.24**	**5,828.94**
	कुल इक्विटी तथा देयताएं		**66,302.03**	**64,613.52**	**59,609.37**
	एकल वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियां	1–35			

टिप्पणीः ऊपर दिए गए अनुसार 31 मार्च, 2020 और 1 अप्रैल, 2019 तक के आंकड़े पुनः उल्लिखित (टिप्पणी संख्या 35) किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08645380	डीआईएनः 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते के. जी. सोमानी एंड कं.**	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006591एन	एफआरएनः 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए भुवने ा महे वरी)**	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 10 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का एकल विवरण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
आय				
i)	प्रचालनों से राजस्व	24.1	8,506.58	8,735.15
ii)	अन्य आय	24.2	1,150.81	1,036.44
	कुल आय		**9,657.39**	**9,771.59**
व्यय				
i)	विद्युत की खरीद – व्यापार	25.1	212.37	234.13
ii)	उत्पादन व्यय	25.2	854.37	901.67
iii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	1,409.26	1,515.52
iv)	वित्त लागत	27	649.59	795.42
v)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	1,234.50	1,545.34
vi)	अन्य व्यय	29	1,425.89	1,514.95
	कुल व्यय		**5,785.98**	**6,507.09**
	आपवादिक मदों, विनियामक आस्थगित लेखा शेषों और करों से पूर्व लाभ		**3,871.41**	**3,264.56**
	आपवादिक मदें	34 (31)	185.00	-
	विनियामक आस्थगित लेखा शेषों और करों से पूर्व लाभ		**3,686.41**	**3,264.56**
	कर व्यय			
i)	वर्तमान कर		714.17	602.40
ii)	आस्थगित कर		(34.04)	(1.40)
	कुल कर व्यय		**680.13**	**601.00**
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में निवल संचलन से पूर्व वर्ष हेतु लाभ			**3,006.28**	**2,663.56**
	विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन (कर का निवल)	31	227.09	343.61
वर्ष के लिए लाभ (क)			**3,233.37**	**3,007.17**
अन्य व्यापक आय (ख)		30.2		
	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
	(क) रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(40.29)	37.51
	घटाएं – परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन		2.87	8.14
	उप जोड़ (क)		**(43.16)**	**29.37**
	(ख) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		47.13	(42.09)
	उप जोड़ (ख)		**47.13**	**(42.09)**
	कुल (i) = (क)+(ख)		**3.97**	**(12.72)**

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (कर का निवल)			
– ऋण दस्तावेजों में निवेश		3.23	12.10
कुल (ii)		**3.23**	**12.10**
अन्य व्यापक आय (ख) त्र (प)+(पप)		7.20	(0.62)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख) (वर्श के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय को भाामिल करते हुए)		**3,240.57**	**3,006.55**
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया)	34 (12)		
(इक्विटी शेयर, 10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)			
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन से पूर्व		2.99	2.65
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन के पश्चात		3.22	2.99
एकल वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियां	1-35		

टिप्पणीः ऊपर दिए गए अनुसार 31 मार्च, 2020 तक के आंकड़े पुनः उल्लिखित (टिप्पणी संख्या 35) किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08645380	डीआईएनः 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते के. जी. सोमानी एंड कं.**	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006591एन	एफआरएनः 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए भुवने ा महे वरी)**	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 10 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल नकदी प्रवाह का विवरण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ		3913.50		3608.17
	घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		227.09		343.61
	कर पूर्व लाभ		**3686.41**		**3264.56**
	जोड़ें:				
	मूल्यह्रास और परिशोधन	1234.50		1545.34	
	वित्त लागत	649.59		795.42	
	प्रावधान (निवल हानि)	220.40		155.17	
	प्रशुल्क समायोजन (हानि)	-		-	
	विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन	50.03		42.94	
	परिसंपत्तियों की बिक्री / बट्टे खाते में डाले गए दावों पर हानि / (लाभ)	8.69		2.51	
			2163.21		2541.38
			5849.62		**5805.94**
	घटाएं:				
	पश्च लेखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	48.38		44.72	
	प्रावधान (निवल लाभ)	21.82		5.22	
	एलडीएचसीएल में पराम ीी सेवाओं का इक्विटी में परिवर्तित समायोजन	2.63			
	लाभांश आय	292.68		489.97	
	विलंब भुगतान अधिभारों सहित ब्याज आय	680.14		421.50	
	विनिमय दर अंतर	34.21		(50.15)	
	उचित मूल्य समायोजन	(0.78)		(1.42)	
	सरकारी अनुदानों का परिशोधन	32.26		29.95	
			1111.34		939.79
	प्रचालनरत परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजनों एवं करों से पूर्व प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**4738.28**		**4866.15**
	प्रचालनरत परिसपंत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन:				
	माल–सूची	(6.26)		(1.33)	
	व्यापार प्राप्य	1167.27		(1842.32)	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	(709.85)		(12.44)	
	अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	(100.79)		(160.87)	
			350.37		
	करों पूर्व प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**5088.65**		**2849.19**
	घटाएं: अदा किया गया कर		578.85		635.08
	प्रचालनरत क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**4509.80**		**2214.11**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	"संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्यों का भाग बनने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) – अनुदान का निवल"		(1763.89)		(2708.71)
	परिसंपत्तियों की बिक्री		0.25		0.52

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	संयुक्त उद्यम में निवेश (लंबित भोयर अनुप्रयोग रा ि ा सहित)	(500.00)	(140.45)
	सहायक कंपनियों में निवेश (लंबित भोयर अनुप्रयोग रा ि ा सहित)	(280.41)	(924.70)
	निवेश की बिक्री से प्राप्तियां	0.40	-
	लाभांश आय	292.68	489.97
	विलंब भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय	743.63	386.39
	निवेश क्रियाकलापों से/में प्रयोग किया गया निवल नकदी प्रवाह (ख)	**(1507.34)**	**(2896.98)**
ग.	**वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		
	लाभांश और अदा किए गए लाभांश पर कर	(1577.07)	(2237.47)
	ऋण से प्राप्तियां	2327.03	5967.71
	ऋण की चुकौती	(2116.14)	(1715.05)
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1495.72)	(1332.22)
	पट्टा देयता की चुकौती	(3.86)	(3.27)
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से/में प्रयोग किया गया निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(2865.76)**	**679.70**
घ.	**नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**136.70**	**(3.17)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	8.87	12.04
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	145.57	8.87

* उक्त नकदी प्रवाह विवरण को इंड एएस 7 – ''नकदी प्रवाह का विवरण'' में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुरूप तैयार किया गया है।

* * ऊपर दिए गए अनुसार 31.03.2020 को समाप्त वर्श के लिए आंकड़े पुनः उल्लिखित किए गए हैं। (टिप्पणी संख्या 35 देखें)

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल हैं। नकदी तथा नकदी समतुल्य का ब्यौरा निम्नवत हैः

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
बैंकों के पास भोश		
अनुसूचित बैंकों के पासः		
– चालू खातों में	145.56	8.86
– जमा खाते में	-	-
(तीन माह से कम मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां)		
हस्तगत नकदी	0.01	0.01
नकदी तथा नकदी समतुल्य	**145.57**	**8.87**

2. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण पूंजीकृत 840.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 462.90 करोड़ रूपए) की ऋण लागत की राशि शामिल है।

3. 31.03.2021 को लिए न गए ऋण की राशि – 475.00 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 925.00 करोड़ रूपए) है।

4. कंपनी ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण नकदी में 76.66 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 122.57 करोड़ रूपए) की राशि का व्यय किया है।

5. **निवल ऋण पुनर्मिलान**

(करोड़ रुपए में)

	31-03-2021	31-03-2020
नकदी और नकदी समतुल्य	145.57	8.87
वर्तमान ऋण	(726.03)	(714.31)
गैर–वर्तमान ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	(23284.83)	(23138.70)
पट्टा देयता	(12.65)	(13.91)
निवल ऋण	**(23877.94)**	**(23858.05)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां	वित्तपोषण क्रियाकलापों से देयताएं			कुल
	नकदी और नकदी समतुल्य	गैर–वर्तमान ऋण (अर्जित ब्याज सहित)	पट्टा देयता	वर्तमान ऋण	
31 मार्च, 2019 को निवल ऋण	**12.04**	**(19234.76)**	**-**	**(406.00)**	**(19628.72)**
01.04.2019 की स्थिति के अनुसार इंड एएस 116 के अंतर्गत मान्यता प्रदत्त पट्टा	-	-	(14.90)	-	(14.90)
नकदी प्रवाह	(3.17)	(3944.34)	3.27	(308.31)	(4252.55)
पट्टा देयता	-	-	(2.28)	-	(2.28)
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(120.23)	-	-	(120.23)
ब्याज व्यय	-	(1320.31)	(1.17)	(15.93)	(1337.41)
अदा किया गया ब्याज	-	1262.20	1.17	15.93	1279.30
उचित मूल्य समायोजन	-	218.74	-	-	218.74
31 मार्च, 2020 को निवल ऋण	**8.87**	**(23138.70)**	**(13.91)**	**(714.31)**	**(23858.05)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अन्य परिसंपत्तियां	वित्तपोषण क्रियाकलापों से देयताएं			कुल
	नकदी और नकदी समतुल्य	गैर–वर्तमान ऋण (अर्जित ब्याज सहित)	पट्टा देयता	वर्तमान ऋण	
31 मार्च, 2020 को निवल ऋण	**8.87**	**(23138.70)**	**(13.91)**	**(714.31)**	**(23858.05)**
नकदी प्रवाह	136.70	(199.17)	3.86	(11.72)	(70.33)
पट्टा देयता	-	-	(2.60)	-	(2.60)
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	49.71	-	-	49.71
ब्याज व्यय	-	(1448.92)	(1.10)	(2.13)	(1452.15)
अदा किया गया ब्याज	-	1431.29	1.10	2.13	1434.52
उचित मूल्य समायोजन	-	20.96	-	-	20.96
31 मार्च, 2021 को निवल ऋण	**145.57**	**(23284.83)**	**(12.65)**	**(726.03)**	**(23877.94)**

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08645380	डीआईएनः 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते के. जी. सोमानी एंड कं.**	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006591एन	एफआरएनः 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए भुवने ा महे वरी)**	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 10 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		–
31 मार्च, 2021 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय		
	पूंजी मोचन आरक्षित	बॉण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज	कुल
1 अप्रैल, 2020 को शेष	**2,255.71**	**1,948.38**	**9,724.72**	**5,933.58**	**42.18**	**34.21**	**19,938.78**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	3,233.37	-		3,233.37
अन्य व्यापक आय	-	-	-	(43.16)	3.23	47.13	7.20
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	-	-	**3,190.21**	**3.23**	**47.13**	**3,240.57**
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अधि ेाश/प्रतिधारित अर्जन में अंतरित राशि	-	(306.43)		306.43			-
अदा किया गया लाभांश	-	-		(1,577.07)			(1,577.07)
31 मार्च, 2021 को शेष	**2,255.71**	**1,641.95**	**9,724.72**	**7,853.15**	**45.41**	**81.34**	**21,602.28**

आरक्षित की प्रकृति और उद्देश्य के लिए टिप्पणी संख्या 15.2.1 देखें।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08645380	डीआईएनः 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते के. जी. सोमानी एंड कं.**	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006591एन	एफआरएनः 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए भुवने ा महे वरी)**	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 10 जून, 2021

31 मार्च, 2020 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		—
31 मार्च, 2020 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					अन्य व्यापक आय		
	पूंजी मोचन आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष / प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी दस्तावेज	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेष	**2,255.71**	**-**	**2,193.35**	**9,724.72**	**4,889.54**	**30.08**	**76.30**	**19,169.70**
वर्ष हेतु लाभ	-	-	-	-	3,007.17	-	-	3,007.17
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	29.37	12.10	(42.09)	(0.62)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,036.54**	**12.10**	**(42.09)**	**3,006.55**
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अधि ोश / प्रतिधारित अर्जन में अंतरित राशि	-	-	(244.97)	-	244.97	-	-	-
अदा किया गया लाभांश	-	-	-	-	(1,938.69)	-	-	(1,938.69)
लाभां ा पर कर	-	-	-	-	(298.78)	-	-	(298.78)
31 मार्च, 2020 को शेष	**2,255.71**	**-**	**1,948.38**	**9,724.72**	**5,933.58**	**42.18**	**34.21**	**19,938.78**

आरक्षित की प्रकृति और उद्देश्य के लिए टिप्पणी संख्या 15.2.1 देखें।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

सौरभ चक्रवर्ती
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन

(सीए नरेन्द्र मलिक)
साझेदार
सदस्यता सं. 097008

कृते के. जी. सोमानी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 006591एन

(सीए भुवने ा महे वरी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

कृते लोढ़ा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 301051ई

(सीए आर. पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 10 जून, 2021

टिप्पणी संख्या – 1: कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(I) रिपोर्टिंग कंपनी

एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित तथा शेयरों (सीआईएनः L40101HR1975GOI032564) द्वारा लिमिटेड एक कंपनी है। कंपनी के शेयर भारत में नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएसई) बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं और खरीदे–बेचे जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003 है। कंपनी मुख्यतः विद्युत उत्पादन और विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को थोक विद्युत की बिक्री में लगी हुई है। अन्य व्यापार, जिसमें कंपनी लगी हुई है, में परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य सेवाएं और विद्युत का व्यापार शामिल है।

(II) तैयार करने का आधार

(क) अनुपालन का विवरण

इन एकल वित्तीय विवरणों को लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 10 जून, 2021 को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित केः

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया है।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

ऐतिहासिक लागत नकद या नकद समतुल्य की राशि है अथवा उनके अधिग्रहण के समय परिसंपत्तियां अधिग्रहित करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य है अथवा दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, अथवा नकद या नकद समतुल्य की अपेक्षित राशि पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति की बिक्री से प्राप्त होता है अथवा मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच किसी दायित्व के अंतरण के विधिवत लेन–देन के प्रति अदा किया जाता है।

(ग) नए और संशोधित मानकों के अनुप्रयोग

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2020 अधिसूचित की है जिसमें मौजूदा भारतीय लेखांकन मानकों में कतिपय संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के प्रभाव को नीचे प्रकट किया गया हैः

i) **इंड एएस 1– वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरणः** कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2020 ने इंड एएस 1 के तहत "वास्तविकता" की परिभाषा में संशोधन किया है। परिणामी संशोधन इंड एएस 8– लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन, इंड एएस 10– संसूचित अवधि के बाद क्रियाकलाप, इंड–एएस 34–अंतरिम वित्तीय संसचूना और इंड–एएस 37– प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों में भी किए गए हैं। तथापि, इसका वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

ii) **इंड एएस 116–पट्टाः** कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2020 पट्टेदारों को, एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, यह आकलन करने की अनुमति नहीं देती है कि क्या किराया रियायतें जो कोविड–19 महामारी के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में होती हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं, पट्टा संशोधनों और, इसके स्थान पर, उन किराया रियायतों के लिए, जब वे लेखे में पट्टा संशोधन के रूप में नहीं थे। तथापि, इसका वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

iii) **इंड एएस 103–कारोबार संयोजनः** कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली ने 'कारोबार' की परिभाषा में संशोधन किया है, जिसके तहत ग्राहकों को दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक कारोबार के रूप में माने जाने के लिए, कार्यकलापों और परिसंपत्तियों के एक एकीकृत सेट में कम से कम, एक

इनपुट और एक मूलभूत प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए जो कुल मिलाकर परिणाम के सृजन की सक्षमता में महत्वपूर्ण योगदान दे। तथापि इसका वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

iv) अन्य मानकों में संशोधन/संशोधन या तो लागू नहीं होते हैं या वित्तीय विवरणों पर उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

(घ) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय राष्ट्रीय रूपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। सभी वित्तीय सूचना को भारतीय राष्ट्रीय रूपए में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रूपए (2 दशमलव तक) तक, जहां इसे अन्यथा दर्शाया गया है को छोड़कर, इसे पूर्णांकित किया गया है।

(ङ) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन–पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हों। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में सूचना जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर काफी प्रभाव हो, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है:

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) पट्टा

यदि कोई व्यवस्था इंड एएस 116 – पट्टे की अपेक्षाओं के अनुसार पट्टा मानी जाती है तो कम्पंनी उसका उसका मूल्यांकन करती है। एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को राशि के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, एक कंपनी यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के लिए ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हैं अथवा नहीं:–

क. अभिचिन्हित परिसम्पति के उपयोग से सभी सारभूत आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार; तथा

ख. अभिचिन्हित परिसम्पति के उपयोग को निदेशित करने का अधिकार।

अभिचिन्हित परिसम्पति के उपयोग के नियंत्रण के लिए, ग्राहक के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान सारभूत रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना अपेक्षित है। यदि ग्राहक के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पति के उपयोग की विधि एवं परिसम्पति के उपयोग का उद्देश्य निदेशित करने का अधिकार है तो ग्राहक को अभिचिन्हित परिसम्पति का उपयोग, पूर्ण अवधि के दौरान, निदेशित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

कम्पनी पट्टा अवधि (प्रत्याशित नवीकरण सहित) तथा लागू छूट दर के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय का भी प्रयोग करती है।

कम्पनी पट्टे की अवधि का निर्धारण पट्टे की गैर–निरस्तीकरण अवधियों, जो वैकल्पिक रुप से पट्टे के विस्तार के लिए शामिल की गई हैं, के संबंध में निर्धारण, यदि कम्पनी औचित्यपरक रूप से इस विकल्प का उपयोग करना चाहती है, किया जाता है, तथा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प के रूप में शामिल की गई अवधियों के साथ, यदि कम्पनी इस विकल्प का उपयोग औचित्यपरक कारणों से करना चाहती है, किया जाता है। कम्पनी द्वारा ऐसा निर्धारण करने के लिए, क्या किसी पट्टे के विस्तार अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उन सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लिया जाता है जो पट्टे को विस्तारित करने के विकल्पं का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग न करने की स्थितियों के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों के सृजन से जुड़ी हुई हैं। यदि पट्टे की गैर–निरस्तीकरण अवधियों में कोई परिवर्तन होता है तो कम्पनी पट्टा काल में संशोधन करती है।

छूट दर वह दर है जो मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे अथवा समान विशिष्टताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर से सम्बद्ध है।

कंपनी लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय करार करती है। विद्युत क्रय करार (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल का एक प्रमुख भाग के लिए है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के सभी वास्तविक उचित मूल्य को वित्त पट्टे के रूप में माना जाता है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालनरत पट्टा माना जाता है। वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टों के लिए विद्युत स्टे ान में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के बीच आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालनरत पट्टों के मामले में, प्रचालनरत पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोंजें) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख–रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परिसंपत्तियों, निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल के अनुरूप हैं और मोबाइल फोन को जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार हैं को छोड़कर, के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के भाग–ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार किया जाता है

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और चल रहे पूंजीगत कार्यों और अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और चल रहे पूंजीगत कार्यों और अमूर्त परिसंपत्तियों, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भावी नकदी प्रवाहों के मामले में, की वसूलीयोग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन से वसूलीयोग्य राशि के मापन पर काफी प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभ दायित्वों को बीमांकित मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा आहरण दर और छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। कंपनी यह मानती है कि इसके दायित्वों के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी परिकलनों पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) राजस्व

कंपनी विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार, सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, वहां लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, जहां लागत अनुमानों में संशोधन के कारण टैरिफ लंबित हैं, वहां टैरिफ का परिकलन सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत निर्धारित मापदंडों और कार्यपद्धतियों के आधार पर किया जाता है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सीईआरसी को आवेदन किए जाने पर राजस्व की अनुमानित राशि को मान्यता दी जाती है जो इस सीमा तक होती है कि इसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्रदान किए गए राजस्व में कोई नीचे की ओर समायोजन नहीं होगा।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में लिए गए मूल्यांकन इंड एएस 37 – "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमान अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य राशि

कंपनी के प्रचालनरत क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अध्यधीन हैं जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यह्रास, निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएएपी) और इंड एएस 114 "विनियामक आस्थगित लेखे" किसी कंपनी को दर आधार में, स्व–निर्मित (मूर्त) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर अथवा आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यथा इंड एएस के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती। कंपनी अनुमान लगाती है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आस्थगित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार वसूलीयोग्य हैं। तथापि, इन राशियों की वसूलनीयता सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने और/अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियमों में मौजूदा टैरिफ अवधि के अतिरिक्त परिवर्तन के अध्यधीन है।

ज) व्यापार प्राप्य की क्षति

व्यापार प्राप्य हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा व्यापार प्राप्यों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में, पहले से प्रावधान की गई सीमा तक को छोड़कर, हानि की परिकल्पना नहीं करती है।

झ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और कंपनी के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूलीयोग्य राशि के मापन पर वास्तविक प्रभाव हो सकता है।

ञ) वसूलीयोग्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य में क्षति के संबंध में बीमा दावे की वसूलीयोग्य राशि बीमा नीतियों की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा अवधारणाओं पर आधारित है।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत तरीके से लागू किया गया है। इन लेखांकन नीतियों को ऐसे तरीके से तैयार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में लेन–देन, अन्य घटनाओं और लागू होने वाली शर्तों के बारे में संगत और विश्वसनीय सूचना होती है। इन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव सारहीन हो।

31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति को तुलन–पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया है। कंपनी ने इंड एएस में परिसमापन की तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में इंड एएस 101 "इंड एएस को पहली बार अपनाया जाना" द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है। अतः, 1 अप्रैल, 2015 को पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति की अग्रेणीत राशि को इंड–एएस में पारगमन पर बनाए रखा गया था।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।

ख) पीपीई को प्रारंभ में जहां–कहीं अपेक्षित हो समाप्त किए जाने की लागत अथवा बहाली लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उस स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है और इसके लिए आवश्यक शर्त प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालित करने में सक्षम होती है। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन के लिए उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अध्यधीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले निपटान भी शामिल हैं।

ग) पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर विद्युत स्टे ान के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय को मान्यता मानदण्ड पूरा करने पर संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई/अभ्यर्पित इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।

घ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानियां, यदि कोई हों, कम लागत पर वहन किया जाता है।

ङ) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत के रुप में माना जाता है।

च) कंपनी के नियंत्रण वाली परिसंपत्तियां, भले ही कंपनी का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।

छ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपकरण तथा सेवा उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।

ज) मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहनीय राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को विमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। माल–सूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को "भंडार तथा कलपुर्जे" माना जाता है।

झ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।

ञ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

क) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों (व्यापार छूट तथा छूट की कटौती के पश्चात) सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य, परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा लदाई–उतराई प्रभार, संस्थापना तथा संयोजन लागतें आदि शामिल होती हैं।

ख) लागतों में कर्मचारी हितलाभ, व्यावसायिक शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख–रखाव तथा उन्नयन पर व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को "निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। चालू किए जाने से पूर्व की निवल आय/व्यय को सीधे संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

ग) सुविधाओं के निर्माण पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें "निर्माण पर आरोप्य व्यय" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा "चल रहे पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में इंड एएस 16–"संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर" में "आरोप्यता" और "मापन की इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया इस तरह का व्यय लाभ एवं हानि विवरण के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन–देन लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यह्रास तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग अथवा निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के बीच अंतर को विमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में माना जाता है।

निवेश संपत्ति में अथवा से अंतरण केवल तब ही किया जाता है जब साक्ष्य द्वारा समर्थित उपयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

क) अनुसंधान पर व्यय, जैसे और जब किया जाता है, व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भावी आर्थिक लाभ की संभावना हो और कंपनी की मंशा विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने की हो तथा उसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।

ख) वे अमूर्त परिसंपत्तियां, जो कंपनी द्वारा अधिगृहीत की गई हों और जिनका निश्चित उपयोगी जीवन–काल होता है, उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक होने वाले सीधे आरोप्य व्यय शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, अमूर्त परंसपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।

ग) तत्पश्चात व्यय को परिसंपत्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता तब दी जाती है, जब यह संभावना हो कि भावी लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से से मापा जा सके।

घ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा लेन–देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन–देन प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली लेन–देन की तिथि को वित्तीय मुद्रा स्पॉट दर पर रिकार्ड किया जाता है। प्रत्येक संसूचना तिथि को, विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए लेन–देन से उत्पन्न होने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय लागत पर समायोजित किया जाता है।

ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें "आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव वसूलीयोग्य/देय लेखा" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।

घ) 1.4.2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से वसूलीयोग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।

ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर–मौद्रिक मदों को लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। जहां कंपनी ने किसी विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल का भुगतान किया है या उसे प्राप्त किया है, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसके एक हिस्से को) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से लेनदेन की तारीख, वह तारीख होती है जब कंपनी अग्रिम प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न गैर–मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर–मौद्रिक देयता को प्रारंभिक मान्यता देती है।

6.0 विनियामक आस्थगित लेखे

क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्चे की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात इंड एएस के अनुसार संगत पीपीई की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष " के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को "विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूलीयोग्य अथवा उन्हें देय हैं।

घ) विनियामक आस्थगित लेखा भोशों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नहीं होते हैं, तो विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को विमान्य किया जाता है।

ङ) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन–देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन–देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन–देन मूल्य उचित मूल्य को नहीं दर्शाता, यह अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण आदान के उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए काफी है–

• स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य।

• स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर काफी है।

• स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु काफी है, अलक्ष्य हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आर्वतक आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के बीच उत्पन्न हुए हैं।

8.0 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत घटा क्षति, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

9.0 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ–साथ नकदी, किसी अन्य कंपनी के इक्विटी दस्तावेज अथवा नकदी या अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान–प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से कंपनी के पक्ष में हों। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बनती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी समतुल्य, बैंक शेष, कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्य, कर्मचारियों को ऋण, प्रतिभूति जमा, वसूलीयोग्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है–

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और
- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु कंपनी का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु, लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय के अंतर्गत रिकार्ड की जाती हैं। ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी दस्तावेज में निवेश हेतु, यह इस पर निर्भर है कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापिस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ अथवा हानि, लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है।

कंपनी, यदि व्यापार प्राप्यों में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो अपने लेन–देन मूल्य पर व्यापार प्राप्यों को मापती है।

ग) बाद का मापन

परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

किसी "ऋण दस्तावेज" को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

i) परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल में धारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और

ii) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में ब्याज आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण दस्तावेज

किसी "ऋण दस्तावेज" को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हों:

i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और

ii) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, क्षति हानियों, प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि

के विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर, ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया गया है।

इक्विटी निवेश

सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त कंपनियों में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी अन्य सभी इक्विटी दस्तावेजों को एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत करती है। कंपनी लिखत–दर–लिखत आधार पर ऐसा चयन करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापिस नहीं लिया जा सकता।

एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनःवर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, कंपनी इक्विटी में संचित लाभ या हानि को अंतरित कर सकती है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में 'अन्य आय' के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया है।

व्यापार प्राप्यः

व्यापार प्राप्य में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) विमान्य किया जाना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विमान्य किया जाता है जबः

i) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा

ii) वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रखा है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तिकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक दायित्व ले लेती है।

जहां कंपनी ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को व्यापक रूप से अंतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य नहीं किया जाता है।

जहां कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को व्यापक रूप से अंतरित किया है, कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

विमान्य किए जाने पर, वहनीय राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

ङ) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है–

i) वे वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ii) वे वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

iii) इंड एएस 115–ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, के अंतर्गत संविदा परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।

iv) इंड एएस 116–पट्टे के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

कंपनी इंड एस 116 और इंड एस 115 के क्षेत्र में लेन–देनों से परिणामी संविदा परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्य तथा

व्यापार प्राप्यों के संबंध में क्षति हानि अनुमेय की मान्यता हेतु इंड एएस 109 "वित्तीय लिखत" के अंतर्गत अनुमेय "सरलीकृत पद्धति" का पालन करती है, जिसमें प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से माना जाना अपेक्षित है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबध में क्षति हानि की मान्यता हेतु, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु, कंपनी लिखत–दर–लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करती है। बाद की अवधि में यदि लिखत की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, कंपनी 12 माह ईसीएल पर आधारित क्षति हानि प्रावधान को मान्यता देने के लिए प्रत्यावर्तन करती है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि/प्रत्यावर्तन की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप मे मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल–सूची

माल–सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रख–रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औस लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें हैं।

स्क्रैप का मूल्यांकन निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मालसूची को अवलेखन और माल–सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा अवलेखन या हानि उत्पन्न हुई हो।

11.0 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को अदा किए गए अंतिम लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः कंपनी के शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

12.0 वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य कंपनी को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा कंपनी के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य कंपनी के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान–प्रदान की संविदात्मक बाध्यता है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य कम लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देयताओं को बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई देयताओं के रुप में वर्गीकृत किया जाता। प्राप्तियों (लेन–देन लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के बीच किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करके ऋणों की अवधि में समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) अनुवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआरईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) विमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहनीय राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय दस्तावेज का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन–पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसपंत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

ङ) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज

व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज वे दस्तावेज होते हैं जिनका धारण कम्पनी विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिमों से बचाव के लिए करती है तथा जो लाभ एवं हानि के माध्यम से लेखांकन के लिए बचाव के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

13.0 सरकारी अनुदान

क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में आस्थगित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी अनुदान से संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेगी। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई कंपनी उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करती है जिसके लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किया जाना वांछित है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बर्हिप्रवाह दायित्वों के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन–पत्र तिथि को बाध्यता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्षकार से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट जोखिमों

को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ख) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के क्रियाकलापों से उत्पन्न होती है और जिनकी मौजूदगी की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नही है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बर्हिप्रवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के क्रियाकलापों से उत्पन्न होती हैं और जिनकी मौजूदगी की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्प्रवाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन विकासों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से दर्शाया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता और अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/ परामर्शी कार्य सेवाओं और अन्य आय से जुटाया जाता है। अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, संविदाकारों आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश, अन्य निकाय कारपोरेट में कंपनी में इक्विटी में निवेश से लाभांश, बॉण्डों में निवेश से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्क्रैप की बिक्री, अन्य विविध आय, आदि शामिल हैं।

क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

i) राजस्व को उस प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जो किसी ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या उत्पादों या सेवाओं के एवज में प्राप्त होने की प्रत्याशा है और इसमें तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण अंतरित करती है।

ii) विद्युत की बिक्री से राजस्व (वित्त पट्टे/प्रचालनात्मक पट्टे के रुप में माने गए पावर स्टेशनों के संबंध में न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों को छोड़कर) को लागू सीमा तक विद्युत अपीलीय अधिकरण के आदेशों द्वारा यथा संशोधित सीईआरसी (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में, जहां अनंतिम/अंतिम टैरिफ को अभी अधिसूचित किया जाना है या जहां प्रोत्साहन/हतोत्साहन सीईआरसी (नियम और शर्तें) के अनुसार प्रभार्य/देय हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां इसकी अत्यधिक प्रत्याशा है कि मान्यता प्रदान किए गए संचयी राजस्व की राशि में बहुत अधिक प्रत्यावर्तन नहीं होगा। प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी गई छूट की राजस्व की राशि में से कटौती की जाती है।

iii) ग्राहकों को आवधिक और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को, विद्युत की बिक्री से राजस्व में ग्राहकों को प्रदान की गई लेकिन अभी बिल न की गई बिक्री (बिल न किया गया राजस्व) हेतु प्रोदभवन शामिल होता है।

iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय के निमित्त वसूली/प्रतिदेय और आयकर के निमित्त वसूली को विनियामक मानदंडों के आधार पर वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदत्त आस्थगित कर की मदों के लिए वसूली को उक्त को मूर्त रूप देने पर लेखांकित किया जाता है।

v) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि वास्तविक न हो, उन्हें संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

vi) 31 मार्च, 2009 तक आस्थगित आय के रूप में माने गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) को बिक्री में सीधी रेखा आधार पर पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात शेष उपयोगी जीवनकाल पर शामिल किया गया है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्यों से राजस्व

i) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्यों से राजस्व को उस प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जो

ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या जिसे सेवाओं के बदले में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कंपनी इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व को मान्यता देती है। इनपुट पद्धति उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल प्रत्याशित लागत से संबंधित निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के प्रति वहन की गई लागत के आधार पर राजस्व को मान्यता प्रदान करती है।

ii) संविदा में संशोधन, यदि कोई हो, को तब लेखांकित किया जाता है जब किसी संविदा के क्षेत्र अथवा मूल्य (या दोनों) में कोई परिवर्तन होता है, जिसे संविदा के पक्षकारों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और जब संविदा के पक्ष ऐसे किसी संशोधन को मंजूरी देते है जो या तो संविदा के पक्षों के लिए नए प्रवर्तनीय अधिकारों और दायित्वों को बनाता हो या मौजूदा में संशोधन करता हो। संविदाओं के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं अलग–अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण एकल विक्रय मूल्य पर है। संविदा संशोधनों को तब एकल आधार पर दर्ज किया जाता है जब वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं के अतिरिक्त होने के कारण संविदा का क्षेत्र बढ़ता है अथवा संविदा का मूल्य प्रतिफल एक ऐसी राशि से बढ़ता है जो वादा की गई अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के बिक्री मूल्य को दर्शाता है और उस मूल्य में कोई उचित समायोजन संविदा विशेष की परिस्थितियों में किसी उचित समायोजन को प्रतिबिंबित करता है। जोड़ी गई सेवाएं जो भिन्न नहीं हैं, उन्हें संचयी कैच–अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो भिन्न हैं, उन्हें संदर्शी रूप से, अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर किए जाने पर एक अलग संविदा के रूप में लेखांकित किया जाता है या उनका मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर नहीं किए जाने पर विद्यमान संविदा की समाप्ति तथा नई संविदा के सृजन के रूप में किया जाता है।

ग) विद्युत के व्यापार से राजस्व

i) विद्युत के व्यापार से राजस्व के लेखांकन में यह निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों का मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या कंपनी को एक प्रमुख की क्षमता में या एक एजेंट के रूप में कार्य करना अपेक्षित है। कंपनी ग्राहक को अंतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त करने की स्थिति में एक प्रधान की प्रकृति में कार्य करती है। नियंत्रण के संकेतकों में इसका मूल्यांकन शामिल है कि क्या कंपनी विद्युत उपलब्ध करवाने के वायदे को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसके पास मूल्य स्थापित करने का विवेक है या यह मालसूची जोखिम को वहन करती है। जहां कंपनी ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त नहीं करती है और इसका निष्पादन दायित्व किसी अन्य पक्षकार द्वारा विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करना है, यह एक एजेंट की प्रकृति में कार्य करती है।

ii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए किसी संविदा में प्रधान के रूप में कार्य करती है, संतुष्ट किए जाने वाले निष्पादन दायित्व को आवंटित लेन–देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

iii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए संविदा में एक एजेंट के रूप में कार्य करती है, ग्राहक को प्रदान की गई विद्युत के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के बाद बचाए गए निवल प्रतिफल को प्रचालन से राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। इन लेन–देनों से उत्पन्न होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को समायोजित नहीं किया जाता हैं।

घ) अन्य आय

i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

ii) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण दस्तावेज हेतु, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, कंपनी वित्तीय दस्तावेज (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) की सभी संविदात्मक शर्तों पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, परन्तु प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेती।

iii) विद्युत के व्यापार की संविदाओं से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों से वसूलीयोग्य ब्याज/अधिभार और संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियों/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है, जब इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में भविष्य में कोई बड़ा प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

16.0 कर्मचारी हितलाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन छूटरहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमेय करे क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि कंपनी के कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व हो और दायित्व का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

ii) परिभाषित अंशदान योजनाएं

कोई परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई कंपनी पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है तथा उसका और राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं होता। परिभाषित अशंदान योजनाओं में अंशदानों हेतु दायित्वों को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में शामिल किया जाता है, यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमेय करता हो। किसी निर्धारित अशंदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन हितलाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना (ईडीसीएसएस) और अलग–अलग ट्रस्टों के माध्यम से प्रशासित सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

परिभाषित हितलाभ योजना किसी परिभाषित अंशदान योजना के अतिरिक्त कोई रोजगार पश्च लाभ योजना है। कंपनी की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं। ये सभी योजनाएं, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर मिलने वाले भत्ते और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति–चिन्ह के अलावा, विभिन्न न्यासों के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं।

उपदान और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन–पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटा योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

भविष्य निधि योजना के मामले में, तुलन पत्र में देयता को मान्यता तब दी जाती है जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य से अधिक होता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य के अधिशेष परिसम्पति के रूप में स्वीकृत नहीं किए जाते हैं क्योंकि कम्पनी के पास ऐसे लाभों के लिए न तो योजना से धनवापसी के रूप में योजना से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है और न ही योजना में अंशदान को कम करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।

परिभाषित लाभ दायित्व का परिकलन बीमांकक द्वारा वार्षिक रूप से प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की अवधि के अनुसार शर्तें होती हैं।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमेय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनःमापन लाभ (भविष्य निधि योजना के मामले में, को छोड़कर) तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

कंपनी की छुट्टी नकदीकरण योजना के अंतर्गत हितलाभों में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभों के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता भावी हितलाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। परिकलन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में शामिल किया जाता है, यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

v) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 ऋण लागतें

ऋण लागतों में (क) इंड एएस 109 'वित्तीय दस्तावेज' में वर्णित ब्याज पद्धति के प्रभावी उपयोग से परिकलित ब्याज व्यय (ख) इंड एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार मान्यता प्राप्त वित्त पट्टों के संबंध में वित्त प्रभार तथा (ग) विदेशी मुद्रा ऋणों से उस सीमा तक उत्पन्न विनिमय अंतर जो ब्याज लागतों में समायोजित के रुप में मानी गई हैं।

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य ऋण लागत को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती है। अर्हक परिसम्पतियां वे होती हैं जिन्हें किसी निश्चित समय अवधि के दौरान उनके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार किया जाना आवश्यक होता है। अन्य सभी ऋण लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे व्यय की गई हैं

जब कम्पनी किसी अर्हक परिसम्पति के विशिष्ट उद्देश्य से ऋण निधियां प्राप्त करती है तो व्यय की गई ऋण लागतों का पूंजीकृत किया जाता है। जब कम्पनी सामान्य ऋण निधियां प्राप्त करती है और उनका उपयोग अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के उद्देश्य से करती है तो ऋण लागतों के पूंजीकरण का आकलन उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत पर किया जाता है जो अवधि के दौरान बकाया हैं तथा जिनका उपयोग अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण अथवा उत्थापन के लिए किया गया है। तथापि, अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के विशिष्ट उद्देश्य से प्राप्त किए गए ऋण पर लागू ऋण लागतों को आकलन में तब शामिल किया जाता है जब उस परिसम्पति का उपयोग वांछित उद्देश्य से करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं अथवा बिक्री पूर्ण हो जाती है।

अर्हक परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए लंबित ऋणों के अस्थाई निवेश से अर्जित आय के पूंजीकरण के लिए अर्हक ऋण लागतों में से घटा दिया जाता है।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब रोक दिया जाता है जब अर्हक परिसम्पति को उसके वांछित उपयोग करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं।

अन्य ऋण लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं

18.0 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई) से वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/कटौतियों पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।

ख) (i) कंपनी की प्रचालनरत यूनिटों की संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के अंत से पांच वर्ष पूर्व तक पूंजीकृत किया गया मूल्यह्रास, नीति संख्या 18.0(घ) में उल्लिखित परिसंपत्तियों के

लिए को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धति को अपनाते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

(ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, प्लांट और उपस्करों पर मूल्यह्रास को सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार विस्तारित जीवन–काल की अवधि के लिए संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

(iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण पावर स्टेशन का जीवनकाल और/या दक्षता बढ़ जाती है, उसकी अपरिशोधित मूल्यह्रास राशि तथा उसके व्यय को संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर सीधी–रेखा पद्धति पर संदर्शी रूप से प्रभारित किया जाता है।

ग) (i) कंपनी की प्रचालनरत यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पुराने तथा प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक नीति संख्या 18.0(घ) में उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों अपनाते हुए प्रभारित किया गया है।

(ii) प्रचालनरत यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त मदों पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।

घ) (i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में दिए गए उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) पर आधारित सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है:

– निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी

– कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण

(ii) प्रबंधन के आकलन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यह्रास को 1 रूपए के अवशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्षों की अवधि में सीधी रेखा आधार पर दिया गया है।

(iii) प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, रूफ टॉप सौर ऊर्जा प्रणाली/उपस्कर पर मूल्यह्रास 10 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के साथ पच्चीस वर्ष की अवधि में सीधी रेखा आधार पर दिया गया है।

ङ) अस्थायी संस्थापन को 1/– डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित (100%) किया जाता है।

च) 5,000/– रूपए या उससे कम परन्तु 750/– रूपए से अधिक की परिसंपत्तियों उस वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति 1/– रूपए डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/–रूपए तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उपयोग के वर्ष में व्यय पर प्रभारित किया जाता है।

ज) प्रचालन यूनिटों की पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 40 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।

झ) प्रचालनरत यूनिटों के अतिरिक्त यूनिटों की पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि अथवा 40 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित पीपीई का मूल्यह्रास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यह्रास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।

ट) भूमि के संबंध में उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में किया जाता है।

ठ) "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या 3 वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।

ङ) जहां विनिमय उतार–चढ़ाव, मूल्य समायोजन, माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों की लागत में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसपंतियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यह्रास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।

ढ) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहनीय राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।

ण) उपयोगी जीवन, मूल्यह्रास की पद्धति और परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, जहां मूल्यह्रास को प्रबंधन आकलन के अनुसार प्रभारित किया जाता है, उसकी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, उसे परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल पर संदर्शी रूप से समायोजित किया जाता है।

19.0 माल–सूची के अतिरिक्त गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

क. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूलीयोग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूलीयोग्य राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु, अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार लेन–देनों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी लेन–देन की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।

ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रही ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में उपलब्ध करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

ङ. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा लंबे समय से मौजूद नहीं है। यदि वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहनीय राशि ऐसी वहनीय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को निर्धारित किया जाता।

20.0 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, उस सीमा तक छोड़कर जिस सीमा तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, जिस मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में

यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं हैं।

ख) आस्थगित कर

(i) आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि के बीच अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुरूपी कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन–पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को सामान्यतः सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के रूप में मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती–योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर ऋण हेतु उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां तक यह संभव है कि भावी कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी लेन–देन में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो लेन–देन के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हों।

(ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की प्रत्येक तुल–पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नही है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके लिए अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

(iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन–पत्र तिथि द्वारा अधिनियमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित है। आस्थगित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि की वसूली या निपटान करेंगे।

(iv) आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(v) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित आयकर परिसपंत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य कंपनी अथवा विभिन्न करयोग्य कंपनियों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।

(vi) समायोजन लेखे से आस्थगित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।

(vii) जब आय कर सुधारों के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता होती है तो कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार किया जा सकता है। यदि कम्पनी कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार न किए जाने का निर्धारण करती है तो अनिश्चित अथवा करयोग्य आय के प्रभाव, कर आधारों, तथा अप्रयुक्त कर हानियों एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट को मान्यता दे दी जाती है। ऐसी अनिश्चितता के प्रभाव को मान्यता प्रत्येक मामले में उस पद्धति के उपयोग से दी जाती है जिनसे प्रतिफल, अत्यधिक प्रत्याशित प्रतिफल अथवा संभावित मूल्य की अनिश्चितता को सर्वोत्तम तरीके में दर्शाता हो। प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के समाधान के उत्तम उपसर्ग के आधार पर कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या अनिश्चित कर सुधार अलग–अलग अथवा एक साथ मिलाकर अथवा अन्य अनिश्चित कर सुधारों के साथ किया जा सकता है।

21.0 तृतीय पक्षकारों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षकारों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल–सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षकारों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एएस 108–प्रचालनरत खंड के अनुसार, खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालनरत खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंड एएस 108 के अभिप्राय के भीतर कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता " अथवा "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी का प्रमुख व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी कार्य तथा विद्युत का व्यापार इंड एएस–108 के अनुसार सूचना योग्य खंड का भाग नहीं होते हैं।

ग) कंपनी का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

23.0 पट्टे

कंपनी अनुबंध के प्रारंभ में अनुबंध के पट्टा होने अथवा उसमें पट्टा अंतर्विष्ट होने का मूल्यांकन करती है। कोई अनुबंध पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, माना जाता है यदि अनुबंध से अभिचिन्हित परिसम्पति, किसी कालावधि के लिए, के नियंत्रण के उपयोग का अधिकार किसी प्रतिफल के विनिमय के रूप में प्राप्त हुआ हो। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या किसी अनुबंध से अभिचिन्हित परिसम्पति के नियंत्रण के उपयोग का अधिकार सम्प्रेषित होता है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्याः

– अनुबंध में अभिचिन्हित परिसम्पति का उपयोग निहित है – इसकी निर्दिष्टि सुस्पष्ट अथवा अव्यक्त हो सकती है तथा यह वास्तविक रूप से सुस्पष्ट अथवा परिसंपत्तियों की क्षमता की वास्तविक स्पष्टता की सारभूत प्रस्तुति से युक्त होनी चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास सारभूत प्रतिस्थापन अधिकार है तो परिसंपत्ति अभिचिन्हित नहीं की जाती है;

– कंपनी के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त होने का सारभूत अधिकार है; तथा

– कंपनी को परिसम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग का अधिकार है। कंपनी के पास यह अधिकार तब होता है जब इसके पास निर्णय निर्धारण के अधिकार होते हैं, जो परिसंपत्ति के उपयोग के उद्देश्य में कैसे और किस लिए जैसी प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए काफी संगत होते हैं। बहुत ही कम मामलों में जब कैसे और किस लिए जैसे परिसम्पति के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं तो कम्पनी को परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार तब होता है जबः

  - कंपनी के पास परिसम्पत्ति के प्रचालन का अधिकार हो; अथवा
  - कंपनी परिसंपत्ति की निर्दिष्टि करे कि उसे पूर्व निर्धारित कैसे और किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सके।

किसी अनुबंध, जिसमें पट्टा घटक है, के पुनःमूल्यांकन के प्रारंभ में कंपनी अपने संबद्ध एकल मूल्यों के आधार पर पट्टे के अनुबंध के प्रत्येक घटक के लिए प्रतिफल का निर्धारण करती है। तथापि, भूमि एवं भवन के पट्टों, जिनमें वह पट्टेदार है, के लिए कंपनी ने कोई अलग गैर–पट्टा संघटक का चयन न करने का निर्णय लिया है तथा पट्टा एवं गैर–पट्टा संघटकों को एकल पट्टा घटक के रुप में माना जाता है।

(i) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को कंपनी द्वारा परिसम्पति एवं पट्टा दायित्व के उपयोग के अधिकार को मान्यता दी जाती है। परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व का प्रारंभिक मापन, कम्पनी द्वारा वहन की गई कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, पट्टा समाप्त होने के समय परिसम्पति का विखंडन करने तथा हटाए जाने की लागतों के कोई अनुमान, तथा पट्टा प्रारंभ तिथि को पट्टा भुगतानों के समायोजित अग्रिम शामिल हैं।

राज्य सरकार से उपयोग के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) तथा सहायता और पुनर्वास के साथ–साथ

भूमि से विस्थापितों को हटाए जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर किए गए खर्च अथवा जलाप्लावन के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के स्थान पर तथा जहां परियोजना के उद्देश्य से ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण भूमि के अधिग्रहण की एक पूर्व विशिष्ट शर्त है, का लेखांकन उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है।

उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति का अनुवर्ती मूल्यह्रास पट्टा प्रारम्भ तिथि से परिसंपत्ति के अधिकार के उपयोग के अंत से पूर्व उपयोज्यता काल अथवा पट्टा अवधि समाप्त होने पर सीधी रेखा आधार पर उपयोग के अधिकार से युक्त परिसंपत्ति के लिए किया जाता है। उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए उपयोग में लाए जाने वाले समान आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में से अक्षमता हानियों, यदि कोई हो, को कम करके आवधिक रूप से न्यून किया जाता है तथा इसका समायोजन पट्टा देयता के निश्चित पुनःमापन के लिए किया जाता है। हानि का आकलन उपर्युक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 19.0 में दिए गए अनुसार इंड एएस 36–परिसंपत्तियों की हानि के सिद्धांतों का प्रयोग करके किया जाता है।

पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य में से पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि इस दर का निर्धारण त्वरित रूप में नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी की वृद्धिशील ऋण दर को घटाकर किया जाता है। सामान्यतः कम्पनी छूट दर के लिए अपनी वृद्धिशील ऋण दर का उपयोग करती है।

पट्टा भुगतानों में निम्नलिखित से युक्त पट्टा देयता का मापन शामिल हैः–

- मूलभूत नियत भुगतान सहित नियत भुगतान;
- परिवर्तनीय पट्टा भुगतान, जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, का प्रारंभिक मापन उनके प्रारंभ की तिथि के सूचकांक अथवा दर के उपयोग से किया जाता है;
- अवशेष मूल्य गारंटी के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां; तथा
- किसी क्रय विकल्प के अंतर्गत उपयोग में लाया जाने वाला मूल्य जिसके उपयोग प्रति कंपनी औचित्यपरक रूप में आश्वस्त है, वैकल्पिक नवीकरण अवधि के पट्टा भुगतान, यदि कम्पनी विस्तार के विकल्प के उपयोग के प्रति औचित्यपरक कारणों से आश्वस्त हैं तथा कालावधि से पूर्व पट्टा समापन के जुर्माने जिनके प्रति कंपनी पट्टे का पूर्व समापन न किए जाने के प्रति आश्वस्त है।

पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्मापन तब किया जाता है जब किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावी पट्टे के भुगतान में कोई परिवर्तन हो, यदि कंपनी के अनुमान में एक अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने की संभावित राशि में परिवर्तन हो, अथवा यदि कंपनी अपने आकलन में यह परिवर्तन करती है कि क्या यह एक खरीद, विस्तार अथवा समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी अथवा जब एक पट्टा अनुबंध संशोधित किया गया है, और उस स्थिति में पट्टा संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है, जिसमें पट्टा देयता का संशोधन की प्रभावी तारीख को संशोधित छूट दर का प्रयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों में छूट देकर संशोधित पट्टे की अवधि के आधार पर पुनर्मापन किया गया है।

जब पट्टा देयता का मापन इस विधि से किया जाता है तो उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहनीय राशि के संबंध में अनुवर्ती समायोजन किया जाता है अथवा यदि उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहनीय राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि विवरण में रिकार्ड किया जाता है।

कंपनी निवेश संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाली अपनी उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों की प्रस्तुति एक अलग रेखा मद के उपयोग से तुलन पत्र में करती है।

कंपनी ने उन अल्प–कालिक अवधियों की उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता न देने का निर्धारण किया है जिनकी पट्टा अवधि 12 माह अथवा उससे कम है तथा पट्टों का परिसंपत्ति मूल्य न्यून है। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध पट्टा भुगतानों को सीधी रेखा आधार पर पट्टा अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देती है।

(ii) पट्टाकार के रूप में कंपनी

जब कंपनी पट्टाकार के रुप में कार्य करती है, तो कंपनी पट्टे के प्रारंभ में यह निर्धारण करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा अथवा कोई प्रचालनरत पट्टा है। किसी पट्टे का वित्त के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब उसके संबंध में कंपनी द्वारा ऐसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी सारभूत जोखिम एवं प्रतिफल पट्टाधारक को अंतरित किए जाते हैं। पट्टे का वर्गीकरण प्रचालनरत पट्टे के रूप में तब होता है जब ऐसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी सारभूत जोखिम एवं प्रतिफल पट्टाधारक को अंतरित नहीं किए जाते हैं।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु, विद्युत स्टे ान में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों की पहचान संविदा राशियों (31 मार्च, 2009 तक सीईआरसी टैरिफ विनियम 2004–09 के

अनुसार और आस्थगित आय के रुप में मानी गई मान्यताप्राप्त (मूल्यह्रास के निमित्त अग्रिम (एएडी) सहित) से निहित पट्टा प्राप्तियों को अलग करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय (प्रचालनों से राजस्व का भाग बनने वाली) के बीच आवंटित की जाती है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर एक स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी नियमित रूप से अनुमानित गैर–गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा करती है और पट्टा प्राप्यों पर संभावित ऋण हानियों के लिए प्रावधान को मान्यता देते हुए इंड एएस 109–वित्तीय दस्तावेजों की हानि अपेक्षाओं को लागू करती है।

वित्त पट्टा आय का परिकलन ऋण–हानि वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनके लिए ब्याज आय का परिकलन उनकी परिशोधन लागत (अर्थात हानि प्रावधान की कटौती के बाद) के संदर्भ में किया जाता है, को छोड़कर, पट्टा प्राप्यों की सकल वहनीय राशि के संदर्भ में किया जाता है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टे अथवा गैर–पट्टे के घटक होते हैं तो कंपनी अनुबंध के प्रतिफल के निर्धारण के लिए इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व लागू करती है।

प्रचालनरत पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में, प्रचालनरत पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल में इनका मूल्यह्रास किया जाता है।

24.0 व्यवसाय संयोजन

व्यवसाय संयोजनों का लेखांकन अधिग्रहण की तिथि को अधिग्रहण लेखांकन विधि के उपयोग से किया गया है जो कंपनी को नियंत्रण के अंतरित किए जाने की तिथि है। अधिग्रहण के अंतर्गत अंतरित किए गए प्रतिफल तथा अभिचिन्हित अधिग्रहित परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं को मान्यता अधिग्रहण की तिथि को उनके उचित मूल्य पर की जाती है। साख का प्रारंभिक मापन, अधिग्रहित अभिचिन्हितयोग्य परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं के निवल से अधिक प्रतिफल का अंतरण किए जाने के कारण, लागत पर किया जाता है। जब निवल अभिचिन्हितयोग्य अधिग्रहीत परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं का उचित मूल्य, निवल परिसंपत्तियों एवं आकस्मिक देयताओं का उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकन करने के पश्चात, अंतरित प्रतिफल से अधिक होता है तो अतिरेक की स्वीकृति पूंजी आरक्षित के रूप में की जाती है। अधिग्रहण से संबंधित लागतों को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

25.0 पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियां

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व अवधि के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः उल्लिखित कर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम अवधि से पहले हुई हो तो नवीनतम अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः उल्लिखित किया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

26.0 प्रति शेयर अर्जन

(क) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

(ख) प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

(ग) प्रति शेयर आधारभूत और कम किए गए अर्जन को आस्थगित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

27.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकदी–समतुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि, अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के

कम महत्वपूर्ण जोखिम के अध्यधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि, तुलन–पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत "ऋणों" में दर्शाया गया है।

ख) नकदी प्रवाह के विवरण को इंड एएस 7 "नकदी प्रवाहों के विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

28.0 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह–

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है, अथवा
- नकदी या नकदी समतुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह पश्चात किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वहः

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु प्रत्याशित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह हेतु देयता के निपटान को आस्थगित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

29.0 विविध

क) समान मदों की प्रत्येक वास्तविक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर–वास्तविक न हों।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान कंपनी द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएं: जारी किए गए लेकिन अभी प्रभावी नहीं मानक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") नए मानकों अथवा मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। आज की तारीख के अनुसार, ऐसी कोई अधिसूचना नहीं हैं जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होती हो।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक		
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि–फ्रीहोल्ड **(देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.2)**	392.37	13.64	0.30	(0.31)	405.40	-	-	-	-	405.40	392.37
सड़कें और पुल	312.02	4.41	0.11	(7.31)	309.01	65.65	11.66	(1.17)	76.14	232.87	246.37
भवन	2,404.26	30.78	0.52	(182.43)	2252.09	440.45	76.04	(31.81)	484.68	1,767.41	1,963.81
रेलवे साइडिंग्स	16.57	-	-	(3.51)	13.06	16.57	-	(3.51)	13.06	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	16,737.99	19.77	0.17	(989.85)	15767.74	4,330.75	748.75	(277.16)	4,802.34	10,965.40	12,407.24
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	8,313.65	147.22	47.24	(594.19)	7819.44	2,203.79	355.14	(196.69)	2,362.24	5,457.20	6,109.86
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	56.01	1.16	0.55	(2.48)	54.14	13.72	2.43	(0.72)	15.43	38.71	42.29
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेशण लाइनें	71.08	0.90	-	(1.57)	70.41	22.29	4.28	(0.59)	25.98	44.43	48.79
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	36.19	3.68	0.19	(0.44)	39.24	11.93	1.95	(0.13)	13.75	25.49	24.26
निर्माण संयंत्र और म ीनरी	54.42	2.49	0.08	(4.51)	52.32	23.86	3.66	(1.36)	26.16	26.16	30.56
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवर प्रणाली	55.36	5.17	0.04	(1.43)	59.06	10.50	2.31	(0.25)	12.56	46.50	44.86
विद्युतीय संस्थापनाएं	16.17	1.18	-	(0.21)	17.14	1.61	0.71	(0.02)	2.30	14.84	14.56
वाहन	22.75	1.40	0.41	(0.44)	23.30	8.31	1.34	(0.26)	9.39	13.91	14.44
विमान / नौकाएं	1.91	0.17	0.05	(0.10)	1.93	0.47	0.14	(0.03)	0.58	1.35	1.44
फर्नीचर और फिक्सचर	37.81	1.74	0.24	(1.82)	37.49	11.78	2.14	(0.55)	13.37	24.12	26.03
कम्प्यूटर और सहायक	45.42	7.66	1.33	(1.89)	49.86	30.04	6.40	(2.26)	34.18	15.68	15.38
संचार उपस्कर	12.23	1.23	0.17	(0.08)	13.21	3.70	0.65	(0.14)	4.21	9.00	8.53
कार्यालय उपस्कर	108.49	11.15	0.80	(2.43)	116.41	35.95	6.53	(1.21)	41.27	75.14	72.54
कुल	**28,694.70**	**253.75**	**52.20**	**(1,795.00)**	**27,101.25**	**7,231.37**	**1,224.13**	**(517.86)**	**7,937.64**	**19,163.61**	**21,463.33**
विगत वर्ष	28,660.92	386.17	30.98	(1.82)	28,694.70	5,720.23	1,547.17	(13.59)	7,231.37	21,463.33	

टिप्पणी:–

2.1.1) क) 1458.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1458.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल वाली 6.51 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रूपए) मूल्य की सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में फ्री–होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है। तथापि, 0.10 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 0.10 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.0004 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.0004 करोड़ रूपए) मूल्य की पावर स्टेशन की फ्री–होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित / पारित किए जाने हैं।

ख) दिबांग बहु–उद्दे ाीय परियोजना के संबंध में, 98.38 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 51.38 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल वाली 24.90 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 13.77 करोड़ रूपए) मूल्य की फ्री–होल्ड भूमि, जिसका एनएचपीसी के पक्ष में म्युटे ान किया गया है, के संबंध में स्वामित्व विलेख/स्वामित्व अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

ग) अन्य यूनिटों के संबंध में, 92.00 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 92.00 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.70 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6.70 करोड़ रूपए) मूल्य की फ्री–होल्ड भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/स्वामित्व अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं ।

2.1.2 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही 8 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हैक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा करार किया गया है।

2.1.3 सकल ब्लॉक और मूल्यह्रास के समायोजन में टीएलडी–III पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत पट्टा प्राप्यों के रूप में मान्यताप्राप्त और पीपीई से विमान्यकृत राशि के लिए समायोजन शामिल है, जिसे इंड एएस 116–पट्टों के तहत वित्त पट्टे के रूप में लेखांकित किया गया है। (टिप्पणी 34(16)(ख)(ii) देखें)

2.1.4 सेवा–II, कि ानगंगा, चमेरा–III, तीस्ता लो डैम–III, उड़ी–II और तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

2.1.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.1.6 अनंतिम आधार पर पूंजीकृत परिसम्पत्तियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(4) देखें।

2.1.7 परिसम्पतियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.1.8 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक में समायोजन में शामिल विदे ाी विनिमय दर अंतर निम्नानुसार है:–

विवरण	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए में)**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए में)**
सड़कें और पुल	(1.03)	-
भवन	(7.29)	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	(32.76)	-
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(8.52)	-
संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	(0.07)	-
जल आपूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	(0.04)	-
कुल	**(49.71)**	**-**

2.1.9 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास के अनुसार सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध– I में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-I संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	392.37	13.64	0.30	(0.31)	405.40	-	-	-	-	405.40	392.37
सड़कें और पुल	405.63	4.41	0.14	(7.67)	402.23	159.26	11.66	(1.56)	169.36	232.87	246.37
भवन	3,130.33	30.78	0.52	(194.74)	2,965.85	1,166.52	76.04	(44.12)	1,198.44	1,767.41	1,963.81
रेलवे साइडिंग्स	36.10	-	-	(4.12)	31.98	36.10	-	(4.12)	31.98	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	22,543.91	19.77	0.18	(1,098.89)	21,464.61	10,136.67	748.75	(386.21)	10,499.21	10,965.40	12,407.24
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	11,293.72	147.22	53.88	(660.68)	10,726.38	5,183.86	355.14	(269.82)	5,269.18	5,457.20	6,109.86
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	107.52	1.16	0.72	(2.55)	105.41	65.23	2.43	(0.96)	66.70	38.71	42.29
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेशण लाइनें	98.27	0.90	-	(1.79)	97.38	49.48	4.28	(0.81)	52.95	44.43	48.79
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	52.50	3.68	0.81	(0.49)	54.88	28.24	1.95	(0.80)	29.39	25.49	24.26
निर्माण संयंत्र और म ीनरी	112.59	2.49	0.49	(4.66)	109.93	82.03	3.66	(1.92)	83.77	26.16	30.56
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवरेज	65.16	5.17	0.03	(1.49)	68.81	20.30	2.31	(0.30)	22.31	46.50	44.86
विद्युतीय संस्थापनाएं	17.37	1.18	-	(0.22)	18.33	2.81	0.71	(0.03)	3.49	14.84	14.56
वाहन	32.71	1.40	0.77	(0.44)	32.90	18.27	1.34	(0.62)	18.99	13.91	14.44
विमान / नौकाएं	2.15	0.17	0.05	(0.10)	2.17	0.71	0.14	(0.03)	0.82	1.35	1.44
फर्नीचर और फिक्सचर	62.08	1.74	0.36	(2.06)	61.40	36.05	2.14	(0.91)	37.28	24.12	26.03
कम्प्यूटर और सहायक	73.29	7.66	2.60	(2.13)	76.22	57.91	6.40	(3.77)	60.54	15.68	15.38
संचार उपस्कर	17.94	1.23	0.33	(0.08)	18.76	9.41	0.65	(0.30)	9.76	9.00	8.53
कार्यालय उपस्कर	164.05	11.15	2.29	(2.86)	170.05	91.51	6.53	(3.13)	94.91	75.14	72.54
कुल	**38,607.69**	**253.75**	**63.47**	**(1,985.28)**	**36,812.69**	**17,144.36**	**1,224.13**	**(719.41)**	**17,649.08**	**19,163.61**	**21,463.33**
विगत वर्ष	38,595.53	386.17	39.13	(1.87)	38,607.69	15,654.84	1,547.17	(21.80)	17,144.36	21,463.33	

टिप्पणी:–

उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत ''भूमि – उपयोग का अधिकार'' संबंधी सृजित 10494.51 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10491.91 करोड़ रूपए) राशि के भूमिगत कार्यों को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संगत शीर्षों में शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुन वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि–फ्रीहोल्ड **(टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.2 देखें)**	331.99	-	61.18	0.41	(0.39)	392.37	-	-	-	-	-	392.37	331.99
भूमि–उपयोग का अधिकार **(टिप्पणी 2.1.8 देखें)**	302.58	(302.58)	-	-	-	-	22.07	(22.08)	-	0.01	-	-	280.51
सड़कें और पुल	222.21	-	89.80	-	0.01	312.02	41.03	-	24.60	0.02	65.65	246.37	181.18
भवन	2,351.70	-	52.93	0.14	(0.23)	2,404.26	354.26	-	86.15	0.04	440.45	1,963.81	1,997.44
भवन – उपयोग का अधिकार **(टिप्पणी 2.1.8 देखें)**	17.01	(17.01)	-	-	-	-	0.36	(0.36)	-	-	-	-	16.65
रेलवे साइडिंग्स	16.57	-	-	-	-	16.57	13.10	-	3.47	-	16.57	-	3.47
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	16,714.21	-	25.19	1.40	(0.01)	16,737.99	3,400.52	-	931.37	(1.14)	4,330.75	12,407.24	13,313.69
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	8,220.79	-	120.29	25.71	(1.72)	8,313.65	1,746.91	-	468.30	(11.42)	2,203.79	6,109.86	6,473.88
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	51.30	-	4.74	0.04	0.01	56.01	11.44	-	2.30	(0.02)	13.72	42.29	39.86
संयंत्र तथा मशीनरी –पारेशण लाइनें	70.71	-	0.57	-	(0.20)	71.08	17.45	-	4.84	-	22.29	48.79	53.26
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	36.01	-	0.36	0.01	(0.17)	36.19	10.11	-	1.85	(0.03)	11.93	24.26	25.90
निर्माण उपस्कर	52.53	-	1.80	0.18	0.27	54.42	19.90	-	4.00	(0.04)	23.86	30.56	32.63
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवरेज	52.44	-	2.93	0.01	-	55.36	8.44	-	2.07	(0.01)	10.50	44.86	44.00
विद्युतीय संस्थापनाएं	4.78	-	7.88	0.38	3.89	16.17	0.91	-	0.56	0.14	1.61	14.56	3.87
वाहन	22.39	-	1.04	0.68	-	22.75	6.88	-	1.49	(0.06)	8.31	14.44	15.51
विमान/नौकाएं	1.92	-	-	0.01	-	1.91	0.32	-	0.15	-	0.47	1.44	1.60
फर्नीचर और फिक्सचर	35.93	-	2.00	0.12	-	37.81	9.53	-	2.28	(0.03)	11.78	26.03	26.40
कम्प्यूटर	39.07	-	7.16	0.82	0.01	45.42	24.15	-	6.40	(0.51)	30.04	15.38	14.92
संचार उपस्कर	11.78	-	0.59	0.14	-	12.23	3.10	-	0.68	(0.08)	3.70	8.53	8.68
कार्यालय उपस्कर	105.00	-	7.71	0.93	(3.29)	108.49	29.75	-	6.66	(0.46)	35.95	72.54	75.25
कुल	**28,660.92**	**(319.59)**	**386.17**	**30.98**	**(1.82)**	**28,694.70**	**5,720.23**	**(22.44)**	**1,547.17**	**(13.59)**	**7,231.37**	**21,463.33**	**22,940.69**
विगत वर्ष	23,242.27	-	5,450.87	15.87	(16.35)	28,660.92	4,152.16	-	1,591.73	(23.66)	5,720.23	22,940.69	

टिप्पणीः–

2.1.1 क) 1458.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1458.55 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 6.51 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6.51 करोड़ रूपए) राशि की फ्री–होल्ड भूमि को राजस्व रिकार्डों में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में दर्ज किया गया है जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का एक पावर स्टेशन) के कब्जे में है। तथापि, 0.10 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 0.10 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 0.0004 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 0.0004 करोड़ रूपए) मूल्य की पावर स्टेशन की फ्री–होल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं ।

ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 143.38 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 109.75 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 20.47 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6.73 करोड़ रूपए) मूल्य की फ्री–होल्ड भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/स्वामित्व अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं ।

2.1.2 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रूपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही 8 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हैक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा करार किया गया है।

2.1.3 सकल ब्लाक में समायोजन में परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित तथा पूंजीकृत मूल्यह्रास के लिए समायोजन शामिल है।

2.1.4 सेवा–II, कि ानगंगा, चमेरा–III, तीस्ता लो डैम–III, उड़ी–II और तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

2.1.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.1.6 अनंतिम आधार पर पूंजीकृत परिसम्पत्तियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(4) देखें।

2.1.7 परिसम्पत्तियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.1.8 319.59 करोड़ रूपए मूल्य की भूमि – पट्टाधारित, भवन – पट्टाधारित का पुनःवर्गीकरण किया गया है तथा इन्हें इंड एएस–116 के कारण तुलन पत्र में उपयोग का अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंड एएस–116 – पट्टे के तहत अतिरिक्त प्रकटन के लिए टिप्पणी 34(16) देखें।

2.1.9 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास के तहत सम्पति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध–I में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	331.99	-	61.18	0.41	(0.39)	392.37	-	-	-	-	-	392.37	331.99
भूमि–उपयोग का अधिकार	316.00	(316.00)	-	-	-	-	35.49	(35.49)	-	-	-	-	280.51
सड़कें और पुल	315.83	-	89.80	-	-	405.63	134.65	-	24.60	0.01	159.26	246.37	181.18
भवन	3,078.27	-	52.93	0.59	(0.28)	3,130.33	1,080.83	-	86.15	(0.46)	1,166.52	1,963.81	1,997.44
भवन – पट्टे के अंतर्गत	17.01	(17.01)	-	-	-	-	0.36	(0.36)	-	-	-	-	16.65
रेलवे साइडिंग्स	36.10	-	-	-	-	36.10	32.63	-	3.47	-	36.10	-	3.47
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	22,520.13	-	25.19	1.41	-	22,543.91	9,206.44	-	931.37	(1.14)	10,136.67	12,407.24	13,313.69
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	11,202.45	-	120.29	27.23	(1.79)	11,293.72	4,728.57	-	468.30	(13.01)	5,183.86	6,109.86	6,473.88
संयंत्र तथा मशीनरी – सब – स्टेशन	102.93	-	4.74	0.17	0.02	107.52	63.07	-	2.30	(0.14)	65.23	42.29	39.86
संयंत्र तथा मशीनरी –पारेशण लाइनें	97.91	-	0.57	-	(0.21)	98.27	44.65	-	4.84	(0.01)	49.48	48.79	53.26
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	52.31	-	0.36	0.01	(0.16)	52.50	26.41	-	1.85	(0.02)	28.24	24.26	25.90
निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	111.95	-	1.80	1.49	0.33	112.59	79.32	-	4.00	(1.29)	82.03	30.56	32.63
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवरेज	62.24	-	2.93	0.01	-	65.16	18.24	-	2.07	(0.01)	20.30	44.86	44.00
विद्युतीय संस्थापनाएं	5.99	-	7.88	0.39	3.89	17.37	2.12	-	0.56	0.13	2.81	14.56	3.87
वाहन	33.08	-	1.04	1.41	-	32.71	17.57	-	1.49	(0.79)	18.27	14.44	15.51
विमान / नौकाएं	2.18	-	-	0.03	-	2.15	0.58	-	0.15	(0.02)	0.71	1.44	1.60
फर्नीचर और फिक्सचर	60.46	-	2.00	0.38	-	62.08	34.06	-	2.28	(0.29)	36.05	26.03	26.40
कम्प्यूटर और सहायक	69.45	-	7.16	3.32	-	73.29	54.53	-	6.40	(3.02)	57.91	15.38	14.92
संचार उपस्कर	17.57	-	0.59	0.22	-	17.94	8.89	-	0.68	(0.16)	9.41	8.53	8.68
कार्यालय उपस्कर	161.68	-	7.71	2.06	(3.28)	164.05	86.43	-	6.66	(1.58)	91.51	72.54	75.25
कुल	**38,595.53**	**(333.01)**	**386.17**	**39.13**	**(1.87)**	**38,607.69**	**15,654.84**	**(35.85)**	**1,547.17**	**(21.80)**	**17,144.36**	**21,463.33**	**22,940.69**
विगत वर्ष	33,240.98	-	5,450.88	30.23	(66.10)	38,595.53	14,150.87	-	1,591.73	(87.76)	15,654.84	22,940.69	19,090.11

टिप्पणी:–

उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत ''भूमि – उपयोग का अधिकार'' संबधी सृजित 10491.91 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10508.57 करोड़ रूपए) राशि के भूमिगत कार्यों को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संगत शीर्षों में शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.2: चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2021 को
सड़कें और पुल	7.13	5.56	-	4.41	8.28
भवन	929.54	46.31	(21.58)	31.95	922.32
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,031.26	612.96	(47.81)	14.47	5,581.94
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,650.57	106.17	(12.09)	85.75	2,658.90
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	-	2.41	-	-	2.41
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेशण लाइनें	1.52	1.13	-	0.27	2.38
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	0.49	2.34	-	1.16	1.67
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवरेज	2.95	3.51	-	4.81	1.65
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही परिसंपत्तियां	15.02	34.53	(3.96)	33.84	11.75
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	162.02	21.78	(0.31)	1.47	182.02
निर्माण पर आरोप्य व्यय **(टिप्पणी 32 देखें)**	8,028.63	1,248.89	(5.32)	11.88	9,260.32
उप जोड़	**16,829.13**	**2,085.59**	**(91.07)**	**190.01**	**18,633.64**
घटाएं: चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान **(टिप्पणी 2.2.2 देखें)**	820.78	144.63	(10.83)	-	954.58
उप जोड़ (क)	**16,008.35**	**1,940.96**	**(80.24)**	**190.01**	**17,679.06**
निर्माण भंडार	90.65		(14.90)		75.75
घटाएं: निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.35		(1.02)		0.33
उप जोड़ (ख)	**89.30**	**-**	**(13.88)**	**-**	**75.42**
कुल (क + ख)	**16,097.65**	**1,940.96**	**(94.12)**	**190.01**	**17,754.48**
विगत वर्ष	14,898.11	1,503.81	(16.58)	287.69	16,097.65

टिप्पणी:–

2.2.1 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के निमित्त 918.77 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 661.79 करोड़ रुपए) शामिल हैं। **(टिप्पणी–32 भी देखें)**

2.2.2 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 138.52 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 119.54 करोड़ रूपए) के सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार सहित 1192.72 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1141.05 करोड़ रूपए) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपए) की राशि सुबनसिरी अपर परियोजना से संबंधित हैं, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया है। तथापि, परियोजना को सौंपने और उस पर किए व्यय की वसूली लम्बित होने तक, पर्याप्त सावधानी के रूप में बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास परियोजनाओं से संबंधित 1149.20 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1097.53 करोड़ रूपए) के शेष में से, 911.06 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 777.26 करोड़ रूपए) की राशि, जहाँ अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं और 238.14 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 320.27 करोड़ रूपए) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जिन्हें स्वीकृति मिलने की तर्कसंगत निश्चितता है, को अग्रेणीत किया जाता है। **(टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)**

2.2.3 सियांग बेसिन, सुबनसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते, इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखांकित किया गया है। सियांग लोअर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबनसिरी मिडिल (सुबनसिरी बेसिन में) निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखाओं के निपटान से उत्पन्न होने वाली देयता, यदि कोई हो, संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूलीयोग्य है।

2.2.4 परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार के तहत वर्गीकृत 'भूमि – उपयोग का अधिकार' संबंधी सृजित 2317.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2234.15 करोड़ रुपए) राशि के भूमिगत कार्यों को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय की अवधि में संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ परियोजनाओं में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते, किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रेणीत किया जाता है।

2.2.7 अंनतिम आधार पर पूंजीकृत परिसम्पतियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(4) देखें।

2.2.8 परिसम्पतियों की हानियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.2.9 नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के बाद, कंपनी ने वर्ष के दौरान बैरास्यूल पावर स्टेशन की यूनिट 1 को चालू और पूंजीकृत किया है।

टिप्पणी सं. 2.2: चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2019 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2020 को
सड़कें और पुल	92.99	2.94	-	88.80	7.13
भवन	906.11	76.37	2.11	55.05	929.54
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	4,520.38	521.42	6.13	16.67	5,031.26
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,584.49	134.14	0.49	68.55	2,650.57
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	2.98	1.31	-	4.29	-
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेशण लाइनें	1.28	1.15	(0.01)	0.90	1.52
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	-	0.49	-	-	0.49
निर्माण उपस्कर	-	0.02	-	0.02	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.93	2.80	-	1.78	2.95
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही परिसंपत्तियां	12.37	41.62	(0.46)	38.51	15.02
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	157.65	4.36	0.01	-	162.02
निर्माण पर आरोप्य व्यय **(टिप्पणी 32 देखें)**	7,178.58	871.92	(8.75)	13.12	8,028.63
उप जोड़	**15,458.76**	**1,658.54**	**(0.48)**	**287.69**	**16,829.13**
घटाएं: चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान **(टिप्पणी 2.2.2 देखें)**	666.05	154.73	-	-	820.78
उप जोड़ (क)	**14,792.71**	**1,503.81**	**(0.48)**	**287.69**	**16,008.35**
निर्माण भंडार	107.81		(17.16)		90.65
घटाएं: निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	2.41		(1.06)		1.35
उप जोड़ (ख)	**105.40**	**-**	**(16.10)**	**-**	**89.30**
कुल (क + ख)	**14,898.11**	**1,503.81**	**(16.58)**	**287.69**	**16,097.65**
विगत वर्ष	18,813.96	1,518.48	(84.37)	5,349.96	14,898.11

टिप्पणी:–

2.2.1 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के निमित्त 661.79 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 368.11 करोड़ रुपए) शामिल हैं। **(टिप्पणी–32 भी देखें)**

2.2.2 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 119.54 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 148.93 करोड़ रूपए) के सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार सहित 1141.05 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1419.98 करोड़ रूपए) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपए) की राशि सुबनसिरी अपर परियोजना से संबंधित हैं, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया है। तथापि, परियोजना को सौंपने और उस पर किए व्यय की वसूली लम्बित होने तक, पर्याप्त सावधानी के रूप में बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास परियोजनाओं से संबंधित 1097.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1376.46 करोड़ रूपए) के शेष में से, 777.26 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 622.53 करोड़ रूपए) की राशि, जहाँ अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं और 320.27 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 753.93 करोड़ रूपए) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जिन्हें स्वीकृति मिलने की तर्कसंगत निश्चितता है, को अग्रेणीत किया जाता है। **(टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)**

2.2.3 सियांग बेसिन, सुबनसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते, इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखांकित किया गया है। सियांग लोअर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबनसिरी मिडिल (सुबनसिरी बेसिन में) निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखाओं के निपटान से उत्पन्न होने वाली देयता, यदि कोई हो, संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूलीयोग्य है।

2.2.4 परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार के तहत वर्गीकृत 'भूमि – उपयोग का अधिकार' संबंधी सृजित 2234.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2172.97 करोड़ रुपए) राशि के भूमिगत कार्यों को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय की अवधि में संशोधन होते है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ परियोजनाओं में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते, किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रेणीत किया जाता है।

2.2.7 अंनतिम आधार पर पूंजीकृत परिसम्पतियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(4) देखें।

2.2.8 परिसम्पतियों की हानियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.2.9 चल रहे पूंजीगत कार्य में 7263.48 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6317.39 करोड़ रूपए) की सुबनसिरी लोअर एचई परियोजना से संबंधित राशि शामिल है जहां दिसम्बर, 2011 से सितम्बर, 2019 तक निर्माण क्रियाकलापों में व्यवधान के पश्चात सक्रिय निर्माण अक्तूबर, 2019 में पुनः प्रारंभ हो गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.3 उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि – पट्टाधारित (टिप्पणी 2.3.1 देखें)	315.44	-	-	(3.50)	311.94	33.65	11.33	(0.61)	44.37	267.57	281.79
पट्टे के अधीन भवन	21.27	1.47	17.34	-	5.40	2.38	1.85	(1.18)	3.05	2.35	18.89
वाहन	3.44	1.57	0.61	-	4.40	1.93	1.82	(0.61)	3.14	1.26	1.51
भूमि – उपयोग का अधिकार	1,564.03	-	0.17	(38.91)	1,524.95	39.24	10.30	(6.33)	43.21	1,481.74	1,524.79
कुल	**1,904.18**	**3.04**	**18.12**	**(42.41)**	**1,846.69**	**77.20**	**25.30**	**(8.73)**	**93.77**	**1,752.92**	**1,826.98**
विगत वर्ष	14.90	636.87	0.37		1,904.18		27.32	(0.10)	77.20	1,826.98	

टिप्पणी:–

2.3.1 क) भूमि – पट्टाधारित में सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से 1/– रूपए के कल्पित मूल्य पर 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्रफल में से 1.06 हेक्टयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) भूमि भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को सौंप दी गई है।

ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 397.21 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 530.88 हेक्टेयर) क्षेत्र की 165.35 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 251.40 करोड़ रूपए) की कुल राशि की पट्टाधारित भूमि से संबधित विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2.3.2 परिसंपतियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(18) देखें।

2.3.3 सकल ब्लॉक और मूल्यह्रास के समायोजन में टीएलडी–III पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत पट्टा प्राप्यों के रूप में मान्यताप्राप्त और परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार से विमान्यकृत राशि के लिए समायोजन शामिल है, जिसे इंड एएस 116–पट्टों के तहत वित्त पट्टे के रूप में लेखांकित किया गया है। (टिप्पणी 34(16)(ख)(ii) देखें)

2.3.4 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित मूल्यह्रास के अनुसार उपयोग का अधिकार वाली परिसम्पतियों के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध–I में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध–1 उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां
उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि – पट्टाधारित	328.85	-	-	(3.76)	325.09	47.06	11.33	(0.87)	57.52	267.57	281.79
पट्टे के अधीन भवन	21.27	1.47	17.34	-	5.40	2.38	1.85	(1.18)	3.05	2.35	18.89
वाहन	3.44	1.57	0.61	-	4.40	1.93	1.82	(0.61)	3.14	1.26	1.51
भूमि – उपयोग का अधिकार	1,592.98	-	0.17	(40.77)	1,552.04	68.19	10.30	(8.19)	70.30	1,481.74	1,524.79
कुल	**1,946.54**	**3.04**	**18.12**	**(44.53)**	**1,886.93**	**119.56**	**25.30**	**(10.85)**	**134.01**	**1,752.92**	**1,826.98**
विगत वर्ष	14.90	636.87	0.37	(0.01)	1,946.54		27.32	(0.10)	119.56	1,826.98	

टिप्पणी सं. 2.3 उपयोग परिसंपत्तियां का अधिकार

(करोड़ रूपए मेंद्ध

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – पट्टाधारित	9.10	302.58	3.76	-	-	315.44	-	22.08	11.57	-	33.65	281.79	
(टिप्पणी 2.3.1 देखें)													
पट्टे के अधीन भवन	3.61	17.01	0.97	0.32	-	21.27	-	0.36	2.09	(0.07)	2.38	18.89	
(टिप्पणी 2.3.2 देखें)													
वाहन	2.19	-	1.30	0.05	-	3.44	-	-	1.96	(0.03)	1.93	1.51	
भूमि – उपयोग का अधिकार	-	933.19	630.84	-	-	1,564.03	-	27.54	11.70	-	39.24	1,524.79	-
कुल	**14.90**	**1,252.78**	**636.87**	**0.37**	**-**	**1,904.18**	**-**	**49.98**	**27.32**	**(0.10)**	**77.20**	**1,826.98**	**-**
विगत वर्ष													

टिप्पणीः–

2.3.1 क) भूमि – पट्टाधारित में सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से 1/– रूपए के कल्पित मूल्य पर 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्रफल में से 1.06 हेक्टयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) भूमि भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को सौंप दी गई है।

ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 530.88 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 519.68 हेक्टेयर) क्षेत्र की 251.40 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 247.90 करोड़ रूपए) की कुल राशि की पट्टाधारित भूमि से संबधित विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

ग) भूमि – पट्टाधारित में इंड एएस–116–पट्टे के अनुसरण में उपयोग का अधिकार वाली परिसम्पति के रूप में वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त 9.41 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) की राशि शामिल है जिसे पहले प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। इंड एएस 116 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटन के लिए टिप्पणी 34(16) देखें।

2.3.2 "पट्टे के अंतर्गत भवन" में किदवई नगर, नई दिल्ली में 17.01 करोड रूपए (पिछले वर्ष 17.01 करोड़ रूपए) की राशि का 5001 वर्ग फुट भवन स्थल शामिल है जिसका अधिग्रहण वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किया गया था। इससे संबंधित पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।

2.3.3 परिसंपतियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(18) देखें।

2.3.4 1252.78 करोड़ रूपए की राशि के भूमि – पट्टाधारित, भवन – पट्टाधारित एवं उपयोग अधिकार वाली भूमि का वर्ष के दौरान पुनःवर्गीकरण इंड एएस–116 पट्टे के कारण सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पपतियों से किया गया है।

2.3.5 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित मूल्यह्रास के अनुसार उपयोग का अधिकार वाली परिसम्पतियों के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध–I में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध–1 उपयोग परिसंपत्तियां का अधिकार

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	10.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03. 2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – पट्टाधारित	9.10	316.00	3.76	-	(0.01)	328.85	-	35.49	11.57	-	47.06	281.79	
पट्टे के अधीन भवन	3.61	17.01	0.97	0.32	-	21.27	-	0.36	2.09	(0.07)	2.38	18.89	
वाहन	2.19	-	1.30	0.05	-	3.44	-	-	1.96	(0.03)	1.93	1.51	
भूमि – उपयोग का अधिकार	-	962.14	630.84	-	-	1,592.98	-	56.49	11.70	-	68.19	1,524.79	-
कुल	**14.90**	**1,295.15**	**636.87**	**0.37**	**(0.01)**	**1,946.54**	**-**	**92.34**	**27.32**	**(0.10)**	**119.56**	**1,826.98**	**-**
विगत वर्ष													

टिप्पणी सं. 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
विगत वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपए में)

31.03.2021 को	31.03.2020 को
72.87	53.58

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.4.3 निवेश संपत्ति में वह फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, कंपनी संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा इसे उचित मूल्यांकन स्तर के स्तर–II में माना गया है।

टिप्पणी सं. 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को वर्ष के लिए		समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
विगत वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपए में)

31.03.2020 को	31.03.2019 को
53.58	53.58

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.4.3 निवेश संपत्ति में वह फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, कंपनी संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा इसे उचित मूल्यांकन स्तर के स्तर–3 में माना गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को वर्ष के लिए		समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10.96	5.03	0.17	(0.23)	15.59	10.24	2.22	(0.39)	12.07	3.52	0.72
कुल	**10.96**	**5.03**	**0.17**	**(0.23)**	**15.59**	**10.24**	**2.22**	**(0.39)**	**12.07**	**3.52**	**0.72**
विगत वर्ष	943.52	0.66	0.03		10.96	36.86	0.95	(0.03)	10.24	0.72	

टिप्पणी:–

2.5.1 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित मूल्यमह्रास के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध–I में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध-I अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	48.59	5.03	0.47	(0.28)	52.87	47.87	2.22	(0.74)	49.35	3.52	0.72
कुल	**48. 59**	**5.03**	**0.47**	**(0.28)**	**52.87**	**47.87**	**2.22**	**(0.74)**	**49.35**	**3.52**	**0.72**
विगत वर्ष	1,010.24	0.66	0.17		48.59	103.58	0.95	(0.17)	47.87	0.72	

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						परि ोधन					निवल ब्लाक	
	01.04. 2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03. 2020 को	01.04. 2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनवर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03. 2020 को	31.03. 2020 को	31.03. 2019 को
भूमि – उपयोग का अधिकार **(टिप्पणी 2.5.1 देखें)**	933.19	(933.19)	-	-	-	-	27.54	(27.54)	-	-	-	-	905.65
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10.33	-	0.66	0.03	-	10.96	9.32	-	0.95	(0.03)	10.24	0.72	1.01
कुल	**943.52**	**(933.19)**	**0.66**	**0.03**	**-**	**10.96**	**36.86**	**(27.54)**	**0.95**	**(0.03)**	**10.24**	**0.72**	**906.66**
विगत वर्ष	948.11		0.85	-	(5.44)	943.52	24.73		11.24	0.89	36.86	906.66	923.38

टिप्पणी:–

2.5.1 भूमि – 933.19 करोड़ रूपए की राशि के उपयोग के अधिकार को इंड एएस–116 के कारण पुनः वर्गीकृत किया गया है और उन्हें तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंड एएस 116 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटन के लिए टिप्पणी 34(16) देखें।

2.5.2 परिसम्पतियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित मूल्यह्रास के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध–I में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध-I अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						परि ोधन					निवल ब्लाक	
	01.04. 2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुर्नवर्गीकरण	संवर्द्धन	कटौती	समायोजन	31.03. 2020 को	01.04. 2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुर्नवर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03. 2020 को	31.03. 2020 को	31.03. 2019 को
भूमि – उपयोग का अधिकार	962.14	(962.14)	-	-	-	-	56.49	(56.49)	-	-	-	-	905.65
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	48.10	-	0.66	0.17	-	48.59	47.09	-	0.95	(0.17)	47.87	0.72	1.01
कुल	**1,010.24**	**(962.14)**	**0.66**	**0.17**	**-**	**48.59**	**103.58**	**(56.49)**	**0.95**	**(0.17)**	**47.87**	**0.72**	**906.66**
विगत वर्ष	1,016.12		0.85	0.33	(6.40)	1,010.24	92.74		11.24	(0.40)	103.58	906.66	

टिप्पणी सं. 3.1: गैर-वर्तमान निवेश

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपए में)
क. उद्धृत इक्विटी दस्तावेज – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
कारपोरेट कंपनी (पूर्णतः प्रदत्त)				
इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-	360800	0.25
(10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	12000000	93.30	12000000	46.32
(10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
कुल (क)		**93.30**		**46.57**
ख. अनुद्धृत इक्विटी दस्तावेज – लागत पर				
(i) सहायक कम्पनियां (पूर्णतः प्रदत्त)				
– एनएचडीसी लिमिटेड	10024200	1,002.42	10024200	1,002.42
(1000/–रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
– लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड **(टिप्पणी 34(8) देखें)**	98902309	98.90	90292309	90.29
(10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
– बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड **(टिप्पणी 34(8) और 34(17) देखें)**	16263500	16.26	4999999	5.00
(10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
– लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड **(टिप्पणी 34(8) और 34(17) देखें)**	970500000	970.50	920500000	920.50
(10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
(ii) संयुक्त उद्यम (पूर्णतः प्रदत्त)				
– चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) और 34(17) देखें)	1287850000	1,287.85	888000000	888.00
(10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
– नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	30400000	30.40	30400000	30.40
(10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
कुल (ख)		**3,406.33**		**2,936.61**
ग. उद्धृत ऋण दस्तावेज – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
(क) सरकारी प्रतिभूतियां (टिप्पणी 3.1.2 और 3.1.4 देखें)				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 27 मार्च 2024	150000	162.28	150000	162.76
(10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 15 सितंबर 2024	12380	13.37	12380	13.36
(10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 21 सितंबर 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	63.04	57000	62.52
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2027	17940	19.78	17940	19.67
(10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 15 फरवरी 2032	35000	39.26	35000	39.38
(10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2032	34000	38.24	34000	38.24
(10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)				
उप जोड़ (क)		**335.97**		**335.93**

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपए में)
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और निगमित कंपनी के बांड				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15.11.2032 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.79	120	13.79
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27.03.2027 (1000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	12.50	100000	11.94
8.48 एनएचएआई कर मुक्त 22.11.2028 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	59.79	473	55.90
उप जोड़ (ख)		**86.08**		**81.63**
कुल (ग) (क + ख)		**422.05**		**417.56**
कुल (क + ख + ग)		**3,921.68**		**3,400.74**
3.1.1 (i) उद्धृत निवेश की समग्र राशि और बाजार मूल्य		515.35		464.13
(ii) अनुद्धृत निवेश की समग्र राशि 3		406.33		2936.61

3.1.2 165.50 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 165.50 करोड़ रूपए) लागत पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान परिपक्व हो रहे बांड के कुल चुकौती मूल्य के 15 प्रतिशत होते हुए 165.42 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 165.42 करोड़ रूपए) के प्रति प्रतिभूति के रूप में निर्धारित किया गया है।

3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथा अपेक्षित निवेश के ब्यौरे उपर्युक्त टिप्पणी सं. 3.1 के अंतर्गत प्रकट किये गये हैं।

3.1.4 ऋण दस्तावेजों के संबंध में उद्धृत निवेश जिसके लिए दर–सूची उपलब्ध नहीं है, उसके बाजार मूल्य को फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरीवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्य के आधार पर माना गया है।

टिप्पणी संख्या 3.2 गैर-वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिशोधित लागत पर		
क.	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	23.00	22.45
	उप–जोड़	**23.00**	**22.45**
ख.	**संबद्ध पक्षकार को ऋण – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित**		
	– नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) एवं 3.2.4 देखें)	18.40	-
	उप–जोड़	**18.40**	**-**
ग.	**कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.2.1 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	108.55	97.16
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	56.70	3.24
	उप–जोड़	**165.25**	**100.40**
घ.	**अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.2.2 एवं 3.2.4 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	736.62	675.80
	उप–जोड़	**736.62**	**675.80**
	कुल	**943.27**	**798.65**

3.2.1	कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से बकाया **(टिप्पणी 34(8) देखें)**	0.06	शून्य
3.2.2	अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण में निम्निलिखित शामिल है:		
	– मूलधन	225.00	225.00
	– ब्याज	511.62	450.80

3.2.3 ऋण वे गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जिनसे कंपनी को निर्धारित अथवा परिवर्तनशील ब्याज आय प्राप्त होती है। वहनीय मूल्य दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है।

3.2.4 व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए ऋणों को दर्शाता है।

3.2.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी संख्या 3.3 गैर-वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	0.35	0.35
ख.	पट्टा किराया प्राप्य (टिप्पणी 34(16)(ख) देखें)	2,563.17	1,384.63
ग.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए वसूलीयोग्य राशि (टिप्पणी 3.4.3 और 11(ए) देखें)	2,017.20	2,017.20
घ.	निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याजः		
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	0.05	0.02
ङ.	व्युत्पन्न बाजार से बाजार परिसंपत्ति	18.21	33.71
च.	भोयर अनुप्रयोग रा ि ा लंबित आबंटन **(टिप्पणी 3.3.3 देखें)**	318.29	-
	कुल	**4,917.27**	**3,435.91**

3.3.1 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों की देय राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 16.2.1 देखें।

3.3.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

3.3.3 शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन में निम्नलिखित सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर पूंजी के अभिदान के निमित्त अंशदान शामिल है:–

(करोड़ रुपए में)

	सहायक कंपनी	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (ोयर आवंटन की तारीख 18 अप्रैल, 2021)	28.14	-
ख.	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (ोयर आवंटन की तारीख 21 अप्रैल, 2021)	25.00	-
ग.	जल पावर कारपोरे ान लिमिटेड (ोयर आवंटन की तारीख 6 मई, 2021)	165.00	-
संयुक्त उद्यम कंपनी			
क.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (ोयर आवंटन की तारीख 5 अप्रैल, 2021)	100.15	-
	कुल	**318.29**	**-**

टिप्पणी संख्या 4 गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	853.04
घटाएं: वर्तमान कर के लिए प्रावधान	-	752.51
गैर–वर्तमान कर (निवल)	-	100.53
गैर–वर्तमान कर **(टिप्पणी संख्या 23 देखें)**	-	38.37
कुल	**-**	**138.90**

टिप्पणी सं. 5: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**पूंजी अग्रिम**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	56.70	45.06
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित		
	– बैंक गारंटी के बदले	154.00	164.73
	– अन्य	175.79	198.23
	घटाएं: लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र में बुक किए गए व्यय	19.18	30.28
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	6.07	10.20
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.1 देखें)	6.07	10.20
	उप जोड़	**367.31**	**377.74**
ख.	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम**		
i)	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	49.35	12.33
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	-	0.04
	घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.2 देखें)	-	0.04
	उप जोड़	**49.35**	**12.33**
ii)	**अन्य अग्रिम**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	0.24	0.49
	उप जोड़	**0.24**	**0.49**
ग.	**प्रोद्भूत ब्याज**		
	अन्य		
	– अच्छे माने गए	2.52	47.97
	उप जोड़	**2.52**	**47.97**
घ.	**अन्य**		
i)	**पूंजीगत कार्यों के निमित्त मध्यस्थता निर्णयों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूतित)**		
	ठेकेदारों को जारी – बैंक गारंटी के बदले	1,140.45	697.09
	ठेकेदारों को जारी – अन्य	34.61	34.61
	न्यायालय में जमा	1,383.31	1,222.90
	उप जोड़	**2,558.37**	**1,954.60**
ii)	**आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां/व्यय**		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	356.93	468.37
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	173.83	131.53
	उप जोड़	**530.76**	**599.90**
iii)	कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों पर आस्थगित लागत	**52.16**	**42.38**
	कुल	**3,560.71**	**3,035.41**
5.1	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	10.20	4.49
	समायोजन	-	5.82
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	4.13	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.11
	अंतिम शेष	**6.07**	**10.20**
5.2	**संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	0.04	0.04
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.04	-
	अंतिम शेष	**-**	**0.04**
5.3	शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।		
5.4	वर्ष के अंत में निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से देय अग्रिम	शून्य	शून्य
5.5	उन फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 6: मालसूची

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	(लागत अथवा निवल वसूली मूल्य के न्यूनतम पर मूल्यांकित)		
	भंडार तथा कलपुर्जे	128.38	121.38
	परगमन में भंडार/लंबित निरीक्षण	0.63	0.81
	खुले औजार	2.03	2.51
	रद्दी मालसूची	1.88	1.29
	घटाएं: अप्रचलन तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 6.1 देखें)**	8.50	7.75
	कुल	**124.42**	**118.24**
6.1	**अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	7.75	8.10
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी संख्या 6.1.1 देखें)**	0.83	0.23
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	0.19
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित **(टिप्पणी संख्या 6.1.2 देखें)**	0.08	0.39
	अंतिम शेष	**8.50**	**7.75**
6.1.1	वर्ष के दौरान, निवल वसूलीयोग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्चलेखित मालसूची और लाभ तथा हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.83	0.23
6.1.2	पूर्ववर्ती वर्ष में बुक की गई और अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित मालसूची के अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.08	0.39

टिप्पणी सं. 7: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	– व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित **(टिप्पणी संख्या 7.2, 7.3 और 7.5 देखें)**	3,206.02	3,585.12
	– व्यापार प्राप्य – प्रभावित ऋण **(टिप्पणी संख्या 7.2 और 7.3 देखें)**	33.76	37.71
	घटाएं – व्यापार प्राप्य के लिए हानि प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 7.1 देखें)**	33.76	37.71
	कुल	**3,206.02**	**3,585.12**
7.1	**व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	37.71	37.71
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	3.95	-
	अंतिम शेष	**33.76**	**37.71**
7.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
7.3	उपरोक्त मद 7.2 पर कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	शून्य	शून्य

7.4 वर्तमान प्राप्यों की अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनकी वहनीय राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

7.5 विभिन्न बैंकों से बिलों में छूट के माध्यम से परिसमाप्त 726.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 714.31 करोड़ रुपए) की राशि के व्यापार प्राप्यों को बिल छूट करारों की शर्तों के अनुसार विमान्यकृत किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों से चूक के मामले में क्रेडिट हानियों के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है। रियायती बिलों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताओं के संबंध में टिप्पणी 20.1.1 देखें।

7.6 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 8: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**बैंकों के पास शेष**		
	अनुसूचित बैंकों के पास		
	प) चालू खाते में	145.56	8.86
ख.	**हस्तगत नकदी (टिप्पणी सं. 8.1 देखें)**	0.01	0.01
	कुल	**145.57**	**8.87**
8.1	इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं	0.01	0.01

टिप्पणी सं. 9: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता के लिए बैंक जमा **(टिप्पणी संख्या 9.1 देखें)**	655.81	268.82
ख	जमा – भुगतान न किया गया लाभांश	23.47	22.64
ग.	जमा – भुगतान न किया गया ब्याज	87.14	86.90
घ.	बैंकों के पास अन्य अभिनिर्धारित शेष **(टिप्पणी संख्या 9.2 देखें)**	1.97	1.89
	कुल	**768.39**	**380.25**
9.1	इसमें ऐसे शेष शामिल है जो अन्य एजेसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु धारित हैं और कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।	155.81	268.78
9.2	इसमें ऐसे शेष शामिल है जो कंपनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं:		
	i) अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित	1.41	1.36
	ii) माननीय सिक्किम उच्च न्यायालय के आदे ा के अनुसरण में सृजित एनएचपीसी आपातकालीन राहत निधि	0.56	0.53

टिप्पणी सं. 10: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	0.36	0.48
	उप जोड़	**0.36**	**0.48**
ख.	**संबंधित पक्षकार को ऋण (उस पर ब्याज सहित) – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित**		
	– नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड **(टिप्पणी सं. 34(8) और 10.6 देखें)**	0.42	6.27
	उप जोड़	**0.42**	**6.27**
ग.	**कर्मचारियों को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी संख्या 10.2 देखें)**		
	– ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	14.30	13.07
	– ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	33.36	26.21
	– ऋण प्राप्य, जिनसे ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है	0.01	0.01
	घटाएं: ऐसे ऋणों के लिए हानि प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है **(टिप्पणी संख्या 10.1 देखें)**	0.01	0.01
	उप जोड़	**47.66**	**39.28**
	कुल	**48.44**	**46.03**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
10.1	**ऐसे ऋणों के लिए हानि प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है**		
	प्रारंभिक शेष	0.01	0.01
	अंतिम शेष	**0.01**	**0.01**
10.2	कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से देय **(टिप्पणी संख्या 34(8) देखें)**	0.22	0.05
10.3	ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम राशि, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है	शून्य	शून्य
10.4	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथापेक्षित ऋणों के विवरणों को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 10 के तहत प्रकट किया गया है।		
10.5	शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।		
10.6	व्यापारिक उद्देश्य के लिए दिए गए ऋण को प्रस्तुत किया गया है।		

टिप्पणी सं. 11: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – अन्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	प्राप्य राशि	915.03	727.07
	घटाएं – संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं. 11.1 देखें)**	275.15	285.72
	उप जोड़	**639.88**	**441.35**
ख.	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य **(टिप्पणी सं. 11.2 देखें)**	1,358.67	2,146.83
ग.	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य **(टिप्पणी सं. 11.3 और 34(8) देखें)**	47.82	49.25
घ.	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	89.77	233.22
ङ.	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) **(टिप्पणी सं. 34(16)(ख) देखें)**	101.29	51.60
च.	लाभार्थी से वसूलीयोग्य ब्याज	141.42	3.52
छ.	बैंक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज आय **(टिप्पणी सं. 11.4 देखें)**	0.25	0.19
ज.	निवेश (बॉण्ड) पर प्रोद्भूत ब्याज	2.53	2.52
झ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों पर वसूलीयोग्य राशि **(टिप्पणी सं. 3.3(ग) देखें)**		
	– प्रोद्भूत ब्याज	4.49	4.48
	कुल	**2,386.12**	**2,932.96**
11.1	**संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	285.72	203.37
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	8.50	85.69
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	17.56	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.51	3.34
	अंतिम शेष	**275.15**	**285.72**
11.2	**के लिए प्रस्तुत प्राप्यः**		
	इक्विटी पर लाभ को सकल रूप देना	(134.47)	(40.78)
	जल उपकर	64.89	647.12
	मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री	481.59	451.16
	2009–14 के लिए एनएपीएएफ में संशोधन – सेवा–II पावर स्टेशन	49.52	-
	लंबित संशोधन/अनुमोदन के कारण वार्षिक नियत प्रभार – टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन	-	128.65
	पुनःवित्तपोषण और बांड इश्यू व्ययों के कारण बचत	(23.33)	(2.66)
	आस्थगित कर कार्यान्वयन सहित कर समायोजन	55.81	133.05
	ऊर्जा कमी	63.85	149.52
	वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त प्रभाव	159.90	112.59
	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन	51.92	43.68
	प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा प्रतिभूति व्यय – नए टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार वृद्धि	635.74	243.17

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परियोजना के जीवनकाल में परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास	(312.50)	(47.91)
मजदूरी संशोधन	419.48	204.85
देनदार का बिल न किया गया – विद्युत व्यापार व्यवसाय	-	58.03
वार्षिक नियत प्रभारों का संशोधन – सेवा–II, उड़ी–II, चमेरा–III और टीएलडीपी–III पावर स्टेशन	-	92.33
ट्रूइंग–अप 2014–19 का प्रभाव और 2019–24 के लिए याचिका दायर की गई	(13.19)	83.89
दर संशोधन – टीएलडीपी–III पावर स्टेशन	(157.12)	(123.18)
अन्य	16.58	13.32
कुल	**1,358.67**	**2,146.83**

11.3 सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य में किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं पर किये गये पूंजीगत व्यय के निमित्त कंपनी का दावा शामिल है जिन्हें मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।

11.4 अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष राशि पर 0.16 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.15 करोड़ रुपए) का अर्जित ब्याज शामिल है और यह कंपनी के व्यापार के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।

11.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 12: वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
क.	स्रोत पर काटे गए कर सहित अग्रिम आय कर	2,784.04	1,373.29
ख.	घटाएं: वर्तमान कर के लिए प्रावधान	2,620.11	1,286.34
	निवल वर्तमान कर परिसंपत्तियां (क–ख)	**163.93**	**86.95**
	वापसीयोग्य आय कर	1.80	40.19
	कुल	**165.73**	**127.14**

टिप्पणी सं. 13: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम**		
क)	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	25.67	18.88
	घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के लिए बुक किया गया व्यय	-	0.10
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	74.79	0.01
	घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.1 देखें)**	74.79	0.01
	उप जोड़	**25.67**	**18.78**
ख)	**संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी सं 13.8 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	-	0.76
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित		
	– बैंक गारंटी के प्रति	1.02	13.40
	– अन्य	28.74	52.53
	घटाएं: लंबित उपयोग प्रमाणपत्र के लिए बुक किया गया व्यय	12.41	12.26
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	45.52	45.52
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.2 देखें)**	45.52	45.52
	उप जोड़	**17.35**	**54.43**
ग)	**अन्य अग्रिम – कर्मचारी**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित **(टिप्पणी सं 13.7 देखें)**	0.67	2.88
	उप जोड़	**0.67**	**2.88**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	घ) प्रोद्भूत ब्याजः		
	अन्य		
	– अच्छे माने गए	1.32	67.45
	– संदिग्ध माने गए	-	-
	घटाएं: संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.3 देखें)**	-	-
	उप जोड़	**1.32**	**67.45**
ख.	**अन्य**		
	क) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
	घटाएं: पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.4 देखें)**	37.06	37.06
	उप जोड़	**-**	**-**
	ख) पश्च लेखन स्वीकृति/लंबित जांच हेतु प्रतीक्षित हानियां	8.47	11.45
	घटाएं: लंबित जांच/पश्चलेखन की प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.5 देखें)**	8.47	11.45
	उप जोड़	**-**	**-**
	ग) **पूर्वप्रदत्त व्यय**	177.45	131.06
	घ) **कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत**	9.29	4.75
	ङ) **आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव**		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	50.03	38.32
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	4.56	1.71
	च) **अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं 13.9 देखें)**	10.82	5.47
	उप जोड़	**252.15**	**181.31**
	छ) **प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट**	29.09	16.53
	घटाएं: प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.6 देखें)**	13.54	-
	उप जोड़	**15.55**	**16.53**
	ज) **अन्य (ठेकेदारों को जारी सामग्री के संबंध में मुख्यतः)**	59.37	34.53
	कुल	**372.08**	**375.91**
13.1	**संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	0.01	0.01
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	74.78	-
	अंतिम शेष	**74.79**	**0.01**
13.2	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकर्ता)**		
	प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
	अंतिम शेष	**45.52**	**45.52**
13.3	**संदिग्ध प्रोद्भूत ब्याज हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	-	108.90
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	108.90
	अंतिम शेष	**-**	**-**
13.4	**पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
	अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**
13.5	**जांच लंबित/पश्चलेखन प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	11.45	39.20
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.21	0.26
	समायोजन	-	1.24
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.18	29.08
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	3.01	0.17
	अंतिम शेष	**8.47**	**11.45**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
13.6	प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	13.54	-
	अंतिम शेष	**13.54**	**-**
13.7	वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय ऋण तथा अग्रिम	शून्य	शून्य
13.8	उन फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
13.9	निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।		
13.10	शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 14: विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क)	**सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष**		
	प्रारंभिक शेष	3,470.59	3,267.34
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	-	203.25
	अंतिम शेष	**3,470.59**	**3,470.59**
(ख)	**तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन**		
	प्रारंभिक शेष	631.90	631.90
	अंतिम शेष	**631.90**	**631.90**
(ग)	**किशनगंगा पावर स्टेशनः टैरिफ के अनतिक्रम के कारण अंतरीय मूल्यह्रास**		
	प्रारंभिक शेष	367.60	171.98
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	195.51	195.62
	अंतिम शेष	**563.11**	**367.60**
(घ)	**मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर**		
	प्रारंभिक शेष	0.02	(0.97)
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	1.70	0.99
	अंतिम शेष	**1.72**	**0.02**
(ङ)	**2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीयोग्य आस्थगित कर के लिए समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	1,529.02	1,654.73
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	75.46	125.71
	अंतिम शेष	**1,453.56**	**1,529.02**
(च)	**2014–2019 और उससे आगे की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर देयताओं के लिए समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	837.09	767.63
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	6.28	69.46
	अंतिम शेष	**843.37**	**837.09**
(छ)	**कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान उधार और व्यय की गई अन्य लागतों के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष**		
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी सं 31 देखें)**	99.06	-
	अंतिम शेष	**99.06**	**-**
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	**7,063.31**	**6,836.22**
	घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	(306.68)	(330.86)
	जोड़ें: लाभार्थियों से वसूलीयोग्य आस्थगित कर	(306.68)	(330.86)
	आस्थगित कर का निवल विनियामक आस्थगित लेखा शेष	**7,063.31**	**6,836.22**

14.1 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) और 34(22) देखें।

टिप्पणी संख्या 15.1: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी (सममूल्य प्रति शेयर 10/–रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों (सममूल्य प्रति शेयर 10/–रुपए)	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलानः

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्रारंभिक शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03
अंतिम शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय–समय पर उनके लिए घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों का वितरण करने के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए शेयरः

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	(प्रतिशत) में	संख्या	(प्रतिशत) में
– भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	7126772676	70.95%
– भारतीय जीवन बीमा निगम	739309259	7.36%	736631947	7.33%

15.1.4 तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान 10 रुपए प्रत्येक के 1,02,56,33,691 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की गई।

टिप्पणी सं. 15.2: अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	**पूंजी मोचन आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	2,255.71	2,255.71
	तुलन–पत्र की तारीख को	**2,255.71**	**2,255.71**
(ii)	**बांड मोचन आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1,948.38	2,193.35
	घटाएं: अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	306.43	244.97
	तुलन–पत्र की तारीख को	**1,641.95**	**1,948.38**
(iii)	सामान्य आरक्षित		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	9,724.72	9,724.72
	तुलन–पत्र की तारीख को	**9,724.72**	**9,724.72**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(iv)	**अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	5,933.58	4,889.54
	जोड़ें – वर्ष के दौरान लाभ	3,233.37	3,007.17
	जोड़ें – वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	(43.16)	29.37
	जोड़ें – बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरण	306.43	244.97
	घटाएं: लाभांश (अंतिम और अंतरिम)	1,577.07	1,938.69
	घटाएं: लाभांश पर कर	-	298.78
	तुलन–पत्र की तारीख को	**7,853.15**	**5,933.58**
(ix)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण दस्तावेज**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	42.18	30.08
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	3.23	12.10
	तुलन–पत्र की तारीख को	**45.41**	**42.18**
(vi)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – इक्विटी दस्तावेज**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	34.21	76.30
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	47.13	(42.09)
	तुलन–पत्र की तारीख को	**81.34**	**34.21**
	कुल	**21,602.28**	**19,938.78**

15.2.1 आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

(i) **पूंजी मोचन आरक्षित –** यदि शेयरों की पुनः खरीद को आरक्षित मुक्त किया जाए तो कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित है। इस प्रकार पुनः खरीद किए गए शेयरों के कल्पित मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

(ii) **बॉण्ड मोचन आरक्षित –** कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार, कंपनी के लिए बांडों के मोचन के उद्देश्य के लिए उपलब्ध लाभों से बांड मोचन आरक्षित सृजित करना अपेक्षित था। कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 कंपनी को बांड मोचन आरक्षित के सृजन से छूट देती है। संशोधन नियमावली, 2019 में आगे यह निर्धारित है कि कंपनी द्वारा डिबेंचर मोचन आरक्षित में जमा की गई राशि का उपयोग डिबेंचर के मोचन के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। तद्नुसार, यद्यपि 31.03.2019 तक सृजित बांड मोचन आरक्षित को अग्रेणीत किया गया है और उनका वर्ष के दौरान मोचित किए गए बांडों के लिए आगे उपयोग किया गया, आरक्षित में कोई अतिरिक्त प्रोद्भवन नहीं किया गया है।

(iii) **सामान्य आरक्षितः** सामान्य आरक्षित राशि का उपयोग समय–समय पर विनियोजन के प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ के अंतरण के लिए किया गया है क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरित करके सृजित किया गया है।

(iv) **अधिशेष/प्रतिधारित अर्जनः** अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन सामान्यतः कंपनी की संचित आय के अवितरित लाभ/राशि को दर्शाता है और इसमें परिभाषित हितलाभ दायित्वों संबंधी लाभ/हानि का पुनः मापन शामिल है।

(v) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण दस्तावेज** – कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को प्रतिधारित आय में तब अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों का निपटान किया जाता है।

(vi) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – इक्विटी दस्तावेज** – कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को प्रतिधारित आय में तब अंतरित करती है जब संगत इक्विटी प्रतिभूतियों का निपटान किया जाता है।

टिप्पणी सं. 16.1: वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – उधारियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिशोधित लागत पर		
क.	**– प्रतिभूतित ऋण**		
	– बाण्ड	15,679.99	14,532.79
	– सावधि ऋण		
	– बैंकों से	-	500.00
	– अन्य से (वित्तीय संस्थान)	316.00	474.00
ख.	**– अप्रतिभूतित ऋण**		
	– सावधि ऋण		
	– भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,654.28	3,597.58
	– अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	1,580.72	1,774.29
	उप–जोड़ (क + ख)	**21,230.99**	**20,878.66**
ग.	**पट्टा दायित्वों की दीर्घावधिक परिपक्वता**	10.23	11.08
	कुल	**21,241.22**	**20,889.74**

16.1.1 ऋण प्रसंविदाएं – पूंजीगत प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी संख्या 33(3) देखें।

16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण।

टिप्पणी सं. 16.1.2

(करोड़ रूपए में)

16.1.2.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क)	**बॉण्ड (गैर–परिवर्तनीय और गैर–संचयी) – प्रतिभूतित**		
(i)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रति वर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
(ii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
(iii)	**बॉण्ड – यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2 व 7) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
(iv)	**बॉण्ड – यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2 व 7) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00
(v)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
(vi)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
(vii)	**बाण्ड–एसी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(15) देखें)** (6.86 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 15 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय चुकौतीयोग्य करयोग्य बाण्ड, 10 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/10वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.02.2027 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	-

16.1.2.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(viii)	**बाण्ड–एबी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(14) देखें)** (6.80 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (750 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 24.04.2026 से प्रारंभ होगी।)	750.00	-
(ix)	**बाण्ड–एए–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(13) देखें)** (6.89 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.03.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
(x)	**बाण्ड–एए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(13) देखें)** (7.13 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2026 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
(xi)	**बाण्ड–वाई–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(12) देखें)** (7.38 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 03.01.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
(xii)	**बाण्ड–वाई सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(12) देखें)** (7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 07.10.2025 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
(xiii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
(xiv)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77
(xv)	**बाण्ड–डब्ल्यू2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(10) देखें)** (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से 15.09.2027 तक 150.00 करोड़ रूपए प्रत्येक का 5 वर्षीय मोचन)	750.00	750.00
(xvi)	**बाण्ड–वी2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित (06.06.2023 से 06.06.2027 तक 295.00 करोड़ रूपए प्रत्येक का 5 वर्षीय मोचन) मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित)	1,475.00	1,475.00

16.1.2.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(xvii)	**बाण्ड–एक्स सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(1 और 3) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.65 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय मोचनीय कर योग्य बॉण्ड, जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय) (7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय 1500 करोड़ रुपए की राशि के बांड इश्यू, जो 08.02.2023 से प्रारंभ होंगे)	1,500.00	1,500.00
(xviii)	**बॉण्ड – टी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(1, 2 व 7) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय मोचनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (12.07.2019 से प्रारंभ 1474.92 करोड़ रुपए के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय बांड इश्यू राशि दिनांक 31.03.2021 को प्रत्येक 122.91 करोड़ रुपए की 10 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	1,229.10	1,352.01
(xix)	**बॉण्ड – आर–3 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचनीय योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10वां भाग शामिल है) (11.02.2019 से प्रारंभ 892.00 करोड़ रुपए के 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय बांड इश्यू राशि) (दिनांक 31.03.2021 को प्रत्येक 89.20 करोड़ रुपए की 7 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	624.40	713.60
(xx)	**बॉण्ड – एस–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(7) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (26.11.2018 से प्रारंभ 660.00 करोड़ रुपए के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू राशि दिनांक 31.03.2021 को प्रत्येक 55.00 करोड़ रुपए की 9 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	495.00	550.00
(xxi)	**बाण्ड–डब्ल्यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(10) देखें)** (50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2018 से प्रारंभ 1500 करोड़ रुपए के प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू राशि दिनांक 31.03.2021 को प्रत्येक 300 करोड़ रुपए 2 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	600.00	900.00
(xxii)	**बॉण्ड – वी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (5,00,000/– रुपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग शामिल है) (24.01.2018 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रुपए के 5 वार्षिक मोचन। 31.03.2021 को प्रत्येक 155 करोड़ रूपए की 1 वार्षिक किश्त बकाया हैं)	155.00	310.00
(xxiii)	**बॉण्ड – क्यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(4 व 8) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (1266.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2021 के अनुसार प्रत्येक 105.50 करोड़ रूपए की 6 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	633.00	738.50
(xxiv)	**बॉण्ड – आर–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (382.08 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2021 के अनुसार प्रत्येक 31.84 करोड़ रूपए की 6 वार्षिक किस्तें बकाया हैं।)	191.04	222.88

16.1.2.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(xxv)	**बॉण्ड – पी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3, 5 व 6) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिसे 10 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाएगी।) (2000 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2021 के अनुसार प्रत्येक 200 करोड़ रूपए की 4 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	800.00	1,000.00
(xxvi)	**बॉण्ड –एस1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(7) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.49 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौती योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिसमें 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले प्रत्येक पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग शामिल है)। (365 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ है। 31.03.2021 के अनुसार, प्रत्येक 36.50 करोड़ रूपए की 4 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	146.00	182.50
(xxvii)	**बॉण्ड –आर1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौती योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/– रूपए है और जिसमें 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले प्रत्येक पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग शामिल है)। 82.20 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ है। 31.03.2021 के अनुसार प्रत्येक 6.85 करोड़ रूपए की 5 वार्षिक किस्तें बकाया हैं।	34.25	41.10
	कुल बॉण्ड	**16,782.79**	**15,635.59**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	1,102.80	1,102.80
	बांड – वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (क)	**15,679.99**	**14,532.79**
(ख)	**सावधि ऋण – प्रतिभूतित (बैंक)**		
i)	**ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2) देखें)** (7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ स्थिर ब्याज दर पर 10 करोड़ रुपए प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किश्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का पुननिर्धारण खंड है। वर्तमान में दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार यह 7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष है।)	-	10.00
ii)	**स्टेट बैंक आफ इंडिया (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(11) देखें)** 28 समान तिमाही किश्तों (31.08.2028 तक फ्लोटिंग (वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ एमसीएलआर) ब्याज दर पर 17.858 करोड़ रुपए की 27 किश्तें और 17.834 करोड़ रुपए की 28वीं किश्त) में पुनर्भुगतान योग्य	-	500.00
	कुल सावधि ऋण – बैंक (प्रतिभूतित)	**-**	**510.00**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	-	10.00
	सावधि ऋण – वर्तमान परिपक्वताओं का बैंक निवल (ख)	**-**	**500.00**
(ग)	**सावधि ऋण – अन्य से (प्रतिभूतित)**		
i)	**भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (3 व 5) देखें)** (8.33 करोड़ रुपए पर 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष और 200 करोड़ रुपए पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर 104.16667 करोड़ रुपए प्रत्येक की छमाही किश्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)।	-	208.33
ii)	**भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (4 व 8) देखें)** (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 9.118 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर 79 करोड़ रुपए प्रत्येक की 6 समान छमाही किश्तों में 31.10.2023 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	474.00	632.00
	कुल सावधि ऋण–अन्य पक्षकार (प्रतिभूतित)	**474.00**	**840.33**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	158.00	366.33
	सावधि ऋण – अन्य वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (ग)	**316.00**	**474.00**
(घ)	**भारत सरकार से सावधि ऋण (अप्रतिभूतित)**		
	भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i)	**निम्मो–बाज़गो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से गैर–छूटशुदा राशि के संबंध में प्रत्येक 29.09 करोड़ रुपए की 18 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	429.13	424.54

16.1.2.क	मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ii)	**चूटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठे वर्ष अर्थात 01.02.2019 से गैर–छूटशुदा राशि के संबंध में प्रत्येक 23.11 करोड़ रूपए की 24 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	424.01	442.14
iii)	**किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण** (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से गैर–छूटशुदा राशि के संबंध में प्रत्येक 377.429 करोड़ रुपए की 10 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से अर्थात 24.05.2029 से वार्षिक आधार पर देय होगा)	2,824.25	2,754.01
	कुल सावधि ऋण – सरकार (अप्रतिभूतित)	**3,677.39**	**3,620.69**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	23.11	23.11
	सावधि ऋण – वर्तमान परिपक्वता का अन्य पक्षकार निवल (घ)	**3,654.28**	**3,597.58**
(ङ)	**सावधि ऋण – अन्यों से – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित)**		
i)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला–I (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें)** (31.03.2021 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 8.14 करोड़ रूपए प्रत्येक की 10 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	81.44	102.67
ii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला–II (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें)** (31.03.2021 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 26.72 करोड़ रूपए प्रत्येक की 14 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	374.06	449.07
iii)	**जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला–III (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें)** (31.03.2021 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 19.74 करोड़ रूपए प्रत्येक की 26 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	513.12	580.49
iv)	**एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, सिंगापुर** (6 माह लिबर + 0.75 प्रतिशत की परिवर्तनशील दर पर 25.07.2024 को एक ही किश्त में पुनर्भुगतान योग्य। ऋण का बचाव 0.931 प्रतिशत (भारतीय रुपए) प्रति वर्ष की केवल कूपन विनिमय नियत दर पर तथा 0.90 रुपए की जेपीवाई स्ट्राइक कीमत सहित 6.25 प्रतिशत (भारतीय रुपए) प्रति वर्ष की मांग फैलाव कूपन नियत दर पर किया जाता है)	721.30	756.77
	कुल सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित)	**1,689.92**	**1,889.00**
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	109.20	114.71
	सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित) (ङ)	**1,580.72**	**1,774.29**
	सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	**21,230.99**	**20,878.66**

16.1.2.ख प्रतिभूति का विवरण

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा पावर स्टेशन–I की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के उड़ी–I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के पार्बती जल विद्युत परियोजना–II की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन एवं बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
4. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी के तीस्ता लो डैम–III पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
5. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी के धौलीगंगा पावर स्टेशन की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और प्रभार रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
6. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा–III पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और बंधक रखकर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती–III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
8. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी के तीस्ता–V पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
9. उपरोक्त क्रमांक ङ(i), ङ(ii) और ङ(iii) पर उल्लिखित ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के पार्बती–II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूति सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी की दुलहस्ती पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित प्रक्रियाधीन है।

11. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी के टीएलडीपी–III पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूति सृजन।

12. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती–II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले बंधक और रेहन रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूति सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के किशनगंगा पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।

13. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती–II परियोजना, पार्बती–III पावर स्टेशन, चमेरा–II पावर स्टेशन तथा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।

14. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की चमेरा–II पावर स्टेशन की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।

15. असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की सुबनसिरी लोअर परियोजना की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – अन्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय **(टिप्पणी संख्या 16.2.1 देखें)**		
- मूलधन	2,017.20	2,017.20
प्रतिधारण राशि	37.14	42.03
कुल	**2,054.34**	**2,059.23**

16.2.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने डिबेंचर (बांड) के रूप में 10,00,000/– रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ अप्रतिभूतित गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय मोचनीय, करयोग्य "भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बांड – सीरीज–I" के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2017.20 करोड़ रुपए की समग्र राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पठित विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के तहत, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बांडों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तद्नुसार, ऐसे बांडों की राशि और बांडधारकों को देय ब्याज की राशि उपरोक्तानुसार वित्तीय देयता के रूप में प्रतीत हो रही है और साथ ही भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीयोग्य राशि भी टिप्पणी संख्या 3.3(ग) के तहत गैर–वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य राशि" के रूप में दर्शाई गई है।

कंपनी द्वारा बांडधारकों को भुगतान किए गए ब्याज को "वित्तीय परिसंपत्तियों" के तहत भारत सरकार से वसूलीयोग्य माना जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जुटाए गए भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांडों का ब्यौरा इस प्रकार है:

भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड–I सीरीजः		
8.12 प्रतिशत पर प्रत्येक 10,00,000/– रुपए के अर्द्धवार्षिक, 10 वर्ष अप्रतिभूतित गैर–संचयी, मोचनीय, गैर–परिवर्तनीय कर योग्य बांड, (मोचन की तारीख 22.03.2029)	2,017.20	2,017.20

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान – गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क)	**कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान**		
i)	**दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया प्रावधान)**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	7.17	7.26
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.32	0.09
	अंतिम शेष	**6.85**	**7.17**
ख.	**अन्य**		
i)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.43	1.37
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.01	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.21	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.08
	छूट की समाप्ति	0.14	0.14
	अंतिम शेष	**1.37**	**1.43**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ii)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	18.57	17.66
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.03	1.35
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.85	0.73
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.08	0.14
	छूट की समाप्ति	0.42	0.43
	अंतिम शेष	**19.09**	**18.57**
iii)	**प्रावधान – अन्य**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	0.49	0.53
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.73	0.05
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.15	0.06
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.03
	अंतिम शेष	**1.07**	**0.49**
	कुल	**28.38**	**27.66**

17.1 प्रावधानों के संबंध में सूचना एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(21) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 आस्थगित कर देयताएं (निवल) – गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	आस्थगित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	4,012.53	3,980.45
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	25.19	42.98
ग)	अन्य मदें	(0.05)	(6.36)
	आस्थगित कर देयता	**4,037.67**	**4,017.07**
	घटांए – समायोजन प्रावधानों के अनुसरण में समायोजित आस्थगित कर परिसपंत्तियां		
क)	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋण, माल–सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	411.79	358.61
ख)	अन्य मदें	36.52	17.27
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	448.31	375.88
	आस्थगित कर देयता (निवल)	**3,589.36**	**3,641.19**

18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन टिप्पणी 18.1 के अनुबंध में दिए गए अनुसार है।

18.2 कर कानून (संशोधित) अध्यादेश 2019 द्वारा घोषित आय कर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक के प्रावधानों के अनुसार और 1 अप्रैल, 2019 से लागू 11 दिसंबर, 2019 को अधिनियमित कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 के रूप में प्रख्यापित, घरेलू कंपनियों के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कुछ छूटों/कटौतियों (नई कर व्यवस्था) को छोड़ कर रियायती दरों पर आय कर के भुगतान करने का विकल्प है। कंपनी के पास 31 मार्च, 2021 तक 2382.61 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2196.82 करोड़ रुपए) का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) ऋण अप्रयुक्त पड़ा है और कुछ पावर स्टेशनों से विद्युत के उत्पादन से अपने लाभ के संबंध में कर कटौती का लाभ लिया जा रहा है। इसके मद्देनजर, वर्तमान तथा आस्थगित कर मान्यता के लिए पूर्ववर्ती कर संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। धारा 115खकक के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्णय, कर कटौती उपलब्ध न होने पर तथा एमएटी क्रेडिट की वास्तविक समाप्ति पर लिया जाएगा।

18.3 एमएटी ऋण पात्रता को मान्यता देने की आवश्यकता है क्योंकि आस्थगित कर संपत्तियां निकट भविष्य, जिसके लिए ऋण का उपयोग किया जा सकता है, में भावी कर योग्य लाभ की संभाव्यता के विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर हैं। इसे ध्यान में रखते हुए और एमएटी ऋण पात्रता के उपयोग के लिए किसी भी मौजूदा विकास के अभाव में, पूर्ववर्ती वर्षों में अपनाए जा रहे विवेकसम्मत सिद्धांतों पर 2382.61 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2196.82 करोड़ रुपए) के अप्रयुक्त एमएटी ऋण को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है। इसके अलावा, आस्थगित कर प्रोद्भव अथवा प्रत्यावर्तन का संबंधित विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर परिणामी प्रभाव पड़ता है और यहां तक कि कंपनी के लाभ पर इसका वास्तविक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

टिप्पणी संख्या 18.1 संबंधी अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2020–21

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2020 को	**3,980.45**	**42.98**	**(6.36)**	**4,017.07**
प्रभार/(क्रेडिट)				
– लाभ और हानि के विवरण में	32.08	-	6.31	38.39
– अन्य व्यापक आय में	-	(17.79)	-	(17.79)
31 मार्च, 2021 को	**4,012.53**	**25.19**	**(0.05)**	**4,037.67**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2020 को	**358.61**	**17.27**	**375.88**
(प्रभार)/क्रेडिट			
– लाभ और हानि के विवरण में	53.18	19.25	72.43
– अन्य व्यापक आय में	-	-	-
31 मार्च, 2021 को	**411.79**	**36.52**	**448.31**

वित्तीय वर्ष 2019–20

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2019 को	**3,911.72**	**11.02**	**22.37**	**3,945.11**
प्रभार/(क्रेडिट)				
– लाभ और हानि के विवरण में	68.73	-	(28.73)	40.00
– अन्य व्यापक आय में	-	31.96	-	31.96
31 मार्च, 2020 को	**3,980.45**	**42.98**	**(6.36)**	**4,017.07**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2019 को	**318.43**	**16.05**	**334.48**
(प्रभार)/क्रेडिट			
– लाभ और हानि के विवरण में	40.18	1.22	41.40
– अन्य व्यापक आय में	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**358.61**	**17.27**	**375.88**

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	अग्रिम में प्राप्त आय – मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	836.10	884.48
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	41.18	42.81
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (टिप्पणी सं. 19.1 देखें)	1,157.32	1,155.36
	कुल	**2,034.60**	**2,082.65**
19.1	**सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय**		
	प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	1,187.61	886.63
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	35.17	330.93
	घटाएं: लाभ एवं हानि के विवरण में अंतरित **(टिप्पणी सं 24.2 देखें)**	32.26	29.95
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी सं 19.1.1 देखें)	**1,190.52**	**1,187.61**
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (वर्तमान) – **(टिप्पणी सं 21 देखें)**	33.20	32.25
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(गैर–वर्तमान)**	1,157.32	1,155.36
19.1.1	**अनुदान में निम्नलिखित शामिल हैः**		
(i)	चुटक पावर स्टेशन, निम्मो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	1,167.32	1,163.35
(ii)	तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान) तथा रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	23.20	24.26

टिप्पणी सं. 20.1 – उधार राशि – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क	**अन्य ऋण**		
	बैंक से – प्रतिभूतित **(टिप्पणी सं 20.1.1 देखें)**	726.03	714.31
	कुल	**726.03**	**714.31**

20.1.1 बैंक से 726.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 714.31 करोड़ रुपए) का सुरक्षित ऋण, व्यापार प्राप्यों के लिए किए गए उपाय से भुनाए गए बिलों के कारण लाभार्थियों द्वारा बैंकों को देय राशि के लिए है। बिल छूट के माध्यम से परिसमाप्त व्यापार प्राप्यों की निरंतर मान्यता संबंधी टिप्पणी 7.5 देखें।

टिप्पणी सं. 20.2 व्यापार देय – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय **(टिप्पणी सं 20.2.1 देखें)**	30.94	18.85
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	170.40	285.41
	कुल	**201.34**	**304.26**

20.2.1 व्यापार देयों के अंतर्गत विविध लेनदारों का प्रकटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम के व्यापार देयों के संबंध में प्रकटन की आवश्यकता टिप्पणी संख्या 34(15) में दी गई है।

20.2.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी सं 20.3.1 देखें)		
– बॉण्ड	1,102.80	1,102.80
– सावधि ऋण – बैंक – प्रतिभूतित	-	10.00
– सावधि ऋण – वित्तीय संस्थान – प्रतिभूतित	158.00	366.33
– अप्रतिभूतित – सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
– अन्य – अप्रतिभूतित (विदेशी मुद्रा में)	109.20	114.71
पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	2.42	2.83
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को छोड़कर पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के निमित्त देयता	397.76	375.41
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के निमित्त देयता – सूक्ष्म एवं लघु उद्यम **(टिप्पणी सं 20.3.2 देखें)**	7.73	8.88
ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	660.72	643.10
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के निमित्त देय–ब्याज **(टिप्पणी सं 16.2.1 और 11(I) देखें)**	4.49	4.48
बयाना राशि जमा/प्रतिधारण राशि	319.06	97.34
सहायक कंपनियों को देय **(देखें टिप्पणी 34(8))**	2.14	5.44
अदा न किया गया लाभांश **(टिप्पणी सं 20.3.3 देखें)**	23.47	22.64
अदा न किया गया ब्याज **(टिप्पणी सं 20.3.3 देखें)**	0.50	0.25
कर्मचारियों को देय	26.74	25.58
अन्य को देय	87.48	77.17
कुल	**2,925.62**	**2,880.07**

20.3.1 मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की भार्तें तथा प्रतिभूति के विवरण के ब्यौरे **टिप्पणी संख्या 16.1.2** में प्रकट किए गए हैं।

20.3.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को देय राशि का प्रकटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटन की आवश्यकता टिप्पणी संख्या 34(15) में दी गई है।

20.3.3 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

20.3.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	48.25	48.25
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	1.60	5.92
देय जल उपयोग प्रभार	165.28	324.45
भुगतान योग्य सांविधिक देय	132.91	102.01
संविदा देयताएं – जमा कार्य	7.53	9.37
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य	144.09	268.49
ग्राहकों और अन्य से अग्रिम	32.99	11.70
सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(टिप्पणी 19(1) देखें)**	33.20	32.25
कुल	**565.85**	**802.44**

21.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क)	**कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान**		
i)	**दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया प्रावधान)**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.13	1.20
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.51	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.56	0.07
	अंतिम शेष	**1.08**	**1.13**
ii)	**निश्पादन संबंधित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	361.10	234.52
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	266.07	250.57
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	180.89	122.58
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	1.41
	अंतिम शेष	**446.28**	**361.10**
	घटाएं: भुगतान किया गया अग्रिम (टिप्पणी सं. 22.2 देखें)	93.09	-
	अग्रिम का अंतिम शेष निवल	**353.19**	**361.10**
iii)	**वेतन संशोधन हेतु प्रावधान – तीसरी वेतन संशोधन समिति**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-	11.35
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	7.45
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	3.90
	अंतिम शेष	**-**	**-**
ख)	**अन्य**		
i)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	109.16	209.60
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	100.44
	अंतिम शेष	**109.16**	**109.16**
ii)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	124.31	127.55
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.20	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	25.65	3.21
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.17	0.03
	अंतिम शेष	**98.69**	**124.31**
iii)	**बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	54.11	24.53
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	147.24	46.21
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	49.12	15.65
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	4.05	0.98
	अंतिम शेष	**148.18**	**54.11**
iv)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	16.03	16.00
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.88	0.90
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.87	0.92
	छूट की समाप्ति	0.14	0.05
	अंतिम शेष	**16.18**	**16.03**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
v)	**मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	353.20	354.52
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.09	-
	समायोजन	15.34	(0.27)
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1.05
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.18	-
	अंतिम शेष	**368.45**	**353.20**
vi)	**प्रावधान – अन्य**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	209.12	350.10
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	20.28	30.17
	समायोजन	(15.34)	0.27
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.88	169.36
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	55.13	2.06
	अंतिम शेष	**158.05**	**209.12**
	कुल	**1,252.98**	**1,228.16**

22.1 प्रावधानों के संबंध में सूचना एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(21) में दी गई है।

22.2 लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी एमओयू रेटिंग लंबित होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निष्पादन से संबंधित वेतन के लिए तदर्थ अग्रिम के रूप में 93.09 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष–शून्य) की राशि का भुगतान किया गया है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	581.27	705.07
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	714.17	581.27
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(578.70)	(705.07)
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	**716.74**	**581.27**
घटाएं: स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	681.74	619.64
निवल वर्तमान कर देयताएं (क–ख)	**35.00**	**(38.37)**
(टिप्पणी सं. 4 के तहत प्रकट किया गया है)	**-**	**38.37**
कुल	**35.00**	**-**

टिप्पणी सं. 24.1 प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रचालनात्मक राजस्व		
क.	**बिक्रियां (टिप्पणी संख्या 24.1.1 और 24.1.2 देखें)**		
	विद्युत की बिक्री	6,300.23	6,657.22
	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम – वर्ष के दौरान पश्चलेखित	48.38	44.72
	प्रोत्साहन आधारित निष्पादन	762.90	810.00
	उप–जोड़ (i)	**7,111.51**	**7,511.94**
	घटाएं:		
	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	50.03	42.94
	विद्युत के उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित)	34.73	25.56
	उपभोक्ताओं को छूट	16.31	12.63
	उप जोड़ (ii)	**101.07**	**81.13**
	उप जोड़ (क) = (i-ii)	**7,010.44**	**7,430.81**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ख	**वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(16)(ख) देखें)**	371.62	203.65
ग	**प्रचालनात्मक पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(16)(ग) देखें)**	712.00	666.57
घ	**निविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**		
	निविदा आय	0.06	-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	38.46	27.88
	उप जोड़ (घ)	**38.52**	**27.88**
ङ	**विद्युत व्यापार से राजस्व**		
	विद्युत की बिक्री	218.52	240.26
	व्यापार लाभ	-	0.91
	घटाएं: उपभोक्ताओं को छूट	2.04	1.70
	उप जोड़ (ङ)	**216.48**	**239.47**
	उप जोड़ – I (क+ख+ग+घ+ङ)	**8,349.06**	**8,568.38**
च.	**अन्य प्रचालनात्मक राजस्व**		
	स्वयं सृजित वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	1.92	1.76
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के संबंध में आय	2.96	2.53
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज – टैरिफ का संशोधन	152.64	162.48
	उप जोड़–II	**157.52**	**166.77**
	कुल (I+II)	**8,506.58**	**8,735.15**
24.1.1	विद्युत की बिक्री में शामिल हैं:–		
	(i) वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के संबंध में लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूलनीयोग्य राशि और वर्ष के दौरान व्यवहार में लाई गई राशि	116.00	193.24
	(ii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमत्य माना गया उत्पादन	शून्य	72.56
	(iii) टैरिफ को अंतिम रूप देना लंबित रहने के चलते पूर्व वर्ष की बिक्री की राशि	290.99	220.50
24.1.2	बिल न किए गए राजस्व का राशि को बिक्रियों में शामिल किया गया है।	886.15	1,971.74

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क)	**ब्याज आय**		
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – गैर कर योग्य	5.67	5.68
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – कर योग्य	25.79	25.76
	– अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	60.82	55.80
	– जमा खाता	25.38	32.11
	– कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	14.20	12.24
	– संविदाकारों को अग्रिम	15.56	29.83
	– अन्य	17.27	20.65
ख)	**लाभांश आय**		
	– सहायक कंपनियों से लाभांश **(टिप्पणी सं. 34.8 देखें)**	283.68	485.17
	– लाभांश – अन्य	9.00	4.80

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ग)	**अन्य गैर–प्रचालनात्मक आय (उस आय पर सीधे ही आरोप्य व्यय का निवल)**		
	विलंब भुगतान अधिभार	532.81	259.34
	बीमा दावे से आय	138.64	29.33
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/हानि प्रावधान/प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 24.2.1 देखें)**	23.48	115.67
	संविदाकार को जारी सामग्री		
	(i) संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	89.42	32.17
	(ii) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(174.89)	(37.63)
	(iii) संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण समायोजन	85.47	5.46
	सहायता अनुदान का परिशोधन **(टिप्पणी संख्या 19 देखें)**	32.26	29.95
	विनिमय दर परिवर्तन (निवल)	34.21	-
	व्युत्पन्न संबंधी बाजार से बाजार लाभ	-	33.71
	अन्य	26.91	29.07
	उप जोड़	**1,245.68**	**1,169.11**
	घटाएं – निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	91.39	128.68
	घटाएं – ग्राहक/संविदादाता से अग्रिम/जमा तथा जमा कार्यों के प्रति अंतरित	3.48	3.99
	कुल	**1,150.81**	**1,036.44**
24.2.1	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/हानि प्रावधानों/प्रावधानों का ब्यौरा		
	क) अशोध्य एवं संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	0.11
	ख) अप्रचलन और मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.08	0.35
	ग) व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान	3.95	-
	घ) अशोध्य एवं संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान	0.04	-
	ङ) संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान	1.51	3.34
	च) संदिग्ध प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान	-	108.90
	छ) प्रतीक्षित पश्चलेखन स्वीकृत परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान	4.88	-
	ज) लंबित जांच/प्रतीक्षित पश्चलेखन/स्वीकृति हानियों हेतु प्रावधान	3.01	0.16
	झ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	3.97	0.98
	ञ) अन्य	6.04	1.83
	कुल	**23.48**	**115.67**

24.2.2 कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 1.96 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 43.54 करोड़ रुपए) शामिल हैं जहां प्रमुख निर्माण क्रियाकलापों का अस्थायी निलंबन था, जैसा कि टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किया गया है। तथापि, उसके लिए 1.96 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 9.82 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के अनुसार मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं. 25.1: विद्युत की खरीद – व्यापार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
विद्युत की खरीद	216.71	238.32
घटाएं: आपूर्तिकर्ता से छूट	4.34	4.19
कुल	**212.37**	**234.13**

टिप्पणी सं. 25.2: उत्पादन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
जल उपयोग प्रभार	835.02	882.93
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	19.78	18.74
उप–जोड़	**854.80**	**901.67**
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	0.43	-
कुल	**854.37**	**901.67**

टिप्पणी सं. 26: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	1,398.16	1,496.38
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	201.79	190.60
कर्मचारी कल्याण व्यय	71.36	85.34
उप जोड़	**1,671.31**	**1,772.32**
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	262.05	256.80
कुल	**1,409.26**	**1,515.52**

26.1 कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों के निमित्त पट्टों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 34(16)(क) में दिए गए है।

26.2 भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है:	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) कर्मचारी भविष्य निधि के निमित्त	84.31	88.18
(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना के निमित्त	103.42	88.40
26.3 मजदूरी एवं वेतन में इंड एएस 116 "पट्टों" के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय शामिल हैं।	0.99	1.50

26.4 कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 15.35 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 35.61 करोड़ रुपए) शामिल हैं जहां प्रमुख निर्माण क्रियाकलापों का अस्थायी निलंबन था, जैसा कि टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किया गया है। तथापि, उसके लिए 15.35 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 35.60 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के अनुसार मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं. 27: वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज**		
	बॉण्ड	1,285.14	1,101.23
	सावधि ऋण	66.63	124.08
	विदेशी ऋण	26.50	25.29
	भारत सरकार ऋण	70.64	69.71
	अल्पावधिक ऋण	2.13	15.93
	पट्टा देयताएं	1.10	1.17
	छूट की समाप्ति – भारत सरकार ऋण	49.69	42.83
	उप जोड़	**1,501.83**	**1,380.24**
ख.	**अन्य ऋण लागत**		
	मांग फैलाव/कूपन विनिमय	43.64	30.23
	बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	1.93	1.28
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	13.59	13.43
	अन्य वित्त प्रभार	0.59	0.95
	छूट की समाप्ति – प्रावधान और वित्तीय देयताएं	4.21	5.36
	उप जोड़	**63.96**	**51.25**
ग.	**विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू निवल (लाभ)/हानि**		
	ब्याज लागत पर समायोजन के रुप में माना गया विनिमय अंतर	-	143.79
	घटाएं: आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियों में अंतरित		(120.23)
	उप जोड़	**-**	**23.56**
घ.	**आय कर पर ब्याज**	2.57	2.16
	कुल (क+ख+ग+घ)	**1,568.36**	**1,457.21**
	घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	918.77	661.79
	कुल	**649.59**	**795.42**

27.1 कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 78.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 157.61 करोड़ रुपए) शामिल हैं जहां प्रमुख निर्माण क्रियाकलापों का अस्थायी निलंबन था, जैसा कि टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किया गया है। तथापि, उसके लिए 78.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 157.61 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के अनुसार मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं.: 28 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यह्रास – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1,224.13	1,547.17
मूल्यह्रास – परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	25.30	27.32
परिशोधन – अमूर्त परिसंपत्तियां	2.22	0.95
विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	(1.41)	(0.35)
(टिप्पणी संख्या 19 और 5(घ)(ii) देखें)		
उप जोड़	**1,250.24**	**1,575.09**
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	15.74	29.75
कुल	**1,234.50**	**1,545.34**

28.1 कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 1.47 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.59 करोड़ रुपए) शामिल हैं जहां प्रमुख निर्माण क्रियाकलापों का अस्थायी निलंबन था, जैसा कि टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किया गया है। तथापि, उसके लिए 1.47 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.59 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के अनुसार मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं. 29: अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	– भवन	65.36	67.59
	– मशीनरी	64.95	73.98
	– अन्य	150.63	146.43
ख.	**अन्य व्यय**		
	किराया	18.25	19.33
	हायर प्रभार	24.79	28.98
	दरें और कर	14.46	15.25
	बीमा	197.66	168.00
	सुरक्षा व्यय	385.38	390.50
	विद्युत प्रभार	42.91	43.46
	यात्रा एवं वाहन	8.97	27.79
	वाहनों पर खर्च	6.00	6.69
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	14.71	17.44
	विज्ञापन एवं प्रचार	4.59	7.97
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.99	0.42
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.88	4.66
	परामर्शी प्रभार – देशीय	10.21	13.81
	लेखा परीक्षा खर्च **(टिप्पणी सं. 29.2 देखें)**	1.96	2.83
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/ पर्यावरण व्यय पर खर्च	5.78	10.69
	कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	10.42	3.05
	परिसंम्पत्तियों के संबंध में हानि (निवल)	8.69	2.51
	बीमे के तहत शामिल परिसंपत्तियों के संबंध में हानियां	148.61	46.21
	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व **(टिप्पणी सं. 34(14) देखें)**	79.63	126.43
	निदेशकों को बैठक शुल्क	0.05	0.17
	मध्यस्थता/अदालती मामलों पर ब्याज	-	3.66
	लाभार्थी को ब्याज	3.80	77.00
	स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	-	0.10
	विनियम दर परिवर्तन (निवल)	-	49.75
	प्रशिक्षण व्यय	4.16	8.52
	सीईआरसी/आरएलडीसी/आरपीसी/आईईएक्स/पीएक्सआईएल को याचिका शुल्क/पंजीकरण शुल्क/अन्य शुल्क	12.20	10.50
	केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	6.25	5.44
	अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	0.51	0.56
	अतिथि गृह/ट्रांजिट हॉस्टल के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	21.80	21.47
	डीजी सेट के प्रचालनात्मक व्यय – आवासीय को छोड़कर	6.40	7.70
	व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन	15.50	-
	अन्य सामान्य व्यय	30.39	28.65
	उप जोड़	**1,369.89**	**1,437.54**
	घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	164.40	77.76
	उप जोड़ (i)	**1,205.49**	**1,359.78**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ग.	**प्रावधान/हानि का प्रावधान**		
	अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	74.78	-
	अशोध्य तथा संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान	0.03	-
	भण्डार तथा कलपुर्जों/निर्माण भंडारों के लिए प्रावधान	0.83	0.16
	भण्डार तथा कलपुर्जों में कमी के लिए प्रदान किया गया प्रावधान	-	0.06
	परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान	144.63	154.73
	लंबित जांच हानियों/प्रतीक्षित पश्चलेखन/ स्वीकृति के लिए प्रावधान	0.21	0.28
	प्राप्य माल एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान	13.54	-
	उप जोड़	**234.02**	**155.23**
	घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	13.62	0.06
	उप जोड़ (ii)	**220.40**	**155.17**
	कुल (i+ii)	**1,425.89**	**1,514.95**

29.1 पट्टों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 34(16)(क) में दिए गए है।

(करोड़ रुपए में)

29.2	**लेखा परीक्षा व्ययों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:–**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**
	i) सांविधिक लेखा–परीक्षक		
	लेखा–परीक्षक के रूप में		
	लेखा–परीक्षा शुल्क	0.73	0.79
	कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.21	0.22
	अन्य क्षमता में		
	कराधान मामले	0.01	-
	अन्य मामले/ सेवाएं	0.63	1.00
	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.08	0.55
	ii) लागत लेखा परीक्षक		
	लेखा–परीक्षा शुल्क	0.20	0.24
	खर्चों की प्रतिपूर्ति	-	0.03
	ii) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लेखापरीक्षक		
	लेखा–परीक्षा शुल्क	0.10	-
	कुल लेखापरीक्षा व्यय	**1.96**	**2.83**

29.3 किराये में इंड एएस 116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय शामिल हैं

(करोड़ रुपए में)

(i)	एक माह अथवा उससे कम अवधि के पट्टों को छोड़कर अल्पावधि पट्टों पर व्यय	13.71	15.08
(ii)	निम्न मूल्य परिसंपत्तियों के दीर्घावधि पट्टे पर व्यय	0.02	0.14
(iii)	पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	4.51	5.61

29.4 कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 6.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 70.44 करोड़ रुपए) शामिल हैं जहां प्रमुख निर्माण क्रियाकलापों का अस्थायी निलंबन था, जैसा कि टिप्पणी संख्या 34(22) में वर्णन किया गया है। तथापि, उसके लिए 6.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 16.27 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष को भारतीय लेखांकन मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के अनुसार मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं.: 30.1 कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	वर्तमान कर		
	वर्तमान कर के लिए प्रावधान	714.17	581.27
	पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	-	21.13
	कुल वर्तमान कर व्यय	**714.17**	**602.40**
	आस्थगित कर		
	आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
	– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(52.82)	(42.01)
	आस्थगित कर देयताओं में वृद्धि (कमी)		
	– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	18.78	40.61
	कुल आस्थगित कर व्यय (हितलाभ)	(34.04)	(1.40)
	निवल आस्थगित कर	(34.04)	(1.40)
	कुल	**680.13**	**601.00**

30.1.1	**कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	3,913.50	3,608.17
	लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.9440
	गणना किए गए कर व्यय	**1,367.53**	**1,260.84**
	उन राशियों के कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य नहीं हैं (कर योग्य)		
	गैर कटौती योग्य कर व्यय	31.50	45.17
	कर छूट आय	(1.98)	(173.20)
	कर प्रोत्साहन (80–Iक कटौती)	(797.75)	(773.13)
	न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	183.10	220.19
	धारा 80एम के तहत कटौती	(102.27)	-
	पूर्ववर्ती अवधियों से संबंधित समायोजन	-	21.13
	लाभ एवं हानि के विवरण में सूचित आय कर व्यय	**680.13**	**601.00**
30.1.2	**इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां**		
	रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा आस्थगित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे ही इक्विटी में डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है:		
	वर्तमान कर	शून्य	शून्य
	आस्थगित कर	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**
30.1.3	**कर हानियां तथा क्रेडिट**		
(i)	अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
	संभावित कर हितलाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
(ii)	कंपनी को भविष्य में उपलब्ध एमएटी क्रेडिट का ब्यौरा लेकिन लेखाबहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है **(टिप्पणी सं. 30.1.5 देखें)**	2,382.61	2,196.82
30.1.4	**मान्यता प्रदान न किए गए अस्थायी अंतर**		
	सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
	अवितरित आय	शून्य	शून्य
	उपरोक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

30.1.5 कंपनी को भविष्य में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट का ब्यौरा जिसे लेखाबहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2021 के अनुसार		31 मार्च, 2020 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2020-21	183.10	2035-36	-	-
2019-20	158.70	2034-35	156.01	2034-35
2018-19	696.15	2033-34	696.15	2033-34
2017-18	210.11	2032-33	210.11	2032-33
2016-17	11.59	2031-32	11.59	2031-32
2015-16	177.01	2030-31	177.01	2030-31
2014-15	46.81	2029-30	46.81	2029-30
2013-14	481.84	2028-29	481.84	2028-29
2012-13	291.71	2027-28	291.71	2027-28
2008-09	125.59	2023-24	125.59	2023-24
कुल	**2382.61**		**2196.82**	

भविष्य में कंपनी को पूर्वोक्त उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में प्रत्यावर्तन की अनिश्चितता को देखते हुए मान्यता नहीं दी गई है।

टिप्पणी सं.: 30.2 अन्य व्यापक आय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं का पुनः मापन	(61.93)	57.66
घटाएं: रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं के पुनः मापन पर आय कर	(21.64)	20.15
रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं का पुनः मापन (कर का निवल)	**(40.29)**	**37.51**
घटाएं: निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	2.87	8.14
रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं (कर का निवल) और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों का पुनः मापन (क)	**(43.16)**	**29.37**
(ख) इक्विटी दस्तावेज में निवेश	47.13	(42.09)
उप जोड़ (ख)	**47.13**	**(42.09)**
कुल (i) = (क) + (ख)	**3.97**	**(12.72)**
(ii) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		
– ऋण दस्तावेज में निवेश	4.21	15.77
घटाएं: ऋण दस्तावेज में निवेश पर आय कर	0.98	3.67
जोड़ (ii)	**3.23**	**12.10**
कुल = (i) + (ii)	**7.20**	**(0.62)**

टिप्पणी सं.: 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्नलिखित के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलनः		
(i) सुबनसिरी लोअर परियोजना		
क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	-	35.60
ख) अन्य व्यय	-	16.27
ग) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	3.59
घ) वित्त लागत	-	157.61
ङ) अन्य आय	-	(9.82)
उप जोड़ (i)	**-**	**203.25**
(ii) किशनगंगा पावर स्टेशनः टैरिफ के अनतिक्रम के कारण मूल्यह्रास	195.51	195.62
(iii) मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय अंतर	1.70	0.99
(iv) 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए देयताओं आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	(75.46)	(125.71)
(v) 2014–2019 तक की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	6.28	69.46
(vi) कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान खर्च की गई उधार और अन्य लागतों के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		
क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	15.35	-
ख) अन्य व्यय	6.10	-
ग) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1.47	-
घ) वित्त लागत	78.10	-
ङ) अन्य आय	(1.96)	-
उप–जोड़ (vi)	**99.06**	**-**
कुल (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	**227.09**	**343.61**
विनियामक आस्थगित लेखाओं पर कर का प्रभाव		
घटाएं:– विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	24.18	19.66
जोड़ें – लाभार्थियों से वसूलीयोग्य आस्थगित कर	24.18	19.66
कुल	**227.09**	**343.61**

एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 14 देखें।

टिप्पणी सं.: 32 वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग बनने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**उत्पादन व्यय**		
	भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	0.43	-
	उप जोड़	**0.43**	**-**
ख.	**कर्मचारी हितलाभ व्यय**		
	वेतन एवं मजदूरी	130.81	120.70
	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	19.01	16.12
	कर्मचारी कल्याण व्यय	5.97	5.04
	उप जोड़	**155.79**	**141.86**
ग.	**वित्त लागत**		
	निम्नलिखित पर ब्याजः **(टिप्पणी संख्या 2.2.1 देखें)**		
	बॉण्ड	844.18	564.44
	विदेशी ऋण	6.14	3.56
	सावधि ऋण	27.77	55.59
		878.09	**623.59**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	ब्याज लागत पर समायोजन के रुप में माना गया विनिमय अंतर	-	14.15
	हेजिंग लेन–देनों के संबंध में हानि	38.24	22.01
	ईएसी में व्ययों का अंतरण – प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज – प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.26	1.73
	ईएसी में व्ययों का अंतरण – एफसी ऋणों पर ब्याज – प्रभावी ब्याज समायोजन	0.89	0.09
	उप जोड़	**918.48**	**661.57**
घ.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	13.60	27.53
	उप जोड़	**13.60**	**27.53**
ङ.	अन्य व्यय		
	मरम्मत एवं अनुरक्षण		
	– भवन	6.92	5.96
	– मशीनरी	0.97	0.91
	– अन्य	9.36	7.42
	किराया और हायर प्रभार	7.44	9.36
	दरें और कर	1.95	2.33
	बीमा	9.19	2.58
	प्रतिभूति व्यय	24.95	19.26
	विद्युत प्रभार	4.28	3.95
	यात्रा एवं वाहन	1.33	2.55
	वाहनों पर व्यय	0.72	0.69
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	1.64	1.61
	विज्ञापन एवं प्रचार	-	0.01
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.34	0.29
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभारः		
	– देशीय	4.42	2.90
	क्षतिपूर्ति वनरोपण/जल संग्रहण क्षेत्र उपाय/पर्यावरणीय व्ययों पर व्यय	0.37	0.20
	कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	-	0.25
	परिसंपत्तियां/पश्चलेखित दावे	75.95	-
	अन्य सामान्य व्यय	6.18	6.32
	विनिमय दर अंतर (डेबिट)	-	0.26
	उप जोड़	**156.01**	**66.85**
च.	**प्रावधान**	13.62	0.06
	उप जोड़	**13.62**	**0.06**
छ.	**निगम कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**		
	अन्य आय	(0.44)	(1.06)
	अन्य व्यय	8.39	10.91
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	106.26	114.94
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2.14	2.22
	वित्त लागत	0.29	0.22
	उप जोड़	**116.64**	**127.23**
ज.	**घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां**		
	विद्युत उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व	34.73	25.56
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	13.88	15.92
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.03	0.05
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-	0.66
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	1.67	110.45
	विविध प्राप्तियां	75.37	0.54
	उप जोड़	**125.68**	**153.18**
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ–ज) (टिप्पणी संख्या 2.2 देखें)	**1,248.89**	**871.92**

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणियां	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) गैर–वर्तमान निवेश							
क) इक्विटी दस्तावेज में (उद्धृत)	3.1		93.30			46.57	
ख) ऋण दस्तावेज (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत	3.1		422.05			417.56	
उप जोड़			**515.35**			**464.13**	
(ii) ऋण							
क) जमा	3.2			23.00			22.45
ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण	3.2			18.40			-
ग) कर्मचारी	3.2			165.25			100.40
घ) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.2			736.62			675.80
(iii) अन्य							
– ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.3			2,563.17			1,384.63
– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य	3.3			2,017.20			2,017.20
– शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन	3.3			318.29			-
– व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति	3.3	18.21			33.71		
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3			0.40			0.37
कुल गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**18.21**	**515.35**	**5,842.33**	**33.71**	**464.13**	**4,200.85**
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्यापार प्राप्य	7			3,206.02			3,585.12
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8			145.57			8.87
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9			768.39			380.25

	वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणियां	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(iv)	ऋण	10						
	– कर्मचारी ऋण				47.66			39.28
	– संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण				0.42			6.27
	– जमा				0.36			0.48
(v)	अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़कर)	11			2,284.83			2,881.36
(vi)	अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11			101.29			51.60
	कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	**6,554.54**	-	-	**6,953.23**
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**18.21**	**515.35**	**12,396.87**	**33.71**	**464.13**	**11,154.08**

	वित्तीय देयताएं	टिप्पणियां	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(i)	दीर्घावधि ऋण	16.1			21,230.99			20,878.66
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.1			10.23			11.08
(iii)	अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.2			2,054.34			2,059.23
(iv)	ऋण – अल्पावधि	20.1			726.03			714.31
(v)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित व्यापार देय	20.2			201.34			304.26
(vi)	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
	क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3			1,393.11			1,616.95
	ख) पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3			2.42			2.83
	ग) ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3			660.72			643.10
	घ) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3			869.37			617.19
	कुल वित्तीय देयताएं				**27,148.55**			**26,847.61**

ख) उचित मूल्य मापन

(i) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एएस–113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है:

स्तर–1: स्तर –1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका व्यापार मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर–2: सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और कंपनी विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम वि वास करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर–3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। स्तर–3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन–देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
(i) एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
निवेश –							
– इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	93.30			46.57		
– ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में उद्धृत*	3.1	422.05			417.56		
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)	3.3		18.21			33.71	
कुल		**515.35**	**18.21**	**-**	**464.13**	**33.71**	**-**

टिप्पणी:

* इन दस्तावेजों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर के अभाव में, दरों को फिक्डस्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के तहत निकाला गया है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर–आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गईं वे वित्तीय परिसपंत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
(i) वित्तीय परिसंपत्तियां							
ऋण							
क) कर्मचारी	3.2		216.86			117.29	
ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण	3.2		18.40			-	

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.2		736.62			675.80	
	घ) जमा	3.3			23.00			22.45
(ii)	**अन्य**							
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		0.40			0.37	
	– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य	3.3	2,017.20			2,017.20		
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**2,017.20**	**972.28**	**23.00**	**2,017.20**	**793.46**	**22.45**
	वित्तीय देयताएं							
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1 एव 20.3	19,083.09	2,207.18	2,881.38	16,161.49	3,444.70	2,654.45
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.1 एव 20.3			12.65			13.91
(iii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.2	2,017.20		42.12	2,017.20		46.99
	कुल वित्तीय देयताएं		**21,100.29**	**2,207.18**	**2,936.15**	**18,178.69**	**3,444.70**	**2,715.35**

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
			वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
	वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i)	**ऋण**					
	क) कर्मचारी	3.2	165.25	216.86	100.40	117.29
	ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण	3.2	18.40	18.40	-	-
	ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.2	736.62	736.62	675.80	675.80
	घ) जमा	3.2	23.00	23.00	22.45	22.45
(ii)	**अन्य**					
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	0.40	0.40	0.37	0.37

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
			वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
	– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य	3.3	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**2,960.87**	**3,012.48**	**2,816.22**	**2,833.11**
	वित्तीय देयताएं					
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1 एवं 20.3	23,284.82	24,171.65	23,138.71	22,260.65
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.1 एवं 20.3	12.65	12.65	13.91	13.91
(iii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.2	2,054.34	2,059.32	2,059.23	2,064.19
	कुल वित्तीय देयताएं		**25,351.81**	**26,243.62**	**25,211.85**	**24,338.75**

टिप्पणीः–

1. वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
2. उचित मूल्य पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए मूल्यांकन तकनीक और प्रयुक्त प्रक्रिया

1. कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत आंकड़ों का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं–

   एकसमान दस्तावेजों के लिए उद्धृत बाजार कीमत अथवा डीलर उद्धरण का उपयोग।

   शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।

2. स्तर – 3 पर वर्गीकृत वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋणों को छोड़कर, कंपनी के बकाया ऋणों, की भाारित औसत दर पर आधारित है।
3. बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन–देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके माना जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन–देन लागतें वास्तविक होती हैं।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, परिशोधित लागत पर मापे गए व्यापार प्राप्य और वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम – प्रतिभूति मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम – विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रूपए में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

ऋण जोखिम ढांचा

कंपनी के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु कंपनी की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है।

कंपनी अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करती है:

i ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालनात्मक क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटे वाली परिसंपत्तियों) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल हैं, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भावी नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगी।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करता है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं – 1. इक्विटी पर आय (आरओई), 2. मूल्यह्रास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उपर्युक्त के अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर और कर भी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर अंतर और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूलीयोग्य हैं और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालनात्मक क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

व्यापार प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व तथा पट्टा प्राप्य

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी व्यापार प्राप्यों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करता है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और ये वृहद स्वतंत्र बाजारों में प्रचालन करते हैं। बकाया राजस्व मुख्यतः रिपोर्टिंग तारीख पर बिल नहीं किए गए परन्तु पूरा किए गए कार्यों हेतु मुआवजे पर कंपनी के अधिकार हैं तथा वास्तव में समान प्रकार की संविदाओं के लिए व्यापार प्राप्यों के रूप में समान जोखिम विशेषताओं से संबंधित है।

कंपनी के पट्टा प्राप्य विद्युत क्रय करारों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34 में संदर्भित किए गए अनुसार इंड एएस 116 – "पट्टों" के अनुसार वित्त पटटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय करार किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए हैं और पट्टे वाली परिसंपत्तियों अर्थात पावर स्टेशनों की पीपीई पर ब्याज आय तथा मूलधन की वसूली का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

कर्मचारी ऋण: कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन–पत्र की तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली नियत किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन पूर्व के आंकड़ों का मूल्यांकन करता है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करता।

अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण: कंपनी ने अरूणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के हिस्से से वसूलीयोग्य है। प्रबंधन ऋण पर किसी चूक की संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करता।

वित्तीय दस्तावेज और नकदी जमा:

कंपनी बैंकों के पास शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेषों को उन बैंकों के पास रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी को अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमा में निवे ा करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

i) ऋण जोखिम का प्रदर्शन

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को छोड़कर)	515.35	464.13
ऋण–गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	943.27	798.65
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	2,017.60	2,017.57
नकदी और नकदी समतुल्य	145.57	8.87
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	768.39	380.25
ऋण – वर्तमान	48.44	46.03
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	2,284.83	2,881.36
कुल (क)	**6,723.45**	**6,596.86**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	3,206.02	3,585.12
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	2,664.46	1,436.23
कुल (ख)	**5,870.48**	**5,021.35**
कुल (क+ख)	**12,593.93**	**11,618.21**

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधानः–

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का मूल्यांकन करती है और मामला दर मामाला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि कंपनी के पावर स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, अतः भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

यह कंपनी मुख्य रूप से थोक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करती है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राज्य यूटिलिटियां शामिल हैं। कंपनी के पास भारत सरकार, आरबीआई तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्थित साख पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जो 2001–02 के दौरान भारत सरकार द्वारा सेबी की बकाया राशि का एकमुश्त निपटान जारी करने के बाद, अक्तूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस टीपीए के विस्तार को अनुमोदित किया। अधिकांश राज्यों ने इन टीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं तथा शेष राज्यों द्वारा हस्ताक्षर करना प्रकिया में हैं। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों के लिए पिछले 12 महीनों हेतु कंपनी की औसत मासिक बिलिंग का 105 प्रतिशत भाामिल करने के लिए साख–पत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य यूटिलिटी द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक हुई है तो बकाया राशि की कटौती राज्य की केंद्रीय योजना सहायता से की जा सकती है तथा संबंधित सीपीएसयू को भुगतान की जा सकती है। इसमें बकाया राशि का भुगतान न करने तथा साख पत्रों की गैर–स्थापना के संदर्भ में कंपनी द्वारा विद्युत के विनियमन का भी प्रावधान है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते है जो कंपनी के भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाली राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और व्यापार प्राप्य हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या व्यापार प्राप्यों की वसूली में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी प्रचालनरत परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन करती है और मामला–दर–मामला आधार पर प्रत्यशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी व्यापार प्राप्य की गैर–वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का पुनर्मिलान

इस अवधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु छूट में संचलन निम्नवत थाः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूलीयोग्य दावा	ऋण	कुल
01.04.2019 को शेष	**37.71**	**203.37**	**0.01**	**241.09**
हानि छूट में परिवर्तन	-	82.35	-	82.35
01.04.2020 को शेष	**37.71**	**285.72**	**0.01**	**323.44**
हानि छूट में परिवर्तन	(3.95)	(10.57)	-	(14.52)
31.03.2021 को शेष	**33.76**	**275.15**	**0.01**	**308.92**

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी विश्वास करती है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां काफी नहीं हैं।

(ग) लिक्विडिटी जोखिम

विवेकसम्मत लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

i) कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा सहायक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी:

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिवर्तनशील दर पर	475.00	925.00
कुल	**475.00**	**925.00**

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2021 को

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 & 20.3	24,423.60	2,119.14	3,161.38	4,160.14	14,982.94
पट्टा दायित्व	16.1 & 20.3	24.06	2.42	4.29	1.87	15.48
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	3,598.00	1,526.33	11.32	7.40	2,052.95
व्यापार देय	20.2	201.34	201.34	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**28,247.00**	**3,849.23**	**3,176.99**	**4,169.41**	**17,051.37**

31 मार्च, 2020 को

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1, 20.1 & 20.3	24,262.41	2,331.26	2,963.68	3,782.02	15,185.45
पट्टा दायित्व	16.1 & 20.3	25.38	2.83	4.88	2.99	14.68
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 & 20.3	3,331.43	1,256.11	10.87	6.95	2,057.50
व्यापार देय	20.2	304.26	304.26	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**27,923.48**	**3,894.46**	**2,979.43**	**3,791.96**	**17,257.63**

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार–पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहनीय मूल्य और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों में संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण की संगत मद की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तनों का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज दर जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अध्यधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती हैं। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत टैरिफ समायोजन के माध्यम से वसूली के माध्यम से कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनशीलता के लिए भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार		31 मार्च, 2020 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रूपए में)	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रूपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रूपए)	-	-	8.00	500.00
नियत दर ऋण (भारतीय रूपए)	7.89	20,934.19	8.07	20,106.61
नियत दर ऋण (एफसी)	1.41	1,689.92	1.47	1,889.00
कुल		**22,624.11**		**22,495.61**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि, ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उधार से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकांशतः ऋण नियत ब्याज दर पर होते हैं। परिवर्तनशील दर उधार के मामले में ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी के लाभ और हानि के विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है।

(ii) मूल्य जोखिमः

(क) प्रदर्शन

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन–पत्र में गैर–वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती हैः

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेशः	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	1.54	1.43	24.11	11.21
इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-	22.83	0.06

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार–चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण दस्तावेजों के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती हैः

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
सरकारी प्रतिभूतियां	1.11	3.77	1.34	4.56
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर मुक्त बाण्ड	2.14	1.88	1.56	1.29

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा प्रदर्शनः

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के प्रदर्शन को भारतीय राष्ट्रीय रूपए में निम्नानुसार व्यक्त किया गया हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लि. (जेपीवाई)	968.62	1,132.22
एमयूएफजी बैंक (जेपीवाई)	721.30	756.77
अन्य वित्तीय देयताएं	48.91	56.78
विदेशी मुद्रा से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	**1,738.83**	**1,945.77**

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय अंतर के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे प्रदर्शन के संबंध में मुद्रा जोखिम बहुत अधिक नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है, इसलिए मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रकट नहीं किया गया है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋणःइक्विटी अनुपात को विहित करते है। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋणःइक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋणःइक्विटी अनुपात निम्नानुसार हैः

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रूपए में)	24,653.95	24,526.72
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रूपए में)	31,647.31	29,983.81
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.78	0.82

टिप्पणीः कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल हैं। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते है।

(ख) ऋण प्रसंविदाएंः

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत, कंपनी के लिए निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित हैः–

1. कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु तक बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगा।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुना से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज – गैर नकदी आय)/देय ब्याज)) के रूप में की जाएगी।
4. कंपनी का सकल ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण की मुद्रा के दौरान 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकार की धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

(ग) लाभांशः (टिप्पणी सं. 15.2 देखें)

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i) इक्विटी शेयर		
0.32 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त शेयर का वर्ष 2019–20 हेतु अंतिम लाभांश सितम्बर, 2020 में अनुमोदित और अक्तूबर, 2020 में अदा किया गया (31 मार्च, 2019 को – वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु 0.75 भारतीय रूपए पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	321.44	753.38
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	शून्य	101.29*
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु 1.25 रूपए (31 मार्च, 2020 – 1.18 रूपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश	1,255.63	1185.31
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	197.49
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उपर्युक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.35 रूपए (31 मार्च, 2020 – 0.32 रूपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।	351.58	321.44
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	शून्य	शून्य

* एनएचडीसी लिमिटेड से प्राप्त लाभांश पर लाभांश वितरण कर के साथ समायोजित।

टिप्पणी संख्या. 34: खाता संबंधी अन्य स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं से संबंधित स्पष्टीकरण:

आकस्मिक देयताएं, जिनके लिये प्रावधान नहीं

क) कंपनी के खिलाफ वे दावे जो ऋण के रूप में मान्य नहीं–

(i) पूंजीगत कार्य

ठेकेदारों ने कंपनी के खिलाफ दर और मात्रा संबंधी विचलन, समय विस्तार संबंधी लागत, काम रुक जानेध्स्थल सौंपे जाने में विलंब के कारण हुए व्यय को लेकर **10099.97 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **10715.56 करोड़**) का दावा किया। कंपनी संबंधित अनुबंधो के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य न होने के आधार पर इन दावों को नामंजूर कर रही है या ये मध्यस्थता ट्राईब्यूनल/अन्य फोरम/कंपनी की जांच पड़ताल के अधीन हैं। इनमें मध्यस्थता पर व्यय की गयी राशि और अबतक के ब्याज सहित कंपनी के खिलाफ **5772.52 करोड़** (पिछले वर्ष **5004.96 करोड़**) रुपए का दावा भी शामिल है, जिसे अदालत में चुनौती दी गयी है/चुनौती देने का फैसला किया गया है।

प्रबंधन ने इन दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना के आधार पर **412.91 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **395.89 करोड़**) का प्रावधान मान्य किया है तथा आकस्मिक देयता के रूप में **9480.36 करोड़**(पिछले वर्ष **10069.32 करोड़**) का आकलन किया है जिसके लिये कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसी आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में या तो आर्थिक लाभ के संसाधनों का आउटफ्लो संभव नहीं है या देयता के समाधान के लिये आवश्यक राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता। शेष दावों/दायित्वों के संदर्भ में समाधान में किसी आउटफ्लो की संभावना नगण्य मानी जाती है।

(ii) भूमि क्षतिपूर्ति संबंधित मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के संदर्भ में कुछ भू–स्वामियों ने विभिन्न अधिकरणों/अदालतों में अधिक मुआवजे का दावा किया है। यह दावा **238.30 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **140.29 करोड़** रुपए) का है। इनका समायोजन अभी लंबित है। कंपनी ने आर्थिक लाभों के संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना के आधार पर **3.26 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **3.26 करोड़** रुपए) का प्रावधान किया है और संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना नहीं होने पर आकस्मिक देयता के रूप में **235.24 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **137.04 करोड़**) का आकलन किया गया है।

(iii) विवादित कर मांगे

विभिन्न अपीलीय अधिकरणों के समक्ष विवादित आयकर/बिक्रीकर/सेवाकर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर ध्शुल्क के **923.22 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **760.39 करोड़** रुपए) के मामले लंबित हैं। कंपनी ने समायोजन के लिए आर्थिक लाभ से जुड़े संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना के आधार पर **17.52 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **17.70 करोड़** रुपए) का आकलन और प्रावधान किया है। जहां ऐसी संभावना नहीं है वहां के लिए आकस्मिक देयता के रूप में **645.25 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **641.68 करोड़** रुपए) का प्रावधान किया गया है। शेष दावों/दायित्वों के संदर्भ में समायोजन में किसी आउटफ्लो की संभावना नगण्य मानी गई है।

(iv) अन्य

अन्य विविध विषयों में **777.54 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **686.76 करोड़**) का दावा किया गया है। ये दावे विभिन्न फोरम के समक्ष लंबित हैं। कंपनी ने समायोजन के लिए आर्थिक लाभों से संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना के आधार पर **92.49 करोड़** (पिछले वर्ष **17.81 करोड़** रुपए) की राशि का आकलन और प्रावधान किया है। जहां संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना नहीं है, **679.97 करोड़** (पिछले वर्ष **667.07 करोड़** रुपए) का प्रावधान आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है। शेष दावों/दायित्व के संदर्भ में समायोजन में आउटफ्लो की संभावना नगण्य मानी गई है।

उपर्युक्त संदर्भ को निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक दावे	दावों के संदर्भ में अद्यतन प्रावधान	31.03.2021 तक आकस्मिक देयताएं	31.03. 2020 तक आकस्मिक देयताएं	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता में योग/(कमी)	01.04.2020 को आरंभिक तुलनशेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूंजीगत कार्य	10099.97	412.91	9480.36	10,069.32*	(588.96)	948.33
2.	भूमि क्षतिपूर्ति मामले	238.30	3.26	235.04	137.04	98.00	0.25
3.	विवादित कर मामले	923.22	17.52	645.25	641.68	3.57	83.32
4.	अन्य	777.54	92.49	679.97	667.07*	12.90	126.44
	कुल	**12,039.03**	**526.18**	**11,040.62**	**11,515.11**	**(474.49)**	**1158.34**

* पिछले वर्ष के दौरान 74.78 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयता को 'पूंजीगत कार्य' से 'अन्य' मद में पुनःवर्गीकृत किया गया।

(ख) उपरोक्त में विभिन्न सेवा विषयों और अन्य के संदर्भ में लंबित मामलों पर आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं, जहां राशि की मात्रा तय नहीं की जा सकती।

(ग) आपात देयताओं के संदर्भ में आउटफ्लो से संबंधित अनिश्चितता का पता लगाना और उसे स्पष्ट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आपात देयताओं पर कंपनी को **469.82 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **365.26 करोड़**) की प्रतिपूर्ति संभव है।

(ड़) (i) 05 सितंबर 2016 के ओएम संख्या 14070/14/2016 – पीपीपीएयू के तहत जारी निति आयोग के निर्देशों के अनुसार पूंजीगत कार्यों से संबंधित आपात देयताओं पर **1140.45 करोड़** (पिछले वर्ष **697.09 करोड़** रुपए) की राशि का भुगतान किया गया, उन मामलों में जहां मध्यस्थता ट्रायब्यूनल ने ठेकेदारों के पक्ष में आदेश पारित किया है और इन निर्णयों/आदेशों को कंपनी द्वारा अदालत में चुनौती दी गई/दी जा रही है। इस मद् में भुगतान की गई राशि अन्य गैर चालू आस्तियों में दर्शाई गई है। (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)

(ii) आकस्मित देयताओं के संदर्भ में **1568.68 करोड़** (पिछले वर्ष **1323.72 करोड़** रुपए) की राशि मुकदमें लड़ने के लिए भुगतान की गई/अदालतों में जमा की गई/अदालत के आदेश के अनुसार चुकाई गई और इसे दावेदारों के अन्य गैर चालू/चालू आस्तियों/समायोजित अन्य देयताओं के तहत दर्शाया गया है। (टिप्पणी संख्या 5 और 13 भी देखें)

(च) प्रबंधन यह आशा नहीं करता कि उपरोक्त दावे/देयताएं (कानूनी कार्यवाही के तहत शामिल मामलों सहित), जब अंतिम रूप से समायोजित और तय कर लिए जाएंगे तो इनका कंपनी के संचालन या वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(छ) 31.03.2021 को आपात देयताओं का एजेंसीवार विवरण की श्रेणी इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक दावे	दावों के संदर्भ में अद्यतन प्रावधान	31.03.2021 तक आकस्मिक देयताएं	31.03. 2020 तक आकस्मिक देयताएं	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता में योग/(कमी)	01.04.2020 को आरंभिक तुलनशेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1	केंद्र सरकार के विभाग	333.11	0.83	71.82	71.17	0.65	-
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	620.62	33.77	586.85	573.13	13.72	83.32
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	138.77	92.77	15.59	100.36	(84.77)	93.16
4	अन्य	10,946.53	398.81	10,366.36	10,770.45	(404.09)	981.86
	कुल	**12,039.03**	**526.18**	**11,040.62**	**11,515.11**	**(474.49)**	**1158.34**

(ज) सिक्किम सरकार ने 2 अगस्त 2019 के पत्र द्वारा तीस्ता–V पावर स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण और मकानों तथा अन्य निर्माणों के मुआवजे, जो वित्त वर्ष 2014 को दौरान जलाशय के पानी से कथित रूप से नष्ट हो गए थे, के संदर्भ में **35.80 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **35.80 करोड़** रुपए) की मांग रखी है। प्रबंधन ने इन दावों को इस आधार पर नामंजूर कर दिया है कि पावर स्टेशन द्व ारा भूमि नहीं ली गई और नुकसान भी निर्माण गतिविधियों के कारण नहीं हुआ, ये गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2008 में ही पूरी हो गई थी। यह नुकसान इस क्षेत्र में पुराने भू–स्खलन क्षेत्रों की मौजूदगी के कारण हुआ। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के तहत सिक्किम सरकार के राजपत्र में 06.03.2018 को प्रकाशित भूमि अधिग्रहण अधिसूचना एकतरफा और पावर स्टेशन की सहमति के बिना है और इस प्रकार कानूनी रूप से यह व्यवहार्य नहीं है। यह मामला वर्तमान में राज्य सरकार के साथ विचाराधीन है और अगली समीक्षा और विचार–विमर्श/सहमति के लिए लंबित है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भूमि अधिग्रहण की मांग पावर स्टेशन के लिए कंपनी द्वारा नहीं की गई और इस प्रकार इस संदर्भ में कोई नकदी आउटफ्लो नहीं हुआ।

2. आकस्मिक देयताएं: कंपनी के संदर्भ में आकस्मिक देयताएं निम्नलिखित आधार पर है:

क) कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों के खिलाफ दायर प्रतिदावे :

कंपनी ने अन्य कंपनियों के दावों के खिलाफ दायर प्रतिदावों पर **971.12 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **915.84 करोड़** रुपए) व्यय किए। यह दावे अनुबंधगत प्रावधानों के आधार पर दायर किए गए हैं और मध्यस्थता ट्रायब्यूनल/अन्य फोरम के तहत इन पर कार्रवाई चल रही है। इसमें अद्यतन ब्याज सहित मध्यस्थता राशि के संदर्भ में **28.16 करोड़** (पिछले वर्ष **28.16 करोड़** रुपए) का प्रतिदावा शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के आधार पर कुल **841.22 करोड़** (पिछले वर्ष **803.37 करोड़**) के दावों के संदर्भ में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। शेष दावों के लिए किसी इनफ्लो की संभावना नगण्य है। इसी के अनुसार इन दावों को मान्य नहीं किया गया है।

ख) विलंब भुगतान प्रभार:

सीईआरसी (शुल्क शर्त) विनियमन 2014–19/2019–24 लाभार्थियों द्वारा बिल में दी गई तिथि से भुगतान में विलंब की स्थिति में उत्पादक कंपनी द्वारा विलंब भुगतान प्रभार लगाए जाने का प्रावधान करता है। लाभार्थियों से बिल राशि संग्रह में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं को देखते हुए प्रबंधन द्वारा अनुमानित **60.94 करोड़** (पिछले वर्ष **239.48 करोड़** रुपए) की राशि मान्य नहीं की गई है।

ग) पावर स्टेशनों के संदर्भ में मान्य नहीं किया गया राजस्व:

सभी पावर स्टेशनों के संदर्भ में 2019–24 का शुल्कादेश लंबित है। मैनेजमेंट ने आकलन किया है कि **4.93 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **545.31 करोड़** रुपए) का अतिरिक्त राजस्व शुल्क में संशोधन के कारण प्रोद्भूत होने की संभावना है जिसे अनिश्चितता के कारण अनुमोदन के लिए मान्य नहीं किया गया है।

घ) व्यवसाय व्यवधान हानि :

पावर स्टेशनों के संदर्भ में व्यवसाय व्यवधान हानियों के कारण बीमा दावों को तब मान्य किया जाता है जब अंतिम वसूली में कोई बड़ी अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने इस संदर्भ में **417.57 करोड़** (पिछले वर्ष **210.05 करोड़** रुपए) के दावे का आकलन किया है, जिसे मान्य नहीं किया गया है। पावर स्टेशनवार दावों का ब्यौरा, एकल वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी 34(23) में दिया गया है।

ड़) अन्य मामले:

प्रबंधन द्वारा अन्य विविध मामलों में **553.04 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **374,59 करोड़** रुपए) का आकलन मान्य नहीं किया गया है।

3. प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किए गए है):

(क) पूंजीगत राशि पर कार्यान्वित किए जाने वाले बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण (जारी पूंजीगत कार्यों सहित)	3263.38	2365.46
2.	अमूर्त आस्तियां	0.02	-
	कुल	**3263.40**	**2365.46**

(ख) 31 मार्च 2021 तक सहयोगी कंपनियों में और आगे निवेश के लिए कंपनी की प्रतिबद्धताएं **1414.47 करोड़** (पिछले वर्ष **113.25 करोड़** रुपए) हैं।

(ग) 31 मार्च 2021 तक संयुक्त उपक्रम कंपनियों में और आगे निवेश के लिए कंपनी की प्रतिबद्धताएं **807.27 करोड़** (पिछले वर्ष **1345.64 करोड़** रुपए) थी।

4. मंजूर स्तर से आगे कुछ अन्य मदों में संपादित कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी का लंबित अनुमोदन, अस्थाई भुगतान/प्राबधान और/या अतिरिक्त मदों में कुल 0.06 करोड़ (पिछले वर्ष **0.41 करोड़** रुपए) को जारी पूंजीगत कार्यों/परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किया गया है।

5. इंड एएस 115– 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' के अनुसार स्पष्टीकरण :

(ए) वस्तु और सेवाओं की प्रकृति

अधिकांश राजस्वः कंपनी का राजस्व में बिजली की बिक्री, ट्रेडिंग के जरिए बिजली की बिक्री, परामर्शी और अन्य सेवाओं से होने वाली आय शामिल है। नीचे मुख्य गतिविधियों का ब्यौरा दिया जा रहा है।

(क) बिजली की बिक्री से राजस्व

कंपनी का मुख्य राजस्व बिजली की बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों, मुख्यरूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियां और राज्य में संचालित निजी बिजली वितरण कंपनियों को बिजली बेचती है। बिजली का विक्रय आमतौर पर लाभार्थियों के साथ दीर्घावधि बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के जरिए होता है।

बिजली बिक्री अनुबंधों के तहत विक्रय की प्रकृति का ब्यौरा, प्रदर्शन दायित्वों का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें इस प्रकार हैं:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
बिजली बिक्रय	कंपनी लाभार्थियों के साथ दीर्घावधि बिजली खरीद समझौते, जो बिजली केंद्रों के पूरे जीवन काल के लिए होते हैं, के आधार पर बिजली बिक्री के अनुबंधों से राजस्व प्राप्त करती है, जैसे 40 वर्ष। बिजली बिक्री से राजस्व का लेखांकन पांच वर्ष की शुल्क अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित शुल्क दरों के आधार पर होता है, जिसे बिजली अपीलीय ट्रायब्यूनल के आदेशों द्वारा व्यवहार्य सीमा तक संशोधित किया गया है। उन पावर स्टेशनों के संदर्भ में जहां शुल्क दरें सीईआरसी द्वारा अभी अनुमोदित होनी हैं/अस्थाई रूप से अनुमोदित की गई हैं, व्यवहार्य सीईआरसी शुल्क विनियमों पर विचार करते हुए अस्थाई दरें लागू की जाती हैं। लाभार्थियों को बिजली के आपूर्ति कर दिए जाने के बाद भी बिजली बिक्री से होने वाला राजस्व मान्य किया जाता है। लाभार्थियों को सांवधिक और नियमित आधार पर बिल जारी किए जाते हैं।

(ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण अनुबंध/परामर्श कार्य (परियोजनाएं और परामर्श)

कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए परामर्श और योजना कार्यान्वयन तथा प्रबंधन अनुबंध करती है। विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे डिजाइन और इंजीनियरिंग, खरीद, परियोजना प्रबंधन और निरीक्षण, निर्माण प्रबंधन, बिजली केंद्रों का संचालन और रख–रखाव, ग्रामीण सड़क परियोजनाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं।

परामर्श और अन्य सेवाओं के लिए अनुबंध के तहत प्रदर्शन दायित्वों की प्रकृति और संतुष्टि समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का ब्यौरा इस प्रकार है :

उत्पाद/सेवा	प्रदर्शन दायित्वों की प्रकृति, संतुष्टि समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शी सेवाएँ	कंपनी समय के साथ–साथ परामर्शी सेवाओं के लिए अनुबंधों से राजस्व प्राप्त करती है, क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। अनुबंध के तहत हस्तांतरित परिसंपत्तियां (जैसे प्रदेय वस्तु या उत्पाद, प्रतिवेदन इत्यादि) का कंपनी के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं हैं और कंपनी के पास पूरी की गई प्रतिबद्धताओं के लिए बाध्यकारी भुगतान अधिकार है। परामर्शी सेवाओं के लिए राजस्व का निर्धारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार होता है। अनुबंध की शर्तों के अनुरूप बिल की राशि तय की जाती है और यह अनुबंधगत तय अवधि के अनुसार भुगतान योग्य होती है।

उत्पाद / सेवा	प्रदर्शन दायित्वों की प्रकृति, संतुष्टि समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
ग्रामीण सड़क परियोजना / ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	कंपनी योजना के तहत किए गए कार्यों से राजस्व प्राप्त करती है क्योंकि परिसंपत्तियों का कंपनी के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी के पास निर्धारित तिथि तक सेवाओं के लिए भुगतान का बाध्यकारी अधिकार है। योजना से राजस्व का निर्धारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार होता है। इस राशि की बिलिंग अनुबंध की शर्तों के अनुसार की जाती है और अनुबंधगत तय समय पर भुगतान योग्य है।

(ग) बिजली की खरीद बिक्री

कंपनी उत्पादक कंपनियों से बिजली खरीदती है और इसे बिजली वितरण कंपनियों–डिस्कॉम्स को बेचती है। अनुबंध की प्रकृति, जोखिम और रिवार्ड प्रोफाइल के आधार पर कंपनी एक एजेंट या एक प्रधान स्रोत के रूप में बिजली के व्यापार से राजस्व प्राप्त करती है।

नीचे अनुबंध के तहत बिजली की बिक्री के लिए प्रदर्शन दायित्वों की प्रकृति, संतुष्टि समय और मुख्य भुगतान शर्तों का ब्यौरा दिया गया है:

उत्पाद / सेवा	प्रदर्शन दायित्वों की प्रकृति, संतुष्टि समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
ट्रेडिंग के जरिए बिजली की बिक्री	कंपनी ट्रेडिंग के माध्यम से बिजली विक्रय अनुबंध से समय के साथ राजस्व प्राप्त करती है, जैसे–जैसे ग्राहक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। ट्रेडिंग से बिजली विक्रय से प्राप्त राजस्व की संगणना के लिए शुल्क का निर्धारण समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाता है। अनुबंध में दी गई अवधि के अनुसार राशि की बिलिंग की जाती है और अनुबंधगत तय अवधि में यह भुगतान योग्य होता है।

(बी) राजस्व का विपुंजन

निम्नलिखित तालिका में उत्पाद और सेवा के प्रकार, भौगोलिक बाजार और राजस्व की प्राप्ति समय के आधार पर राजस्व का विपुंजन दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	समाप्त हुए वर्ष के लिए बिजली उत्पादन (वित्तीय और संचालन लीज के तहत वर्गीकृत राजस्व सहित)		परियोजना प्रबंधन / निर्माण अनुबंध / परामर्श कार्य		बिजली व्यापार		अन्य		कुल	
भौगोलिक बाजार	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
भारत	8,094.06	8,301.03	38.36	23.58	216.48	239.47	157.52	166.77	8,506.42	8,730.85
अन्य			0.16	4.30	-	-	-	-	0.16	4.30
कुल	**8,094.06**	**8,301.03**	**38.52**	**27.88**	**216.48**	**239.47**	**157.52**	**166.77**	**8,506.58**	**8,735.15**
राजस्व समय मान्यकरण:										
समय से साथ हस्तांतरित उत्पाद और सेवाएं	8094.06	8301.03	38.52	27.88	216.48	239.47	157.52	166.77	8,506.58	8,735.15
बेची गई इकाईयां (एमयू)	21281	22903	-	-	-	-	-	-	21281	22903

(सी) अनुबंध तुलनशेष

व्यापार प्राप्य, गैर बिलिंग राजस्व और उपभोक्ताओँ/ग्राहकों से जमा कार्य और अनुबंधगत देयताओं–परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के लिए अग्रिम का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	वर्तमान	वर्तमान
व्यापार प्राप्य	3,206.02	3,585.12
गैर बिलिंग राजस्व	1,358.67	2,146.83
अनुबंधगत देयता–जमा कार्य	7.53	9.37
अनुबंधगत देयता–परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	144.09	268.49
ग्राहकों और अन्य से अग्रिम	32.99	11.70

कंपनी ने अनुबंधगत देयताओं से शून्य (पिछले वर्ष 3.63 करोड़ रुपए) राजस्व मान्य किया है।

(डी) शेष प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेन–देन मूल्य कंपनी के संचालन के लिए या तो व्यवहार्य नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ई) इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अनुसार व्यावहारिक उपायः

(i) कंपनी ने एक वर्ष या कम की अनुमानित अवधि वाले शेष प्रदर्शन दायित्वों के बारे में और जहां प्राप्त राजस्व सीधे कंपनी के प्रदर्शन को लेकर ग्राहकों की संतुष्टि से जुड़ता है, जानकारी स्पष्ट नहीं की है।

(ii) कंपनी के पास व्यापार के सामान्य क्रम में ऐसा कोई अनुबंध नहीं है जिसमें ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहकों द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो। इसके अनुसार लेनदेन मूल्य को केवल वहां धन के समयमूल्य के अनुसार समायोजित किया गया है, जहां पैसे का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो।

(एफ) कंपनी ने ग्राहक के साथ अनुबंध में कोई वृद्धिलागत शामिल नहीं की है और इसलिए ऐसी लागत के लिए किसी आस्ति को मान्य नहीं किया है।

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा दर में विचलन (एफईआरवी) का प्रभाव,

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एफईआरवी के अनुसार लाभ–हानि विवरणी में	(34.21)	49.75
(ii)	उधारी लागत के रूप में लाभ–हानि विवरणी में प्रभारित राशि'	-	143.79
(iii)	पीपीई की मौजूता राशि में समायोजित राशि	(49.71)	-
(iv)	नियामक आस्थगित खाता तुलनशेष में मान्य राशि	1.70	0.99

* विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव का असर कंपनी के लाभ पर नहीं पड़ा है, क्योंकि मौजूदा सीईआरसी विनियमन 2019–24 के अनुसार इन दरों में बदलाव लाभार्थियों से वसूली योग्य है। कंपनी की प्रमुख लेखांकन नीति के अनुसार वर्ष के लिए उधारी लागत में शामिल विनिमय दर विचलन, विदेशी मुद्रा आस्तियों (लाभार्थियों से वसूली योग्य) के डेफर्ड उतार–चढाव में स्थानांतरित कर दिया गया है।

7. संचालन खंडः

क) बिजली उत्पादन (नियोजित वित्त/संचालन लीज से आय सहित) कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधि है। अन्य संचालन जैसे अनुबंध, परियोजना प्रबंधन, परामर्श कार्य और बिजली ट्रेडिंग व्यवसाय, संचालन खंड के बारे में इंड एएस 108 के अनुसार रिपोर्ट योग्य खंड निर्मित नहीं करते हैं।

ख) कंपनी के पास केवल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश में ही स्थित हैं।

ग) महत्वपूर्ण ग्राहकों के बारे में जानकारी: **4987.24 करोड़** (पिछले वर्ष **4810.80 करोड़**) का राजस्व जिन प्रमुख ग्राहकों से प्राप्त हुआ है उनका ब्योरा नीचे दिया जा रहा है:

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक से प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपए में)		कुल राजस्व के प्रतिशत रूप में ग्राहक से प्राप्त राजस्व	
		31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2021को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1	उत्तर प्रदेश बिजली निगम लिमिटेड	1463.35	1616.62	17.20%	18.51%
2	बिजली विकास विभाग, जम्मू कश्मीर सरकार/जम्मू–कश्मीर बिजली निगम लिमिटेड	1452.30	1479.07	17.07%	16.93%
3	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	1302.30	865.67	15.31%	9.91%
4	पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड	769.29	849.44	9.04%	9.72%
	कुल	**4,987.24**	**4810.80**	**58.62%**	**55.07%**

घ) विदेशी ग्राहकों से राजस्व : कंपनी भारत में स्थित है। विदेशी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विदेशी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1	भूटान	0.16	4.30
	कुल	**0.16**	**4.30**

टिप्पणी: उपरोक्त में विदेशी मुद्रा में प्राप्त राशि शून्य है (पिछले वर्ष भी शून्य)।

8. इंड एएस–24 संबंधित पक्ष डिस्क्लोजर के तहत स्पष्टीकरण

(ए) संबंधित पक्षों की सूची:

(i) सहयोगी कंपनियां :

कंपनी का नाम	संचालन का प्रमुख स्थान
एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचडीसी)	भारत
लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) 09.10.2019 से प्रभावी	भारत
जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) 31.03.2021 से प्रभावी	भारत

(ii) संयुक्त उपक्रम:

कंपनी का नाम	कंपनियों के नाम प्रमुख संचालन स्थान
राष्ट्रीय उच्च बिजली परीक्षण प्रयोगशाला (पी) लिमिडेड. (एनएचपीटीएल)	भारत
चेनाव घाटी बिजली परियोजनाएं प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीएल)	भारत

(iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मी:

क्र. सं.	नाम	धारित पद
1	श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
2	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)
3	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)(01.04.2020 को नियुक्त)
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त) और सीएफओ (01.10.2020 को नियुक्त)
5	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त) और सीएफओ (30.09.2020 को सेवानिवृत्त)

क्र. सं.	नाम	धारित पद
6	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं) (01.01.2021 को नियुक्त)
7	श्री रतीश कुमार	निदेशक (परियोजनाएं)(31.12.2020 को सेवानिवृत्त)
8	श्री तन्मय कुमार	सरकार से मनोनित निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (11.06.2020 को नियुक्त)
9	श्री भगवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक (07.09.2020 को सेवानिवृत्त)
10	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक (07.09.2020 को सेवानिवृत्त)
11	श्री अनिरूद्ध कुमार	सरकार से मनोनित निदेशक (29.05.2020 को सेवानिवृत्त)
12	श्री सौरभ चक्रवर्ती	कंपनी सचिव (11.02.2021 को नियुक्त)
13	श्री विजय गुप्ता	कंपनी सचिव (16.01.2021सेवा स्थगन)

(iv) रोजगार बाद लाभ योजनाएं :

संबंधित पक्षों के नाम	संचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्यूटी आश्वासन कोष	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(v) अन्य कंपनियों के साथ संयुक्त नियंत्रण या कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव :

कंपनी केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है। केंद्र सरकार के पास इसके अधिकतम शेयर हैं। कंपनी ने सरकार से जुड़ी कंपनियों को उपलब्ध रियायत के लिए आवेदन किया है और अपनी वित्तीय विवरणियों में इंड एएस 24 के अनुसार सीमित स्पष्टीकरण दिए हैं। इसलिए ऐसे लेन–देनों का पक्षवार ब्योरा नहीं दिया गया है क्योंकि ये लेन–देन सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर साधारण व्यवसाय क्रम के अंतर्गत हुए हैं और इन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

क्र.सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण हेतु आवश्यक शेयर धारक
2	विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य सरकार नियंत्रित कंपनियां (बीएचईएल, आईओसीएल, पीओएसओसीओ. एसएआईएल, न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी, दामोदर घाटी निगम, पीजीसीआईएल, आरईसी, बीएसएनएल, ईईएसएल, केवी, बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड इत्यादि)	एनएचपीसी पर नियंत्रण वाली समान सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा नियंत्रित कंपनियां।

(बी) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन का ब्यौरा इस प्रकार है :

सहयोगी कंपनियों के साथ सौदा

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं		
• एनएचडीसी	0.03	0.53
• बीएसयूएल	0.00	0.02
• एलडीएचसीएल	1.29	0.28
• एलटीएचपीएल	14.92	3.09

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश		
• एनएचडीसी	283.68	485.17
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान (शेयर एप्लिकेशन राशि सहित)		
• बीएसयूएल	39.40	1.00
• एलडीएचसीएल	8.61	3.20
• एलटीएचपीएल	75.00	920.50
• जेपीसीएल	165.00	-
प्रतिनियुक्ति/पदस्थापित कर्मचारी संबंधित लागत की प्रतिपूर्ति		
• एनएचडीसी	1.91	2.56
• बीएसयूएल	0.17	0.19
• एलडीएचसीएल	0.03	0.41
• एलटीएचपीएल	1.28	0.98
कंपनी द्वारा अन्य प्रतिपूर्ति		
• एलटीएचपीएल	-	5.45

(ii) संयुक्त उपक्रमों के साथ लेन–देन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं		
• सीवीपीपीएल	23.33	20.25
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान (शेयर एप्लिकेशन राशि सहित)		
• सीवीपीपीएल	500.00	140.45
प्रतिनियुक्त/पदस्थापित कर्मचारी संबंधित लागत की प्रतिपूर्ति		
• सीवीपीपीएल	2.81	3.25
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण		
• एनएचपीटीएल	12.40	-
कंपनी द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज		
• एनएचपीटीएल	0.60	0.60

(iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए क्षतिपूर्ति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
लघु अवधि कर्मचारी लाभ	4.56	4.76
रोजगार बाद लाभ	1.12	0.72
अन्य दीर्घावधि लाभ	0.93	0.28

केएमपी के साथ अन्य लेनदेन	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) और अन्य प्रतिपूर्ति	0.05	0.24
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.03	0.01

(iv) अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन – रोजगार बाद लाभ योजनाएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
ईपीएफ ट्रस्ट में अंशदान	360.79	460.70
ग्रैच्युटी ट्रस्ट में अंशदान /(ट्रस्ट से रिफंड का निबल)	(82.92)	(83.60)
आरईएचएस ट्रस्ट में अंशदान/(ट्रस्ट से रिफंड का निबल)	33.81	(88.83)
सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट में अंशदान	5.93	6.62
ईडीसीएसएस ट्रस्ट में अंशदान	136.72	194.50
अवकाश नकदीकरण में अंशदान (ट्रस्ट से रिफंड का निबल)	(8.09)	34.14

(v) कंपनी पर नियंत्रण वाली सरकार से लेन–देन – केंद्र सरकार (इसमें विभिन्न मंत्रालयों, सीआईएसएफ इत्यादि के साथ लेनदेन शामिल हैं)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	335.83	333.19
कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं	19.20	1.94
कंपनी द्वारा निर्मित सामान/भंडार की बिक्री	25.70	27.61
निर्माण सामग्री, स्टोर इत्यादि की खरीद	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	1118.90	1393.41
कंपनी द्वारा प्राप्त गौण ऋण	65.31	554.64
कंपनी द्वारा गौण ऋणों पर चुकाया गया ब्याज ;प्रोदभूत ब्याज सहित)	70.64	69.71
भारत सरकार को विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क	13.59	13.43
विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी 8.12% एनएचपीसी भारत सरकार सेवित्त बॉन्डों पर प्राप्त ब्याज और भारत सरकार को भुगतान किया गया (प्रोदभूत ब्याज सहित)	163.58	164.01

(vi) कंपनी पर नियंत्रण वाली सरकार नियंत्रित कंपनियों के साथ लेनदेन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
परिसंपत्ति/अन्य आस्तियों की खरीद	60.08	87.79
निर्माण सामग्री, स्टोर इत्यादि की खरीद	131.05	36.48
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	171.16	188.64
कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं	0.69	1.64
कंपनी द्वारा निर्मित सामानों/भंडार की बिक्री	73.11	79.21
कंपनी द्वारा बीमा दावों पर प्राप्त दावा समायोजन/राशि	23.25	56.39

(सी) संबंधित पक्षों के साथ बकाया तुलनशेष और गारंटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
सहयोगी कंपनियों के साथ तुलनशेष (एनएचडीसी,एलडीएचसीएल, बीएसयूएल और एलटीएचपीएल)		
• प्राप्य	4.13	9.11
• भुगतान योग्य	2.14	5.44
संयुक्त उपक्रम (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के साथ तुलनशेष		
• प्राप्य	54.07	42.94
• बकाया ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	18.82	6.27
केएमपी के साथ तुलनशेष		
• प्राप्य	0.28	0.05
एनएचपीसी के रोजगार बाद लाभ योजनाओं के लिए सृजित ट्रस्ट के साथ तुलनशेष		
प्राप्य		
• ग्रेच्युटी ट्रस्ट	58.14	40.30
• आरईएचएस ट्रस्ट	95.26	135.52
• अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	49.51	-
भुगतान योग्य		
• ईपीएफ ट्रस्ट	-	28.00
• सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.48	0.52
• ईडीसीएसएस ट्रस्ट	51.16	9.97
• अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	-	1.78
सरकार के साथ तुलनशेष, जिसका कंपनी पर नियंत्रण है		
• भुगतान योग्य	84.17	77.37
• प्राप्य	96.64	50.84
• सरकार से ऋण (गौण ऋण)	4783.41	4741.21
• विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी 8.12 % एनएचपीसी भारत सरकार सेवित्त बॉन्डों पर प्राप्त ब्याज और भारत सरकार को भुगतान (प्रोदभूत ब्याज सहित)	2021.69	2021.68
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा उधारी पर)	968.62	1132.22
कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली सरकार नियंत्रित कंपनियों के साथ तुलनशेष		
• भुगतान योग्य	65.38	60.65
• प्राप्य	186.65	90.23
• प्रतिबद्धताओं के आधार पर तुलनशेष	0.57	0.29

(डी) संबंधित पक्ष से लेनदेन के लिए अन्य टिप्पणियां:

(i) संबंधित पक्षों से लेनदेन के नियम और शर्तें

(क) भारत सरकार के नियंत्रण में राज्य सरकारों और अन्य कंपनियों के साथ लेनदेन बाजार नियमों के अनुसार संचालित होता है (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त गौण ऋणों को छोड़कर), यह लेनदेन खुली निविदाओं द्वारा पारदर्शी मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया के माध्यम से होता है, केवल मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से पार्ट–पुर्जों/सेवाओं की खरीद के कुछ मामलों में अनिवार्यता के कारण, सक्षमता या अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर खरीद को छोड़कर। एकल निविदा से यह खरीद भी उस /समान सामग्री के उपलब्ध मूल्य आंकड़ों के आधार पर निर्धारित मूल्य पर बातचीत की प्रक्रिया द्वारा की जाती है।

(ख) एनएचपीटीएम को 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 18.40 करोड़ (पिछले वर्ष 6.00 करोड़) का गैर सुरक्षित ऋण मंजूर किया गया।

(ग) कंपनी द्वारा सहयोगी और संयुक्त उपक्रम कंपनियों को उपलब्ध कराई गई परामर्शी सेवाएं सामान्य तौर पर अन्य पक्षों को परामर्शी सेवाएं देने के व्यवहार्य नियम, शर्तों और सिद्धांतों के अनुसार नामांकन आधार पर होती हैं।

(घ) 31.03.2021 को सहयोगी और संयुक्त उपक्रम कंपनियों का बकाया तुलन अधिशेष गैर सुरक्षित था और समायोजन बैंकिंग लेनदेन से हुआ। ऋण के अतिरिक्त ये अधिशेष ब्याजमुक्त हैं। संबंधित पक्षों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से जुड़े प्राप्य में कोई क्षति मान्य नहीं की गई है। क्षति का आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्ष और गतिविधियां संचालित किए जाने वाले बाजार की वित्तीय स्थिति के परीक्षण द्वारा किया जाता है।

(ii) सहयोगी और संयुक्त उपक्रम कंपनियों में आगे के निवेश की प्रतिबद्धताएं टिप्पणी 34 (3) में दर्शाई गई है।

(iii) रोजगार बाद लाभ योजनाओं के लिए अंशदान ट्रस्ट से रिफंड के निवल रूप में है।

9. **प्रतिभूति संबंधी विवरण :** उधारी के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रखी गई/अनुमान पर रखी गई आस्तियों की मौजूदा राशि इस प्रकार है।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021को	31.03.2020 को
	प्रथम प्रभार		
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	9,763.04	11,617.29
2	जारी पूंजीगत कार्य	10,782.38	7,898.75
3	वित्तीय आस्तियां–अन्य	1,155.07	-
	Total	**21,700.49**	**19,516.04**

10. इंड एस–19 कर्मचारी लाभ के अंतर्गत स्पष्टीकरण

(ए) निर्धारित अंशदान योजनाएं–

(i) सामाजिक सुरक्षा योजना : कंपनी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति योजना के स्थान पर सामाजिक सुरक्षा योजना लागू है। कंपनी भी प्रतिमाह प्रति कर्मचारी समान अंशदान करती है और यह अंशदान आठ वर्ष की अवधि के लिए किया जाना था, ताकि योजना के संचालन में आने की तिथि, 01.06.2007 से एक कोष बनाया जा सके, जिसे 31.05.2022 तक बढ़ाया गया है। यह योजना कर्मचारी की मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में उसके परिवार की मदद और देखभाल के उद्देश्य से शुरू की गई है। सामाजित सुरक्षा योजना के लिए वर्ष के दौरान **2.96 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **3.27 करोड़** रुपए) का व्यय दर्शाया गया है।

(ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना (ईडीसीएसएस) : कंपनी ने अपने कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना लागू की है। योजना के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का पांच प्रतिशत अंशदान रूप में देता है। कंपनी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% की राशि में से भविष्य निधि, ग्रेच्युटी ट्रस्ट और आरईएचएस ट्रस्ट में कर्मचारी का अंशदान घटाने के बाद उपलब्ध तुलनअधिशेष की सीमा तक अंशदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना का प्रबंधन करता है। कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना के लिए वर्ष के दौरान **96.69 करोड़** (पिछले वर्ष **80.87 करोड़**) का व्यय दर्शाया गया है।

(बी) निर्धारित लाभ योजनाएं – कंपनी में निम्नलिखित रोजगार बाद लाभ योजनाएं लागू हैं:

(क) योजना का विवरण :

(i) भविष्य निधि : कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करती है, जो ट्रस्ट इस राशि को स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष के दौरान कोष के लिए अंशदान व्यय के रूप में दर्शाया जाता है और इसे लाभ–हानि विवरण/निर्माण के लिए व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व निश्चित अंशदान देना और भविष्य निधि के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर रिटर्न सुनिश्चित करना है।

(ii) ग्रेच्युटी : कंपनी में एक निर्धारित लाभ ग्रेच्युटी योजना लागू है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार तय की गई है, जिसमें लगातार पांच वर्ष या अधिक की सेवा करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 X अंतिम प्राप्त मूल वेतन जोड़ महंगाई भत्ता) के बराबर ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, हटाए जाने, दिव्यांगता या मृत्यु पर यह लाभ अधिकतम 0.20 करोड़ तक होगा। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य से बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व प्रोद्भूत मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट को अंशदान देना है।

(iii) सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस): कंपनी ने सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना लागू की है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारी के पति या पत्नी और पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पताओं में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये कंपनी द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा के अनुसार बाहरी उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी प्रोद्भूत मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के लिए अपनी देयता मान्य करती है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य से बनाए गए एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व प्रोद्भूत मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट को अंशदान देना है।

(iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर निर्धारित भत्ते : कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम पदस्थापना स्थान से उस जगह तक स्थानांतरित होने का वास्तविक खर्च का भुगतान, जहां वह अवकाश प्राप्ति के बाद बसना चाहता है, कंपनी नियमानुसार करती है। मृत्यु की स्थिति में मृत कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह देयता प्रोद्भूत मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(v) सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी को स्मृति चिन्ह : कंपनी में सेवा निवृत्ति पर कर्मचारी को दस हजार रुपए मूल्य का स्मृति चिह्न प्रदान करने की नीति लागू है। इस देयता का निर्धारण प्रोद्भूत मूल्यांकन आधार पर होता है।

(ख) योजनाओं के लिए तुलनपत्रक राशि और संवादनशीलता विश्लेषण का स्पष्टीकरण:

(i) भविष्य निधि : वर्ष 2020–21 और 2019–20 के दौरान निबल लाभ देयता इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रुपए में) निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2020-21	
01.04.2020 को आरंभिक अधिशेष	**2870.09**	**2884.12**	**(14.03)**
वर्तमान सेवा लागत	97.13	-	97.13
ब्याज व्यय/ (आय)	240.10	240.10	-
कुल	**337.23**	**240.10**	**97.13**

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रुपए में) निवल राशि देयता / (आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2020-21	
पुनर्मापन			
योजना आस्तियों पर रिटर्न, ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	(3.76)	3.76
जनसांख्यिकी अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.09	-	0.09
अनुभव (लाभ) / हानि	2.07	0.00	2.07
कुल	**2.16**	**(3.76)**	**5.92**
अंशदानः–			
-कर्मचारी	-	97.13	(97.13)
-योजना प्रतिभागी	315.69	315.69	-
लाभ भुगतान	(531.01)	(531.01)	-
31.03.2021 को समापन अधिशेष	**2994.16**	**3002.27**	**(8.11)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(करोड़ रुपए में) निवल राशि देयता / (आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019-20	
01.04.2019 को आरंभिक अधिशेष	**2552.12**	**2623.76**	**(71.64)**
वर्तमान सेवा लागत	126.14	-	126.14
ब्याज व्यय / (आय)	229.37	229.37	0.00
कुल	**355.51**	**229.37**	**126.14**
पुनर्मापन			
योजना आस्तियों पर रिटर्न, योजना व्यय / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	4.31	(4.31)
जनसांख्यिकी अनुमानों में बदलाव से (लाभ) / हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.21	-	0.21
अनुभव (लाभ) / हानि	61.71	-	61.71
कुल	**61.92**	**4.31**	**57.61**
अंशदानः–			
-नियोक्ता	-	126.14	(126.14)
-योजना प्रतिभागी	332.79	332.79	0.00
लाभ भुगतान	(432.25)	(432.25)	0.00
31.03.2020 को समापन अधिशेष	**2870.09**	**2884.12**	**(14.03)**

वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित योजनाओं से संबंधित निबल देयता का स्पष्टीकरण :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2020
वित्त पोषित देयता का वर्तमान मूल्य	2870.09
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2884.12
वित्त पोषित योजना का घाटा /(आधिक्य)	**(14.03)**
गैर वित्त पोषित योजनाएं	-
आस्तियों की अधिकतम सीमा निर्धारित होने से पहले घाटा/(आधिक्य)	**(14.03)**

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का लाभों पर कोई अधिकार नहीं है चाहे यह योजना से रिफंड के रूप में हो या योजना के प्रति भविष्य में कम अंशदान के रूप में, जिससे प्रोदभूत मूल्यांकन के आधार पर **8.11 करोड़** रुपए का निवल आधिक्य निर्धारित किया गया। इसके अनुसार कंपनी ने आधिक्य को आस्ति के रूप में और अन्य व्यापक आय में प्रोद्भूत लाभों के रूप में मान्य नहीं किया, क्योंकि ये भविष्य निधि ट्रस्ट से संबंधित हैं कंपनी से नहीं।

संवेदनशीलता विश्लेषण –मुख्य अनुमानों में बदलाव के प्रति लाभ देयताओं की संवेदनशीलता इस प्रकार है:

विवरण	अनुमानों में बदलाव			निर्धारित लाभ देयताओं पर प्रभाव				
				अनुमानों में बढोतरी			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	कमी	0.006%	0.006%	वृद्धि	0.006%	0.006%

(ii) ग्रेच्युटी: वर्ष 2020–21 और 2019–20 के दौरान निवल देयताओं में बदलाव के साथ 31.03.2021 और 31.03.2020 को तुलन पत्रक में मान्य राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2020-21		
01.04.2020 को आरंभिक अधिशेष	**644.12**	**673.86**	**(29.74)**
वर्तमान सेवा लागत	16.03	-	16.03
ब्याज व्यय/(आय)	43.67	45.69	(2.02)
लाभ हानि विवरण/निर्माण पुनर्मापन के दौरान व्यय में दर्शाई गई कुल राशि	**59.70**	**45.69**	**14.01**
योजना आस्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/ (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	(4.13)	4.13
जनसांख्यिकी अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	(0.89)	-	(0.89)
वित्तीय अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	9.03	-	9.03
अनुभव (लाभ)/हानि	(7.83)	-	(7.83)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	**0.31**	**(4.13)**	**4.44**
अंशदानः–			
-नियोक्ता	-	52.88	(52.88)
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(101.38)	(117.96)	16.58
31.03.2021को समापन अधिशेष	**602.75**	**650.34**	**(47.59)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019-20	
01.04.2019 को आरंभिक अधिशेष	**673.58**	**741.20**	**(67.62)**
वर्तमान सेवा लागत	17.78	-	17.78
ब्याज व्यय/ (आय)	50.92	56.04	(5.12)
लाभ हानि विवरण/निर्माण पुनर्मापन के दौरान व्यय में दर्शाई गई कुल राशि	**68.70**	**56.04**	**12.66**
योजना आस्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/ (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	(2.09)	2.09
जनसांख्यिकी अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	0.61	-	0.61
वित्तीय अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	30.45	-	30.45
अनुभव (लाभ)/हानि	(12.87)	-	(12.87)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	**18.19**	**(2.09)**	**20.28**
अंशदानः–			
-नियोक्ता	-	-	-
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(116.35)	(121.29)	4.94
31.03.2020 को समापन	**644.12**	**673.86**	**(29.74)**

लाभ–हानि विवरण/निर्माण व्यय में मान्य कुल राशि और अन्य व्यापक आय के तहत मान्य कुल राशि प्रोद्भूत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों में पदस्थापित एनएचपीसी कर्मियों के संदर्भ में सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उपक्रमों से प्राप्य/से (भुगतान योग्य) **0.84 करोड़** रुपए की राशि (पिछले वर्ष **1.21 करोड़** रुपए) शामिल है।

वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित योजनाओं से संबंधित उपरोक्त निवल देयता इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वित्त पोषित देयताओं का वर्तमान मूल्य	602.75	644.12
योजना अस्तियों का उचित मूल्य	650.34	673.86
वित्त पोषित योजनाओं का घाटा /(आधिक्य)	**(47.59)**	**(29.74)**
गैर वित्त पोषित योजनाएं	-	-
आस्तियों की सीलिंग से पहले घाटा /(आधिक्य)	**(47.59)**	**(29.74)**

संवेदनशीलता विश्लेषण –मुख्य अनुमानों में बदलाव के प्रति निर्धारित लाभ देयताओं की संवेदनशीलता इस प्रकार है

विवरण	अनुमानों में बदलाव			निर्धारित लाभ देयताओं पर प्रभाव				
				अनुमानों में बढोतरी			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	कमी	3.23%	3.08%	वृद्धि	3.44%	3.28%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	वृद्धि	0.40%	0.44%	कमी	0.47%	0.51%

(iii) सेवा निवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस): वर्ष 2020–21 और 2019–20 के दौरान निवल निर्धारित लाभ देयताओं में बदलाव के साथ 31.03.2021 और 31.03.2020 को तुलन पत्रक में मान्य राशि, इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2020-21	
01.04.2020 को आरंभिक अधिशेष	**842.87**	**978.64**	**(135.77)**
वर्तमान सेवा लागत	16.79	-	16.79
ब्याज व्यय/(आय)	57.15	66.06	(8.91)
लाभ–हानि विवरण/निर्माण पुनर्मापन के दौरान व्यय में दर्शाई गई कुल राशि	**73.94**	**66.06**	**7.88**
योजना आस्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	5.63	(5.63)
जनसांख्यिकी अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	29.31	-	29.31
अनुभव (लाभ)/हानि	36.17	-	36.17
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	**65.48**	**5.63**	**59.85**
अंशदानः–			
-नियोक्ता	-	(6.45)	6.45
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(33.93)	-	(33.93)
31.03.2021 को समापन अधिशेष	**948.36**	**1043.88**	**(95.52)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019-20	
01.04.2019 को आरंभिक अधिशेष	**857.76**	**855.69**	**2.07**
वर्तमान सेवा लागत	16.48	-	16.48
ब्याज व्यय/(आय)	64.85	64.69	0.16
लाभ–हानि विवरण/निर्माण पुनर्मापन के दौरान व्यय में दर्शाई गई कुल राशि	**81.33**	**64.69**	**16.64**
योजना आस्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	9.25	(9.25)
जनसांख्यिकी अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	(0.19)	-	(0.19)
वित्तीय अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	72.34	-	72.34
अनुभव (लाभ)/हानि	(135.78)	-	(135.78)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	**(63.63)**	**9.25**	**(72.88)**

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019-20	
अंशदानः–			
-नियोक्ता	-	80.12	(80.12)
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(32.59)	(31.11)	(1.48)
31.03.2020 को समापन अधिशेष	**842.87**	**978.64**	**(135.77)**

ऊपर दर्शाई गई लाभ–हानि विवरण/निर्माण कार्यों के संबंधित व्यय की कुल राशि तथा अन्य व्यापक आय के तहत मान्य कुल राशि प्रोद्भूत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों में पदस्थापित एनएचपीसी कर्मचारियों के संदर्भ में सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों से प्राप्य/को भुगतान योग्य **1.04 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **1.17 करोड़** रुपए) की राशि शामिल है।

वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित योजनाओं से संबंधित उपर्युक्त निवल देयता इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वित्त पोषित देयताओं का वर्तमान मूल्य	948.36	842.87
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1043.88	978.64
वित्त पोषित योजनाओं का घाटा/(आधिक्य)	**(95.52)**	**(135.77)**
गैर वित्त पोषित योजनाएं	-	-
आस्तियों की सीलिंग के पहले घाटा/(आधिक्य)	**(95.52)**	**(135.77)**

संवेदनशीलता विश्लेषण–मुख्य अनुमानों में बदलाव के प्रति निर्धारित लाभ देयताओं की संवेदनशीलता इस प्रकार हैः

विवरण	अनुमानों में बदलाव			निर्धारित लाभ देयताओं पर प्रभाव				
				अनुमानों में बढोतरी			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	कमी	6.68%	6.75%	वृद्धि	6.74%	6.81%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	वृद्धि	6.75%	6.82%	कमी	6.70%	6.75%

(iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु संबंधी भत्ते : 31.03.2021 और 31.03.2020 को तुलन पत्रक में मान्य राशि, वर्ष 2020–21 और 2019–20 के दौरान निर्धारित लाभ देयताओं मेंबदलाव के साथ दर्शाई गई है, इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2020-21	
01.04.2020 को आरंभिक अधिशेष	**4.93**	**-**	**4.93**
वर्तमान सेवा लागत	0.21	-	0.21
ब्याज व्यय/(आय)	0.33	-	0.33

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2020-21	
लाभ–हानि विवरणी में मान्य कुल राशि और निर्माण पुनर्मापन के दौरान हानि/व्यय	**0.54**	**-**	**0.54**
योजना आस्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-
जनसांख्यिकी अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	0.09	-	0.09
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.37)	-	(0.37)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि अंशदान	**(0.28)**	**-**	**(0.28)**
अंशदान:-			
-नियोक्ता	-	-	-
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.36)	-	(0.36)
31.03.2021 को समापन अधिशेष	**4.83**	**-**	**4.83**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019-20	
01.04.2019 को आरंभिक अधिशेष	**4.89**	**-**	**4.89**
वर्तमान सेवा लागत	0.21	-	0.21
ब्याज व्यय/(आय)	0.37	-	0.37
लाभ–हानि विवरण/निर्माण पुनर्मापन के दौरान व्यय में दर्शाई गई कुल राशि	**0.58**	**-**	**0.58**
योजना आस्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-
जनसांख्यिकी अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	(0.00)	-	(0.00)
वित्तीय अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	0.36	-	0.36
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.59)	-	(0.59)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	**(0.23)**	**-**	**(0.23)**
अंशदान:-			
-नियोक्ता	-	-	-
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.31)	-	(0.31)
31.03.2020 को समापन अधिशेष	**4.93**	**-**	**4.93**

ऊपर दर्शाई गई लाभ–हानि विवरण/निर्माण कार्यों के संबंधित व्यय की कुल राशि तथा अन्य व्यापक आय के तहत मान्य कुल राशि प्रोद्भूत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों में पदस्थापित एनएचपीसी कर्मचारियों के संदर्भ में सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों से प्राप्य/को भुगतान योग्य 0.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

उपरोक्त दर्शाई गई निवल देयता गैर वित्त पोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – मुख्य अनुमानों में बदलाव के प्रति निर्धारित लाभ देयताओं की संवेदनशीलता इस प्रकार है:

विवरण	अनुमानों में बदलाव			निर्धारित लाभ देयताओं पर असर				
				अनुमान में वृद्धि			अनुमान में कमी	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	कमी	3.98%	4.49%	वृद्धि	4.43%	5.66%
लागत में वृद्धि	0.50%	0.50%	वृद्धि	4.53%	5.91%	कमी	4.13%	4.78%

(v) सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर कर्मचारियों के स्मृति चिन्ह : 31.03.2021 और 31.03.2020 को तुलन पत्रक में मान्य राशि, वर्ष 2020–21 और 2019–20 के दौरान निवल निर्धारित लाभ देयता में बदलाव के साथ इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2020-21		
01.04.2020 को आरंभिक अधिशेष	**3.38**	**-**	**3.38**
वर्तमान सेवा लागत	0.13	-	0.13
ब्याज व्यय/(आय)	0.23	-	0.23
लाभ–हानि विवरण/निर्माण पुनर्मापन के दौरान व्यय में दर्शाई गई कुल राशि	**0.36**	**-**	**0.36**
योजना आस्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-
जनसांख्यिकी अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	0.05	-	0.05
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.16)	-	(0.16)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	**(0.11)**	**-**	**(0.11)**
अंशदान:-			
-नियोक्ता	-	-	-
-योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.51)	-	(0.51)
31.03.2021 को समापन अधिशेष	**3.12**	**-**	**3.12**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि देयता/(आस्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019-20	
01.04.2019 को आरंभिक अधिशेष	**3.57**	**-**	**3.57**
वर्तमान सेवा लागत	0.13	-	0.13
ब्याज व्यय/(आय)	0.27	-	0.27
लाभ–हानि विवरण/निर्माण पुनर्मापन के दौरान व्यय में दर्शाई गई कुल राशि	**0.40**	**-**	**0.40**
योजना आस्ति पर रिटर्न, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-
जनसांख्यिकी अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में बदलाव से (लाभ)/हानि	0.19	-	0.19
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.30)	-	(0.30)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	**(0.11)**	**-**	**(0.11)**
अंशदानः–			
-नियोक्ता	-	-	-
योजना प्रतिभागी	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.48)	-	(0.48)
31.03.2019 को समापन अधिशेष	**3.38**	**-**	**3.38**

ऊपर दर्शाई गई लाभ–हानि विवरण/निर्माण कार्यों के संबंधित व्यय की कुल राशि तथा अन्य व्यापक आय के तहत मान्य कुल राशि प्रोद्भूत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों में पदस्थापित एनएचपीसी कर्मचारियों के संदर्भ में सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों से प्राप्य/को भुगतान योग्य **0.01** करोड़ रुपए (पिछले वर्ष **0.01 करोड़** रुपए) की राशि शामिल है।

उपरोक्त दर्शाई गई निवल देयता गैर वित्त पोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – मुख्य अनुमानों में बदलाव के प्रति निर्धारित लाभ देयताओं की संवेदनशीलता इस प्रकार हैः

विवरण	अनुमानों में बदलाव			निर्धारित लाभ देयताओं पर असर				
				अनुमान में वृद्धि			अनुमान में कमी	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	कमी	3.19%	4.59%	वृद्धि	3.36%	4.85%

(ग) निर्धारित लाभ योजनाएंः महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकिक मान्यता :

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर	6.55%	6.78%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार है:

भविष्य निधि:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2020			
	उद्धरित	गैर उद्धरित	कुल	% में
ऋण माध्यम				
सरकारी बॉड	1,745.52	-	**1,745.52**	58.19
कॉरपोरेट बॉड	1,048.17	-	**1,048.17**	34.94
निवेश कोष				
म्युचुअल कोष	62.60	-	**62.60**	2.09
नकदी और नकदी समतुल्य	**-**	79.01	**79.01**	2.63
प्रोद्भूत ब्याज	**64.63**	**-**	**64.63**	2.15
कुल	**2920.92**	**79.01**	**2,999.93**	**100.00**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2020			
	उद्धरित	गैर उद्धरित	कुल	% में
ऋण माध्यम				
सरकारी बॉड	1,687.94	-	**1,687.94**	58.53
कॉरपोरेट बॉड	1,024.48	-	**1,024.48**	35.52
निवेश कोष				
म्युचुअल कोष	70.04	-	**70.04**	2.43
नकदी और नकदी समतुल्य	**-**	29.74	**29.74**	1.03
प्रोद्भूत ब्याज	**71.92**	-	**71.92**	2.49
कुल	**2854.38**	**29.74**	**2,884.12**	**100.00**

ग्रैच्युटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021			
	उद्धरित	गैर उद्धरित	कुल	% में
निवेश कोष				
एलआईसी योजना	-	650.33	**650.33**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	-	**-**	-
कुल	**-**	**650.33**	**650.33**	**100.00**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2020			
	उद्धरित	गैर उद्धरित	कुल	% में
निवेश कोष				
एलआईसी योजना	-	673.85	**673.85**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	**0.01**	0.00
कुल	**-**	**673.86**	**673.86**	**100.00**

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2021			
	उद्धरित	गैर उद्धरित	कुल	% में
ऋण माध्यम				
सरकारी बॉड	-	-	**-**	-
कॉरपोरेट बॉड	497.81	-	**497.81**	47.74
एलआईसी योजना	**-**	528.49	**528.49**	50.69
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	**0.01**	-
प्रोद्भूत ब्याज	16.36	-	**16.36**	1.57
कुल	**514.17**	**528.50**	**1,042.67**	**100.00**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2020			
	उद्धरित	गैर उद्धरित	कुल	% में
ऋण माध्यम				
सरकारी बॉड	-	-	**-**	-
कॉरपोरेट बॉड	712.97	-	**712.97**	72.85
एलआईसी योजना	**-**	247.18	**247.18**	25.26
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	**0.01**	0.001
प्रोद्भूत ब्याज	18.48	-	**18.48**	1.89
कुल	**731.45**	**247.19**	**978.64**	**100.00**

(ड़) जोखिम की संभावना : अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के जरिए कंपनी को कई जोखिमों की आशंका रहती है, इनमें से सर्वाधिक प्रमुख जोखिम नीचे दिए जा रहे हैं :

जोखिम आशंकाओं का विवरण:

मूल्यांकन कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित होता है, जो अपनी प्रकृति में परिवर्तनशील हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस कारण कंपनी के सामने विभिन्न जोखिमों की आशंका रहती है:

ए) वेतन वृद्धि– वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता बढाएगी। वेतन वृद्धि छूट दर वृद्धि से भविष्य के मूल्यांकन में देयता में भी वृद्धि होगी।

बी) निवेश जोखिम– यदि योजना वित्त पोषित है तो आस्तियां और देयताओं में अंतर होगा और वास्तविक निवेश रिटर्न अंतिम मूल्यांकन तिथि पर मान्य छूट दर से कम होगा और यह देयता पर असर डाल सकता है।

सी) छूट दर– बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी से योजना की देयता बढ़ सकती है।

डी) मृत्यु और दिव्यांगता– मूल्यांकन में मान्य अनुमान से वास्तविक मृत्यु और दिव्यांगता के मामलों में वृद्धि या कमी का असर भी देयता पर पड़ सकता है।

ई) निकासी– बाद के मूल्यांकणों में वास्तविक निकासी के अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने तथा निकासी दर में बदलाव से योजना की देयता प्रभावित हो सकती है।

(च) निर्धारित लाभ देयता और नियोक्ता का अंशदान: वित्त पोषण स्तर की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। मौजूदा अंशदान दर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। कंपनी का मानना है कि अंतिम मूल्यांकन तिथि पर निर्धारित अंशदान दरें उस अवधि के घाटे को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान में, जो सेवा लागत पर आधारित है, महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी। 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए निर्धारित लाभ योजनाओं में अनुमानित अंशदान 127.70 करोड़ रुपए है। निर्धारित लाभ देयताओं की औसत अवधि 10.39 वर्ष है (2019–2020: 10.15 वर्ष)।

गैर छूट निर्धारित लाभ योजनाओं का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	0–1वर्ष के बीच	1–5 वर्ष के बीच	5–10 वर्ष के बीच	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021	528.87	921.05	570.54	973.69	2,994.15
31.03.2020	492.66	970.83	439.60	967.00	2870.09

ग्रैच्युटी (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रैच्युटी आश्वासन कोष), रोजगार बाद चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट), अवकाश प्राप्ति/मृत्यु और स्मृति चिन्ह संबंधित भत्ते का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021					
ग्रैच्युटी	90.80	74.66	139.80	297.49	602.75
रोजगार बाद चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	34.93	41.11	147.53	698.14	921.71
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते	0.61	0.53	1.09	2.60	4.83
सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त होने पर कर्मचारियों के स्मृति चिन्ह	0.48	0.39	0.73	1.52	3.12
कुल	**126.82**	**116.69**	**289.15**	**999.75**	**1,532.41**
31.03.2020					
ग्रैच्युटी	96.91	84.54	167.14	295.53	644.12
रोजगार बाद चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	29.96	38.85	135.64	638.42	842.87
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते	0.62	0.57	1.24	2.50	4.93
सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त होने पर कर्मचारियों के स्मृति चिन्ह	0.52	0.45	0.88	1.53	3.38
कुल	**128.01**	**124.41**	**304.90**	**937.98**	**1495.30**

(सी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवकाश लाभ): कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश देती है जो वर्ष में प्रोद्भूत आधार पर क्रमशः 30 दिन और 20 दिन का होता है। अर्जित अवकाश सेवा में रहते हुए नकदी में बदला जा सकता है। अर्जित अवकाश के नकदी करण की अधिकतम सीमा 300 दिन तक की तय की गई है। हालांकि सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश में 300 दिन की सीमा में कोई कमी होने पर इसे अर्ध वेतन अवकाश से पूरा किया जाता है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है। वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य व्यय 64.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 101.02 करोड़ रुपए) है।

11. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा स्पेयर पार्ट–पुर्जों के उपभोग का विवरण इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	26.50	25.29
	ii) अन्य विविध विषय	5.26	81.28
ख)	संचालन इकाईयों में प्रयोग में लिए गए स्पेयर पार्ट और अन्य घटक का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) घरेलू	19.78	18.74

12. प्रति शेयर आय :

क) प्रति शेयर आय (प्राथमिक और तनुकृत) इस प्रकार है:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
नियामक आय से पहले प्रति शेयर आय (₹) – प्राथमिक और तनुकृत	2.99	2.65
नियामक आय के बाद प्रति शेयर आय (₹) – प्राथमिक और तनुकृत	3.22	2.99
प्रति शेयर समानांतर मूल्य (₹)	10	10

ख) प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त आय समन्वय:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कर के बाद लेकिन नियामक आय गणक रूप में प्रयुक्त होने से पहले निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3006.28	2663.56
कर और नियामक आय गणक रूप में प्रयुक्त होने के बाद निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3233.37	3007.17

ग) गणक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की संख्या का समन्वय:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
गणक के रूप में प्रयुक्त इक्युटी शेयरों की औसत संख्या	10045034805	10045034805

13. तुलन शेष की पुष्टि से संबंधित स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

(क) ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, ऋण (कर्मचारियों के अतिरिक्त), पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार भुगतान योग्य और जमा/ठेकेदारों से जमानत राशि के मद में दर्शाया गया तुलनशेष। इसके अलावा नीचे (ख) में दिए गए मदों में समन्वय/पुष्टि और संबंधित समायोजन जरूरी है। वसूली योग्य दावों में भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौपंने का निर्णय ली गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

(ख) पूंजीगत व्यय और ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री सहित व्यापार प्राप्य, व्यापार भुगतान योग्य, जमा, ऋण (कर्मचारियों के अतिरिक्त), ठेकेदारों/आपूत्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं/अन्य को अग्रिम के संबंध में पुष्टि, 31 दिसंबर 2020 को प्रत्येक पक्ष से संबधित 0.05 करोड़ रुपए और अधिक के बकाया तुलन शेष के लिए मांगी गई है। 31 दिसंबर 2020 को तुलनशेष की पुष्टि की स्थिति और 31 मार्च 2021 को बकाया राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.12.2020 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.03.2021 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज सहित)	4213.00	2785.30	3347.44
पूंजीगत व्यय और ठेकेदारों को जारी सामग्री सहित जमा, ऋण, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं/अन्य को अग्रिम	2240.66	695.14	2348.77
व्यापार/अन्य भुगतान योग्य	485.85	54.99	650.42
सुरक्षा जमा/धारित राशि भुगतान योग्य	325.69	27.17	374.25

(ग) प्रबंधन की राय में गैर पुष्ट तुलनशेष के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं क्योंकि कंपनी की वित्तीय विवरणी पर इनका कोई खास असर नहीं।

14. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित स्पष्टीकरण (टिप्पणी 29 देखें)

(i) विभिन्न व्यय मदों के तहत सीएसआर व्यय इस प्रकार हैः–

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	सीएसआर व्यय मद	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	13.69	16.29
2	शिक्षा और कौशल विकास	38.09	57.96
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.09	0.36
4	पर्यावरण	0.92	3.31
5	कला और संस्कृति	0.10	0.15
6	पूर्व सैनिक	-	1.00
7	खेल कूद	0.02	0.43
8	ग्रामीण विकास	3.39	9.00
9	क्षमता निर्माण	-	0.12
10	स्वच्छ विद्यालय अभियान	-	0.53
11	स्वच्छ भारत अभियान	3.74	6.26
12	आपदा प्रबंधन (पीएम केयर्स कोष में अंशदान सहित)	15.86	25.00
13	प्रशासनिक मद	3.73	6.02
	कुल राशि	**79.63**	**126.43**

(ii) अन्य स्पष्टीकरणः–

(क) वर्ष के दौरान नकद भुगतान किए गए और किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा, व्यय की प्रकृति के साथ (पूंजीगत या राजस्व प्रकृति) इस प्रकार हैः–

(करोड़ रुपए में)

उद्देश्य	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		
	नकद भुगतान	नकद में भुगतान किया जाना है (बी)	कुल (एबी)	नकद भुगतान	नकद में भुगतान किया जाना है (बी)	कुल (एबी)
(i) किसी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	9.87	1.55	11.42	12.96	1.52	14.48
(ii) उपर्युक्त (i) के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए	66.79	1.42	68.21	109.61	2.34	111.95
कुल	**76.66**	**2.97**	**79.63**	**122.57**	**3.86**	**126.43**

(ख) जैसा कि ऊपर दिया गया है **79.63 करोड़** रूपए के कुल व्यय में से **2.97 करोड़** रुपए का अभी भुगतान किया जाना है, संबंधित पक्षों को जो देयता से संबंधित विभिन्न लेखा मदों में शामिल हैं।.

(iii) उपर्युक्त व्यय में पीएम केयर्स कोष के लिए **15.00 करोड़** रुपए का अंशदान शामिल है जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किया गया और जिसे 31.03.2020 को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया।

(iv) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, धारा 198 के साथ पढ़ा जाए, सीएसआर के संदर्भ में व्यय की जाने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए **59.43 करोड़** रुपए है (पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत के आधार पर)। हालांकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर के तहत **79.63 करोड़** रुपए की राशि व्यय की है। 2020–21 के दौरान व्यय की गई **20.20 करोड़** रुपए की अतिरिक्त राशि अगले तीन वित्तीय वर्षों में शामिल किए जाने के लिए उपलब्ध है।

(v) निदेशक मंडल में वित्तीय वर्ष 2020–21 में सीएसआर के लिए **94.77 करोड़** रुपए का कुल बजट आवंटित किया था।

15. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 11.10.2018 की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाए, के तहत अपेक्षित स्पष्टीकरण, प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी की सीमा तक, इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
(i)	तुलन पत्रक तिथि पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं की जा सकी मूल राशि और बकाया ब्याजः		
	क) व्यापार प्राप्यः		
	- मूल राशि (टिप्पणी 20.2 देखें)	30.94	18.85
	- ब्याज	-	-
	ख) अन्यः:	7.73	8.88
	- मूल राशि (टिप्पणी 20.3 देखें)	-	-
	- ब्याज		
(ii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज राशि, वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ।	-	-
(iii)	बकाया ब्याज राशि और भुगतान किए जाने में विलंब के वर्ष के लिए भुगतान योग्य (जिसका भुगतान किया जा चुका है लेकिन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से अलग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बगैर	-	-
(iv)	तुलन पत्रक तिथि पर प्रोदभूत और भुगतान नहीं की जा सकी ब्याज राशि	-	-
(v)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत घटाए जाने योग्य व्यय के निषेध के उद्देश्य से बकाया रह गई और बाद के वर्षों में भुगतान की जाने योग्य आगे की ब्याज राशि, ऐसी तिथि तक जब उपर्युक्त बकाया ब्याज का लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान किया जाता है।	-	-

16. इंड एएस– 116 "लीज" के अनुसार लीजों को संबंध में स्पष्टीकरणः

ए) कंपनी पट्टाधारी के रूप में :

(i) इंड एएस–116 के अनुसार लीजों का संचालन :

कंपनी इस बात का आकलन करती है कि अनुबंध किए जाते समय क्या अनुबंध में लीज शामिल है। कंपनी उन सभी लीज प्रबंधों में, जिनमें वह पट्टाधारी है, उपयोग अधिकार आस्ति और संबंधित लीज देयता का निर्धारण करती है, केवल लघु अवधि लीजों को छोड़कर (12 महीने या इससे कम अवधि के लीज) और कम मूल्य की आस्तियां (जैसे, टैबलेट और व्यक्तिगत उपयोग के कंप्यूटर, छोटे–मोटे कार्यालय फर्नीचर और टेलीफोन)। इन लीजों के लिए कंपनी लीज भुगतान को लीज अवधि तक संचालनगत व्यय मानती है, जब तक कि कोई अन्य प्रणालीबद्ध आधार टाइम पैटर्न में, जिसमें कि लीज पर दी गई आस्तियों से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है, अधिक उपयुक्त न हो।

आरंभ में लीज देयता लीज भुगतानों, जिनका भुगतान आरंभ होने की तिथि पर नहीं किया गया हो, के मौजूदा मूल्यों पर, लीज में तय दर से डिस्काउंट करते हुए, मापी जाती है। यदि यह दर निर्धारित नहीं की गई है तो कंपनी अपनी क्रमिक बढ़ती हुई उधारी दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एएस 116 के आरंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय अपनाये हैं:

क. समान तिथि पर पूरा होने वाली और समान आर्थिक स्थितियों में समान आस्तियों के लीज के लिए एक ही डिस्काउंट दर लागू की गई।

ख. 12 महीने के कम अवधि की लीजों के लिए आस्तियों और देयताओं का उपयोग अधिकार निश्चित करने के लिए छूट का उपयोग नहीं किया गया।

ग. उपयोग अधिकार आस्ति निश्चित किए जाने की तिथि पर आस्ति के उपयोग अधिकार के मापन से आरंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो, अलग कर दिया गया।

घ. यदि किसी अनुबंध में लीज बढाए जाने या समाप्त किए जाने का विकल्प हो तो लीज अवधि के निर्धारण के लिए दूरदर्शिता का उपयोग किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मान्य लीजों के लिए लागू की गई औसत वार्धिक उधारी दर 6.83 प्रतिशत है।

(ii) लीज की प्रकृतिः कंपनी की महत्वपूर्ण लीज व्यवस्थाएं निम्नलिखित आस्तियों के संदर्भ में हैं :

(क) तीन–चार महीने से लेकर तीन वर्ष तक कर्मचारियों के रिहायशी उपयोग के लिए रद्द किए जाने योग्य लीज व्यवस्थाओं के तहत आने वाले परिसर।

(ख) लीज पर कार्यालय, अतिथि गृहों और अस्थाई शिविरों के परिसर, जो रद्द नहीं किए जाने योग्य की श्रेणी में नहीं हैं और आमतौर पर परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर नवीकरणीय योग्य हैं।

(ग) परियोजनाएं और/या प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए लीज पर प्राप्त भूमि।

(घ) संचालन लीज पर लिए गए वाहन, आमतौर पर एक से दो वर्ष की अवधि के लिए और इस प्रकार के लीज रद्द नहीं किए जाने योग्य की श्रेणी में आते हैं।

(iii) लाभ–हानि विवरणी में मान्य राशि, लघु अवधि, कम मूल्य और परिवर्तनीय लीज के संदर्भ में इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	लघु अवधि के लीजों पर व्यय	14.70	16.58
2	कम मूल्य की आस्तियों के लीज पर व्यय	0.02	0.14
3	लीज देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए विभिन्न लीज भुगतान	4.51	5.61

(iv) 31.03.2021 को लघु अवधि लीजों की प्रतिबद्धता **3.72 करोड़** रुपए थी (पिछले वर्ष **4.30 करोड़**)।

(v) **वर्ष के दौरान लीज देयताओं में परिवर्तनः** (करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
आरंभिक शेष	13.91	14.90
लीज देयताओं में वृद्धि	2.61	2.28
वर्ष के दौरान प्रौद्भूत वित्तीय लागत	1.10	1.17
घटाएं: लीज देयताओं का भुगतान	4.97	4.45
समापन शेष	**12.65**	**13.91**

बी) वित्तीय लीज – कंपनी पट्टा देने वाले के रूप में

(i) निम्मो बाजगो और चुटक पावर स्टेशन वित्तीय पट्टा देने वाले के रूप में कंपनी ने दो पावर स्टेशनों निम्मो बाजगो और चुटक द्वारा उत्पादित पूरी बिजली की बिक्री के लिए एकल लाभार्थी बिजली विकास विभाग, जम्मू–कश्मीर के साथ लीज प्रबंध किया

है। ये लीज व्यवस्था इन पावर स्टेशनों के अनुबंधित जीवन काल की निर्धारित अवधि के लिए की गई है। समझौते के तहत ग्राहक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्य पर समस्त उत्पादन की खरीद के लिए अनुबंधित हैं। अन्य वित्तीय आस्तियों (मौजूदा और गैर मौजूदा) में कंपनी के वित्तीय लीज प्रबंध पर भविष्य के लीज उपादानों के मौजूदा मूल्य के आधार पर लीज प्राप्य, शामिल हैं।

कंपनी ने वर्ष के दौरान 'वित्तीय लीज से आय' के रूप में **197.16 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **203.65 करोड़** रुपए) अर्जित किए हैं।

निम्नलिखित तालिका लीज प्राप्यों का परिपक्वता विश्लेषण दर्शाती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31.03.2021 के बाद प्राप्त किए जाने वाले बिना छूट वाले लीज भुगतानों को भी दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
बिना छूट वाले ऋण भुगतान प्राप्यः		
एक वर्ष से कम	246.32	248.21
एक से दो वर्ष	244.74	246.32
दो से तीन वर्ष	240.60	244.74
तीन से चार वर्ष	238.37	240.60
चार से पांच वर्ष	197.75	238.37
पांच वर्ष से अधिक	4,202.05	4,399.83
प्राप्त किए जाने योग्य कुल बिना छूट वाले ऋण भुगतान	**5,369.83**	**5,618.07**
जोड़ेंः बिना गारंटी वाले शेष मूल्य	188.67	188.47
घटाएंः गैर अर्जित वित्तीय आय	4,184.99	4,370.31
लीज में निवल निवेश	**1373.51**	**1,436.23**
लीज में निवल निवेश में शामिल छूट सहित गारंटी रहित अवशेष मूल्य	2.17	1.91

वित्तीय लीजों में निवल निवेश की मौजूदा राशि में महत्वपूर्ण बदलाव

(₹ in Crore)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
आरंभिक शेष	1,436.22	1,506.28
वर्ष के दौरान वृद्धि / (कमी)	2.38	5.99
वर्ष के दौरान वित्तीय लीज से आय	197.16	203.65
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	262.25	279.69
समापन शेष	**1,373.51**	**1,436.23**

(ii) तीस्ता लो डैम–III (टीएलडीपी–III) पावर स्टेशन, वित्तीय लीज के रूप में

टीएलडीपी–III के संदर्भ में बिजली खरीद समझौता (पीपीए) मैसर्स डब्ल्यूबीएसईडीसीएल (एकल लाभार्थी) के साथ, पांच वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, लागू किए जाने की तिथि से 31 मार्च 2019 तक वैध और इंड एएस 17 –के परिशिष्ट सी के अनुसार संचालन लीज के रूप में।

वर्ष के दौरान कंपनी ने, परस्पर सहमत शुल्क पर अपनी 35 वर्ष की शेष उपयोगी अवधि के लिए, टीएलडीपी–III पावर स्टेशन द्वारा उत्पादित समस्त बिजली लिए जाने के लिए मैसर्स डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के साथ पूरक बिजली खरीद समझौता किया। पूरक पीपीए, जो पहली अप्रैल 2019 से लागू हुई को दोनों पक्षों के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी और इसे संबंधित विद्युत नियामक आयोग (एनएचपीसी के लिए सीईआरसी और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के लिए डब्ल्यूबीईआरसी) को अनुमोदन के लिए सौंपा गया है। नियामक प्राधिकरणों द्वारा लंबित अनुमोदन की स्थिति में बिजली की बिलिंग पूरक पीपीए में तय दरों पर की जा रही है।

कंपनी ने आकलन किया है कि पूरक पीपीए इंड एएस 116 –लीज के अनुरूप वित्तीय लीज की प्रकृति में है। इसके अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान **17.27 करोड़** के लाभ पर इसका निवल प्रभाव लाभ–हानि विवरणी में वित्तीय लीज से आय के रूप में मान्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पावर स्टेशन के संदर्भ में वित्तीय लीज से कुल आय राशि **174. 46 करोड़** (उपरोक्त **17.27 करोड़** सहित) है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में संचालन लीज से **342. 43 करोड़** रुपए की आय हुई थी।

निम्नलिखित तालिका लीज प्राप्य का परिपक्वता विश्लेषण दर्शाती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला गैर छूट लीज भुगतान भी दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को
गैर छूट लीज भुगतान प्राप्य :	
एक वर्ष से कम	198.79
एक से दो वर्ष	204.19
दो से तीन वर्ष	208.77
तीन से चार वर्ष	203.13
चार से पांच वर्ष	197.19
पांच वर्ष से अधिक	2,823.79
कुल गैर छूट लीज भुगतान प्राप्य	**3,835.86**
जोड़ें :गारंटी रहित अवशेष मूल्य	192.45
घटाएं : अनर्जित वित्त आय	2,737.36
लीज में निवल निवेश	**1,290.95**
लीज में निवल निवेश में शामिल छूट सहित गारंटी रहित अवशेष मूल्य	3.91

सी) संचालन लीज – कंपनी पट्टा देने वाले के रूप में :

कंपनी ने टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन से पांच वर्ष की अवधि तक बिजली बिक्रय के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर से तीन वर्ष की अवधि तक बिजली बिक्रय के लिए लीज समझौता किया है। समझौतों के अंतर्गत ग्राहक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बिजली की खरीद करेगा।

कंपनी ने वर्ष के दौरान संचालन लीज से **712.00 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **324.14 करोड़** रुपए (उपरोक्त बी (ii) भी देखें)) की आय अर्जित की है।

निम्नलिखित तालिका लीज भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें बिजली खरीद समझौते के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत के बाद प्राप्त किए जाने वाले छूट में भी लीज भुगतानों को भी दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
एक वर्ष से कम	-	198.05
एक से दो वर्ष	-	-
दो से तीन वर्ष	-	-
तीन से चार वर्ष	-	-
चार से पांच वर्ष	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**198.05**

17. इंड एस –27 'पृथक वित्तीय विवरणियां' के तहत प्रकटीकरण

(क) सहायक कंपनियों में ब्याजः

कंपनियों का नाम	संचालन का मूल स्थान	प्रमुख गतिविधियां	स्वामित्व हित का अनुपात के रूप में	
			31.03.2021	31.03.2020
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	51.08%	51.08%
लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	74.92%	73.17%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	74.00%	99.99%
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड#	भारत	विद्युत उत्पादन	100.00%	100.00%
जल पावर निगम लिमिटेड ##	भारत	विद्युत उत्पादन	100.00%	-

कंपनी के निदेशक मंडल ने 20–10–2020 को हुई अपनी बैठक में, भारत सरकार के अनुमोदन के बाद, लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी की पूर्णस्वामित्व वाली सहायक) के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 232 के तहत मंजूरी दी।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) ने दिनांक 24 दिसंबर 2020 के आदेश से कंपनी द्वारा 165.00 करोड़ रुपए में जल पावर निगम लिमिटेड (120 मेगावाट रंगित IV जलविद्युत परियोजना) के अधिग्रहण के लिए सौंपी गई योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। खरीद के लिए निर्धारित राशि 31 मार्च 2021 को भुगतान की गई और जल पावर निगम लिमिटेड उसी तिथि से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बन गया है। हालांकि कंपनी को शेयर 6 मई 2021 को आवंटित किए गए।

(ख) संयुक्त उपक्रम में ब्याजः

कंपनियों का नाम	संचालन का मूल स्थान	प्रमुख गतिविधियां	स्वामित्व हित का अनुपात के रूप में	
			31.03.2021	31.03.2020
नेशलन हाइ पावर टेस्ट लेब्रोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	ऑन लाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा	20.00%	20.00%
चेनाव घाटी पावर परियोजनाएं प्राइवेट लिमिटेड #	भारत	विद्युत उत्पादन	51.93%	49.89%

वर्ष के दौरान कंपनी ने 399.85 करोड़ रुपए का और निवेश किया तथा जेकेपीडीसी ने चेनाव घाटी विद्युत परियोजना लिमिटेड (सीवीपीपीएल) में 299.85 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसके कारण कंपनी की शेयर धारिता 49.89 प्रतिशत से बढ़कर 51. 93 प्रतिशत हो गई। सीवीपीपीएल ज्वाइंट उपक्रम समझौते के अनुरूप अन्य संयुक्त उपक्रमों के साथ संयुक्त नियंत्रण कर रहा है। कंपनी ने 2 प्रतिशत इक्विटी शेयर वाले संयुक्त उपक्रम साझेदार मेसर्स पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड की शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए 12 मई 2021 को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। खरीद राशि मैसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड को 25 मई 2021 को भुगतान कर दी गई। इसके बाद संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर सीवीपीपीएल एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन जाएगी।

संयुक्त उपक्रमों और सहायक में इक्यूटी निवेश का मापन इंड एएस–27– पृथक वित्तीय विवरणियां के प्रावधानों के अनुसार लागत पर किया जाता है।

18. इंड एचएस 36–आस्तियों की क्षति एक कंपनी से अपेक्षा रखती है कि वह प्रत्येक तुलन पत्रक तिथि पर यह आकलन करे कि परिसंपत्तियों की क्षति संबंधी कोई संकेत है कि नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो कंपनी को परिसंपत्ति से मिल सकते वाली राशि का आकलन करना चाहिए। यदि ऐसा कोई संकेत नहीं है तो मिल सकने वाली राशि के औपचारिक अनुमान की कोई आवश्यकता उद्यम को नहीं है।

प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक कंपनी की परियोजना/पावर स्टेशन परिसंपत्तियों का सबसे छोटा समूह है जो लगातार उपयोग से नकदी इनफ्लो अर्जित कर सकता है और यह इनफ्लो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्ति समूहों से मिलने वाले नकदी इनफ्लो से स्वतंत्र है। इसके अनुसार ऐसी परिसंपत्ति या परिसंपत्ति समूह को नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) कहा जा सकता है। इन सीजीयू पर लागू होने वाले क्षति संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलनों के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जिसका प्रतिकूल प्रभाव कंपनी पर पड़े या निकट भविष्य में भी कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के कार्य परिवेश में प्रौद्योगिकी गत, आर्थिक या विधिक माहौल में ऐसे किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए विनियम शामिल हैं, जिसमें कोई प्रमुख संशोधन नहीं है जिसका सीजीयू से भविष्य के नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आंतरिक रिपोर्टिंग से भी ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो संकेत करता हो कि सीजीयू का आर्थिक निष्पादन अनुमान से कम है या कम रहेगा।

31 मार्च 2021 को क्षति के आकलन के लिए कंपनी के 6 सीजीयू और इसकी एक सहायक कंपनियों के दो सीजीयू का आकलन किया गया। कंपनी के सीजीयू का चुनाव प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, शुल्क इत्यादि के आधार पर किया गया और इसमें कंपनी के दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और बिल्कुल हाल में लगाए गए सौ मेगावाट क्षमता से अधिक के चार पावर स्टेशनों को शामिल किया गया। नियामक आस्थगित खाता शेष के भविष्य में शुल्क या प्रभार के जरिए रिकवर किया जाएगा। एक सीजीयू में पूंजीगत लागत के एक हिस्से के रूप में रिकवर की गई राशि पर क्षति आकलन के लिए सीजीयू की मौजूदा राशि के साथ विचार किया गया है। सहायक कंपनियों के संबंध में क्षति आकलन के लिए दोनों संचालनगत पावर स्टेशनों पर विचार किया गया है।

क्षति विश्लेषण सीजीयू की वसूली योग्य राशि की मापन द्वारा उपयोग मूल्य गणना और व्यवहार्य सीईआरसी शुल्क विनियमन पर आधारित नकदी प्रवाह अनुमानों के आधार पर किया गया, सीईआरसी शुल्क विनियम प्रत्येक सीजीयू के लिए जोखिम विशेष के अनुसार समायोजित किए गए हैं और कर पूर्व छूट दर पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल, जो धन के समयगत मूल्य को लेकर बाजार के आकलनों को दर्शाता है, के आधार पर निर्धारित की गई है।

आकलन के आधार पर कोई ऐसा महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो नियमक डेफरल खाता शेष और सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में वर्ष 2020–21 के दौरान इसके निवेश सहित सीजीयू के मौजूदा मूल्य में क्षति का संकेत देता हो। इसके अलावा कंपनी और इसकी कंपनी की परियोजनाओं / पावर स्टेशनों केंद्रों में कोई क्षति नहीं है, जिनका परीक्षण क्षति आकलन के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किया गया।

19. हाइड्रो नीति 2008 के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा परियोजना लागू होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि तक परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जानी है। पीएएफ के बारे में संबंधित राज्य सरकारों की अधिसूचना अभी जारी होनी है। इसलिए पीएएफ को उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली राज्य सरकार के लिए निर्धारित निशुल्क बिजली से घटाई जानी है, इसलिए इसका कंपनी के लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

20. रोजगार के दौरान और रोजगार बाद कर्मचारी लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। हालांकि संहिता किस तिथि से लागू होगी इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता लागू होने के बाद इसके प्रभावों का अकलन करेगी और संहिता के प्रभावी हो जाने के वर्ष में संबंधित प्रभावों को लेखांकित करेगी।

21. प्रावधानों की प्रकृति और विवरण (टिप्पणी संख्या 17 और 22 देखें)

(i) सामान्य

प्रावधान तभी मान्य होते हैं जब कंपनी के पास अतीत की किसी घटना के कारण वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हों। इस देयता के समाधान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना है और देयता की राशि के बारे में विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जब कंपनी सभी या कुछ प्रावधानों की प्रतिभूति चाहती है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को एक पृथक आस्ति के रूप में मान्य किया जाता है, लेकिन तभी जब प्रतिभूति निश्चित हो। लाभ–हानि विवरणी में, किसी वापसी के निवल एक प्रावधान से संबधित व्यय दर्शाया गया है।

यदि धन के समयमूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो तो मौजूदा कर पूर्व दर, जो देयता के लिए जोखिम विशेष का संकेत देती है, का उपयोग करते हुए प्रावधानों में रियायत की जाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि वित्तीय लागत के रूप में मान्य होती है।

(ii) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान (निर्धारित अंशदान और निर्धारित लाभ योजनाओं के प्रावधानों के अतिरिक्त जिनका स्पष्टीकरण इंड एएस 19 में टिप्पणी संख्या 34 की क्रम संख्या 10 के अनुसार विचार किया गया है।)

क) निष्पादन आधारित वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान :

इस संबंध में कंपनी के नियमों के अनुसार प्रबंधन अनुमानों के आधार पर कर्मचारियों को निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के लिए खातों में अल्पकालिक प्रावधान को मान्यता दी गई है जो कि सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देश पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार पारिश्रमिक संशोधन के लिए प्रावधान

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए लघु अवधि के प्रावधान पहले ही सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर मान्य किया गया है।

(iii) अन्य प्रावधान :

क) टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान :

टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सीईआरसी द्वारा वर्ष 2014–19/2019–24 के लिए टैरिफ के पुनः आकलन, प्रभार के लंबित अनुमोदन/पुष्टिकरण पर लाभार्थियों को संभावित रिफंड के अनुमानित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ख आजीविका सहायता के लिए प्रावधान

राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद तय विशेष वित्तीय पैकेज के लिए खातों में औसत मुद्रास्फिति को लेकर समायोजित रियायती मूल्य पर प्रावधान मान्य किए जाते हैं और एनएचपीसी का निदेशक मंडल पार्बती–II और पार्बती–III परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की आजीविका सहायता के लिए इसे अनुमोदित करता है। पैकेज के अनुसार भुगतान की रूपरेखा तय हो जाने पर प्रत्येक पीएएफ से एक पात्र व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश सरकार/केंद्र सरकार के अनुसार अकुशल श्रेणी के न्यूनतम पारिश्रमिक के बराबर आजीविका सहायता निम्नांकित व्यवस्थाओं के तहत पूरे वर्ष के लिए मासिक किस्तों के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

i) रोजगार के लिए पात्र पीएएफ के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि तक

ii) 2000 दिन की आजीविका उन पीएएफ के लिए जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, लेकिन जिन्हें रोजगार से अलग कर दिया गया है।

iii) शेष सभी पीएएफ को 1000 दिन के लिए

ग) प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान :

जिन मामलों में गैर चालू राशि का उपयोग पूंजीगत व्यय द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति, वन्यीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास इत्यादि के लिए किया जाना है, जो परियोजना निर्माण को मंजूरी देने की अनिवार्य शर्त थी, प्रावधानों को छूट के साथ मान्य किया गया है और जिनके लिए परियोजना लागू होने की तिथि तक व्यय पूरे नहीं हुए थे, ऐसे प्रावधानों को वास्तविक व्यय के अनुरूप संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों की मांग के अनुसार समायोजित किया गया है।

घ) बीमित परिसंपत्तियां के पुनःबहाली पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान :

बड़ी और निर्माण संयंत्र और मशीनरी पॉलिसी के तहत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की पुनःबाहली के लिए प्रबंधन अनुमानों के आधार पर खातों में प्रावधान मान्य किए गए हैं। इन प्रावधानों का उपयोग आस्तियों की पुनःबहाली के लिए होने वाले वास्तविक व्यय के अनुसार किया जाना है।

ड़) मध्यस्थता अवार्ड/अदालती मामलों के संदर्भ में व्यय के लिए प्रावधान

इसमें ठेकेदारों के ऐसे दावों के संदर्भ में जिनमें मध्यस्थता अवार्ड/अदालती निर्णय प्राप्त हुए हैं और जिन्हें फिर अदालत में चुनौती दी गई है, संभावित आउटफ्लो के प्रबंधकीय आकलन के आधार पर सृजित प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/आउटफ्लो मामले के परिणाम के अनुसार किया जाना है।

च) अन्य प्रावधान : इनमें इन संदर्भों के प्रावधान शामिल हैं :–

i) ठेकेदार के दावे, भूमि क्षतिपूर्ति मामले, विवादित कर मांगे और संभावित आउट फ्लो की दिशा में प्रबंधन आकलन के आधार पर जो अन्य मामले आए हैं। प्रावधान का उपयोग/आउटफ्लो मामले के परिणाम पर आधारित होगा।

ii) केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों का पारिश्रमिक संशोधन जिनकी सेवाएं कंपनी द्वारा उपयोग की गई हैं।

iii) वर्ष 2014–19 के लिए टैरिफ नियमों के संदर्भ में अतिरिक्त प्रभार लिए जाने पर लाभार्थियों को ब्याज का प्रावधान, जहां सीईआरसी द्वारा पूंजीगत लागत पर शुल्क तय करने के लिए विचार किया गया, अनुमानित पूंजीगत लागत के आधार पर, व्यवसाय संचालन तिथि पर या अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के वास्तविक पूंजी लागत व्यय से अधिक हो जाने पर।

iv) कर्मचारियों को आवास निर्माण अग्रिम पर ब्याज में छूट के लिए प्रावधान, छूट के पूर्व चलन के आधार पर।

v) विद्युत की बिक्री के लिए ग्राहकों को छूट का प्रावधान, पूर्ववर्ती चलन के आधार पर।

22. इंड एस–114 के अनुसार नियामक डेफरल खाता (आरडीए) शेष के सृजन से संबंधित स्पष्टीकरण :

कंपनी मूल रूप से जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और संचालन से जुड़ी है। कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को बेचे जाने वाली बिजली का मूल्य केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय किया जाता है। यह निर्धारण व्यवहार्य सीईआरसी (शुल्क नियम और शर्तें) विनियम के तहत होता है। यह मूल्य ब्याज लागत, ह्रास, संचालन और प्रबंधन प्रभार और अनुमानित रिर्टन के आधार पर तय किया जाता है। दर नियमन का यह तरीका सेवा लागत विनियम के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के विनियमों का मुख्य उद्देश्य कंपनी को अपने सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत और एक समुचित रिटर्न रिकवर करने का अवसर देना है।

इस उद्देश्य के लिए कंपनी को सीईआरसी को पूंजीगत व्यय के आधार पर आवेदन देना होता है। यह व्यय लेखा–परीक्षकों द्वारा अभिप्रमाणित या सीईआरसी द्वारा अनुमोदित या वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तिथि तक के, लेखा परीक्षकों द्वारा अभिप्रमाणित व्यय अनुमान और प्रभार वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुमान से निर्धारित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित प्रभार ग्राहकों (लाभार्थियों) से रिकवर कर लिया जाता है जिनपर यह बाध्यकारी होता है।

उपरोक्त दर विनियमन परिसंपत्ति अधिकार या देयता का सृजन करता है, जैसा अन्य उद्योगों के साथ नहीं होता। दर विनियमित गतिविधियों (पूर्व का जीएएपी) के लेखांकन पर आईसीएआई द्वारा जारी मार्ग दर्शक टिप्पणी उन कंपनियों पर लागू होती है जो वस्तु या सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, जिनका मूल्य सेवा लागत विनियमों से तय होता है और नियामक द्वारा निर्धारित प्रभार ग्राहकों (लाभार्थियों) के लिए बाध्यकारी होता है। मार्गदर्शक टिप्पणी के अनुसार एक नियामक परिसंपत्ति तब मान्य की जाती है जब यह संभावना (तार्किक आश्वासन) हो कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और राशि का विश्वस्त ढंग से मापन हो सकेगा।

मार्गदर्शन नोट में यह भी प्रावधान है कि कुछ मामलों में नियामक किसी कंपनी को दर आधार में, स्व–निर्मित (मूर्त) परिसंपत्तियों या आंत्रिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में वह राशि शामिल करने की अनुमति देगी जो लाभ–हानि विवरणी में लेखांकन मानकों के अनुसार व्यय के रूप में दर्शाये जाने थे।

01.06.2016 से इस प्रकार की दर विनियमित वस्तुओं का लेखांकन इंड एएस 114 'नियामक आस्थगित खातों' के अनुसार होना है। इंड एएस 114 कंपनी को मान्यता, मापन, क्षति और नियामक आस्थगित खाता शेष अमान्य करने के लिए पूर्व जीएएपी लेखांकन नीतियां अपनाना जारी रखने की अनुमति देता है। इस उद्देश्य के लिए 'दर विनियमित गतिविधियों के लिए लेखांकन' पर आईसीएआई की मार्गदर्शक टिप्पणी पूर्ववर्ती जीएएपी की मानी जाएगी।

ए) सुबनसिरी लोअर परियोजना के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता शेषः

सुबनसिरी लोअर परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियां 16.12.2011 से बाधित हुई थी और यह मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लंबित था। हालांकि परियोजना का तकनीकी और प्रशासनिक कार्य जारी रहा।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 31 जुलाई 2019 के अपने आदेश में व्यवस्था दी कि पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने की मांग करने वाली याचिकाओं का कोई औचित्य नहीं है और इसके अनुसार सुबनसिरी लोअर परियोजना के खिलाफ एनजीटी में लंबित मामला खारिज कर दिया गया है। अक्तूबर 2019 से निर्माण स्थल पर कार्य शुरू हो गया है।

भारत की चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) के मत के अनुरूप **2735.61 करोड़** रुपए की उधारी लागत (पिछले वर्ष 2735.61), **1427.67 करोड़** (पिछले वर्ष तक **1427.67 करोड़**) रुपए का कर्मचारी लाभ व्यय, ह्रास और अन्य व्यय, और 30 सितंबर 2019 तक **322.60 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष तक 322.60) की अन्य निवल आय लाभ–हानि विवरणी में दर्ज की गई है।

परियोजना स्थल पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 01.10.2019 तक की उधारी लागत, कर्मचारी लाभ व्यय, ह्रास और अन्य व्यय (अन्य आय का निवल) निर्माण व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी दर नियामक गतिविधियों पर मार्गदर्शक टिप्पणी के अनुसार लेखांकन अपनाया था जो नियामक आस्ति और ऐसे व्यय को रिकवर करने के अधिकार से संबंधित नियामक आय को मान्य करने की अनुमति देती है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संबंधित आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग इसे भविष्य में प्रभार के जरिए लाभार्थियों से रिकवर किए जाने की अनुमति देता है।

चूकिं इंड एस 114 नियामक आस्थगित खाता किसी कंपनी को मान्यता, मापन, क्षति और नियामक आस्थगित खाता और शेष को अमान्य करना तथा पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियां अपनाना जारी रखने और दर विनियमित गतिविधियों के लेखांकन पर आईसीएआई की मार्गदर्शक टिप्पणी मान्य करने की अनुमति देता है, इसलिए कंपनी ने नियामक डेफरल खाता शेष के लिए यह लेखांकन नीति जारी रखी है।

सुबनसिरी लोअर परियोजना के संदर्भ में 31 मार्च 2021 के समाप्त हुए वर्ष के लिए मान्य कुल नियामक डेफरल खाता ऋण अधिशेष इस प्राकर हैं :

(करोड़ रुपए में)

इन संदर्भों में सृजित नियामक आस्तिः	31.03.2021 तक
उधारी लागत	2509.67
कर्मचारी लाभ व्यय	628.73
ह्रास और परिशोधन	54.86
अन्य व्यय	562.83
अन्य आय	(285.50)
कुल	**3470.59**

वर्ष 2020–21 के दौरान कोई भी नियामक डेफरल खाता शेष मान्य नहीं किया गया।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार नियामक डेफरल खाता शेष सहित परियोजना के जारी पूंजीगत कार्यों के तहत **8410.41 करोड़** रुपए की मौजूदा राशि में कोई क्षति नहीं हुई।

परियोजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के बाद सुबनसिरी लोअर परियोजना के संदर्भ में नियामक डेफरल खाता शेष के रूप में मान्य खाता राशि सीईआरसी प्रभार विनियमन के तहत अधिसूचित दरों और प्रणाली को अपनाते हुए परियोजना के जीवन काल–40 वर्ष के लिए ह्रास के अनुपात में परिशोधित/लिक्विडेट कर दी जाएगी।

2019–24 के लिए शुल्क विनियमन सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। मौजूदा शुल्क विनियमन (2014–19)के अलावा उधारी के पूंजीकरण और नियंत्रण से बाहर के कारणों पर हुए अन्य लागत व्यय के पूंजीकरण को भी अधिकृत किया गया है। नए विनियमों में परियोजना के लिए वैधानिक अनुमति प्राप्त करने में हुए बिलंब को भी एक बाधक कारण माना गया है। इसके अनुसार प्रबंधन का मानना है कि प्रभार विनियमों में प्रतिकूल बदलाव भविष्य में सुबनसिरी परियोजना के संदर्भ में आरडीए शेष की रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण जोखिम होने की संभावना नहीं है।

सुबनसिरी लोअर परियोजना के संदर्भ में सृजित किए जा रहे जोखिम और अनिश्चितताएं जो भविष्य में नियामक डेफरल खाता शेष की रिकवरी पर असर डाल सकते हैं, इस प्रकार हैं :

क) मांग जोखिम : नियामक डेफरल खाता शेष की रिकवरी ह्रास के द्वारा प्रभार के जरिए होगी, इसी के अनुसार इस पर सामान्य जोखिमों और अनिश्चितताओं का असर पड़ सकता है, जिससे भारत में विद्युत की बिक्री पर असर पड़ सकता है, जैसे परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने वाले अपेक्षित रिटर्न और लागत को कवर करने वाली दरों पर दीर्घावधि विद्युत समझौतों पर हस्ताक्षर होने में कठिनाई होना।

ख) नियामक जोखिम : प्रभार विनियम आगे प्रावधान करते हैं कि यदि बिलंब बिजली उत्पादन कंपनी के कारण नहीं है बल्कि नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से है, तो आईईडीसी को निर्धारित जांच के बाद अनुमति दी जा सकती है। जांच के बाद किसी व्यय को अनुमति न दिए जाने से लाभार्थियों से रिकवर किए जाने वाले नियामक डेफरल खाता शेष की मात्रा पर असर पड़ सकता है।

बी) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ईकाईयों (सीपीएसयू) के तीसरे वेतन संशोधन के कारण मान्य व्यय के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता शेषः

केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित सीपीएसयू कर्मियों का वेतन आईडीए वेतनमान के अंतर्गत पहली जनवरी 2017 से संशोधित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुसार मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते में 01.01.2017 से बढ़ोतरी के अलावा ग्रेच्युटी की सीमा मौजूदा **10 करोड़** से बढ़ाकर **20 करोड़** रुपए 01.01.2017 से तक दी गई है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू हो गया है।

सीईआरसी शुल्क नियमन 2014–19, स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स सीईआरसी (शुल्क संबंधी नियम और शर्तें) के साथ पढ़ा जाए, नियमन 2014 प्रावधान करता है कि पारिश्रमिक संशोधन (01.01.2007) के कारण केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी और सीआईएसएफ कर्मियों सहित संचालन गत पावर स्टेशनों के कर्मचारी लागत में वास्तविक बढ़ोत्तरी का असर भविष्य में प्रभार के जरिए लाभार्थियों से 12 मासिक किश्तों में वसूली योग्य होगा। इसके अतिरिक्त शुल्क अवधि 2004–09 के दौरान सीईआरसी ने वेतन और पारिश्रमिक (बेसिक+डीए) के 50 प्रतिशत तक पारिश्रमिक संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक बढ़ोत्तरी की रिकवरी की अनुमति दी थी। 2019–24 के लिए शुल्क विनियमन, 15 मार्च 2019 को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए, यह भी प्रावधान करता है कि भविष्य में प्रभार के जरिए वेतन संशोधन लाभार्थियों से वसूली योग्य होगा।

'इंड एएस 114– नियामक आस्थगित खाते' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वेतन और ग्रैच्युटी में बढ़ोत्तरी के कारण कर्मचारी लाभों (केंद्रीय विद्यालय और सीआईएसएफ कर्मियों सहित) पर अतिरिक्त व्यय, लाभ–हानि विवरणी और 31 मार्च 2019 तक अन्य व्यापक आय में प्रभारित सीमा तक नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्य किया गया है। यह शेष सीईआरसी में दायर आवेदन के मंजूर हो जाने के साथ ही लाभार्थियों से बिलिंग द्वारा वसूल कर लिया जाएगा।

टैरिफ अवधि 2014–19 के विपरीत, जहां वेतन संशोधन का आरडीए शेष इस अनुमान पर सृजित किया गया था कि सीईआरसी प्रभार में इसकी अनुमति दे देगा जैसा कि वित्त वर्ष 2009 के दौरान वेतन संशोधन के लिए दिया गया था, प्रभार विनियमन 2019–24 विशेष रूप से वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की रिकवरी की अनुमति देता है।

इसके अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के लिए तीसरे पीआरसी के कारण **214.63 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **204.85 करोड़**) का अतिरिक्त व्यय 'गैर बिल राजस्व' के रूप में मान्य किया गया है जबकि 31–03–2019 तक **631.90 करोड़** रुपए का अतिरिक्त व्यय आरडीए ऋण शेष के रूप में दिखलाया जाता रहेगा।

वित्तीय विवरणी में 31 मार्च 2021 तक मान्य कुल आरडीए ऋण शेष इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

क्र.स.	विवरण	नियामक आस्थगित खाता शेष
ए	01.04.2020 को आरंभित शेष	**631.90**
बी	वर्ष के दौरान जोड़ (+)	-
सी	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि (-)	-
डी	**लाभा हानि विवरणी में मान्य नियामक आय(बी+सी)**	**-**
ई	**31.03.2021 को समापन शेष (ए+डी)**	**631.90**

कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण नियामक आस्थगित खाता शेष की रिकवरी हालांकि नियामक जोखिम से जुड़ी हैं क्योंकि ऐसे व्यय को सीईआरसी आमतौर पर कड़ी जांच के बाद अनुमति देती है। जांच के बाद किसी व्यय पर मंजूरी न मिलने से लाभार्थियों से वसूले जाने वाले नियामक आस्थगित खाता शेष की मात्रा पर असर पड़ सकता है। कंपनी को आशा है कि मौजूदा सीईआरसी नियमन 2019–24 के दौरान तीसरे वेतन संशोधन के संबंध में नियामक डेफरल खाता शेष की मौजूदा राशि रिकवर कर ली जाएगी।

सी) किशन गंगा पावर स्टेशन के शुल्क संशोधन के कारण नियामक आस्थगित खाता शेषः

सीईआरसी शुल्क विनियमन 2014–19/2019–24 के अनुसार किसी पावर स्टेशन के पूंजीगत लागत में ह्रास शुल्क का एक घटक निर्धारित करता है। ह्रास को 12 वर्ष का आरंभिक संचालन अवधि के दौरान खातों में शुल्क विनियमन 2014–19/2019–14 में दी गई दरों के अनुसार प्रभारित किया जाता है। इसके बाद अधिशेष ह्रास को बाकी के 23/28 वर्षों में समान रूप से वितरित कर दिया जाता है ताकि पावर स्टेशन के पूंजीगत लागत का 90 प्रतिशत ह्रास के माध्यम से रिकवर हो सके। शुल्क विनियमन 2019–24 के अनुसार एक जलविद्युत स्टेशन की संचालन अवधि 40 वर्ष है।

सीईआरसी शुल्क विनियमन 2019–24 के अनुसार उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए प्रभार भी नियमों के विचलन में निर्धारित किया जा सकता है, विनियमों में इसे स्पष्ट किया गया है। यह परियोजना के उपयोगी जीवन काल तक समान शुल्क का प्रावधान करता है। विनियमों में स्पष्ट किए गए नियमों के आधार पर विचलन संगणित समान शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए। सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अवधि 2019–24 के लिए शुल्क विनियमन में समान प्रावधान मौजूद हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन (वाणिज्यिक संचालन तिथि 7 मई 2018) के संदर्भ में कंपनी ने आरंभिक 10 वर्ष के लिये कम शुल्क और बाद के 25 वर्ष के लिये ऊंचा प्रभार लगाकर शुल्क प्रभार में संशोधन किया। इस व्यवस्था में एक से दस वर्ष तक के लिये 1.5: और ग्यारह से चालीसवें वर्ष तक के लिये 2.5: ह्रास प्रभारित किया गया और इस प्रकार पावर स्टेशन की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत जोड़ लिया गया। शुरूआती वर्षों में प्रभार कम करने के कदम के साथ इस संशोधन को सीईआरसी की मंजूरी मिल गयी है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में शुल्क निर्धारण के लिये ह्रास दरों में संशोधन से, पहले 12 वर्षों के वाणिज्यिक संचालन के दौरान खातों (सीईआरसी शुल्क विनियम, 2019–24) में प्रभारित ऊंचे ह्रास और सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पावर स्टेशन के शुल्क आदेश के अनुसार रिकवरी से तालमेल में भारी गड़बड़ी हुई। पहले 12 वर्ष के दौरान कम रिकवरी की क्षतिपूर्ति हालांकि पावर स्टेशन के शेष संचालन योग्य जीवन काल से खातों में प्रभारित शुल्क की तुलना में अधिक शुल्क के जरिए ह्रास की ऊंची रिकवरी से कर ली गई। शुरूआती वर्षों में प्रभार कम करने के फैसले से लागत की रिकवरी में आया अंतर यह दर्शाता है कि किसी आस्ति की मौजूदगी भविष्य में शुल्क के जरिए मौजूदा लागत मूल्यों को रिकवर करने के अधिकार के द्वारा हो सकती है और यह अधिकार बाध्यकारी है।

इंड एएस 114–'नियामक आस्थगित खाते' को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि विवरणी में शुल्क विनियमन 2019–24 के अनुसार प्रभारित ह्रास और शुल्क के माध्यम से स्वीकृत ह्रास, जो लाभार्थियों से बाद की अवधि में रिकवर करने योग्य है, पावर स्टेशन का वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तिथि से शेष नियामक 'डेफरल खाता शेष' के रूप में दर्शाया जा रहा है। वाणिज्यिक संचालन के पहले 12 वर्ष के दौरान सृजित आरडीए अधिक ह्रास के माध्यम से पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवन काल, यानि 28 वर्ष की अवधि में, शुल्क के रूप में लाभार्थियों से रिकवर कर लिया जाएगा।

विनियमित परिसंपत्तिया (+)/देयताएं (–) निकट भविष्य में लाभार्थियों से रिकवर की जाने वाली या भुगतान की जाने वाली राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.स.	विवरण	नियामक आस्थगित खाता शेष
ए	01.04.2020 को आरंभिक शेष	367.60
बी	वर्ष के दौरान जोड़ (परिसंपत्तियां (+)/ देयताएं (-)	195.51
सी	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि (–)/वापस की गई राशि (+)	–
डी	**लाभ–हानि विवरणी (बी–सी) में दर्शाई गई नियामक आय/(व्यय)**	195.51
ई	**31.03.2021 को समापन शेष (ए+डी)**	563.11

किशनगंगा पावर स्टेशन के संदर्भ में कंपनी का दीर्घावधि विद्युत खरीद समझौता है। सीईआरसी द्वारा आगे की शुल्क में संशोधन का पस्ताव मंजूर कर लिए जाने के बाद कंपनी के समक्ष किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए सृजित नियामक आस्थगित खाता शेष की रिकवरी को लेकर कोई बड़ा जोखिम नहीं है।

हालांकि खातों में प्रभारित ह्रास शुल्क और प्रभार के जरिए इसकी रिकवरी सीईआरसी द्वारा अनुमोदन के आधार पर पावर स्टेशन की पूंजीलागत पर निर्भर करती है, किशनगंगा पावर स्टेशन के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता शेष की रिकवरी नियामक जोखिम के तहत रहेगी। समय और लागत मद में व्यय सहित पावर स्टेशन के लिए वास्तविक पूंजी व्यय की मंजूरी सीईआरसी की सतर्क जांच के दायरे में है। जांच के बाद किसी व्यय को मंजूरी नहीं मिलने से लाभार्थियों से रिकवर किए जाने वाले नियामक आस्थगित खाता शेष की मात्र पर असर पड़ सकता है।

डी) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद में विनिमय अंतर के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता शेष :

इंड एएस 23– 'उधारी लागत' के अनुसार ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माने जाने वाले विदेशी मुद्रा ऋणों पर उधारी लागत को निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंड एएस 21– 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव' प्रावधान करता है कि अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरणी में आरंभिक मान्यता पर स्वीकृत दरों से अलग दरों पर मौद्रिक मदों के समायोजन या परिवर्तन से होने वाला मौद्रिक अंतर लाभ–हानि विवरणी में उस अवधि में मान्य किया जाएगा, जिस दौरान ये अस्तित्व में आए हैं।

इंड एएस 101– 'पहली वार इंड एएस अपनाना' का पैरा डी 13एए प्रावधान करता है कि पहली वार इंड एएस अपनाने वाले मुद्रा विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रख सकते हैं। इसके अनुसार 01 अप्रैल 2016 से या इसके बाद शुरू हुई अवधि के लिए विनिमय/समायोजन के कारण होने वाले मौद्रिक अंतरों को निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के लिए समायोजन माना जाएगा और लाभ–हानि विवरणी में दर्ज किया जाएगा।

सीईआरसी शुल्क विनियमन 2014–19 के अनुसार मुद्रा जोखिम परिवर्तन के कारण कोई लाभ या हानि परियोजना के वाणिज्यिक संचालन तिथि पर प्रभार की गणना के लिए पूंजी लागत के एक हिस्से के रूप में और संचालन और रख–रखाव अवधि के दौरान किए गए वास्तविक भुगतान आधार पर रिकवरी योग्य होगा। इसके अतिरिक्त सीईआरसी में पूर्व शुल्क आदेशों में निर्माण अवधि के दौरान हुए मौद्रिक अंतरों की पूंजी लागत के एक हिस्से के रूप में स्वीकृति दी है।

इंड एएस–114 –'नियामक आस्थगित खाते' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सीईआरसी शुल्क विनियमन 2014–19 और विदेशी मुद्रा मौद्रिक मतों के समायोजन से होने वाले अंतरों को लाभ–हानि विवरणी में प्रभारित किया गया है और इन्हों 01–04–2016 से 'नियामक डेफरल खाता शेष' के रूप में दर्शाया जा रहा है।

विनियमित परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (–) निकट भविष्य में लाभार्थियों से रिकवर की जाने वाली या भुगतान की जाने वाली राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.स.	विवरण	नियामक आस्थगित खाता शेष
ए	01.04.2020 को आरंभिक शेष	0.02
बी	वर्ष के दौरान जोड़ (परिसंपत्तियां (-)/देयताएं (-))	1.70
सी	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि (-)/वापस की गई राशि (+)	0
डी	**लाभ–हानि विवरणी (बी–सी) में दर्शाई गई नियामक आय/व्यय)**	**1.70**
ई	**31.03.2021 को समापन शेष (ए+डी)**	**1.72**

सीईआरसी ने 2019–24 के लिए शुल्क विनियमन अधिसूचित किया है। परियोजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि पर शुल्क की गणना के लिए पूंजी लागत के एक हिस्से के रूप में और संचालन तथा रख–रखाव अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर विदेशी मुद्रा दर अंतर (एफईआरवी) की रिकवरी के बारे में शुल्क विनियम 2014–19 को 2019–24 की अवधि के लिए भी जारी रखा गया है। इसके अनुसार प्रबंधन का मानना है कि शुल्क नियमन में प्रतिकूल अंतर विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संदर्भ में मान्य आरडीए शेष के भविष्ट में रिकवरी के लिए बड़ा जोखिम साबित नहीं होगा।

नियामक डेफरल खाता शेष की रिकवरी हालांकि मांग जोखिम से जुड़ा है क्योंकि नियामक आस्थगित ऋण/जमा शेष की रिकवरी/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के जरिए होगी। इसके अनुसार इस पर सामान्य जोखिमों और अनिश्चितताओं का असर पड़ सकता है जो देश में लघु अवधि के पीपीए पर हस्ताक्षर में कठिनाई सहित विद्युत की बिक्री को प्रभावित करने वाले कारक हैं।

ई) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर पर नियामक आस्थगित खाता शेष :

सीईआरसी शुल्क विनियमन के अनुसार शुल्क अवधि 2004–09 के लिए आय सृजन से होने वाले डेफर्ड टैक्स यानि आस्थगित कर लाभार्थियों से वसूली योग्य है, वर्ष के दौरान यह वर्तमान कर के रूप में मान्य होता है। शुल्क अवधि 2014–19 के लिए आस्थिगत कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर पर इक्विटी से मिलने वाले रिटर्न के जोड़ द्वारा वसूली योग्य है। 31 मार्च 2018 तक भविष्य में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले आस्थगित कर, डेफर्ड टैक्स देयता के लिए समायोजन के रूप में प्रस्तुत किए गए और इसे आरडीए के रूप में मान्य नहीं किया गया।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के विशेषज्ञ सलाहकार समिति के वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त मतों के आधार पर इस व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस प्रकार के आस्थगित खाता शेष जोकि भारतीय सनदि लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ समिति के अनुसार, यह इंड एएस 12 के तहत आस्थगित कर आस्ति में परिवर्तित घटाने योग्य अस्थाई अंतर नहीं है। इसके स्थान पर यह इंड एएस 114 के नियमों के तहत नियामक आस्थगित खाता शेष की परिभाषा के तहत आता है।

इसके अनुसार कंपनी ने 2009 तक रिकवर किए जाने योग्य आस्थगित कर और 2014–19 की अवधि के आस्थगित कर देयताओं पर आस्थगित कर समायोजन को पुनःवर्गीकृत किया। इससे पहले इसे वर्ष 2018–19 के दौरान नियामक डेफरल खाता शेष के रूप में डेफर्ड कर देयता के लिए समायोजित किया गया था।

विनियमित परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (–) निकट भविष्य में लाभार्थियों से रिकवर की जाने वाली या भुगतान की जाने वाली राशि इस प्रकार हैः

2009 तक शुल्क अवधि के लिए आस्थगित कर (टैक्स) वसूली योग्य के संदर्भ में :

(करोड़ रुपए में)

क्र.स.	विवरण	नियामक आस्थगित खाता शेष
ए	01.04.2020 को आरंभिक शेष	1529.02
बी	वर्ष के दौरान जोड़ (परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-))	-
सी	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि (-)/वापस की गई राशि (+)	75.46
डी	**लाभ–हानि विवरणी (बी–सी) में मान्य नियामक आय/(व्यय)**	**(75.46)**
ई	**31.03.2021 को समापन शेष (ए+डी)**	**1453.56**

स्थगित कर देयताओं पर स्थगित कर समायोजन के संदर्भ में (शुल्क अवधि 2014–19 से) :

(करोड़ रुपए में)

क्र.स.	विवरण	नियामक आस्थगित खाता शेष
ए	01.04.2020 को आरंभिक शेष	**837.09**
बी	वर्ष के दौरान जोड़ (आस्तियां (+)/देयताएं (-))	6.28
सी	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि (-)/वापस की गई राशि (+)	-
डी	**लाभ–हानि विवरणी (बी–सी) में मान्य नियामक आय/(व्यय)**	**6.28**
ई	**31.03.2021 को समापन शेष (ए+डी)**	**843.37**

वर्ष 2004–09 की अवधि तक वसूली योग्य आस्थगित कर पर मान्य नियामक डेफरल खाता शेष की रिकवरी और 2014–19 तथा आगे की अवधि के लिए आस्थगित कर देयताओं पर आस्थिगत कर समायोजन कंपनी के भविष्य के संचालन प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि ये नियामक आस्थगित खाता शेष पिछले शुल्क अवधि से जुड़ता है इसलिए रिकवरी सीईआरसी के नियामक जोखिम के तहत आती है, जिसमें ऐसे शेष की रिकवरी भविष्य में शुल्क विनियमन से करने की अनुमति दी गई है।

एफ) उधारी खाते पर नियामक आस्थगित खाता शेष और कोविड –19 लॉकडाउन अवधि के दौरान हुए अन्य व्ययः

इंड एएस 23– उधारी लागत का पैरा 20 स्पष्ट करता है कि किसी कंपनी को विस्तारित अवधियों के दौरान उधारी लागत का पूंजीकरण रोक देना चाहिए जिस अवधि में यह मूल आस्ति का सक्रिय विकास निरस्त रखती है।

कोविड–19 महामारी के कारण गृह मंत्रालय ने 24 मार्च 2020 के अपने आदेश द्वारा संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन लगाई जिसे समय–समय पर बढाया जाता रहा।

लॉकडाउन की शुरूआती अवधि के दौरान पार्बती–II परियोजना में 23 मार्च 2020 से 20 अप्रैल 2020 तक और सुबनसिरी लोअर परियोजना में 23 मार्च 2020 से 23 अप्रैल 2020 तक प्रमुख निर्माण गतिविधियां अस्थाई रूप से रोक दी गईं।

सीईआरसी द्वारा 2019 –24 की अवधि के लिए शुल्क विनियम उधारी और अनियंत्रित कारणों से अन्य प्रमुख लागत के पूंजीकरण की अनुमति देता है। इसके अनुसार इन परियोजनाओं में कोविड–19 लॉकडाउन के कारण अस्थाई कार्यबंदी की अवधि के दौरान उधारी और अन्य प्रशासनिक लागत नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में इस प्रकार मान्य की गई है :

(करोड़ रुपए में)

इनसे संबंधित सृजित नियामक परिसंपत्तियां	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान
उधारी लागत	78.10
कर्मचारी लाभ व्यय	15.35
ह्रास	1.47
अन्य व्यय	6.10
अन्य आय	(1.96)
कुल	**99.06**

सुवनसिरी लोअर और पार्बती–II परियोजनाओं के संदर्भ में सृजित की जा रही नियामक आस्थगित खाता शेष की भविष्य की रिकवरी पर असर डाल सकने वाले जोखिम और अनिश्चितताएं :

क) **मांग जोखिमः** नियामक आस्थगित खाता शेष की रिकवरी शुल्क और प्रभार द्वारा होनी चाहिए। इसके अनुसार नियामक आस्थगित खाता शेष पर सामान्य जोखिमों और अनिश्चितताओं का असर पड़ता है जो विद्युत की बिक्री को प्रभावित करते हैं। जैसे लागत और अपेक्षित रिटर्न को कवर करने वाले और परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने वाले लघु अवधि विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर में कठिनाई।

ख) **नियामक जोखिम :** शुल्क विनियमन आगे प्रावधान करते हैं कि यदि बिलंब विद्युत कंपनी के कारण नहीं हुआ है बल्कि नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुआ है, तो सतर्क जांच के बाद आईईडीसी की अनुमति दी जा सकती है। सतर्क जांच के बाद व्यय की नामंजूरी का असर लाभार्थियों से रिकवर किए जाने वाले नियामक आस्थगित खाता शेष पर पड़ सकता है।

23(i) उड़ी–II पावर स्टेशन जहां 20–11–2014 को आग लग जाने से विद्युत उत्पादन रोक देना पड़ा था और यह जून, जुलाई और अगस्त 2015 के दौरान पुनः बहाल किया जा सका ऐसे में पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन हानि को व्यापक जोखिम नीति के तहत कवर किया गया। 31–03–2021 को बीमा दावे की स्थिति इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

दावों का विवरण	अद्यतन दायर दावा	प्रतिदाय की निवल प्राप्त राशि	लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित अद्यतन राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च 2021 को	31 मार्च, 2020 को
व्यवसाय व्यवधान हानि	202.98	74.01	-	128.97*	128.97

*टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 2 (डी) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल

वर्ष के दौरान व्यवसाय व्यवधान हानि के संदर्भ में मान्य आय शून्य है (कुल राशि 74.01 करोड़)

(ii) चमेरा–II पावर स्टेशन, जहां यूनिट #1 और यूनिट #2 के जेनरेटर में 07–08–2019 को बड़ी खराबी आई। घटना की तिथि से 12 महीने के अंदर जेनरेटर ईकाईयों को पुनः दुरुस्त किए जाने का काम पूरा हो जाने की संभावना व्यक्त की गई थी। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन हानि व्यापक जोखिम नीति के तहत कवर है। बीमा दावे की स्थिति 31 मार्च 2021 को इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

दावों का विवरण	अद्यतन दायर दावा	प्राप्त राशि	लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित अद्यतन राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सामग्री के नुकसान पर	34.22	14.49	6.00	13.73	27.23
व्यवसाय व्यवधान हानि	-	-	-	-	81.08*
कुल	**34.22**	**14.49**	**6.00**	**13.73**	**108.31**

* टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 2 (डी) में आकस्मिक आस्तियों में शामिल। वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यवसाय व्यवधान हानि के संदर्भ में दायर 81. 08 करोड़ रूपए का दावा बीमा कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 में ठुकरा दिया गया।

(iii) सेवा–II पावर स्टेशन जिसका हेड रेस टैनेल (एचआरटी) 25 सितंबर 2020 को भू–स्खलन के कारण नष्ट हो गया, अभी पावर स्टेशन पूरी तरह बंद है और स्थिति बहाली का काम चल रहा है। पावर स्टेशन की आस्तियों और उत्पादन हानि व्यापक जोखिम नीति के तहत कवर है। प्रबंधन की राय में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडा है। 31 मार्च 2021 को बीमा दावे की स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

दावों का विवरण	अद्यतन दायर दावा	प्राप्त राशि	लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित अद्यतन राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सामग्री के नुकसान पर	40.00	-	2.00	38.00	-
व्यवसाय व्यवधान हानि	274.60	-	-	274.60*	-
कुल	**314.60**	**-**	**2.00**	**312.60**	**-**

* टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 2 (डी) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल।

(iv) पावर स्टेशन की आस्तियां और उत्पादन हानि व्यापक जोखिम नीति के तहत कवर है। पावर स्टेशन (उड़ी–II, चमेरा–II और सेवा–II के अतिरिक्त) के संदर्भ में पैरा 23 (i), (ii) और (iii) में स्पष्ट की गई बीमा दावा स्थिति 31 मार्च 2021 को इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

दावों का विवरण	अद्यतन दायर दावा	प्राप्त राशि	लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित अद्यतन राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सामग्री के नुकसान पर	68.67	14.03	23.63	31.01	15.13
व्यवसाय व्यवधान हानि	14.00	-	-	14.00*	-
कुल	**82.67**	**14.03**	**23.63**	**45.01**	**15.13**

* टिप्पणी संख्या 34 के पैरा 2 (डी) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल।

24. निदेशक मंडल की 20 मार्च 2014 को हुई बैठक में विचार–विमर्श के अनुसार बरसर जलविद्युत परियोजना की व्यवहार्यता भारत सरकार और जम्मू–कश्मीर सरकार के वित्तीय सहयोग पर निर्भर है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से बरसर परियोजना को संचालन योग्य बनाने के सर्वेक्षण के लिए राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। विद्युत मंत्रालय के परामर्श पर जल संसाधन मंत्रालय से राशि मुहैया कराने का अनुरोध किया गया। 27 अप्रैल 2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि डीपीआर की तैयारी के लिए राशि जारी करने का कंपनी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन के लिए विचाराधीन है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईए को सौंप दी गई और **226.78 करोड़** (पिछले वर्ष **226.78 करोड़**) रुपए का हो चुका व्यय जारी पूंजीगत कार्यों में अग्रसरित कर दिया गया। हालांकि पर्याप्त सावधानी रखते हुए पूर्व के वर्षों में इस संदर्भ में किए गए प्रावधान खाता पुस्तिकाओं में जारी हैं।

25. कोटली भेल–1ए, कोटली भेल– 1बी, और कोटली भेल–II परियोजनाएं उत्तराखंड में स्थित 24 जलविद्युत परियोजनाओं में से तीन है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के 13 .08.2013 के आदेश के तहत आती हैं। आदेश में उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं के लिए अगले आदेश तक पर्यावरण/वन संबंधी मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया है और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी थालों में जैव विविधता पर इसके असर की जांच करने को कहा है। इन परियोजनाओं के बारे में निर्णय अभी लंबित है। इन तीनों पर 31 मार्च 2021 तक **274 करोड़** 35 लाख (पिछले वर्ष **265.94 करोड़** रुपए), **42.95 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **42.95 करोड़** रुपए) और **51.42 करोड़** (पिछले वर्ष **51.42 करोड़**) रुपए का व्यय हो चुका है। यह राशियां जारी पूंजीगत कार्यों में अग्रसरित की गई हैं, हालांकि सतर्कता के तौर पर 31 मार्च 2021 तक इन्हें मिलाकर कुल राशि **368.72 करोड़** (पिछले वर्ष **360.31 करोड़**) रुपए खाता पुस्तिकाओं में दर्ज की गई है।

26. तवांग चरण–I और चरण–II जलविद्युत परियोजनाओं पर हुआ 233.68 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष **225.23 करोड़**) रुपए जारी पूंजीगत कार्य में अग्रसरित कर दिए गए हैं। हालांकि मंजूरी मिलने में विलंब, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई और इन परियोजनाओं से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए इन पर 31 मार्च 2021 तक हुआ **233.68 करोड़** रुपए का व्यय खातों में मान्य किया गया है।

27. (क) धौलीगंगा इंटरमीडियेट, चुंगर चाल और खरमोली लुम्टी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन अस्थाई रूप से रोका गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंप देने का अंतिम निर्णय लंबित देखते हुए इन पर 31 मार्च 2021 तक हो चुका **35.70 करोड़** (पिछले वर्ष **35.70 करोड़**) रुपए का व्यय जारी पूंजीगत कार्यों में अग्रसरित कर दिया गया है। हालांकि पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए **35.70 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **35.70 करोड़**) खाता पुस्तिका में दर्ज किए गए हैं।

(ख) गौरीगंगा–III ए परियोजना की लागत कम करने और इसके शुल्क को अनुकूलतम बनाने के उपाये तलाशे जा रहे हैं। इन पर निर्णय लंबित देखते हुए 31 मार्च 2021 तक हो चुका **46.18 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष 46.08) का व्यय जारी पूंजीगत कार्य में अग्रसरित कर दिया गया है। हालांकि पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए **46.18 करोड़** (पिछले वर्ष **46.08 करोड़**) रुपए खाता पुस्तिका में दर्ज किए गए हैं।

28. पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो किसी आस्ति के अधिग्रहणध्योग, जो स्थायी आस्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियां इत्यादि) का एक हिस्सा निर्मित करता है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अधिग्रहण/जिसके आस्तियों के अभिवृद्धि निर्माण पर पूंजीगत व्यय के तहत किया गया, निवल नकदी व्यय **2570.12 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **3173.86 करोड़**) है।

29. भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड –सेबी विनियम 2015 की अनूसूची (V) द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण (देयताओको सूचीबद्ध करना और अपेक्षाओं को स्पष्ट करना):

ए) ऋण और ऋण स्वरूप अग्रिम:

(i) सहायक कंपनियां : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ii) संयुक्त उपक्रम कंपनी:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**2020-21**	**2019-20**
राष्ट्रीय उच्च शक्ति परीक्षण प्रयोगशाला (पी) लिमिटेड	18.82	6.27	18.82	6.27

(iii) फर्म/कंपनियों को, जिनमें निदेशकों की रूचि हो: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

बी) ऋणदाता (जैसे कि ऊपर विस्तार में दिया गया है) द्वारा एनएचपीसी के शेयरों में निवेश : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

30. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) का मात्रात्मक विवरण:

क्र.सं.	विवरण	मात्रा (संख्या में)	
		31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	**31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**
1	जारी आरईसी	-	7042
2	प्रमाणन के तहत आरईसी	-	-
3	वर्ष के दौरान बेची गई आरईसी	-	7042

31. कोविड–19 का असर

कंपनी के राजस्व का मूल स्रोत जलविद्युत का उत्पादन और बिक्रय है। कोविड–19 महामारी के फैलाव और हाल में संक्रमितों की संख्या में बढोतरी के बाद भारत सरकार और/या राज्य सरकारों ने लॉकडाउन घोषित किया जिसका असर सामान्य रूप से व्यापार पर पड़ा। विद्युत आपूर्ति एक आवश्यक सेवा होने के नाते और रन ऑफ द रिवर (आरओआर) परियोजनाओं के अनिवार्य संचालन पर विचार करते हुए और आरओआर के मामले में आरएलडीसी द्वारा संभव सीमा तक भंडारण परियोजनाओँ के निर्धारण के कारण कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड–19 का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। विभिन्न वर्तमान और गैर वर्तमान परिसंपत्तियों का मौजूदा और गैर मौजूदा मूल्य बढ़ने की आशा है।

हालांकि विद्युत मंत्रालय के 15 और 16 मई 2020 के निर्देशों के अनुरूप कंपनी ने विद्युत वितरण कंपनियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विभागों को कोविड महामारी के कारण जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एकमुश्त **185 करोड़** रुपए की छूट दी है। यह छूट राशि वित्तीय विवरणी में 'अपवाद या असाधारण मद' के तहत प्रस्तुत की गई है।

निर्माणाधीन/सर्वेक्षणाधीन परियोजनाओं के संदर्भ में प्रबंधन को मांग में बड़े पैमाने पर कमी की आशा नहीं है, जिससे परियोजना का दायरा सिकुरता हो। इस वजह से कंपनी के ऋण उपकरणों के लिए मांग में कोई कमी नहीं आई है, जिससे भविष्य के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए उधारी लागत बढ़ पाती।

3206.02 करोड़ रुपए का व्यापार प्राप्य परिशोधित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अनुमानित जमा हानि विधि का उपयोग करते हुए हानि भते का प्रावधान करता है। कंपनी के लाभार्थी अधिकांशतः राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियां यानि डिस्कॉम्स हैं और भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज के तहत इन लाभार्थियों के लिए घोषित लिक्विडिटी पर विचार करते हुए कंपनी को व्यापार प्राप्यों के संदर्भ में जमा जोखिम बढ़ने का अनुमान नहीं है।

31 मार्च 2021 को कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों का महत्वपूर्ण भाग लेबल 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, मुख्य रूप से लिक्विड इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हैं। परिशोधित मूल्य पर नकदी और नकदी समतुल्य, बैंक जमा और अधिशेष के रूप में वित्तीय आस्तियों के संदर्भ में कंपनी ने आकलन किया है कि प्रतिपक्ष के जमा जोखिम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। स्तर 2 और स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत अन्य वित्तीय आस्तियों के संदर्भ में प्रबंधन को प्रतिपक्ष के प्रोफाइल, जिनमें अधिकांश या तो कंपनी के कर्मचारी हैं या राज्य सरकार/केंद्र सरकार की कंपनियां हैं, के आकलन के आधार पर जमा जोखिम में किसी बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है।

इसके अनुसार मैनेजमेंट का मानना है कि परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण/निर्माणाधीन परियोजना के जारी पूंजीगत कार्य की मौजूदा राशि में किसी कमी की आशंका का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार आस्थगित कर आस्तियों/नियामक आस्थगित खाता शेष और आस्थिगित कर देयताओं के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता शेष की रिकवरी पर कोविड 19 का कोई असर नहीं है।

इंड एएएस 116 –लीज के संदर्भ में, जहां कंपनी पट्टा देने वाले के रूप में अनुबंधकर्ता है, लीज की शर्तों में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं है। इसके अतिरिक्त पावर स्टेशनों के संदर्भ में एकल लाभार्थी के साथ लीज के मामलों में शर्त और नियमों में किसी छूट का प्रस्ताव नहीं है।

आकलन के अनुसार कंपनी की सहायक और संयुक्त उपक्रमों सहित अन्य देनदारों से प्राप्त होने वाली राशि के संदर्भ में जमा जोखिम में कोई बढोतरी नहीं है। इसके अलावा अन्य कंपनियों के साथ परामर्श अनुबंध (मुख्य रूप से सहायक और संयुक्त उपक्रमों से साथ) की स्थिति भी दुष्कर नहीं है क्योंकि कंपनी की यह सहायक और संयुक्त उपक्रम समान व्यवसाय स्थिति में हैं।

प्रबंधन के आकलन के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन के साथ–साथ विभिन्न वर्तमान और गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के मौजूदा मूल्य पर कोविड 19 का कोई खास असर नहीं पड़ा है। कोविड 19 का कोई आगामी असर भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा। कंपनी महामारी के असर पर निगरानी जारी रखेगी और बारीकी से इन पर विचार किया जाएगा।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08645380	डीआईएनः 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते के. जी. सोमानी एंड कं.**	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006591एन	एफआरएनः 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए भुवने ा महे वरी)**	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 10 जून, 2021

टिप्पणी संख्या . 35 एकल वित्तीय विवरणियां

31.03.2021 को समाप्त व र्ा के दौरान पिछली अवधियों की वित्तीय विवरणियों में कुछ मदों के संदर्भ में पिछले प्रभाव से पुनः वर्गीकृत/पुनः विवरण शामिल किया गया। इसके अनुसार इंड एएस 1 की अपेक्षा के अनुपालन में कंपनी ने पूर्व अवधि की शुरूआत पर–01 अप्रैल 2019 को तीसरा तुलन पत्रक प्रस्तुत किया। प्रमुख पुनः विवरण/पुनः वर्गीकरण इस प्रकार हैं–

(ए) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए व र्ा और 1 अप्रैल, 2019 को एकल वित्तीय विवरणियां

31 मार्च , 2020 और 1 अप्रैल 2019 को पुनः प्रस्तुत एकल तुलन पत्रक

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या	टिप्पणियां	31 मार्च 2020 को पुनः विवरण :	पुनः विवरण / पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	31मार्च 2020 को (पुनः प्रस्तुत)	1 अप्रैल 2019 को (पहले प्रतिवेदित)	पुनः विवरण / पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल 2019 को (पुनः प्रस्तुत)
	आस्तियां								
(1)	**गैर मौजूदा आस्तियां**								
क)	परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	2.1		21,463.33	-	21,463.33	22,940.69	-	22,940.69
ख)	जारी पूंजीगत कार्य	2.2		16,097.65	-	16,097.65	14,898.11	-	14,898.11
ग)	परिसंपत्ति उपयोग अधिकार–	2.3		1,826.98	-	1,826.98	-	-	-
घ)	निवेश परिसंपत्तियां	2.4		4.49	-	4.49	4.49	-	4.49
ड़)	अमूर्त परिसंपत्तियां			0.72	-	0.72	906.66	-	906.66
च)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**							-	-
	i) निवेश	3.1		3,400.74	-	3,400.74	2,361.66	-	2,361.66
	ii) व्यापार प्राप्य–		35.1 (b)			-	61.51	(61.51)	-
	iii) ऋण	3.2		798.65	-	798.65	746.41	-	746.41
	iv) अन्य	3.3	35.1 (b)	3,435.91	-	3,435.91	3,467.16	61.51	3,528.67
छ)	गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4		138.90	-	138.90	131.95	-	131.95
ज)	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	5	35.1 (a)	3,023.61	11.80	3,035.41	2,021.35	7.49	2,028.84
	कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			**50,190.98**	**11.80**	**50,202.78**	**47,539.99**	**7.49**	**47,547.48**
(2)	वर्तमान परिसंपत्तियां								
क)	भंडारागार	6		118.24	-	118.24	117.14	-	117.14
ख)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**							-	
	i) व्यापार प्राप्य	7	35.1 (b)	3,818.34	(233.22)	3,585.12	2,623.09	(296.69)	2,326.40

	विवरण	एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या	टिप्पणियां	31 मार्च 2020 को पुनः विवरण : पनः वर्गीकरण का प्रभाव	पुनः विवरण / पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	31मार्च 2020 को (पुनः प्रस्तुत)	1 अप्रैल 2019 को (पहले प्रतिवेदित)	पुनः विवरण / पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल 2019 को (पुनः प्रस्तुत)
	ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8		8.87	-	8.87	12.04	-	12.04
	iii) उपलब्ध नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक ो ा	9		380.25	-	380.25	378.59	-	378.59
	iv) ऋण	10		46.03	-	46.03	45.18	-	45.18
	v) अन्य	11	35.1 (ख)	2,699.74	233.22	2,932.96	1,984.26	296.69	2,280.95
ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	35.1 (ग)	86.95	40.19	127.14	61.22	40.19	101.41
घ)	अन्य वर्तमान आस्तियां	13	35.1 (क) और 35.1 (ग)	427.90	(51.99)	375.91	355.25	(47.68)	307.57
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां			**7,586.32**	**(11.80)**	**7,574.52**	**5,576.77**	**(7.49)**	**5,569.28**
(3)	नियामक आस्तगित खाता डेविट बैलेंस	14		6,836.22	-	6,836.22	6,492.61	-	6,492.61
	कुल परिसंपत्तियां और नियामक आस्थगित खाता डेबिट बैलेंस			**64,613.52**	**-**	**64,613.52**	**59,609.37**	**-**	**59,609.37**
	इक्विटी और देयताए								
(1)	**इक्विटी**								
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	15.1		10,045.03	-	10,045.03	10,045.03	-	10,045.03
(ख)	अन्य इक्विटी	15.2		19,938.78	-	19,938.78	19,169.70	-	19,169.70
	कुल इक्विटी			**29,983.81**	**-**	**29,983.81**	**29,214.73**	**-**	**29,214.73**
(2)	**देयताएं**							-	
	गैर वर्तमान देयताएं							-	
क)	**वित्तीय देयताएं**							-	
	i) उधारी	16.1		20,889.74	-	20,889.74	17,044.63	-	17,044.63
	ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2		2,059.23	-	2,059.23	2,058.64	-	2,058.64
ख)	प्रावधान	17		27.66	-	27.66	26.82	-	26.82
ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18		3,641.19	-	3,641.19	3,610.63	-	3,610.63

	विवरण	एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या	टिप्पणियां	31 मार्च 2020 को पुनः विवरण : पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	पुनः विवरण / पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	31मार्च 2020 को (पुनः प्रस्तुत)	1 अप्रैल 2019 को (पहले प्रतिवेदित)	पुनः विवरण / पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल 2019 को (पुनः प्रस्तुत)
घ)	अन्य गैर वर्तमान देयताएं			2,082.65	-	2,082.65	1,824.98	-	1,824.98
	कुल गैर वर्तमान देयताएं			**28,700.47**	**-**	**28,700.47**	**24,565.70**	**-**	**24,565.70**
(3)	**वर्तमान देयताएं**							-	
क)	**वित्तीय देयताएं**							-	
	i) उधारी	20.1		714.31	-	714.31	406.00	-	406.00
	ii) व्यापार प्राप्य	20.2						-	
	सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम का कुल बकाया			18.85	-	18.85	15.74	-	15.74
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया			285.41	-	285.41	164.44	-	164.44
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	35.1 (घ)	2,879.70	0.37	2,880.07	2,846.92	0.34	2,847.26
ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	21	35.1 (घ)	802.81	(0.37)	802.44	1,066.47	(0.34)	1,066.13
ग)	प्रावधान	22		1,228.16	-	1,228.16	1,329.37	-	1,329.37
घ)	वर्तमान कर देयताएँ (निवल)	23		-	-	-		-	-
	कुल वर्तमान देयताएँ			**5,929.24**	**-**	**5,929.24**	**5,828.94**	**-**	**5,828.94**
	कुल इक्विटी और देयताएं			**64,613.52**	**-**	**64,613.52**	**59,609.37**	**-**	**59,609.37**

(बी) 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये पुनःप्रस्तुत एकल लाभ–हानि विवरणी

(करोड़ रुपए में)

विवरण		एकल वित्तीय विवरणियों की संख्या	टिप्पणीयां	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (पहले रिपोर्टेड)	पुनः विवरण/पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनःउल्लिखित)
आय						
i)	संचालन से राजस्व	24.1	35.2	8,735.41	(0.26)	8,735.15
ii)	अन्य आय	24.2	35.2	1,036.18	0.26	1,036.44
	कुल आय			**9,771.59**	**-**	**9,771.59**
व्यय						
i)	विद्युत खरीद–व्यापार	25.1		234.13	-	234.13
ii)	उत्पादन व्यय	25.2		901.67	-	901.67
iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	26		1,515.52	-	1,515.52
iv)	वित्तीय लागत	27		795.42	-	795.42
v)	ह्रास और परिशोधन व्यय	28		1,545.34	-	1,545.34
vi)	अन्य व्यय	29		1,514.95	-	1,514.95
	कुल व्यय			**6,507.03**	**-**	**6,507.03**
अपवाद वस्तुएं, नियामक आस्थगित खाता शेष और कर से पहले लाभ				3,264.56	-	3,264.56
	अपवाद वस्तुएँ			-	-	-
नियामक आस्थगित खाता शेष और कर से पहले लाभ				**3,264.56**	**-**	**3,264.56**
	कर व्यय	30.1				
i)	वर्तमान कर			602.40	-	602.40
ii)	आयकर के लिए समायोजन			(1.40)	-	(1.40)
	कुल कर व्यय			**601.00**	**-**	**601.00**
नियामक आस्थगित खाता शेष से पहले वर्ष के लिए आय				**2,663.56**	**-**	**2,663.56**
	नियामक डेफरल खाता शेष में गतिविधि (कर निवल)	31		343.61	-	343.61
वर्ष के लिए आय (क)				**3,007.17**	**-**	**3,007.17**

विवरण	एकल वित्तीय विवरणियों की संख्या	टिप्पणियां	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (पहले रिपोर्टेड)	पुनःविवरण/ पुनःवर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनःउल्लिखित)
अन्य व्यापक आय (बी)	30.2				
(i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर निवल)					
(क) रोजगार बाद निर्धारित लाभ देयताओं का पुनर्मापन			37.51	-	37.51
घटाएं:–निर्धारित लाभ देयताओं पर कर के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता शेष में गतिविधि			8.14	-	8.14
उप जोड़ (क)			**29.37**	**-**	**29.37**
(ख) इक्विटी साधनों में निवेश			(42.09)	-	(42.09)
उप जोड (ख)			**(42.09)**	**-**	**(42.09)**
कुल (प)=(क)(ख)			**(12.72)**	**-**	**(12.72)**
(ii) वे मद जिन्हें लाभ हानि विवरणी में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (कर निवल)					
- ऋण साधनों में निवेश			12.10	-	12.10
कुल (ii)			**12.10**	**-**	**12.10**
अन्य व्यापक आय (बी)=(i+ii)			**(0.62)**	**-**	**(0.62)**
कुल व्यायक आय व f के लिए (ए+बी)			**3,006.55**	**-**	**3,006.55**
प्रति शेयर आय (प्राथमिक और तनुकृत) (इक्यूटि शेयर प्रत्येक 10 रुपए का अंकित मूल्य)					
नियामक आस्थगित खाता शेष में गतिविधियों से पहले			2.65	-	2.65
नियामक खाता शेष में गतिविधियों के बाद			2.99	-	2.99

35.1 पूर्वप्रभावी पुनःविवरण संबंधी टिप्पणियां :–

क) पहले वर्तमान के रूप में वर्गीकृत दीर्घावधि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिये निश्चित जमा को "अन्य गैरवर्तमान परिसंपत्तियों" के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया है।

ख) बिजली खरीद के लिये बिलो के समायोजन में विलंब के लिये लाभार्थियों से लिये जाने वाले विलंब भुगतान सरचार्ज के रूप में व्यापार प्राप्य (वर्तमान), जो पहले "व्यापार प्राप्य" के रूप में दर्शाया गया था, पुनःवर्गीकृत कर "वर्तमान वित्तीय आस्तियां – अन्य" कर दिया गया है। विलंब भुगतान प्रभार के लिये "व्यापार प्राप्य (गैर वर्तमान) " जिसे पहले "गैर वर्तमान व्यापार प्राप्य" के रूप में दर्शाया गया था, वर्गीकृत कर "गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य – "कर दिया गया है।

ग) रिफंडेबल आयकर जिसे पहले "अन्य वर्तमान आस्तियों" के रूप में दर्शाया गया था, पुनःवर्गीकृत कर करःआस्तियों के अनुरूप "वर्तमान कर आस्तियां (निवल) " कर दिया गया है।

घ) सोडेक्सो मील वाउचर के लिये भुगतान, जिसे पहले "अन्य वर्तमान देयता" के रूप में दर्शाया गया था, वैधानिक देयता नहीं होने की स्थिति में अब पुनःवर्गीकृत कर "अन्य वर्तमान वित्तीय देयता" कर दिया गया है।

35.2 पहले "संचालन से राजस्व" के रूप में प्रस्तुत यूआई प्रभार पर ब्याज/विचलन समायोजन तंत्र प्राप्य को ब्याज आय की प्रकृति का होने से पुनः वर्गीकृत कर " अन्य आय" कर दिया गया है।

35.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मत के अनुसार विद्युत बिक्री के लिये लाभार्थियों से लिया गया विलंब भुगतान प्रभार को पुनः वर्गीकृत कर "संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह" से "निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह" कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये नकदी प्रवाह विवरणी में बदलाव का प्रभाव नीचे दिया गया है:––

(करोड़ रुपए में)

गतिविधि	31.03.2020 को मौजूद आंकड़े	पुनः विवरण/पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31.03.2020 को संशोधित आंकड़ा
संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	2473.45	(259.34)	2214.11
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(3,156.32)	259.34	(2,896.98)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	679.70	-	679.70

35.4 वित्तीय वर्ष 2019–20 की वित्तीय विवरणियों में दर्ज "लाभ"और "अन्य इक्विटी" पर उपरोक्त पुनः विवरण/पुनः वर्गीकरण का कोई प्रभाव नहीं है।

35.5 वित्तीय वर्ष 2019–20 की वित्तीय विवरणियों में दर्ज प्राथमिक और तनुकृत आय पर पुनः विवरण/पुनः वर्गीकरण का कोई प्रभाव नहीं है।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08645380	डीआईएनः 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते के. जी. सोमानी एंड कं.**	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 009487एन	एफआरएनः 006591एन	एफआरएनः 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए भुवने ा महे वरी)**	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438

स्थानः फरीदाबाद

तिथिः 10 जून, 2021

अनुबंध - X

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में, एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षण रिपोर्ट

मत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे यहां बाद में 'धारक कंपनी' कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें उसके संयुक्त उद्यमों में लाभ का समूह का निवल हिस्सा शामिल है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के समेकित विवरण इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण और उस समय समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों (जिसे यहां बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है) की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण यथापेक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 यथा संशोधित (इंड एएस के साथ पाठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2021 को समूह के कार्यों की सिति और लाभ, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्टिवी में परिवर्तनों और उसके नकदी प्रभाव की भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

मत का आधार

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरणी खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व भी आगे स्पष्ट किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप हम ग्रुप से स्वतंत्र हैं और साथ ही उन नैतिक अपेक्षाओं के कारण भी जो इस निमित्त बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने अपने अन्य नैतिक जिम्मेदारियों, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुरूप पूरी की है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण और अन्य लेखाकारों को परीक्षण क्रम में उपलब्ध लेखा परीक्षा प्रमाण नीचे अन्य विषय खंड में दिया गया है और यह समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे लेखा परीक्षण मत के लिए आधार उपलब्ध कराने में पर्याप्त और समुचित है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामलें हैं जो हमारे पेशेगत विवेक में मौजूदा अवधि की समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व के हैं। इन मामलें पर समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा और उनपर हमारी राय निर्मित करने के संदर्भ में पूरी तरह ध्यान दिया गया है और हम इन मामलें में कोई अपना पृथक मत उपलब्ध नहीं कराते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलें पर अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलें के रूप में विचार किया है। हमने इन मामलों से संबंधित जिम्मेदारियों सहित अपनी रिपोर्ट के समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणी खंड में लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है। इसके अनुसार हमारी लेखा परीक्षा में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों की गलत बयानी के जोखिमों के अनुमान पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप प्रदर्शन भी शामिल हैं। हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और अन्य लेखाकारों द्वारा संपन्न प्रक्रियाओं के परिणाम जो हमारे द्वारा लेखा परिक्षित नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दावा किया है, इसमें वे प्रक्रियाएं भी शामिल हैं जो मुद्दों के समाधान के लिए की गई हैं और इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। नीचे दिए गए प्रमुख लेखा परीक्षा मामलें, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उल्लिखित किए गए हैं और ये कंपनी की दो सब्सिडियरी के संबंध में ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरणियों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। अन्य घटकों के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने संबंधित कंपनी की वित्तीय विवरणियों पर अपनी रिपोर्ट में कोई प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दा नहीं उठाया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामलें के तहत नीचे दिए गए आंकड़े और संदर्भ, जबतक खासतौर पर के अन्य विशेष संदर्भ में उल्लिखित नही हों, केवल धारक कंपनी के हैं जबतक कि अन्य सभी घटकों के मामले में ये आंकड़े वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए हों।

	प्रमुख लेखा मामलें	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का समाधान
1.	**नियामक आस्तगित खाता शेष और लंबित राजस्व प्रभार से प्रोद्भूत किए जाने संबंधी अधिसूचना.** धारक कंपनी के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता ऋण शेष 31 मार्च 2021 को 7063.31 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020 तक 6836.22 करोड़ रुपए) है, जैसा कि वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी 14 में दिया गया है। इसमें सुबनसिरी लोअर परियोजना से संबंधित पूंजी लागत और अन्य व्यय के आधार पर 3470.59 करोड़ रुपए की प्रोद्भूत राशि शामिल है, कार्य व्यवधान की तिथि अर्थात् 16.12.2011 से 30.09 2019 तक, जैसा कि टिप्पणी 34 (23ए) में में दर्शाया गया है। समान विषय कंपनी की एक सब्सिडियरी एनएचडीसी लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा भी प्रतिवेदित की गई है। कंपनी के प्रचालन क्रियाकलाप सेवा विनियमों की लागत के अधीन है जिसके द्वारा बिजली उत्पादन के लिए प्रभारित शुल्क, अनुमति योग्य पूंजी और अन्य लागत तथा व्यय और निर्धारित रिटर्न के आधार पर तय होता है। नियामक आस्थगित खाता ऋण शेष इस संभावना के संदर्भ में अनुमानों के आधार पर गैर छूट आधार पर मान्य होता है कि भविष्य में कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा, नियामक के वास्तविक या अनुमानित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप, और इसलिए वसूली योग्यता शुल्क विनियम तथा अनुमोदन और अधूसचना पर निर्भर हैं। उपर्युक्त के अनुसार किए गए प्रोद्भवन उस व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसमें कंपनी कार्य संचालन कर रहा है। विशेष अधिसूचना और दर निर्धारण के अभाव में यह प्रबंधन की मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित होता है जो सीईआरसी द्वारा शुल्क प्रभार को अंतिम रूप दिए जाने और परियोजना का परिचालन शुरू होने पर निर्भर करता है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर नियामक आस्थगित खाता ऋण शेष के मूल्य की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में जो निम्नलिखित शामिल हैं :** • आय के प्रोद्भवन के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता और डिजाइन को समझना और इसका परीक्षण करना । • सीईआरसी विनियमों के अनुरूप वसूली योग्य राशि प्राप्त करना और मान्य करना तथा प्रबंधन द्वारा ऐसे आकलनो के लिए लागू किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर इसकी तर्कसंगतता का आकलन, परीक्षण और मूल्यांकन करना। • इंड एएस 114 के प्रावधानों के अनुप्रयोग का आकलन करना, आईसीएआई द्वारा नियामक आस्थगित शेष के संदर्भ में जारी दर विनियमन गतिविधियों के लेखांकन पर मार्गदर्शी टिप्पणी। • उपरोक्त में सीईआरसी दिशा–निर्देशों का मूल्यांकन और कंपनी द्वारा पहले किए गए दावों की स्वीकृति तथा प्रबंधन द्वारा विभिन्न आधारों पर अस्वीकृति और उस स्थिति तथा व्यापार माहौल में लिए गए निर्णयों की तर्कसंगतता। . • सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के मामले में नकदी उत्पादन ईकाई टिप्पणी 34 (19) के मूल्य तक पहुंचने में प्रबंधन द्वारा विचारित विभिन्न मान्यताओं का मूल्यांकन करना तथा जारी परियोजना के मौजूदा मूल्य के संदर्भ में पर्याप्तता तथा नियामक आस्थगित खातों के अंतर्गत अधिशेष का आकलन करना। • इस संदर्भ में कंपनी द्वारा अपनाई गई मापन नीतियां और मान्य राशि की पर्याप्तता और तर्कसंगतता तथा इनके संबंध में किए गए स्पष्टीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा की गई।
2	**परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) तथा जारी पूंजीगत कार्य की मौजूदा राशि का क्षति आकलन** प्रत्येक जलविद्युत उत्पादन संयंत्र को कंपनी की नकदी उत्पादन ईकाईयां माना गया है। क्षति संकेतकों और इनके संदर्भ में आवश्यकताओं का आकलन परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा जारी पूंजीगत कार्य के संदर्भ में किया गया है जैसा कि टिप्पणी 34(19) में दिया गया है। यह आकलन किया गया कि वर्ष के दौरान कंपनी में प्रतिकूल असर	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम किसी सीजीयू का प्रावधान नहीं किए जाने की तर्कसंगत्ता तय करते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • इंड एएएस 38 के अनुरूप कंपनी और क्षति संकेतकों (या उनके विपरीत) को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारणों का मूल्यांकन।

	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा के मामलों का समाधान
	डालने वाला कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ या निकट भविष्य में कंपनी के प्रौद्योगिकीगत, आर्थिक या वैधानिक माहौल में इसके होने की संभावना नहीं है। आकलन के आधार पर कंपनी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कोई महत्पवूर्ण क्षति संकेतक या कंपनी के सीजीयू के संदर्भ में कोई क्षति वर्ष 2020–21 के दौरान नहीं हुई है। उपरोक्त आकलन के आधार पर कंपनी द्वारा क्षति आकलन का कोई प्रावधान जरूरी नहीं माना गया। सुबनसिरी लोअर परियोजना के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता शेष सहित कुछ परिसंपत्तियों की मौजूदा राशि का औचित्य प्रमाणित करने के लिए किए गए क्षति प्रबंध, जैसा कि पैरा 1(क) में दर्शाया गया है, कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। क्षति आकलन में नकदी उत्पादन ईकाईयों (सीजीयू) के उपयोग मूल्य का आकलन शामिल हैं और इसमें भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमान, उत्पादन पुर्वानुमान, मात्रा पुर्वानुमान, मूल्य और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक होते हैं।	• वसूली योग्य राशि के निर्धारण के लिए सीजीयू के संदर्भ में प्रयुक्त क्षति मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा में, इस संदर्भ में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख अनुमानों के विश्लेषण के आधार निम्नलिखित, ये घटक शामिल हैं: – मूल्यांकन के लिए पूर्वानुमान के संबंध में सततता बनाए रखना और किसी भी घटक के संभावित प्रभाव का आकलन करना; – मॉडल में प्रयुक्त मूल्य मान्यताएं; – नकदी प्रवाह अनुमान या छूट दर में सीजीयू के लिए संभावित जोखिमों का पता लगाना; – पूंजी की भारित औसत लागत अवधारणा/अनुमान तथा प्रयोग में मूल्य निकालने के लिए छूट की दर; • परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकारी नीति और अनुमोदन, निदेशक मंडल के निर्णय और इस संबध में किए गए प्रयास और उपायों की समीक्षा। • निर्माण पूरा होने की समयावधि, उत्पादन मात्रा और परिणामी राजस्व के लिए उसके अपेक्षित टैरिफ के आधार पर प्रबंधन के अनुमानों पर विश्वास किया गया है।
3.	**ठेकेदारों के दावों के प्रति आकस्मिक देयताएं– (टिप्पणी 34.2 (क) (i))** पूंजीगत कार्यों के संदर्भ में धारित कंपनी के खिलाफ ठेकेदारों द्वारा दायर विभिन्न दावे 9893.27 करोड़ रुपए के हैं, जिनमें से 412.91 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं, 9480.36 करोड़ रुपए अधिशेष बचा है जिसे आकस्मिक देयता के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें मध्यस्थता के तहत और/अथवा न्यायालय के समक्ष के मामले शामिल है, जिसमें कंपनी के विरूद्ध निर्णय लिया गया है जिसमें से 2709.13 करोड़ रूपए नीति आयोग के निर्देशों अथवा न्यायालय के आदेश के अनुसार दे दिए गए है/जमा कर दिए गए है। कंपनी की एक सब्सिडियरी एनएचडीसी लिमिटेड के मामले में आकस्मिक देयता में उल्लिखित ऐसे दावे की राशि 236.12 करोड़ रुपए है (549.66 करोड़ रुपए की कुल घोषित आकस्मिक देयता में से)। कंपनियों के खिलाफ किए गए दावे महत्वपूर्ण हैं। ये मध्यस्थता न्यायालय या अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित हैं और इनका संभावित असर हो सकता है। अपेक्षित प्रावधान/स्पष्टीकरण देयता की संभावना के बारे में प्रबंधन के आकलन पर आधारित हैं।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की उपयुक्तता तय करते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:** • विधि विभागों से मामलों की स्थिति और इस बारे में उनका दृष्टिकोण प्राप्त करना; • अनुबंध की शर्तों और नियमों तथा अब तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता के लिए प्रबंधन के विचारों तथा मांगों के संदर्भ में उपलब्ध नहीं कराई जा सकी शेष राशि का मूल्यांकन करना; • प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श तथा संबंधित मामलों में हुए पत्राचार दिए गए मेमो और टिप्पणियों की समीक्षा करना। • समान मामलों पर विधिक मतों तथा निर्णयों और इन से उत्पन्न होने वाली देयताओं की संभाव्यता पर विश्वास गिया गया है। • इंड एएस 37 'प्रावधान, देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण के औचित्य और पर्याप्तता की समीक्षा की गयी।

	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले का समाधान
4	**परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अंवेषण तथा निर्माण पूर्व चरण के अंतर्गत 31.03.2021 तक हुआ व्यय।** टिप्पणी 2.2.2 में दिए गए अनुसार धारक कंपनी के संदर्भ में 1192.72 करोड़ रुपए का व्यय परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अंवेषण के लिए की गई है। इसमें ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागत शामिल हैं। इस राशि में 954.58 करोड़ (वर्ष के दौरान 144.63 करोड़ रुपए शामिल) रुपए मंजूरी, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में अनिश्चितता को देखते हुए उपलब्ध कराए गए हैं। शेष ₹238.14 करोड रुपए जारी पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किए गए हैं। जारी पूंजीगत कार्यों में वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जहां सक्रिय निर्माण गतिविधियां अभी शुरू की जानी है। जब तक परियोजनाओं का कार्य रूका हुआ हैं ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागत पूंजीकृत की गई हैं। हालांकि जहां परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने में अनिश्चितताओ का अनुमान है वहां संबंधित प्रावधान किये गए हैं। संबंधित परियोजनाओं के शुरू न होने की स्थिति में सर्वेक्षण और अंवेषण पर व्यय राशि और निर्माण से पूर्व आवंटित राशि जारी पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रसरित किए जाने के लिए मान्य नहीं होगी।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं पर हुए व्यय की राशि की वहनीयता के बारे में किसी निष्कर्ष पर पंहुचे, में निम्नलिखित शामिल है** • प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सर्वेक्षणाधीन परियोजनाओं और अन्वेषण चरण की स्थिति मालूम की गयी और उन्हें स्थगित रखने को कारण प्राप्त किए गए। • (क)सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं और प्रावधानों के लिये अपनायी गयी नीति/कंपनी की व्यवसाय –प्रकृति के अनुसार ऐसे व्यय को बट्टे खाते में डालने, (ख) निर्माण पूर्व चरण के अंतर्गत परियोजना तथा उधारी और अन्य लागत के तहत आवंटन और इसके अनुरूप आवंटन व्यय के लेखापरीक्षण के लिये प्रबंधन द्वारा लागू उपायों की संचालन प्रभावकारिता और डिजाइन को समझना और जांचना। • परियोजनाओं को लागू करने में अनिश्चितताओं और विलंब के बावजूद पूंजीगत कार्य के तहत ऐसी परियोजनाएं जारी रखने के कंपनी के औचित्य और भविष्य में इनके अनुमानित आर्थिक उपयोग का मूल्यांकन करना। • संबंधित परियोजना के प्रत्येक मामले में स्थान, आकार और प्रकृति के अनुरूप अपेक्षित सामान्य अवधि के प्रबंधन के दावे और परियोजना के निर्माणाधीन और निर्माणपूर्व चरण की अवधि का मूल्यांकन करना। • विषय तकनीकी होने तथा उस उद्योग की प्रकृति के ट्रेडमार्क से जुड़े होने के कारण जिसमें वह कंपनी परिचालन कर रही है, प्रबंधन के दावे पर निर्भरता रखी गयी है।
5.	**आस्थगित कर को मान्य करना और इसके उपयोग का मूल्यांकन :** धारक कंपनी के संदर्भ में 2382.61 करोड़ की न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता से संबंधित आस्थगित कर 31 मार्च 2021 की स्थिति अनुसार अप्रयुक्त है जिसे मान्यता नहीं दी गयी है। यह प्रबंधन के अनुमान और भविष्य की प्रत्याशित अवधि में अनुमानित कर योग्य लाभ के मूल्यांकन के आधार पर है और ऐसे जमा को उपयोग में लाये जा सकने वाले भरोसेमंद साक्ष्यों पर आधारित है। इसमें भविष्य में क्षमता निर्माण के लिये पूंजी व्यय सहित भावी अनुमानों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय शामिल हैं जिनमें बाद में परिवर्तन हो सकता है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम अप्रयुक्त न्यूनतम वैकल्पिक कर जमा को मान्य नहीं किये जाने के औचित्य के बारे में किसी निष्कर्ष पर पंहुचे है, में निम्नलिखित शामिल है:** • आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं की वहन राशि के आकलन और कराधान से संबंधित कंपनी के नियंत्रण की संचालन प्रभावकारिता को समझना और जांचना। • अप्रयुक्त मैट जमा और वर्तमान वर्ष में घटनाक्रम, यदि कोई हो तो, पर आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति, इस नीति में अपेक्षित परिवर्तन पर प्रबंधन की सहमति की समीक्षा। • कंपनी द्वारा तैयार आंतरिक पूर्वानुमान और भावी कर योग्य आय की संभावना के आधार पर कंपनी को विधिक रूप से उपलब्ध कर जमा पात्रता का मूल्यांकन।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले		प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का समाधान
		• आस्थगित कर आस्तियों की उपयोगिता की संभावना के तर्क सम्मत स्तर के निर्धारण के लिये विवेकपूर्ण के सिद्धांत तथा निहित अनुकूलता और अनिश्चितता अनुमान की विशिष्ट समीक्षा। • विनियामक व्यवस्था से संबंधित अनुमान की समीक्षा जिसके तहत कंपनी प्रचालित होती है तथा मैट क्रेडिट के संभव उपयोग और मौजूदा नियामक प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणियों पर इसके प्रभाव की समीक्षा, जहां ऐसी आस्तियों के सृजन से नियामक आस्थगित खाता ऋण शेष में समायोजन/पलटाव होता हो। • वित्तीय विवरणी में किये गये स्पष्टीकरण की पर्याप्तता और औचित्य का मूल्यांकन।

वित्तीय विवरणियों और इनपर लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचनाएः–

अन्य सूचनाओं के लिये कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गयी सूचना शामिल है लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणियां, एकल वित्तीय विवरणियां और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। आशा है कि अन्य जानकारी हमें इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध करा दी जायेगी।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते है।

समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के बारे में हमारा दायित्व उपलब्ध हो जाने पर उपर निर्दिष्ट अन्य सूचना को पढ़ना, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों, या गैर लेखापरीक्षित संयुक्त उपक्रम की प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणियों से, जहां तक कि इसका संबंध इन कंपनियों से हो, इसकी तुलना करना है। और ऐसा करने में अन्य लेखा परीक्षकों/प्रबंधन के अभिप्रमाणन कार्य पर भरोसा रखना और यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना, समेकित वित्तीय विवरणियों या लेखा परीक्षा क्रम में प्राप्त हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या महत्वपूर्ण रूप गलत दर्ज है। अन्य सूचना, जहां तक यह सबसिडियरी और संयुक्त उपक्रमों से संबंधित है, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित या प्रबंधन से अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणियों से मालूम कर ली जाती है।

यदि यह हमारे द्वारा किये गये कार्य पर आधारित है तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी हुई है, और हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की जरूरत है।

इस बारे में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करनी है।

अन्य सूचना की उपर्युक्त रिपोर्ट होल्डिंग कंपनी से संबंधित है क्योंकि घटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने "वित्तीय विवरणियों और उनपर लेखापरीक्षक रिपोर्ट से अलग सूचना" के संदर्भ में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिये प्रबंधकीय दायित्व

इन एकीकृत वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में अधिनिययम की धारा 134(5) में दर्ज मामलों के लिये निदेशक मंडल उत्तरदायी है। ये विवरणियां, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिंद्धांतो के अनुरूप, मामलों की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), समेकित लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी में समेकित बदलाव और संयुक्त उपक्रमों सहित समूह के समेकित नकदी प्रवाह की सच्ची और सही जानकारी देती है।

समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उपक्रमों के संबंधित निदेशक मंडल के दायित्वों में ये भी शामिल हैं – समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों की आस्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और इनकी रोकथाम के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा परीक्षा रिकॉर्ड का रखरखावय उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग विवेकपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय और आकलन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की तैयारी, क्रियान्वयन और प्रबंधन, जो सच्ची और सही जानकारी देने वाले और किसी मूर्त गलतबयानी से मुक्त, चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हों या त्रुटिवश, वित्तीय विवरणियों

की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड्स की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से लागू थे, और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिये प्रयुक्त किये गये है।

समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उपक्रमो के संबंधित निदेशक मंडल इन गतिविधियों के लिये – एक सक्रिय कंपनी के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमताओं के आकलन, जारी उद्यम के संबंधित व्यवहार्य मामलों को स्पष्ट करने और लेखांकन के जारी आधार का उपयोग करने का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, जबतक कि प्रबंधन इसे लिक्विडेट करने या संचालन रोकने का निर्णय नहीं लेता, या ऐसा करने के लिए अलावा कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध न हो।

समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उपक्रमो के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षा के लिये लेखापरीक्षकों का दायित्वः–

हमारा उद्देश्य इस बात के लिये पूरी तरह आश्वस्त होना है कि समेकित वित्तीय विवरणियां किसी बड़ी गलतबयानी से पूरी तरह मुक्त हैं या नहीं, चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हों या भूल के कारण, इन जोखिमों के प्रति प्रभावी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और लागू करना तथा लेखा प्रमाण जारी करना जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। तर्कसम्मत आश्वासन ऊच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा से हमेशा गलतबयानी का पता लगेगा ही। गलतबयानी धोखाधड़ी या भूल के कारण भी हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है जब व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से यह इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिये जाने वाले उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय पर असर डालते हैं।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाह बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैः–

- समेकित वित्तीय विवरणियों की असर डाल सकने वाली बड़ी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे ये धोखाधड़ी की वजह से हों या त्रुटि की वजह से, इन जोखिमों के लिये प्रभावी लेखांकन प्रक्रियाएं डिजाइन करना और इसे लागू करना और लेखा प्रमाण जारी करना जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के कारण होने वाली गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम, भूल के कारण होने वाली गलतबयानी से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखांकन प्रक्रियायें डिजाइन करने के लिये जो परिस्थितियों में उचित हों, लेखांकन से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम यह मत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है या नहीं, और ऐसे नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता कैसी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और प्रबंधन के संबंधित स्पष्टीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखापरीक्षण के लिये चालू कंपनी आधार का उपयोग करने की प्रबंधन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष लेना और प्राप्त लेखांकन प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की संयुक्त उपक्रमों सहित समूह की कार्यक्षमता पर संदेह पैदा कर सकने वाली, घटनाओं या स्थितियों से जुड़ी कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणियों में संबंधित स्पष्टीकरण की लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस ओर ध्यान दिलाना होता है या यदि इस प्रकार का स्पष्टीकरण अपर्याप्त है तो हमें अपना मत संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं समूह या इसके संयुक्त उपक्रमों को चालू कंपनी के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणियों की विषय वस्तु, रूपरेखा तथा समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना और यह भी देखना कि क्या वित्तीय विवरणियां लेन–देन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणियों के बारे में मत व्यक्त करने के लिये समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों में व्यवसाय गतिविधियों की वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त समुचित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करना।
- समेकित वित्तीय विवरणियों में, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, शामिल ऐसी व्यवसाय गतिविधियों की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, निगरानी और प्रदर्शन के लिये हम उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल ऐसी गतिविधियों के लिये, जिनका लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों ने किया है, उनके निर्देशन, निगरानी और प्रदर्शन के लिये वे लेखा परीक्षक ही जिम्मेदार होते है, हम केवल अपने लेखापरीक्षा मत के लिये ही जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणियों में गलतबयानी का महत्व उसके पड़ सकने वाले प्रभाव से हैं जो व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर यह संभावना उत्पन्न करता है कि इससे समेकित वित्तीय विवरणियों के किसी जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक फैसले प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षण के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्यों के परिणामों के मूल्यांकन, और (ii) समेकित वित्तीय विवरणियों में किसी चिन्हित गलतबयानी के प्रभाव के मूल्यांकम के लिये मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित आंतरिक नियंत्रण में किसी त्रुटि सहित लेखांकन के नियोजित कार्यक्षेत्र और समय के बारे में तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्राप्तियों के बारे में उन लोगों से संपर्क करते हैं जिन्हें मूल कंपनी के प्रशासन का प्रभार सौंपा गया है।

हम प्रशासन प्रभारियों को ब्योरा भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित सभी नैतिक दायित्वों का पालन किया है और उन्हें संबंधों और अन्य मामलों की जानकारी उपलब्ध करायी है जो हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते थे और जहां व्यवहार्य हो संबंधित सुरक्षा उपायों पर भी।

प्रशासन प्रभारियों को संप्रे ित मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो मौजूदा समय की समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षा में अत्यधिक महत्व के थे और इस प्रकार मुख्य लेखा मामले हैं। हम अपने लेखांकन रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जबतक कि कानून या विनियम इनके सार्वजनिक स्पष्टीकरण पर रोक न लगाते हों, या जब अत्यधिक विरल परिस्थिति में हम निश्चित करते हों कि जनहित में यह मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं लिया जाना चाहिये।

अन्य मामले

1. हमने उन पांच सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणियो की लेखापरीक्षा नहीं किया है, जिनकी वित्तीय विवरणियां अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणियों के तहत 31 मार्च 2021 को कुल आस्तियां, और कुल निवल आस्तियां तथा उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिये कुल राजस्व, और निवल नकदी इनफ्लो/(आउट फ्लो) दर्शाती हैं।

(करोड़ रूपए में)

सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च 2021 को कुल आस्तियां	31मार्च 2021 को निवल आस्तियां	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये कुल राजस्व	निवल नकदी इनफ्लो/ (आउटफ्लो)
एनएचडीसी लिमिटेड	7989.03	5692.54	1348.42	210.81
लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन निगम लिमिटेड (एनडीएचसी लिमिटेड)	154.31	151.88	0.02	(0.06)
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	62.80	48.67	0.13	33.97
लैंको तीस्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	1050.23	1036.16	-	23.59
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	188.31	188.16	-	0.10
कुल	**9444.68**	**7117.41**	**1348.57**	**268.41**

2. समेकित इंड एएस समेकित विवरणियों में संयुक्त उपक्रम के संदर्भ में निवल लाभ का समूह भाग भी शामिल है, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय सहित उन वित्तीय विवरणियों में अंडरबेस्ड के रूप में जिनकी वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षण हमने नहीं किया है:

(करोड़ रूपए में)

कंपनी का नाम	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये निवल लाभ में समूह का हिस्सा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा	समूह का हिस्सा
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट (प्रा.) प्राईवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	(1.64)	-	(1.64)

3. ऊपर पैरा 1. और 2. में दी गयी वित्तीय विवरणिययां अन्य लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित हैं जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा सौंपी

गयी है और समेकित वित्तीय विवरणियों में हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उपक्रम के संदर्भ में शामिल राशि और स्पष्टीकरण से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्भर है।

4. समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय सहित संयुक्त उपक्रम के निवल लाभ का ग्रुप ोयर भी ामिल है, उन वित्तीय विवरणियों के आधार पर जिनका परीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है।

(करोड़ रूपए में)

कंपनी का नाम	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये निवल लाभ में समूह का हिस्सा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा	समूह का हिस्सा कुल
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राईवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएस)	(3.85)	-	(3.85)

यह वित्तीय जानकारी गैरलेखापरीक्षित है और प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गयी है और समेकित वित्तीय विवरणियों में हमारा मत, जहां तक वह उपर्युक्त शामिल राशि और स्पष्टीकरण से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखाकारों की रिपोर्ट पर निर्भर है। हमारे मत में और प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय सूचनाएं ग्रुप के लिये वास्तविक नहीं हैं।

5. एनएचडीसी लिमिटेड और बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड को छोड़कर उपर्युक्त घटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखा रिपोर्ट में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर प्रतिवेदित नहीं किया है।

6. चेनाब बैली पावर प्रोजेक्ट (प्रा.) लिमिटेड के मामले में "वित्तीय विवरणियों और उनपर लेखापरीक्षक रिपोर्ट से अतिरिक्त सूचनायें "लेखापरीक्षक रिपोर्ट में प्रतिवेदित नहीं की गयी हैं। इसके अभाव में हम इन मामलों को सभी कंपनियों के लिये शामिल करने में असमर्थ हैं।

7. कोरोना महामारी जारी रहने और संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी और राज्य सरकारों द्वारा लागू लॉकडाउन के कारण लेखापरीक्षा कार्य और प्रक्रियाएं लेखा बही/रिकॉर्ड्स तथा आवश्यक दस्तावेज/सूचनाएं हमें प्रबंधन द्वारा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करायी गयीं। इसलिये ई–फॉर्म में उपलब्ध संबंधित दस्तावेज और इसकी सहायक सामग्री की हमारे द्वारा प्राथमिक और मूल रूप में पुष्टि नहीं की जा सकी।

8. 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष की वित्तीय विवरणियां कंपनी के तत्कालीन संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित की गयी हैं। इनमें से एक पूर्ववर्ती लेखा कंपनी थी जिसने 27 जून 2020 की रिपोर्ट द्वारा अपना अपरिवर्तित मत व्यक्त किया है। इन वित्तीय विवरणियों के उद्देश्य से शामिल आंकड़ों और अन्य सूचनाओं पर भरोसा किया गया।

सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम की वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा किये गये कार्य और सौंपी गयी रिपोर्ट पर हमारे भरोसे और अन्य मामले के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणियों में हमारा मत, जो कि उपरोक्त पैरा 1 से 8 में दिया गया है, परिवर्तित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 3 की अपेक्षानुसार, पृथक वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा संयुक्त उपक्रमों की अन्य वित्तीय सूचना पर विचार करते हुए और हमारे अपने लेखांकन के आधार पर, जैसा कि उपर के पैराग्राफ "अन्य मामले" में उल्लिखित है, हम व्यवहार्य सीमा तक प्रतिवेदित करते हैं, कि:

क. उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य से हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर आवश्यक समझी गयी वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए।

ख. हमारे मत में समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित और विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बही रखी गयीं, जैसा कि इन लेखा बही और अन्य लेखाकारों की रिपोर्ट के परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग. इस रिपोर्ट में परीक्षित समेकित तुलन पत्रक, समेकित लाभ–हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरणी और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों की तैयारी के उद्देश्य से प्रबंधित लेखा बही के अनुरूप हैं;

घ. हमारे मत में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणियां अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप हैं;

ङ. कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

च. समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में "अनुलग्नक ए" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें, जोकि उस होल्डिंग कंपनी, सबसिडयरी, और संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय रिपोर्ट पर आधारित है जिनका लेखापरीक्षा किया गया है। हमारी रिपोर्ट ग्रुप और इसके संयुक्त उपक्रमों की उपयुक्तता और संचालन प्रभावकारिता पर अपरिवर्तित मत व्यक्त करती है; और

छ. कंपनी विनियम (लेखा और लेखापरीक्षक) 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार है :

i. समेकित वित्तीय विवरण ग्रुप और इसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय स्थिति के बारे में लंबित याचिकाओं के प्रभाव को स्पष्ट करता है – समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 2 देखें।

ii. ग्रुप और इसके संयुक्त उपक्रम को डेरिवेटिव अनुबंध सहित दीर्घावधि के अनुबंधों में कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। इसलिये इस संदर्भ में प्रावधान करने की जरूरत ग्रुप और इसके संयुक्त उपक्रमों के लिये व्यवहार्य नहीं है।

iii. समूह और उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण को ा में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv. कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

कृते अरोड़ा वोहरा एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म की आईसीएआई पंजीकरण संख्या–009487एन	कृते के जी सोमानी एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म की आईसीएआई पंजीकरण संख्या–006591एन	कृते लोधा एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म की आईसीएआई पंजीकरण संख्या–301051ई
सीए नरेन्द्र मलिक पार्टनर सदस्य संख्या 097008 यूडीआईएन : 21097008एएएएबीजेड4552 स्थान– लुधियाना तिथि–10 जून 2021	सीए भुवनेश माहेश्वरी पार्टनर सदस्य संख्या 088155 यूडीआईएनः 21088155एएएएएडबल्यू3635 नयी दिल्ली तिथि–10 जून 2021	सीए आर पी सिंह पार्टनर सदस्य संख्या 052438 यूडीआईएनः21052438एएएएबीएम्स8635 कोलकाता तिथि–10 जून 2021

अनुबंध "क"

("अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं संबंधी" हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुच्छेद (च) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को, और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ, हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (जिसे यहां बाद में ''होल्डिंग कंपनी'' कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों, जो उक्त तिथि तक भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां और उसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, से संबंधित निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में तय किए गए आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी ने ये मानदंड इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए तैयार किए हैं। इन जिम्मेदारियों में ऐसे उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उन्हें लागू करना और उनका रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने, इसके लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करने सहित, इसका व्यवस्थित और कुशल कार्य–व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का स्वामित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा के बारे में आईसीएआई द्वारा जारी गाइडेंस नोट और आईसीएआई द्वारा जारी एवं अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे गए उन लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा–परीक्षा की है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा की सीमा तक प्रयोज्य हैं और आईसीएआई द्वारा जारी ये दोनों मानदंड आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर लागू होते हैं। उन मानकों और गाइडेंस नोट के तहत यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और अपनी लेखा–परीक्षा की योजना इस तरह से बनाए और उस पर अमल करें जिससे इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए है।

हमारी लेखापरीक्षा में ऐसी निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनसे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में इन नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के संदर्भ में जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। प्रक्रियाओं का चयन, वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई महत्वपूर्ण गलत बयानी सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा के दौरान, हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए और अन्य लेखापरीक्षकों को उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनका उल्लेख नीचे अन्य मामलों से संबद्ध पैरा में किया गया है, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। ।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) सहित आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं। और (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाने या उनकी रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों से ऊपर मिलीभगत या उसके द्वारा अधिकारों का अनुचित इस्तेमाल शामिल है, और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वापूर्ण गलत बयानी हो सकती है और यह संभव है कि उसका पता न चल सके। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियां या प्रक्रियाओं के संदर्भ में अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

हमारी राय

हमारी राय में, हमें प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियां और इसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी में महत्वपूर्ण संदर्भों में, समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में तय किए गए आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने संबंधी ये मानदंड 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जो कंपनी ने आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए तैयार किए गए थे।

अन्य मामले

i. कोविड–19 महामारी और हाल ही में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, लेखा–बहियों/अभिलेखों और अन्य आवश्यक दस्तावेज/सूचनाओं तक दूरस्थ पहुंच के माध्यम से लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और विधियों को अंजाम दिया गया, जो हमें प्रबंधन द्वारा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई गईं थीं । तदनुसार, प्रासंगिक दस्तावेज और समर्थक साक्ष्य ई–फॉर्म में उपलब्ध थे, परन्तु हमारे द्वारा उन्हें प्राथमिक और मूल रूप में सत्यापित नहीं किया जा सका।

ii. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह पांच सहायक कंपनियों से संबंधित है, भारत में निगमित उन कंपनियों की लेखा–परीक्षा रिपोर्टों पर आधारित है।

iii. संयुक्त उद्यम चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड के मामले में, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू नहीं है, जबकि एक अन्य संयुक्त उद्यम, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं हुई है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उक्त रिपोर्ट जहां तक यह भारत में निगमित दो संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी या तो लेखा–परीक्षित नहीं है या फिर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्टिंग उन पर लागू नहीं होती है। समूह के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय, जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है, प्रभावित नहीं होती है क्योंकि ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

निष्पादित कार्य और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण और अन्य मामलों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता, जैसा कि ऊपर पैरा i से iii में कहा गया है, के संदर्भ में, समेकित वित्तीय विवरण के बारे में हमारी राय संशोधित नहीं है।

कृते अरोड़ा वोहरा एंड कंपनी	कृते के जी सोमानी एंड कंपनी	कृते लोधा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म की आईसीएआई पंजीकरण	फर्म की आईसीएआई पंजीकरण	फर्म की आईसीएआई पंजीकरण
संख्या–009487एन	संख्या–006591एन	संख्या–301051ई
सीए नरेन्द्र मलिक	सीए भुवनेश माहेश्वरी	सीए आर पी सिंह
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
सदस्य संख्या 097008	सदस्य संख्या 088155	सदस्य संख्या 052438
यूडीआईएन 21097008एएएएबीजेड4552	यूडीआईएनः 21088155एएएएएडबल्यू3635	यूडीआईएन:21052438एएएएबीएम्स8635
स्थान– लुधियाना	नयी दिल्ली	कोलकाता
तिथि–10 जून 2021	तिथि–10 जून 2021	तिथि–10 जून 2021

31 मार्च 2021 के अनुसार समेकित तुलनपत्र

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को
परिसंपत्तियां					
(1)	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां**				
क)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.1	19,327.24	21,630.33	23,116.24
ख)	पूंजी कार्य प्रगति पर	2.2	19,067.91	17,180.41	15,036.80
ग)	उपयोग का अधिकार संबंधी परिसंपत्तियां	2.3	2,647.01	2,766.31	-
घ)	निवेश संपत्ति	2.4	4.49	4.49	4.49
ङ)	अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	3.52	0.72	1,855.90
च)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2.6	0.17	-	
छ)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए हिसाब में लिए गए निवेश	2.6.1	1,326.89	933.53	792.65
ज)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
	i) निवेश	3.1	515.35	464.13	490.20
	ii) ऋण	3.2	969.30	820.81	770.08
	iii) अन्य	3.3	8,958.18	7,567.27	7,515.05
झ)	गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	10.07	153.29	145.87
ञ)	अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	3,593.28	3,049.20	2,041.60
	कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		**56,423.41**	**54,570.49**	**51,768.88**
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**				
क)	माल सूची	6	133.69	126.62	125.18
ख)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
	i) व्यापार प्राप्य	7	3,409.88	3,583.22	2,541.31
	ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8	447.27	42.17	25.04
	iii) नकदी और नकदी समतुल्य को छोड़कर बैंक शेष	9	1,809.55	1,651.10	2,220.21
	iv) ऋण	10	52.87	51.01	48.81
	v) अन्य	11	2,940.95	3,535.17	2,539.79
ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	188.32	175.11	152.04
घ)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	387.18	397.01	325.05
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**9,369.71**	**9,561.41**	**7,977.43**
(3)	विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष	14	7,363.93	7,136.85	6,979.14
	कुल परिसंपत्तियां और नियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष		**73,157.05**	**71,268.75**	**66,725.45**
इक्विटी और देयताएं					
(1)	**इक्विटी**				
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,045.03	10,045.03
(ख)	अन्य इक्विटी	15.2	23,045.26	21,335.89	20,752.78
	कम्पनी के मालिकों से सम्बद्ध कुल इक्विटी		**33,090.29**	**31,380.92**	**30,797.81**
(ग)	गैर–नियंत्रक ब्याज	15.3	2,828.40	2,773.76	2,868.47
	कुल इक्विटी		**35,918.69**	**34,154.68**	**33,666.28**

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को
(2)	**देयताएं**				
	गैर–वर्तमान देयताएं				
क)	**वित्तीय देयताएं**				
	i) ऋण	16.1	21,243.27	20,891.80	17,044.63
	ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	2,055.25	2,060.29	2,059.44
ख)	प्रावधान	17	29.69	55.56	46.94
ग)	स्थगित कर देयताएं (निवल)	18	3,852.00	3,859.22	4,720.68
घ)	अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	19	3,097.28	3,199.47	2,986.06
	कुल गैर–वर्तमान देयताएं		**30,277.49**	**30,066.34**	**26,857.75**
(3)	**वर्तमान देयताएं**				
क)	**वित्तीय देयताएं**				
	i) ऋण	20.1	726.03	714.31	416.00
	ii) व्यापार प्राप्य	20.2			
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		36.19	22.96	19.38
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		177.19	293.70	176.89
	iii) अन्य वित्तीय देयताए	20.3	2,973.47	2,923.46	2,897.06
ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	21	681.70	902.44	1,157.70
ग)	प्रावधान	22	1,573.61	1,442.94	1,534.39
घ)	गैर–कर देयताएं (निवल)	23	35.02	-	-
	कुल वर्तमान देयताएं		**6,203.21**	**6,299.81**	**6,201.42**
(4)	विनियामक आस्थगित लेखा जमा शेष	14.2	757.66	747.92	
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		**73,157.05**	**71,268.75**	**66,725.45**
	समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों को देखें	1-35			
	ऊपर वर्णित आंकड़े 31 मार्च 2020 और 1 अप्रैल 2019 के अनुसार पुनः वर्णित किए गए हैं। (टिप्पणी संख्या 35)				

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08645380	डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.जी.सोमानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 006591एन
(सीए भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी		**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट		चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 09487एन		एफआरएन : 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)		**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार		साझेदार
सदस्यता सं. 097008		सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 10 जून, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
आय				
i)	प्रचालन से राजस्व	24.1	9,647.89	10,007.81
ii)	अन्य आय	24.2	1,057.15	768.83
	कुल आय		**10,705.04**	**10,776.64**
व्यय				
i)	बिजली की खरीद–ट्रेडिंग	25.1	212.37	234.13
ii)	उत्पादन व्यय	25.2	857.55	904.33
iii)	कर्मचारी हित लाभ व्यय	26	1,540.40	1,676.09
iv)	वित्तीय लागत	27	649.95	795.98
v)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	1,298.30	1,614.04
vi)	आय व्यय	29	1,690.22	1,699.39
	कुल व्यय		**6,248.79**	**6,923.96**
असाधारण मदें, नियामक आस्थगित लेखा शेष और कर उपरांत लाभ			**4,456.25**	**3,852.68**
	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए हिसाब में ली गई संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ की हिस्सेदारी	2.6.2	(5.49)	3.04
	असाधारण मदें	34 (32)	185.00	-
दर विनियमित गतिविधियां और कर व्यय से पूर्व लाभ			**4,265.76**	**3,855.72**
	कर व्यय	30.1		
i)	वर्तमान कर		925.87	897.74
ii)	स्थगित कर		(24.89)	(977.14)
	कुल कर व्यय		**900.98**	**(79.40)**
नियामक डेफरल लेख शेष में निवल परिवर्तन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ			**3,364.78**	**3,935.12**
	नियामक डेफरल लेखा शेष में परिवर्तन (कर का निवल)	31	217.35	(590.21)
वर्ष के लिए लाभ (क)			**3,582.13**	**3,344.91**
	अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
	(i) मदें, जो लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगी			
	(क) मदें जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)		(40.08)	36.29
	घटाएं :– परिभाषित लाभ दायित्वों पर कर के संदर्भ में नियामक डेफरल लेखाशेष में परिवर्तन		2.75	8.80
	इक्विटी पद्धति इस्तेमाल करने के लिए हिसाब में लिया गया संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा	2.6.3	-	(0.01)
	उप–जोड़ (क)		**(42.83)**	**27.48**
	(ख) इक्विटी विलेख में निवेश		47.13	(42.09)
	उप जोड़ (ख)		**47.13**	**(42.09)**
	कुल (i)=(क)(ख)		**4.30**	**(14.61)**

विवरण	टिप्पणी सं	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii) मदें, जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
- ऋण विलेख में निवेश		3.23	12.10
कुल (ii)		**3.23**	**12.10**
अन्य व्यापक आय (ख)=(i+ii)		**7.53**	**(2.51)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ख)		**3,589.66**	**3,342.40**
(वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल)			
निम्नांकित से संबद्ध लाभ :			
मालिकों		3,257.00	2,884.92
गैर–नियंत्रक ब्याज हित		325.13	459.99
		3,582.13	**3,344.91**
निम्नांकित से सम्बद्थ अन्य व्यापक आय :			
मालिकों		7.37	(1.59)
गैर–नियंत्रक ब्याज		0.16	(0.92)
		7.53	**(2.51)**
निम्नांकित से संबंध अन्य कुल आय :			
मालिकों		3,264.37	2,883.33
गैर–नियंत्रक ब्याज हित		325.29	459.07
		3,589.66	**3,342.40**
निम्नांकित मदों से मालिकों को होने वाली कुल व्यापक आय :			
सतत प्रचालन		3,264.37	2,883.33
बंद किए गए प्रचालन		-	-
		3,264.37	**2,883.33**
"प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत)	34(14)		
(10/– रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर)"			
नियामक डेफरल लेखाशेषों में परिवर्तन से पहले		3.03	3.46
नियामक डेफरल लेखाशेषों में परिवर्तन के बाद		3.24	2.87
समेकित वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध टिप्पणियां	1-35		

ऊपर वर्णित आंकड़े 31 मार्च 2020 को पुनः वर्णित किए गए हैं। (टिप्पणी संख्या 35)

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08645380	डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते के.जी.सोमानी एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट**	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	एफआरएन : 006591एन	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 09487एन		एफआरएन : 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए भुवनेश महेश्वरी)**	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 10 जून, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए
वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष के लिए कर–पूर्व लाभ		4,483.11		3,265.51
	घटाएं : नियामक आस्थगित लेखा शेष में परिवर्तन		217.35		(590.21)
	कर–पूर्व लाभ		**4,265.76**		**3,855.72**
	जोड़ें :				
	मूल्यह्रास और परिशोधन	1,298.30		1,614.04	
	वित्त लागत	649.95		795.98	
	प्रावधान (निवल)	285.22		156.59	
	शुल्क समायोजन (हानि)	58.37		27.79	
	विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन	50.03		42.94	
	परिसंपत्तियों/दावे बट्टे खाते की बिक्री पर हानि (लाभ)	9.07		4.48	
			2,350.94		2,641.82
			6,616.70		**6,497.54**
	घटाएं :				
	मूल्यह्रास पश्चलिखित के प्रति अग्रिम	52.73		48.38	
	प्रावधान (निवल लाभ)	21.82		5.22	
	लाभांश आय	9.00		4.80	
	विलम्ब भुगतान अभिभार सहित ब्याज आय	804.26		566.55	
	विनिमय दर अंतर	34.21		(50.15)	
	अन्य समायोजन	(1.00)		(2.61)	
	उचित मूल्य समायोजन	(1.05)		(2.04)	
	सरकारी अनुदानों का परिशोधन	96.04		98.46	
	संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा (इक्विटी पद्धति का करते हेतु लेखांकित)	(5.49)		3.04	
			1,010.52		671.65
	प्रचालन आस्तियों और देयताओं के समायोजन से पहले प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**5,606.18**		**5,825.89**
	प्रचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन				
	माल सूची	(7.16)		(1.69)	
	व्यापार प्राप्य	961.50		(1,719.22)	
	अन्य वित्तीय आस्तियां, ऋण और अग्रिम	(651.83)		(83.39)	
	अन्य वित्तीय देयताएं और प्रावधान	(110.58)		(184.39)	
			191.93		(1,988.69)
	प्रचालन गतिविधियों से कर पूर्व नकदी प्रवाह		**5,798.11**		**3,837.20**
	घटाएं :		725.31		844.67
	भुगतान किया गया कर प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी (क)		**5,072.80**		**2,992.53**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य गोचर आस्तियों की खरीद और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष के लिए पूंजी कार्य प्रगति के हिस्से के रूप में निर्माण से संबंधित व्यय सहित) – **अनुदान का निवल**		(1,981.96)		(3,631.74)
	आस्तियों की बिक्री		0.25		0.52
	निवेश/बांड्स/बैंक जमा राशि के लिए वसूली/(भुगतान)		80.19		253.35

		31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	संयुक्त उद्यम में निवेश (बकाया शेयर आवेदन राशि सहित)	(500.00)	(140.45)
	निवेश की बिक्री से प्राप्तियां	0.40	-
	लाभांश आय	9.00	4.80
	विलम्ब भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय	861.96	526.46
	निवेश गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)	**(1,530.16)**	**(2,987.06)**
ग	**वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	गैर–नियंत्रण ब्याज से इक्विटी प्राप्तियां	-	2.50
	लाभांश और अदा किए गए लाभांश पर कर (गैर–नियंत्रित ब्याज सहित)	(1,848.80)	(2,897.44)
	उधारी से प्राप्तियां	2,327.03	6,015.71
	उधारी की अदायगी	(2,115.98)	(1,773.05)
	ब्याज और वित्त प्रभार	(1,495.92)	(1,332.61)
	लीज देयता का पुनर्भुगतान	(3.87)	(3.45)
	वित्तीय गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(3,137.54)**	**11.66**
घ	**नकदी और नकदी समतुल्य में निवल बढोतरी/(कमी) (क+ख+ग)**	**405.10**	**17.13**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	42.17	25.04
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	447.27	42.17

* उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण इंड एएस–7 ''नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित परोक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।''

** 31.3.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपरोक्त आंकड़े पुनः वर्णित किए गए हैं। (टिप्पणी संख्या 35 देखें)

समेकित नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1 नकदी और नकदी समतुल्य के अंतर्गत हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट और तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली अल्पावधि जमा राशि सहित बैंक शेष शामिल हैं। नकदी और नकदी समतुल्यों का ब्यौरा नीचे दिए गया है:

(करोड़ रुपए में)

बैंकों के साथ शेष	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूचित बैंकों के साथ		
–चालू खाते में	231.31	41.11
–जमा खाते में	215.95	1.05
(तीन महीने के कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियां)		
हस्तगत नकदी	**0.01**	**0.01**
नकदी और नकदी समतुल्य	**447.27**	**42.17**

2 वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह में ब्याज और वित्त प्रभारो के अंतर्गत वर्ष के दौरान निर्माण (ईएसी) से संबंधित मद में पूंजीकृत उधारी लागत रुपए 840.53 करोड (पिछले वर्ष रुपए 462.90 करोड़) शामिल हैं।

3 31.03.2021 को आहरित न की गई राशि : 475.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 925.00 करोड़ रुपए)

4 कम्पनी ने 31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मद में 95.99 करोड रुपए (पिछले वर्ष रुपए 147.54 करोड़ रुपए) खर्च किए है।

5 **निवल ऋण समाशोधन**

(करोड़ रुपए में)

	31/03/2021	31/03/2020
नकदी और नकदी समतुल्य	447.27	42.17
वर्तमान उधारी	(726.03)	(714.31)
गैर–वर्तमान उधारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	(23284.82)	(23138.70)
लीज देयता	(15.10)	(16.35)
निवल ऋण	**(23578.68)**	**(23827.19)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अन्य आस्तियां	वित्तीय गतिविधियों से देयताएं			कुल
	नकदी और नकदी समतुल्य	गैर वर्तमान उधारी (प्रोदभूत (ब्याज सहित)	लीज देयता	वर्तमान उधारी	
31 मार्च 2019 को निवल ऋण	**25.04**	**(19,234.76)**	**-**	**(416.01)**	**(19,625.73)**
इंड एएस 116 के अंतर्गत 1.4.2019 को मान्यता प्राप्त लीज	-	-	(17.46)	-	(17.46)
नकदी प्रवाह	17.13	(3,944.34)	3.45	(298.31)	(4,222.07)
लीज देयता	-	-	(2.42)	-	(2.42)
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	(120.23)	-	-	(120.23)
ब्याज व्यय	-	(1,320.31)	(1.31)	(15.96)	(1,337.58)
अदा किया गया ब्याज	-	1,262.20	1.25	15.97	1,279.42
उचित मूल्य समायोजन	-	218.74	0.14	-	218.88
31 मार्च 2020 को निवल ऋण	**42.17**	**(23,138.70)**	**(16.35)**	**(714.31)**	**(23,827.19)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अन्य आस्तियां	वित्तीय गतिविधियों से देयताएं			कुल
	नकदी और नकदी समतुल्य	गैर वर्तमान उधारी (प्रोदभूत (ब्याज सहित)	लीज देयता	वर्तमान उधारी	
31 मार्च 2020 को निवल ऋण	**42.17**	**(23,138.70)**	**(16.35)**	**(714.31)**	**(23,827.19)**
नकदी प्रवाह	405.10	(199.17)	4.24	(11.72)	198.45
लीज देयता	-	-	(3.57)	-	(3.57)
विदेशी मुद्रा समायोजन	-	49.71	-	-	49.71
ब्याज व्यय	-	(1,448.92)	(1.13)	(2.13)	(1,452.18)
अदा किया गया ब्याज	-	1,431.30	1.13	2.13	1,434.56
उचित मूल्य समायोजन	-	20.96	0.58	-	21.54
31 मार्च 2021 को निवल ऋण	**447.27**	**(23,284.82)**	**(15.10)**	**(726.03)**	**(23,578.68)**

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

सौरभ चक्रवर्ती
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 09487एन
(सीए नरेन्द्र मलिक)
साझेदार
सदस्यता सं. 097008

कृते के.जी.सोमानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 006591एन
(सीए भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

कृते लोढ़ा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 301051ई
(सीए आर. पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 10 जून, 2021

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल 2020 को	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च 2021 को	15.1	10,045.03

ख अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	आरक्षी और अधिशेष						अन्य व्यापक आय		कुल	अनियंत्रित ब्याज (एनसीएल)	एनसीआई के बाद कुल
	पूंजी आरक्षी	पूंजी मोचन आरक्षी	बांड मोचन आरक्षी	कोर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि	सामान्य आरक्षी	अधिशेष/ पुनर्धारित आय	ओसीआई के जरिए ऋण विलेख	ओसीआई के जरिए इक्विटी विलेश			
1 अप्रैल 2020 को शेष	40.93	2,255.71	1,948.38	3.61	11,544.83	5,466.04	42.18	34.21	21,335.89	2,773.76	24,109.65
वर्ष के लिए लाभ						3,257.00			3,257.00	325.13	3,582.13
अन्य व्यापक आय						(42.99)	3.23	47.13	7.37	0.16	7.53
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	3,214.01	3.23	47.13	3,264.37	325.29	3,589.66
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर									-		-
व्यापार अधिग्रहण संबंधी पूंजी आरक्षी (टिप्पणी 34 (32) देखें)	23.15								23.15		23.15
धारित आय से अंतरण											
अनियंत्रित ब्याज के साथ लेनदेन						0.69			0.69	(0.69)	-
बांड विमोचन आरक्षी से अधिशेष/धारित आय को अंतरित राशि			(306.43)			306.43			-		-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि से अंतरित राशि				(3.61)		1.84			(1.77)	1.77	-
अदा किया गया लाभांश						(1,577.07)			(1,577.07)	(271.73)	(1,848.80)
31 मार्च 2021 को शेष	**64.08**	**2,255.71**	**1,641.95**	**-**	**11,544.83**	**7,411.94**	**45.41**	**81.34**	**23,045.26**	**2,828.40**	**25,873.66**

आरक्षी के स्वरूप और प्रयोजन के लिए टिप्पणी संख्या 15.2.1 देखें

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

सौरव चक्रवर्ती
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

इसी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 009487एन
(सीए नरेन्द्र मलिक)
साझेदार
सदस्यता सं. 097008

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 006591एन
(सीए भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

कृते लोढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 301051ई
(सीए आर.पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 10 जून, 2021

31 मार्च 2020 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल 2019 को	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च 2020 को	15.1	10,045.03

ख अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	आरक्षी और अधिशेष						अन्य व्यापक आय		कुल	अनियंत्रित ब्याज (एनसीएल)	एनसीआई के बाद कुल
	पूंजी आरक्षी	पूंजी मोचन आरक्षी	बांड मोचन आरक्षी	कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि	सामान्य आरक्षी	अधिशेष/ पुनर्धारित आय	ओसीआई के जरिए ऋण विलेख	ओसीआई के जरिए इक्विटी विलेख			
1 अप्रैल 2019 को शेष	-	2,255.71	2,193.35	11.38	11,417.14	4,768.82	30.08	76.30	20,752.78	2,868.47	23,621.25
वर्ष के लिए लाभ						2,884.92			2,884.92	459.99	3,344.91
अन्य व्यापक आय						28.40	12.10	(42.09)	(1.59)	(0.92)	(2.51)
आय वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	2,913.32	12.10	-42.09	2,883.33	459.07	3,342.40
वर्ष के दौरान कुल व्यापक									-	2.50	2.50
व्यापार अधिग्रहण संबंधी पूंजी आरक्षी (टिप्पणी 34 (32) देखें)	40.93								40.93		40.93
धारित आय से अंतरण									-		-
अनियंत्रित ब्याज के साथ लेनदेन						(0.16)			(0.16)	0.16	-
सीएसआर आरक्षी को अंतरित				0.22		(0.11)			0.11	(0.11)	0.00
धारित आय को अंतरित									-		-
बांड विमोचन आरक्षी से अंतरित राशि			(244.97)			244.97			-		-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि से अंतरित राशि				(7.99)		4.08			(3.91)	3.91	-
सामान्य आरक्षी से/(को) अंतरित राशि					-	(127.69)			(127.69)		(127.69)
धारित आय से अंतरित					127.69				127.69		127.69
लाभांश						(1,938.69)			(1,938.69)	(464.72)	(2,403.41)
लाभांश पर कर						(398.50)			(398.50)	(95.52)	(494.02)
31 मार्च 2020 को शेष	**40.93**	**2,255.71**	**1,948.38**	**3.61**	**11,544.83**	**5,466.04**	**42.18**	**34.21**	**21,335.89**	**2,773.76**	**24,109.65**

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

सौरव चक्रवर्ती
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

इसी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 009487एन

(सीए नरेन्द्र मलिक)
साझेदार
सदस्यता सं. 097008

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 006591एन

(सीए भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

कृते लोढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 301051ई

(सीए आर.पी. सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 052438

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः 10 जून, 2021

टिप्पणी सं. 1: समूह सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(I) रिपोर्टिंग कम्पनी

एनएचपीसी लिमिटेड (''कंपनी'') भारत में अधिवासित और शेयरों द्वारा सीमित कंपनी है। कंपनी के शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (बीएसई) पर सूचीबद्ध हैं और इनका कारोबार होता है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा– 121003 है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उद्यमों में समूह का हित शामिल है। यह समूह मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन एवं विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के साथ थोक बिजली की बिक्री में शामिल है। अन्य व्यवसाय जिसमें कंपनी शामिल है, उनमें परियोजना प्रबंधन/ निर्माण अनुबंध परामर्श सेवा प्रदान करना और विद्युत का व्यापार है।

(II) तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन की संग्रहण प्रणाली और भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुपालन के आधार पर और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान और विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू प्रावधान के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 10 जून, 2021 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ख) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना संपत्ति।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा टिप्पिणी संख्यां 33 में की गई है।

ऐतिहासिक लागत में नकदी या नकदी समतुल्य समकक्षों की राशि है या उनके अधिग्रहण के समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकदी या नकदी समतुल्य की क्षतिपूर्ति की राशि व्यापार की सामान्य स्थिति में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

ग) नए और संशोधित मानकों को लागू करना

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2020 को अधिसूचित किया है, जो मौजूदा भारतीय लेखा मानकों में कुछ संशोधन लाए है। इन संशोधनों का प्रभाव नीचे दिए अनुसार प्रकट किया जाता है:

(i) इंड एएस 1– वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति: कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2020 ने इंड एएस 1 के तहत ''भौतिकता'' की परिभाषा में संशोधन किया है। परिणामी संशोधन इंड एएस 8– लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमान और त्रुटियां में परिवर्तन, इंड एएस 10– रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं, इंड एएस 34– अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग और इंड एएस 37– प्रावधान, आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक संपत्तियों में भी किए गए है। फिर भी, वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) इंड एएस 116– पट्टे: कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2020 पट्टेदारों को एक व्यावहारिक साधन के रूप में अनुमति देता है, यह आकलन करने के लिए नहीं कि कोविड–19 महामारी के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में क्या किराया रियायतें दी गई हैं और निर्दिष्ट शर्तों को पूरा की गई हैं, बल्कि यह पट्टा संशोधन हैं और इसके बजाय, उन किराया रियायतों का हिसाब देना जैसे कि वे पट्टा संशोधन नहीं थे। हालांकि, वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) इंड एएस 103–व्यापार समायोजन: कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2020 ने ''व्यापार'' की परिभाषा में संशोधन किया है जिससे ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा, एक व्यापार के रूप में माने जाने के लिए, गतिविधियों और परिसंपत्तियों के एक एकीकृत सेट में कम से कम, एक निवेश

और एक वास्तविक प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए जो एक साथ उत्पाद बनाने की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तथापि, वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iv) अन्य मानकों में संशोधन/पुनरीक्षण या तो लागू नहीं होते हैं या वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालते हैं।

घ) कार्यात्माक और प्रस्तुतिकरण संबंधी मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां इंगित किया गया हो।

ङ) समेकन का आधार

क) सहायक कंपनियां

i) सहायक कम्पनी ऐसी इकाई है जिस पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संगठन को उस समय नियंत्रित करता है जब उसका कामकाज उसके समक्ष उजागर होता है, या उस पर समूह का अधिकार होता है और संगठन की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उसके रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनियों को उस तारीख से पूरी तरह से समेकित कर दिया जाता है जिस दिन से समूह को नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है। इस तरह के नियंत्रण समाप्त होने की तारीख से वे विघटित हो जाती हैं।

ii) समूह संपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय की वस्तुओं को एक साथ जोड़कर, मूल समूह और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन दर लाइन आधार पर जोड़ता है। प्रत्येक सहायक कम्पनी में मूल समूह के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कम्पनी की इक्विटी के मूल समूह के हिस्से को समाप्त कर दिया जाता है। समूह कंपनियों के बीच लेन–देन पर अंतर–कंपनी लेनदेन, शेष राशि और अप्राप्त लाभ समाप्त हो जाते हैं। समूह की कंपनियों के बीच लेन–देन पर अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है, जब तक कि लेन–देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। सहायक कंपनियों की लेखा नीतियां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

iii) गैर–नियंत्रित हितों को अधिग्रहण की तिथि पर अधिग्रहीत की शुद्ध पहचान योग्य संपत्ति के उनके आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। परिणाम और सहायक कंपनियों की इक्विटी में गैर–नियंत्रित हितों को समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण में अलग से दिखाया गया है।

iv) किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है, को इक्विटी लेनदेन के रूप में माना जाता है।

v) यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर–नियंत्रित हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी अंतरण के अंतर को अमान्य कर देता है। पूर्व सहायक कंपनी में रखे गए किसी भी ब्याज को नियंत्रण खो जाने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि होती है।

ख) संयुक्त उपक्रम

i) संयुक्त उपक्रम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति का अधिकार होता है। संयुक्त उपक्रमों में हितों को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिया जाता है।

ii) लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशक की शुद्ध संपत्ति को समूह के हिस्से में अधिग्रहण के बाद परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है। अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि में समूह का हिस्सा और निवेशक की अन्य व्यापक आय को समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल किया गया है। संयुक्त उपक्रमों से प्राप्त या प्राप्त होने वाले लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

iii) जब कोई संयुक्त उपक्रम में समूह के हिस्से की हानि किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य सहित संगठन में अपने निवेश के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि संयुक्त उपक्रम की ओर से किए गए दायित्वों को पूरा नहीं किया या भुगतान नहीं किया गया है।

iv) समूह और उसके संयुक्त उपक्रमों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभ को इन संगठनों में समूह के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है। समूह और उसके संयुक्त उपक्रमों के बीच लेन–देन पर अप्राप्त हानियों को भी इन संगठनों में समूह के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन–देन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं किया जाता है। जहां संयुक्त उपक्रमों की लेखा नीतियां, समूह की नीतियों से भिन्न होती हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और घटनाओं के लिए उपयुक्त समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त उपक्रम में कम हिस्सेदारी पर कमजोर पड़ने पर कोई लाभ या हानि हो, लेकिन फिर भी संयुक्त नियंत्रण बनाए रखना, को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

vi) जब कोई संयुक्त उपक्रम में निवेश नहीं रह जाता है और प्रतिधारित ब्याज एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो समूह लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त अग्रणीत राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर प्रतिधारित ब्याज को मापता है। प्रतिधारित ब्याज का उचित मूल्य वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रतिधारित ब्याज के लिए लेखांकन के उद्देश्य से प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

च) अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड–एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आंकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों को लागू करने और संपत्ति, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख पर शामिल हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आध ाारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, को निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है:

महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान

क) पट्टे

समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था इंड–एएस 116, की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने के योग्य है। कोई भी अनुबंध पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो कोई भी संगठन यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के दौरान, ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हों :

क) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार तथा

ख) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार।

किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, ग्राहक को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना आवश्यक है। ग्राहक को उपयोग की अवधि के दौरान किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है, यदि ग्राहक को यह निर्देशित करने का अधिकार है कि उपयोग की अवधि के दौरान संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है।

समूह पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण निर्णय का भी उपयोग करता है।

समूह पट्टे की अवधि को पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि के रूप में पट्टा मद को निर्धारित करता है, यह दोनों अवधि को एक साथ यदि समूह उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है, तो पट्टे का विस्तार करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि, यदि समूह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, निर्धारित करता है। यह आकलन करने में कि क्या समूह पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो यह उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो समूह के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का निर्माण करते है। इसमें पट्टे की अवधि का विस्तार करने का विकल्प का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं करना है। पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो समूह पट्टे की अवधि को संशोधित करता है।

छूट की दर आम तौर पर मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे के लिए या समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

समूह लाभार्थियों के साथ बिजली खरीद समझौते करता है। एक एकल लाभार्थी के साथ अंतर्निहित पट्टे की प्रकृति में बिजली खरीद समझौते (पीपीए) जहां न्यूनतम पट्टा अवधि पावर स्टेशन के आर्थिक जीवन के बड़े हिस्से के लिए है और न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि को वित्त पट्टे के रूप में पावर स्टेशन के सभी उचित मूल्य पर विचार किया जाता है। अन्य अंतर्निहित पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति में अंतर्निहित पट्टों के लिए, पावर स्टेशन में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी गई है। न्यूनतम पट्टे के भुगतान की पहचान शेष अनुबंध राशियों से अंतर्निहित पट्टों के भुगतानों को अलग करके की जाती है। प्रत्येक पट्टे की रसीद को प्राप्य और वित्त पट्टे की आय के बीच आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य पट्टे के बकाया पर रिटर्न की निरंतर दर प्राप्त हो सके।

परिचालन पट्टा या अंतर्निहित परिचालन पट्टे के मामले में, परिचालन पट्टे से पट्टे की आय को पट्टे की अवधि के दौरान संरेखन रेखा के आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल किया गया है।

ख) परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां

परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पुराने पड़ जाने का असर, मांग, प्रतिस्पर्द्धा, और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति की स्थिरता) तथा आस्ति से भविष्य में अनुमानित नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिये आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग में लायी जाने वाली आस्तियों का उपयोगी जीवन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) शुल्क विनियमों से निर्धारित होता है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के भाग बी में उल्लिखित है, सिवाय निर्माण संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर तथा कंप्यूटर से जुड़ी चीजों के, जिनका निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार है और मोबाईल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार होता है।

ग) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि अनुमानों और आकलनों पर आधारित होती है, विशेष रूप से बाजार का अनुमानित स्वरूप और बिजली संयंत्रो से जुड़ा भविष्य का नकदी प्रवाह। इन अनुमानों में किसी भी बदलाव का, वापस मिल सकने योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है जो क्षति में बदल सकता है।

घ) सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

कर्मचारियो के लिये लाभ देयताओं का मापन बीमांकित मान्यताओं के आधार पर होता है जिसमें मृत्यु और आहरण दरों के साथ साथ छूट दरों में भविष्य के बदलावों से संबंधित मान्यताएँ, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजना आस्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर शामिल है। समूह का मानना है कि इन देयताओं के मापन के लिये प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त हैं और प्रलेखित हैं। हालांकि इन मान्यताओं में किसी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है।

ङ) **राजस्व**

समूह इंड एएस 115– ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रभार के आधार पर बिजली विक्रय से राजस्व दर्ज करता है। हालांकि जहां शुल्क दरें अभी अनुमोदित की जानी है, वहां व्यवहार्य सीईआरसी शुल्क विनियमों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दरे अपनायी जाती हैं। इसके अलावा जहां लागत अनुमानों की समीक्षा के कारण शुल्क समीक्षा लंबित है, शुल्क की संगणना सीईआरसी शुल्क विनियम के तहत निर्धारित मानकों और विधियों के आधार पर की जाती है और सीईआरसी को आवेदन देने और अनुमोदन मिलने के बाद कि मान्य राजस्व में कोई नकारात्सक समायोजन नहीं होगा, राजस्व की अनुमानित राशि मान्य की जाती है।

च) **प्रावधान और आकस्मिकताएं**

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्य करने में इंड एएस 37, ' प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां 'के अनुसार आकलन किये गये हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित आउट फ्लो के संबंध में प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। यह अनुमान निम्नलिखित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकता है।

छ) **दर विनियमित आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि**

समूह की संचालन गतिविधियां सेवा लागत विनियमों के अधीन हैं जिससे उत्पादित बिजली के लिये प्रभारित शुल्क अनुमति योग्य लागतों पर आधारित होता है जैसे – ब्याज लागत, ह्रास, परिचालन और रखरखाव और नियत रिटर्न। आईसीएआई (पहले जीएएपी) और इंड एएस 114– ' नियामक आस्थगित खाता' किसी कंपनी को दर आधार में स्व निर्मित पीपीई या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की लागत का एक हिस्सा सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जिस राशि को अन्यथा इंड एएस के अनुसार लाभ हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्य किया जाता। समूह का अनुमान है कि वित्तीय विवरणियों में मान्य नियामक आस्थगित खातों के मद मौजूदा सीईआरसी शुल्क विनियम 2019–24 के अनुसार वसूली योग्य हैं। हालांकि इस राशि का वापस मिल सकना सीईआरसी द्वारा शुल्क को अंतिम रूप देने और/या मौजूदा अवधि के बाद सीईआरसी शुल्क विनियमों में बदलाव के अधीन है।

ज) **व्यापार प्राप्यों की क्षति**

व्यापार प्राप्यों के लिये ऐतिहासिक जमा हानि अनुभवों पर विचार करते हुए समूह लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में न तो क्षति की परिकल्पना करता है और न ही व्यापार प्राप्यों की मान्यता में विलंब के कारण धन के समय मूल्य को लेकर हानि की, सिवाय पहले से प्रावधान की गयी सीमा तक।

झ) **संयुक्त उपक्रमों में निवेश**

निवेश लागत पर और समूह के आकलन के अनुसार किया गया है, ऐसे निवेशों पर क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

ञ) **वसूली योग्य बीमा दावा**

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा जारी पूंजीगत कार्य में किसी नुकसान के संदर्भ में बीमा दावों की वसूली योग्य राशि बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तो आंकलन और अनुमानों पर आधारित है।

ट) **आय कर**

आय कर के लिये प्रावधान के निर्धारण में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों में भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि/वसूली गयी राशि शामिल है।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाः

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार, जैसा कि नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणियों में दी गयी सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह तय की गयी हैं जिनसे लेनदेन, अन्य संदर्भ और स्थितियों, जिनपर ये लागू होती हैं, के बारे में संबद्ध और विश्वसनीय सूचना के साथ वित्तीय विवरणियां उपलब्ध होती हैं। यदि इन नीतियों को लागू किये जाने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो तो इन्हे अपनाये जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

31 मार्च 2015 तक परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियां और निवेश परिसंपत्तियां तुलन पत्र में इंडियन जीएएपी के अनुसार दर्शायी जाती थी। समूह ने इंड एएस 101 द्वारा दी गयी छूट प्राप्त करने का निर्णय लिया, "पहली बार इंड एएस अपनाने" पर इंड एएस में ट्रांजिशन की तिथि (1 अप्रैल 2015) को पूर्व राशि को डीम्ड लागत मानी गयी। इस

प्रकार पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियों और निवेश परिसंपत्तियों की वहनीय राशि, इंड एएस में आने के बाद बनाये रखी गयी।

1.0 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई का कोई भी मद तभी आस्ति के रूप में मान्य होता है जब संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़ा आर्थिक लाभ समूह को जायेगा और मद की लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकेगा।

ख) आरंभ में पीपीई का मापन, जहां अपेक्षित हो हटाये जाने या बहाल किये जाने की लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत पर होता है। इस लागत में आस्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर सीधे होने वाला व्यय भी शामिल है। उन मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिल का समायोजन लंबित है लेकिन आस्ति, प्रबंधन की अपेक्षानुसार तैयार है और परिचालन के लिये उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर किया जाता है, जो मध्यस्थता/अदालती मामले निपटाने से उपजी स्थितियों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

ग) पावर स्टेशन का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पूरा हो जाने के बाद पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय, मान्य किये जाते समय संबंधित आस्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिये अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित तथा सक्रिय उपयोग से हटा/सेवामुक्त कर दी गयी आस्तियां अमान्य कर दी जाती हैं।

घ) आरंभिक मान्यता के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संचित ह्रास/परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होते हैं।

ङ) जमा, किया गया भुगतान/देयताएं, क्षतिपूर्ति के लिये अस्थायी रूप से सृजित,(अदालत द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक बढ़ाये गये मुआवजे पर ब्याज सहित), अधिगृहित भूमि से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर व्यय सहित पुनर्वास और पुर्नस्थापना तथा अन्य व्यय भूमि की लागत माने जाते हैं।

च) वे आस्तियां जिनपर समूह का नियंत्रण है, समूह के नियंत्रण में नहीं आने वाली भूमि पर सृजित होने के बावजूद, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल मानी जायेंगी।

छ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता के तहत आने वाले, तैयार रखे गये और सेवारत उपकरण पूंजीकृत किये जाते हैं।

ज) स्पेयर पार्ट (संयत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गये), जो मान्यता की शर्तें पूरी करते हैं, पूंजीकृत किये जाते हैं। उन स्पेयर पार्ट की वहनीय राशि, जो प्रतिस्थापित किये गये हैं, अमान्य कर दी जाती है, जब उनके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो। अन्य स्पेयर पार्ट भंडार के हिस्से के रूप में "स्टोर और स्पेयर " माने जाते हैं।

झ) यदि प्रतिस्थापित पार्ट या पूर्व निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है तो समान नये पार्ट/निरीक्षण की अनुमानित राशि एक संकेत के रूप में इस्तेमाल की जाती है कि मौजूदा पार्ट/निरीक्षण की लागत तब क्या रही होगी, जब उसे अधिगृहित किया गया था या निरीक्षण किया गया था।

ञ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। आस्ति को अमान्य किये जाने पर होने वाला कोई लाभ या हानि को (निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में संगणित) लाभ और हानि विवरणी में शामिल की जाती हैं जब आस्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.0 जारी पूंजीगत कार्य (सी डबल्यू आई पी)

क) निर्माण के तहत आस्तियों पर होने वाला व्यय (परियोजना सहित) सीडबल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर वहनीय होता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य कर (व्यापार छूट और रियायत को घटाने के बाद), सर्वे और परियोजनाओं की जांच गतिविधियों में हुआ व्यय, स्थल तैयारी लागत, आरंभिक आपूर्ति और संचालन व्यय, स्थापन और समायोजन लागत, इत्यादि सहित आस्तियों का खरीद मूल्य शामिल होता है।

ख) कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, साझा जन सुविधाओं के रखरखाव और उन्नयन पर होने वाला व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त आस्तियों में ह्रास, निर्माण के दौरान प्रभारित ब्याज और अन्य लागत, जो सीधे तौर पर आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट संचालन के लिये सक्षम बनाने में आयी हो, "निर्माण में हुए व्यय" के तहत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध

आधार से आवंटित कर दी जाती है। चालू होने से पहले की निवल आय/व्यय सीधे संबंधित आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

ग) सुविधाओं के सृजन पर होने वाला पूंजीगत व्यय, जिसपर समूह का सीधा नियंत्रण नहीं है लेकिन जो परियोजना के निर्माण के लिये मुख्य रूप से आवश्यक हैं, "निर्माण में हुए व्यय " के तहत संचित किया जाता है और "जारी पूंजीगत कार्य " के अंतर्गत वहनीय होता है और बाद में इंड एएस 16– "परिसंपति, संयंत्र और उपस्कर " में "आरोप्यता" और "मापन इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दिया जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद हुआ इस प्रकार का व्यय लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

3.0 निवेश परिसंपत्ति

निवेश परिसंपतियां आरंभ में लेन–देन लागत सहित लागत पर मापी जाती हैं। आरंभिक मान्यता के बाद निवेश परिसंपत्तियां लागत से संचित ह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो तो घटाने के बाद वहन की जाती है।

निवेश परिसंपतियों को उनके निस्तारण या स्थायी रूप से उपयोग से हटाने के बाद और भविष्य में उनके निस्तारण से किसी भी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहने पर अमान्य किया जाता है। अमान्यता अवधि में निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

निवेश परिसंपत्ति से या इसमें स्थानांतरण केवल तभी किया जाता है जब उपयोग में परिवर्तन हो और यह प्रमाणों से समर्थित हो।

4.0 अमूर्त आस्तियां और विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

क) अनुसंधान में खर्च होने पर उसे व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह व्यय विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभों की संभावना हो और समूह विकास कार्य पूरा करने तथा आस्ति के उपयोग या बिक्री के लिये इच्छुक हो और उसके पास इसके लिये पर्याप्त संसाधन हों।

ख) अलग से अधिगृहीत की गयी अमूर्त आस्तियां आरंभिक मान्यता के आधार पर लागत पर मापी जाती हैं। लागत में प्रत्यक्ष रूप से किया गया कोई भी व्यय शामिल होता है जो आस्ति को उसके लक्षित उपयोग के लिये तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक हो। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त आस्तियां संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होती हैं।

ग) बाद में किया गया व्यय आस्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय लागत से प्राप्त होने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।

घ) अमूर्त आस्ति के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किये जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ–हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

5.0 विदेशी मुद्रा लेन–देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन देन आरंभ में क्रियाशील मुद्रा स्थल दर पर, लेन–देन के मान्यता के लिये पहली बार पात्र होने की तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौद्रिक मदें उस तिथि पर लागू कार्यशील मुद्रा विनिमय दरों पर बदली जाती हैं।

ख) 1 अप्रैल 2004 से पहले हुए लेनदेन में पीपीई/जारी पूंजीगत कार्य से संबंधित विनिमय अंतर संबंधित पीपीई/जारी पूंजीगत कार्य के वहनीय लागत से समायोजित किया जाता है।

ग) 31 मार्च 2016 से पहले हुए सौदों में विदेशी मुद्रा उधारी के लेनदेन होने वाला विनिमय अंतर, जो सीईआरसी शुल्क विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, "आस्थगित विदेशी मुद्रा विचलन वसूली योग्य/भुगतान योग्य खाता" में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें यह वापस लिया गया/भुगतान किया गया।

घ) 01.04.2016 को या इसके बाद विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौद्रिक मदों के समायोजन/विनिमय से होने वाला विनिमय अंतर

जो सीईआरसी शुल्क विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, निर्माण अवधि के दौरान "नियामक आस्थगित खाता शेष " के रूप में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से जिसमें यह लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूले जाने योग्य हुआ, समायोजित किया जाता है।

ड.) किसी विदेशी मुद्रा में पिछली ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी जाने वाली गैर मौद्रिक मदें लेन देन की तिथि पर लागू विनिमय दर पर बदली जाती हैं। जहां समूह ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्राप्त किया हो या भुगतान किया हो, संबंधित आस्ति, व्यय या आय(या इसके अंश) की आरंभिक मान्यता पर उपयोग के लिये विनिमय दर के निर्धारण के उद्देश्य से लेन देन की तिथि वह तिथि होगी जब समूह आरंभ में गैर मौद्रिक आस्ति या अग्रिम की प्राप्ति या भुगतान से उत्पन्न गैर मौद्रिक देयता को मान्य करता है।

6 नियामक आस्थगित खाते

क) जहां किसी परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान किए गए व्यय की किसी वस्तु को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इंड–एएस के अनुसार प्रासंगिक पीपीई की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सीईआरसी द्वारा इसे भविष्य में शुल्की के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में इसे वसूली करने के अधिकार के तहत ''नियामक आस्थगित खाता शेष'' के रूप में मान्यता दी गई है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को ''नियामक आस्थगित खाता शेष'' के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) ये नियामक आस्थगित खाता शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय होते हैं।

घ) नियामक आस्थगित खाता शेष का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्निहित गतिविधियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के बैलेंस से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ संगठन को देय होंगे। यदि इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो नियामक आस्थगित खाता शेष राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

ङ) प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में हानि के लिए नियामक आस्थगित खाता शेष राशि की जांच की जाती है।

7 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता पर, लेन–देन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है।

परन्तु, समूह जब यह निर्धारित करता है कि लेन–देन की कीमत उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वह अन्य बातों के अलावा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों, और जिनमें उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो तथा संबंधित पर्यवेक्षणीय जानकारी का अधिकतम और अपर्यवेक्षणीय जानकारी का न्यूनतम उपयोग किया गया हो।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियों, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया हो, को उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण न्यूनतम स्तर की जानकारी पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 – समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकन योग्य नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके अनुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है या नहीं।

8.0 संयुक्त उपक्रमों में निवेश

संयुक्त उपक्रमों के इक्विटी शेयरों में निवेश का लेखांकन इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए की जाती है।

9.0 संयुक्त उपक्रमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ–साथ कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद है, किसी अन्य संगठन का इक्विटी लिखत या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का अनुबंधित अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान–प्रदान करने के लिए, जो इस शर्त के अधीन कि संभावित रूप से समूह के अनुकूल हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब समूह लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्ति में नकद और नकद समतुल्य, बैंक बैलेंस, कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्तियां, कर्मचारियों को ऋण, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

(क) वर्गीकरण

समूह अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

- परिशोधन लागत पर,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर, और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर।

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

क) वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए संगठन का व्यवसाय मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित नकदी प्रवाह की विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि के विवरण में या अन्य व्यापक आय के तहत दर्ज किए जाते हैं। ऋण उपकरण में निवेश के लिए, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

(ख) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, के अधिग्रहण संबंधी लेनदेन लागत को वित्तीय संपत्ति के मूल्ये में शामिल किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

समूह व्यापार से होने वाली उन प्राप्तियों को उनके लेन देन मूल्य पर मापता है, यदि व्यापार से होने वाली प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक सम्मिलित नहीं होता है।

(ग) परवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर किसी 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधन की लागत पर मापा जाता है:

i) ऐसी परिसंपत्ति को किसी व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ii) परिसंपत्ति की अनुबंधित शर्तें नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तारीखों पर तय की जाती हैं, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में ब्याज की आय में शामिल किया गया है। क्षति से होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीटीओसीआई)

किसी 'ऋण दिस्तावेज' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य दो तरह से, यानी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

ii) परिसंपत्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह में मूलधन और ब्याज का पूर्ण भुगतान (एसपीपीआई) शामिल है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर संबंधी ऋण दस्तावेजों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचलनों को मान्यता दी गई है। परन्तु, समूह लाभ और हानि के विवरण में ब्याज से आय, हानि की क्षतिपूर्ति, उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि की पहचान करता है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश:

सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार के लिए धारित इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हों, को लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी उपकरणों को समूह एफवीटीओसीआई के समान ही वर्गीकृत करता है। समूह इस तरह के चुनाव एक साधन द्वारा साधन के आधार पर करता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत सभी इक्विटी दस्तावेजों में उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का बाद में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं है। परन्तु, समूह संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को अन्य आय के रूप में लाभ और हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का समूह का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखत, यदि कोई हों, को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

व्यापार प्राप्तियां:

किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक वाले व्यापार प्राप्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

घ) मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब:

i) समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, या

ii) वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए समूह अनुबंधात्मतक अधिकार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए किसी अनुबंधात्मवक दायित्व को मानता है।

जहां समूह ने किसी परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया हो, तो समूह मूल्यांकन करता है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है।

जहां समूह ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को काफी हद तक बरकरार रखा है, तो ऐसी स्थिति में यदि समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण अपने पास नहीं रखा है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां समूह वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखता है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

मान्यता समाप्त होने पर, अग्रसारित की जाने वाली राशि और प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ङ) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड–एएस 109 के अनुसार, समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में हानि का पता लगाने और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मॉडल लागू करता है:

i) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है।

iii) इंड एएस 115–राजस्व के तहत ग्राहकों के साथ अनुबंधों से अनुबंध परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।

iv) इंड एएस 116 पट्टों के अंतर्गत लीज प्राप्य।

इंड एएस 116 और इंड एएस 115 के दायरे के भीतर लेनदेन के परिणामस्वरूप अनुबंध परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्यों और व्यापार प्राप्यों पर प्रारंभिक स्वीकृति से, आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर हानि क्षति प्रावधान की स्वीकृति के लिए समूह इंड एएस 109 ''वित्तीय दस्तावेज' के तहत अनुमत 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि क्षति का पता लगाने के लिए, समूह यह आकलन करता है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि क्षति के लिए 12–महीने के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम में वृद्धि और हानि क्षति का आकलन करने के लिए, समूह दस्तावेज–दर–लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। यदि, बाद की अवधि में, दस्तावेज की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो संगठन 12–महीने के ईसीएल के आधार पर हानि क्षति भत्ते की पहचान करने के लिए पूर्वस्थिति में आ जाती है। इस अवधि के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि/उलटाव की राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी गई है।

10.0 इन्वेंटरी

सूचियों में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर पार्ट्स शामिल होते हैं जिनका उपयोग संपदा, संयंत्र और उपकरणों के रखरखाव के लिए किया जाता है और लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) में जो भी कम हो उस पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत के भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है।

स्क्रैप का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य के लिए इन्वेंटरी के किसी राइट–डाउन की राशि और उसके सभी नुकसान को उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें राइट–डाउन या हानि होती है।

11.0 लाभांश

शेयरधारकों को देय अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः समूह के शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

12.0 वित्तीय देनदारियां

समूह की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति की सुपुर्दगी या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान–प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो समूह के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

समूह की वित्तीय देनदारियों में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य भुगतान शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन लागत निकालकर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं और बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर आंकलन कर वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर मुनाफा (लेन–देन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को, यदि कोई अन्य मानक उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि या लाभ – हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि समूह के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटान को बिना शर्त स्थगित करने का अधिकार न हो।

ख) बाद के मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ – हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी जाती है जब कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की तब अनुमति देता है, जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और ऐसा ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना ईआईआर के अभिन्न अंग– शुल्क या लागत और अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है । ईआईआर परिशोधन को लाभ – हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) मान्यता रद्द करना

यदि देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देयता को अमान्य कर दिया जाता है। जब मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता को अमान्य कर नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दिया गया है।

घ) वित्तीय दस्तावेजों की भरपाई

यदि स्वीकृत राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों का मूल्य पाने के लिए और देनदारियों का निपटान करने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।

ड) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज

विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को रोकने और हेज के रूप में नामित नहीं होने वाले, समूह द्वारा धारित व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज का लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर हिसाब लगाया जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ – हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

13. सरकारी अनुदान

क) बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है तथा मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक स्वीकृत राशि तथा प्राप्ति के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखा नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में और बाद में परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि पर व्यवस्थित आधार पर लाभ – हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और समूह अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा तब परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार से मौद्रिक अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है । इस प्रकार मान्यता प्राप्त आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि पर लाभ – हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ – हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें संगठन संबंधित उन लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनके लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने का इरादा है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब ग्रुप के पास किसी बीती घटना के आधार पर कानूनी या तर्कसंगत दायित्व हो और उसे निपटाने के लिए आर्थिक लाभ शामिल करने के संसाधनों की आवश्यकता हो और दायित्व का सही–सही अनुमान लगाया जा सके। ये प्रावधान तुलन पत्र की तारीख में दायित्व निपटाने की आवश्यक राशि जुटाने के अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं। प्रावधान की राशि पूरी तरह या आंशिक तौर पर किसी तीसरे पक्ष से मिलने की उम्मीद होती है, तो उस अपेक्षित राशि को परिसंपत्ति माना जाता है, बशर्ते यह पक्का हो कि प्रतिपूर्ति हासिल हो जाएगी और इस प्राप्य राशि का सही अनुमान लगाया जा सकता हो। किसी प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ और हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य मानक के तहत ऐसा वित्तीय समावेशन करने की व्यवस्था हो।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधान का निर्धारण वर्तमान पूर्व–कर दर से भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह को ध्यान में रख कर किया जाता है ताकि देयता के विशिष्ट जोखिम इसमें कवर हो जाएं। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो कुछ समय बाद प्रावधान में इस वृद्धि को वित्तीय लागत दायित्व मान लिया जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से पैदा होती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से ग्रुप के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ बाहर भेजने की आवश्यकता होगी या राशि का अनुमान सही रूप से नहीं लगाया जा सकता वहां दायित्व को तब तक आकस्मिक देयता मान लिया जाता है जब तक आर्थिक लाभों

के बाहर जाने की संभावना खत्म न हो जाये। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और इनमें समायोजन किया जाता है ताकि इनमें प्रबंधन के वर्तमान अनुमान दर्शाए जा सकें।

ग) आकस्मिक संपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उभर कर सामने आती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी जो ग्रुप के नियंत्रण में नहीं होती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है, जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की संभावना होती है। वित्तीय विवरणों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

15 राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

ग्रुप का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श सेवाओं और अन्य आय से प्राप्त होता है। अन्य आय से मिलने वाले राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, अन्य कॉर्पोरेट निकायों में इक्विटी निवेश से लाभांश, बांड में निवेश से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्क्रैप की बिक्री, अन्य विविध आय स्रोत आदि शामिल होते हैं।

क) विद्युत बिक्री से राजस्व की प्राप्ति

i) राजस्व उस समझौते के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या जिसके उत्पादों और सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है लेकिन तीसरे पक्ष की ओर से वसूल की गई राशि इसमें शामिल नहीं होती। राजस्व को ग्रुप तब स्वीकार करता है, जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रण सौंपता है।

ii) विद्युत की बिक्री से मिलने वाले राजस्व का हिसाब सुनवाई ट्राइब्यूनल के आदेशों द्वारा विद्युत के लिए लागू सीमा तक संशोधित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के तहत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। लेकिन, पावर स्टेशन की वित्तीय/परिचालन लीज से प्राप्त राशि इसमें नहीं जोड़ी जाती। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां तत्कालिक/अंतिम टैरिफ को अधिसूचित किया जाना बाकी है या जहां प्रोत्साहन/दंडात्मक कार्यवाही सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के अनुसार देय/प्रभारित हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां ऐसी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। इसमें लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट राजस्व की राशि से काट ली जाती है।

iii) ग्राहकों को समय–समय पर नियमित रूप से बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विद्युत की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को की गई बिक्री से होने वाली आय की राशि भी शामिल होती है जिसका बिल अभी तक नहीं भेजा गया है। (बिल नहीं की गई राजस्व)।

iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बदलावों के मुताबिक वसूली/वापसी और आयकर की वसूली को नियामक मानदंडों के अनुसार वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाती है। 31 मार्च 2009 तक मान्यता प्राप्त वस्तुओं पर विलम्बित कर की वसूली का हिसाब उसी समय लगाया गया, जब वह प्राप्त कर लिया गया।

v) क्षेत्रीय ऊर्जा खाते (आरईए) को अंतिम रूप देते समय किये जाने वाले समायोजन, जो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसी वर्ष से प्रभावी होते हैं।

vi) मूल्यह्रास पर अग्रिम (एएडी) को 31 मार्च 2009 तक बकाया आय माना जाता है, जो पावर स्टेशनों के कारोबारी संचालन की तारीख से 12 साल की अवधि के बाद शेष उपयोगी कार्यकाल के लिए संरेखन आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श सेवाओं से राजस्व

i) परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्राप्ति के आधार पर मापा जाता है या इसके सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद होती है लेकिन इसमें तीसरे पक्ष से होने वाली वसूली शामिल नहीं होती। ग्रुप आदान प्रक्रिया के आधार पर राजस्व को मान्यता देता है। इस प्रक्रिया में उस विशेष दायित्व की पूर्ति के लिए कुल अपेक्षित लागतों को विशेष दायित्व की पूर्ति के लिए किए गए व्यय लागतों के आधार पर राजस्व को मान्यता दिया जाता है।

ii) अनुबंध संशोधन, यदि कोई हो तो उसका हिसाब तब लिया जाता है जब अनुबंध में शामिल पक्ष अनुमोदित अनुबंध के दायरे या मूल्य (या दोनों) में कोई परिवर्तन करते हैं जो या तो नया बनता है या अनुबंध की पार्टियों के मौजूदा अधिकारों

तथा दायित्वों को बदलता है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण एकल विक्रय मूल्य पर आधारित है? अनुबंध संशोधनों को एकल आधार पर दर्ज किया जाता है, अनुबंध का दायरा तब बढ़ता है जब उसके अंतर्गत दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं या अनुबंध की लागत उस राशि से बढ़ जाती है। विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस लागत में उपयुक्त समायोजन किया जाता है। जोड़ी गई सेवाएं, जो अलग प्रकार की नहीं है, को संचयी कैच अप आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जबकि जो अलग प्रकार की सेवाएं है, को अनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता हैं इसे या तो अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत एकल बिक्री मूल्य पर लगाई जाती है या मौजूदा अनुबंध को समाप्त करके अथवा एक नए अनुबंध का निर्माण करके यदि एकल बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं लगाई जाती है।

ग) विद्युत की बिक्री से होने वाली आय

i) विद्युत बेचने से होने वाली आय में अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि तय किया जा सके कि समूह को प्रमुख भागीदार की भूमिका निभानी है या एजेंट की तरह काम करना है। यदि ग्राहक को पहुंचाने से पहले विद्युत समूह के नियंत्रण में आ जाती है तो वह उसका मालिक या प्रमुख भागीदार बन जायेगा। नियंत्रण हो जाने का संकेत इस बात से मिलता है कि विद्युत उपलब्ध कराने का जिम्मा मुख्य रूप से समूह का हो जायेगा और ऐसे में विद्युत की कीमत तय करने का अधिकार भी उसे ही मिल जायेगा और इस प्रक्रिया से जुड़े जोखिम भी समूह ही झेलेगा। लेकिन, यदि विद्युत ग्राहक तक पहुंचने से पहले उसका नियंत्रण समूह के हाथ में नहीं आ पाता तो वह एजेंट की भूमिका में आ जायेगा। उस हालत में सप्लायर से विद्युत लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का दायित्व समूह का रहेगा।

ii) समूह के प्रमुख भागीदार (मालिक) होने की स्थिति में सही प्रकार दायित्व पूरा करने पर आबंटित कीमत को राजस्व या आय माना जायेगा।

iii) जहां समूह विद्युत पहुंचाने के अनुबंध में एजेंट की भूमिका निभाता है वहां सप्लायर को विद्युत की लागत का भुगतान करने के बाद बचने वाली राशि ही उसकी आय मानी जाएगी। इस तरह के लेनदेन से बचने वाली परिसंपत्तियां या देयताएं शामिल नहीं की जातीं।

घ) अन्य आय

i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

ii) सभी ऋण लेखों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या फिर आय के अन्य व्यापक माध्यम से उचित मूल्य पर इसे मापा जाता है, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल में भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से उपयुक्त छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, समूह वित्तीय साधन की सभी अनुबंध शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों को हिसाब में नहीं जोड़ता है।

iii) विद्युत कारोबार के अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले ब्याज/अधिभार सहित ग्राहकों से वसूली योग्य ब्याज/अधिभार और ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर क्षतिपूर्ति/ब्याज को मान्यता दी जाती है और यह तब माना जाता है जब इसकी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा।

16. कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और उन्हें प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में खर्च या शामिल किया जाता है, बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

अल्पावधि प्रदर्शन से संबंधित नकद बोनस के तहत भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि के लिए किसी दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए समूह का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

निर्धारित अंशदान योजना सेवानिवृत्ति–परवर्ती लाभ योजना है जिसके तहत कोई संस्था अलग–अलग न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने का उसका कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को लाभ और हानि के विवरण में

कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक उस अवधि में ऐसे समावेशन की अनुमति देता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी की सुविधा उपलब्ध हो। निर्धारित अंशदान योजना में योगदान, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 महीने से अधिक समय तक देय है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, के संदर्भ में उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना (ईडीसीएसएस) और अलग–अलग ट्रस्टों के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार–परवर्ती लाभ योजना है। समूह की ग्रेच्युटी योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करना आदि परिभाषित लाभ योजनाओं में शामिल हैं। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु भत्ता और सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह के अलावा इन सभी योजनाओं को अलग–अलग ट्रस्टों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में कमी करता है।

भविष्य निधि योजना के संबंध में, तुलन पत्र में किसी देयता को उस समय मान्यता दी जाती है जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से अधिक हो। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य से अधिक योजनागत संपत्ति के उचित मूल्य के किसी भी अधिशेष को किसी परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि कंपनी को योजना से रिफंड के रूप में या योजना के अंशदान में कमी के रूप में कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

निर्धारित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल की जाती है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

पुनर्माप लाभ (भविष्य निधि योजना के मामले को छोड़कर) और अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल होते हैं।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

समूह की अवकाश नकदीककरण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दीर्घावधि कर्मचारी लाभ कहलाते हैं।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में समूह का निवल दायित्व भविष्य के लाभों की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उसमें छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित आस्ति का उचित मूल्य उसमें से कम कर दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथि समूह के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती है। इसकी गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। योजना में अंशदान और बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण

में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन को उस अवधि में शामिल करने की अनुमति देता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

v) सेवा समापन लाभ

अनुग्रह राशि के भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं पर नोटिस वेतन के रूप में सेवा समापन लाभों पर किए गए व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं, जिस वर्ष में उन्हें अंजाम दिया गया हो।

17.0 उधारी लागत

उधारी लागत में निम्नांकित शामिल हैं (क) इंड एएस 109 – ''वित्तीय लिखत'' में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का इस्तेमाल करते हुए आकलित ब्याज व्यय (ख) वित्तीय लीजों को इंड एएस 116– 'लीज' के अनुसार वित्तीय प्रभारों के रूप में मान्यता दी जाती है और ग) विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अंतरों को ब्याज लागत के समायोजन की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

क्वालिफाइंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधारी लागत को तब तक ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं। क्वालिफाइंग परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। अन्य सभी उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे होती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आमतौर पर धन उधार लेती है और कोई क्वालिफाइंग संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत के पूंजीकरण की गणना उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो वर्ष के दौरान बकाया हैं और क्वालिफाइंग परिसम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या स्थापना के लिए उपयोग किए जाते हैं। परंतु, किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रूप से की गई उधार लागत को तब तक इस गणना से बाहर रखा जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती हैं।

क्वालिफाइंग आस्तियों पर उनके व्यय की लंबित उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

18.0 मूल्य ह्रास और परिशोधन

क) वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में संवर्धन/कमी के कारण हुए मूल्यह्रास की गणना उस तारीख से/उस तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है जब तक संपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।

ख) i) समूह की परिचालन इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास की गणना पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंत से पांच साल पहले तक पूंजीकृत की जाती है और उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। इसका आकलन, नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति का इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष संरेखित विधि से किया जाता है।

ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए, सम्पत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने की तारीख से, प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण किसी पावर स्टेशन के जीवन और/या दक्षता में वृद्धि होती है, उस पर व्यय के साथ–साथ इसकी असंशोधित मूल्यह्रास राशि को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

ग) i) समूह की परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पुरानी और प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास, नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट संपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्ति की लागत के 90% की सीमा तक प्रभारित किया जाता है।

ii) परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य पीपीई की पुरानी और प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक संपत्ति की लागत के 90% की सीमा तक प्रत्यक्ष संरेखित पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में दिए गए उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5%) के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है:

– निर्माण संयंत्र और मशीनरी

– कंप्यूटर और सहायक उपकरण

i) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यह्रास तीन साल की अवधि में 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

iii) प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम/उपकरण पर मूल्यह्रास पच्चीस वर्षों की अवधि में 10% के अवशिष्ट मूल्य के साथ प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

ङ) अस्थायी निर्माण पर मूल्यह्रास अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में रुपए 1/– डब्ल्यूडीवी मान कर, पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) मूल्य ह्रास किया जाता है।

च) रुपए 5000/– या उससे कम लेकिन रुपए 750/– से अधिक मूल्य की संपत्ति का मूल्यह्रास, रुपए 1/– डब्ल्यूडीवी मान कर, उस वर्ष के दौरान, पूर्ण रूप से किया जाता है जिसमें संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

छ) कम मूल्य की वस्तुएं, जो संपत्ति (अचल संपत्ति को छोड़कर) की प्रकृति की हैं और जिनका मूल्य रुपए 750/– तक है, पूंजीकृत नहीं की जाती हैं और उन्हें उपयोग के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

ज) सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए, परिचालन इकाइयों की लीजहोल्ड भूमि, लीज की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, में परिशोधित की जाती है।

झ) लीजहोल्ड भूमि और इकाइयों के भवनों के संचालन इकाइयों के अलावा, पट्टे की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, पर परिशोधन किया जाता है।

ञ) लीजहोल्ड भूमि पर बनाए गए पीपीई के लिए मूल लागत के 90% की सीमा तक, संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध लीज अवधि के अनुसार उस तारीख से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जिससे ऐसी संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है अथवा ऐसी सम्पत्ति के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है।

ट) उपयोग के अधिकार वाली भूमि का परिशोधन टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

ठ) 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वित्तीय वर्षों, इनमें जो भी पहले हो, के लिए प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो इसे प्राप्त करने के वर्ष से प्रारंभ होता है।

ण) जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार–चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटारे, दायित्वों में परिवर्तन या इसी तरह के घटकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/कमी की वजह से मूल्यह्रास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के बकाया असंशोधित हिस्से का मूल्य ह्रास सीईआरसी शुल्क विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दर और पद्धति से किया जाता है।

त) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए हिस्से–पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया हो और ऐसी वस्तुओं की वहन राशि में जोड़ा गया हो, का मूल्य ह्रास उनके शेष उपयोगी जीवन के लिए, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।

थ) प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार मूल्यह्रास किए जाने की स्थिति में, उपयोगी जीवन, मूल्यह्रास की विधि और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

19.0 वस्तु सूची को छोड़ कर गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

क) समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, मूल्यांकन करता है कि क्या किसी परिसम्पत्ति की हानि होने की आशंका है। ऐसा कोई

संकेत विद्यमान होने, अथवा किसी परिसंपत्ति की वार्षिक हानि के परीक्षण की आवश्यकता पड़ने पर, समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति अथवा उसकी नकदी सृजित करने वाली यूनिट–(सीजीयू) के उच्चतर मूल्य में से निपटान मूल्य और उपयोग मूल्य घटा कर तय की जाती है। किसी पृथक परिसम्पत्ति का वसूली योग्य मूल्य तब तक निर्धारित नहीं किया जाता, जब तक कि वह समूह की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप में स्वतंत्र रूप से नकदी प्रवाह सृजित न करती हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त समझा जाता है और उसे वसूली योग्य राशि के समान मान कर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। परिणामी हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, परिसम्पत्ति से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जिससे परिसम्पत्ति के सामयिक मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और विशिष्ट जोखिम का पता चलता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

ग) परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया जाता है, तो उस पर किए गए व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें तत्संबंधी निर्णय लिया गया हो।

घ) यदि सर्वेक्षण और जांच के तहत कोई परियोजना उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश/न्यायालय के निर्णय से स्थगित रहती है, तो ऐसी परियोजनाओं पर किए गए किसी भी खर्च के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया जाता है। यह प्रावधान अदालत के आदेश/निषेध की तारीख से परियोजनाओं को स्थगित रखने की अवधि तक किया जाता है, परंतु, इस प्रकार किया गया प्रावधान पूर्वोक्त आदेश/निषेध के निरसन पर उलट दिया जाता है।

ङ) पूर्व अवधियों में मान्य हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके, कि उसके नुकसान में कोई कमी हुई अथवा, उसकी पूरी तरह भरपाई हो गई। यदि वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किए गए आकलन से किसी परिवर्तन का पता चलता है, तो हानि की स्थिति पलट दी जाती है। हानि की स्थिति को उसी सीमा तक पलटा जाता है, जो कोई हानि न होने की स्थिति में किसी परिसम्पत्ति के लिए वहन मूल्य के समान, मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल के रूप में निर्धारित की गई हो।

20.0 आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर कानूनों और पिछले वर्षों में देय कर के किसी भी समायोजन के आधार पर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अनुमानित कर है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य होते हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं होते हैं।

ख) आस्थगित कर

i) आस्थगित कर को समूह के वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करने के लिए इसे हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, और आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए मान्यता दी जाती है, जहां तक कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। यदि अस्थायी अंतर किसी परिसंपत्ति या लेन–देन में देयता की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है, तो ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है जो लेनदेन के समय न तो

कर योग्य लाभ या हानि और न ही लेखांकन लाभ या नुकसान को प्रभावित करता है।

ii) आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है, जहां तक यह संभावना रहती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने से यह अस्थाई अंतर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की संभावना है जिसमें देयता का निपटारा किया गया हो, या संपत्ति हासिल की गई हो। यह निपटारा उन कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित हों या स्थायी रूप से अधिनियमित हों। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से प्रवाहित होंगे जिस तरह से समूह अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षा करता है।

iv) आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

v) आस्थगित आयकर आस्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों के प्रति वर्तमान कर आस्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर आस्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो कर योग्य आय पर लगाए गए करों से संबंधित होती हैं इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहां शुद्ध आधार पर शेष राशि का निपटान करने का इरादा है।

vi) आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते को वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/ डेबिट किया जाता है जो बाद की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा बनता है और टैरिफ के एक घटक इक्विटी (आरओई) पर रिटर्न की गणना को प्रभावित करता है।

vii) आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की अग्रणीत राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जहां समूह अस्थायी मतभेदों के उत्क्रमण के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभावना है कि निकट भविष्य में अंतर में उलट नहीं होगा।

viii) जब आयकर व्यवहार के संबंध में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार कर सकता है। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव का हिसाब लगाया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को ऐसी पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम रूप से अर्थात् सर्वाधिक संभावित परिणाम या अनुमानित मूल्य के रूप में दर्शाती है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए, या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर व्यवहारों के साथ संयोजन के रूप में, उस दृष्टिकोण के आधार पर जो अनिश्चितता के समाधान का सबसे अच्छा समाधान करता है।

21.0 तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति

वस्तुओं की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित दावे और बाद में संपत्ति / सूची की कोई भी खरीद या निर्माण अलग–अलग आर्थिक घटनाएं हैं और इनका अलग से हिसाब लगाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के लिए बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजा या अन्य मदों के लिए जो क्षतिग्रस्त, लापता या छूट गए थे, मुआवजे के प्राप्य होने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया गया है। लाभ की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एएस 108 – प्रचालन सेग्मेंट के अनुसार, सेग्मेंट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन सेग्मेंट की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा सेग्मेंट को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। इंड एएस 108 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से समूह का ''मुख्य संचालन निर्णय निर्माता'' या ''सीओडीएम'' है।

ख) विद्युत उत्पादन समूह की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है। अन्य संचालन जैसे, अनुबंध, परियोजना प्रबंधन, परामर्श कार्य और बिजली का व्यापार इंड एएस –108 के अनुसार कोई रिपोर्ट योग्य खंड नहीं बनाते हैं।

ग) समूह का एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।.

23.0 लीज

किसी अनुबंध के शुरु में समूह यह आकलन करता है कि कोई अनुबंध स्वयं एक लीज है या उसमें कोई लीज निहित है। यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह स्वयं लीज होता है, अथवा उसमें कोई लीज निहित होता है। क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, यह जानने के लिए समूह निम्नांकित आकलन करता है :

- अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है – यह स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसे भौतिक रूप से अलग होना चाहिए या भौतिक रूप से अलग संपत्ति की पूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास वास्तविक प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।
- समूह को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है। तथा
- समूह को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। समूह के पास यह अधिकार तब होता है जब उसके पास निर्णय लेने के ऐसे अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं कि संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। दुर्लभ मामलों में जहां संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित है, तो समूह को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने के निम्नांकित अधिकार होते हैं :
  - समूह को संपत्ति के संचालन का अधिकार है। या
  - समूह ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करता है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

स्थापना के समय या किसी अनुबंध के पुनर्मूल्यांकन पर जिसमें एक लीज घटक होता है, समूह अनुबंध में प्रत्येक लीज घटक को उनके सापेक्ष स्टैंड–अलोन कीमतों के आधार पर प्रतिफल आवंटित करता है। हालांकि, भूमि और इमारतों के लीज के लिए, जिसमें यह एक पट्टेदार है, समूह ने गैर–लीज घटकों को अलग नहीं करने और लीज और गैर–लीज घटकों के लिए एक एकल लीज घटक के रूप में खाते का चुनाव किया है।

i) समूह एक पट्टेदार के रूप में :

समूह लीज प्रारंभ तिथि पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और लीज देयता को पहचानता है। सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन शुरू में लागत पर किया जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्यय और किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को तोड़ने या हटाने अथवा किसी अंतर्निहित परिसम्पत्ति या स्थल, जिस पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने की लागत शामिल है। इसमें से प्राप्त किए गए किसी प्रोत्साहन की राशि को घटाया जाता है।

राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत और पुनर्वास पर किए गए व्यय और साथ ही भू–विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण अथवा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले नई सुविधाओं का निर्माण, विशेष रूप से जहां परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण में ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूर्व शर्त रही हो, पर किए जाने वाले व्यय परिसम्पत्ति के इस्तेमाल के अधिकार के अंतर्गत हिसाब में लिए जाएंगे।

इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति का बाद में प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति से मूल्य ह्रास किया जाता है। यह मूल्यह्रास इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि का उपयोग प्रारंभ किए जाने की तारीख से उसके उपयोगी जीवन के अंत तक या लीज अवधि के अंत तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति और उपकरणों के मामले में किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को समय–समय पर क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, से कम किया जाता है, और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है। हानि का आकलन इंड–एएस 36– संपत्ति की हानि के सिद्धांतों का उपयोग करके किया जाता है जैसा कि ऊपर महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 19.0 में दिया गया है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो समूह की वृद्धिशील उधार दर पर आकलन किया जाता है। आम तौर पर, समूह अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग डिस्काउंट दर के रूप में करता है।

लीज देयता के मापन में शामिल लीज भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मूलतः नियत भुगतानों सहित नियत भुगतान।
- परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, का मापन शुरू होने की तारीख के अनुसार सूचकांक या दर का उपयोग करके किया जाता है।
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली संभावित राशि तथा
- खरीद विकल्प के तहत अधिकार मूल्य, जिसका इस्तेमाल समूह द्वारा किए जाने की युक्तिसंगत संभावना हो, वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में लीज भुगतान, यदि समूह द्वारा विस्तार विकल्प का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाना हो, और लीज की जल्दी समाप्ति के लिए दंड, यदि समूह का लीज को बीच में ही पहले समाप्त नहीं करने के बारे में युक्तिसंगत संभावना हो।

लीज की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के लीज के भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के समूह के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि समूह खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प के प्रयोग के अपने आकलन में परिवर्तन करता है, या जब लीज अनुबंध संशोधित किया जाता है, और लीज संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लीज की देयता को संशोधित लीज शर्तों के आधार पर पुनर्मूल्यांकित की जाती है और इसमें संशोधन की प्रभावी तारीख से संशोधित डिस्काउंट दर पर संशोधित लीज भुगतान में डिस्काउंट दिया जाता है।

जब लीज की देयता को इस तरह पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, तो इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति के वहन मूल्य में समनुरूप समायोजन किया जाता है अथवा ऐसी परिसम्पत्ति का वहन मूल्य शून्य हो जाने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

समूह अधिकार के उपयोग वाली ऐसी परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करता है जो तुलनपत्र में पृथक समान मद की परिभाषा के दायरे में निवेश संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं।

समूह ने 12 महीने या उससे कम की अल्पावधि लीजों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीजों को उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता न देने का विकल्प अपनाया है। समूह इन लीजों से सम्बद्ध लीज भुगतानों को लीज अवधि के लिए प्रत्यक्ष संरेखन आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii समूह एक पट्टादाता के रूप में :

समूह जब पट्टादाता के रूप में कार्य करता है, तो वह पट्टे के शुरु में निर्धारित करता है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है जब वह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। किसी पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जबकि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

वित्तीय पट्टे के रूप में एम्बेडेड पट्टों के लिए, पावर स्टेशन में निवेश को लीज प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है। न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों की पहचान अनुबंध राशियों से एम्बेडेड पट्टा राशियों को अलग करके की जाती है (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2004–09 के अनुसार 31 मार्च 2009 तक मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित और आस्थगित आय के रूप में मान्य)। प्रत्येक लीज से प्राप्ति को प्राप्य और वित्तीय लीज आय के बीच आवंटित किया जाता है जो प्रचालन से राजस्व का हिस्सा बनती है ताकि लीज प्राप्य बकाया पर लाभ की सतत दर प्राप्त हो सके।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी नियमित रूप से अनुमानित गैर–गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा करती है और पट्टा प्राप्तियों पर आशंकित क्रेडिट हानियों के लिए भत्ते को मान्यता देते हुए इंड–एएस 109– वित्तीय साधनों की हानि की अपेक्षाओं को लागू करती है।

क्रेडिट–हानि वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसके लिए ब्याज आय की गणना उनकी परिशोधन लागत (यानी हानि भत्ते की कटौती के बाद) के संदर्भ में की जाती है, को छोड़ कर, वित्त पट्टा आय की गणना लीज प्राप्तियों की सकल वहन राशि के संदर्भ में की जाती है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक शामिल हैं, तो समूह अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड–एएस 115– राजस्व लागू करता है।

ऑपरेटिंग लीज या एम्बेडेड ऑपरेटिंग लीज के मामले में, ऑपरेटिंग लीज से लीज आय को लीज अवधि में राजस्व में मान्यता दी जाती है ताकि लीज की गई संपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाया जा सके। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है।

24.0 व्यापार समीकरण

सहायक कंपनियों और व्यवसायों के अधिग्रहण को अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है। अधिग्रहण की तारीख समूह को नियंत्रण स्थानांतरित करने की तारीख है। प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन में हस्तांतरित प्रतिफल का मापन अधिग्रहण की तारीख को निर्दिष्ट परिसंपत्ति के समग्र उचित मूल्य, समूह द्वारा पूर्ववर्ती मालिकों पर किया गया व्यय और नियंत्रण हासिल करने के दौरान अदा किया गया इक्विटी ब्याज, यदि कोई हो, को ध्यान में रख कर किया जाता है। अधिगृहीत पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है (कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर जिन्हें लागू मानक के अनुसार मापा जाना आवश्यक है) और गैर–नियंत्रित ब्याज को शुरू में अधिग्रहणकर्ता की निवल पहचान योग्य संपत्तियों की हिस्सेदारी के अनुपात में गैर–नियंत्रित ब्याज के रूप में मान्यता दी जाती है।

अधिग्रहण संबंधी लागत को समेकित लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

गुडविल को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित की गई पहचान योग्य परिसंपत्तियों, ग्रहण की गई देनदारियों और मान्यता प्राप्त आकस्मिक देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में समूह के हित में हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक राशि है।

जहां अधिगृहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक है, शुद्ध संपत्ति और आकस्मिक देनदारियों के उचित मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, अतिरिक्त को समेकन पर पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है।

सामान्य नियंत्रण वाली संस्थाओं में हितों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक संयोजनों को ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हस्तांतरित किसी भी प्रतिफल और अधिग्रहीत इकाई की परिसंपत्तियों और देनदारियों के कुल ऐतिहासिक वहन मूल्यों के बीच के अंतर को शेयरधारक की इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

यदि व्यापार संयोजन चरणों में प्राप्त किया जाता है, तो अधिग्रहण की तारीख में अधिग्रहण में पहले से धारित इक्विटी ब्याज के मूल्य को अधिग्रहण की तारीख में उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि या ओसीआई के विवरण में उपयुक्त रूप में मान्यता दी जाती है।

25.0 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व की उस अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को तब तक पुनर्कथित किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, उस स्थिति में, नई लेखा नीति को संभावित रूप से लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को शीघ्रतम व्यावहारिक तारीख से समायोजित किया जाता है।

26.0 प्रति शेयर आय

क) वित्तीय वर्ष के दौरान समूह के इक्विटी शेयरधारकों को हुए शुद्ध लाभ या हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डाइलूटेड आय की गणना समूह के इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ या हानि को प्रति

इक्विटी शेयर मूल अर्जन व्युत्पत्ति के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों, की भारित संख्या भी, जो सभी डाइलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के बाद जारी किए जा सकते हैं, से विभाजित करके की जाती है।

ग) प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइलूटेड आय को नियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन को छोड़ कर अर्जित राशियों का उपयोग करते हुए भी प्रस्तुत किया जाता है।

27.0 नकदी प्रवाह विवरण

क) **नकद और नकद समतुल्य**

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य के अंतर्गत हस्त गत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ कॉल पर रखी गई जमा राशि, अन्य अल्पकालिक जमा, तीन महीने या उससे कम मूल परिपक्वता अवधि वाले अत्यधिक तरल निवेश, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। परन्तु, तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्तमान देनदारियों के तहत ''उधारी'' के भीतर दिखाए जाते हैं।

ख) नकदी प्रवाह विवरण, इंड एएस 7– 'नकदी प्रवाह विवरण', में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसार, तैयार किया जाता है।

28.0 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

समूह वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करता है।

क) निम्नांकित स्थिति में कोई परिसंपत्ति वर्तमान समझी जाती है :–

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की संभावना हो
- मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए धारित
- जिसके रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की संभावना हो, या
- नकदी या नकदी समतुल्य, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमित किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क) निम्नांकित स्थिति में कोई देयता वर्त्तमान समझी जाती है।

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है।
- वह मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन से धारित किया गया हो।
- वह रिपोर्टिंग अविध के 12 महीने के अंदर निपटान किया जाना हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग) आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं को गैर–वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

29.0 विविध

क) समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण मद को वित्तीय विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। अलग प्रकार या प्रकृति की मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते वे महत्वहीन न हों।

ख) पारगमन में माल संबंधी देयताओं/निष्पादित परंतु प्रमाणित न किए गए पूंजी कार्यों के लिए, समूह द्वारा निरीक्षण और मंजूरी के लंबित रहते, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(IV) हालिया लेखा घोषणाएं: मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं।

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। आज के दिनांक तक, कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू हो।

★★★

टिप्पणी सं. 2.1 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	संवर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि फ्रीहोल्ड **(टिप्पणी संख्या 2.1.1 और 2.1.2)**	398.08	16.54	0.30	(0.31)	414.01	-	-	-	-	414.01	398.08
सड़क और पुल	312.38	4.45	0.11	(7.31)	309.41	65.73	11.68	(1.17)	76.24	233.17	246.65
भवन	2,407.30	30.78	0.52	(182.43)	2,255.13	440.77	76.14	(31.81)	485.10	1,770.03	1,966.53
रेलवे साइडिंग	16.57	-	-	(3.51)	13.06	16.57	-	(3.51)	13.06	-	-
हाइड्रोलिक वर्कस (बांध, जल संचालक प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंगें)	16,973.26	19.77	0.17	(989.85)	16,003.01	4,408.43	756.14	(277.16)	4,887.41	11,115.60	12,564.83
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	8313.65	147.22	47.24	(594.18)	7,819.45	2,203.79	355.14	(196.69)	2,362.24	5,457.21	6,109.86
संयंत्र और मशीनरी– सब स्टेशन	56.02	1.16	0.55	(2.46)	54.17	13.72	2.43	(0.72)	15.43	38.74	42.30
संयंत्र और मशीनरी– ट्रांसमिशन लाइने	71.08	1.27	-	(1.57)	70.78	22.28	4.29	(0.59)	25.98	44.80	48.80
संयंत्र और मशीनरी– अन्य	36.21	3.70	0.19	(0.44)	39.28	11.93	1.96	(0.13)	13.76	25.52	24.28
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	54.46	2.52	0.08	(4.52)	52.38	23.87	3.66	(1.36)	26.17	26.21	30.59
जलापूर्ति/जल निकासी और सीवरेज	55.37	5.17	0.04	(1.44)	59.06	10.51	2.31	(0.25)	12.57	46.49	44.86
विद्युत संस्थापनाएं	16.18	1.23	-	(0.21)	17.20	1.62	0.71	(0.02)	2.31	14.89	14.56
वाहन	22.79	1.46	0.41	(0.44)	23.40	8.31	1.34	(0.26)	9.39	14.01	14.48
विमान/नौकाएं	1.91	0.17	0.05	(0.10)	1.93	0.47	0.14	(0.03)	0.58	1.35	1.44
फर्नीचर और फिक्सचर	38.02	2.04	0.26	(1.82)	37.98	11.83	2.15	(0.51)	13.47	24.51	26.19
कम्प्यूटर और अनुषंगी वस्तुएं	45.68	7.98	1.41	(1.90)	50.35	30.19	6.45	(2.28)	34.36	15.99	15.49
संचार उपकरण	12.26	1.23	0.17	(0.08)	13.24	3.70	0.65	(0.14)	4.21	9.03	8.56
अन्य उपकरण	108.89	11.50	0.82	(2.43)	117.14	36.06	6.61	(1.21)	41.46	75.68	72.83
कुल	**28940.11**	**258.19**	**52.32**	**(1,795.00)**	**27,350.98**	**7,309.78**	**1,231.80**	**(517.84)**	**8,023.74**	**19,327.24**	**21,630.33**
पिछले वर्ष	28,903.33	389.18	30.98	(1.82)	28,940.11	5,787.09	1,558.69	(13.56)	7,309.78	21,630.33	

नोटः –

क) 1458.55 हेक्टेयर क्षेत्र (पिछले वर्ष भी 1458.55 हेक्टेयर) में फैली 6.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.51 करोड़) की फ्री होल्ड भूमिं राजस्व रिकॉर्ड में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा भारत सरकार के पक्ष में, दर्ज करायी गयी जो (एनएचपीसी लिमिटेड के पावर स्टेशन) सलाल पावर स्टेशन के पास है। 0.0004 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.0004 करोड़) की राशि पावर स्टेशन की 0.10 हेक्टेयर फ्री होल्ड भूमि (पिछले वर्ष 0.10 हेक्टेयर) का टाईटल डीड अभी होनी है/पारित की जानी है।

ख) दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना के संदर्भ में 24.90 करोड़ (पिछले वर्ष 13.77 करोड़) की 98.38 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 51.38 हेक्टेयर) की फ्री होल्ड भूमि जो परस्पर सहमति से एनएचपीसी के पक्ष में कर दी गयी का टाईटल डीड अभी होना है/पारित किया जाना है।

ग) अन्य इकाईयों के संदर्भ में, 6.70 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.70 करोड़ रुपए) की 92.00 हेक्टेयर में फैली (पिछले वर्ष 92.00 हेक्टेयर) का टाईटल डीड अभी होना है/पारित किया जाना है।

2.1.2 फ्री होल्ड भूमि में 8 हेक्टेयर भूमि (पिछले वर्ष 8 हेक्टेयर) जिसका उपयोग लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)– (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराये पर किया जा रहा है, जिसके लिये एनएचपीसी लिमिटेड और एलडीएचसीएल के बीच लीज समझौता किया गया है।

2.1.3 सकल ब्लॉक और ह्रास समायोजन में टीएलडी–III पावर स्टेशन के संदर्भ में पीपीई से गैरमान्य और वित्तीय आस्तियों के तहत लीज प्राप्य के रूप में मान्य राशि का समायोजन शामिल है, जिसे इंड एएस–116 लीज के तहत वित्तीय लीज के रूप में लेखांकित किया गया है।(टिप्पणी 34(18) (ख) (ii) देखें।

2.1.4 सेवा–II, किशनगंगा, चमेरा–III, तीस्ता लो डैम–III, उड़ी–II, और तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) के लंबित अनुमोदन को देखते हुए इन पावर स्टेशनों पर हुए पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण पर विचार किया गया है।

2.1.5 बैंक उधारियों के लिये सुरक्षा के रूप में बैंको के पास बंधक/रेहन रखे गयी गैर चालू आस्तियों की जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34 (11) देखें।

2.1.6 अस्थायी आधार पर पूंजीकृत आस्तियों से संबंधित जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34(5) देखें।

2.1.7 आस्तियों के सकल ब्लॉक में समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर विचलन इस प्रकार हैः–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
सड़क और पुल	(1.03)	-
भवन	(7.29)	-
हाइड्रोलिक वर्कस (बांध, जल संचालक प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंगें)	(32.73)	-
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(8.52)	-
संयंत्र और मशीनरी सब–स्टेशन	(0.07)	-
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	(0.04)	-
कुल	**(49.68)**	**-**

2.1.8 आस्तियों की क्षति से संबंधित जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(19) देखें ।

2.1.9 थंगल ग्राम प्राधिकरण द्वारा थंगल गांव में 3835 वर्ग फुट की एक जमीन एनएचपीसी लिमिटेड को अंशदान के रूप में दी गयी। यह जमीन वहां बनाये गये अस्थायी शेड के साथ लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेकट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को निगमित किये जाते ही सौंप दी गयी । यह जमीन ग्रुप के अधिकार में है लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं लगाया गया है।

2.1.10 पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित ह्रास और आस्तियों के सकल ब्लॉक के अनुसार परिसंपत्ति, संयत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध–1 के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

अनुबंध–I से टिप्पणी संख्या. 2.1 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की अतिरिक्त जानकारी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	संवर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	398.08	16.54	0.30	(0.31)	414.01	-	-	-	-	414.01	398.08
सड़क और पुल	406.10	4.45	0.14	(7.67)	402.74	159.45	11.68	(1.56)	169.57	233.17	246.65
भवन	3,133.74	30.78	0.52	(194.74)	2,969.26	1,167.21	76.14	(44.12)	1,199.23	1,770.03	1,966.53
रेलवे साइडिंग	36.10	-	-	(4.12)	31.98	36.10	-	(4.12)	31.98	-	-
हाइड्रोलिक वर्कस (बांध, जल संचालक प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंगें)	22,919.83	19.77	0.18	(1,098.90)	21,840.52	10,355.00	756.14	(386.22)	10,724.92	11,115.60	12,564.83
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	11,293.72	147.22	53.88	(660.68)	10,726.38	5,183.86	355.14	(269.83)	5,269.17	5,457.21	6,109.86
संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	107.52	1.16	0.72	(2.55)	105.41	65.21	2.43	(0.97)	66.67	38.74	42.30
संयंत्र और मशीनरी– ट्रांसमिशन लाइन	98.27	1.27	-	(1.79)	97.75	49.47	4.29	(0.81)	52.95	44.80	48.80
संयंत्र और मशीनरी– अन्य	52.53	3.70	0.81	(0.48)	54.94	28.25	1.96	(0.79)	29.42	25.52	24.28
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	113.35	2.52	0.50	(4.66)	110.71	82.76	3.66	(1.92)	84.50	26.21	30.59
जलापूर्ति/जल निकासी और सीवरेज	65.16	5.17	0.04	(1.49)	68.80	20.30	2.31	(0.30)	22.31	46.49	44.86
विद्युत संस्थापनाए	17.37	1.23	-	(0.22)	18.38	2.81	0.71	(0.03)	3.49	14.89	14.56
वाहन	33.14	1.46	0.77	(0.44)	33.39	18.66	1.34	(0.62)	19.38	14.01	14.48
विमान/नौका	2.15	0.17	0.05	(0.11)	2.16	0.71	0.14	(0.04)	0.81	1.35	1.44
फर्नीचर और फिक्सचर	62.39	2.04	0.38	(2.06)	61.99	36.20	2.15	(0.87)	37.48	24.51	26.19
कम्प्यूटर और अनु ंगी वस्तुएं	73.73	7.98	2.67	(2.12)	76.92	58.24	6.45	(3.77)	60.92	16.00	15.49
संचार उपकरण	17.99	1.23	0.34	(0.08)	18.80	9.43	0.65	(0.31)	9.77	9.03	8.56
कार्यालय उपकरण	164.72	11.50	2.31	(2.87)	171.04	91.89	6.61	(3.13)	95.37	75.67	72.83
कुल	**38,995.89**	**258.19**	**63.61**	**(1,985.29)**	**37,205.18**	**17,365.55**	**1,231.80**	**(719.41)**	**17,877.94**	**19,327.24**	**21,630.33**
पिछले वर्ष	38,980.80	389.18	39.22	(1.87)	38,995.88	15,864.56	1,558.69	(21.85)	17,365.55	21,630.33	

विवरणात्मक टिप्पणी : –

आस्तियों के उपयोग अधिकार के तहत वर्गीकृत "भूमि उपयोग अधिकार" पर सृजित **10494.51 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **10491.91 करोड़**) का भूमिगत कार्य परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मदों के तहत शामिल किया गया है।

टिप्पणी संख्या. 2.1 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्य ह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकृत	संवर्धन	कटौती	समा–योजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकृत	वर्ष के लिए	समा–योजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	337.71	-	61.18	0.41	(0.40)	398.08	-	-	-	-	-	398.08	337.71
(टिप्पणी संख्या 2.1.1 और 2.1.2 देखें)													
भूमि लीज होल्ड	302.59	(302.59)	-	-	-	-	22.08	(22.08)	-	-	-	-	280.51
(टिप्पणी 2.1.8)													
सड़क और पुल	222.58	-	89.80	-	-	312.38	41.11	-	24.62	-	65.73	246.65	181.47
भवन	2,352.06	-	55.61	0.14	(0.23)	2,407.30	354.44	-	86.27	0.06	440.77	1,966.53	1,997.62
भवन–लीज के अंतर्गत	17.01	(17.01)	-	-	-	-	0.36	(0.36)	-	-	-	-	16.65
(टिप्पणी 2.1.8)													
रेलवे साइडिंग	16.57	-	-	-	-	16.57	13.09	-	3.47	0.01	16.57	-	3.48
हाइड्रोलिक वर्कस (बांध, जल संचालक प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंगें)	16,949.35	-	25.31	1.40	-	16,973.26	3,466.89	-	942.68	(1.14)	4,408.43	12,564.83	13,482.46
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	8,220.79	-	120.29	25.71	(1.72)	8,313.65	1,746.91	-	468.30	(11.42)	2,203.79	6,109.86	6,473.88
संयंत्र और मशीनरी – सब स्टेशन	51.30	-	4.74	0.03	0.01	56.02	11.44	-	2.30	(0.02)	13.72	42.30	39.86
संयंत्र और मशीनरी – ट्रांसमिशन लाइने	70.71	-	0.57	-	(0.20)	71.08	17.46	-	4.84	(0.02)	22.28	48.80	53.25
संयंत्र और मशीनरी अन्य	36.01	-	0.39	0.01	(0.18)	36.21	10.10	-	1.85	(0.02)	11.93	24.28	25.91
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	52.56	-	1.80	0.17	0.27	54.46	19.90	-	4.00	(0.03)	23.87	30.59	32.66
जलापूर्ति/जलापूर्ति प्रणाली/निकासी और सीवरेज	52.44	-	2.93	-	-	55.37	8.44	-	2.07	-	10.51	44.86	44.00
विद्युत संस्थापनाएं	4.78	-	7.88	0.38	3.90	16.18	0.90	-	0.56	0.16	1.62	14.56	3.88
वाहन	22.45	-	1.04	0.70	-	22.79	6.90	-	1.49	(0.08)	8.31	14.48	15.55
विमान/नौकाएं	1.92	-	-	0.01	-	1.91	0.31	-	0.15	0.01	0.47	1.44	1.61
फर्नीचर और फिक्सचर	36.11	-	2.03	0.12	-	38.02	9.57	-	2.30	(0.04)	11.83	26.19	26.54
कम्प्यूटर और अनु ांगी वस्तुएं	39.20	-	7.28	0.82	0.02	45.68	24.24	-	6.42	(0.47)	30.19	15.49	14.96
संचार उपकरण	11.82	-	0.59	0.15	-	12.26	3.10	-	0.68	(0.08)	3.70	8.56	8.72
कार्यालय उपकरण	105.37	-	7.74	0.93	(3.29)	108.89	29.85	-	6.69	(0.48)	36.06	72.83	75.52
कुल	**28,903.33**	**(319.60)**	**389.18**	**30.98**	**(1.82)**	**28,940.11**	**5,787.09**	**(22.44)**	**1,558.69**	**(13.56)**	**7,309.78**	**21,630.33**	**23,116.24**
पिछले वर्ष	23,484.31	-	5,451.29	15.91	(16.36)	28,903.33	4,206.58	-	1,604.20	(23.69)	5,787.09	23,116.24	

टिप्पणी : –

2.1.1 क) 1458.55 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1458.55 हेक्टेयर) में फैली क्षेत्र की 6.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.51 करोड़)मूल्य की फ्री होल्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा भारत सरकार के पक्ष में दर्ज करायी गयी है, जो सलाल पावर स्टेशन (एनएचपीसी लिमिटेड का पावर स्टेशन) के पास है। 0.0004 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.0004 करोड़ रुपए) की पावर स्टेशन की 0.10 हेक्टेयर फ्री होल्ड भूमि (पिछले वर्ष 0.10 हेक्टेयर) का टाईटल डीड अभी होनी है/पारित की जानी है।

ख) अन्य इकाईयों के संदर्भ में 143.38 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 109.75 हेक्टेयर) क्षेत्र के 20.47 करोड़ (पिछले वर्ष 6.73 करोड़ रुपए) के फ्री होल्ड भूमि संबंधित टाईटल डीड/टाईटल अभी होना है/पारित किया जाना है।

2.1.2 फ्री होल्ड भूमि में 8 हेक्टेयर भूमि (पिछले वर्ष 8 हेक्टेयर), जिसका उपयोग लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेकिट्रक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)– (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा प्रतिवर्ष 100 रुपए के किराये पर किया जा रहा है, जिसके लिये एनएचपीसी लिमिटेड और एलडीएचसीएल के बीच लीज समझौता किया गया है।

2.1.3 सकल ब्लॉक समायोजन में विदेशी मुद्रा दर अंतर, परियोजना निर्माण अवधि के तहत पूंजीकृत और प्रभारित ह्रास के लिये समायोजन शामिल है। (एफईआरवी समायोजन के लिये समेकित वित्तीय विवरणियो की टिप्पणी 34(8) देखें।

2.1.4 सेवा–II, किशनगंगा, चमेरा–III, तीस्ता लो डैम–III, उड़ी–II, और तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) के लंबित अनुमोदन को देखते हुए इन पावर स्टेशनों पर हुए पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण पर विचार किया गया है।

2.1.5 बैंक उधारियों के लिये बैंको के पास सुरक्षा के रूप में बंधक/रेहन रखे गयी गैर–वर्तमान आस्तियों की जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34 (11) देखें।

2.1.6 अस्थायी आधार पर पूंजीकृत आस्तियों से संबंधित जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34(5) देखें।

2.1.7 आस्तियों की क्षति के संबंध में जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(19) देखें

2.1.8 319.60 करोड़ रुपए राशि का भूमि लीज होल्ड, भवन– लीज होल्ड को पुनः वर्गीकृत किया गया है और इंड एएस 116 के अनुरूप तुलन पत्र में उपयोग अधिकार आस्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इंड एएस 16 के तहत और स्पष्टीकरण के लिये टिप्पणी34(18) देखें।

2.1.9 थंगल ग्राम प्राधिकरण द्वारा थंगल गांव में 3835 वर्ग फुट की एक जमीन एनएचपीसी लिमिटेड को अंशदान के रूप में दी गयी। यह जमीन वहां बनाये गये अस्थायी शेड के साथ लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को निगमित किए जाते ही सौंप दी गयी । यह जमीन ग्रुप के अधिकार में है लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं लगाया गया है।

2.1.10 पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित ह्रास और आस्तियों के सकल ब्लॉक के अनुसार परिसंपत्ति, संयत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध–1 के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

अनुबंध-I से टिप्पणी संख्या. 2.1 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की अतिरिक्त जानकारी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्य ह्रास					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकृत	संवर्धन	कटौती	समा–योजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकृत	वर्ष के लिए	समा–योजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	337.71	-	61.18	0.41	(0.40)	398.08	-	-	-	-	-	398.08	337.71
भूमि – लीज होल्ड	316.00	(316.00)	-	-	-	-	35.49	(35.49)	-	-	-	-	280.51
सड़कें और पुल	316.30	-	89.80	-	-	406.10	134.83	-	24.62	-	159.45	246.65	181.47
भवन	3,079.01	-	55.61	0.59	(0.29)	3,133.74	1,081.39	-	86.27	(0.45)	1,167.21	1,966.53	1,997.62
भवन – इस्तेमाल का अधिकार	17.01	(17.01)	-	-	-	-	0.36	(0.36)	-	-	-	-	16.65
रेलवे साइडिंग	36.10	-	-	-	-	36.10	32.62	-	3.47	0.01	36.10	-	3.48
हाइड्रोलिक वर्कस (बांध, जल संचालक प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंगें)	22,895.92	-	25.31	1.41	0.01	22,919.83	9,413.46	-	942.68	(1.14)	10,355.00	12,564.83	13,482.46
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	11,202.45	-	120.29	27.23	(1.79)	11,293.72	4,728.57	-	468.30	(13.01)	5,183.86	6,109.86	6,473.88
संयंत्र और मशीनरी–सब स्टेशन	102.93	-	4.74	0.18	0.02	107.51	63.07	-	2.30	(0.16)	65.21	42.30	39.86
संयंत्र और मशीनरी–ट्रांसमिशन लाइने	97.90	-	0.57	-	(0.20)	98.27	44.65	-	4.84	(0.02)	49.47	48.80	53.25
संयंत्र और मशीनरी–अन्य	52.32	-	0.38	0.01	(0.16)	52.53	26.41	-	1.85	(0.01)	28.25	24.28	25.91
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	112.70	-	1.80	1.49	0.34	113.35	80.04	-	4.00	(1.28)	82.76	30.59	32.66
जल सप्लाई/निकासी और सीवरेज	62.24	-	2.93	0.01	-	65.16	18.24	-	2.07	(0.01)	20.30	44.86	44.00
विद्युत संस्थापनाएं	5.99	-	7.89	0.40	3.89	17.37	2.11	-	0.56	0.14	2.81	14.56	3.88
वाहन	33.51	-	1.04	1.41	-	33.14	17.96	-	1.49	(0.79)	18.66	14.48	15.55
विमान/नौकाएं	2.19	-	-	0.03	(0.01)	2.15	0.58	-	0.15	(0.02)	0.71	1.44	1.61
फर्नीचर और फिक्सचर	60.73	-	2.03	0.37	-	62.39	34.19	-	2.30	(0.29)	36.20	26.19	26.54
कम्प्यूटर और अनुषंगी वस्तुएं	69.76	-	7.28	3.32	0.01	73.73	54.80	-	6.42	(2.98)	58.24	15.49	14.96
संचार उपकरण	17.61	-	0.59	0.21	-	17.99	8.89	-	0.68	(0.14)	9.43	8.56	8.72
कार्यालय उपकरण	162.42	-	7.74	2.15	(3.29)	164.72	86.90	-	6.69	(1.70)	91.89	72.83	75.52
कुल	**38,980.80**	**(333.01)**	**389.18**	**39.22**	**(1.87)**	**38,995.88**	**15,864.56**	**(35.85)**	**1,558.69**	**(21.85)**	**17,365.55**	**21,630.33**	**23,116.24**
पिछले वर्ष	33,625.87	-	5,451.29	30.23	(66.13)	38,980.80	14,348.14	-	1,604.20	(87.78)	15,864.56	23,116.24	

विवरणात्मक टिप्पणी : –

2.1.1 आस्तियों के उपयोग अधिकार के तहत वर्गीकृत "भूमि उपयोग अधिकार" पर सृजित 10491.91 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10508.57 करोड़) का भूमिगत कार्य परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मदों के तहत शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.2 पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	01.04.2020 को	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2021 को
सड़कें और पुल	54.75	12.33	-	4.41	62.67
भवन	1,002.82	92.45	(21.21)	37.21	1,036.85
हाइड्रोलिक वर्कस (बांध, जल संचालक प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स, सुरंगें)	5,637.89	719.63	(44.82)	14.47	6,298.23
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	2,839.91	165.00	(9.69)	89.28	2,905.94
संयंत्र और मशीनरी–सब स्टेशन	-	2.58	-	-	2.58
संयंत्र और मशीनरी–ट्रांसमिशन लाइने	6.15	6.61	-	5.82	6.94
संयंत्र और मशीनरी–अन्य	0.49	2.34	-	1.16	1.67
जल सप्लाई/निकासी और सीवरेज	2.95	3.76	-	4.81	1.90
अन्य परिसम्पत्तियां लंबित संस्थापना	18.13	36.49	(6.36)	36.07	12.19
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार	183.05	22.27	(0.31)	1.47	203.54
क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर खर्च	15.95	-	-	-	15.95
निर्माण से संबंधित व्यय **(टिप्पणी 32 देखें)**	8,149.77	1,269.34	(8.69)	11.88	9,398.54
उप जोड़	**17,911.86**	**2,332.80**	**(91.08)**	**206.58**	**19,947.00**
घटाएं: पूंजी कार्य प्रगति पर के लिए प्रावधान **(टिप्पणी 2.2.2)**	820.78	144.63	(10.83)	-	954.58
उप जोड़ (क)	**17,091.08**	**2,188.17**	**(80.25)**	**206.58**	**18,992.42**
निर्माण भंडार	90.67		(14.86)		75.81
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.34		(1.02)		0.32
उप जोड(ख)	**89.33**		**(13.84)**		**75.49**
कुल	**17,180.41**	**2,188.17**	**(94.09)**	**206.58**	**19,067.91**
पिछले वर्ष	15,036.80	2,454.43	(14.12)	296.70	17,180.41

विवरणात्मक टिप्पणी

2.2.1 निर्माण संबंधी व्यय (ईएसी) में अवधि के दौरान पूंजीकृत उधारी लागत पर 918.98 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 661.87 करोड़ रुपए) का व्यय शामिल है.। **(टिप्पणी 32 भी देखें)**

2.2.2 जारी पूंजीगत कार्य में 1192.72 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1141.05 करोड़) का संचयी व्यय शामिल है जिसमें सर्वेक्षण और जांच स्तर की परियोजनाओं पर सर्वे, जांच, परामर्शी कार्य, निरीक्षण प्रभार के रूप में हुआ 138.52 करोड़ (पिछले वर्ष 119.54 करोड़) का व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 43.52) सुबनसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल सरकार ने एक निजी डेवलपर को देने का फैसला किया था। हालांकि परियोजना को सौंपने का कार्य और उसपर हो चुके व्यय की वसूली का काम लंबित रहने के कारण, यह राशि लेखा पुस्तिका में सतर्कता के रूप में बनाये रखी गयी। 1149.20 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1097.53 करोड़) के शेष में से 911.06 करोड़(पिछले वर्ष 777.26करोड़) अनिश्चितताओं वाली और 238.14 करोड़ (पिछले वर्ष 320.27 करोड़) मंजूरी मिलने की निश्चितता वाली अन्य परियोजनाओं के लिये, उपलब्ध कराये गये। **(टिप्पणी 34 (25), 34(26), 34(27), और 34(28) भी देखें)**

2.2.3 सियांग बेसिन, सुबनसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड से ली गयीं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लंबित खाता, आस्तियों और देयताओं का समायोजन कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं पर व्यय की गयी राशि की सीमा तक लेखांकित कर ली गयी हैं। सियांग लोअर और सियोम जलविद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबनसिरी मध्य (सुबनसिरी बेसिन में) निजी डेवलपर को सौंप दी गयी हैं और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ खातों के समायोजन से सामने आने वाली देयता यदि कोई हो तो संबंधित निजी डेवलपर से वसूली योग्य है।

2.2.4 भूमि– उपयोग अधिकार से सृजित 2317.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2234.15 करोड़) का भूमिगत कार्य, जारी पूंजीगत कार्यों (सीडबल्यू आईपी) के संबंधित मदों में शामिल हैं।

2.2.5 संबंधित उधारियों के लिये प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास रखी गयी गैर वर्त्तमान आस्तियों के बारे में जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34(11) देखें।

2.2.6 सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदित परियोजनाओं पर पूजीगत व्यय की समय समय पर समीक्षा की जाती है क्योंकि जलविद्युत परियोजनाएं समय सापेक्ष हैं और कुछ में अनुमानित समय से अधिक समय लगता है। इसकी वजह से लागत बढ़ जाती है जिसपर संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी की जरूरत होती है। ऐसी मंजूरी में देर होने की वजह से व्यय को जारी पूंजीगत कार्यो में अग्रसारित कर दिया जाता है।

2.2.7 अस्थायी आधार पर पूंजीकृत आस्तियों के संबंध में जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34 (5) देखें।

2.2.8 आस्तियों में क्षति के बारे जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34(19) देखें।

2.2.9 वर्ष के दौरान कंपनी ने मरम्मत और आधुनिकीकरण के बाद बैरा–सूयल पावर स्टेशन की यूनिट#1 चालू और पूंजीकृत की है।

टिप्पणी सं. 2.2 : चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2019 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2020के अनुसार
सड़कें और पुल	92.99	50.55	0.01	88.80	54.75
भवन	911.04	151.18	2.11	61.51	1,002.82
भवन – पट्टे के अधीन	-	-	-	-	-
''हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)''	4,520.39	1,129.18	6.12	17.80	5,637.89
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,584.49	323.49	0.48	68.55	2,839.91
संयंत्र तथा मशीनरी – सब–स्टेशन	2.98	1.31	-	4.29	-
संयंत्र तथा मशीनरी –ट्रांसमिशन लाइनें	1.28	5.78	(0.01)	0.90	6.15
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	0.01	0.49	(0.01)	-	0.49
निर्माण उपकरण	-	0.02	-	0.02	-
जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.93	2.80	-	1.78	2.95
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य आस्तियां	12.44	46.08	(0.46)	39.93	18.13
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	175.22	10.65	(2.82)	-	183.05
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.94	0.01	-	-	15.95
निर्माण पर आरोप्य व्यय **(टिप्पणी सं 32 देखें)**	7,281.55	887.62	(6.28)	13.12	8,149.77
उप जोड़	**15,600.26**	**2,609.16**	**(0.86)**	**296.70**	**17,911.86**
घटाएं : प्रावधान किए गए चल रहे पूंजीगत कार्य (टिप्पणी सं 2.2.2 देखें)	668.87	154.73	(2.82)	-	820.78
उप जोड़ (क)	**14,931.39**	**2,454.43**	**1.96**	**296.70**	**17,091.08**
निर्माण भंडार	107.82		(17.15)		90.67
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	2.41		(1.07)		1.34
उप जोड़ (ख)	**105.41**		**(16.08)**		**89.33**
कुल	**15,036.80**	**2,454.43**	**(14.12)**	**296.70**	**17,180.41**
पिछले वर्ष	19,086.74	1,545.67	(84.71)	5,510.90	15,036.80

व्याख्यात्मक टिप्पणी:–

2.2.1 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में ऋण लागत के निमित्त शामिल 661.87 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 368.11 करोड़ रुपए) को अवधि के दौरान पूंजीकृत किया गया है **(टिप्पणी सं 32 भी देखें)।**

2.2.2 सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1141.05 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1422.80 करोड़ रूपए) का संचयी व्यय शामिल है और यह सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत होने वाली परियोजनाओं पर सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभारों के 119.54 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 151.75 करोड़ रूपए) सहित है। इसमें से, 43.52 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रूपए) की राशि सुबनसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया था।तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त पूर्व–सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1097.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1379.28 करोड़ रूपए) के शेष में से, 777.27 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 625.35 करोड़ रूपए) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में उपलब्ध करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 320.26 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 753.93 करोड़ रूपए) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेणीत किया गया है **(टिप्पणी सं 34(25), 34(26), 34(27) और 34(28) भी देखें)।**

2.2.3 सियांग बेसिन, सुबनसिरी बेसिन और दिबांग बहु–उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा निपटान लंबित रहते, इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखाओं में लिया गया है। सियांग लोअर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबनसिरी मिडल (सुबनसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकीं हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखाओं के निपटान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।

2.2.4 'भूमि – उपयोग का अधिकार' पर सृजित, 2234.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2172.97 करोड़ रुपए) राशि के भूमिगत कार्य चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं।

2.2.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।

2.2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती है और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते, किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रेणीत किया गया है।

2.2.7 अनंतिम आधार पर पूंजीकृत परिसंपत्तियों के संबंध में सूचना के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(5)देखें।

2.2.8 परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में सूचना के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(19) देखें।

2.2.9 चल रहे पूंजीगत कार्य में सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में 7263.48 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष में 6317.39 करोड़ रुपए) शामिल है,जहां निर्माण क्रियाकलाप दिसम्बर 2011 से सितम्बर 2019 तक बंद रहने के पश्चात् अक्तूबर 2019 से निर्माण पुनः प्रारंभ हो गए है।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन			निवल ब्लाक		
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि – लीजहोल्ड (टिप्पणी 2.3.1 देखें)	317.39	-	-	(3.50)	313.89	33.79	11.84	(0.61)	45.02	268.87	283.60
पट्टे के अधीन भवन	22.34	2.45	18.41	-	6.38	2.76	1.97	(1.69)	3.04	3.34	19.58
वाहन	3.44	1.57	0.61	-	4.40	1.94	1.82	(0.61)	3.15	1.25	1.50
भूमि – उपयोग का अधिकार	2,779.10	11.36	0.17	(38.91)	2,751.38	317.47	66.69	(6.33)	377.83	2,373.55	2,461.63
कुल	**3,122.27**	**15.38**	**19.19**	**(42.41)**	**3,076.05**	**355.96**	**82.32**	**(9.24)**	**429.04**	**2,647.01**	**2,766.31**
पिछले वर्ष	16.22	683.35	0.37	-	3,122.27	-	85.04	(0.10)	355.96	2,766.31	-

टिप्पणी:

2.3.1 (क) भूमि – लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) इंडो–तिब्बतीन बार्डर पुलिस (आईटीबीपी) को सौंपी गई है।

(ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 397.21 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 530.88 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 165.35 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 251.40 करोड़ रूपए) राशि की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

2.3.2 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(19) देखें।

2.3.3 सकल ब्लॉक और मूल्यह्रास के समायोजन में टीएलडी–।।। पावर स्टेशन के संबंध में उपयोग के अधिकार की संपत्ति से अमान्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत लीज प्राप्यों के रूप में मान्यता प्राप्त राशि के लिए समायोजन शामिल है, जिसे इंड–एएस 116–पट्टों के तहत वित्त पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है। (टिप्पणी 34 (18) (ख) (।।) का अवलोकन करें)।

2.3.4 संपत्ति के प्रयोग के अधिकार का प्रयोग का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–। में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अनुबंध–1

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास/परिशोधन			निवल ब्लाक		
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि – लीजहोल्ड	330.80	0.98	-	(3.76)	328.02	47.20	11.84	(0.87)	58.17	269.85	283.60
पट्टे के अधीन भवन	22.34	1.47	18.41	-	5.40	2.76	1.97	(1.69)	3.04	2.36	19.58
वाहन	3.44	1.57	0.61	-	4.40	1.94	1.82	(0.61)	3.15	1.25	1.50
भूमि – उपयोग का अधिकार	3,131.62	11.36	0.17	(40.77)	3,102.04	669.99	66.69	(8.19)	728.49	2,373.55	2,461.63
कुल	**3,488.20**	**15.38**	**19.19**	**(44.53)**	**3,439.86**	**721.89**	**82.32**	**(11.36)**	**792.85**	**2,647.01**	**2,766.31**
पिछले वर्ष	16.22	683.35	0.37	-	3,488.20	-	85.04	(0.10)	721.89	2,766.31	-

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास/परिशोधन						निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – लीजहोल्ड (टिप्पणी 2.3.1 देखें)	9.50	302.59	5.30	-	-	317.39	-	22.08	11.71	-	33.79	283.60	
पट्टे के अधीन भवन (टिप्पणी 2.3.2 देखें)	4.53	17.01	1.12	0.32	-	22.34	-	0.36	2.47	(0.07)	2.76	19.58	
निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
वाहन	2.19	-	1.30	0.05	-	3.44	-	-	1.97	(0.03)	1.94	1.50	
भूमि – उपयोग का अधिकार	-	2,103.47	675.63	-	-	2779.10	-	248.58	68.89	-	317.47	2,461.63	
कुल	**16.22**	**2,423.07**	**683.35**	**0.37**	**-**	**3122.27**	**-**	**271.02**	**85.04**	**(0.10)**	**355.96**	**2,766.31**	**-**
पिछले वर्ष	-		-	-	-	-	-	-	-	-			&

टिप्पणी:

2.3.1 (क) भूमि – लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई 2.72 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.72 हेक्टेयर) भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में से, 1.06 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.06 हेक्टेयर) इंडो–तिब्बतीन बार्डर पुलिस (आईटीबीपी) को सौंपी गई है।

(ख) अन्य यूनिटों के संबंध में, 530.88 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 519.68 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल की 251.40 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 247.90 करोड़ रूपए) राशि की लीजहोल्ड भूमि के संबंध में संपत्ति विलेख अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं।

(ग) भूमि – लीजहोल्ड भूमि के अंतर्गत इंड एएस 116–पट्टे जिसे पूर्व में प्रचालनात्मक पट्टों के रुप में वर्गीकृत किया गया था, के अनुसरण में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार के रुप में वर्ष के दौरान 9.81 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की गई है। इंड एएस 116 के तहत अन्य प्रकटन के लिए टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.3.2 "पट्टे के अधीन भवन "वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अधिग्रहीत 17.01 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 17.01 करोड़ रुपए) की राशि के किदवई नगर, नई दिल्ली में 5001 वर्ग फीट का भवन स्थल शामिल है। उसके संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।

2.3.3 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(19) देखें।

2.3.4 2423.27 करोड़ रुपए की राशि को इंड एएस–116 के कारण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों से वर्ष के दौरान भूमि – लीजहोल्ड, भवन – लीजहोल्ड और भूमि – उपयोग का अधिकार के रुप में पुर्नवर्गीकृत किया गया है।

2.3.5 संपत्ति के प्रयोग के अधिकार का प्रयोग का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–। में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणीसंख्या2.3परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अनुबंध–1

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास/परिशोधन						निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – लीजहोल्ड	9.50	316.00	5.30	-	-	330.80	-	35.49	11.71	-	47.20	283.60	
पट्टे के अधीन भवन	4.53	17.01	1.12	0.32	-	22.34	-	0.36	2.47	(0.07)	2.76	19.58	
निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वाहन	2.19	-	1.30	0.05	-	3.44	-	-	1.97	(0.03)	1.94	1.50	
भूमि – उपयोग का अधिकार	-	2,455.99	675.63	-	-	3,131.62	-	601.10	68.89	-	669.99	2,461.63	
कुल	**16.22**	**2,789.00**	**683.35**	**0.37**	**-**	**3,488.20**	**-**	**636.95**	**85.04**	**(0.10)**	**721.89**	**2,766.31**	**-**
पिछले वर्ष	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.49**	**4.49**
पिछले वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्नन करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपए में)

31.03.2021 को	31.03.2020 को
72.87	53.58

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, समूह संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा उचित मूल्यांकन अनुक्रम के स्तर–।। पर माना जाएगा।

टिप्पणी संख्या 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	वृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
कुल	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	4.49
पिछले वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	-	-	4.49	

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपए में)

31.03.2020 को	31.03.2019 को
53.58	53.58

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री–होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, समूह संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर–निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा उचित मूल्यांकन अनुक्रम के स्तर–3 पर माना जाएगा।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10.98	5.03	0.17	(0.23)	15.61	10.26	2.22	(0.39)	12.09	3.52	0.72
कुल	**10.98**	**5.03**	**0.17**	**(0.23)**	**15.61**	**10.26**	**2.22**	**(0.39)**	**12.09**	**3.52**	**0.72**
पिछले वर्ष	2,113.82	0.66	0.03	-	10.98	257.92	0.96	0.04	10.26	0.72	

टिप्पणी :

2.5.1 अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–ए में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां का अनुबंध–I

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	48.62	5.03	0.47	(0.28)	52.90	47.90	2.22	(0.74)	49.38	3.52	0.72
कुल	48.62	5.03	0.47	(0.28)	52.90	47.90	2.22	(0.74)	49.38	3.52	0.72
पिछले वर्ष	2,504.12	0.66	0.17	(6.40)	48.62	648.22	0.96	(0.18)	47.90	0.72	

टिप्पणी सं. 2.6 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	.	0.17	-	-	0.17	-	-	-	-	0.17	-
कुल	**.**	**0.17**	**-**	**-**	**0.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.17**	**-**
पिछले वर्ष	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक						परिशोधन					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – उपयोग का अधिकार (टिप्पणी 2.5.1 देखें)	2,103.47	(2,103.47)	-	-	-	-	248.58	(248.58)	-	-	-	-	1,854.89
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10.35	-	0.66	0.03	-	10.98	9.34	-	0.96	(0.04)	10.26	0.72	1.01
कुल	**2,113.82**	**(2,103.47)**	**0.66**	**0.03**	**-**	**10.98**	**257.92**	**(248.58)**	**0.96**	**(0.04)**	**10.26**	**0.72**	**1,855.90**
पिछले वर्ष	2,108.88	-	10.38	-	(5.44)	2,113.82	190.19		66.84	0.89	257.92	1,855.90	

टिप्पणी :

2.5.1 2103.47 करोड़ रुपए की राशि को भूमि – उपयोग का अधिकार में पुर्नवर्गीकृत किया गया है और इंड एएस–116 के कारण तुलन–पत्र पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार के रुप में प्रस्तुत किया गया है। इंड एएस–116 के तहत अन्य प्रकटन के लिए टिप्पणी 34(18) देखें।

2.5.2 अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संचित मूल्यह्रास इस टिप्पणी के अनुबंध–I में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां का अनुबंध–I

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक						परिशोधन					निवल ब्लाक	
	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	इंड एएस 116 के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि – उपयोग का अधिकार	2,455.99	(2,455.99)	-	-	-	-	601.10	(601.10)	-	-	-	-	1,854.89
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	48.13	-	0.66	0.17	-	48.62	47.12	-	0.96	(0.18)	47.90	0.72	1.01
कुल	**2,504.12**	**(2,455.99)**	**0.66**	**0.17**	**-**	**48.62**	**648.22**	**(601.10)**	**0.96**	**(0.18)**	**47.90**	**0.72**	**1,855.90**
पिछले वर्ष	2,500.47	-	10.38	0.33	(6.40)	2,504.12	581.78		66.84	(0.40)	648.22	1,855.90	

टिप्पणी सं. 2.6.1 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित निवेश

संयुक्त उद्यमों में ब्याज

नीचे सूचीबद्ध किए गए निकायों की शेयर पूंजी में पूर्णतः इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित है। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है, और स्वामित्व हित का अनुपात उनके द्वारा धारित मताधिकार के अनुपात के समान है।

(करोड़ रुपए में)

निकाय का नाम और संबंध			स्वामित्व ब्याज का प्रतिशत		वहनीय राशि	
	व्यापार का स्थान	लेखांकन पद्धति	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
''नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम''	भारत	इक्विटी पद्धति	20.00%	20.00%	18.22	22.06
''चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल), संयुक्त उद्यम''	भारत	इक्विटी पद्धति	51.93%	49.89%	1308.67	911.47
कुल इक्विटी लेखांकित निवेश					**1,326.89**	**933.53**

टिप्पणी सं. 2.6.2: इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा

(करोड़ रूपए में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
''नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम''	(3.85)	(4.01)
''चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल), संयुक्त उद्यम''	(1.64)	7.05
कुल	**(5.49)**	**3.04**

टिप्पणी सं. 2.6.3 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा

(करोड़ रूपए में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
''नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम''	–	–
''चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल), संयुक्त उद्यम''	–	–
कुल	**–**	**–**

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना

नीचे दी गई तालिका समूह के संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय जानकारी उपलब्ध करवाती है। प्रकट की गई सूचना संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि को प्रदर्शित करती है। इन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निकाय द्वारा किए जाने वाले समायोजनों को प्रदर्शित करने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें लेखांकन नीतियों में अंतर हेतु अधिग्रहण तथा संशोधन के समय किए गए उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

1. सारबद्ध तुलन–पत्र

(करोड़ रूपए में)

	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्तमान परिसंपत्तियां				
नकदी और नकदी समतुल्य	4.09	2.53	197.55	102.40
अन्य परिसंपत्तियां	5.54	10.46	389.56	113.70

	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	9.63	12.99	587.11	216.10
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	332.96	337.28	2,469.46	1,921.07
कुल परिसंपत्तियां (क)	**342.59**	**350.27**	**3,056.57**	**2,137.17**
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (व्यापार देय के अतिरिक्त)	62.23	60.43	48.92	25.42
अन्य देयताएं	2.47	2.52	225.53	269.47
कुल वर्तमान देयताएं	64.70	62.95	274.45	294.89
गैर–वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार के अतिरिक्त)	186.29	176.77	2.66	4.07
अन्य देयताएं	0.52	0.24	6.47	5.62
कुल गैर–वर्तमान देयताएं	186.81	177.01	9.13	9.69
कुल देयताएं (ख)	**251.51**	**239.96**	**283.58**	**304.58**
निवल परिसंपत्तियां (क–ख)	**91.08**	**110.31**	**2,772.99**	**1,832.59**
घटाएं : आवंटन लंबित प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	243.88	-
आवंटन लंबित प्राप्त शेयर आवेदन राशि के समायोजन के पश्चात निवल परिसंपत्ति	**91.08**	**110.31**	**2,529.11**	**1,832.59**

2. वहनीय राशियों का मिलान

(करोड़ रूपए में)

	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	110.32	130.39	1,832.60	1,477.48
वर्ष हेतु लाभ	(19.23)	(21.38)	(3.19)	14.22
अन्य व्यापक आय	(0.01)	(0.04)	-	-
इक्विटी अंशदान	-	-	699.70	340.90
अन्य इक्विटी में समायोजन (प्रारंभिक)	-	1.35		
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	**91.08**	**110.32**	**2,529.11**	**1,832.60**
समूह का अंश (प्रतिशत में)	20.00%	20.00%	51.93%	49.89%
समूह का अंश	18.22	22.06	1313.47	914.29
साख / (पूंजीगत आरक्षित)	-	-	(0.99)	0.00
वहनीय राशि	**18.22**	**22.06**	**1312.48**	**914.29**
घटाएं : अंतर समूह लेन–देन पर लाभ	**0.00**	**0.00**	**3.81**	**2.82**
निवल वहनीय राशि	**18.22**	**22.06**	**1308.67**	**911.47**

लाभ एवं हानि का सारबद्ध विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व	15.38	11.36	-	-
ब्याज आय	0.15	0.19	17.63	20.86
मूल्यह्रास और परिशोधन	8.33	7.65	1.00	-
ब्याज व्यय	18.91	16.67	0.03	-
अन्य व्यय	7.54	8.62	15.35	1.38
आय कर व्यय	-	-	4.43	5.27
सतत प्रचालनों से लाभ	**(19.25)**	**(21.39)**	**(3.18)**	**14.21**
वर्ष हेतु लाभ	**(19.25)**	**(21.39)**	**(3.18)**	**14.21**
अन्य व्यापक आय	(0.01)	(0.05)	-	-
कुल व्यापक आय	(19.26)	(21.44)	(3.18)	14.21

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर–वर्तमान निवेश

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपए में)
क. उद्धृत इक्विटी निवेश – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
कारपोरेट निकाय–(पूर्णतः प्रदत्त)				
इंडियन ओवरसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	-	-	360800	0.25
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	12000000	93.30	12000000	46.32
कुल (क)		**93.30**		**46.57**
ख. उद्धृत ऋण निवेश – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				
(क) सरकारी प्रतिभूतियां (टिप्पणी 3.1.2 और 3.1.4 देखें)				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 27 मार्च 2024 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	150000	162.28	150000	162.76
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 15 सितंबर 2024 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12380	13.37	12380	13.36
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 21 सितंबर 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	63.04	57000	62.52
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2027 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17940	19.78	17940	19.67
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 15 फरवरी 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35000	39.26	35000	39.38
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2032 (10000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34000	38.24	34000	38.24
उप जोड़ (क)		**335.97**		**335.93**
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15 नवंबर 2032 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.79	120	13.79
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27 मार्च 2027 (1000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	12.50	100000	11.94
8.48 एनएचएआई कर मुक्त 22 नवंबर 2028 (10,00,000/– रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	59.79	473	55.90
उप जोड़ (ख)		**86.08**		**81.63**
कुल (ख) (क + ख)		**422.05**		**417.56**
कुल (क + ख)		**515.35**		**464.13**
3.1.1 उद्धृत निवेशों की समग्र राशि और बाजार मूल्य		515.35		464.13

3.1.2 165.50 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 165.50 करोड़ रुपए) की लागत पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को 165.42 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 165.42 करोड़ रुपए) की तुलना में प्रतिभूति के रूप में निर्धारित किया गया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान परिपक्वता वाले डिबेंचर के कुल मोचन मूल्य का 15 प्रतिशत होता है।

3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित निवेशों का विवरण ऊपर टिप्पणी 3.1 के तहत प्रकट किया गया है।

3.1.4 ऋण दस्तावेजों के संबंध में उद्धृत निवेश जिनके लिए उद्धरण उपलब्ध नहीं है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्य के आधार पर बाजार मूल्य पर विचार किया गया है।

टिप्पणी संख्या 3.2 गैर–वर्तमान–वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिशोधित लागत पर		
क.	**जमा**		
	–अच्छे माने गए–अप्रतिभूत	25.14	24.55
	उप–जोड़	**25.14**	**24.55**
ख.	**संबंधित पक्ष को ऋण– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत–**नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड (टिप्पणी34(10) और 3.2.4 देखें)	18.40	-
	उप–जोड़	**18.40**	**-**
ग.	**कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.2.1 देखें)**		
	–अच्छे माने गए–प्रतिभूत	130.43	117.05
	–अच्छे माने गए–अप्रतिभूत	58.71	3.41
	उप–जोड़	**189.14**	**120.46**
ग.	**अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.3.2 एवं 3.2.4 देखें)**		
	–अच्छे माने गए–अप्रतिभूत	736.62	675.80
	उप–जोड़	**736.62**	**675.80**
	कुल	**969.30**	**820.81**
3.2.1	कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से बकाया (देखें टिप्पणी 34(10))	0.16	-
3.2.2	अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण इसमें शामिल है:		
	– मूलधन	225.00	225.00
	– ब्याज	511.62	450.80

3.2.3 ऋण गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जिनसे कंपनी को निर्धारित अथवा परिवर्तनशील ब्याज आय प्राप्त होती है। वहन मूल्य दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है।

3.2.4 व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए ऋणों को दर्शाता है।

3.2.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34 (17) देखें।

टिप्पणी संख्या 3.3 गैर–वर्तमान–वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	554.32	394.75
ख.	पट्टा किराया प्राप्य **(टिप्पणी 34 (18(ख)) देखें)**	6,248.71	5,111.73
ग.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः बांडों के खातों पर वसूली योग्य राशि **(टिप्पणी 3.4.3 और 11(ज) देखें)**	2,017.20	2,017.20
घ.	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याजः		
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	19.59	9.88
ङ.	व्युत्पन्न मार्क से बाजार परिसंपत्ति	18.21	33.71
च.	'आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि : – चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) **(टिप्पणी 3.3.3 देखें)'**	100.15	-
	कुल	**8,958.18**	**7,567.27**

3.3.1 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः से वित बांडों की देय राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 16.2.1 देखें।

3.3.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

3.3.3 'आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर पूंजी के सब्सक्रिप्शन के प्रति कंपनी का अंशदान शामिल है : चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) – 100.15 करोड़ रूपए (शेयर आवंटन की तिथि 5 अप्रैल 2021)'

टिप्पणी संख्या 4 गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तिया (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर	399.12	1,044.58
घटाएं: वर्तमान कर के लिए प्रावधान	389.05	929.66
गैर–वर्तमान कर **(टिप्पणी संख्या 23 देखें)**	-	38.37
कुल	**10.07**	**153.29**

टिप्पणी सं. 5 : अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**पूंजी अग्रिम**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूत	57.92	45.06
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभत		
	– बैंक गारंटी के बदले	165.45	164.73
	– अन्य	182.04	199.53
	घटाएं : लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र में बुक किए गए व्यय	19.18	30.28
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	201.76	145.58
	घटाएं :संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.1 देखें)	201.76	145.58
	उप जोड़	**386.23**	**379.04**
ख.	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम**		
i)	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	49.56	12.33
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	-	0.04
	घटाएं : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान(टिप्पणी संख्या 5.2 देखें)	-	0.04
	उप जोड़	**49.56**	**12.33**
ii)	**अन्य अग्रिम**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	0.41	0.67
	उप जोड़	**0.41**	**0.67**
ग.	**प्रोद्भूत ब्याज**		
	अन्य		
	– अच्छे माने गए	2.59	47.97
घ.	**अन्य**		
i)	**पूंजीगत कार्यों के संबंध में मध्यस्थता निर्णयों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत)**		
	ठेकेदारों का जारी–बैंक गारंटी के बदले	1,140.45	697.09
	ठेकेदारों को जारी–अन्य	34.61	34.61
	न्यायालय में जमा	1,383.31	1,222.90
	उप जोड़	**2,558.37**	**1,954.60**
ii)	**आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां/व्यय**		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	356.93	468.37
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	173.83	131.53
	उप जोड़	**530.76**	**599.90**
iii)	**कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों पर आस्थगित लागत**	65.36	54.69
	कुल	**3593.28**	**3049.20**

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
5.1	संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	145.58	4.50
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	60.32	135.38
	समायोजन	-	5.82
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	4.14	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.13
	अंतिम शेष	**201.76**	**145.58**
5.2	संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	0.04	0.04
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.04	-
	अंतिम शेष	**-**	**0.04**
5.3	शेषों की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 (17) देखें।		
5.4	वर्ष के अंत में निदेशकों और अन्य अधिकारियों से देय अग्रिम	शून्य	शून्य
5.5	ऐसी फर्मो या निजी कंपनियों से देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है	शून्य	शून्य

टिप्पणी सं. 6 : मालसूची

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	(न्यून लागत अथवा निवल वसूली मूल्य पर मूल्यांकित)		
	भंडार तथा कलपुर्जे	131.74	124.67
	परिवहन/निरीक्षण के लिए लंबित भंडार	0.69	1.00
	खुले औजार	2.03	2.51
	रद्दी मालसूची	2.10	1.42
	स्थल पर सामग्री	5.79	4.93
	घटाएं : अप्रचलन तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 6.1 देखें)	8.66	7.91
	कुल	**133.69**	**126.62**
6.1	**अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	7.91	8.23
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि **(टिप्पणी संख्या 6.1.1 देखें)**	0.84	0.26
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.01	0.19
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित **(टिप्पणी संख्या 6.1.2 देखें)**	0.08	0.39
	अंतिम शेष	**8.66**	**7.91**
6.1.1	वर्ष के दौरान, निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्चलेखित मालसूची और लाभ तथा हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.84	0.26
6.1.2	पूर्ववर्ती वर्ष में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित मालसूची के अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.08	0.39

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
– व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत **(टिप्पणी संख्या 7.2, 7.3, 7.5 और 7.6 देखें)**	3,409.88	3,583.22
– व्यापार प्राप्य – प्रभावित ऋण (टिप्पणी संख्या 7.2 और 7.3 देखें)	33.76	37.71
घटाएं – व्यापार प्राप्य के लिए हेतु हानि प्रावधान (टिप्पणी संख्या 7.1 देखें)	33.76	37.71
कुल	**3,409.88**	**3,583.22**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
7.1	व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	37.71	37.71
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	3.95	–
	अंतिम शेष	**33.76**	**37.71**
7.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
7.3	उपरोक्त मद 7.2 पर कंपनी के सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	शून्य	शून्य

7.4 वर्तमान प्राप्तियों की अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनकी वहनीय राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

7.5 विभिन्न बैंकों से बिलों में छूट के माध्यम से प्राप्त 726.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 714.31 करोड़ रूपए) की राशि व्यापार प्राप्यों को बिल छूट समझौतों की शर्तों के अनुसार मान्यता नहीं दी गई है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों से चूक होने पर क्रेडिट हानियों के लिए बैंकों को क्षति पूर्ति की गारंटी देती है। रियायती बिलों के संबंधमें मान्यता प्राप्त देयताओं के संबंध में टिप्पणी 20.1.1 देखें।

7.6 शेषों की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 (17) देखें।

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**बैंकों के पास शेष**		
	अनुसूचित बैंकों के पास		
	i) चालू खाते में	231.31	41.11
	ii) जमा खाते में (3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)	215.95	1.05
ख.	**हस्तगत नकदी (टिप्पणी सं. 8.1 देखें)**	0.01	0.01
	कुल	**447.27**	**42.17**
8.1	इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं	0.01	0.01

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	3 माह से अधिक 12 माह तक की मूल परिपक्वता के लिए बैंक जमा **(टिप्पणी संख्या 9.1 देखें)**	1,696.97	1,539.67
ख	जमा–भुगतान न किया गया लाभांश	23.47	22.64
ग.	जमा–भुगतान न किया गया ब्याज	87.14	86.90
घ.	बैंकों के पास अन्य अभिनिर्धारित शेष **(टिप्पणी संख्या 9.2)**	1.97	1.89
	कुल	**1,809.55**	**1,651.10**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
9.1	**इसमें ऐसे शेष शामिल है, जो:**		
	i) कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए रखे गए हैं और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं	155.81	268.78
	ii) ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में भूमि के लिए भूमि के निमित्त विस्थापितों द्वारा किए गए जमा, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं	0.09	0.35
	iii) माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंकों में बैंकों के अधिकारमें रखे गऐ हैं, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं	7.18	6.88
	iv) नकद के अलावा अन्य बैंक शेष, नकद समकक्ष में सीएसआर निधि की अव्ययित राशि शामिल है, जिसे अलग खाते में स्थानांतरित किया गया है और कथित राशि में शामिल कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है	-	3.61
9.2	इसमें ऐसे शेष शामिल हैं, जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है		
	i) कंपनी द्वारा अन्य एजेसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु रखे गए हैं।	1.41	1.36
	ii) माननीय उच्चन्यायालय, सिक्किम के आदेश के अनुसरण में सृजित एनएचपीसी आपातकालीन राहत निधि	0.56	0.53

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – ऋण

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**जमा**		
	–अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	0.36	0.48
	उपजोड़	**0.36**	**0.48**
ख.	**संबंधित पक्षकार को ऋण (उस पर ब्याज सहित)–अप्रतिभूत–(अच्छे माने गए) (टिप्पणीसं. 34(10) ओर 10.6 देखें)**	0.42	6.27
	–नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड		
	उपजोड़	**0.42**	**6.27**
ग.	कर्मचारियों को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी संख्या 10.2 देखें)		
	–ऋण प्राप्य–अच्छे माने गए–प्रतिभूत	16.86	15.64
	–ऋण प्राप्य–अच्छे माने गए–अप्रतिभूत	35.23	28.62
	–ऋण प्राप्य, जिन से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई	0.01	0.01
	घटाएं: ऐसे ऋणों के लिए हानि प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुईहै(टिप्पणीसंख्या 10.1देखें)	0.01	0.01
	उपजोड़	**52.09**	**44.26**
	कुल	**52.87**	**51.01**
10.1	**ऐसे ऋणों के लिए हानि प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है**		
	प्रारंभिक शेष	0.01	0.01
	अंतिमशेष	**0.01**	**0.01**
10.2	कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से देय **(टिप्पणी 34(10) देखें)**	0.22	0.05
10.3	ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम राशि, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक कंपनी का निदेशक अथवा सदस्य है	शून्य	शून्य

10.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) के अनुसार यथापेक्षित ऋणों के विवरणों को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 10 के तहत प्रकट किया गया है।

10.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34 (17) देखें।

10.6 व्यापार प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए ऋण को दर्शाता है।

टिप्पणी सं. 11 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – अन्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	प्राप्य राशि (टिप्पणी सं. 11.4 देखें)	957.05	770.97
	घटाएं – संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं. 11.1 देखें)**	275.18	285.78
	उप जोड़	**681.87**	**485.19**
ख.	बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य **(टिप्पणी सं. 11.2 देखें)**	1,758.91	2,589.41
ग.	अनुषंगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों से प्राप्य **(टिप्पणी सं. 11.3 देखें)**	44.02	43.00
घ.	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	89.77	233.22
ङ.	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) **(टिप्पणी सं. 34(18)(ख) देखें)**	166.84	117.50
च.	लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	141.41	3.52
छ.	बैंक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज आय **(टिप्पणी सं. 11.4 देखें)**	51.11	56.33
ज.	निवेश (बॉण्ड) पर प्रोद्भूत ब्याज	2.53	2.52
झ.	भारत सरकार द्वारा सेवित बांडों पर वसूली योग्य राशि **(टिप्पणी सं. 3.3(ग) देखें)**	2.53	2.52
	– प्रोद्भूतब्याज	4.49	4.48
	कुल	**2,940.95**	**3,535.17**
11.1	**संदिग्ध वसूली योग्य हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	285.78	203.43
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	8.50	85.69
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	17.56	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	1.54	3.34
	अंतिम शेष	**275.18**	**285.78**
11.2	**निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत प्राप्यः**		
	इक्विटी पर लाभ को सकल रूप देना	(134.47)	(40.78)
	जल उपकर	64.89	647.12
	मार्च माह हेतु बिल न की गई बिक्री	564.25	558.69
	2009–14 के लिए एनएपीएएफ में संशोधन–सेवा–पावर स्टेशन	49.52	-
	लंबित संशोधन/अनुमोदन के कारण वार्षिक नियत प्रभार–टीएलडीपी–IV विद्युत स्टेशन	-	128.65
	पुनः वित्त पोषण और बांड इश्यू व्ययों के कारण बचत	(23.33)	(2.66)
	आस्थगित कर कार्यान्वयन सहित कर समायोजन	55.81	196.01
	ऊर्जा कमी	292.48	383.58
	वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त प्रभाव	159.90	112.59
	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन	51.92	43.68
	प्रचालन और अनुरक्षण एवं प्रतिभूति व्यय – नए टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार वृद्धि	635.74	257.46
	परियोजना के जीवनकाल में परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास	(312.50)	(47.91)
	मजदूरी संशोधन	452.54	221.38
	देनदार का बिल न किया गया विद्युत व्यापार व्यवसाय	-	58.03
	वार्षिक नियत प्रभारों का संशोधन – सेवा–II, उड़ी–II, चमेरा–III और टीएलडीपी–III पावर स्टेशन	-	92.33
	ट्रूइंग–अप 2014–19 का प्रभाव और 2019–24 के लिए याचिका दायर किया जाना	(13.19)	83.89
	दर संशोधन –टीएलडीपी–IV पावर स्टेशन	(157.12)	(123.18)
	संशोधन लंबित होने वाले वार्षिक स्थिर प्रभार – ओएसपीएस	-	10.86
	अन्य	72.47	9.67
	कुल	**1758.91**	**2589.41**

11.3 संयुक्त उद्यम से प्राप्य में किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं पर किये गये पूंजीगत व्यय के निमित्त कंपनी का दावा शामिल है जिन्हें मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।

11.4 इसमे कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष राशि पर 0.16 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.15 करोड़ रुपए) का अर्जित ब्याज शामिल है, जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।

11.5 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
क.	स्रोत पर की गई कर कटौती सहित अग्रिम आय	2,784.07	1,373.29
ख.	घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	2,620.11	1,289.13
	निवल वर्तमान कर परिसंपत्ति (क–ख)	**163.96**	**84.16**
	आयकर प्रतिदाय	24.36	90.95
	कुल	**188.32**	**175.11**

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम**		
क)	**जमा**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	27.23	20.44
	घटाएं: सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत मांग के लिए रखा गया व्यय	-	0.10
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	74.79	0.01
	घटाएं : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.1 देखें)**	74.79	0.01
	उप जोड़	**27.23**	**20.34**
ख)	**संविदाकार/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी सं 13.8 देखें)**		
	– अच्छे माने गए – प्रतिभूत	-	0.76
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत		
	– बैंक गारंटी के प्रति	1.02	13.40
	– अन्य	30.62	60.77
	घटाएं : लंबित उपयोग प्रमाणपत्र के लिए बुक किया गया व्यय	12.41	12.26
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	61.93	45.52
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.2 देखें)	61.93	45.52
	उप जोड़	**19.23**	**62.67**
ग)	**अन्य अग्रिम – कर्मचारी**		
	– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत (टिप्पणी सं 13.7 देखें)	**0.81**	**2.94**
	– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	-	
	उप जोड़	0.81	2.94
घ)	**निम्न पर प्रोद्भूत ब्याजः**		
	अन्य		
	– अच्छे माने गए	1.32	67.45
	उप जोड़	**1.32**	**67.45**
ख.	**अन्य**		
क)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
	घटाएं : पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.4 देखें)**	37.06	37.06
	उप जोड़	-	-
ख)	पश्च लेखन स्वीकृति/लंबित जांच हेतु प्रतीक्षित हानियां	8.51	11.49
	घटाए : लंबित जांच/पश्चलेखन की प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.5 देखें)**	8.51	11.49
	उप जोड़	-	-

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ग)	**पूर्वप्रदत्त व्यय**	187.56	141.35
घ)	**कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत**	10.31	5.64
ङ)	**आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव**		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियां	50.03	38.32
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	4.56	1.71
च)	**अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं 13.9 देखें)**	11.09	5.53
छ)	**प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट**	29.09	16.53
	घटाएं : प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान **(टिप्पणी सं 13.6 देखें)**	13.54	-
	उप जोड़	**15.55**	**16.53**
ज)	**अन्य (मुख्यतः ठेकेदारों को जारी सामग्री के संबंध में)**	**59.49**	**34.53**
	कुल	**387.18**	**397.01**
13.1	**संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	0.01	0.01
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	74.79	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.01	-
	अंतिम शेष	**74.79**	**0.01**
13.2	**संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकर्ता)**		
	प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	16.41	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	**61.93**	**45.52**
13.3	**संदिग्ध प्रोद्भूत ब्याज हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	-	108.90
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	108.90
	अंतिम शेष	-	-
13.4	**पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
	अंतिम शेष	**37.06**	**37.06**
13.5	**जांच लंबित/पश्चलेखन प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान**		
	प्रारंभिक शेष	11.49	39.25
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.21	0.26
	समायोजन	-	1.24
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.18	29.08
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	3.01	0.18
	अंतिम शेष	**8.51**	**11.49**
13.6	प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	13.54	-
	अंतिम शेष	**13.54**	**-**
13.7	निदेशकों या अन्य अधिकारियों से वर्ष के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	शून्य	शून्य
13.8	फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य

13.9 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।

13.10 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 14 : विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क)	**सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष**		
	प्रारंभिक शेष	3,470.59	3,267.34
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	-	203.25
	अंतिम शेष	**3,470.59**	**3,470.59**
(ख)	**तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन**		
	प्रारंभिक शेष	670.93	670.93
	अंतिम शेष	**670.93**	**670.93**
(ग)	**किशनगंगा विद्युत स्टेशनः टैरिफ के अनतिक्रम के कारण अंतरीय मूल्यह्रास**		
	प्रारंभिक शेष	367.60	171.98
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	195.51	195.62
	अंतिम शेष	**563.11**	**367.60**
(घ)	**मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर**		
	प्रारंभिक शेष	0.02	(0.97)
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	1.70	0.99
	अंतिम शेष	**1.72**	**0.02**
(ङ)	**2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित करके प्रति समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	1,790.62	2,034.82
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त(टिप्पणी सं 31 देखें)	75.47	167.99
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	76.21
	अंतिम शेष	**1,715.15**	**1,790.62**
(च)	**2014–2019 की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर देयताओं के लिए समायोजन**		
	प्रारंभिक शेष	837.09	835.04
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त (टिप्पणी सं 31 देखें)	6.28	69.46
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित (टिप्पणी सं 31 देखें)	-	67.41
	अंतिम शेष	**843.37**	**837.09**
(छ)	**ऋणों के कारण नियामक विलंबित लेखा शेष और कोविड–19 लॉक–डाउन अवधि के दौरान व्यय की गई अन्य लागते**		
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	99.06	-
	अंतिम शेष	**99.06**	
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	**7,363.93**	**7,136.85**
	घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	(296.79)	(320.96)
	जोड़ें : लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगितकर	(296.79)	(320.96)
	आस्थगित कर का निवल विनियामक आस्थगित लेखा शेष	**7,363.93**	**7,136.85**

14.1 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(19) और 34(23) देखें।

टिप्पणी सं 14.2 विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता		
प्रारंभिक शेष	747.92	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	45.21	747.92
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	35.47	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
अंतिम शेष	**757.66**	**747.92**

14.2.1 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(23) देखें।

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/–रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/–रुपए)	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलानः

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)
प्रारंभिक शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03
अंतिम शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय–समय पर उनके लिए घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों का वितरण करने के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में है।

15.1.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयरों का ब्यौराः–

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	(प्रतिशत) में	संख्या	(प्रतिशत) में
– भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	7126772676	70.95%
– भारतीय जीवन बीमा निगम	739309259	7.36%	736631947	7.33%

15.1.4 तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान 10 रुपए प्रत्येक के 1,02,56,33,691 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की गई।

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
i)	पूंजी आरक्षित (टिप्पणी सं 34(32) देखें)		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	40.93	40.93
	जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	23.15	
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**64.08**	**40.93**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ii)	**पूंजी मोचन आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	2,255.71	2,255.71
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**2,255.71**	**2,255.71**
iii)	**बांड मोचन आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1,948.38	2,193.35
	घटाएं : अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन में अंतरण	306.43	244.97
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**1,641.95**	**1,948.38**
iv)	**कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.61	11.38
	जोड़ें : अधिशेष से अंतरण	-	0.22
	घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेखित	3.61	7.99
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**-**	**3.61**
v)	**सामान्य आरक्षित**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	11,544.83	11,417.14
	जोड़ें:अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	-	127.69
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**11,544.83**	**11,544.83**
vi)	**अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	5,466.04	4,768.82
	जोड़ें – वर्ष के दौरान लाभ	3,257.00	2,884.92
	जोड़ें – वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	(42.99)	28.40
	जोड़ें – बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्चलेखित राशि	306.43	244.97
	जोड़ें –कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलेखित राशि	1.84	4.08
	घटाएं : लाभांश (अंतिम और अंतरिम) (टिप्पणी सं. **33(3)(ग) देखें**)	1,577.07	1,938.69
	घटाएं : लाभांश पर कर (टिप्पणी सं. **33(3)(ग) देखें**)	-	398.50
	घटाएं – सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	127.69
	घटाएं –कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि में अंतरण	-	0.11
	जोड़ें – एनसीआई के साथ लेन–देन	0.69	(0.16)
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**7,411.94**	**5,466.04**
vii)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण दस्तावेज**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	42.18	30.08
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	3.23	12.10
	तुलन–पत्र की तारीख पर	**45.41**	**42.18**
viii)	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)–इक्विटी दस्तावेज**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	34.21	76.30
	जोड़ें – एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	47.13	(42.09)
	तुलन–पत्र तिथि के अनुसार	**81.34**	**34.21**
	कुल	**23,045.26**	**21,335.89**

15.2.1 आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

i) **पूंजी आरक्षित :** कंपनी ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) का अधिग्रहण किया है। जेपीसीएल की मोल–भाव खरीद पर लाभ को पूंजी रिजर्व में मान्यता दी गई है।

ii) **पूंजी मोचन आरक्षित :** यदि शेयरों की पुनः खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए तो कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित है। इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

iii) **बॉण्ड मोचन आरक्षित :** कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार, कंपनी के लिए बांडों के मोचन के उद्देश्य के लिए उपलब्ध लाभों से बांड मोचन आरक्षित सृजित करना अपेक्षित था। कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 से कंपनी को बांड मोचन आरक्षित के सृजन से छूट मिलती है। संशोधन नियमावली, 2019 में आगे यह निर्धारित है कि कंपनी द्वारा डिबेंचर मोचन आरक्षित में जमा की गई राशि का उपयोग डिबेंचर के मोचन के प्रयोजन के सिवाय अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। तद्नुसार, यद्यपि 31.03.2019 तक बनाए गए बांड मोचन आरक्षित को अग्रेणीत किया गया है और वर्तमान वर्ष के दौरान मोचित किए गए बांडों के लिए आगे उपयोग किया जाएगा, आरक्षित में कोई अतिरिक्त प्रोद्भवन नहीं किया गया है।

iv) **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि** का सृजन पूर्व वर्षों के सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में अप्रयुक्त बजट के वित्तपोषण के लिए समूह की एक सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा किया गया है।

v) **सामान्य आरक्षित :** सामान्य आरक्षित राशि का उपयोग समय–समय पर विनियोजन के प्रयोजनों के लिए रखी गई आय से लाभ के अंतरण के लिए किया गया है क्यों कि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरित कर के सृजित किया गया है।

vi) **अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन :** सामान्यतः अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन कंपनी की संचयी आय की अवितरित लाभ/राशि को दर्शाता है और इसमें परिभाषित हित लाभ दायित्वों पर लाभ/हानि का पुनः मापन शामिल है।

vii) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण दस्तावेजः** कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

viii) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – इक्विटी दस्तावेजः** कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत इक्विटी प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 15.3 : गैर–नियंत्रक हित (एनसीआई)

(करोड़ रूपए में)

सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
एनएचडीसी लिमिटेड	2,784.98	2,729.62
लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	38.08	38.44
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड (बीएसयूएल)	5.34	5.70
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	-	-
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)	-	-
कुल	**2,828.40**	**2,773.76**

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

क) अन्य निकायों में ब्याज

31 मार्च, 2021 के अनुसार समूह की सहायक कंपनियां नीचे दिए अनुसार हैं। जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, उनकी शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित हैं, और स्वामित्व ब्याजों का अनुपात समूह द्वारा धारित मत अधिकारों के समान हैं। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है।

(करोड़ रूपए में)

सहायक कंपनी के नाम	व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर–नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख गतिविधियां
		31-मार्च-21 %	31-मार्च-20 %	31-मार्च-21 %	31-मार्च-20 %	
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08	51.08	48.92	48.92	विद्युत उत्पादन
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत	74.92	73.17	25.08	26.83	विद्युत उत्पादन
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	74.00	99.99	26.00	0.01	विद्युत उत्पादन
लैंको तीस्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (09.10.2019 से)	भारत	100.00	100.00	0.00	0.00	विद्युत उत्पादन
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2021 से) #	भारत	100.00	100.00	0.00	0.00	विद्युत उत्पादन

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी लिमिटेड ने एनसीएलटी के माध्यम से जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। विस्तृत प्रकटन के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(32) देखें।

ख) गैर–नियंत्रक ब्याज (एनसीआई)

नीचे प्रत्येक सहायक कंपनी हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना दी गई है जिसके समूह में गैर–नियंत्रक ब्याज है। प्रत्येक सहायक कंपनी हेतु प्रकट की गई राशियां अंतर–कंपनी समाप्ति से पूर्व की हैं।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (09.10.2019 से)		जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2021 से)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्तमान परिसंपत्तियां	2,065.24	1,976.17	1.69	2.20	46.82	12.73	45.31	16.15	0.14	-
वर्तमान देयताएं	473.57	363.15	2.43	5.09	14.12	16.97	12.38	5.76	0.15	-
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	**1,591.67**	**1,613.02**	**(0.74)**	**(2.89)**	**32.70**	**(4.24)**	**32.93**	**10.39**	**(0.01)**	**-**
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5,623.15	5,563.80	152.62	146.16	15.97	13.64	1,004.92	952.24	188.17	-
विनियामक आस्थगित लेखा शेष	(457.03)	(447.29)	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर–वर्तमान देयताएं	1,065.25	1,146.56	-	-	-	-	1.69	1.26	-	-
निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	**4,100.87**	**3,969.95**	**152.62**	**146.16**	**15.97**	**13.64**	**1,003.23**	**950.98**	**188.17**	**-**
निवल परिसंपत्तियां	**5,692.54**	**5,582.97**	**151.88**	**143.27**	**48.67**	**9.40**	**1,036.16**	**961.37**	**188.16**	**-**
आवंटन लंबित रहने वाली शेयर आवेदन राशि	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.14**	**5.71**	**-**	**-**	**-**	**-**
निर्दिष्ट आरक्षित	**-**	**3.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
गैर नियंत्रक ब्याज का कुल	**2,784.98**	**2,729.62**	**38.08**	**38.43**	**5.34**	**5.70**	**-**	**-**	**-**	**-**

ग) लाभ एवं हानि का सारबद्ध विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (09.10.2019 से)		जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2021 से)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व	1,348.42	1,494.57	0.02	0.18	0.13	0.01	-	-	-	-
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	674.37	1,873.98	-	0.10	(0.13)	(0.19)	(0.21)	(0.06)	-	-
विनियामक आस्थगित आय	(9.74)	(933.82)			-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	0.33	(1.87)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**664.96**	**938.29**	**-**	**0.10**	**(0.13)**	**(0.19)**	**(0.21)**	**(0.06)**	**-**	**-**
एनसीआई को आवंटित लाभ	325.15	58.38	-		-	-	-	-	-	-
एनसीआई को अदा किया गया लाभांश (डीडीटी सहित)	271.73		-	-	-	-	-	-	-	-

घ) सारबद्ध नकदी प्रवाह

(करोड़ रूपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (09.10.2019 से)		जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2021 से)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	577.55	403.91	0.35	(0.44)	(0.21)	0.98	(17.09)	(0.30)	-	-
निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	188.72	230.50	(9.02)	0.57	(1.62)	(0.66)	(34.32)	(12.12)	0.10	-
वित्त–पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(555.46)	(635.44)	8.61	5.70	35.80	0.99	75.00	23.00	-	-
नकदी तथा नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	**210.81**	**(1.03)**	**(0.06)**	**5.83**	**33.97**	**1.31**	**23.59**	**10.58**	**0.10**	**-**

टिप्पणी सं. 16.1 : वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – उधार राशियाँ

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिशोधित लागत पर		
क.	**– प्रतिभूत ऋण**		
	– बाण्ड	15679-99	14532-79
	– सावधि ऋण		
	– बैंकों से	&	500-00
	– अन्य से (वित्तीय संस्थान)	316-00	474-00

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ख.	**– अप्रतिभूत ऋण**		
	– सावधि ऋण		
	– भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,654.28	3,597.58
	– अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	1,580.72	1,774.29
	उप–जोड़ (क + ख)	**21,230.99**	**20,878.66**
ग.	**पट्टा दायित्वों की दीर्घावधिक परिपक्वता (टिप्पणी सं. 34(18) देखें)**	12.28	13.14
	कुल (क + ख + ग)	**21,243.27**	**20,891.80**

16.1.1 ऋण प्रसंविदाएं –पूंजीगत प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी संख्या 33(3) देखें।

16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण।

टिप्पणी सं. 16.1.2

(करोड़ रूपए में)

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण		**31 मार्च, 2021 को**	**31 मार्च, 2020 को**
(क)	**बॉण्ड (गैर–परिवर्तनीय और गैर–संचयी) –प्रतिभूत**		
(i)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रति वर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
(ii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 3बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
(iii)	**बॉण्ड – यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2 व 7) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
(iv)	**बॉण्ड – यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2 व 7) देखें)** (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00
(v)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
(vi)	**कर मुक्त बॉण्ड – 2बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
(vii)	**बाण्ड–एसी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(15) देखें)** (6.86 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 10 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/10वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.02.2027 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	-
(viii)	**बाण्ड–एबी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(14) देखें)** (6.80 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचन योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचन योग्य मूल धनराशि सहित) (750 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 24.04.2026 से प्रारंभ होगी।)	750.00	-

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(ix)	**बाण्ड–एए–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(13) देखें)** (6.89 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.03.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
(x)	**बाण्ड–एए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(13) देखें)** (7.13 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2026 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
(xi)	**बाण्ड–वाई–1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(12) देखें)** (7.38 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 03.01.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
(xii)	**बाण्ड–वाई सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(12) देखें)** (7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 07.10.2025 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
(xiii)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रूपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	50-81	50-81
(xiv)	**कर मुक्त बॉण्ड – 1बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें)** (1,000/– रूपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	60-77	60-77
(xv)	**बाण्ड–डब्ल्यू2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(10) देखें)** (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से 15.09.2027 तक 150.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वर्षीय मोचन)	750.00	750.00
(xvi)	**बाण्ड–वी2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)** (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (06.06.2023 से 06.06.2027 तक 295.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वर्षीय मोचन)	1475-00	1475-00
(xvii)	**बाण्ड–एक्स सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(1 और 3) देखें)** (10,00,000/– रूपए प्रत्येक के 8.65 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड, जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय) (7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय 1500 करोड़ रूपए की राशि के बांड इश्यू, जो 08.02.2023 से प्रारंभ होगी)	1500-00	1500-00
(xviii)	**बॉण्ड – टी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(1, 2 व 7) देखें)** (12,00,000/– रूपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.07.2019 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में 1474.92 करोड़ रूपए की बॉण्ड इश्यु चुकौतीयोग्य है। 31.03.2021 को 122.91 करोड़ रूपए की 10 वार्षिक किश्तें बकाया है)	1229-10	1352-01

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(xix) बॉण्ड – आर–3 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें) (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचनीय योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.02.2019 से प्रारंभ 892.00 करोड़ रुपए के 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2021 को 89.20 करोड़ रुपए की 7 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	624.40	713.60
(xx) बॉण्ड – एस–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(7) देखें) (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से प्रारंभ 660.00 करोड़ रुपए के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2021 को 55.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की 9 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	495.00	550.00
(xxi) बाण्ड–डब्ल्यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(10) देखें) (6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/– रूपए प्रत्येक के 5 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल ध नराशि सहित) (15.09.2018 से प्रारंभ 1500 करोड़ रुपए के प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2021 को 300 करोड़ रुपए 2 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	600.00	900.00
(xxii) बॉण्ड – वी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें) (5,00,000/– रुपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2018 से 24.01.2022 के बीच 155.00 करोड़ रुपए के 5 वार्षिक मोचन। 31.03.2021 को 155 करोड़ रूपए की 1 वार्षिक किश्त बकाया हैं)	155.00	310.00
(xxiii) बॉण्ड – क्यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(4 व 8) देखें) (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (1266.00 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2021 के अनुसार 105.50 करोड़ रूपए प्रत्येक की 6 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	633.00	738.50
(xxiv) बॉण्ड – आर–2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें) (12,00,000/– रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (382.08 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2021 के अनुसार 31.84 करोड़ रूपए प्रत्येक की 6 वार्षिक किस्तें बकाया हैं।)	191.04	222.88
(xxv) बॉण्ड – पी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3, 5 व 6) देखें) (10,00,000/– रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (2000 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2021 के अनुसार 200 करोड़ रूपए प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	800.00	1,000.00
(xxvi) बॉण्ड –एस1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(7) देखें) (8.49 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 10,00,000/–रूपए है और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलध न हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)। (365 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ है। 31.03.2021 के अनुसार 36.50 करोड़ रूपए प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	146.00	182.50

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(xxvii) **बॉण्ड –आर1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3) देखें)**	34.25	41.10
(8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रति भूत चुकौती योग्य गैर–संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/–रूपए है औरजो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12 वांहिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग वाला है)।		
82.20 करोड़ रूपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2021 के अनुसार 6.85 करोड़ रूपए की 5 वार्षिक किस्तें बकाया हैं।		
कुल बॉण्ड	**16,782.79**	**15,635.59**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	**1,102.80**	**1,102.80**
बांड – वर्तमान परिपक्वता का निवल (क)	**15,679.99**	**14,532.79**
(ख) **सावधि ऋण –प्रतिभूत (बैंक)**		
i) **ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2) देखें)**	-	10.00
(7.207 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा के साथ 3 वर्ष की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपए प्रत्येक की 3 समान वार्षिक किश्तों में 27.12.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 3 वर्ष का पुननिर्धारण खंड है। वर्तमान में दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार यह 7.207 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।)		
ii) **स्टेट बैंक आफ इंडिया (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(11) देखें)**	-	500.00
(दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 8.00 प्रतिशत की फ्लोटिंग (वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ एमसीएलआर) ब्याज दर पर 31.08.2028 तक 28 समान तिमाही किश्तों (17.858 करोड़ रुपए की 27 किश्तें और 17.834 करोड़ रुपए की अंतिम 28वीं किश्त) में पुनर्भुगतान योग्य)		
कुल सावधि ऋण – बैंक (प्रतिभूत)	**-**	**510.00**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	-	10.00
सावधि ऋण – बैंक – वर्तमान परिपक्वता का बैंक निवल (ख)	**-**	**500.00**
(ग) **सावधि ऋण – अन्य से (प्रतिभूत)**		
i) **भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (3 व 5) देखें)**	-	208.33
(15.10.2020 को 8.33 करोड़ रुपए पर 9.25 प्रतिशत और 200 करोड़ रुपए पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर 104.16667 करोड़ रुपए प्रत्येक की छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)।		
ii) **भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (4 व 8) देखें)**	474.00	632.00
(31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 9.118 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपए प्रत्येक की 6 समान छमाही किश्तों में 31.10.2023 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
कुल सावधि ऋण–अन्य पक्षकार (प्रतिभूत)	**474.00**	**840.33**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	158.00	366.33
सावधि ऋण – वर्तमान परिपक्वता का अन्य निवल (ग)	**316.00**	**474.00**
(घ) **भारत सरकार से सावधि ऋण (अप्रतिभूत)**		
भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i) **निम्मो – बाज़गो विद्युत स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	429.13	424.54
(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से बिना छूट वाली राशि के संबंध में 29.0577 करोड़ प्रत्येक की 18 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
ii) **चूटक विद्युत स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	424.01	442.14
(2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठे वर्ष अर्थात 01.02. 2019 से 23.11 करोड़ रूपए प्रत्येक की 24 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		
iii) **किशनगंगा विद्युत स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण**	2,824.25	2,754.01
(1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से बिना छूट वाली राशि के संबंध में 364.458 करोड़ रुपए प्रत्येक की 10 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज और परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से अर्थात 24.05.2029 से वार्षिक आधार पर देय होगा)		
कुल सावधि ऋण – सरकार (अप्रतिभूतित)	**3,677.39**	**3,620.69**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता	23.11	23.11
सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	**3,654.28**	**3,597.58**

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(ङ) सावधि ऋण – अन्यों से – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)		
i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला–I (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें) (31.03.2021 के अनुसार 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 8.14 करोड़ रूपए प्रत्येक की 10 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	81.44	102.67
ii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला–II (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें) (31.03.2021 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 26.72 करोड़ रूपए प्रत्येक की 14 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	374.06	449.07
iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी श्रृंखला–III (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें) (31.03.2021 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 19.74 करोड़ रूपए प्रत्येक की 26 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	513.12	580.49
iv) एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, सिंगापुर (6 माह लिबर की परिवर्तनशील दर +0.75 प्रतिशत पर 25.07.2024 को एक ही किश्त में पुनर्भुगतान योग्य। ऋण का बचाव 0.931 प्रतिशत (भारतीय रुपए) प्रति वर्ष की केवल कूपन विनिमय नियत दर पर तथा 0.90 रुपए की जेपीवाई स्ट्राइक कीमत सहित 6.25 प्रतिशत (भारतीय रुपए) प्रति वर्ष की मांग फैलाव कूपन नियत दर पर किया जाता है)	721.30	756.77
कुल सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)	**1,689.92**	**1,889.00**
घटाएं : वर्तमान परिपक्वताएं	109.20	114.71
सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत) (ङ)	**1,580.72**	**1,774.29**
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	**21,230.99**	**20,878.66**

16.1.2.ख प्रतिभूति का विवरण

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन–I की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी–I पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
3. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना–II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
4. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम–प्प्जल विद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
5. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
6. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना–III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्बती–III विद्युत स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
8. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता–V पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक /रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
9. उपरोक्त क्रमांक ङ(i), ङ(ii) और ङ(iii) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत हैं।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित में कंपनी के पार्बती–II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत प्रक्रियाधीन है।
11. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी के टीएलडीपी–III विद्युत स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
12. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती–II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के किशनगंगा विद्युत स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्बती–II परियोजना, पार्बती–III विद्युत स्टेशन, चमेरा–II विद्युत स्टेशन तथा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित धौलीगंगा विद्युत स्टेशन की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन।
14. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के चमेरा–II विद्युत स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
15. असम और अरूणाचल राज्य में अवस्थित कम्पनी की सुबनसिरी लोअर परियोजना की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – अन्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः से वित बांडों के लिए देय **(टिप्पणी संख्या 16.2.1 देखें)**		
- मूलधन	2,017.20	2,017.20
प्रतिधारण राशि	38.05	43.09
कुल	**2,055.25**	**2,060.29**

16.2.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने डिबेंचर (बांड) के रूप में 10,00,000/–रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ अप्रतिभूत गैर–संचयी गैर–परिवर्तनीय मोचनीय, कर योग्य "भारत सरकार के पूर्णतः से वित्त बांड–सीरीज–I "की निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2017.20 करोड़ रुपए की समग्र राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पठित विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के तहत भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बांडों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तद्नुसार, ऐसे बांडों की राशि और बांड धारकों को देय ब्याज की राशि उपरोक्तानुसार वित्तीय देयता के रूप में प्रतीत हो रही है और साथ ही भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीय राशि भी **टिप्पणी संख्या3.3 (ग)** के तहत गैर–वर्तमान–वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः से वित बांडों के संबंध में वसूलीय राशि "के रूप में दर्शाई गई है।

बॉण्ड धारकों को कंपनी द्वारा अदा किया जाने वाला ब्याज भारत सरकार से ''वित्तीय परिसंपत्तियों'' के अंतर्गत वसूली योग्य चिन्हित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जुटाए गए भारत सरकार पूर्णतः से वित बांडों का ब्यौरा इस प्रकार है:

भारत सरकार पूर्णतः से वितबांड–I सीरीजः

8.12 प्रतिशत पर प्रत्येक 10,00,000/–रुपए प्रत्येक के अर्द्धवार्षिक, 10 वर्ष अप्रतिभूत गैर–संचयी, मोचनीय, गैर–परिवर्तनीय कर योग्य बांड, (मोचन की तारीख 22.03.2029)	2017.20	2017.20

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान – गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क)	**कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान**		
i)	**दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	35.07	27.38
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.11	8.67
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	27.01	0.98
	अंतिम शेष	**8.17**	**35.07**
ख.	**अन्य**		
i)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.43	1.37
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.01	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.21	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.08
	छूट की समाप्ति	0.14	0.14
	अंतिम शेष	**1.37**	**1.43**
ii)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	18.57	17.66
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.03	1.35
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.85	0.73
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.08	0.14
	छूट की समाप्ति	0.41	0.43
	अंतिम शेष	**19.08**	**18.57**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
iii)	प्रावधान – अन्य		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	0.49	0.53
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.73	0.05
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.15	0.06
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.03
	अंतिम शेष	**1.07**	**0.49**
	कुल	**29.69**	**55.56**

17.1 टिप्पणी : प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 आस्थगित कर देयताएं (निवल) – गैर वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	आस्थगित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	4,012.53	3,980.45
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	25.19	42.98
ग)	अन्य मदें	717.65	695.61
घ)	अवितरित अर्जन	538.23	514.46
	आस्थगित कर देयता	**5,293.60**	**5,233.50**
	घटाएं – समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
क)	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋण, माल–सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	417.80	373.52
ख)	अन्य मदें	36.52	17.27
ग)	एमएटी ऋण पात्रता **(टिप्पणी सं 18.2 देखें)**	987.28	983.49
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**1,441.60**	**1,374.28**
	आस्थगित कर देयता (निवल)	**3,852.00**	**3,859.22**

18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन टिप्पणी 18.1 के अनुबंध में दिए गए अनुसार है।

18.2 एनएचडीसी लि., समूह की एक सहायक कंपनी द्वारा एमएटी क्रेडिट की मान्यता – सीईआरसी विनियम वार्षिक नियत लागत की वसूली का विश्वसनीय प्रमाण प्रदान करता है। इसलिए, उपरोक्त क्षतिपूर्ति से भावीकर योग्य आय पर एमएटी ऋण का परिणामी आंशिक उपयोग होगा। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 987.27 करोड़ रुपए (गत वर्ष के दौरान 983.49 करोड़ रुपए के एमएटी ऋण के उपयोग के पश्चात) की एमएटी ऋण पात्रता को लेखा बहियों में आस्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के कारण विलंबित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदत्त 35.47 करोड़ रूपए (गत वर्ष 83.71 करोड़ रूपए) के मैट क्रेडिट के उपयोग के पश्चात है। उपरोक्त में से, 757.67 करोड़ रुपए (गत वर्ष 747.92 करोड़ रुपए) की राशि को (उक्त को प्रभावी कर दर समायोजन के माध्यम से लाभार्थी को दिया जाता है) विनियामक आस्थगित ऋण शेष के रूप में मान्यता दी गई है।

18.3 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के प्रावधानों के अनुसार कर कानून (संशोधित) अध्यादेश 2019 द्वारा घोषित तथा 11 दिसंबर, 2019 को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अधिनियमित नियम 1 अप्रैल, 2019 से लागू होने हैं, घरेलू कंपनियों के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अनुसार कुछेक छूट/कटौतियों (नयी कर पद्धति) को छोड़कर रियायती दरों पर आय कर का भुगतान करने का विकल्प है। मूल कंपनी के पास 31 मार्च, 2021 तक 2382.61 करोड़ रुपए का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) ऋण अप्रयुक्त पड़ा है और कुछ विद्युत स्टेशनों से विद्युत के उत्पादन से लाभ के संबंध में कर कटौती का लाभ उठा रही है। इस संबंध में वर्तमान तथा आस्थगित कर मान्यता के लिए मौजूदा कर संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। धारा 115खकक के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्णय, कर कटौती उपलब्ध न होने पर तथा एमएटी क्रेडिट की वास्तविक समाप्ति पर लिया जाएगा।

18.4 एमएटी ऋण पात्रता को मान्यता देने की आवश्यकता है क्योंकि निकट भविष्य में भावी कर योग्य लाभ की संभाव्यता के विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर आस्थगित कर संपत्ति, जिसके लिए ऋण का उपयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में तथा एमएटी ऋण पात्रता के उपयोग के लिए किसी मौजूदा विकास की अनुपस्थिति में, पूर्ववर्ती वर्षों में जारी विवेक सम्मत सिद्धांत पर 2382.61 करोड़ रुपए के अप्रयुक्त एमएटी ऋण को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जा रही है। इसके अलावा, आस्थगित कर प्रोद्भवन अथवा प्रत्यावर्तन से संबंधित विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर परिणामी प्रभाव पड़ता है तथा यहां तक कि इससे समूह के लाभ पर वास्तविक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन

2020–21

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2020 को	**3,980.45**	**42.98**	**695.61**	**514.46**	**5,233.50**
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)					
– लाभ या हानि में	32.08	-	21.93	23.77	77.78
– ओसीआई में	-	(17.80)	0.12	-	(17.68)
31 मार्च, 2021 को	**4,012.53**	**25.18**	**717.66**	**538.23**	**5,293.60**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	एमएटी ऋण	कुल
01 अप्रैल, 2020 को	**373.52**	**17.27**	**983.49**	**1,374.28**
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)				
– लाभ या हानि में	44.27	19.25	3.80	67.32
– ओसीआई में	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को	**417.80**	**36.52**	**987.29**	**1,441.60**

2019–20

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2019 को	**3,911.72**	**11.02**	**744.68**	**400.63**	**5,068.05**
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)					
– लाभ या हानि में	68.73	-	(49.00)	113.83	133.56
– ओसीआई में	-	31.96	(0.07)	-	31.89
31 मार्च, 2020 को	**3,980.45**	**42.98**	**695.61**	**514.46**	**5,233.50**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	मैट क्रैडिट	कुल
01 अप्रैल, 2019 को	**331.32**	**16.05**	**-**	**347.37**
(प्रभार)/क्रेडिट				
– लाभ या हानि में	42.20	1.22	983.49	1,026.91
– ओसीआई में	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**373.52**	**17.27**	**983.49**	**1,374.28**

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	अग्रिम में प्राप्त आय – मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	939.28	992.02
	विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	41.18	42.81
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(टिप्पणी सं. 19.1 देखें)**	2,116.82	2,164.64
	कुल	**3,097.28**	**3,199.47**
19.1	**सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय**		
	प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर–वर्तमान)	2,278.41	2,014.66
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	44.93	362.21
	घटाएं : लाभ एवं हानि के विवरण में अंतरित (टिप्पणी सं 24.2 देखें)	96.04	98.46
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी सं 19.1.1 देखें)	**2,227.30**	**2,278.41**
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (वर्तमान) –(टिप्पणी सं 21 देखें)	110.48	113.77
	सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (गैर–वर्तमान)	2,116.82	2,164.64
19.1.1	**अनुदान में निम्नलिखित शामिल है :**		
(i)	सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित चुटक विद्युत स्टेशन, निम्मो बाजगो विद्युत स्टेशन और किशनगंगा पावर स्टेशन से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	1,167.32	1,163.35
(ii)	तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान) तथा रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	23.20	24.26
(iii)	मध्य प्रदेश सरकार से इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर विद्युत स्टेशनों के लिए प्राप्त अनुदान	1,023.28	1,077.79
(iv)	राज्य में सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन पर प्रोद्भूत ब्याज सहित प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	13.50	13.01

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क	**अन्य ऋण**		
	बैंकों से –प्रतिभूत (टिप्पणी सं 20.1.1 देखें)	726.03	714.31
	कुल	**726.03**	**714.31**

20.1.1 726.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 714.31 करोड़ रुपए) की राशि बैंक से प्रतिभूति ऋण व्यापार प्राप्यों के लिए आश्रय से लाभार्थियों के लिए छूट वाले बिलों द्वारा बैंक को देय राशि के लिए है। बिल छूट के माध्यम से परि समाप्त व्यापार प्राप्यों की निरंतर मान्यता प्रदान करने से संबंधित टिप्पणी 7.5 देखें।

टिप्पणी सं. 20.2 व्यापार देय – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय **(टिप्पणी सं 20.2.1 देखें)**	36.19	22.96
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	177.19	293.70
	कुल	**213.38**	**316.66**

20.2.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 20.3 अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
दीर्घावधि ऋण संबंधी वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी सं 20.3.1 देखें)		
– बॉण्ड	1,102.80	1,102.80
– सावधि ऋण – बैंक –प्रतिभूत	-	10.00
– सावधि ऋण – वित्तीय संस्थान –प्रतिभूत	158.00	366.33
– अप्रतिभूत– सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
– अन्य – अप्रतिभूत (विदेशी मुद्रा में)	109.20	114.71
पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं **(टिप्पणी सं 34(18) देखें)**	2.83	3.34
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को छोड़कर पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	432.01	409.91
पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता –सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	12.97	10.56
ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	660.72	643.10
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः से वितबांडों के संबंध में देय ब्याज **(टिप्पणी सं 16.2.1 और 11(i) देखें)**	4.49	4.48
धरोहर जमा राशि/प्रतिधारण राशि	328.13	107.46
अदा न किया गया लाभांश **(टिप्पणी सं 20.3.2 देखें)**	23.47	22.64
अदा न किया गया ब्याज **(टिप्पणी सं 20.3.2 देखें)**	0.50	0.25
कर्मचारियों को देय	27.21	26.06
अन्य को देय	88.03	78.71
कुल	**2,973.47**	**2,923.46**

20.3.1 मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की अवधि तथा प्रतिभूति के ब्यौरे **टिप्पणी संख्या 16.1.2** में प्रकट किए गए हैं।

20.3.2 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से, निवेशक शिक्षा और बचाव निधि में अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है। निवेशक शिक्षा और बचाव निधि में भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

20.3.3 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम)	52.60	52.60
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	1.60	5.92
देय जल उपयोग प्रभार	165.28	324.45
भुगतान योग्य सांविधिक देय	167.14	116.15
संविदा देयताएं–जमा कार्य	7.52	9.37
संविदा देयताएं–परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	144.09	268.49
ग्राहकों से अग्रिम और अन्य	32.99	11.69
सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय **(टिप्पणी सं 19.1 देखें)**	110.48	113.77
कुल	**681.70**	**902.44**

21.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान – वर्तमान

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क)	**कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान**		
i)	**दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	2.38	2.20
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.51	0.72
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.80	0.42
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.12
	अंतिम शेष	**1.09**	**2.38**
ii)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	0.34	14.92
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	3.75
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.12	18.33
	अंतिम शेष	**0.22**	**0.34**
iii)	**उत्पादकता संबंधित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	418.08	279.25
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	294.89	288.25
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	201.80	147.54
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.83	1.88
	अंतिम शेष	**510.34**	**418.08**
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम (देखें टिप्पणी सं. 22.2)	111.86	-
	कर का निवल उत्पादकता संबंधित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	**398.48**	**418.08**
iv)	**अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-	0.10
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	0.10
	अंतिम शेष	-	-
v)	**वेतन संशोधन हेतु प्रावधान – तीसरी वेतन संशोधन समिति**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-	19.76
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	0.14
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	16.00
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	3.90
	अंतिम शेष	-	-
ख.	**अन्य**		
i)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	155.92	223.45
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	49.69	35.91
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	3.53	103.44
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
	अंतिम शेष	**202.08**	**155.92**
ii)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	157.48	163.97
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	15.48	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	27.56	6.46
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.17	0.03
	छूट की समाप्ति	.	.
	अंतिम शेष	**145.23**	**157.48**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
iii)	**बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	54.11	24.54
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	147.24	46.21
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	49.12	15.66
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	4.05	0.98
	अंतिम शेष	**148.18**	**54.11**
iv)	**आजीविका सहायता हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	16.01	15.99
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.88	0.90
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.87	0.93
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	0.14	0.05
	अंतिम शेष	**16.16**	**16.01**
v)	**मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में प्रावधान**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	369.83	373.22
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	2.55	0.59
	समायोजन	15.07	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.43	3.33
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.19	0.65
	अंतिम शेष	**384.83**	**369.83**
vi)	**प्रावधान – अन्य**		
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	268.79	416.99
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	84.19	39.68
	समायोजन	(15.10)	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4.15	185.82
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	56.39	2.06
	अंतिम शेष	**277.34**	**268.79**
	कुल	**1,573.61**	**1,442.94**

22.1 प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

22.2 लोक उद्यम विभाग द्वारा एमओयू रेटिंग जारी किए जाने तक, 111.86 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निष्पादन संबंधित वेतन के लिए तदर्थ अग्रिम के रूप में किया गया है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	793.71	705.07
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	714.33	581.27
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(791.14)	(705.07)
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	**716.90**	**581.27**
घटाएं: स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	681.88	619.64
निवल वर्तमान कर देयताएं (क–ख)	35.02	(38.37)
(**टिप्पणी सं. 4** के तहत प्रकट किया गया)	-	38.37
कुल	**35.02**	**-**

टिप्पणी सं. 24.1 : प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रचालनात्मक राजस्व		
क.	**बिक्री (टिप्पणी संख्या 24.1.1 और 24.1.3 देखें)**		
	विद्युत की बिक्री	6,691.28	7,138.75
	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम – अवधि के दौरान पश्चलेखित	52.73	48.38
	निष्पादन आधारित प्रोत्साहन	1,058.62	1,090.23
	उप–जोड़(i)	**7,802.63**	**8,277.36**
	घटाएं:		
	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	50.03	42.94
	टैरिफ समायोजन **(टिप्पणी संख्या 24.1.2 देखें)**	58.37	27.79
	''विद्युत के उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित)''	34.73	25.56
	उपभोक्ताओं को छूट	18.11	29.06
	उप जोड़ (ii)	**161.24**	**125.35**
	उप जोड़ (क) = (i-ii)	**7,641.39**	**8,152.01**
ख	**वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(18(ख) देखें)**	899.08	755.82
ग	**प्रचालनात्मक पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(18(ग) देखें)**	712.00	666.57
घ	**परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व**		
	संविदा आय	0.06	-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	21.36	23.33
	उप जोड़ (घ)	**21.42**	**23.33**
ङ	**विद्युत व्यापार से राजस्व**		
	विद्युत की बिक्री	218.52	240.26
	व्यापार लाभ	-	0.91
	घटाएं : उपभोक्ताओं को छूट	2.04	1.70
	उप जोड़ (ङ)	**216.48**	**239.47**
	उप जोड़ –I (क+ख+ग+घ+ङ)	**9,490.37**	**9,837.20**
च.	अन्य प्रचालनात्मक राजस्व		
	स्वयं सृजित वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	1.92	1.76
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के संबंध में आय	2.96	2.53
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज – टैरिफ का संशोधन	152.64	166.32
	उप जोड़–II	**157.52**	**170.61**
	कुल (I+II)	**9,647.89**	**10,007.81**

विवरण

(करोड़ रूपए में)

		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
24.1.1	विद्युत की बिक्री में शामिल है:–		
	(i) वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के संबंध में लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूलनीय राशि और वर्ष के दौरान व्यवहार में लाई गई राशि	116.00	258.22
	(ii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमत्य माना गया उत्पादन	-	72.56
	(iii) टैरिफ को अंतिम रूप देना लंबित रहने के चलते पूर्व वर्ष की बिक्री की राशि	290.99	220.50
	(iv) विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर लाभग्राहियों से वसूली योग्य है और तदनुसार लाभग्राहियों को इसका बिल भेजा गया है:		
	– विद्युत शुल्क	19.15	0.66
	– ऊर्जा विकास उपकर	63.33	61.44

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
24.1.2	टैरिफ समायोजन :– दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुरूप, वर्ष के दौरान बहियों में उक्त राशि का प्रावधान किया गया है।	58.37	27.79
24.1.3	बिल न किए गए राजस्व की राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	920.40	2,099.47

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क)	**ब्याज आय**		
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – गैर कर योग्य	5.67	5.68
	– एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – कर योग्य	25.79	25.76
	– अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	60.82	55.80
	– जमा खाता	134.72	175.96
	– कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	16.99	14.77
	– संविदाकारों को अग्रिम	15.64	29.83
	– अन्य	17.14	20.64
	गैर–व्यापार		
	– लाभांश आय – अन्य	-	4.80
ख)	**लाभांश आय**		
	– लाभांश – अन्य	9.00	-
ग)	**अन्य गैर–प्रचालनात्मक आय (उस आय पर सीधे ही आरोप्य व्यय का निवल)**		
	विलंब भुगतान अधिभार	545.92	259.34
	बीमा दावे से आय	138.64	29.33
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/हानि प्रावधान/प्रावधान **(टिप्पणी संख्या 24.2.1 देखें)**	23.48	115.67
	संविदाकार को जारी सामग्री		
	(i) संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	89.42	32.17
	(ii) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(174.89)	(37.63)
	(iii) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	85.47	5.46
	सहायता अनुदान का परिशोधन	96.04	98.46
	विनिमय दर परिवर्तन (निवल)	34.21	-
	व्युत्पन्न संबंधी बाजार से बाजार लाभ	-	33.71
	अन्य	37.36	32.45
	उप जोड़	**1,161.42**	**902.20**
	घटाएं – निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	100.30	128.69
	घटाएं – ग्राहक/संविदादाता से अग्रिम/जमा तथा जमा कार्यों के प्रति अंतरित	3.48	3.99
	घटाएं – अन्य आय से अनुदान का अंतरण	0.49	0.69
	कुल	**1,057.15**	**768.83**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
24.2.1	**पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/हानि प्रावधानों/प्रावधानों का ब्यौरा**		
	क) अशोध्य एवं संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	0.11
	ख) अप्रचलन और माल सूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.08	0.35
	ग) व्यापार प्राप्यों के लिए क्षति प्रावधान	3.95	
	घ) खराब और संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	0.04	-
	ङ) संदिग्ध चुकौतीयोग्य हेतु प्रावधान	1.51	3.34
	च) संदिग्ध प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान	-	108.90
	छ) पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान	4.88	-
	ज) लंबित जांच/प्रतीक्षित पश्चलेखन/स्वीकृति हानियों हेतु प्रावधान	3.01	0.16
	झ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	3.97	0.98
	ञ) अन्य	6.04	1.83
	कुल	**23.48**	**115.67**

24.2.2 कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 1.96 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 43.54 करोड़ रुपए) शामिल है जहां प्रमुख निर्माण गतिविधियों का अस्थायी निलंबन मौजूद था जैसा कि टिप्पणी–34(23) में वर्णित किया गया है। तथापि, उसके लिए 1.96 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 9.82 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगति लेखा शेष को भारतीय लेखा मानक 114– "विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं. 25.1 : विद्युत की खरीद – व्यापार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
विद्युत की खरीद	216.71	238.32
घटाएं : आपूर्तिकर्ता से छूट	4.34	4.19
कुल	**212.37**	**234.13**

टिप्पणी सं. 25.2 : उत्पादन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
जल उपयोग प्रभार	835.02	882.93
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	22.96	21.40
उप जोड़	**857.98**	**904.33**
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	0.43	-
कुल	**857.55**	**904.33**

टिप्पणी सं. 26 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	1,521.73	1,641.01
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	222.30	212.85
कर्मचारी कल्याण व्यय	78.83	90.21
उप जोड़	**1,822.86**	**1,944.07**
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	282.46	267.98
कुल	**1,540.40**	**1,676.09**

26.1 कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों के निमित्त पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 34(18)(क) में दिए गए है।

		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
26.2	**भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है:**		
	(i) कर्मचारी भविष्य निधि के निमित्त	91.34	95.31
	(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना के निमित्त	114.06	96.66
26.3	मजदूरी एवं वेतन इंड एएस 116 'पट्टों' के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय में शामिल हैं। (टिप्पणी 34(18क) देखें)	1.13	1.76

26.4 कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 15.35 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 35.60 करोड़ रुपए) शामिल हैं जहां प्रमुख निर्माण गतिविधियों का अस्थायी निलंबन मौजूद था जैसा कि टिप्पणी–34(23) में वर्णित किया गया है। तथापि, उसके लिए 15.35 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 35.60 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष को भारतीय लेखा मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज**		
	बॉण्ड	1,285.14	1,101.23
	सावधि ऋण	66.63	124.11
	विदेशी ऋण	26.50	25.29
	भारत सरकार ऋण	70.64	69.71
	अल्पावधि ऋण	2.13	15.93
	पट्टा देयता	1.35	1.33
	छूट शुरु करना – भारत सरकार ऋण	49.69	42.83
	उप जोड़	**1,502.08**	**1,380.43**
ख.	**अन्य ऋण लागत**		
	मांग फैलाव/कूपन विनिमय	43.64	30.23
	बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	1.93	1.28
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	13.59	13.43
	अन्य वित्त प्रभार	0.58	0.96
	छूट शुरु करना – प्रावधान और वित्तीय देयताएं	4.36	5.54
	उप जोड़	**64.10**	**51.44**
ग.	**विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू निवल (लाभ)/हानि**		
	ब्याज लागत पर समायोजन के संदर्भ में विनिमय अंतर	-	143.79
	घटाएं: आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियों में अंतरित	-	(120.23)
	उप जोड़	**-**	**23.56**
घ.	**आय कर पर ब्याज**	2.75	2.42
	कुल (क+ख+ग+घ)	**1,568.93**	**1,457.85**
	घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	918.98	661.87
	कुल	**649.95**	**795.98**

27.1 कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 78.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 157.61 करोड़ रुपए) शामिल हैं जहां प्रमुख निर्माण गतिविधियों का अस्थायी निलंबन मौजूद था जैसा कि टिप्पणी–34(23) में वर्णित किया गया है। तथापि, उसके लिए 78.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 157.61 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष को भारतीय लेखा मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं. : 28 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	मूल्यह्रास –संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1,231.80	1,558.69
	मूल्यह्रास – परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	82.32	85.04
	परिशोधन–अमूर्त परिसंपत्तियां	2.22	0.96
	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास समायोजन(टिप्पणी संख्या 5(घ)(ii) और 19 देखें)	(1.40)	(0.36)
	उप जोड़	**1,314.94**	**1,644.33**
	घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	16.64	30.29
	कुल	**1,298.30**	**1,614.04**

28.1 कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 1.47 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.59 करोड़ रुपए) शामिल हैं जहां प्रमुख निर्माण गतिविधियों का अस्थायी निलंबन मौजूद था जैसा कि टिप्पणी–34(23) में वर्णित किया गया है। तथापि, उसके लिए 1.47 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.59 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष को भारतीय लेखा मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता दी गई है।

टिप्पणी सं. 29 : अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	– भवन	70.90	72.50
	– मशीनरी	65.97	75.82
	– अन्य	183.80	177.07
ख.	**अन्य व्यय**		
	किराया	19.09	23.05
	हायर प्रभार	29.41	30.37
	दरें और कर	97.77	77.64
	बीमा	211.49	180.93
	सुरक्षा व्यय	403.79	408.08
	विद्युत प्रभार	51.80	52.11
	यात्रा एवं वाहन	9.81	29.70
	वाहनों पर खर्च	6.31	6.93
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	15.44	18.16
	विज्ञापन एवं प्रचार	4.73	8.15
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	1.14	0.62
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.71	5.35
	परामर्शी प्रभार	14.21	16.17
	लेखा परीक्षा खर्च	2.21	3.14
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	5.78	10.69
	कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	14.95	3.63
	परिसंम्पत्तियों पर हानि (निवल)	9.12	4.48
	बीमा दावों से होने वाली हानियां	148.62	46.21
	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	99.46	152.04
	सामुदायिक विकास व्यय	-	0.13
	निदेशकों को बैठक शुल्क	0.06	0.20
	माध्यस्थम/अदालती मामलों पर ब्याज	0.74	4.13

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	लाभार्थी को ब्याज	3.80	77.00
	स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	-	0.10
	विनियम दर परिवर्तन (निवल)	-	49.75
	प्रशिक्षण व्यय	4.21	8.72
	सीईआरसी/आरएलडीसी/आरपीसी/आईईएक्स/ पीएक्सआईएल को याचिका शुल्क/पंजीकरण शुल्क/अन्य शुल्क	13.13	11.23
	केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	6.98	6.19
	अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	0.51	0.56
	अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	22.96	22.55
	डीजी सेट के प्रचालन व्यय – आवासीय के अतिरिक्त	6.83	7.94
	व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	15.50	-
	अन्य सामान्य व्यय	32.00	33.13
	उप जोड़	**1,577.23**	**1,624.47**
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	172.23	81.67
	उप जोड़ (i)	**1,405.00**	**1,542.80**
ग.	**प्रावधान/हानि का प्रावधान**		
	शोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	74.78	-
	शोध्य तथा संदिग्ध चुकौती हेतु प्रावधान	0.03	-
	भण्डार तथा कलपुर्जों/निर्माण भंडारों के लिए प्रावधान	0.83	0.26
	परियोजना व्यय के लिए प्रावधान	144.63	154.73
	जांच/ पश्चलेखन प्रतीक्षित/स्वीकृति लंबित हानियों के लिए प्रावधान	0.21	0.28
	लाभार्थी को ब्याज **(टिप्पणी सं. 29.2 देखें)**	2.18	1.38
	प्राप्त माल और सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान	13.54	-
	अन्य **(टिप्पणी सं. 29.5 देखें)**	62.64	-
	उप जोड़	**298.84**	**156.65**
	घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	13.62	0.06
	उप जोड़ (ii)	**285.22**	**156.59**
	कुल (i+ii)	**1,690.22**	**1,699.39**
29.1	पट्टों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 34(18क) में दिए गए है।	2-18	1-38
29.2	कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश की अधिसूचना के लंबित होने के चलते, संबंधित राशि का बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान उस वर्ष/अवधि के लिए किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा करना पड़ सकता है।		
29.3	किराये में इंड एएस 116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय में शामिल हैं।		
	(i) एक माह अथवा उससे कम अवधि के पट्टे के अतिरिक्त अल्पावधि पट्टे पर व्यय	14-39	15-15
	(ii) निम्न मूल्य परिसंपत्तियों के दीर्घावधि पट्टे पर व्यय	0-02	0-14
	(iii) पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	4-67	9-27
29.4	कुल में निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित 6.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 16.27 करोड़ रुपए) शामिल हैं जहां प्रमुख निर्माण गतिविधियों का अस्थायी निलंबन मौजूद था जैसा कि टिप्पणी–34(23) में वर्णित किया गया है। तथापि, उसके लिए 6.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 16.27 करोड़ रुपए) की राशि के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष को भारतीय लेखा मानक 114–"विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार मान्यता दी गई है।		
29.5	10.08.2011 से 24.04.2012 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क और उपकर पर ब्याज के संबंध में प्रावधान को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए दावे के प्रति प्रबंधन द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है।		

टिप्पणी सं. : 30.1 कर व्यय

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
			(करोड़ रुपए में)
	वर्तमान कर		
	वर्तमान कर के लिए प्रावधान	926.00	877.36
	पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	(0.13)	20.38
	कुल वर्तमान कर व्यय	**925.87**	**897.74**
	आस्थगित कर		
	आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
	– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(47.70)	(44.68)
	– मैट क्रेडिट पात्रता के कारण समायोजन	(35.47)	(1,067.20)
	आस्थगित कर देयताओं में वृद्धि (कमी)		
	– अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	34.51	20.91
	– अवितरित अर्जन से संबंधित	23.77	113.83
	कुल आस्थगित कर व्यय (हितलाभ)	**(24.89)**	**(977.14)**
	निवल आस्थगित कर	**(24.89)**	**(977.14)**
	कुल	**900.98**	**(79.40)**

30.1.1	**कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	4,483.11	3,265.51
	लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.9440
	गणना किए गए कर व्यय	**1,566.58**	**1,141.10**
	कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य न होने वाले (कर योग्य) राशियों का कर प्रभाव		
	गैर कटौती योग्य कर व्यय	64.43	427.91
	कर छूट आय	97.15	18.78
	कर प्रोत्साहन (80–1ए कटौती)	(892.52)	(933.27)
	पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	-	(0.75)
	न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	143.84	(847.00)
	अवितरित लाभ	23.77	113.83
	धारा 80एम के अंतर्गत कटौती	(102.27)	-
	लाभ एवं हानि के विवरण में सूचित आय कर व्यय	**900.98**	**(79.40)**
30.1.2	**इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां**		
	रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा आस्थगित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे ही इक्विटी में डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है:		
	वर्तमान कर	शून्य	शून्य
	आस्थगित कर	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**
30.1.3	**कर हानियां तथा क्रेडिट**		
	(i) अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
	संभावित कर हितलाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
	(ii) कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है **(टिप्पणी सं. 30.1.5 देखें)**	2,382.61	2,196.82

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
30.1.4	**मान्यता प्रदान न किए गए अस्थायी अंतर**		
	सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
	अवितरित आय	शून्य	शून्य
	उपरोक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

30.1.5 कंपनी को भविष्य में उपलब्ध न्यूनतम कर समायोजन (एमएटी) क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2021 के अनुसार		31 मार्च, 2020 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2020-21	183.10	2035-36	-	-
2019-20	158.70	2034-35	156.01	2034-35
2018-19	696.15	2033-34	696.15	2033-34
2017-18	210.11	2032-33	210.11	2032-33
2016-17	11.59	2031-32	11.59	2031-32
2015-16	177.01	2030-31	177.01	2030-31
2014-15	46.81	2029-30	46.81	2029-30
2013-14	481.84	2028-29	481.84	2028-29
2012-13	291.71	2027-28	291.71	2027-28
2008-09	125.59	2023-24	125.59	2023-24
कुल	**2,382.61**		**2,196.82**	

भविष्य में कंपनी को पूर्वोक्त उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में इसकी अनिश्चितता को देखते हुए मान्यता नहीं दी गई है।

टिप्पणी सं: 30.2 अन्य व्यापक आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	(61.60)	55.78
घटाएं: रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर आस्थगित कर	(21.52)	19.49
रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन (कर का निवल)	**(40.08)**	**36.29**
घटाएं: परिभाषित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	2.75	8.80
उप–जोड़	**(42.83)**	**27.49**
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा	-	(0.01)
उप–जोड़ (क)	**(42.83)**	**27.48**
(ख) इक्विटी लिखतों में निवेश	47.13	(42.09)
उप–जोड़ (ख)	**47.13**	**(42.09)**
कुल (i) = (क) + (ख)	**4.30**	**(14.61)**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii)	मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		
	ऋण लिखतों में निवेश	4.21	15.77
	घटाएं: ऋण लिखतों में निवेश पर आय कर	0.98	3.67
	कुल (ii)	**3.23**	**12.10**
	कुल (i) + (ii)	**7.53**	**(2.51)**

टिप्पणी सं. : 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्नलिखित के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलनः			
(i)	सुबनसिरी लोअर परियोजना		
	क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	-	35.60
	ख) अन्य व्यय	-	16.27
	ग) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	3.59
	घ) वित्त लागत	-	157.61
	ङ) अन्य आय	-	(9.82)
	उप जोड़ (i)	**-**	**203.25**
(ii)	किशनगंगा विद्युत स्टेशनः टैरिफ के अनतिक्रम के कारण मूल्यह्रास	195.51	195.62
(iii)	मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	1.70	0.99
(iv)	2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीय आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	(75.46)	(167.99)
(v)	2014–2019 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीय आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	6.28	2.05
(vi)	कोविड –19 लॉकडाउन अवधि के दौरान ऋण तथा अन्य लागतों के कारण व्यय के चलते नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		
	क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	15.35	-
	ख) अन्य व्यय	6.10	-
	ग) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1.47	-
	घ) वित्त लागत	78.10	-
	ङ) अन्य आय	(1.96)	-
	उप जोड़ (vi)	**99.06**	**-**
(vii)	न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	(9.74)	(824.13)
	कुल (क) =(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)	**217.35**	**(590.21)**
	विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		
	घटाएं:–विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	24.18	19.65
	जोड़ें – लाभार्थियों से वसूलीय आस्थगित कर	24.18	19.65
	कुल (ख)	**-**	**-**
	कुल (क–ख)	**217.35**	**(590.21)**

समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं.14 देखें।

टिप्पणी सं. : 32 वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग बनने वाला निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**उत्पादन व्यय**		
	भंडार और कलपुर्जों का उपभोग	0.43	-
	उप जोड़	**0.43**	**-**
ख.	**कर्मचारी हितलाभ व्यय**		
	वेतन एवं मजदूरी	148.73	130.23
	भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	20.97	17.34
	कर्मचारी कल्याण व्यय	6.50	5.47
	उप जोड़	**176.20**	**153.04**
ग.	**वित्त लागत**		
	निम्नलिखित पर ब्याज : **(टिप्पणी संख्या 2.2.1 देखें)**		
	बॉण्ड	844.18	564.44
	विदेशी ऋण	6.14	3.56
	सावधि ऋण	27.77	55.59
	उप जोड़	**878.09**	**623.59**
	ब्याज लागत पर समायोजन के संदर्भ में विनिमय अंतर	-	14.15
	हेजिंग लेन–देनों पर हानि	38.24	22.01
	ईएसी में व्ययों का अंतरण – सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि पर ब्याज – प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.47	1.81
	ईएसी में व्ययों का अंतरण – एफसी ऋणों पर ब्याज – प्रभावी ब्याज समायोजन	0.89	0.09
	उप जोड़	**40.60**	**38.06**
ग.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**	14.49	28.07
	उप जोड़	**14.49**	**28.07**
घ.	**अन्य व्यय**		
	मरम्मत एवं अनुरक्षण		
	– भवन	8.14	6.72
	– मशीनरी	0.97	0.91
	– अन्य	9.75	7.68
	किराया और हायर प्रभार	8.58	9.65
	दरें और कर	2.28	2.37
	बीमा	9.20	2.59
	सुरक्षा व्यय	26.45	20.15
	विद्युत प्रभार	4.41	3.96
	यात्रा एवं वाहन	1.55	2.81
	वाहनों पर व्यय	0.80	0.74
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	1.72	1.64
	विज्ञापन एवं प्रचार	-	0.01
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.46	0.31
	परामर्शी प्रभारः	6.21	3.20
	क्षतिपूर्ति वनरोपण/जल संग्रहण क्षेत्र उपाय/पर्यावरणीय व्ययों पर व्यय	0.37	0.20
	कंपनी से गैर–संबंधित भूमि पर व्यय	0.03	0.73
	पश्चलेखित परिसंपत्तियां/वसूलीयोग्य	76.00	-

विवरण		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	अन्य सामान्य व्यय	6.93	6.77
	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	-	0.06
	विनिमय दर परिवर्तन (डेबिट)	-	0.26
	उप जोड़	**163.85**	**70.76**
ङ.	**प्रावधान**	13.62	0.06
	उप जोड़	**13.62**	**0.06**
च.	**कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**		
	अन्य आय	(0.44)	(1.06)
	अन्य व्यय	8.39	10.91
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	106.26	114.94
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2.14	2.22
	वित्त लागत	0.29	0.22
	उप जोड़	**116.64**	**127.23**
छ.	**घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां**		
	विद्युत उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व	34.73	25.56
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	13.95	15.92
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.03	0.05
	विनिमय दर परिवर्तन (क्रेडिट)	-	0.66
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	1.67	110.45
	विविध प्राप्तियां	84.20	0.55
	उप जोड़	**134.58**	**153.19**
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ–ज) (टिप्पणी संख्या 2.2 देखें)	**1,269.34**	**887.62**

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखित

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) गैर–वर्तमान निवेश							
क) इक्विटी लिखतों में (उद्धृत)	3.1		93.30	-		46.57	-
ख) ऋण लिखत (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत	3.1		422.05	-		417.56	-
उप जोड़			**515.35**	**-**		**464.13**	**-**
(ii) ऋण							
क) जमा	3.2			25.14			24.55
ख) संयुक्त उद्यम को ऋण (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड)				18.40			-
ग) कर्मचारी	3.2			189.14			120.46
घ) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)[६]	3.2			736.62			675.80
(iv) अन्य							
– ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.3			6,248.71			5,111.73
– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय	3.3			2,017.20			2,017.20
आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि – चिनाब घाटी	3.3			100.15			-
पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) (आवंटन लंबित)							
– व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति	3.3	18.21			33.71		
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा सहित अन्य (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3			573.91			404.63
कुल गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		**18.21**	**515.35**	**9,909.27**	**33.71**	**464.13**	**8,354.37**
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्यापार प्राप्य	7			3,409.88			3,583.22
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8			447.27			42.17

वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9			1809.55			1651.10
(iv) ऋण	10						
– कर्मचारी ऋण				52.09			44.26
– संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण				0.42			6.27
– जमा				0.36			0.48
(v) अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़कर)	11			2,774.11			3,417.67
(vi) अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11			166.84			117.50
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां			-	**8,660.52**		-	**8,862.67**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**18.21**	**515.35**	**18,569.79**		**464.13**	**17,217.04**

वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1			21,230.99			20,878.66
(ii) पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.1			12.28			13.14
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.2			2,055.25			2,060.29
(iv) ऋण – अल्पावधि	20.1			726.03			714.31
(v) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.2			213.38			316.66
(vi) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3			1,393.11			1,616.95
ख) पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.3			2.83			3.34
ग) ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.3			660.72			643.10
घ) अन्य वर्तमान देयताएं	20.3			916.81			660.07
कुल वित्तीय देयताएं				**27,211.40**			**26,906.52**

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु समूह ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एएस–113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है:

स्तर–1 : स्तर –1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर–2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर–3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। स्तर–3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन–देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) **निवेश –**							
– इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3-1	93-30			46-57		
– ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत*	3-1	422-05			417-56		
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)			18-21	-		33-71	-
कुल		**515.35**	**18.21**	-	**464.13**	**33-71**	-

टिप्पणी :

*इन दस्तावेजों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्डस्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के तहत निकाला गया है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर–आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसपंत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) **ऋण**							
क) कर्मचारी	3.2		240.74			137.35	
ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड) को ऋण	3.2		18.40				

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.2		736.62			675.80	
	घ) जमा	3.2			25.14			24.55
(ii)	**अन्य**							
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		573.91			404.63	
	– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय		2,017.20			2,017.20		
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	3.3	**2,017.20**	**1,569.67**	**25.14**	**2,017.20**	**1,217.78**	**24.55**
	वित्तीय देयताएं							
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1 और 20.3	19,083.09	2,207.18	2,881.38	16,161.49	3,444.70	2,654.45
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.1 और 20.3	-	-	15.11	-	-	16.48
(iii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.2	2,017.20		43.03	2,017.20		48.04
	कुल वित्तीय देयताएं		**21,100.29**	**2,207.18**	**2,939.52**	**18,178.69**	**3,444.70**	**2,718.97**

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

(करोड़ रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
			वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
	वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i)	**ऋण**					
	क) कर्मचारी	3.2	189-14	240-74	120-46	137-35
	ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड) को ऋण	3.2	18-40	18-40	-	-
	ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.2	736-62	736-62	675-80	675-80
	घ) जमा	3.2	25-14	25-14	24-55v	24-55
(ii)	**अन्य**					
	– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	573-91	573-91	404-63	404-63
	– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.3	2017-20	2017-20	2017-20	2017-20
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**3560.41**	**3612.01**	**3242.64**	**3259.53**

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
		वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
वित्तीय देयताएं					
(i) वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1 और 20.3	23,284.82	24,171.65	23,138.71	22,260.65
(ii) पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.1 और 20.3	15.11	15.11	16.48	16.48
(iii) अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.2	2,055.25	2,060.23	2,060.29	2,065.24
कुल वित्तीय देयताएं		**25,355.18**	**26,246.99**	**25,215.48**	**24,342.37**

टिप्पणी :–

1. वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

2. उचित मूल्य पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

1. समूह वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए किया जाता है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं–

   –उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखतों हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।

   –शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।

2. स्तर – 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर समूह के बकाया ऋणों की भारित औसत दर पर आधारित है, सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।

3. बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन–देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन–देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

समूह के कियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती हैं:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम – प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम – विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रूपए में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

जोखिम प्रबंधन ढांचा

समूह के कियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। समूह ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। समूह में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु समूह की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। समूह के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

समूह अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करता है:

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। समूह को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि समूह अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगा।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा।

समूह एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करता है। समूह के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं –

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यह्रास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये समूह की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

समूह अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आता है।

व्यापार प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व तथा पट्टा प्राप्य

समूह व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करता है। समूह ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करता है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। समूह प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करता है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजारों में प्रचालन करती है। बकाया राजस्व मुख्यतः रिपोर्टिंग तारीख पर बिल नहीं किए गए परन्तु पूरा किए गए कार्यों हेतु मुआवजे पर समूह के अधिकार तथा वास्तव में समान प्रकार की संविदा के लिए व्यापार प्राप्यों के रूप में समान जोखिम विशेषताओं से संबंधित है।

समूह द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34 में संदर्भित किए अनुसार इंड एएस 116 'पट्टे' के अनुसार निहित वित्त पटटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात विद्युत स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

कर्मचारी ऋण: समूह ने कर्मचारियों को समूह की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन–पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण: समूह ने अरूणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु समूह तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

वित्तीय दस्तावेज और नकदी जमा:

समूह बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करता है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे समूह ने ऋण भी लिया है। समूह अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करता है। समूह के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

i) ऋण जोखिम का प्रदर्शन

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	515.35	464.13
ऋण–गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	969.30	820.81
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	2,591.11	2,421.83
नकदी और नकदी समतुल्य	447.27	42.17
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	1,809.55	1,651.10
ऋण – वर्तमान	52.87	51.01
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	2,774.11	3,417.67
कुल (क)	**9,159.56**	**8,868.72**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	3,409.88	3,583.22
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	6,415.55	5,229.23
कुल (ख)	**9,825.43**	**8,812.45**
कुल (क+ख)	**18,984.99**	**17,681.17**

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधानः–

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

समूह भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करता है और मामला दर मामाला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करता है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि समूह के विद्युत स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

यह समूह मुख्य रूप से थोक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करता है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राज्य यूटिलिटियां शामिल हैं। समूह के पास भारत सरकार, आरबीआई तथा व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्थित ऋण पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जो 2001–02 के दौरान भारत सरकार द्वारा से एसईबीएस बकाया राशि का एक मुश्त निपटान जारी करने के बाद, अक्तूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस टीपीए के विस्तार को अनुमोदित किया। अधिकांश राज्यों ने इन टीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं तथा शेष राज्यों द्वारा हस्ताक्षर करने का कार्य जारी है। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों के लिए पिछले 12 महीनों हेतु समूह की औसत मासिक बिलिंग का 105 प्रतिशत कवर करने के लिए साख–पत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य यूटिलिटी द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक हुई है तो बकाया राशि की कटौती राज्य की केंद्रीय योजना सहायता से की जा सकती है तथा संबंधित सीपीएसयू को भुगतान की जा सकती है। इसमें बकाया राशि का भुगतान न करने तथा साख पत्रों की गैर–स्थापना के संदर्भ में समूह द्वारा विद्युत के विनियमन का भी प्रावधान है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 समूह को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते है जो समूह के भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाली राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, समूह प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आंकलन करता है और मामला–दर–मामला आधार पर प्रत्यशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को समूह व्यापार प्राप्य की गैर–वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करता है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु भत्ता में संचलन निम्नवत थाः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली योग्य राशि	ऋण	कुल
01.04.2019 को शेष	**37.71**	**203.43**	**0.01**	**241.15**
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	82.35	-	82.35
01.04.2020 को शेष	**37.71**	**285.78**	**0.01**	**323.50**
हानि भत्ते में परिवर्तन	(3.95)	(10.60)	-	(14.55)
31.03.2021 को शेष	**33.76**	**275.18**	**0.01**	**308.95**

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, समूह का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

i) समूह का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। समूह निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करता है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। समूह अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

समूह की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थीः

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिवर्तनशील दर पर	475.00	925.00
कुल	**475.00**	**925.00**

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2021 को

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1,20.1 और	24,423.60	2,119.14	3,161.38	4,160.14	14,982.94
पट्टा दायित्व	20.3					
अन्य वित्तीय देयताएं	16.1 और 20.3	26.99	4.91	4.30	1.87	15.91
व्यापार देय	16.2 और 20.3	3,646.52	1,573.84	12.25	7.44	2,052.99
	20.2	213.38	213.38	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**28,310.49**	**3,911.27**	**3,177.93**	**4,169.45**	**17,051.84**

31 मार्च, 2020 को

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1,20.1 और	24,262.41	2,331.26	2,963.68	3,782.02	15,185.45
पट्टा दायित्व	16.1 और 20.3	28.17	3.34	5.89	3.70	15.25
अन्य वित्तीय देयताएं	16.2 और20.3	3,396.44	1,319.98	11.99	6.97	2,057.50
व्यापार देय	20.2	316.66	316.66	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		**28,003.68**	**3,971.24**	**2,981.56**	**3,792.69**	**17,258.20**

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार–पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। समूह के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

i) ब्याज दर जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से समूह का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ समूह की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। समूह की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। समूह के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, समूह अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती हैं। समूह को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण समूह का जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार		31 मार्च, 2020 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रूपए में)	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रूपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रूपए)			8.00	500.00
नियत दर ऋण (भारतीय रूपए)	7.89	20934.19	8.07	20106.61
नियत दर ऋण (एफसी)	1.41	1689.92	1.47	1889.00
कुल		**22624.11**		**22495.61**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ और हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों से उच्चतम/निम्नतम ब्याज व्यय के लिए संवेदनशील है। समूह के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तन दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण समूह का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्यों कि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूलनीय है।

(ii) मूल्य जोखिमः

(क) प्रदर्शन

मूल्य जोखिम से समूह का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में समूह का निवेश मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में समूह के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन–पत्र में गैर–वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु समूह की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेशः	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	1.54	1.43	24.11	11.21
इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-	22.83	0.06

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार–चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु समूह की इक्विटी पर ऋण दस्तावेजों के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेशः	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रूपए में)
सरकारी प्रतिभूतियां	1.11	3.77	1.34	4.56
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर मुक्त बाण्ड	2.14	1.88	1.56	1.29

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रदर्शनः

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह के प्रदर्शन को भारतीय राष्ट्रीय रूपए में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वित्तीय देयताएं:		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लि. (जेपीवाई)	968.62	1,132.22
एमयूएफजी बैंक (जेपीवाई)	721.30	756.77
अन्य वित्तीय देयताएं	48.91	56.78
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	**1,738.83**	**1,945.77**

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय परिवर्तन के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे प्रदर्शन के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव का समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। इसलिए मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रकट नहीं किया गया है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

समूह के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते है। तदनुसार, समूह अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करता है।

समूह ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करता है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रूपए में)	24,656.41	24,529.29
(ख) कंपनी के स्वामी पर आरोप्य कुल इक्विटी (करोड़ रूपए में)	33,090.29	31,380.92
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.75	0.78

टिप्पणी: समूह के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते है।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं:

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत समूह द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है:–

1. समूह क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगा और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु तक बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगा।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुणा से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज – गैर नकदी आय)/देय ब्याज)) के रूप में की जाएगी।
4. कंपनी का सकल ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण की मुद्रा के दौरान 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकार की धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i) इक्विटी शेयर		
0.32 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त शेयर पर वर्ष 2019–20 हेतु अंतिम लाभांश को सितम्बर 2020 में अनुमोदित और अक्तूबर 2020 में अदा किया गया (31 मार्च, 2019 को – वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु 0.75 भारतीय रूपए पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	321.44	753.38
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	शून्य	101.29*
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु 1.25 रूपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2020–1.18 रूपए)	1,255.63	1185.31
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	197.49*
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.35 रूपए (31 मार्च, 2020– 0.32 रूपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	351.58	321.44
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	.	.

*एनएचडीसी लिमिटेड से प्राप्त लाभांश पर लाभांश वितरण कर के साथ समायोजित।

टिप्पणी संख्या – 34: लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात (प्रतिशत)	
क. सहायक कंपनियां		**31.03.2021**	**31.03.2020**
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	74.92%	73.17%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	74.00%	99.99%
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (09.10.2019 से)*	भारत	100.00%	100.00%
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड** (31.03.2021 से)	भारत	100.00%	-
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां			
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)***	भारत	51.93%	49.89%
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)****	भारत	20.00%	20.00%

* कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 अक्टूबर, 2020 को हुई अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232 के तहत एनएचपीसी लिमिटेड के साथ लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के भारत सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन विलय/समामेलन की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

** वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने कंपनी द्वारा जल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (120 मेगावाट रंगित IV जलविद्युत परियोजना) के अधिग्रहण के लिए 165.00 करोड़ रुपए के विचार के लिए 24 दिसंबर, 2020 के आदेश के तहत प्रस्तुत संकल्प योजना को मंजूरी दी थी। खरीद प्रतिफल का भुगतान 31 मार्च, 2021 को कर दिया गया है और जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उस तारीख से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन गई है। तथापि, कंपनी को शेयर 6 मई, 2021 को आवंटित किए गए हैं। (विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 34(32) का अवलोकन करें)

*** वर्ष के दौरान, सह–उद्यमियों द्वारा आगे निवेश के कारण कंपनी की हिस्सेदारी 49.89 प्रतिशत से बढ़कर 51.93 प्रतिशत हो गई। तथापि, संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसरण में, सह–उद्यम के साथ संयुक्त रूप से प्रयोग किए गए नियंत्रण के कारण सीवीपीपीएल एक संयुक्त उद्यम बना हुआ है। इसके अलावा, कंपनी ने संयुक्त उद्यम भागीदारों में से एक मेसर्स पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड की शेयरधारिता हासिल करने के लिए 12 मई, 2021 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है जो सीवीपीपीएल के इक्विटी शेयरों का 2 प्रतिशत है। मेसर्स पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड को दिनांक 25.05.2021 को खरीद प्रतिफल का भुगतान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सीवीपीपीएल इस संबंध में अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर एनएचपीसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी बन जाएगी।

**** वित्तीय विवरण गैर–लेखापरीक्षित हैं। वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े इसकी लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं।

2. **आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :–**

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं–

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते समूह के प्रति कुल **10336.09 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **10940.74 करोड़** रूपए) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का समूह द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/समूह में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित समूह के विरूद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **6003.27 करोड** रूपए (पिछले वर्ष **5223.46 करोड** रूपए) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हि प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **412.91 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **395.89 करोड़** रूपए) के प्रावधान को मान्यता दी है और **9716.48 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **10294.50 करोड़** रूपए) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात वह राशि जिसके लिए समूह को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बर्हि प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/ दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हि प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू–वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **519.99 करोड**.रूपए (पिछले वर्ष **430.74 करोड** रूपए) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हि प्रवाह की संभावना के आधार पर **19.64 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **19.62 करोड़** रूपए) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **500.35 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **411.12 करोड़** रूपए) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हि प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्रीकर/सेवाकर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/ अन्यकर/शुल्क मामलों की राशि **923.33 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **761.14 करोड** रूपए) है। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हि प्रवाह की संभावना के आधार पर **17.52 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष**17.70 करोड़** रूपए) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात **645.36 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **642.23 करोड़** रूपए) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बर्हि प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हि प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **888.41 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **706.16 करोड** रूपए) के है। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बर्हि प्रवाह की संभावना के आधार पर **155.13 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **17.81 करोड़** रूपए) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **728.20 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **736.47 करोड़** रूपए) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बर्हि प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बर्हि प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2021 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2021 को आकस्मिक देयता	31.03.2020 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2020 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूंजीगत कार्य	10336.09	412.91	9716.48	10294.50*	(578.02)	950.89
2.	भूमि मुआवजा मामले	519.99	19.64	500.35	411.12	89.23	12.68
3.	विवादित कर मामले	923.33	17.52	645.36	642.43	2.93	84.07
4.	अन्य	888.41	155.13	728.20	736.47*	(8.27)	190.52
	कुल	**12667.82**	**605.20**	**11590.39**	**12,084.52**	**(494.13)**	**1238.16**

* **74.78 करोड़** रूपए राशि की आकस्मिक देयता को पिछले वर्ष के दौरान ''पूंजीगत कार्यो'' से ''अन्य'' में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

(ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बर्हिप्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को निर्धारित प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में समूह को **469.82 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **365.26 करोड़** रुपए) की भरपाई होने की संभावना है।

(ङ) (i) पूंजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **1140.45 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **697.09 करोड़** रूपए) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां माध्यथम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को समूह द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016–पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर–वर्तमान परिसंपतियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।

(ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति न्यायलय के आदेश के अनुसार प्रदत्त/न्यायलय के पास जमा किए जाने के संदर्भ में **1570.26 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **1324.51 करोड़** रूपए) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए है, जिन्हें अन्य गैर–वर्तमान परिसंपतियों/वर्तमान परिसंपतियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरूद्ध समायोजित में दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 और 13 भी देखें)।

(च) कंपनी का प्रबंधन तर्क संगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है),अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका समूह के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) 31.03.2021 को आकस्मिक देयता के एजेंसी–वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	**एजेंसी की श्रेणी**	**31.03.2021 को दावे**	**दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान**	**31.03.2021 को आकस्मिक देयता**	**31.03.2020 को आकस्मिक देयता**	**वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)**	**01.04.2020 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी**
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	केन्द्र सरकार के विभाग	333.22	0.83	71.93	71.87	0.06	0.70
2.	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	730.42	96.41	634.01	644.66	(10.65)	83.37
3.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)	139.77	92.77	16.59	100.36	(83.77)	93.16
4.	अन्य	11,464.41	415.19	10,867.86	11,267.63	(399.77)	1,060.93
	कुल	**12,667.82**	**605.20**	**11,590.39**	**12,084.52**	**(494.13)**	**1,238.16**

(ज) सिक्किम सरकार ने दिनांक 2 अगस्त, 2019 के अपने पत्र के द्वारा तीस्ता–V विद्युत स्टेशन के लिए भूमि के अधिग्रहण तथा उसी भूमि पर संबंधित घरों और अन्य निर्माणों हेतु क्षतिपूर्ति के निमित्त **35.80 करोड़** रुपए (गत वर्ष **35.80 करोड़** रूपए) की मांग की है जो वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान बांध के पानी से कथित रुप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दावे को प्रबंधन ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि विद्युत स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है और साथ ही निर्माण क्रियाकलापों के कारण नुकसान नहीं हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2008 में पहले ही पूर्ण हो गया था। क्षति स्पष्ट रूप से क्षेत्र में पुराने स्लाइड जोन के मौजूद होने के कारण हुई है। सिक्किम सरकार के राजपत्र में दिनांक 06.03.2018 को प्रकाशित आरएफसीटीएलएआरआर

अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना एकपक्षीय है और विद्युत स्टेशन की सहमति के बिना है तथा कानूनी रुप से तर्कसंगत नहीं है। मामला राज्य सराकर के साथ विचाराधीन है और मामले से संबंधित अतिरिक्त समीक्षा एवं विचार–विमर्श/करार लंबित है तथा विचार किया जा रहा है कि मांग उस भूमि से संबंधित है जो समूह द्वारा विद्युत स्टेशन के लिए अधिग्रहीत नहीं की गई है एवं इस प्रकार इस संबंध में कोई बहिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

3. आकस्मिक परिसंपत्तियां – समूह के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं:

क) समूह द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे:

समूह ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **971.12 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **915.84 करोड़** रूपए) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुरूपी अद्यतन ब्याज सहित **28.16 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **28.16 करोड़** रूपए) का प्रति दावा शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **841.22 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **803.37 करोड़** रूपए) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) विलंब भुगतान अधिभार:

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014–19/2019–24 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से निर्दिष्ट दिवसों के अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक समूह द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता हैं। लाभग्राहियों को अंतिम एकत्रीकरण हेतु व्यापक अनिश्चितता के चलते प्रबंधन ने **60.94 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **239.48 करोड़** रूपए) का अनुमान लगाया है, जिसे मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

ग) विद्युत स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व:

टैरिफ आदेश 2019–24 सभी विद्युत स्टेशनों के संबंध में लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, 2014–19 के ट्रूइंग–अप आदेश इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर विद्युत स्टेशनों के संबंध में सीईआरसी का अनुमोदन होने के चलते लंबित हैं। प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि **23.75 करोड़** रुपए (पूर्व वर्ष में **561.10 करोड़** रुपए) का अतिरिक्त राजस्व टैरिफ संशोधन के कारण उत्पन्न होने की संभावना है जिसकी उसके अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण पहचान नहीं की गई है।

घ) व्यापार बाधा हानि:

विद्युत स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने व्यापार बाधा हानियों के कारण कुल **417.57 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **210.05 करोड़** रूपए) की राशि को संभाव्य माना है, जिसकी पहचान नहीं की गई है। दावों का विद्युत स्टेशन–वार ब्यौरा एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(24) में दिया गया है।

ङ) अन्य मामले

अन्य विविध मामलों के कारण दावों की राशि **578.93 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **396.39 करोड़** रूपए) अनुमानित है जिसकी पहचान नहीं की गई है।

4. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है):

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	5751.27	5339.32
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	16.22	16.65
	कुल	**5767.49**	**5355-97**

ख) कंपनी की 31 मार्च, 2021 के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के प्रति **807.26 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **1345.64 करोड़** रूपए) की प्रतिबद्धताएं हैं।

5. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान/प्रावधान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **0.06 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **0.41 करोड़** रुपए) है, जिसे चल रहे पूंजीगत कार्य/संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल किया गया है।

6. भारतीय लेखांकन मानक 115–"ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार प्रकटन

(क) वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

राजस्व का अधिकांश हिस्सा: समूह के राजस्व में विद्युत बिक्री, व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री, परामर्श तथा अन्य सेवाओं से आय शामिल हैं। प्रमुख क्रिया कलापों का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

समूह का प्रमुख राजस्व विद्युत की बिक्री से आता है। समूह विद्युत की बिक्री थोक उपभोक्ताओं, प्रमुखतः राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटियों और राज्यों में प्रचालनात्मक निजी डिस्कॉमों को करता है। विद्युत की बिक्री आमतौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुरूप होती है।

विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है:–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत की बिक्री	समूह लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के आधार पर विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करता है, जो विद्युत स्टेशनों के संपूर्ण जीवन काल, अर्थात् 40 वर्ष,के लिए है। विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों द्वारा लागू सीमा तक यथा संशोधित 5 वर्षों की टैरिफ अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को लेखांकित किया जाता है। विद्युत स्टेशनों के संबंध में, जहां टैरिफ दरें सीईआरसी द्वारा अपने आदेशों में अभी अनुमोदित की जानी हैं/अनंतिम रूप से अनुमोदित हैं, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया है। एक बार लाभार्थी को बिजली पहुंचाने के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाती है। लाभार्थियों को समय–समय पर और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है।

(ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य (परियोजना और परामर्श कार्य)

परामर्श और अन्य सेवाओं हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है:–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समयत था महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शी सेवाएं	समूह समय से परामर्शी सेवाओं के लिए संविदा से राजस्व का पहचान करता है क्योंकि उपभोक्ता समूह द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हित लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है। संविदा के अंतर्गत अंतरित परिसंपत्तियों (प्रदेय, रिपोर्ट आदि) का समूह के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और समूह को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। परामर्श सेवाओं से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।
ग्रामीण सड़क परियोजना/ ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	समूह समय से योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से राजस्व की पहचान करता है क्योंकि परिसंपत्तियों का समूह के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और समूह को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। योजना से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ग) विद्युत का व्यापार

समूह उत्पादन कंपनियों से विद्युत खरीदता है और इसे डिस्कॉमों को बेचता है। करारों की प्रकृति, जोखिम तथा रिवार्ड प्रोफाइल के आधार पर, समूह एजेंट के रूप में या प्रमुख के रूप में विद्युत के व्यापार से राजस्व का हिसाब करता है।

व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित है:–

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	समूह समय से व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करता है क्योकि उपभोक्ता समूह द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हित लाभों को प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है। व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री से राजस्व की गणना हेतु टैरिफ करार के शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा में निहित शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ख) राजस्व का विभाजीकरण

निम्नलिखित तालिका में, राजस्व का विभाजन उत्पादन और सेवाओं की प्रकृति, भौगोलिक बाजार और राजस्व मान्यता का समय द्वारा किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए विद्युत का उत्पादन (वित्त एवं प्रचालनात्मक पट्टों के तहत वर्गीकृत राजस्व सहित)		परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य		विद्युत का व्यापार		अन्य		कुल	
भौगोलिक बाजार	**31-03-2021**	**31-03-2020**	**31-03-2021**	**31-03-2020**	**31-03-2021**	**31-03-2020**	**31-03-2021**	**31-03-2020**	**31-03-2021**	**31-03-2020**
भारत	9,252.47	9,574.40	21.26	19.03	216.48	239.47	157.52	170.61	9,647.73	0,003.51
अन्य	-	-	0.16	4.30	-	-	-	-	0.16	4.30
कुल	9,252.47	9,574.40	21.42	23.33	216.48	239.47	157.52	170.61	9,647.89	10,007.81
राजस्व मान्यता का समय										
समय में अंतरित उत्पाद और सेवाएं	9,252.47	9,574.40	21.42	23.33	216.48	239.47	157.52	170.61	9,647.89	10,007.81
बेची गईं यूनिटें (एमयू)	**25494**	**26990**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25494**	**26990**

(ग) संविदा शेष

व्यापार प्राप्य, बिल न किये गये राजस्व और जमा कार्यों एवं संविदा देयताओं के लिए उपभोक्ताओं/ग्राहकों से अग्रिम – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	वर्तमान	वर्तमान
व्यापार प्राप्य	3,409.88	3,583.22
बिल न किया गया राजस्व	1,758.91	2,589.41
संविदा देयताएं – जमा कार्य	7.52	9.37
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य	144.09	268.49
उपभोक्ताओं से अग्रिम और अन्य	32.99	11.69

समूह ने प्रारंभिक संविदा देयताओं से **शून्य करोड़** रुपए (पूर्व वर्ष **3.63 करोड़** रुपए) के राजस्व को मान्यता दी है।

(घ) शेष निष्पादन दायित्वों पर आबंटित लेन–देन कीमत समूह के प्रचालनों पर न तो लागू है और न ही वास्तविक है।

(ङ) इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' के अनुसार लागू किए गए व्यावहारिक उपायः

(i) समूह ने शेष निष्पादन दायित्वों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की है, जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और जहां राजस्व मान्यता प्राप्त है, जो अब तक पूर्ण किए गए निकाय के निष्पादन के उपभोक्ता के मूल्य के साथ मेल खाती है।

(ii) समूह के पास सामान्य व्यापार में कोई संविदा नहीं है जहां ग्राहक को वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक है। तदनुसार, लेन–देन के मूल्य को केवल धन मुद्रा के समय मूल्य के लिए समायोजित किया गया है, जहां ऐसी मुद्रा का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

(च) समूह ने ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने की कोई वृद्धि शील लागत नहीं व्यय की है और इसलिए ऐसी लागतों के लिए किसी संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

7. मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) ने एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने के नाते सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से विभिन्न लेखे में योगदान दिया है जिसका ब्यौरा निम्नवत है (तुलन–पत्र की टिप्पणी संख्या 19 देखें)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान संचलनः

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी):–

(करोड़ रूपए में)

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	**31.03.2020 तक संचयी**	**2020–21 के दौरान**	**31.03.2021 तक संचयी**
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	1,370.72	4.95	1,375.67
ii. प्राप्त नकदी	669.71	3.12	672.83
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	**2,049.00**	**8.07**	**2,057.06**
(ख) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	406.57	0.34	406.91
iii. एसएसपी घटक	519.52	0.43	519.95
iv. अधिक आरएंडआर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	419.99	2.58	422.57
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख–रखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. ओएसपी की इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	**2,044.20**	**3.35**	**2,047.55**
(ग) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ख–क)	**(4.80)**	**(4.72)**	**(9.51)**

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) :–

(करोड़ रूपए में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	**31.03.2020 तक संचयी**	**2020–21 के दौरान**	**31.03.2021 तक संचयी**
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	127.76	-	127.76
ii. प्राप्त नकदी	651.41	4.00	655.41
iii. आईएसपी खाते से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	**812.25**	**4.00**	**816.25**
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	240.07	2.96	243.03
iii. अधिक आरएंडआर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	78.89	3.83	82.72

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2020 तक संचयी	2020–21 के दौरान	31.03.2021 तक संचयी
iv. आईएसपी खाते में अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आरएंडआर पैकेज	232.86	(0.87)	231.99
(ङ) का कुल	**860.54**	**5.92**	**866.46**
(च) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ङ–घ)	**48.29**	**1.92**	**50.21**
(छ) कुल वसूलनीय राशि अर्थात (ग+च)	**43.49**	**(2.80)**	**40.70**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आरक्षित में अनुदान का संचलन निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2020	अभिवृद्धि	कटौती	31.03.2021
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	213.06	0.34	12.61	200.79
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के निमित्त अनुपातिक आर्थिक सहायता	272.28	0.43	16.11	256.60
3.	आईएसपीएस के आर एंड आर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	252.28	2.58	16.53	238.33
4.	सहायता अनुदान के रूप में ओएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	118.19	2.96	5.80	115.35
5.	ओएसपीएस के आरएण्डआर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	221.99	2.96	12.72	212.23
	कुल	**1,077.79**	**9.27**	**63.76**	**1023.30**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान संचलनः

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी):–

(करोड़ रूपए में)

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2019 तक संचयी	2019–20 के दौरान	31.03.2020 तक संचयी
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	1,363.95	6.77	1,370.72
ii. प्राप्त नकदी	669.71	-	669.71
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	**2,042.22**	**6.77**	**2,049.00**
(ख) निम्नलिखित के कारण देय / समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	406.34	0.23	406.57
iii. एसएसपी घटक	519.23	0.29	519.52
iv. अधिक आरएंडआर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	418.34	1.65	419.99
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख–रखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. ओएसपी की इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	**2,042.03**	**2.17**	**2,044.20**
(ग) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ख–क)	**(0.19)**	**(4.60)**	**(4.79)**

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी):–

(करोड़ रूपए में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	**31.03.2019 तक संचयी**	**2019–20 के दौरान**	**31.03.2020 तक संचयी**
i. परियोजना पर एनवीडीए द्वारा व्यय	127.76	-	127.76
ii. प्राप्त नकदी	651.41	-	651.41
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	**812.25**	**-**	**812.25**
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/ समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	239.64	0.43	240.07
iii. अधिक आरएंडआर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	77.90	0.99	78.89
iv. आईएसपी लेखे में अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आरएंडआर पैकेज	208.18	24.68	232.86
(ङ) का कुल	**834.44**	**26.10**	**860.54**
(च) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ङ–घ)	**22.19**	**26.10**	**48.29**
(छ) कुल वसूलनीय राशि अर्थात (ग+च)	**22.00**	**21.50**	**43.50**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरक्षित में अनुदान का संचलन निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	**विवरण**	**01.04.2019**	**अभिवृद्धि**	**कटौती**	**31.03.2020**
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	225.39	0.23	12.56	213.06
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के निमित्त अनुपातिक आर्थिक सहायता	288.04	0.29	16.05	272.28
3.	आईएसपीएस के आर एंड आर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	267.00	1.65	16.36	252.28
4.	सहायता अनुदान के रूप में ओएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	128.54	0.43	10.78	118.19
5.	ओएसपीएस के आरएण्डआर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	209.06	25.67	12.75	221.99
	कुल	**1,118.03**	**28.27**	**68.50**	**1,077.79**

8. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं	**विवरण**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	(34.21)	49.75
(ii)	ऋण लागत' के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	-	143.79
(iii)	विनियामक अंतर आस्थगित लेखा शेष में मानी गई राशि	1.70	0.99
(iv)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	(49.68)	0.05

*तथापि, समूह की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को लागत लाभग्राहियों से विद्यमान सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2019–24 के अनुरूप वसूल किया जाता है। वर्ष हेतु ऋण लागत के तहत विनिमय दर परिवर्तन को समूह की लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियों (लाभग्राहियों से वसूली योग्य) में अंतरित किया जाता है।

9. प्रचालन खंडः

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) समूह का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात संविदाएं, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी कार्य और विद्युत व्यापार कारोबार "प्रचालन खंड" के संबंध में इंड एएस–108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) समूह का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचनाः निम्नलिखित उपभोक्ताओं से **6145.65 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष हेतु **6084.17 करोड़** रूपए) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता हैः

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता से राजस्व (करोड़ रूपए में)		कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपभोक्ता से राजस्व	
		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1463.35	1616.62	15.17%	16.15%
2.	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार/जेके पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1452.30	1479.07	15.05%	14.78%
3.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	1302.30	865.67	13.50%	8.65%
4.	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1158.41	1273.37	12.01%	12.72%
5.	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	769.29	849.44	7.97%	8.49%
	कुल	**6145.65**	**6084.17**	**63.70%**	**60.79%**

घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : समूह भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि निम्नानुसार हैः

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	भूटान	0.16	4.30
	कुल	0.16	4.30

टिप्पणी : उपरोक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

10. इंड एएस–24 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अंतर्गत प्रकटनः

(क) संबंधित पक्षकारों की सूचीः

(प) संयुक्त उद्यमः

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारितपद
1.	श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक)
3.	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी) (01.04.2020 को नियुक्त)
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (01.10.2020 को नियुक्त)
5.	श्री महेश कुमार मित्तल	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (30.09.2020 को सेवानिवृत्त)
6.	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं) (01.01.2021 को नियुक्त)
7.	श्री रतीश कुमार	निदेशक(परियोजनाएं)(31.12.2020 को सेवानिवृत्त)
8.	श्री तन्मय कुमार	सरकारी नामिति निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (11.06.2020 को नियुक्त)
9.	श्री भगवत प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक (07.09.2020 को सेवानिवृत्त)
10.	श्री जुगल किशोर महापात्रा	स्वतंत्र निदेशक (07.09.2020 को सेवानिवृत्त)
11.	श्री अनिरुद्ध कुमार	सरकारी नामिति निदेशक (29.05.2020 को सेवानिवृत्त)
12.	श्री सौरभ चक्रवर्ती	कंपनी सचिव (11.02.2021 को नियुक्त)
13.	श्री विजय गुप्ता	कंपनी सचिव (16.01.2021 को सेवानिवृत्त)

(iii) रोजगार–पश्चात हितलाभ योजनाएं:

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(iv) समूह पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनिया :

समूह बहुसंख्यक शेयरधारिता के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। समूह ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एएस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।अतः ऐसे कारोबार के पक्ष–वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	समूह पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2.	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर की राज्य सरकार	एनएचपीसी की सहायक कंपनियों में शेयरधारक (एनसीआई)
3.	जम्मू एवं कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश	संयुक्त नियंत्रित निकाय में संयुक्त उद्यम में शामिल
4.	विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां (बीएचईएल, आईओसीएल, पोसको, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दामोदर वैली कारपोरेशन, पीजीसीआईएल, आरईसी, बीएसएनएल, ईईएसएल, केवी, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि., आदि)	एनएचपीसी पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित निकाय

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन–देन किए गए है:

(i) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन–देन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
समूह द्वारा प्रदान की गईं सेवाएं		
▪ सीवीपीपीएल	23.33	20.25
समूह द्वारा इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
▪ सीवीपीपीएल	500.00	140.45
प्रतिनियुक्ति/तैनातीपर होने वाले कर्मचारी की लागत की प्रतिपूर्ति		
▪ सीवीपीपीएल	2.81	3.25
समूह द्वारा दिया गया ऋण		
▪ एनएचपीटीएल	12.40	-
दिए गए ऋण पर ब्याज		
▪ एनएचपीटीएल	0.60	0.60

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिकर :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	4.56	4.76
रोजगार–पश्चहित लाभ	1.12	0.72
अन्यदीर्घावधि हित लाभ	0.93	0.28

(करोड़ रुपए में)

केएमपी के साथ अन्य लेन–देन	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर–कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क एवं अन्य प्रतिपूर्तियां	0.05	0.24
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.03	0.01

अन्य संबंधित पक्ष कारों के साथ लेन–देन रोजगार पश्च हित लाभ योजनाएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
ईपीएफ ट्रस्ट में अंशदान	366.38	467.11
उपदान ट्रस्ट में अंशदान/(ट्रस्ट से प्रतिदाय का निवल)	(79.27)	(83.60)
आरईएचएस ट्रस्ट में अंशदान/(ट्रस्ट से प्रतिदाय का निवल)	34.44	(88.30)
सामाजिक सुरक्षा स्कीम ट्रस्ट में अंशदान	6.18	6.97
ईडीसीएसएस ट्रस्ट में अंशदान	144.70	201.64
छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट में अंशदान	19.84	34.14

(iv) उस सरकार के साथ लेन–देन जिसका समूह पर नियंत्रण है– केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र (इसमें विभिन्न मंत्रालयों, सीआईएसएफ आदि के साथ लेन–देन शामिल हैं)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
समूह द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	410.14	535.96
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	41.00	5.76
समूह द्वारा बनाई गई वस्तु/माल–सूची की बिक्री	4421.17	4262.99
संपत्ति/अन्य परिसंत्तियों की खरीद	-	-
निर्माण सामग्रियों, भंडार आदि की खरीद	-	40.23
वर्ष के दौरान भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	1118.90	1393.41
वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को अदा किया गया लाभांश	271.73	464.72
समूह द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	65.31	554.64
समूह द्वारा अदा किए गए अधीनस्थ ऋणों पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	70.64	69.71
भारत सरकार को विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क	13.59	13.43
विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी और भारत सरकार को भुगतान किए गए 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः से बांड (भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सहित)	163.58	164.01

(v) सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों के साथ लेन–देन जिनका समूह में नियंत्रण है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	60.08	87.99
निर्माण सामग्रियों, भंडार आदि की खरीद	131.05	36.48
समूह द्वारा प्राप्त सेवाएं	209.63	215.51
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	0.69	1.64
समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं/मालसूची की बिक्री	73.11	79.21
बीमा दावों के विरुद्ध समूह द्वारा प्राप्त निपटान राशि	23.25	56.39

(ग) संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष और गारंटियां :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संयुक्त उद्यमों (सीवीपीपीएल और एनएचपीटीएल) के पास शेष		
• प्राप्य	54.07	42.94
• बकाया ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	18.82	6.27
केएमपी के पास शेष		
• प्राप्य	0.28	0.05
एनएचपीसी की रोजगार पश्च लाभ योजनाओं के लिए बनाए गए ट्रस्ट के पास शेष		

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य		
• उपदानट्रस्ट	58.89	40.30
• आरईएचएस ट्रस्ट	95.26	135.52
• छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट (निवल)	45.20	-
देय		
• ईपीएफ ट्रस्ट	0.06	28.50
• आरईएचएस ट्रस्ट	0.56	0.24
• सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	0.50	0.54
• ईडीसीएसएस ट्रस्ट	54.89	11.17
• छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट	-	1.78
समूह पर नियंत्रण वाली सरकार के साथ शेष– केन्द्र सरकार/राज्य सरकार		
• देय	158.79	221.31
• प्राप्य	1819.57	2597.55
• सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण)	4783.41	4741.21
• विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी और भारत सरकार को भुगतान किए गए 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः से बांड (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	2021.69	2021.68
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति)	968.62	1132.22
सरकार जिसका इस समूह पर नियंत्रण है, द्वारा नियंत्रित निकायों के पास शेष		
• देय	67.30	63.96
• प्राप्य	194.29	94.89
• असमूह द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं में से शेष	0.57	0.29

(घ) संबंधित पक्षकार लेन–देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन की निबंधन एवं शर्तें

क. राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन–देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटरी मदों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल–पुर्जे/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मदों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रतिनिर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

ख. एनएचपीटीएल को दिये गये 18.40 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.00 करोड़ रुपए) के प्रतिभूति रहित ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और उसे वार्षिक आधार पर जोड़ा जाता है।

ग. इस समूह द्वारा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी गई परामर्श सेवा आमतौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।

घ. 31.03.2021 को संयुक्त उद्यम कंपनियों की देय बकाया राशि प्रतिभूति रहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन–देन के माध्यम से होता है। ऋणों को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियों में आगे निवेशों के लिए प्रतिबद्धताओं को टिप्पणी 34(4) में प्रकट किया गयाहै।

(iii) सेवानिवृत्त पश्च लाभ योजनाओं में अंशदान न्यासों से प्रतिदाय का निवल होता है।

11. प्रतिभूति का विवरणः ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहन राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9,763.04	11,617.29
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	10,782.38	7,898.75
3	वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य	1,155.07	-
	कुल	**21,700.49**	**19,516.04**

12. भारतीय लेखांकन मानक–19 के अंतर्गत "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

(i) सामाजिक सुरक्षा योजना : अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर समूह की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। समूह प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान भी करता है और यह अंशदान योजना के लागू होने की तिथि अर्थात 01.06.2007 से एक निधि को बनाने के लिए 8 वर्षों तक किया जाना था जिसे 5 और वर्ष के लिए 31.05.2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **3.20 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **5.52 करोड़** रूपए) है।

(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) : समूह में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। समूह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देता है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **104.55 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **87.82 करोड़** रूपए) है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं: समूह के निम्नलिखित परिभाषितरोजगार–पश्चात दायित्व हैं:

(क) योजनाओं का विवरण

(i) भविष्य निधि : यह समूह पूर्व–निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराता है, जो धन का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। समूह का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) उपदान : समूह की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा **0.20 करोड़** रुपए है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देना है।

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : समूह की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन–साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कपंनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे समूह द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के

आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने का है।

(iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता : समूह के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह : समूह की नीति है कि वह अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को **10,000/– रुपए** मूल्य का स्मृतिचिन्ह भेंट करे। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

(i) भविष्य निधि : वर्ष 2020–21 तथा 2019–20 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन नीचे दिए गए है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2020&21	
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**2987.17**	**2999.68**	**(12.51)**
समायोजन	101.80	0.00	101.80
वर्तमान सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
ब्याज व्यय/(आय)	250.39	240.10	10.29
कुल	**352.19**	**240.10**	**112.09**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	0.00	8.40	(8.40)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.10	0.00	0.10
अनुभव (लाभ)/हानि	3.33	0.00	3.33
कुल	**3.43**	**8.40**	**(4.97)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	101.80	(101.80)
– कर्मचारी के लिए गत वर्ष हानि हेतु अतिरिक्त अंशदान	0.00	0.78	(0.78)
– योजना प्रतिभागी	327.09	327.09	0.00
हितलाभ भुगतान	(533.63)	(533.63)	0.00
31.03.2021 को अंतिम शेष	**3136.25**	**3144.22**	**(7.97)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019-20	
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	2647.07	2718.80	(71.73)
समायोजन	0.00	(0.30)	
वर्तमान सेवा लागत	131.13	-	131.13
ब्याज व्यय/(आय)	236.54	229.37	7.17
कुल	**367.67**	**229.07**	**138.60**

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019-20		
पुनर्मापन			
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	0.00	11.76	(11.76)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.01	0.00	0.01
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.23	0.00	0.23
अनुभव (लाभ)/हानि	63.27	0.00	63.27
कुल	**63.51**	**11.76**	**51.75**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	131.13	(131.13)
– योजना प्रतिभागी	342.71	342.71	0.00
हित लाभ भुगतान	(433.79)	(433.79)	0.00
31.03.2020 को अंतिम शेष	**2987.17**	**2999.68**	**(12.51)**

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वित्त पोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3136.25	2,987.17
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3144.22	2,999.68
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(7.97)**	**(12.51)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं		-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(7.97)**	**(12.51)**

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, समूह को बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित **7.97 करोड़** रूपए के निवल अधिशेष के प्रति योजना से प्रतिदाय लेने अथवा योजना में निम्न भावी अंशदान में हितलाभों का कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, समूह ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि न्यास से संबंधित हैं न कि समूह से।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है–

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव				
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.007%	0.006%	इससे वृद्धि	0.007%	0.006%

(ii) **उपदानः** 31.03.2021 तथा 31.03.2020 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2020–21 तथा 2019–20 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2020-21		
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**670.95**	**698.37**	**(27.42)**
वर्तमान सेवा लागत	17.80	0.00	17.80
ब्याज व्यय/(आय)	45.49	45.69	(0.20)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	**63.29**	**45.69**	**17.60**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0.00	(2.52)	2.52
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.87)	0.00	(0.87)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	9.79	0.00	9.79
अनुभव (लाभ)/हानि	(9.38)	0.00	(9.38)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.46)**	**(2.52)**	**2.06**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	56.53	(56.53)
– योजना प्रतिभागी	0.00	0.00	0.00
हितलाभ भुगतान	(101.98)	(117.96)	15.98
31.03.2021 को अंतिम शेष	**631.80**	**680.11**	**(48.31)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019-20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**695.89**	**763.91**	**(68.02)**
वर्तमान सेवा लागत	19.53	0.00	19.53
ब्याज व्यय/(आय)	52.61	57.75	(5.14)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	**72.14**	**57.75**	**14.39**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0.00	(2.00)	2.00
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.59	0.00	0.59
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	32.80	0.00	32.80
अनुभव (लाभ)/हानि	(13.59)	0.00	(13.59)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**19.80**	**(2.00)**	**21.80**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	0.00	0.00
– योजना प्रतिभागी	0.00	0.00	0.00
लाभ भुगतान	(116.88)	(121.29)	4.41
31.03.2020 को अंतिम शेष	**670.95**	**698.37**	**(27.42)**

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी के अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में **0.41 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **0.56 करोड़** रुपए) को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से/को प्राप्य/(देय) के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	631.80	670.95
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	680.11	698.37
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(48.31)**	**(27.42)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(48.31)**	**(27.42)**

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव			
			अनुमानों में वृद्धि		अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50% इससे कमी	3.33%	3.18% इससे कमी	3.56%	3.40%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50% इससे वृद्धि	0.51%	0.53% इससे वृद्धि	0.57%	0.60%

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : 31.03.2021 तथा 31.03.2020 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2020–21 तथा 2019–20 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2020-21		
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**852.18**	**987.72**	**(135.54)**
वर्तमान सेवा लागत	17.38	0.00	17.38
ब्याज व्यय/(आय)	57.78	66.06	(8.28)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**75.16**	**66.06**	**9.10**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0.00	6.29	(6.29)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.02)	0.00	(0.02)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	29.63	0.00	29.63
अनुभव (लाभ)/हानि	36.37	0.00	36.37
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**65.98**	**6.29**	**59.69**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	(5.82)	5.82
– योजना प्रतिभागी	0.00	0.00	0.00
हितलाभ भुगतान	(34.03)	0.00	(34.03)
31.03.2021 को अंतिम शेष	**959.29**	**1054.25**	**(94.96)**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019-20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**865.53**	**863.48**	**2.05**
वर्तमान सेवा लागत	17.03	0.00	17.03
ब्याज व्यय/(आय)	65.43	64.69	0.74
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**82.46**	**64.69**	**17.77**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0.00	10.02	(10.02)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.21)	0.00	(0.21)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	73.46	0.00	73.46
अनुभव (लाभ)/हानि	(136.43)	0.00	(136.43)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(63.18)**	**10.02**	**(73.20)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	80.65	(80.65)
– योजना प्रतिभागी	0.00	0.00	0.00
हितलाभ भुगतान	(32.63)	(31.12)	(1.51)
31.03.2020 को अंतिम शेष	**852.18**	**987.72**	**(135.54)**

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी के अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में **0.57 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **0.63 करोड़** रुपए) को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से/को प्राप्य/(देय) के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	959.29	852.18
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1054.25	987.72
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	**(94.96)**	**(135.54)**
गैर–वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	**(94.96)**	**(135.54)**

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.72%	6.79%	इससे कमी	6.79%	6.86%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.79%	6.87%	इससे वृद्धि	6.74%	6.80%

(iv) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते : 31.03.2021 तथा 31.03.2020 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2020–21 तथा 2019–20 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2020-21		
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**6.05**	**0.00**	**6.05**
वर्तमान सेवा लागत	0.29	0.00	0.29
ब्याज व्यय/(आय)	0.41	0.00	0.41
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.70**	**0.00**	**0.70**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0.00	0.00	0.00
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	0.00	0.03
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.08	0.00	0.08
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.45)	0.00	(0.45)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.34)**	**0.00**	**(0.34)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	0.00	0.00
– योजना प्रतिभागी	0.00	0.00	0.00
हितलाभ भुगतान	(0.36)	0.00	(0.36)
31.03.2021 को अंतिम शेष	**6.05**	**0.00**	**6.05**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019-20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**5.78**	**0.00**	**5.78**
वर्तमान सेवा लागत	0.29	0.00	0.29
ब्याज व्यय/(आय)	0.44	0.00	0.44
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.73**	**0.00**	**0.73**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0.00	0.00	0.00
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.47	0.00	0.47
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.62)	0.00	(0.62)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.15)**	**0.00**	**(0.15)**

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2019-20	
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	0.00	0.00
– योजना प्रतिभागी	0.00	0.00	0.00
हितलाभ भुगतान	(0.31)	0.00	(0.31)
31.03.2020 को अंतिम शेष	**6.05**	**0.00**	**6.05**

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी के अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में **0.01 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **0.01 करोड़** रुपए) को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से/को प्राप्य/(देय) के रूप में शामिल किया गया है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.49%	4.87%	इससे कमी	4.85%	5.92%
लगत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	4.95%	6.12%	इससे वृद्धि	4.62%	5.11%

(v) **अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति–चिन्ह :** 31.03.2021 तथा 31.03.2020 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2020–21 तथा 2019–20 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
		2020-21	
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**3.45**	**0.00**	**3.45**
वर्तमान सेवा लागत	0.14	0.00	0.14
ब्याज व्यय/(आय)	0.24	0.00	0.24
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.38**	**0.00**	**0.38**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0.00	0.00	0.00
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.05	0.00	0.05
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.16)	0.00	(0.16)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.11)**	**0.00**	**(0.11)**

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2020-21		
अंशदान :–			
– नियोक्ता	0.00	0.00	0.00
– योजना प्रतिभागी	0.00	0.00	0.00
हितलाभ भुगतान	(0.51)	0.00	(0.51)
31.03.2021 को अंतिम शेष	**3.21**	**0.00**	**3.21**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2019-20		
01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	**3.63**	**0.00**	**3.63**
वर्तमान सेवा लागत	0.14	0.00	0.14
ब्याज व्यय/(आय)	0.27	0.00	0.27
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.41**	**0.00**	**0.41**
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	0.00	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.20	0.00	0.20
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.30)	0.00	(0.30)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.10)**	**0.00**	**(0.10)**
अंशदान :–			
– नियोक्ता	-	0.00	-
– योजना प्रतिभागी	-	0.00	-
हितलाभ भुगतान	(0.49)	0.00	(0.49)
31.03.2020 को अंतिम शेष	**3.45**	**0.00**	**3.45**

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी के अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में **0.01** करोड़ रुपए (पिछले वर्ष **0.01 करोड़** रुपए) को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से/को प्राप्य/(देय) के रूप में शामिल किया गया है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर–वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.25%	4.61%	इससे कमी	3.45%	4.87%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएंः महत्वपूर्ण अनुमानः बीमांकित अनुमानः

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
छूट दर	6.55%	6.78%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैः

भविष्य निधिः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1820.46	-	**1820.46**	58.03
कारपोरेट बॉण्ड	1100.04	-	**1100.04**	35.07
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	67.80	-	**67.80**	2.16
एलआईसी	-	-	**-**	-
नकदी और नकदी समतुल्य	**-**	**83.95**	**83.95**	**2.68**
प्रोद्भूत ब्याज	**64.63**	**-**	**64.63**	**2.06**
कुल	**3052.93**	**83.95**	**3136.88**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1751.33	-	**1751.33**	58.51
कारपोरेट बॉण्ड	1067.84	-	**1067.84**	35.68
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	72.29	-	**72.29**	2.42
एलआईसी	-	-	**-**	-
नकदी और नकदी समतुल्य	-	29.74	**29.74**	**0.99**
प्रोद्भूत ब्याज	71.92	-	**71.92**	**2.40**
कुल	**2963.38**	**29.74**	**2993.12**	**100.00**

उपदान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	680.10	**680.10**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	**0.01**	-
कुल	**-**	**680.11**	**680.11**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	.	698.36	**698.36**	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	.	**0.01**	**0.01**	**-**
कुल	.	**698.37**	**698.37**	**100.00**

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	4.72	-	**4.72**	0.45
कारपोरेट बॉण्ड	503.72	-	**503.02**	47.77
एलआईसी योजना	**-**	**528.49**	**528.49**	**50.19**
सावधि जमा	-	-	**-**	-
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.07	**0.07**	0.01
प्रोद्भूत ब्याज	**16.74**	**-**	**16.74**	**1.59**
कुल	**524.48**	**528.56**	**1053.04**	**100.00**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	4.72	-	**4.72**	0.48
कारपोरेट बॉण्ड	716.27	-	**716.27**	72.55
एलआईसी योजना	-	**247.18**	**247.18**	**25.04**
सावधि जमा	-	0.41	**0.41**	0.04
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.20	**0.20**	0.02
प्रोद्भूत ब्याज	**18.48**	-	**18.48**	**1.87**
कुल	**739.47**	**247.79**	**987.26**	**100.00**

(ङ) जोखिम प्रदर्शनः अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह समूह कई जोखिमों का सामना करता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जोखिम प्रदर्शनों का विवरणः

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः समूह नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करता है –

क) वेतन वृद्धि – वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।

ख) निवेश जोखिम – यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।

ग) छूट दर – बाद के मूल्यांकनों में छूट दर मे कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।

घ) मृत्यु तथा दिव्यांगता – मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा दिव्यांगता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी – वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

च) परिभाषित लाभ देयता और नियोक्ता अंशदानः वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। समूह यह मानता है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित है, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु परिभाषित लाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान **135.71 करोड़** रूपए है।

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि 10.39 वर्ष है (2019–2020– 10.15 वर्ष)।

छूट न दी गई परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	0–1 वर्ष के मध्य	1 – 5 वर्ष के मध्य	5 – 10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021	534.56	929.62	585.02	1087.05	3136.24
31.03.2020	500.03	983.71	449.08	1,054.36	2,987.18

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और स्मृतिचिन्ह का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष के मध्य	2 – 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021					
उपदान	91.42	75.67	142.34	322.34	631.77
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	35.06	41.26	148.20	708.13	932.65
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.61	0.56	1.15	3.73	6.05
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.48	0.40	0.73	1.59	3.20
कुल	**127.57**	**117.89**	**292.42**	**1,035.79**	**1,573.67**
31.03.2020					
उपदान	97.79	84.87	169.85	318.43	670.94
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	30.06	38.97	136.15	647.00	852.18
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.62	0.59	1.30	3.54	6.05
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.52	0.46	0.89	1.59	3.46
कुल	**128.99**	**124.89**	**308.19**	**970.56**	**1,532.63**

(ग) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (छुट्टी हितलाभ): समूह अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित छुट्टी (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन छुट्टी से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त व्यय **68.46 करोड़** रूपए (31 मार्च 2020 : **108.81 करोड़** रूपए) है।

13. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल–पुर्जों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	26.50	25.29
	ii) अन्य विविध मामले	5.26	81.53
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल–पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	22.96	21.40

14. प्रति शेयर अर्जन:–

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	3.03	3.46
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	3.24	2.87
प्रति शेयर सम मूल्य (रुपए)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3039.65	3475.13
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3257.00	2884.92

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	10045034805	10045034805

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के अनुसार प्रकटीकरण:

(करोड़ रुपए में)

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मूल कंपनी एनएचपीसी								
31.03.2021	78.03	28022.85	82.28	2947.10	95.62	7.20	82.31	2954.30
31.03.2020	79.20	27047.22	75.22	2515.70	24.70	(0.62)	75.26	2515.08

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लिमिटेड)								
31.03.2021	0.30	108.58	-	-	-	-	-	-
31.03.2020	0.29	99.86	0.01	0.07	-	-	0.01	0.07
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)								
31.03.2021	0.12	43.33	(0.01)	(0.10)	-	-	(0.01)	(0.10)
31.03.2020	0.01	3.69	(0.01)	(0.19)	-	-	(0.01)	(0.19)
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)								
31.03.2021	2.87	1031.16	(0.01)	(0.21)	-	-	(0.01)	(0.21)
31.03.2020	2.80	957.72	(0.01)	(0.06)	-	-	(0.01)	(0.06)
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)								
31.03.2021	0.52	188.15	-	-	-	-	-	-
31.03.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
सभी सहायक कंपनियों में गैर–नियंत्रक ब्याज								
31.03.2021	7.87	2828.40	9.08	325.13	2.12	0.16	9.06	325.29
31.03.2020	8.12	2773.76	13.75	459.98	36.65	(0.92)	13.73	459.06
संयुक्त उद्यम (निवेश इक्विटी पद्धति के अनुसार)								
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)								
31.03.2021	0.05	18.22	(0.11)	(3.85)	-	-	(0.11)	(3.85)
31.03.2020	0.06	22.06	(0.12)	(4.01)	0.40	(0.01)	(0.12)	(4.02)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्रा. लिमिटेड (सीवीपीपीएल)								
31.03.2021	3.64	1308.67	(0.05)	(1.64)	-	-	(0.05)	(1.64)
31.03.2020	2.67	911.46	0.21	7.05	-	-	0.21	7.05
कुल								
31.03.2021	**100.00**	**35918.69**	**100.00**	**3582.13**	**100.00**	**7.53**	**100.00**	**3589.66**
31.03.2020	**100.00**	**34154.68**	**100.00**	**3344.91**	**100.00**	**(2.51)**	**100.00**	**3342.40**

16. संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं:

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31-03-2021	31-03-2020
क.	आकस्मिक देयताएं	75.82	43.88
ख.	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	5,192.83	3840.00

17. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है:

(क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, व्यापार प्राप्य, संविदाकारों को अग्रिम, देय व्यापार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

(ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु **0.05 करोड़** रूपए अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2020 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2020 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2021 को बकाया निम्नानुसार हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31.12.2020 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2021 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य	4476.24	2989.73	3551.29
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम	2247.84	696.36	2373.13
व्यापार/अन्य देय	511.88	64.76	684.40
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	335.39	28.17	384.28

(ग) प्रबंधन के मतानुसार,अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

18. इंड एएस – 116 "पट्टे" के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :

क) समूह पट्टाधारी के रूप में

(i) इंड एएस 116 के अनुसार पट्टों पर कार्रवाई :

समूह यह आकलन करता है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में वह एक अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है। समूह अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की लीज अवधि के साथ पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की संपत्ति वाले पट्टों (जैसे टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएं और टेलीफोन) को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें वह पट्टेदार है, के संबंध में आस्ति उपयोग के अधिकार और परवर्ती पट्टा देयता को मान्यता प्रदान करता है। इन पट्टों के लिए, समूह पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देता है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न करता हो जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो समूह अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है।

समूह ने इंडएएस–116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैंः–

क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंत्तियों के पट्टों के पोर्ट फोलियो पर एकल छूट दर लागू की।

ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।

ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।

घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।

ङ. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मान्यता प्रदान की गई पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धि शील उधारदर 6.83 प्रतिशत है।

(ii) पट्टे की प्रकृतिः समूह की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंत्तियों के संबंध में हैं:

(क) 3–4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।

(ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमिपट्टे पर प्राप्त की गई।

(घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

(iii) राशि को31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय के विवरण में माना गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	15.52	16.91
2	निम्न–मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे पर व्यय	0.02	0.14
3	परिवर्तनीय पट्टा भुगतान में शामिल नहीं होने वाली पट्टा देयताओं का पुनर्मापन	4.67	9.27

(iv) 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **3.72 करोड़** रुपए गत वर्ष **4.30 करोड़** रुपए है।

(v) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	16.48	16.22
पट्टा देयताओं में वृद्धि	3.00	3.97
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	1.35	1.33
घटाएं: पट्टा देयताओं का भुगतान	5.72	5.04
अंतिम शेष	**15.11**	**16.48**

(ख) वित्त पट्टा –समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने दो विद्युत स्टेशनों नामतः निम्मो बाजगो विद्युत स्टेशन और चूटक विद्युत स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) जम्मू एवं कश्मीर और दो विद्युत स्टेशनों नामतः इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर विद्युत स्टेशनों से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट समूह के साथ इन विद्युत स्टेशनों के अपेक्षित जीवनकाल की वास्तविक अवधि के लिए एक समझौता किया है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर–वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो समूह द्वारा की गई निहित पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भविष्य के पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

समूह ने वर्ष के दौरान **724.62 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **755.82 करोड़** रुपए)की 'वित्त पट्टे से आय' अर्जित की।

निम्नलिखित तालिका 31.03.2021 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा प्राप्य की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
गैर–छूट पट्टा भुगतान प्राप्यः		
एक वर्ष से कम	831.22	840.69
एक से दो वर्ष	819.27	828.48
दो से तीन वर्ष	804.75	816.60

विवरण	31-03-2021	31-03-2020
तीन से चार वर्ष	792.15	802.15
चार से पांच वर्ष	741.15	789.62
पांच से अधिक वर्ष	14,312.02	15,018.81
कुल छूट न दिए गए पट्टा भुगतान प्राप्यः	**18,300.56**	**19,096.35**
जोड़ें: छूट दिए गए गैर–गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	611.37	609.49
घटाएं: अर्जित न की गई वित्त आय	13,787.33	14,476.61
पट्टे में निवल निवेश	**5,124.60**	**5,229.23**
पट्टे में निवल निवेश में शामिल गैर–गारंटीबद्ध छूटशुदा अवशिष्ट मूल्य	14.82	12.75

वित्त पट्टों में निवल निवेश की वहनीय राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31-03-2021	31-03-2020
प्रारंभिक शेष	5,229.23	5,569.27
वर्ष के दौरान वृद्धि	40.36	22.79
वर्ष के लिए वित्त पट्टे से आय	724.62	755.82
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	869.61	1,118.65
अंतिम शेष	**5,124.60**	**5,229.23**

(ii) वित्तीय पट्टे के रूप में तीस्ता लो डैम–।।। (टीएलडीपी–।।।) विद्युत स्टेशन

मेसर्स डब्ल्यूबीएसईडीसीएल (एकल लाभार्थी) के साथ निष्पादित टीएलडीपी–।।। के संबंध में बिजली खरीद समझौता (पीपीए) चालू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए 31 मार्च, 2019 तक वैध था और इसे तत्समय लागू इंड एएस–17 के परिशिष्ट–ग के अनुसार एक परिचालन पट्टे के रूप में अभिहित किया गया था।

वर्ष के दौरान, समूह ने पारस्परिक रूप से सहमत टैरिफ पर इसके 35 वर्षों के शेष उपयोगी जीवन के लिए टीएलडीपी–।।। पावर स्टेशन द्वारा उत्पन्न संपूर्ण बिजली की खरीद के लिए मैसर्स डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के साथ एक पूरक पीपीए हस्ताक्षरित किया है। पूरक पीपीए, जिसकी प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2019 है, को दोनों पक्षों के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और संबंधित विद्युत विनियामक आयोगों (एनएचपीसी के मामले में सीईआरसी और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के मामले में डब्ल्यूबीईआरसी) के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने तक, बिजली की बिलिंग पूरक पीपीए में तय दरों पर की जा रही है।

कंपनी ने मूल्यांकन किया है कि पूरक पीपीए इंड 116–पट्टे के अनुसार एक वित्त पट्टे की प्रकृति का है। तदनुसार, इसके कारण **17.27 करोड़** रुपए के लाभ पर शुद्ध प्रभाव को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में वित्त पट्टे से आय के रूप में मान्यता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पावर स्टेशन के संबंध में वित्त पट्टे से आय की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान **342.43 करोड़** रुपए के परिचालन पट्टे से आय की तुलना में **174.46 करोड़** रुपए (उपरोक्त के अनुसार **17.27 करोड़** रुपए सहित) है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2021 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले बिना छूट वाले पट्टे के भुगतान को दिखाते हुए, लीज प्राप्तियों का परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31-03-2021
गैर–छूट पट्टा भुगतान प्राप्यः	
एक वर्ष से कम	198.79
एक से दो वर्ष	204.19
दो से तीन वर्ष	208.77
तीन से चार वर्ष	203.13
चार से पांच वर्ष	197.19
पांच से अधिक वर्ष	2,823.79
कुल छूट न दिए गए पट्टा भुगतान प्राप्यः	**3,835.86**

विवरण	31-03-2021
जोड़ें: गैर–गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	192.45
घटाएं: अर्जित न की गई वित्त आय	2,737.36
पट्टे में निवल निवेश	**1,290.95**
पट्टे में निवल निवेश में शामिल गैर–गारंटीबद्ध छूटशुदा अवशिष्ट मूल्य	3.91

(ग) प्रचालनात्मक पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

समूह ने टीएलडीपी–III विद्युत स्टेशन से विद्युत की बिक्री हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक करार किया है। इन करारों के अंतर्गत ग्राहक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन की खरीद के लिए बाध्य है।

समूह ने वर्ष के दौरान **712.00 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **324.14 करोड़** रुपए) की 'वित्त पट्टे से आय' अर्जित की (ऊपर ख(।।) भी देखें)।

निम्नलिखित तालिका विद्युत क्रय करार की तारीख तक टीएलडीपी–IV विद्युत स्टेशन के संबंध में दिनांक 31.03.2021 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा भुगतानों की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
एक वर्ष से कम	–	198.05
एक से दो वर्ष	–	–
दो से तीन वर्ष	–	–
तीन से चार वर्ष	–	–
चार से पांच वर्ष	–	–
पांच से अधिक वर्ष	–	–
कुल	**–**	**198.05**

19. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलनपत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इस समूह की प्रत्येक परियोजना/विद्युत केंद्र सबसे छोटा पहचान योग्य परिसंपत्ति समूह है जो सतत उपयोग से नकदी के प्रवाह का सृजन करता है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूहों से नकदी के प्रवाहों से व्यापक तौर पर स्वतंत्र है और तद्नुसार नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में नामित किए जाने के योग्य है। इन सीजीयू पर लागू हानि संबंधी संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि इस समूह पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रौद्योगिकीय, आर्थिक अथवा कानूनी परिवेश, जिसमें यह कार्य करता है, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस वर्ष के दौरान नहीं हुआ है अथवा न ही निकट भविष्य में होने की आशा है। इसमें टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियम जहां कोई प्रमुख संशोधन नहीं हुए हैं जिनका इन सीजीयू से भावी नकदी प्रवाह पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, शामिल हैं। ऐसा कोई साक्ष्य आंतरिक रिपोर्टिंग से उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत देता हो कि सीजीयू का आर्थिक कार्य निष्पादन आशा से खराब है अथवा होगा।

इसके अलावा, इस समूह के आठ सीजीयू का आकलन 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था।इस समूह के सीजीयू का चयन प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, टैरिफ आदि जैसे मानदंड के आधार पर किया गया था और इस में कंपनी की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और 100 मेगावाट से अधिक वाले हाल ही में शुरू किए गए चार विद्युत केंद्र शामिल हैं। इन सीजीयू में से, एक में पहचान की गई पूंजी लागत के भाग के रूप में टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर भी विचार हानि के आकलन के लिए सीजीयू की वहन राशि के साथ किया गया है।

हानि का विश्लेषण प्रत्येक सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के लिए समायोजित लागू सीईआरसी विनियमों तथा पूंजी परिसंपत्ति की मत निर्धारण मॉडल, जो मुद्रा के समय मूल्य का बाजार आकलन दर्शाता है, के आधार पर नकदी के प्रवाह संबंधी अनुमानों

के अनुसार सीजीयू की वसूली योग्य राशि की मापकर उपयोग में मूल्य परिचालन के आधार पर किया गया था।

इस आकलन के आधार पर, ऐसा कोई महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान इस समूह के विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित सीजीयू की वहनीय राशि की हानि को इंगित करेगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान समूह की परियोजनाओं/विद्युत केंद्रों के संबंध में कोई हानि नहीं हुई है।

20. जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुरूपी ऊर्जा उपलब्ध करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी है। चूंकि, किसी विद्युत स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसी निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है, इसका समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

21. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('कोड') रोजगार के दौरान कर्मचारी हितों और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। तथापि, उस तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया, जिसको यह कोड प्रभावी होगा। समूह संहिता के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगा और संहिता के प्रभावी होने के वर्ष में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगा।

22. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब समूह यह प्रत्याशा करता है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर–पूर्व–दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं 12 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधानः

लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में समूह नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधानः

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

(iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधानः

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014–19/2019–24 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका सहायता हेतु प्रावधानः

पार्बती–II तथा पार्बती–III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल

प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी :

i) रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।

ii) ऐसे पीएएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।

iii) शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधानः

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर–वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधानो को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्ययों हेतु प्रावधानः

मेगा तथा निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी पॉलिसी के अंतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के प्रति किया जाना है।

ङ) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधानः

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

च) प्रावधान – अन्य –इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :–

i) संभावित बहिर्प्रवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा ।

ii) समूह द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

iii) वर्ष 2014–19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूले गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।

iv) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को मुहैया करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

v) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।

23. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटनः

समूह प्रमुखतः जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगा हुआ है। समूह द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा के लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाने की उस की लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु समूह को लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए अथवा किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रक्षेपित और लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों (पूर्व जीएएपी) हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इस की संभावना हो (एक तर्क संगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व–निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता।

01.04.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक–114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सुबनसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बाधित थे और मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में लंबित था। तथापि, परियोजना में तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी थे।

31 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में, माननीय एनजीटी ने माना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन में पक्षपात करने वाले आवेदकों की याचिकाओं में कोई औचित्य नहीं है और तदनुसार, एनजीटीके समक्ष लंबित सुबनसिरी लोअर परियोजना के विरुद्ध मामलों को खारिज कर दिया गया है। अक्टूबर, 2019 से परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप 30 सितंबर, 2019 तक व्यय की गई **2735.61 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **2735.61 करोड़** रूपए तक) की ऋण लागत, **1427.67 करोड** रूपए (पिछले वर्ष तक **1427.67 करोड़** रूपए) के कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय, **322.60 करोड़** रूपए की अन्य आय के निवल (पिछले वर्ष तक **322.60 करोड** रूपए) को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान फिर से शुरू कर दिया गया है, 01.10.2019 से व्यय की गई ऋण लागत, कर्मचारी हित लाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय (अन्य आय का निवल) को निर्माण पर आरोप्य व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

समूह ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो "विनियामक परिसंपत्ति" और तदनुरूपी "विनियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी विनियामक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभ ग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक–114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पणी के रूप में मान्यता देता है, समूह ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

31मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए और उस वर्ष तक, सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में माने गए कुल विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष नीचे दिए गए अनुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31.03.2021 तक
ऋण लागत	2509.67
कर्मचारी हितलाभ व्यय	628.73
मूल्यह्रास और परिशोधन	54.86
अन्य व्यय	562.83
अन्य आय	(285.50)
कुल	**3470.59**

इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान किसी भी विनियामक आस्थगन लेखा शेष को मान्यता नहीं दी गई है।

प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार, परियोजना की प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत शामिल **8410.41 करोड़** रुपए की अग्रणीत राशि में कोई हानि नहीं है, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष शामिल है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यह्रास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात 40 वर्षों में सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

वर्ष 2019–2024 के लिए टैरिफ विनियम सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा टैरिफ विनियमों (2014–19), उध्ाार की पूंजी में परिणत का अधिकार देना एवं अनियंत्रण किए जाने योग्य कारकों, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं जैसे टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार रुकावट/अस्थायी रूप से व्यापार रोकने संबंधी आदेश शामिल हैं, के अलावा, नए विनियमों में अप्रत्याशित घटनाओं में से एक के रूप में परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब भी शामिल है। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन सुबनसिरी लोअर परियोजना में मान्यताप्राप्त आरडीए शेष की भावी वसूली के जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संभवतः नहीं है।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबनसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) मांग जोखिमः विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए लागत और आवश्यक लाभ को कवर करने वाली दर पर दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई।

ख) विनियामक जोखिमः टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक समूह पर आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेय न करने से सृजित किए जा रहे विनियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक यूनिट (सीपीएसयू) के तीसरे वेतन संशोधन के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

आईडीए वेतनमान के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों सहित सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 2017 से संशोधित किया गया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.01.2017 से मूल वेतन, महंगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अलावा, उपदान को 01.01.2017 से मौजूदा **0.10 करोड** रुपए से बढ़ाकर **0.20 करोड़** रुपए किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू किया गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014–19, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के कारणों के कथन के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान करते हैं कि प्रचालनात्मक विद्युत स्टेशन के वेतन संशोधन के कारण केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों और सीआईएसएफ कार्मिकों सहित कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार याचिकाकर्ता समूह के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से प्रभावी) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को बारह समान मासिक किश्तों में अनुमेय किया था।

वर्ष 2020–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम जिसके साथ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दिनांक 15 मार्च, 2019 का शुद्धि पत्र पढ़ा जाए, में यह भी प्रावधान है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वेतन संशोधन की वसूली की जाए।

भारतीय लेखांकन मानक–114–"विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2019 तक वेतन/उपदान सीमा के संशोधन के कारण कर्मचारी लाभों पर अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। एक बार इस संबंध में सीईआरसी के साथ समक्ष दायर याचिकाओं को मंजूरी मिलने के बाद लाभार्थियों से बिलिंग के माध्यम से यह शेष राशि वसूल की जाएगी।

टैरिफ अवधि 2014–19 के विपरीत, जहां वेतन संशोधन के आरडीए शेषों को इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि सीईआरसी उसके अनुसरण में टैरिफ में उसी की अनुमति देगा, जिसकी वित्तीय वर्ष 2009 के दौरान वेतन संशोधन के लिए पहले अनुमति दी गई थी, टैरिफ विनियम 2019–24 वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की विशिष्ट रूप से वसूली करने की अनुमति देता है।

तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए **231.16 करोड़** रुपए (**221.38 करोड़** रुपए) की धनराशि के साथ तीसरी पीआरसी के कारण अतिरिक्त व्यय को "बिल न किया गया राजस्व" के रूप में माना गया है, जबकि दिनांक 31.03.2019 तक अतिरिक्त व्यय के कारण **670.93 करोड़** रुपए को आरडीए डेबिट शेष के रूप में निरंतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वित्तीय विवरण में 31.03.2021 तक मान्यता प्रदान किए गए कुल आरडीए ऋण शेष नीचे दिए अनुसार हैं

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**670.93**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (–)	-
घ	**लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)**	-
ङ	**31.03.2021 को अंतिम शेष (क+घ)**	**670.93**

हालांकि, कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता विनियामक जोखिम के अध्यधीन है क्योंकि ऐसे व्यय को आमतौर पर सीईआरसी द्वारा विवेक सम्मत जांच करने के बाद ही किए जाने की अनुमति दी जाती है। विवेक सम्मत जांच के बाद व्यय की अनुमति न देने से लाभार्थियों से वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है। समूह की वर्तमान सीईआरसी विनियम 2019–24 की अवधि के दौरान तीसरे वेतन संशोधन के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वहनीय राशि को वसूल करने की आशा है।

(ग) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के अनतिक्रम के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19/2019–24 के अनुसार, किसी विद्युत की पूंजीगत लागत पर मूल्यह्रास टैरिफ के संघटकों में से एक है। मूल्यह्रास को 12 वर्षों की आरंभिक प्रचालन अवधि में टैरिफ विनियम 2014–19/2019–24 में दी गई दरों के अनुसार बुक में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद शेष मूल्यह्रास को शेष 23/28 वर्षों में समान रूप से रखा जाता है ताकि मूल्यह्रास के रूप में विद्युत केंद्र की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत वसूला जा सके। टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, जल विद्युत केंद्र का प्रचालनात्मक जीवनकाल 40 वर्ष है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, उत्पादक समूह द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का भी निर्धारण विनियम में उल्लिखित मानदंडों के विपथन में किया जा सके, बशर्ते विपथन में मानदंडों के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पर समान स्तर पर किया हुआ टैरिफ विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परिकलित समान किये हुए शुल्क से अधिक न हो। 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों, जिन्हें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है, में समान प्रावधान हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 17 मई, 2018), समूह ने आरंभिक दस वर्षों में कमतर टैरिफ निर्धारित कर तथा उसके बाद 1 से 10 वर्षों तक 1.5 प्रतिशत मूल्यह्रास द्वारा शेष 25 वर्षों तक तथा 11 से 40 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित कर किशनगंगा विद्युत केंद्र के टैरिफ में अनतिक्रम किया है और इस प्रकार से विद्युत केंद्र

की पूंजी लागत का कुल 90 प्रतिशत अनतिक्रम हुआ है। प्रचालन के आरंभिक वर्षों में टैरिफ को कम करने के उद्देश्य से इस अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में टैरिफ के निर्धारण के लिए मूल्यह्रास दरों का अनतिक्रम सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पावर स्टेशन के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन और वसूली के प्रथम 12 वर्षों के दौरान खाते में प्रभारित उच्चतर मूल्यह्रास (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार) के रूप में अत्यधिक असंतुलन को उत्पन्न करता है। हालांकि, प्रथम 12 वर्षों के दौरान कमतर वसूली की प्रतिपूर्ति खाते में प्रभारित मूल्यह्रास की तुलना में टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास की उच्चतर वसूली के द्वारा पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल के शेष अवधि के दौरान की जाएगी। आरंभिक वर्षों मे टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागतों की वसूली को टालना तथा बाद के वर्षों में इसकी वसूली यह दर्शाता है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वर्तमान लागतों की वसूली करने के अधिकार के रूप में परिसंपत्ति मौजूद है और ऐसे अधिकार को लागू किया जा सकता है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 "विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखकर, टैरिफ विनियम, 2014–19 के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित मूल्यह्रास और टैरिफ के रूप में अनुमति दिया गया मूल्यह्रास और बाद की अवधियों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले के बीच अंतर की पहचान विद्युत केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। वाणिज्यिक प्रचालन के जीवन काल के प्रथम 12 वर्षों के दौरान सृजित आरडीए शेषों की वसूली विद्युत स्टेशन के शेष उपयोगी जीवन काल अर्थात 28 वर्षों की अवधि के दौरान में टैरिफ के संघटक के रूप में उच्च मूल्यह्रास के माध्यम से लाभार्थियों से की जाएगी ।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**367.60**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	195.51
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**195.51**
ङ	**31.03.2021 को अंतिम शेष (क+घ)**	**563.11**

समूह का किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में दीर्घावधि विद्युत खरीद करार है। चूंकि, टैरिफ के अनतिक्रम को पहले ही सीईआरसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, अतः समूह किशन गंगा पावर स्टेशन के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जोखिम पर विचार नहीं करता है।

हालांकि, खाते में मूल्यह्रास प्रभार और टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली सीईआरसी द्वारा यथा अनुमति दी गई विद्युत केंद्र की पूंजी लागत पर निर्भर है, किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली विनियामक जोखिम के अध्यधीन होगी। समय और लागत आधिक्य आदि के कारण व्यय सहित पावर स्टेशन पर वास्तविक पूंजी व्यय का अनुमोदन सीईआरसी द्वारा निर्णय लेने की तर्क संगतता की जांच के अध्यधीन है। निर्णय लेने की तर्क संगतता की जांच के बाद व्यय की अनुमति न देना लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष को प्रभावित कर सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

भारतीय लेखांकन मानक 23–"उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा , भारतीय लेखांकन मानक 21–"विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ 13 क क –"भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तद्नुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों का रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में "विनियामक आस्थगित लेखा" और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014–19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखाशेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**0.02**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	1.70
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	0
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**1.70**
ङ	**31.03.2021 को अंतिम शेष (क+घ)**	**1.72**

2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार विद्युत केंद्र की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए भी जारी रखी गई है। तद्नुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अध्यधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तद्नुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में बिजली की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

(ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेषः

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए होने वाली आय के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर, चालू कर, के रूप में उसी वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य है, जिस वर्ष में वह होता है। टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर से इक्विटी पर लाभ को छोड़कर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक, भावी वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसे आरडीए के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस प्रथा की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआईकीईएसी) के मत के आधार पर की गई थी। इस प्रकार का आस्थगित लेखा शेष, जो आईसीएआई की ईएसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 12 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्ति होता हो बल्कि भारतीय लेखांकन मानक 114 के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा पूरा करता है।

तद्नुसार, समूह ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में पूर्व में प्रस्तुत 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर और टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन को वर्गीकृत किया है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2019–24 के अनुसार, पूर्व के टैरिफ विनियम 2014–19 में यथा प्रदत्त वर्तमान कर और आस्थगित कर की वसूली के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (–) नीचे दी गई है:

विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेषों का संचलनः

(i) टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित करके संबंध में:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**1790.61**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	75.46
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**(75.46)**
ङ	**31.03.2021 को अंतिम शेष (क+घ)**	**1715.15**

(ii) स्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन (2014–19 और उसके बाद की टैरिफ अवधि के संबंध में) के संबंध में:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**837.09**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	6.28
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**6.28**
ङ	**31.03.2021 को अंतिम शेष (क+घ)**	**843.37**

विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेषों का संचलनः

(iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों के प्रति आस्थगित कर समायोजन (एमएटी क्रेडिट के प्रति) के संबंध में:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**747.92**
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति(+)/देयता (–))	45.21
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (–)/वापस की गई राशि (+)	35.47
घ	**लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख–ग)**	**9.74**
ङ	**31.03.2021 को अंतिम शेष (क+घ)**	**757.66**

टैरिफ अवधि 2004–2009 तक वसूली योग्य आस्थगित करके कारण मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता तथा टैरिफ अवधि 2014–19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन समूह के भावी प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा, चूंकि विनियामक आस्थगित लेखा शेष विगत टैरिफ अवधियों से संबंधित हैं, अतः वसूलनीयता भी सीईआरसी के विनियामक जोखिम के अध्यधीन है जो भावी टैरिफ विनियमों में ऐसी शेष राशि की वसूली की अनुमति देता है।

च) कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान उधारियों के लेखा पर विनियामक आस्थगित लेखा शेष और उपगत अन्य लागतः

इंड–एएस 23–उधार लागत का पैरा 20 निर्धारित करता है कि कोई प्रतिष्ठान उस विस्तारित अवधि के दौरान उधार लागतों के पूंजीकरण को निलंबित कर देगा जिसमें वह एक अर्हक परिसंपत्ति के सक्रिय विकास को निलंबित कर देता है।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, गृह मंत्रालय ने 24 मार्च 2020 के आदेश के माध्यम से देश में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी की, जिसे समय–समय पर बढ़ाया गया।

लॉकडाउन की प्रारंभिक अवधि अर्थात 23 मार्च, 2020 से 20 अप्रैल, 2020 के दौरान पार्बती–।। परियोजना में और 23 मार्च 2020 से 23 अप्रैल, 2020 तक सुबनसिरी लोअर परियोजना में प्रमुख निर्माण गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम अप्रत्याशित घटनाओं सहित अनियंत्रित कारकों के कारण उधारियों और अन्य जिम्मेदार लागतों के पूंजीकरण की अनुमति देता है। तदनुसार, कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के कारण काम के अस्थायी स्थगित की अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर किए गए उधार और अन्य प्रशासनिक लागतों को निम्नानुसार नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी गई है:

(करोड़ रूपए में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्ति	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान
ऋण लागत	78.10
कर्मचारी लाभ व्यय	15.35
मूल्यह्रास	1.47
अन्य व्यय	6.10
अन्य आय	(1.96)
कुल	**99.06**

सुबनसिरी लोअर और पार्बती–।। परियोजनाओं के संबंध में बनाए जा रहे नियामक आस्थगित खाता शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित करने वाले जोखिम और अनिश्चितताएं हैं:

क) मांग जोखिमः विनियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से की जाएगी। तदनुसार, यह भारत में बिजली की बिक्री को प्रभावित करने वाले सामान्य जोखिमों और अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है, जैसे लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई, लागत को कवर करने वाली दर पर और परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विवरणी।

ख) नियामक जोखिम : टैरिफ विनियमों में आगे प्रावधान है कि यदि उत्पादन कंपनी के कारण देरी नहीं हुई है, बल्कि अनियंत्रित कारकों के कारण है, तो उचित विवेकपूर्ण जांच के बाद आईईडीसी की अनुमति दी जा सकती है। विवेकपूर्ण जांच के बाद व्यय की कोई भी अस्वीकृति लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले नियामक आस्थगित खाता शेष की मात्रा को प्रभावित कर सकती है।

24. (i) उड़ी–II विद्युत स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो विद्युत उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उसे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। विद्युत स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2021 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्रतिदाय की प्राप्त की गई निवल राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
व्यापार बाधा हानि	202.98	74.01	-	128.97 *	128.97

*टिप्पणी 34 के पैरा 3(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

#वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय शून्य है (अद्यतन तिथि को संचयी **74.01 करोड़** रूपए है)।

(ii) चमेरा–II पावर स्टेशन, जहां दिनांक 07.08.2019 को यूनिट # 1 और यूनिट # 2 के जनरेटर स्टाटर में मुख्य गड़बड़ी हुई थी। घटना की तिथि से 12 महीने की अवधि में उत्पादन यूनिटों का पुनर्स्थापन पूरा होने की आशा है। विद्युत स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि को मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। 31.03.2021 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है:

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	34.22	14.49	6.00	13.73	27.23
व्यापार बाधा हानि	-	-	-	-	81.08*
कुल	**34.22**	**14.49**	**6.00**	**13.73**	**108.31**

* नोट संख्या 34 की टिप्पणी 3 (घ) में आकस्मिक संपत्ति में शामिल। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 81.08 करोड़ रुपए की व्यापार बाधा के नुकसान के संबंध में दर्ज दावा बीमा कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान खारिज कर दिया गया है।

(iii) सेवा–।। पावर स्टेशन, जहां 25 सितंबर, 2020 को लैंड स्लाइड के कारण हेड रेस टनल (एचआरटी) क्षतिग्रस्त हो गई थी। वर्तमान में पावर स्टेशन पूरी तरह से बंद है और बहाली का काम प्रगति पर है। (पावर स्टेशन की आस्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम नीति के तहत कवर की जाती है)। प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, समूह के वित्तीय प्रदर्शन पर कोई भौतिक प्रभाव परिकल्पित नहीं है। 31.03.2021 को बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	40.00	-	2.00	38.00	-
व्यापार बाधा हानि	274.60	-	-	274.60*	-
कुल	**314.60**	**-**	**2.00**	**312.60**	**-**

*नोट संख्या 34 की टिप्पणी 3 (घ) में आकस्मिक संपत्ति में शामिल।

(iv) सभी विद्युत संयंत्रों की परिसंपत्तियां और उत्पादन में हानि मेगा जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर हैं। 31.3.2021 के अनुसार विद्युत स्टेशनों (ऊपर 24 (i), (ii) तथा (iii) में प्रकट किए गए उड़ी–II, चमेरा–II और सेवा–II के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	68.67	14.03	23.63	31.01	15.13
व्यापार बाधा हानि	14.00	-	-	14.00*	-

*नोट संख्या 34 की टिप्पणी 3 (घ) में आकस्मिक संपत्ति में शामिल।

25. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने **बरसर** परियोजना को आर्थिक से लाभप्रद बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईए को प्रस्तुत की गई है और **226.78 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **226.78 करोड़** रूपए) का व्यय किया जा चुका है और इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, इस संबंध में पूर्ववर्ती वर्षों में की गई पर्याप्त सावधानी, के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।

26. कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल–II परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं है जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के निदेश दिए गए हैं। परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक 31.3.2021 तक कोटलीभेल–1ए, कोटलीभेल–1बी और कोटलीभेल–II परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः **274.35 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **265.94 करोड़** रूपए), **42.95 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **42.95 करोड़** रूपए) और **51.42 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **51.42 करोड़** रूपए) की राशि के किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, 31.03.2021 तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर इन राशियों हेतु कुल **368.72 करोड़** रूपए (पिछले वर्ष **360.31 करोड़** रूपए) की राशि हेतु लेखाबहियों में प्रावधान किया गया है।

27. तवांग चरण–। और चरण–।। जलविद्युत परियोजनाओं पर किए गए व्यय **233.68 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **225.23 करोड़** रुपए) को पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में आगे बढ़ाया गया है। तथापि, स्वीकृतियों की प्राप्ति में विलंब, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई और इन परियोजनाओं से जुड़ी समग्र अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं में 31.03.2021 तक किए गए व्यय के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में **233.68 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **97.57 करोड़** रुपए) की राशि का प्रावधान लेखाओं में किया गया है।

28. क) धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, **35.70 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **35.70 करोड़** रूपए) की राशि का 31.03.2021 तक हुए व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया गया है। हालांकि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के रूप में खाता बुक में **35.70 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **35.70 करोड़** रूपए) का प्रावधान किया गया है।

(ख) गोरीगंगा–III ए परियोजना की पूंजीगत लागत और अनुकूल टैरिफ को कम करने के उपायों का पता लगाया जा रहा है। उस पर निर्णयों के लंबित रहने तक, 31.03.2021 तक **46.18 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **46.08 करोड़** रुपए) के किए गए व्यय की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व–सावधानी के रुप में,लेखा बहियों में **46.18 करोड़** रुपए (पिछले वर्ष **46.08 करोड़** रुपए) का प्रावधान किया गया है।

29. किए गए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के संबंध में प्रकटीकरण :

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) किसी भी आस्ति के अर्जन/जोड़ने के लिए किया गया व्यय है जो अचल संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगति में पूंजीगत कार्य अमूर्त संपत्ति इत्यादि) का हिस्सा है। समूह द्वारा कैपेक्स के लिए किए गए नकद व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	पूंजीगत व्यय निम्नलिखित द्वारा किया गया	कंपनी का नाम	निम्नलिखित को समाप्त अवधि	
			31.03.2021	**31.03.2020**
1	एनएचपीसी (एकल आधार)	एनएचपीसी	2,570.12	3,173.86
2	अनुषंगी कंपनी	एनएचडीसी	41.71	57.58
		एलडीएचसीएल	5.19	4.85
		बीएसयूएल	2.24	1.61
		एलटीएचपीएल	46.13	6.84
3	संयुक्त उद्यम कंपनी	सीवीपीपीपीएल	532.82	305.10
	कुल		**3198.21**	**3549.84**

30. सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची–V द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन:

(क) ऋणों के रुप में ऋण एवं अग्रिम

(i) संयुक्त उद्यम कंपनियां:

(करोड़ रूपए में)

कंपनी का नाम	निम्नलिखित को बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**2020–21**	**2019–20**
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लि.	18.82	6.27	18.82	6.27

(ii) उन फर्मों और कंपनियों को जिनमें निदेशक का हित है: शून्य (पिछले वर्ष–शून्य)

(ख) एनएचपीसी के हिस्से में कर्जदारों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) द्वारा निवेश : शून्य (पिछले वर्ष–शून्य)

31. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों (आरईसी) के मात्रात्मक ब्यौरे:

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (संख्या में)	
		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
1.	जारी आरईसी	-	7042
2.	प्रमाणीकरण के अधीन आरईसी	-	-
3.	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए आरईसी	-	7042

32. इंड एएस 103 'व्यापार संयोजन' के अनुसार प्रकटन:

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिग्रहण :

जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) का अधिग्रहण: वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ('एनसीएलटी') ने **165.00 करोड़** रुपए की राशि पर जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) के अधिग्रहण के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को अनुमोदित किया। इस आदेश के अनुसार, **165.00 करोड़** रुपए के खरीद मूल्य के भुगतान पर जेपीसीएल 100 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी हितों के साथ कंपनी की पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

(i) अधिग्रहण के लिए प्रमुख कारण

(क) कंपनी के व्यापार का विकास

(ख) बड़े पैमाने पर आंतरिक विशेषज्ञता और सिक्किम राज्य में कंपनी की मजबूत उपस्थिति के कारण पैमाने की मितव्ययताएं प्राप्त करना और कम लागत पर परियोजना विकसित करना।

(ii) अंतरित धनराशिः समूह ने जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए नकद में क्रय धनराशि के रुप में **165.00 करोड़** रुपए का भुगतान किया है।

(iii) **(क) अभिचिन्हित योग्य अधिग्रहित परिसंपत्तियां तथा स्वीकृत देयताएंः** निम्नलिखित तालिका में अधिग्रहण की तारीख को अधिग्रहीत परिसंपत्तियों तथा स्वीकृत देयताओं की मान्यता राशि को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः

(करोड़ रूपए में)

विवरण	**राशि**
परिसंपत्ति	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3.17
चल रहे पूंजीगत कार्य	182.72
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	2.09
अन्य परिसंपत्तियां	0.23
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.10
कुल परिसंपत्तियां	**188.31**
कुल देयताएं	**0.16**
कुल अधिग्रहीत निवल अभिचिन्हित योग्य परिसंपत्तियां	**188.15**
घटाएंः क्रय राशि	**165.00**
पूंजी आरक्षित	**23.15**

(ख) समूह द्वारा व्यापार प्राप्यों और आकस्मिक देयताओं का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

(iv) **क्रय राशि – नकदी का बर्हिप्रवाह**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	**राशि**
नकद राशि	165.00
घटाएंः अधिग्रहीत नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.10
नकदी का बर्हिप्रवाह – निवेशात्मक गतिविधियां	**164.90**

(v) **पूंजी आरक्षित :** एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को अंततः जेपीसीएल के लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसके बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी ने इंड–एएस 103–व्यापार संयोजन के पैरा 36क की अपेक्षा को लागू किया है और व्यापार संयोजन को मोलभाव खरीद के रूप में वर्गीकृत करने के अंतर्निहित कारणों की समीक्षा की है। चूंकि कंपनी का निपटान दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक खुली बोली प्रणाली के माध्यम से किया गया था और अधिग्रहणकर्ता (एनएचपीसी) और अधिग्रहण होने वाले (जेपीसीएल) के बीच कोई पूर्व–मौजूदा संबंध नहीं था, वहां व्यापार संयोजन को सौदेबाजी की खरीद के रूप में वर्गीकृत करने के अंतर्निहित कारणों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तदनुसार, समूह ने **23.15 करोड़** रुपए को मान्यता दी है, जो 'अन्य इक्विटी' के भीतर पूंजीगत आरक्षित के रूप में भुगतान किए गए प्रतिफल पर अर्जित शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य से अधिक है।

(vi) **अधिग्रहण संबंधी लागतेंः** समूह द्वारा **0.05 करोड़** रुपए की अधिग्रहण संबंधी लागत विधि तथा व्यवसाय शुल्क पर व्यय की गई। इन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में" अन्य व्यय" के अंतर्गत तथा नकदी प्रवाह के विवरण में प्रचालनात्मक क्रियाकलापों गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(vii) **राजस्व एवं लाभ का अंशदान**

जेपीसीएल 31 मार्च, 2021 से 100 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी हितों के साथ कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी ने समूह के परिणाम में **शून्य करोड़** रुपए का राजस्व और **शून्य करोड़** रुपए का लाभ/हानि का योगदान दिया। चूंकि कंपनी ने अभी तक वाणिज्यक परिचालन शुरू नहीं किया है, वर्ष 2020–21 के लिए समूह के कर पूर्व राजस्व और लाभ पर प्रभाव 1 अप्रैल 2020 को हुआ था, यह सुनिश्चित नहीं है।

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिग्रहण

लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड ('एलटीएचपीएल') का अधिग्रहण: वर्ष 2019–20 के दौरान, राष्ट्रीय कंपनी न्याय अधिकरण ('एनसीएलटी') ने **897.50 करोड़** रुपए की राशि पर लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के अधिग्रहण के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को अनुमोदित किया। इस आदेश के अनुसार, एलटीएचपीएल 9 अक्टूबर 2019 से 100: वोटिंग इक्विटी हितों के साथ कंपनी की पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है:

(i) अधिग्रहण के लिए प्रमुख कारण :

(क) कंपनी के व्यापार का विकास

(ख) तीस्ता बेसिन का केस्केड विकास को सक्षम बनाना

(ग) बड़े पैमाने पर आंतरिक विशेषज्ञता और सिक्किम राज्य में कंपनी की मजबूत उपस्थिति के कारण कम लागत पर आर्थिक मितव्ययता प्राप्त करके परियोजना विकसित करना।

(ii) अंतरित धनराशि: समूह ने लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए नकद में क्रय धनराशि के रुप में **897.50 करोड़** रुपए का भुगतान किया है।

(iii) (क) **अभिचिन्हित योग्य अधिग्रहित परिसंपत्तियां तथा स्वीकृत देयताएं:** निम्नलिखित तालिका में अधिग्रहण की तारीख को अधिग्रहीत परिसंपत्तियों तथा स्वीकृत देयताओं की मान्यता राशि को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	**राशि**
परिसंपत्ति	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	2.70
चल रहे पूंजीगत कार्य	919.00
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	16.65
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.08
कुल परिसंपत्तियां	**938.43**
कुल देयताएं	**शून्य**
कुल अधिग्रहीत निवल अभिचिन्हित योग्य परिसंपत्तियां	**938.43**
घटाएं: क्रय राशि	**897.50**
पूंजी आरक्षित	**40.93**

(ख) **समूह द्वारा व्यापार प्राप्यों और आकस्मिक देयताओं का अधिग्रहण नहीं किया गया था।**

(iv) **क्रय राशि – नकदी का बर्हिप्रवाह**

(करोड़ रूपए में)

विवरण	**राशि**
नकद राशि	897.50
घटाएं: अधिग्रहीत नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.08
नकदी का बर्हिप्रवाह – निवेशात्मक गतिविधियां	**897.42**

(v) **पूंजी आरक्षित :** एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को अंततः एलटीएचपीएल के लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसके बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी ने इंड–एएस 103–व्यापार संयोजन के पैरा 36क की आवश्यकता को लागू किया है और व्यापार संयोजन को मोलभाव खरीद के रूप में वर्गीकृत करने के अंतर्निहित कारणों की समीक्षा की है। चूंकि कंपनी का निपटान दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक खुली बोली प्रणाली के माध्यम से किया गया था और अधिग्रहणकर्ता (एनएचपीसी) और अधिग्रहण होने वाले (एलटीएचपीएल) के बीच कोई पूर्व–मौजूदा संबंध नहीं था, वहां व्यापार संयोजन को सौदेबाजी की खरीद के रूप में वर्गीकृत करने के अंतर्निहित कारणों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तदनुसार, समूह ने **40.93 करोड़** रुपए को मान्यता दी है, जो 'अन्य इक्विटी' के भीतर पूंजीगत आरक्षित के रूप में भुगतान किए गए प्रतिफल पर अर्जित शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य से अधिक है।

(vi) **अधिग्रहण संबंधी लागतें:** समूह द्वारा **0.51 करोड़** रुपए की अधिग्रहण संबंधी लागत विधि तथा व्यवसाय शुल्क पर व्यय की गई। इन लागतों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लाभ और हानि के विवरण में "अन्य व्यय" के अंतर्गत तथा नकदी प्रवाह के विवरण में प्रचालनात्मक क्रियाकलापों गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(vii) **राजस्व एवं लाभ का अंशदान**

9 अक्तूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि हेतु, समूह के लाभ और हानि लेखा विवरण में अधिग्रहण लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड ने **शून्य** राजस्व तथा **0.06 करोड़** रुपए की हानि प्रदान की है। चूंकि कंपनी ने अपने प्रचालन शुरू नहीं किये हैं और अधिग्रहण 1 अप्रैल, 2019 को हुआ है, इसलिए 2019–20 के लिए समूह का कर पूर्व लाभ तथा राजस्व पर प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड ने ग्रुप के लाभ और हानि के विवरण और हानि लेखा में **शून्य करोड़** रुपए के राजस्व और **0.21 करोड़** रुपए की हानि का योगदान दिया।

33. कोविड–19 का प्रभाव

समूह के राजस्व का प्राथमिक स्रोत जलविद्युत का उत्पादन और बिक्री है। कोविड–19 के प्रकोप और हाल ही में इसके मामलों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप, भारत सरकार और/या राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा की है जिससे सामान्य रूप से व्यापार प्रभावित हुआ है। बिजली की आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है और रन–ऑफ़–दि–रिवर (आरओआर) परियोजनाओं के लिए अनिवार्य प्रचालन की स्थिति को देखते हुए और तालाब और भंडारण परियोजनाओं के साथ आरओआर के मामले में आरएलडीसी द्वारा संभव सीमा तक शेड्यूलिंग पर विचार करते हुए, समूह के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड–19 का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न चालू और गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का वहन मूल्य या कंपनी के ऋण को चुकाने की क्षमता उत्पन्न होने की आशा है।

तथापि, कोविड–19 महामारी के कारण विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 और 16 मई, 2020 के निर्देशों के अनुरूप, समूह ने अंतिम उपभोक्ताओं को खाते में डालने के लिए डिस्कॉम और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों को **185 करोड़** रुपए की एकमुश्त छूट दी है। उक्त छूट को वित्तीय विवरण में "असाधारण मद" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

निर्माणाधीन सर्वेक्षण/जांच और सर्वेक्षण के अधीन परियोजनाओं के संबंध में, प्रबंधन मांग में किसी बड़े पैमाने पर संकुचन की उम्मीद नहीं रखता, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना पोर्ट फोलियो में कमी हो सकती है। समूह के ऋण दस्तावेजों के लिए मांग में कोई संकुचन नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशित भावी पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार की लागत में वृद्धि हो सकती है।

3409.88 करोड़ रुपए राशि के व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर वहन की गईं वित्तीय परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं, जिनका अनुमानित उधार हानि पद्धति के उपयोग करके हानि भत्ते के प्रावधान पर विचार किया गया। समूह के लाभार्थी अधिकांश राज्य वितरण कंपनियां हैं तथा भारत सरकार द्वारा इन लाभार्थियों के लिए आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक तथा व्यापक पैकेज के अंतर्गत घोषित लिक्विडिटी प्रदान करने पर विचार करते हुए, समूह व्यापार प्राप्यों की वसूली में ऋण जोखिम की किसी वृद्धि का अनुमान नहीं लगाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों के एक महत्वपूर्ण भाग को स्तर–1 में वर्गीकृत किया गया है तथा इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो मुख्य रूप से एक सक्रिय बाजार के रूप में चिन्हित लिक्विड इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करता है जो कोविड–19 से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारक हैं। दिनांक 31 मार्च, 2021 को नकदी तथा नकदी समतुल्य, बैंक जमाओं और बैंकों के पास निर्धारत शेषों के रूप में परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय संपत्तियों के संबंध में, समूह ने आकलन

किया है कि प्रतिपक्ष ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। स्तर–2 और स्तर–3 में वर्गीकृत अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, प्रबंधन प्रतिपक्ष की प्रोफाइल के आकलन के आधार पर ऋण जोखिम में किसी वृद्धि की आशा नहीं रखता है, जिनमें से अधिकांश या तो समूह या राज्य सरकार/केंद्र सरकार के निकायों के कर्मचारी हैं।

तद्नुसार, प्रबंधन का विचार है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय राशि में हानि का अनुमान लगाने के कोई कारण नहीं हैं। इसी तरह, समूह द्वारा आस्थगित कर परिसंपत्तियों/विनियामक आस्थगित लेखा शेषों तथा आस्थगित कर देयता की तुलना में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वसूलनीयता के संबंध में कोविड–19 का कोई प्रभावन हीं है।

इंडएएस 116–पट्टों के संबंध में, पट्टे की शर्तों में कोई परिवर्तन उन मामलों में अनुमानित नहीं है, जहां कंपनी संविदा के लिए पट्टेदार के रूप में है। इसके अतिरिक्त, एकल लाभार्थी सहित विद्युत स्टेशनों के संबंध में सन्निहित पट्टों के मामले में, पट्टों की शर्तों में कोई छूट प्रस्तावित नहीं है।

आकलन के अनुसार, समूह के अन्य देनदारों से प्राप्य राशियों के संबंध में ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

प्रबंधन के आंकलन के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न वर्तमान तथा गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य सहित समूह की अवधारणाओं के विषयों में वृद्धि की संभावना सहित समूह के वित्तीय निष्पादन पर कोविड–19 का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोविड–19 का प्रभाव, यदि कोई हो, महामारी का वास्तविक प्रभाव भावी घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। समूह वैश्विक महामारी के प्रभावों की निगरानी करता रहेंगा निगरानी और उक्त को विचारार्थ अथवा क्रिस्टलीकरण पर लिया जाएगा।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08645380	डीआईएन : 08646003

समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते के.जी.सोमानी एण्ड कंपनी (चार्टर्ड एकाउंटेंट)**	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	एफआरएन : 006591एन	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 009487एन		एफआरएन : 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए भुवनेश महेश्वरी)**	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद

तिथि : 10 जून, 2021

समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी सं 35

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, पिछली अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ मदों के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनर्वर्गीकरण/पुनर्कथन किए गए हैं। तदनुसार, इंड एएस 1 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, कंपनी ने पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत में अर्थात 01.04.2019 को तीसरा तुलन–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रमुख पुनर्कथन/पुनर्वर्गीकरण को निम्नानुसार समझाया गया है:–

(क) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए और 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणियां

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए और 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार पुनर्कथित समेकित तुलन–पत्र

	विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार (पुनः कथन)
	परिसंपत्तियां								
(1)	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां**								
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.1		21,630.33	-	21,630.33	23,116.24	-	23,116.24
ख)	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2		17,180.41	-	17,180.41	15,036.80	-	15,036.80
ग)	उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3		2,766.31	-	2,766.31	-	-	-
घ)	निवेश संपत्ति	2.4		4.49	-	4.49	4.49	-	4.49
ङ)	अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5		0.72	-	0.72	1,855.90	-	1,855.90
च)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित निवेश	2.6.1		933.53	-	933.53	792.65	-	792.65
छ)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**					-			
	1) निवेश	3.1		464.13	-	464.13	490.20	-	490.20
	2) व्यापार प्राप्य	3.2	35.1(ख)	-	-	-	61.51	(61.51)	-
	3) ऋण	3.3		820.81	-	820.81	770.08	-	770.08
	4) अन्य	3.4	35.1(ख)	7,567.27	-	7,567.27	7,453.54	61.51	7,515.05
ज)	गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4		153.29	-	153.29	145.87	-	145.87
झ)	विलंबित कर परिसंपत्तियां (निवल)	18.1		-	-	-			
ञ)	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	5	35.1(क)	3,038.17	11.03	3,049.20	2,034.11	7.49	2,041.60
	कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			**54,559.46**	**11.03**	**54,570.49**	**51,761.39**	**7.49**	**51,768.88**
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**								
क)	मालसूची	6		126.62	-	126.62	125.18	-	125.18
ख)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			-	-	-			
	1) व्यापार प्राप्य	7	35.1(ख)	3,816.44	(233.22)	3,583.22	2,838.00	(296.69)	2,541.31
	2) नकदी और नकदी तुल्य	8		42.17	-	42.17	25.04	-	25.04

	विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार (पुनः कथन)
	3) नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9		1,651.10	-	1,651.10	2,220.21	-	2,220.21
	4) ऋण	10		51.01	-	51.01	48.81	-	48.81
	5) अन्य	11	35.1 (ख)	3,301.95	233.22	3,535.17	2,243.10	296.69	2,539.79
ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	35.1 (ग)	84.16	90.95	175.11	111.85	40.19	152.04
घ)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	35.1 (क) और 35.1 (ग)	498.99	(101.98)	397.01	372.73	(47.68)	325.05
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां			**9,572.44**	**(11.03)**	**9,561.41**	**7,984.92**	**(7.49)**	**7,977.43**
(3)	नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	35.1(ड.)	7,213.06	(76.21)	7,136.85	6,979.14	-	6,979.14
	कुल परिसंपत्ति और नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष			**71,344.96**	**(76.21)**	**71,268.75**	**66,725.45**	**-**	**66,725.45**
	इक्विटी और देयताएं								
(1)	**इक्विटी**								
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	15.1		10,045.03	-	10,045.03	10,045.03	-	10,045.03
(ख)	अन्य इक्विटी	15.2	35.1(ड.)	21,325.58	10.31	21,335.89	20,752.78	-	20,752.78
	कंपनी के स्वामियों को आरोप्य कुल इक्विटी			**31,370.61**	**10.31**	**31,380.92**	**30,797.81**		**30,797.81**
(ग)	गैर नियंत्रक हित	15.3	35.1(ड.)	2,763.88	9.88	2,773.76	2,868.47	-	2,868.47
	कुल इक्विटी			**34,134.49**	**20.19**	**34,154.68**	**33,666.28**	**-**	**33,666.28**
(2)	**देयताएं**								
	गैर–वर्तमान देयताएं								
(क)	**वित्तीय देयताएं**								
	1) ऋण	16.1		20,891.80	-	20,891.80	17,044.63	-	17,044.63
	2) देय व्यापार				-	-			
	3) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2		2,060.29	-	2,060.29	2,059.44	-	2,059.44
(ख)	प्रावधान	17		55.56	-	55.56	46.94	-	46.94
(ग)	विलंबित कर देयताएं (निवल)	18	35.1(ड.)	4,229.12	(369.90)	3,859.22	4,720.68	-	4,720.68
(घ)	अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	19		3,199.47	-	3,199.47	2,986.06	-	2,986.06
	कुल गैर वर्तमान देयताएं			**30,436.24**	**(369.90)**	**30,066.34**	**26,857.75**		**26,857.75**

	विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार (पुनः कथन)
(3)	**वर्तमान देयताएं**								
(क)	**वित्तीय देयताएं**								
	(1) ऋण	20.1		714.31	-	714.31	416.00	-	416.00
	(2) देय व्यापार	20.2							
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय			22.96	-	22.96	19.38	-	19.38
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया देय			293.70	-	293.70	176.89	-	176.89
	(3) अन्य वित्तीय देयताएं	20.3	35.1(घ)	2,923.08	0.38	2,923.46	2,896.72	0.34	2,897.06
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	21	35.1(घ)	902.82	(0.38)	902.44	1,158.04	(0.34)	1,157.70
(ग)	प्रावधान	22		1,442.94	-	1,442.94	1,534.39	-	1,534.39
(घ)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23		-	-		-	-	-
(4)	**नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष**		35.1(ड.)	474.42	273.50	747.92			
	कुल वर्तमान देयताएं			**6,774.23**	**273.50**	**7,047.73**	**6,201.42**	**-**	**6,201.42**
	कुल इक्विटी और देयताएं			**71,344.96**	**(76.21)**	**71,268.75**	**66,725.45**	**-**	**66,725.45**

(ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पुनःकथित लाभ और हानि का समेकित विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)
आय					
1) प्रचालनों से राजस्व	24.1	35.2	10,008.07	(0.26)	10,007.81
2) अन्य आय	24.2	35.2	768.57	0.26	768.83
कुल आय			**10,776.64**	**-**	**10,776.64**
व्यय					
1) विद्युत का क्रय – व्यापार	25.1		234.13	-	234.13
2) उत्पादन व्यय	25.2		904.33	-	904.33
3) कर्मचारी लाभ व्यय	26		1,676.09	-	1,676.09
4) वित्त लागतें	27		795.98	-	795.98
अ मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28		1,614.04	-	1,614.04
6) अन्य व्यय	29		1,699.39	-	1,699.39
कुल व्यय			**6,923.96**	**-**	**6,923.96**
अपवादजनक मदों, नियामक विलंबित लेखा शेष और कर से पूर्व लाभ			3,852.68	-	3,852.68
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का अंश	2.6.2		3.04	-	3.04
नियामक विलंबित लेखा, शेष तथा कर से पूर्व लाभ			3,855.72	-	3,855.72
कर व्यय	30.1				
1) वर्तमान कर			897.74	-	897.74
2) विलंबित कर		35.1(ड.)	(607.24)	(369.90)	(977.14)
कुल कर व्यय			**290.50**	**(369.90)**	**(79.40)**
नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ			3,565.22	369.90	3,935.12
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	35.1(ड.)	(240.50)	(349.71)	(590.21)
नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन के पश्चात वर्ष के लिए लाभ			3,324.72	20.19	3,344.91

विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)
सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (क)			3,324.72	20.19	3,344.91
बंद प्रचालनों से लाभ			-		
बंद प्रचालनों का कर व्यय			-		
बंद प्रचालनों से कर पश्चात लाभ			-		
अन्य व्यापक आय (ख)	**30.2**				
(1) लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत न किए जाने वाली मदें					
(क)लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत न किए जाने वाली मदें (कर का निवल)			36.29	-	36.29
घटाएं : निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन			8.80	-	8.80
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का अंश	2.6.3		(0.01)	-	(0.01)
उप जोड़ (क)			**27.48**	**-**	**27.48**
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश			**(42.09)**	**-**	**(42.09)**
उप जोड़ (ख)			(42.09)	-	(42.09)
कुल उप जोड़ (1) = (क) + (ख)			**(14.61)**	**-**	**(14.61)**
(2) लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत की जाने वाली मदें					
– ऋण लिखत में निवेश			12.10	-	12.10
कुल (2)			**12.10**	**-**	**12.10**
अन्य व्यापक आय (ख) = (1 + 2)			**(2.51)**	**-**	**(2.51)**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय = (क + ख)			**3,322.21**	**20.19**	**3,342.40**
निम्न को आरोप्य लाभ :					
स्वामी			2,874.61	10.31	2,884.92
गैर नियंत्रक हित			450.11	9.88	459.99
निम्न को आरोप्य अन्य व्यापक आय :			3,324.72	20.19	3,344.91
स्वामी			1.59	-	1.59

विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)
गैर नियंत्रक हित			(0.92)	-	(0.92)
निम्न को आरोप्य अन्य व्यापक आय :			(2.51)	-	(2.51)
स्वामी			2,873.02	10.31	2,883.33
गैर नियंत्रक हित			449.19	9.88	459.07
			3,322.21	20.19	3,342.40
स्वामियों को आरोप्य कुल व्यापक आय निम्नलिखित से उत्पन्न होती है :					
सतत प्रचालन			2,873.02	10.31	2,883.33
बंद प्रचालन			-	-	-
			2,873.02	10.31	2,883.33
"प्रति शेयर अर्जन (मूल और तनुकृत)					
(इक्विटी शेयर, 10/– रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)					
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन से पूर्व	35.4		3.10	0.36	3.46
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के पश्चात	35.4		2.86	0.01	2.87

35.1 पूर्वव्यापी पुनर्कथनों पर टिप्पणियां :–

क) दीर्घकालीन आस्तियों के अधिग्रहण के लिए कतिपय निक्षेपों को पहले चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें "अन्य गैर–वर्तमान आस्तियों" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ख) "व्यापार प्राप्य" के अंतर्गत पहले प्रस्तुत बिजली की खरीद के बिलों के निपटान में देरी के लिए लाभार्थियों से वसूली योग्य विलम्ब भुगतान अधिभार के लिए व्यापार प्राप्य (वर्तमान) को ब्याज की प्रकृति वाले "चालू वित्तीय आस्ति – अन्य" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, "गैर–वर्तमान व्यापार प्राप्यों" के तहत पहले प्रस्तुत किए गए विलम्ब भुगतान सरचार्ज के लिए व्यापार प्राप्यों (गैर–वर्तमान) को "गैर–चालू वित्तीय आस्ति – अन्य" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ग) पहले "अन्य वर्तमान आस्तियां" के रूप में प्रस्तुत आयकर वापसी योग्य को कर संपत्ति की प्रकृति में होने के कारण "वर्तमान कर आस्तियां (निवल)" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

घ) सोडेक्सो मील बाउचरों के लिए देय जिन्हें पूर्व में "अन्य वर्तमान देयताओं" के तहत प्रस्तुत किया गया था, को "अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जो एक वैधानिक दायित्व नहीं है।

ड.) 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए में संशोधनों और इस आशय के लिए दाखिल वित्तीय वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणी के प्रभाव को देखते हुए, अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड ने उस निर्धारण वर्ष, जिसमें क्रेडिट पूर्व के अनुसार 10 वर्षों के बजाय स्वीकार्य हो जाता है, के बाद 15 वर्षों के भीतर उपयोग के लिए उपलब्ध एमएटी क्रेडिट पात्रता के कारण संपत्ति आस्थगित कर की पुनर्गणना की है। परिणामस्वरूप, आस्थगित कर आस्ति में वृद्धि हुई है और आस्थगित कर व्यय में 369.90 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसमें से 273.50 करोड़ रुपए की लाभार्थियों को वापसी योग्य राशि को नियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, 2009 तक टैरिफ अवधि के लिए लाभार्थी से वसूली योग्य 76.21 करोड़ रुपए को आस्थगित कर देनदारियों साथ ही विनियामक आस्थगित डेबिट शेष में कमी और विनियामक आस्थगित खाता शेष में उतार–चढ़ाव के साथ वापस कर दिया गया है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप समूह के

समेकित वित्तीय विवरण में वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान अन्य इक्विटी और गैर–नियंत्रित ब्याज में क्रमशः 10.31 करोड़ रुपए और 9.88 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।"

35.2 यूआई प्रभारों/विचलन निपटान तंत्र प्राप्यों पर ब्याज पूर्व में "संचालन से राजस्व" के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसे ब्याज आय की प्रकृति में होने के कारण "अन्य आय" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

35.3 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, बिजली की बिक्री के लिए लाभार्थियों से एकत्र किए गए विलंबित भुगतान अधिभार को "प्रचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह" से "निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह" में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नकदी प्रवाह विवरण में परिवर्तन का प्रभाव नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रूपए में)

क्रियाकलाप	31.03.2020 को विद्यमान आंकड़ें	पुनः कथन/पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	31.03.2020 को संशोधित आंकड़े
प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	3251.87	(259.34)	2992.53
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(3246-40)	259.34	(2987.06)
वित्त–पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	11.66	0.00	11.66

35.4 वर्ष 2019–20 के लिए प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय को भी बहाल किया गया है। विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में संचलन से पहले प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय में 0.36 रुपए और **विनियामक आस्थगन लेखा शेषों** में संचलन के बाद 0.01 रुपए प्रति शेयर की वृद्धि हुई है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08645380	डीआईएन : 08646003

समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते के.जी.सोमानी एण्ड कंपनी**	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
	चार्टर्ड एकाउंटेंट	
चार्टर्ड एकाउंटेंट	एफआरएन : 006591एन	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 009487एन		एफआरएन : 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए भुवनेश महेश्वरी)**	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 088155	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद

तिथि : 10 जून, 2021

फार्म एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा(3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कपनियों अथवा एसोसिएटस कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण

भाग"क"–सहायक कंपनियां

(करोड़ रुपए में)

1	क्रम सं.	1	2	3	4	5
2	सहायक कंपनी का नाम	एनएचडीसी लिमिटेड	लोकटक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड'''
3	वह तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	01.08.2000	23.10.2009	02.02.2015	09.10.2019	31.03.2021
4	संबंधित सहायक कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	धारक कंपनी के समान (01.04.2020– 31.03.2021)	धारक कंपनी के समान (01.04.2020– 31.03.2021)	धारक कंपनी के समान (01.04.2020– 31.03.2021)	धारक कंपनी के समान (01.04.2020– 31.03.2021)	धारक कंपनी के समान (01.04.2020 –31.03.2021)
5	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	1,962.58	132.00	21.98	970.50	-
7	आरक्षित तथा अधिशेष	3,729.96	19.88	26.70	65.66	188.15
8	कुल परिसंपत्तियां	7,989.03	154.31	62.80	1,050.23	188.31
9	कुल देयताएं	2,296.49	2.43	14.12	14.07	0.15
10	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	कारोबार	1,158.41	-	-	-	
12	कराधान से पूर्व लाभ*	861.76	-	(0.18)	(0.21)	(1,120.36)
13	कराधान हेतु प्रावधान**	197.13	-	(0.05)	-	-
14	कराधान पश्चात लाभ	664.63	-	(0.13)	(0.21)	(1,120.36)
15	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	शेयर धारिता की सीमा (प्रतिशत में)	51.08%	74.92%	74.00%	100%	100%

* विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आय सहित।

** कराधान हेतु प्रावधान में कर व्यय और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर कर शामिल है।

*** जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड ("जेपीसीएल") को एनसीएलटी के माध्यम से दिनांक 31.03.2021 को एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। अधिग्रहण की तिथि को, जेपीसीएल की परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर थीं तथा जेपीसीएल की सहायक कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में 1120.36 करोड रुपयों की हानि की पहचान की गई थी। पूर्ववर्ती इक्विटी धारकों की इक्विटी शेयरपूंजी की निकासी के कारण लाभ, ऋणों के निपटान तथा अन्य सभी देयताओं को समाप्त करने के लिए, 1157.17 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित संकल्प योजना की शर्तों के अनुसार जेपीसीएल की आरक्षित पूंजी में पहचानी गई थी। तथापि, दिनांक 31.03.2021 से जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के लेखा एनएचपीसी समूह के लेखा में समेकित किये गए हैं, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए हुए लाभ/हानि को समूह के लेखाओं में समेकन के लिए नहीं लिया गया है।

जेपीसीएल की परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की तारीख को उचित मूल्य पर लेखांकित किया गया था। एनएचपीसी समूह लेखाओं में, 23.15 करोड़ रुपए राशि के भुगतान पर अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के अधिशेष को आरक्षित पूंजी के अंतर्गत "अन्य इक्विटी" में जोड़ा गया है।

टिप्पणियां:

1.	सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड 2) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड 3) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड 4) जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
2.	सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया अथवा बेचा गया	शून्य

भाग "ख"–संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

(करोड़ रुपए में)

	संयुक्त उद्यम का नाम	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड
1	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन–पत्र तिथि	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020'
2	वह तिथि जब से संयुक्त उद्यम को अधिग्रहित किया गया	13.06.2011	22.05.2009
3	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर**		
	संख्या	1,287,850,000	30,400,000
	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	1,287.85	30.40
	धारिता प्रतिशत की सीमा	51.93%	20%
4.	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है, का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयर धारिता पर आरोप्य निवल मूल्य	1,440.02	18.22
7.	**वर्ष हेतु लाभ/(हानि)**		
(i)	समेकन में मानी गई	(1.64)	(3.85)
(ii)	समेकन में नहीं मानी गई	लागू नहीं	लागू नहीं

* प्रबंधन द्वारा नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमाणित खातों को 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समूह समेकन हेतु माना गया है।

टिप्पणियां:

1.	संयुक्त उद्यम के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है	1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड
2.	संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया अथवा बिक्री की गई है	शून्य

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

सौरभ चक्रवर्ती	**राजेन्द्र प्रसाद गोयल**	**अभय कुमार सिंह**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08645380	डीआईएन : 08646003

समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.जी.सोमानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 006591एन

(सीए भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

कृते अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी	**कृते लोढ़ा एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 009487एन	एफआरएन : 301051ई
(सीए नरेन्द्र मलिक)	**(सीए आर. पी. सिंह)**
साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 097008	सदस्यता सं. 052438

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 10 जून, 2021

अनुबंध–XI

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 10 जून, 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

हस्ता./–
(डी. के. सेकर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान–नईदिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2021

---

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 10 जून, 2021 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है, परंतु उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुबंध–क में उल्लिखित संयुक्त उद्यमों/अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

हस्ता./–
(डी. के. सेकर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान–नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2021

अनुबंध–क

उन कंपनियों/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की गई थी:

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार
1	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
2	बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	
3	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	
4	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	
5	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
6	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री लिमिटेड	

टिप्पणी



श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, संसदीय कार्य और तत्कालीन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम, भारत सरकार से वर्ष 2019–2020 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए आईसीएआई अवार्ड्स में "सिल्वर शील्ड" श्रेणी में विजेता ट्रॉफी प्राप्त करते हुए श्री आर. पी. गोयल (बाएं से पांचवे), निदेशक (वित्त) के साथ एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण।



2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर परियोजना (अरूणाचल प्रदेश/असम) – निर्माणाधीन बांध

निम्न लिंकों पर एनएचपीसी को फालो करें :

https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited
https://twitter.com/nhpcltd
https://www.instagram.com/nhpclimited

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA



800 मेगावाट पार्बती–II परियोजना (हिमाचल प्रदेश)–बांध स्थल का हवाई दृश्य

एनएचपीसी
NHPC

CIN L40101HR1975GOI032564

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद–121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com
Tel.: 0129-2588110 Fax: 0129-2278018

Printed at : I G Printers Pvt. Ltd., 110020